सामान्य अध्ययन (प्रश्नपत्र-IV)

नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि

2024

प्रश्न: (a) प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिये इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

The application of Artificial Intelligence as a dependeble source of input for administrative rational decision-making is a debatable issue. Critically examine the statement from the ethical point of view.

(b) "नैतिकता में कई प्रमुख आयाम शामिल हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को नैतिक रूप से ज़िम्मेदार व्यवहार की दिशा में मार्गदर्शन करने में महत्त्वपूर्ण हैं।" मानवीय कार्यों को प्रभावित करने वाले नैतिकता के प्रमुख आयामों की व्याख्या कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये आयाम पेशेवर संदर्भ में नैतिक निर्णय लेने को कैसे आकार देते हैं। (150 शब्द, 10 अंक)

"Ethics encompasses several key dimensions that are crucial in guiding individuals and organizations towards morally responsible behaviour." Explain the key dimensions of ethics that influence human actions. Discuss how these dimensions shape ethical decision&making in the professional context.

उत्तर: (a) प्रशासनिक निर्णयन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के समावेशन ने विमर्श को उत्पन्न कर दिया है। AI दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ा सकता है, यह गहन नैतिक प्रश्न उठाता है।

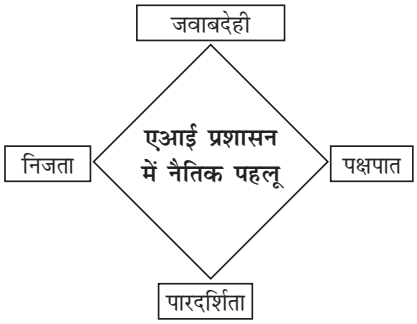

- डाटा-संचालित एल्गोरिदम पर AI की निर्भरता मानव अंतर्ज्ञान और नैतिक तर्क की भूमिका को कम कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जिनमें प्रासंगिक समझ का अभाव होता है।
- जब AI के निर्णय से नुकसान होता है तो ज़िम्मेदारी का निर्धारण करना समस्याग्रस्त हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि दोष डेवलपर्स का है, ऑपरेटरों का है या फिर स्वयं AI का है।
- AI प्रणालियाँ अनजाने में प्रशिक्षण डाटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को सुदृढ़ कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भेदभावपूर्ण परिणाम सामने आते हैं, जो हाशिये पर पड़े समुदायों को असंगत रूप से प्रभावित करते हैं।
- विभिन्न AI एल्गोरिदम "ब्लैक बॉक्स" के रूप में कार्य करते हैं, जिससे हितधारकों के लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे विश्वास और पारदर्शिता कम हो जाती है।
- AI प्रणालियों को प्रायः बड़ी मात्रा में डाटा की आवश्यकता होती है, जिससे डाटा गोपनीयता, सहमति और व्यक्तिगत जानकारी के संभावित दुरुपयोग से संबंधित चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

हालाँकि AI प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और सटीकता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है तथा नागरिक संतुष्टि को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त अगर AI का उचित रूप से प्रयोग किया जाए तो निष्पक्षता लाकर प्रशासन में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष: प्रशासन में ज़िम्मेदारीपूर्वक AI का उपयोग करने के लिये, नैतिक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है, जिसके लिये यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में मानवीय मूल्यों, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी जाए।

उत्तर: (b) नैतिकता सिद्धांतों की अवसंरचना है, जो व्यक्तियों और संगठनों में नैतिक व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। नैतिकता के प्रमुख आयाम मानवीय कार्यों को प्रभावित करते हैं, मूल्यों और मानकों को आकार देते हैं जो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को संबोधित करते हैं, विशेष रूप से पेशेवर अभिकरणों में जहाँ परिणाम महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

नैतिकता के प्रमुख आयाम और नैतिक निर्णय लेने में उनकी भूमिका इस प्रकार है

- मानक नैतिकता नैतिक मानदंड स्थापित करती है, जो व्यक्तियों और संगठनों को उचित तथा अनुचित कार्यों के मूल्यांकन में मार्गदर्शन प्रदान करती है।
  - नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये रूपरेखा प्रदान करके, यह निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को महत्त्वपूर्ण रूप से आकार देता है।

- सद् नैतिकता नैतिक स्वरूप के महत्त्व तथा सत्यनिष्ठा और साहस जैसे सद्गुणों के विकास पर ज़ोर देती है।
  - यह दृष्टिकोण पेशेवरों को अच्छी आदतें विकसित करने, नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने और एक सहयोगात्मक, भरोसेमंद संगठनात्मक संस्कृति निर्माण हेतु प्रोत्साहित करता है।
- कर्त्तव्य-नैतिकता इस बात पर ज़ोर देती है कि कुछ कार्य स्वाभाविक रूप से उचित या अनुचित होते हैं तथा कर्त्तव्यों और दायित्वों के महत्त्व पर प्रकाश डालती है।
  - यह पेशेवरों को अधिकारों और नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये मार्गदर्शन करता है तथा दबाव होने पर भी सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करता है।
- उद्देश्यमूलक/टेलीओलॉजिकल नैतिकता परिणामों के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करती है तथा पेशेवरों को उनके निर्णयों के व्यापक प्रभाव पर विचार करने के लिये प्रेरित करता है।
  - यह दृष्टिकोण ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जो व्यावसायिक हितों और समाज दोनों को लाभ पहुँचाता है।

निष्कर्ष: गांधी के "सेवन सिन" प्रमुख नैतिक आयामों को उजागर करते हैं: बिना काम के धन आदर्श नैतिकता पर बल देता है, विवेक के बिना आनंद सद् नैतिकता को दर्शाता है, जबकि चरित्र के बगैर ज्ञान सत्यनिष्ठा को रेखांकित करता है। ये सिद्धांत व्यक्तियों और संगठनों को व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक संदर्भों में ज़िम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने को प्रोत्साहित करते हैं।

प्रश्न: महान विचारकों के तीन उद्धरण नीचे दिए गए हैं। वर्तमान संदर्भ में, प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है?
Given below are three quotations of great thinkers. What do each of these quotations convey to you in the present context.

(a) "दूसरों से जो भी अच्छा है, उसे सीखो, लेकिन उसे अपने अन्दर लाओ, और अपने तरीके से उसे आत्मसात करो, दूसरों जैसा मत बनो।" स्वामी विवेकानंद। (150 शब्द, 10 अंक)
"Learn everything that is good from others, but bring it in, and in your own way absorb it, do not become others." -Swami Vivekananda

(b) "शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई लाभ नहीं है। किसी भी महान कार्य को पूरा करने के लिये विश्वास और शक्ति दोनों ही आवश्यक हैं।" -सरदार पटेल (150 शब्द, 10 अंक)
"Faith is of no avail in the absence of strength. Faith and strength, both are essential to accomplish any great work-" -Sardar Patel,

(c) "कानून के अनुसार, यदि मनुष्य दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह दोषी है। नीतिशास्त्र के अनुसार, यदि वह केवल ऐसा करने के बारे में सोचता है तो वह दोषी है।" -इमैनुएल कांट (150 शब्द, 10 अंक)
"In law, a man is guilty when he violates the rights of others. In ethics, he is guilty if he only thinks of doing so." -Immanuel Kant

उत्तर: (a) स्वामी विवेकानंद का कथन, "दूसरों से जो भी अच्छा है, उसे सीखो, लेकिन उसे अपने तरीके से आत्मसात करो", विविध स्रोतों से ज्ञान को अपनाने और उसकी नकल करने के बजाय अपनी विशिष्ट पहचान में एकीकृत करने पर बल देता है।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

- **व्यक्तिगत विकास:** व्यक्तिगत स्तर पर यह उद्धरण आत्म-पहचान को प्रोत्साहित करता है। दूसरों से सीखकर तथा अपने अनुभवों के माध्यम से उस निस्यंदित ज्ञान को अपनी आवश्यकताओं एवं स्थितियों के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं।
  - **उदाहरण:** महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अपने दर्शन को विकसित करने के लिये ईसा मसीह और लियो टॉल्स्टॉय की शिक्षाओं को अपनाया, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिये महत्त्वपूर्ण था।
- **सामाजिक स्तर:** यह उद्धरण इस बात पर बल देता है कि संस्कृतियाँ दूसरों से लाभकारी तत्त्वों का चयन कर एवं उन्हें आत्मसात कर विकसित होती हैं, स्थानीय पहचान को संरक्षित करते हुए समाज को समृद्ध बनाती हैं तथा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ बाह्य प्रभावों का सामंजस्य स्थापित करती हैं।
  - **उदाहरण:** भारतीय संगीत उद्योग पारंपरिक क्षेत्रीय ध्वनियों के साथ पश्चिमी प्रभावों का सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे एक विशिष्ट मिश्रण निर्मित होता है जो भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। मैकडॉनल्ड्स जैसे वैश्विक ब्रांड मैकआलू टिक्की बर्गर जैसी वस्तुओं के साथ स्थानीय स्वाद के अनुकूल होते हैं और योग के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के इस सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को और अधिक स्पष्ट करता है।
- **राष्ट्रीय स्तर:** यह उद्धरण इस बात पर ज़ोर देता है कि देशों को वैश्विक नवाचारों से सीखना चाहिये और उन्हें अपने विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।
  - **उदाहरण:** डिजिटल इंडिया पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच में सुधार हेतु वैश्विक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्वीकरण का उदाहरण है।

निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद का यह कथन दूसरों से सीखने और अपनी विरासत को अपनाने के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का समर्थन करता है, जिससे अधिक समृद्ध तथा प्रामाणिक जीवन की प्राप्ति होती है।

उत्तर: (b) सरदार पटेल का कथन लक्ष्य प्राप्ति में विश्वास और शक्ति के बीच के अंतर्संबंध को उजागर करता है: विश्वास दृष्टि प्रदान करता है, जबकि शक्ति उसे प्राप्त करने के लिये लचीलापन प्रदान करती है। शक्ति के बगैर विश्वास केवल आकांक्षा है; विश्वास के बगैर शक्ति में उद्देश्य नहीं होता।

मुख्य भाग

वर्तमान संदर्भ में विश्वास और शक्ति के परस्पर संबंध की प्रासंगिकता

- एक लोक सेवक के लिये आस्था एक बेहतर समाज के लिये एक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जबकि शक्ति भ्रष्टाचार के बगैर सुधारों को लागू करने के लिये समर्पण सुनिश्चित करती है। हालाँकि प्रभावी प्रगति के लिये दोनों आवश्यक हैं।
  - उदाहरण के लिये, सरदार पटेल का एकीकृत भारत का सपना कूटनीतिक सामर्थ्य के माध्यम से उभरा, जबकि नेल्सन मंडेला की आस्था और कार्यकर्त्ताओं के सामर्थ्य ने रंगभेद को समाप्त कर दिया, जिससे स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हुआ।
- "ब्लैक लाइव्स मैटर" जैसे सामाजिक आंदोलन और पर्यावरण सक्रियता यह प्रदर्शित करते हैं कि परिवर्तन लाने के लिये न्याय (आस्था) में दृढ़ विश्वास के साथ संगठनात्मक प्राधिकारों के साथ सुमेलित होना चाहिये।
- सफल उद्यमी इस परस्पर क्रिया को मूर्त रूप देते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्द्धी बाज़ारों में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिये उनके दृष्टिकोण (विश्वास) को अनुकूलनशीलता एवं रणनीतिक क्रियान्वयन (शक्ति) के साथ सुमेलित होना चाहिये।
  - उदाहरण के लिये, इलेक्ट्रिक वाहनों और पुनः प्रयोज्य रॉकेटों में एलन मस्क का विश्वास इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे विश्वास तथा सामर्थ्य उन्हें चुनौतियों को कम करने एवं अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।
- साझा विश्वास और प्रभावी सुधारों के माध्यम से राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम दर्शन वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देता है, जैसा कि भारत की वैक्सीन मैत्री पहल और स्वच्छ भारत अभियान तथा SDG जैसे कार्यक्रमों में देखा गया है।

निष्कर्ष: दोनों गुणों को विकसित करके हम चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुँच सकते हैं तथा महानता प्राप्त करने के लिये हमें विश्वास एवं शक्ति को सफलता के आवश्यक आधार के रूप में पहचानना होगा।

उत्तर: (c) इमैनुएल कांट का यह उद्धरण कानूनी और नीतिशास्त्रीय दोष के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। कानून उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यद्यपि नीतिशास्त्र उद्देश्यों और विचारों पर विचार करता है। एक कार्य कानूनी हो सकता है लेकिन फिर भी नैतिक रूप से गलत हो सकता है यदि उसमें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य शामिल है।

वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता

- **विवेक की भूमिका:** विवेक सही और गलत का आंतरिक बोध है जो नैतिक निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। यह नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये आवश्यक है, क्योंकि यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ से अधिक दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिये प्रेरित करता है, भले ही कानूनी दायित्व अन्यथा अनुमति देते हों। एक विवेकशील व्यक्ति जवाबदेही को बढ़ावा देता है एवं यह सुनिश्चित करता है कि कार्य नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।
- उदाहरण के लिये, एक मुखबिर अपनी अंतरात्मा के कारण नौकरी की सुरक्षा की अपेक्षा लोक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अनैतिक कार्यों को सूचित करता है।
- **कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व:** कॉर्पोरेट कानूनी खामियों का फायदा उठाकर करों से बच सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से, यह गलत माना जा सकता है क्योंकि इनका इरादा समाज में उचित योगदान से बचना है।
- **डिजिटल युग:** घृणास्पद भाषण और ऑनलाइन ट्रोलिंग करने वाले अक्सर कानूनी सज़ा से बच जाते हैं, लेकिन इनके गंभीर नैतिक परिणाम होते हैं, जिससे उनके प्रभाव पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **कार्यस्थल पर नैतिकता:** एक नियोक्ता कानूनी रूप से सभी श्रम कानूनों का पालन कर सकता है, लेकिन नैतिक रूप से, यदि वह श्रमिकों का शोषण करता है या अनुचित कार्य वातावरण बनाता है तो वह दोषी हो सकता है।

हालाँकि कांट के दृष्टिकोण को विकासशील नैतिकता द्वारा चुनौती दी जा रही है; उदाहरण के लिये, भारत में व्यभिचार को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इसे अब भी व्यापक रूप से अनैतिक माना जाता है।

इस प्रकार, कांट की अंतर्दृष्टि हमें नैतिक ज़िम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करती है जो कानूनी दायित्वों से परे है तथा व्यक्तियों से उनके विचारों के निहितार्थों पर विचार करने का आग्रह करती है।

प्रश्न: (a) "न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है। एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था, आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है। न्याय-हत्या को रोकने के लिये बदलते संदर्भ पर लगातार नज़र रखी जानी चाहिये।" उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"The concept of Just and Unjust is contextual. What was just a year back, may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent miscarriage of justice." Examine the above statement with suitable examples.

(b) "मामले के सार को नज़रअंदाज करके रूप के प्रति अविवेकी आसक्ति का परिणाम अन्याय होता है। एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को नज़रअंदाज़ करता है और सच्चे इरादे से काम करता है।" (150 शब्द, 10 अंक) उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिये।

"Mindless addiction to Form, ignoring the Substance of the matter, results in rendering of injustice. A perceptive civil servant is one who ignores such literalness and carries out true intent." Examine the above statement with suitable illustrations.

उत्तर: (a) न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणाएँ सामाजिक मूल्यों, सांस्कृतिक मानदंडों, आधुनिकीकरण, आर्थिक परिवर्तनों से आकार लेती हैं एवं राजनीतिक परिवर्तन इन अवधारणाओं को पुनः परिभाषित कर सकते हैं। एक युग में जो न्यायपूर्ण माना जाता था, वह परिवर्तित प्रासंगिकता के अनुरूप बदल सकता है, जिससे समाज में निष्पक्ष और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित करने के लिये सतत् संमीक्षा की आवश्यकता होती है।

अन्याय के निषेधन हेतु न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणाओं की सतत् संमीक्षा की आवश्यकता है

- 19वीं सदी में सती प्रथा के उन्मूलन ने एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें अनुचित प्रथाओं को अन्यायपूर्ण माना गया।
- ऐतिहासिक रूप से न्यायोचित मानी जाने वाली गृहिणी के रूप में महिलाओं की भूमिका को अब लैंगिक समानता एवं कॅरियर के अवसरों की वकालत करने वाले समकालीन विचारों द्वारा चुनौती दी जा रही है।
- एक बार स्वीकार कर लिये जाने के बाद, जाति-आधारित भेदभाव को अन्यायपूर्ण माना जाने लगा है और इस अन्याय के प्रभाव को कम करने के लिये विभिन्न प्रावधान किये गए हैं।
- वर्ष 2018 में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से बदलते सामाजिक मूल्यों का पता चलता है जोकि पूर्व में हाशिये पर रहे LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की पुष्टि करता है।
- वर्ष 2019 में तीन तलाक पर प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं के लिये न्याय की दिशा में एक कदम था, जो पुरानी और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देता है।

बदलते संदर्भों की सतत् संमीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि न्याय की हमारी समझ सामाजिक मूल्यों के साथ विकसित हो। यह संवीक्षा पुरातन प्रथाओं की अनुचितता को जारी रखने से रोकने में मदद करती है और सभी व्यक्तियों के लिये समान व्यवहार को बढ़ावा देती है, जिससे एक निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाज का सृजन होता है।

निष्कर्ष: न्याय की बदलती प्रकृति के लिये सामाजिक संदर्भों की सतत् संमीक्षा आवश्यक है। उदाहरण के लिये, मृत्युदंड, जिसे प्राचीन काल में न्यायसंगत माना जाता था, आज अन्यायपूर्ण माना जाता है। इसी तरह, लड़कियों के लिये 18 और लड़कों के लिये 21 वर्ष की अलग-अलग विवाह आयु वर्तमान मानदंडों को दर्शाती है।

उत्तर: (b) प्रशासनिक प्रक्रियाओं में रूप और सार के मध्य विभव अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने से अन्याय हो सकता है, इसलिये एक समझदार सिविल सेवक, रूप से अधिक सार को प्राथमिकता देता है, जिससे निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित होते हैं जो विधि के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं।

1. **नियमों पर अत्यधिक बल:** नौकरशाही प्रक्रियाओं के सख्त पालन से नागरिकों की वास्तविक ज़रूरतों की अनदेखी हो सकती है, जैसा कि उन मामलों में देखा गया है जहाँ आवेदनों को मूल मुद्दों के बजाय मामूली तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया जाता है।
2. **न्यायिक विवेक:** जो न्यायाधीश केवल विधिक औपचारिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अन्यायपूर्ण फैसले दे सकते हैं, जबकि जो न्यायाधीश व्यापक संदर्भ पर विचार करते हैं, उनके निर्णयों से न्यायसंगत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जैसे शमनकारी परिस्थितियों के आधार पर सज़ा को कम किया जा सकता है।
3. **सामाज के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम:** कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अक्सर तब प्रभावित होता है जब अधिकारी सामुदायिक आवश्यकताओं की अपेक्षा कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक सेवाओं की प्रदायिता विलंबित होती है या उन्हें देने से मना कर दिया जाता है।
4. **विवेकाधीन शक्तियाँ:** विवेक का उपयोग करते हुए सिविल सेवक विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे न्याय को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि घरेलू हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप से स्पष्ट होता है, जहाँ मानक प्रक्रियाएँ पीड़ितों की रक्षा करने में विफल हो सकती हैं।

सिविल सेवकों के लिये एक कठोर आचार संहिता आवश्यक है, जो अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करती है। इसके विपरीत, आचार संहिता नैतिक सिद्धांत प्रदान करती है जो विधि के मूल उद्देश्य के साथ कार्यों को संरेखित करके न्यायपूर्ण परिणाम सुनिश्चित करती है।

निष्कर्ष: सिविल सेवकों में नोलन सिद्धांतों को स्थापित करके, हम उनका ध्यान विधि के शब्दों से हटाकर उसकी भावना पर केंद्रित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण सहानुभूति एवं करुणा को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि न्याय विनियमों के मूल उद्देश्य के अनुरूप हो।

प्रश्न: (a) 'आचार संहिता' और 'नैतिक संहिता' लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिये एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

"The 'Code of Conduct' and 'Code of Ethics' are the sources of guidance in public administration.There is code of conduct already in operation. whereas code of ethics is not yet put in place. Suggest a suitable model for code of ethics to maintain integrity. probity and transparency in governance

(b) 'नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय, समानता तथा निष्पक्षता है। वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बड़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए। **(150 शब्द, 10 अंक)**

The soul of the new law, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) is Justice, Equality and Impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss this in the light of major shift from a doctrine of punishment to justice in the present judicial system.

उत्तर: (a) 'आचार संहिता' लोक अधिकारियों के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करती है, जिसमें कर्त्तव्य, स्वीकार्य व्यवहार और हितों के टकराव को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत, 'नैतिक संहिता' सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे व्यापक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो नैतिक निर्णय लेने को आकार देती है। दोनों मिलकर लोक सेवा में विश्वास और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देते हैं।

- भारत में सिविल सेवकों के लिये आचार संहिता केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के माध्यम से स्थापित की गई थी, जो निर्देशात्मक एवं प्रवर्तनीय है तथा सिविल सेवाओं में आचार संहिता का होना आवश्यक है।

आचार संहिता के प्रस्तावित मॉडल में निम्नलिखित शामिल होना चाहिये

- **सत्यनिष्ठा:** सत्यनिष्ठा और नैतिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवक को नैतिक रूप से कार्य करना चाहिये।
  - (सत्येंद्र दुबे (IES अधिकारी)- ऐसे सिविल सेवकों में से पहले हैं- जिन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग निर्माण परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर किया)
- **जवाबदेही:** जवाबदेही को शामिल करने से लोक सेवकों को कर्त्तव्य की भावना के साथ कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बेहतर प्रशासन और जनता का विश्वास बढ़ता है।
- **पारदर्शिता:** पारदर्शिता को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि सिविल सेवक स्पष्टता और सुगमता से कार्य करें, जिससे जनता का विश्वास में वृद्धि हो।
  - **उदाहरण:** नीति-निर्माण में समुदाय की प्रतिक्रिया को शामिल करना।
- **ईमानदारी:** यह सिद्धांत इस अपेक्षा को पुष्ट करता है कि सिविल सेवक ईमानदारी और नैतिकता के साथ आचरण करेंगे।
- **तटस्थता:** यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक अधिकारी वस्तुनिष्ठ हों और राजनीतिक संबद्धता के बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें।
  - **उदाहरण:** सेवा के दौरान राजनीतिक प्रचार से बचें।

निष्कर्ष: पीसी होता समिति (2004) ने आचार संहिता के पूरक के रूप में एक आचार संहिता लागू करने का सुझाव दिया था, जिसमें सिविल सेवाओं में इन आदर्शों को बढ़ावा देने के लिये सत्यनिष्ठा, योग्यता और उत्कृष्टता जैसे मूल मूल्यों को शामिल किया गया हो।

उत्तर: **(b)** भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) को प्रतिस्थापित करना है, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों में निहित यह दंडात्मक उपायों पर निष्पक्षता, पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक न्याय को प्राथमिकता देते हुए न्याय, समानता तथा निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है।

बीएनएस में न्याय, समानता और निष्पक्षता

- बीएनएस कुछ अपराधों के लिये मध्यस्थता और सुलह को प्रोत्साहित करता है, जो संवाद के माध्यम से विवादों को सुलझाने की भारतीय परंपरा के अनुरूप है।
  - उदाहरण के लिये, छोटी-मोटी चोरी के मामलों में, संबंधित पक्षकार चोरी की गई वस्तु को वापस करने तथा पीड़ित को मुआवजा देने पर सहमत हो सकते हैं।
- बीएनएस भारतीय संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को कायम रखते हुए जाति, पंथ या लैंगिक परवाह किये बगैर सभी नागरिकों के लिये विधि की समानता सुनिश्चित करता है।
  - उदाहरण के लिये, इसमें भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने और कानूनी कार्यवाहियों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं।
- बीएनएस ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों (जोसेफ शाइन और नवतेज सिंह जौहर मामले) के अनुरूप व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है तथा आधुनिक, अधिकार-आधारित न्याय की ओर कदम बढ़ाया है।

दंड से न्यायोन्मुख न्यायिक प्रणाली की ओर बदलाव

- बीएनएस, मानहानि जैसे छोटे अपराधों के लिये सुधारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तथा सामाजिक पुनः एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये कारावास की बजाय पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- बीएनएस न्यायिक विलंब को कम करने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीव्र कानूनी प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाता है।
- वैवाहिक बलात्कार के लिये अपवाद को बरकरार रखते हुए, बीएनएस ने यौन अपराधों के प्रति अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाया है तथा विवाह के भीतर सहमति और व्यक्तिगत अधिकारों को स्वीकार किया है।

निष्कर्ष: बीएनएस दंडात्मक से न्यायोन्मुख शासन की ओर प्रगतिशील बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करता है।

प्रश्न: (a) "भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।" महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक-विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाइए।
(150 शब्द, 10 अंक)

"In Indian culture and value system, an equal opportunity has been provided irrespective of gender identity. The number of women in public service has been steadily increasing over the years." Examine the

gender-specific challenges faced by female public servants and suggest suitable measures to increase their efficiency in discharging their duties and maintaining high standards of probity.

(b) मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य नागरिकों की सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिये आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है। यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवाएँ प्रदान करने में सशक्त बनाएगी? (150 शब्द, 10 अंक)

Mission Karmayogi is aiming for maintaining a very high standard of conduct and behaviour to ensure efficiency for serving citizens and in turn developing oneself. How will this scheme empower the civil servants in enhancing productive efficiency and delivering the services at the grassroots level.

उत्तर: (a) भारतीय संस्कृति, जिसमें स्त्री देवताओं के प्रति श्रद्धा और ब्रह्म समाज जैसे सुधार आंदोलन शामिल हैं, ने लंबे समय से लैंगिक समानता का समर्थन किया है। भारत का संविधान भी समान अवसरों को सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप लोक सेवा में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। हालाँकि उन्हें अभी भी अपनी पेशेवर भूमिकाओं में विशिष्ट लैंगिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

लोक सेवा में महिलाओं के लिये चुनौतियाँ

- **व्यक्तिगत कारक:** परिवार की देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ प्राय: कॅरियर की उन्नति से अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं।
- **संरचनात्मक कारक:** पुरुष-प्रधान संस्कृति और पक्षपातपूर्ण चयन प्रक्रिया जैसी बाधाएँ पदोन्नति के लिये पुरुष उम्मीदवारों के पक्ष में होती हैं।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** सार्वजनिक पितृसत्ता और महिलाओं को कम सक्षम नेता तथा शारीरिक रूप से कमज़ोर मानने की रुढ़िबद्ध धारणा, उनके विकास में बाधा उत्पन्न करती है।
- **संस्थागत कारक:** लैंगिक भेदभाव महिलाओं के कॅरियर की प्रगति को बाधित करता है तथा उन्हें निम्न-स्तरीय भूमिकाओं और पारंपरिक रूप से महिलाओं वाले क्षेत्रों तक सीमित कर देता है।

कार्यकुशलता और ईमानदारी बढ़ाने के उपाय

- मिशन कर्मयोगी जैसे लैंगिक-संवेदनशील प्रशिक्षण कार्यक्रम और पहल विकसित करना, जो महिलाओं को नेतृत्व कौशल तथा नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाए तथा उनकी कार्यकुशलता एवं निष्ठा में वृद्धि करना।
  - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी के लैंगिक-संवेदनशील प्रशिक्षण को अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा अपनाया जा सकता है।
- नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं के लिये कोटा निर्धारित करना तथा निर्णय लेने में दृश्यता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये वरिष्ठों के माध्यम से मार्गदर्शन कार्यक्रम स्थापित करना।
- महिलाओं को व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों का प्रबंधन करने, कार्यकुशलता और नौकरी की संतुष्टि में सुधार करने में सहायता के लिये सब्सिडीयुक्त बाल देखभाल तथा कॅरियर ब्रेक के लिये सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष: लोक सेवा में लैंगिक चुनौतियों से निपटने के लिये सुधार और सहायक नीतियों की आवश्यकता है, जबकि प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने से शासन की दक्षता तथा ईमानदारी में सुधार होता है।

उत्तर: (b) वर्ष 2020 में आरंभ हुआ मिशन कर्मयोगी, सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जो रचनात्मकता, नवाचार और योग्यता विकास पर बल देते हुए ऑन-साइट तथा ऑनलाइन शिक्षण के मिश्रण के माध्यम से सिविल सेवकों के कौशल को बढ़ाता है।

सिविल सेवकों को सशक्त बनाना

- मिशन का iGOT-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म सिविल सेवकों को अनुकूलित प्रशिक्षण संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे मांग के अनुसार सीखने की सुविधा मिलती है, जिससे अनुकूलनशीलता और उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- यह कार्यक्रम भूमिका-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे अधिकारियों की योग्यताओं को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य आवंटन की अनुमति मिलती है।
  - सिविल सेवकों को उनकी भूमिकाओं के लिये आवश्यक विशिष्ट कौशल और ज्ञान के आधार पर प्रशिक्षित किया जाता है, जो एक ही नियम सभी पर लागू होने वाले दृष्टिकोण से भिन्न है।
- यह कार्यक्रम एक उन्नत ढाँचे के माध्यम से महत्त्वपूर्ण कौशल और नैतिक मानकों को विकसित करने पर केंद्रित है, जो प्रशिक्षण को कॅरियर संबंधी लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवक प्रभावी तथा जवाबदेह दोनों हों।

ज़मीनी स्तर पर सेवा उपलब्धता को बढ़ावा देना

- मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों को हाशिये पर पड़े समुदायों और महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिये सक्षम बनाता है।
- यह विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, सेवा प्रदायगी को सुव्यवस्थित करता है, और बेहतर निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह ज़मीनी स्तर पर एकजुट प्रयासों को सुनिश्चित करता है, जो समतामूलक सामाजिक-आर्थिक विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ संरेखित है।

निष्कर्ष: मिशन कर्मयोगी नवाचार और समावेशिता को बढ़ावा देता है तथा ज़मीनी स्तर पर प्रभावी शासन के लिये सेवा प्रदायगी को सुव्यवस्थित करता है।

प्रश्न: (a) "शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास करना चाहिये; और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य करना चाहिये।" वर्तमान संदर्भ में, विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग, दुनिया

भर में अपने स्वार्थ के लिये कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिये शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

"It is not enough to talk about peace, one must believe in it; and it is not enough to believe in it is one must act upon it." In the present context, the major weapon industries of the developed nations are adversely influencing continuation of number of wars for their own self-interest, all around the world. What are the ethical considerations of the powerful nations in today's international arena to stop continuation of ongoing conflicts.

(b) ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन विकास के नाम पर मानव के लालच का परिणाम हैं, जो इस ओर संकेत करता है कि मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति की ओर अग्रसर है। जीवन की रक्षा के लिये और समाज तथा पर्यावरण के बीच संतुलन लाने के लिये आप इसे कैसे समाप्त करेंगे? **(150 शब्द, 10 अंक)**

Global warming and climate change are the outcomes of human greed in the name of development, indicating the direction in which extinction of organisms including human beings is heading towards loss of life on Earth. How do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and the environment.

उत्तर: (a) यह उद्धरण इस बात पर ज़ोर देता है कि शांति केवल शब्दों या विश्वास से प्राप्त नहीं होती; इसे वास्तविकता में लाने के लिये ठोस कार्यों और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।

- यह राष्ट्रों की नैतिक ज़िम्मेदारी को उजागर करता है जिससे कि वे शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार कार्य करें, न कि अपने स्वार्थ के लिये विश्व भर में चल रहे संघर्षों को बढ़ावा दें।

शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार

- **वैश्विक शांति की ज़िम्मेदारी:** शक्तिशाली राष्ट्रों को लाभ की अपेक्षा शांति को प्राथमिकता देनी चाहिये, तथा संघर्षों को बढ़ावा देने वाले कार्यों से बचना चाहिये, जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हथियारों की बिक्री।
  - **उदाहरण:** भारत गाजा के लिये संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम का समर्थन करता है, यह "टू स्टेटस सॉल्यूशन" का समर्थन करता है तथा नागरिकों की मृत्यु की निंदा करता है।
- **मानवाधिकारों को बढ़ावा देना:** उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी विदेश नीतियाँ मानवाधिकारों को बनाए रखें तथा दमनकारी शासनों को समर्थन देने से बचें।
  - **उदाहरण:** तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्त भारत की तीव्र मानवीय सहायता का एक प्रमुख उदाहरण है।
- **कूटनीतिक समाधान:** उन्हें सैन्य हस्तक्षेप के बजाय कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहिये।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2015 के ईरान परमाणु समझौते में अमेरिका और यूरोपीय संघ की भूमिका।
- **निरस्त्रीकरण का समर्थन करना और प्रसार को कम करना:** प्रमुख शक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने और वैश्विक हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिये शस्त्र व्यापार संधि (ATT) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना चाहिये।
- **हथियार उद्योगों को विनियमित करना:** राष्ट्रों को जवाबदेही और वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये लाइसेंसिंग, हथियार उत्पादन की निगरानी तथा अनिवार्य बिक्री रिपोर्टिंग समेत सख्त हथियार विनियमन लागू करना चाहिये।
- देशों को हथियारों के प्रसार को रोकने और हथियार निर्माताओं के बीच ज़िम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना चाहिये।

निष्कर्ष: एक दूसरे से जुड़ी इस दुनिया में शक्तिशाली राष्ट्रों के शांतिपूर्ण भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। जैसे-जैसे वैश्विक परिदृश्य विकसित होता है, शांति को बढ़ावा देने में इन राष्ट्रों की प्रभावशीलता अंततः भविष्य के संघर्षों को रोकने के लिये सामूहिक प्रयासों की सफलता को निर्धारित करेगी।

उत्तर: (b) विकास के नाम पर मानव लालच से प्रेरित वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का संकट गंभीर पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनता है तथा मानव जाति समेत विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है।

- इसके लिये पृथ्वी के साथ मानवता के संबंध का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है।

ग्लोबल वार्मिंग से निपटना और पर्यावरण संतुलन बहाल करना

- **सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना:** बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पहल के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना।
  - उदाहरण: भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन।
- **संधारणीय कृषि:** कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये कुशल जल उपयोग और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
  - **उदाहरण:** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
- **पर्यावरण नीतियाँ और वैश्विक सहयोग:** कठोर उत्सर्जन लक्ष्यों को बढ़ावा देना और प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना।
- उदाहरण: देशों द्वारा अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन की घोषणा करना।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना:** अपशिष्ट को कम करने के लिये पुनर्चक्रण तथा सतत् उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण:** स्वच्छ भारत मिशन।

- **कार्बन मूल्य निर्धारण और हरित प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन:** उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये कैप-एंड-ट्रेड प्रणालियों का उपयोग करना तथा कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज (CSS) जैसे नवाचारों में निवेश करना।
- **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और जीवनशैली में परिवर्तन:** व्यक्तियों को ऊर्जा का उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिये सतत् प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - **उदाहरण:** इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की ओर रुख।
- **जलवायु साक्षरता और जागरूकता:** सूचित और सक्रिय पर्यावरणीय विकल्पों को बढ़ावा देने के लिये जलवायु परिवर्तन पर शिक्षा तथा जागरूकता को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष: ***"पृथ्वी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लालच की पूर्ति के लिये नहीं।"*** ***- महात्मा गांधी***

जीवन की रक्षा और समाज एवं पर्यावरण के बीच संतुलन बहाल करने का मार्ग सतत् विकास, ज़िम्मेदार ऊर्जा उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली तथा वैश्विक सहयोग की ओर व्यापक बदलाव में निहित है।

2023

(a) भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में "नैतिक ईमानदारी" और "पेशेवर दक्षता" से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by 'moral integrity' and 'professional efficiency in the context of corporate governance in India? Illustrate with suitable examples.

(b) 'संसाधन के अभाव से ग्रस्त' राष्ट्रों की मदद के लिये 'अंतरराष्ट्रीय सहायता' एक स्वीकृत व्यवस्था है। 'समसामयिक अंतरराष्ट्रीय सहायता में नैतिकता' पर टिप्पणी कीजिये। अपने उत्तर को उचित उदाहरणों द्वारा पुष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

International aid is an accepted form of helping resource-challenged nations. Comment on ethics in contemporary international aid. Support your answer with suitable examples.

उत्तर: (a) कॉर्पोरेट शासन ऐसे नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई कंपनी केवल कॉर्पोरेट लाभ के बजाय व्यावसायिक ज़िम्मेदारी एवं पारदर्शी तरीके से संचालित हो सके।

- भारत में कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में 'नैतिक ईमानदारी' और 'पेशेवर दक्षता' ऐसे दो प्रमुख सिद्धांत हैं जो संगठनों के अंदर नैतिक आचरण के साथ ज़िम्मेदार प्रबंधन का मार्गदर्शन करते हैं।
- **नैतिक ईमानदारी:** कॉर्पोरेट शासन में नैतिक ईमानदारी का तात्पर्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं में मज़बूत नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के पालन से है। इसमें न केवल कानूनों और विनियमों के अनुपालन पर बल दिया जाता है बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं ज़िम्मेदारी के साथ नैतिक रूप से उचित कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।
  - **उदाहरण:** यदि कोई कंपनी अपने वित्तीय परिणामों की रिपोर्ट ईमानदारी से प्रदर्शित करती है (चाहे उससे कंपनी के लाभ में गिरावट आने के साथ वित्तीय चुनौतियाँ उत्पन्न हों) तो इससे उस कंपनी की नैतिक ईमानदारी प्रदर्शित होती है।
- **व्यावसायिक दक्षता:** कॉर्पोरेट शासन के संदर्भ में व्यावसायिक दक्षता का आशय कंपनी के संचालन में संसाधनों के प्रभावी एवं ज़िम्मेदार प्रबंधन से है। इसमें प्रक्रियाओं को अनुकूलित करना, जोखिमों का प्रबंधन करना और सभी हितधारकों के हितों पर विचार करते हुए शेयरधारकों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करने वाले निर्णय लेना शामिल है।
  - **उदाहरण:** नवीनतम प्रौद्योगिकियों और डिजिटल उपकरणों को अपनाने से पेशेवर दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
- नैतिक ईमानदारी और पेशेवर दक्षता प्रदर्शित करने वाली कंपनियाँ अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने तथा निवेश आकर्षित करने के साथ भारत के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सकारात्मक योगदान दे सकती हैं।

उत्तर: (b) संसाधन के अभाव से ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिये अंतरराष्ट्रीय सहायता आवश्यक है क्योंकि इसके तहत ऐसे आवश्यक संसाधन, विशेषज्ञता और सहायता प्राप्त होती है जिससे जीवन स्तर में सुधार होने के साथ आर्थिक विकास एवं दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। समकालीन अंतरराष्ट्रीय सहायता को प्रभावी, सम्मानजनक एवं सतत् बनाने में नैतिकता आवश्यक है, जैसे:

- **प्राप्तकर्ता राष्ट्रों की स्वायत्तता का सम्मान**- राष्ट्रों की स्वायत्तता का सम्मान करने के क्रम में UNDP अपनी स्वयं की विकास योजनाएँ बनाने के लिये विभिन्न देशों के साथ साझेदारी करता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता**- ऑक्सफैम जैसे चौरिटी संगठन फंडिंग स्रोतों, व्यय और परियोजना परिणामों के संबंध में नियमित रूप से अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं।
- **हानि और निर्भरता से बचना**- बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों के सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम द्वारा व्यक्तियों को व्यवसाय शुरू करने के लिये सूक्ष्म ऋण प्रदान किये जाते हैं।
- **दीर्घकालिक स्थिरता**- हरित जलवायु कोष, जलवायु अनुकूलन और शमन परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- **मानवीय सिद्धांत**- डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संगठन विश्व स्तर पर संघर्ष वाले क्षेत्रों में सकारात्मक कार्य करता है।

हालाँकि इसमें समकालीन अंतरराष्ट्रीय सहायता से संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हैं जैसे:

- **निवेश सहायता को अपने हित साधने का माध्यम बनाना**- चीन अपनी 'ऋण-जाल कूटनीति' के माध्यम से अन्य देशों में निवेश को अपने हित साधने का माध्यम बना रहा है।
- **भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन**- विदेशी सहायता से संबंधित भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण श्रीलंका में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई।

इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सहायता में नैतिकता के पालन से न केवल इसकी प्रभावशीलता बढ़ती है बल्कि समर्थन प्राप्त करने वाले लोगों और देशों की गरिमा, स्वायत्तता एवं अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

(a) भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है। आपके विचार में समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

"Corruption is the manifestation of the failure of core values in the society." In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society?

(b) उपयुक्त उदाहरण सहित कार्य परिवेश के संदर्भ में, 'ज़बरदस्ती' और 'अनुचित प्रभाव' में अंतर स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

In the context of work environment, differentiate between 'coercion and undue influence' with suitable examples.

उत्तर: (a) भ्रष्टाचार समाज के बुनियादी मूल्यों, जैसे- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही की हानि को दर्शाता है। जब लोग नैतिक सिद्धांतों के स्थान पर व्यक्तिगत लाभ को चुनते हैं, तो यह सुशासन, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय को नुकसान पहुँचाता है।

भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिये समाज में बुनियादी मूल्यों के उत्थान हेतु अपनाए जाने वाले उपाय

- **नैतिक और नीतिपरक शिक्षा:** स्कूली पाठ्यक्रम में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं सहानुभूति जैसे मूल्यों को शामिल करना।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। **उदाहरण:** भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
- **कानूनी सिद्धांतों का अनुपालन:** ज़ीरो टॉलरेंस के साथ भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के कार्यान्वयन को मज़बूत करना। **उदाहरण:** सिंगापुर की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी, भ्रष्ट आचरण जाँच ब्यूरो अपनी ज़ीरो टॉलरेंस के लिये जानी जाती है।
- **नागरिक सहभागिता:** निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। **उदाहरण:** पोर्टो एलेग्रे, ब्राज़ील में सहभागी बजटिंग।
- **मीडिया की स्वतंत्रता और खोजी पत्रकारिता:** एक स्वतंत्र और सतर्क मीडिया जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है और सत्ता को जवाबदेह बनाती है। **उदाहरण:** पनामा पेपर्स लीक।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:** भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने वाले व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा करना। **उदाहरण:** भारत का व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014।

यह एक सामूहिक ज़िम्मेदारी है जिसमें व्यक्ति, संस्थाएँ और नागरिक समाज एक अधिक न्यायपूर्ण एवं नैतिक समाज के निर्माण के लिये मिलकर काम करते हैं तथा इसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (UNCAC) जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों का भी समर्थन प्राप्त है।

उत्तर: (b) कार्य परिवेश में, 'ज़बरदस्ती' का तात्पर्य किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने, मजबूर करने के लिये बल या धमकी का उपयोग करने तथा 'अनुचित प्रभाव' में दूसरों के निर्णयों में हेरफेर करने के लिये किसी के अधिकार या शक्ति का शोषण करने से है। ये विशिष्ट अवधारणाएँ पेशेवर समायोजन के भीतर नैतिक आचरण और कानूनी अनुपालन को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

पक्ष	ज़बरदस्ती (Coercion)	अनुचित प्रभाव (Undue Influence)
प्रभाव की प्रकृति	स्पष्टत: इसमें अक्सर धमकियाँ शामिल होती हैं (जैसे-समाप्ति की धमकी)।	जटिल और चालाकीपूर्ण, विश्वास का शोषण (जैसे- किसी कर्मचारी की वफादारी में हेरफेर करना)।
कानूनी स्थिति	आमतौर पर स्पष्ट धमकियों या बल (जैसे-ब्लैकमेल) के कारण अवैध।	हमेशा अवैध नहीं हो सकता लेकिन चुनौती दी जा सकती है (जैसे- किसी कर्मचारी को अतिरिक्त कार्य करने के लिये राजी करना)।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव	तत्काल भय, तनाव और भावनात्मक संकट (जैसे- चिंता पैदा करना)।	दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आत्मविश्वास का क्षरण (जैसे- किसी कर्मचारी के आत्म-सम्मान को कम करना।
रिपोर्टिंग व्यवहार	पीड़ितों द्वारा तुरंत रिपोर्ट किये जाने की अधिक संभावना है (जैसे- कर्मचारी मानव संसाधन को धमकियों की रिपोर्ट कर रहे हैं)।	लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं जा सकता या रिपोर्ट नहीं की जा सकती (जैसे-कर्मचारी चुप रहने के लिये दबाव महसूस कर रहे हैं)।
कार्यस्थल निहितार्थ	कानूनी और नैतिक मानकों का स्पष्ट उल्लंघन (जैसे-श्रम कानूनों का उल्लंघन)।	अनैतिक आचरण संभावित कानूनी मुद्दों (जैसे- पदोन्नति में पक्षपात) को जन्म दे सकता है।

प्रश्न : महान विचारकों के तीन उद्धरण नीचे दिये गए हैं। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उद्धरण आपको क्या संप्रेषित करता है?

Given below are three quotations of great thinkers. What do each of the quotations convey to you in the present test?

(a) "दयालुता के सबसे सरल कार्य प्रार्थना में एक हज़ार बार झुकने वाले सिरों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं।"

–महात्मा गांधी

(150 शब्द, 10 अंक)

"The simplest arts of kindness are by far more powerful than a thousand heads bowing in prayer."

– Mahatma Gandhi

(b) "लोगों को जागरूक करने के लिये महिलाओं को जागृत होना चाहिये। जैसे ही महिलायें आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है।"

–जवाहरलाल नेहरू

(150 शब्द, 10 अंक)

To awaken the people, it is the women who must be awakened. Once she is on the move, the family moves, the village moves, the nation moves".

–Jawaharlal Nehru

(c) "किसी से घृणा मत कीजिये, क्योंकि जो घृणा आपसे उत्पन्न होगी, वह निश्चित ही एक अंतराल बाद आप तक लौट आएगी। यदि आप प्रेम करेंगे, तो वह प्रेम चक्र को पूरा करता हुआ आप तक वापस आएगा।" *–स्वामी विवेकानंद* **(150 शब्द, 10 अंक)**

"Do not hate anybody, because that hatred that comes out from you must, in the long run, come back to you. If you love, that love will me back to you, completing the circle –Swami Vivekananda

उत्तर: (a) महात्मा गांधी का उपर्युक्त उद्धरण केवल अनुष्ठानों के बजाय परोपकारी/दयालुता संबंधी कार्यों के महत्त्व पर बल देने से संबंधित है। वर्तमान संदर्भ में यह उद्धरण व्यावहारिक दयालुता और इसके सामाजिक प्रभाव के महत्त्व को दर्शाता है।

- **परोपकार का भौतिक प्रभाव:** विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी ने अपनी संपत्ति के प्रमुख हिस्से को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में दान किया है, जिससे लाखों वंचित बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **समुदाय-आधारित पहल:** भारत में स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) विभिन्न आर्थिक और सामाजिक पहलों के माध्यम से कम आय पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है।
- **सूक्ष्म वित्त के माध्यम से सशक्तीकरण:** ग्रामीण बैंक के माध्यम से सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के अग्रणी कार्यों से गरीब व्यक्तियों को सूक्ष्म वित्त प्रदान किया गया, जिससे उन्हें गरीबी से बाहर निकलने के साथ आजीविका के स्थायी अवसर प्राप्त हुए।
- **सामाजिक उद्यमियों का प्रभाव:** भारत के "पैडमैन" के रूप में पहचाने जाने वाले अरुणाचलम मुरुगनाथम जैसे सामाजिक उद्यमियों ने प्रमुख सामाजिक मुद्दों को हल करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। कम लागत वाले सैनिटरी पैड बनाने वाली उनकी मशीनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ाने के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार किया है।
- **शिक्षा में दयालुता:** अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसे संस्थान स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करके परोपकारिता/दयालुता की परिवर्तनकारी क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इससे न केवल भुखमरी का समाधान होता है बल्कि इससे शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलता है।

उत्तर: (b) नेहरू का उपर्युक्त उद्धरण सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। समसामयिक संदर्भ में यह समाज में महिलाओं के महत्त्व एवं व्यापक सामाजिक विकास में उनके योगदान पर बल देता है।

समाज पर महिलाओं का बहुआयामी प्रभाव:

- **मूल्यों को आकार देने में महिलाओं का योगदान:** भारतीय माताएँ, बड़ों के प्रति सम्मान और दूसरों के प्रति दया जैसी अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन मूल्यों को आकार देने में भूमिका निभाती हैं जो पारिवारिक बंधन और सामाजिक सद्भाव में महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- **आर्थिक विकास हेतु सशक्तीकरण:** भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलनों ने (विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में) महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें प्रभावी ढंग से व्यवसाय शुरू करने एवं प्रबंधित करने में सक्षम बनाया है।
- **उत्प्रेरक के रूप में महिला शिक्षा:** भारत में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान का उद्देश्य समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने तथा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ अधिक प्रबुद्ध समाज को बढ़ावा देना है।
- **राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएँ:** भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान महत्त्वपूर्ण नीतिगत योगदान दिया।
- **सतत् विकास में महिलाओं की भूमिका:** पर्यावरण कार्यकर्ता वंदना शिवा ने महिलाओं, पर्यावरण तथा विकास के अंतर्संबंध पर ज़ोर देते हुए सतत् कृषि के साथ जैवविविधता के संरक्षण पर बल दिया है।

उत्तर: (c) स्वामी विवेकानन्द का उपर्युक्त उद्धरण मानव व्यवहार के बूमरैंग प्रभाव पर प्रकाश डालता है। घृणा, प्रतिशोध की ओर ले जा सकती है जबकि प्रेम से दयालुता और पारस्परिकता की भावना उत्पन्न हो सकती है।

घृणा संबंधी बूमरैंग प्रभाव

- **सोशल मीडिया पर साइबरबुलिंग:** ऑनलाइन अभद्र भाषा के अपराधी समान व्यवहार का लक्ष्य बनने के कारण अपने कार्यों की वजह से ऑनलाइन उत्पीड़न का अनुभव कर सकते हैं।
- **विभाजनकारी राजनीतिक भाषण:** विभाजनकारी भाषा का इस्तेमाल करने वाले राजनेताओं को ऐसे नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो ऐसे कृत्यों के विरोधी होते हैं।
- **धार्मिक उग्रवाद और वैश्विक प्रतिक्रिया:** धर्म के आधार पर नफरत को बढ़ावा देने वाले चरमपंथी समूहों के कार्यों की वजह से इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के साथ स्थानीय प्रतिक्रया को बढ़ावा मिल सकता है।

प्रेम संबंधी बूमरैंग प्रभाव

- **दयालुता को बढ़ावा:** प्रेम और दयालुता के कार्य से सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे दूसरों को सद्भावना के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **सामुदायिक समर्थन और एकजुटता:** सदस्यों के बीच प्रेम तथा समन्वय को बढ़ावा देने वाले समुदाय संकट के समय में अधिक सुरक्षा एवं सहयोग का अनुभव करते हैं।
- **अंतरराष्ट्रीय सहायता और समन्वय:** विदेशी सहायता तथा मानवीय सहायता प्रदान करने वाले देशों को अक्सर ज़रूरत के समय बदले में समर्थन प्राप्त होता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में करुणा की पारस्परिक प्रकृति को बढ़ावा मिलता है।

(a) "सफलता, चरित्र, खुशी और जीवन-भर की उपलब्धियों के लिये वास्तव में जो मायने रखता है वह निश्चित रूप से भावनात्मक कौशलों का एक समूह है- आपका ई.क्यू. न कि विशुद्ध रूप से संज्ञानात्मक क्षमताएँ जो पारंपरिक आई.क्यू. परीक्षणों से मापी जाती है।" क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"What really matters for success, character, happiness, and lifelong achievements is a definite set of emotional skills -your EQ- not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ tests." Do you agree with the view? Give reasons in support of your answer.

(b) 'नैतिक अंतर्ज्ञान' से 'नैतिक तर्कशक्ति' का अंतर स्पष्ट करते हुए उचित उदाहरण दीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Differentiate 'moral intuition" from 'moral reasoning' with suitable examples.

उत्तर: (a) EQ का अर्थ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जो किसी व्यक्ति की अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, प्रबंधित करने तथा प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है।

- IQ का अर्थ इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, जो किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं का पैमाना है, जिसमें समस्या-समाधान, तार्किक तर्क और सीखने की क्षमता शामिल होती है।
- उपलब्धि, चरित्र विकास, खुशी और आजीवन उपलब्धियों के क्षेत्र में EQ का महत्त्व IQ से अधिक है।

कारण

- **प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन:** उच्च EQ वाले व्यक्ति संकट के दौरान संयम बनाए रखते हैं, जैसे Apple में चुनौतियों पर काबू पाने में स्टीव जॉब्स द्वारा प्रदर्शित लचीलापन।
- **प्रभावी नेतृत्व और संघर्ष समाधान:** नेल्सन मंडेला के EQ-संचालित नेतृत्व ने दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र में परिवर्तन के दौरान शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की सुविधा प्रदान की।
- **सहानुभूति और उन्नत संचार:** मज़बूत EQ वाले स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर रोगी के साथ गहन स्तर पर जुड़ते हैं।
- **व्यक्तिगत कल्याण और पूर्ति:** प्रभावी भावना प्रबंधन स्वस्थ रिश्तों और उद्देश्य की भावना में योगदान देती है, जैसा कि सकारात्मक मनोविज्ञान में खुशी की खोज में देखा जाता है।
- **संघर्ष समाधान:** मध्यस्थ सामान्य आधार खोजने के लिये EQ का उपयोग करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहाँ EQ-संचालित वार्ता शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाती है।

उत्तर: (b)

नैतिक अंतर्ज्ञान	नैतिक तर्कशक्ति
❑ इसमें सचेत विचार-विमर्श के बिना नैतिक दुविधाओं के लिये तत्काल, अंत:स्तरीय प्रतिक्रियाएँ शामिल होती हैं। ❑ गहराई से समाहित नैतिक मूल्यों और भावनाओं पर निर्भर करता है।	❑ इसमें नैतिक विकल्पों का सचेत और तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल होता है। ❑ नैतिक निर्णय पर पहुँचने के लिये तार्किक तर्कों और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है।
उदाहरण ❑ सहानुभूति महसूस करना और सड़क पर बेघर व्यक्ति की बिना सोचे-समझे सहायता करना। ❑ पर्यावरण की रक्षा के प्रति ज़िम्मेदारी का एहसास स्वत: ही होने लगता है।	**उदाहरण** ❑ इसके प्रभाव और प्रभावशीलता पर शोध करने के बाद किसी चौरिटी को दान देने का निर्णय लेना। ❑ प्रस्तावित पर्यावरण नीति के फायदे और नुकसान पर चर्चा करने के लिये एक संरचित बहस में शामिल होना।

❑ किसी मित्र से वादा तोड़ने के बाद अपराध बोध का अनुभव करना। ❑ बड़ों की गरिमा का सहज आदर करना। ❑ किसी भेदभावपूर्ण कृत्य को देखकर गुस्से से प्रतिक्रिया करना। ❑ बिना सोचे-समझे LGBTQIA+ व्यक्तियों के प्रति स्वचालित रूप से असुविधा या घृणा महसूस होना।	❑ किसी विशिष्ट स्थिति में वादा तोड़ने के परिणामों और नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण करना। ❑ गरिमा के सिद्धांतों को उचित ठहराने के लिये दार्शनिक चर्चा में संलग्न होना। ❑ कानूनी और नैतिक तर्क का उपयोग करके भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ तर्क तैयार करना। ❑ व्यक्ति तत्काल भावनात्मक असुविधा का अनुभव किये बिना, जान-बूझकर LGBTQIA+ व्यक्तियों के प्रति अपने दृष्टिकोण का आकलन कर सकते हैं।

(a) नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

Is conscience a more reliable guide when compared to laws, rules, and regulations in the context of ethical decision-making. Discuss

(b) सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अनिवार्य है। विवेचना कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

Probity is sential for an effective system of governance and socio-economic development. Discuss

उत्तर: (a) कानून सामान्यत: कल्याण के लिये उचित प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई निर्धारित करता है तथा दायित्व थोपता है, जबकि विवेक सही और गलत में अंतर स्पष्ट करने की हमारी जन्मजात क्षमता है। प्रत्येक की क्षमता एवं सीमाएँ हैं,जो श्रेष्ठ स्थिति पर निर्भर करती हैं।

विवेक/अंतरात्मा

शक्ति

- **वैयक्तिक नैतिकता:** एक आंतरिक नैतिक दिशा-निर्देश जो किसी व्यक्ति की सही और गलत की व्यक्तिगत समझ के आधार पर नैतिक निर्णय लेने का मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- **नम्रता:** विवेक जटिलता और विशिष्टता को महत्त्व देता है, जिससे स्थापित विधियों से परे व्यक्तिगत स्थितियों पर विचार करने की अनुमति मिलती है।

सीमाएँ

- **पूर्वाग्रह का प्रभाव:** पूर्वाग्रहों, संस्कृति, पालन-पोषण से प्रभावित विवेक संदिग्ध नैतिकता को जन्म दे सकता है।
- **असंगत अनुप्रयोग:** विवेक के विकसित होने से नैतिक विकल्पों में असंगति आ सकती है।

विधि, नियम और विनियम

शक्ति

- **स्पष्टता:** ये समाज और संगठनों के लिये नैतिक दिशा-निर्देश स्थापित करते हैं।
- **जवाबदेही:** ये गलत कार्यों के परिणाम थोपते हैं, अनैतिक कार्यों को हतोत्साहित करते हैं।
- **अधिकारों की सुरक्षा:** विधि और नियम समग्र रूप से व्यक्तियों एवं समाज के अधिकारों तथा कल्याण की रक्षा कर सकते हैं।

सीमाएँ

- **कठोरता:** कानून प्राय: बदलते सामाजिक मानदंडों और विकसित नैतिकता के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये संघर्ष करते हैं।
- **मोरल (नैतिक) ब्लाइंड स्पॉट:** कानूनी प्रणालियाँ सभी नैतिक दुविधाओं का पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकती हैं।
- **प्रवर्तन:** कानूनों को लागू करना कठिन है और खामियों के कारण अनैतिक व्यवहार जारी रह सकता है।

विवेक और विधि/नियम/विनियम नैतिक निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवेक सार्वभौमिक नैतिकता एवं पूर्वाग्रह नियंत्रण पर निर्भर करता है, जबकि विधि संरचना प्रदान करते हैं लेकिन निष्पक्ष बने रहने के लिये इनके नियमित अद्यतन की आवश्यकता होती है।

उत्तर: (b) ईमानदारी का अर्थ है उच्चतम सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करना है। यह ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक सिद्धांतों की नींव है। यह सुशासन तथा सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी जनता को प्राथमिकता दें, कानून का पालन करें, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखें।

शासन में ईमानदारी सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है

- **संसाधन आवंटन:** शासन में ईमानदारी का अर्थ कुशल और भ्रष्टाचार मुक्त संसाधन आवंटन है।
- **प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा:** ईमानदारी नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देती है, एक समान अर्थव्यवस्था के लिये भाई-भतीजावाद, परिवारवाद तथा पक्षपात को खत्म करती है।
- **समता:** यह सभी नागरिकों, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले लोगों का सम्मान करते हुए निष्पक्ष नीतियाँ सुनिश्चित करती है।
- **असमानताओं को कम करना:** ईमानदारी सार्वजनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ के लिये अपनी शक्ति का उपयोग करने से रोककर असमानता को कम करती है।

- **समावेशन:** यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सेवाएँ और सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव या बहिष्कार के सभी नागरिकों के लिये सुलभ एवं सस्ती हों।
- **स्थिरता:** शासन में ईमानदारी का तात्पर्य ऐसे निर्णय लेना है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिये पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिरता पर आधारित होते हैं।
- **लचीलेपन को प्रोत्साहन:** यह अधिकारियों को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये तैयार करके समाज के लचीलेपन को बढ़ाती है।
- प्रभावी सरकार, विश्वास, पारदर्शिता और सामाजिक प्रगति के लिये शासन में ईमानदारी महत्त्वपूर्ण है। अधिकारियों, नागरिक समाज, मीडिया तथा नागरिकों सहित सभी हितधारकों को इसे बढ़ावा देने के साथ इसकी रक्षा करनी चाहिये।

(a) गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएँ क्या थीं? समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

What were the major teachings of Guru Nanak? Explain their relevance in the contemporary world.

(b) सामाजिक पूंजी की व्याख्या कीजिये। यह सुशासन में वृद्धि कैसे करती है? **(150 शब्द, 10 अंक)**

Explain the term social capital. How does it enhance good governance?

उत्तर: (a) सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा दी गई शिक्षाएँ, समकालीन दुनिया में अत्यधिक प्रासंगिक बनी हुई हैं।

उनकी प्रमुख शिक्षाएँ

- **एक ईश्वर (इक ओंकार):** गुरु नानक ने कई देवताओं की धारणा को खारिज करते हुए एक सार्वभौमिक ईश्वर की सत्ता पर बल दिया। धार्मिक सहिष्णुता एवं एकता को बढ़ावा देने वाला यह एकेश्वरवादी सिद्धांत, धार्मिक विविधता एवं संघर्षों की दुनिया में महत्त्वपूर्ण है।
- **समानता और सामाजिक न्याय:** गुरु नानक ने समानता का समर्थन करने के साथ सिख धर्म में न्याय, लैंगिक समानता तथा सेवाभाव जैसे मूल्यों को प्रेरित किया। वर्तमान दुनिया में उनकी शिक्षाएँ भेदभाव एवं असमानता के खिलाफ हमारे संघर्ष में आशा की किरण बनी हुई हैं।
- **निस्वार्थ सेवा:** गुरु नानक ने 'सेवाभाव' को बढ़ावा दिया। मानवता हेतु निस्वार्थ सेवा, करुणा, परोपकारिता और ज़िम्मेदारी की उनकी भावना आज भी प्रासंगिक है।
- **अंतर-धार्मिक संवाद:** गुरु नानक ने संवादों के माध्यम से अंतर-धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के साथ विविधता में एकता पर ज़ोर दिया। उनकी शिक्षाएँ वैश्विक शांति और सह-अस्तित्व के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **अनुष्ठानों और अंधविश्वासों को अस्वीकार करना:** गुरु नानक ने आधारहीन अनुष्ठानों और अंधविश्वासों को खारिज करने के साथ ईश्वर की प्रत्यक्ष भक्ति पर बल दिया।

समकालीन दुनिया में गुरु नानक की शिक्षाएँ न केवल समावेशी, परोपकारी और सामंजस्यपूर्ण समाज को प्रेरित करने पर केंद्रित हैं बल्कि इनसे धार्मिक असहिष्णुता एवं सामाजिक असमानता जैसे आधुनिक मुद्दों का भी समाधान होता है जिससे हम अधिक प्रबुद्ध एवं न्यायसंगत भविष्य की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं।

उत्तर: (b) सामाजिक पूंजी का आशय किसी समुदाय में सामाजिक संबंध, विश्वास और साझा मूल्यों के नेटवर्क से है जिससे प्रभावी सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक पूंजी कई मायनों में सुशासन को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे–

- इससे नागरिक सहभागिता एवं सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सरकारी संस्थानों की जवाबदेहिता में वृद्धि हो सकती है।
- इससे सामूहिक कार्रवाई के साथ समस्या का समाधान सुनिश्चित होता है, जिससे सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में सुधार हो सकता है।
- इससे सामाजिक एकजुटता तथा समावेशन को बढ़ावा मिलने से संघर्ष और हिंसा की घटनाओं में कमी आने से सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे सूचना अंतराल को कम करने के साथ विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय एवं सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- इससे नवाचार के साथ सीखने की भावना को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे शासन प्रणालियों की अनुकूलनशीलता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है।
- सुशासन, विश्वास, सहयोग, नागरिक सहभागिता एवं सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक पूंजी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके मूल्य को पहचानते हुए लोकतांत्रिक संस्थानों में सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देना चाहिये।

2022

(a) बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य-प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Wisdom lies in knowing what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such

preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate.

(b) बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं, जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
Apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issues or taking critical decisions. Explain with suitable illustrations.

उत्तर: (a) ज्ञान और अनुभव के आधार पर विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को बुद्धिमत्ता कहा जाता है। किसी भी विशेष स्थिति में किसी व्यक्ति का निर्णय उसके अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है कि वह किसका ध्यान रखे या किसे अनदेखा करे।

हालाँकि, परिधि में लीन रहने वाले और मुख्य मुद्दों को अनदेखा करने वाले अधिकारी को पूर्वव्यस्तता नहीं दर्शानी चाहिये। एक नौकरशाह के ऊपर विभिन्न प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ऐसे में इस बात का कोई संदेह नहीं है कि वह किसी बात को याद रख सकता है तो किसी बात को भूल भी सकता है। लेकिन, कानूनी ढाँचे के भीतर इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। नैतिक स्तर पर, इसे कुछ समय के लिये तो स्वीकार किया जा सकता है लेकिन जब कानून की बात आती है तो इन गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि इस प्रकार की गलतियाँ अन्याय और खराब शासन की ओर अग्रसारित करती हैं।

उपरोक्त संदर्भ में कुछ उदाहरण

- निर्माण स्थल से संबंधित अनुबंध को स्वीकृति देते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही से भारी जनहानि हो सकती है जो कि एक बहुत बड़ा अन्याय होगा।
- यदि कोई नौकरशाह केवल यह जानने की कोशिश कर रहा है कि स्कूल खुल रहा है या नहीं और इस बात की उपेक्षा करता है कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं, तो इस तरह के व्यवहार से खराब शासन को बढ़ावा मिलेगा।

उत्तर: (b) एक सिविल सेवक को विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों से निपटने या महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिये विभिन्न गुणों की आवश्यकता होती है। इसके लिये उसे बौद्धिक योग्यता और नैतिक गुणों की आवश्यकता होती है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। करुणा और सहानुभूति जैसे गुण समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं

- किसी निर्माण स्थल पर हादसा हो गया और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना गलती से हुई क्योंकि उनमें से एक कर्मचारी कुछ मशीनों को बंद करना भूल गया था। अब वहाँ मौजूद अधिकारी पर अपराधी को सज़ा दिलाने का काफी दबाव है। लेकिन, अधिकारी जानता है कि यह कार्यकर्ता का इरादा नहीं था। इधर अधिकारी को इस स्थिति से निपटने के लिये करुणा और सहानुभूति की ज़रूरत है और कोशिश करनी चाहिये कि कार्यकर्ता को कोई कड़ी सज़ा न दी जाए।
- दहेज के झूठे मामलों से निपटने के लिये करुणा और सहानुभूति के गुणों की आवश्यकता होती है, अन्यथा निर्दोष लोगों को कानून के तहत दंडित किया जाएगा।
- कोविड-19 की स्थिति में कई अधिकारियों ने अथक परिश्रम किया है, उन्होंने काम किया है और अपनी कार्य समय सीमा से परे मदद की है। ऐसी स्थितियों में विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये सिविल सेवकों में सहानुभूति और करुणा जैसे लक्षणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

अत: बौद्धिक क्षमता और नैतिक गुणों के साथ व्यक्ति तर्कसंगत निर्णय ले सकता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस निर्णय में सहानुभूति और करुणा शामिल हो।

(a) सभी सिविल सेवकों को प्रदान किये गए नियम और विनियम समान हैं, फिर भी प्रदर्शन में अंतर है। सकारात्मक सोच वाले अधिकारी नियमों और विनियमों के मामले के पक्ष में व्याख्या करने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले अधिकारी मामले के खिलाफ समान नियमों और विनियमों की व्याख्या करके लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। सोदाहरण विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
The Rules and Regulations provided to all the civil servants are same, yet there is difference in the performance. Positive minded officers are able to interpret the Rules and Regulations in favour of the case and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same Rules and Regulations against the case. Discuss with illustrations.

(b) यह माना जाता है कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का पालन किसी संगठन/व्यवस्था के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करेगा। यदि हाँ, तो नैतिकता मानव जीवन में किसे बढ़ावा देना चाहती है? दिन-प्रतिदिन के कामकाज में उसके सामने आने वाले संघर्षों के समाधान में नैतिक मूल्य किस प्रकार सहायता करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
It is believed that adherence to ethics in human actions would ensure in smooth functioning of an organization/system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical values assist in the resolution of conflicts faced by him in his day-to-day functioning?

उत्तर: (a) नियम और विनियम नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं जो जीवन के लिये आवश्यक मूल्यों और पालन की

जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। ये नियम और विनियम सभी के लिये समान तो होते हैं लेकिन इन्हें व्यावहारिक स्थिति तथा उद्देश्य के अनुसार लागू करने की आवश्यकता होती है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, नैतिक लोक अधिकारी सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं वहीं अनैतिक लोक अधिकारी के व्यवहार से विकास अवरुद्ध होने के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थानों के प्रति लोगों के विश्वास में कमी आती है।

दृष्टिकोण में अंतर

सकारात्मक सोच वाले अधिकारी

- ये न्याय प्रदान करने के लिये नियमों और विनियमों की कुशल तरीके से व्याख्या करने के साथ लोगों की मदद करने के लिये अपने विवेक का उपयोग करते हैं।
- ये लाभार्थियों की समस्या का बेहतर समाधान करते हैं।
- ये योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं और कानूनी तथा नैतिक नियम सुनिश्चित करने के लिये सफलतापूर्वक कार्य करते हैं।
- ये यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना के कार्यान्वयन के प्रशासनिक पहलू के बारे में चिंता करने के बजाए योजना को उसी उद्देश्य के लिये चलाया जाना चहिये जिसकी प्राप्ति हेतु इसे बनाया गया था।
- **उदाहरण:** जब बैंक का कोई अधिकारी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को सेवा के लिये मना करने के बजाए किसी अधिकारी को बैंकिंग सेवाओं हेतु वरिष्ठ नागरिक के घर भेजता है।

नकारात्मक सोच वाले अधिकारी

- वे नियमों में खामियाँ खोजते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिये उनका फायदा उठाते हैं तथा प्रक्रिया में देरी भी करते हैं। वे लोगों को परेशान करने के लिये अपने विवेक का उपयोग करते हैं।
- वे योजना के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और योजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों के प्रति असंवेदनशील होते हैं।
- **उदाहरण:** किसी व्यक्ति को राशन की दुकान पर खाद्यान्न से वंचित करना क्योंकि कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दों के कारण उसके बायोमेट्रिक्स विवरण डेटाबेस में अपडेट नहीं किये गए थे।

उत्तर: (b) नैतिकता को नैतिक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है जो समाज के मूल्यों और रीति-रिवाजों का प्रतिनिधित्व करता है। यह समाज को सही या गलत की पहचान करने हेतु शिक्षित करता है जो समाज के परिप्रेक्ष्य में है।

नैतिक समाज शांति, प्रेम और करुणा सुनिश्चित करता है क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्य सामाजिक मूल्यों के साथ सरेखित होते हैं।

सरकार में लोगों का विश्वास लोक प्रशासन के माध्यम से बना रहता है। यदि लोक प्रशासन में नैतिकता का अभाव है, तो एक समाज और राष्ट्र विफल हो जाएगा। नैतिक समाज चोरी, बलात्कार, उत्पीड़न आदि जैसे सामाजिक अपराधों से रहित होता है।

मानव जीवन में नैतिकता और मूल्य

- व्यक्ति पारदर्शी तरीके से निर्णय लेता है और लागू करता है। इससे यह उस समूह के लोगों के लिये खुलापन लाता है जो निर्णय से प्रभावित होते हैं।
- नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि दिन-प्रतिदिन के जीवन में भ्रष्टाचार जैसे कदाचार पर अंकुश लगे। इसके अलावा दुराचार, शक्ति के दुरुपयोग और आत्म-उत्पीड़न आदि से भी मानव को दूर रखती है।
- किसी भी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, समय की पाबंदी आदि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रत्येक कर्त्तव्य पवित्र है और कर्त्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है।
- ज़िम्मेदारी और जवाबदेही पारदर्शिता के साथ आती है।
- एक व्यक्ति को कानून को तोड़े बिना समाज के गरीब और वंचित वर्ग के प्रति अपने कार्यों में सहानुभूति दिखानी चाहिये।

दिन-प्रतिदिन के कामकाज में सामने आने वाले संघर्षों में नैतिक मूल्यों की भूमिका:

- एक नैतिक व्यक्ति किसी भी संघर्ष का समाधान कानून, न्याय और करुणा के अनुसार संबंधित समाज के सर्वोत्तम हित में करता है जबकि एक अनैतिक व्यक्ति संघर्ष को समाज के बजाए उसके स्वयं के हित के आधार पर हल करता है।
- सहानुभूति और करुणा यह सुनिश्चित करती है कि संघर्ष का समाधान सभी के लिये लाभ की स्थिति पैदा करे।
- नैतिकता गुस्से के प्रबंधन में भी मदद करती है।
- नैतिकता हमें एक-दूसरे के प्रति द्वेष रखने के बजाए क्षमा करना सिखाती है। अत: निष्पक्षता एवं विश्वास के कारण नैतिक व्यक्ति का निर्णय स्वीकार्य होता है।

प्रश्न: निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What does each of the following quotations mean to you?

(a) "आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच के अंतर को जानना नैतिकता है।"- पॉटर स्टीवर्ट (150 शब्द, 10 अंक)

"Ethics is knowing the difference between what you have the right to do and what is right to do."

– Potter Stewart

(b) "अगर किसी देश को भ्रष्टाचारमुक्त होना है और खूबसूरत दिमागों का देश बनाना है, तो मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं, जो बदलाव ला सकते हैं। वे हैं- पिता, माता और शिक्षक।" -ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (150 शब्द, 10 अंक)

"If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel that there are three key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher."

– A.P.J. Abdul Kalam

(c) "आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिये आपको क्या छोड़ना पड़ा।" -दलाई लामा (150 शब्द, 10 अंक)

'Judge your success by what you had to give up in order to get it." – Dalai Lama

उत्तर: (a) नैतिकता मानव आचरण में सही या गलत का अध्ययन है। नैतिकता एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें सही और गलत अवधारणाओं को व्यवस्थित करना, उनका बचाव करना तथा अनुशंसा करना शामिल है। नैतिकता अच्छे-बुरे, सही-गलत, गुण-दोष एवं अन्याय की चिंताओं से संबंधित है। आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रत्येक नागरिक को जनसभाएँ, प्रदर्शन और जुलूस निकालने का अधिकार देता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि नागरिक सड़क, रेलवे और अन्य परिवहन सेवाओं को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसलिये हड़ताल करना और दूसरों के लिये बाधा उत्पन्न करना नैतिक नहीं है।
- इसी तरह, अनुच्छेद 25 के तहत, प्रत्येक नागरिक को धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन, रिश्वत, ज़बरदस्ती, हिंसा के ज़रिये धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना गलत और अवैध कार्य है।
- पीएम आरोग्य योजना के तहत, सरकार माध्यमिक देखभाल के साथ-साथ तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। लेकिन छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड के अस्पतालों में धोखाधड़ी से किये गए लेन-देन के लगभग 23,000 मामले दर्ज हुए हैं। यहाँ, लाभार्थियों को सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन इसका इस प्रकार का दुरुपयोग इसके उद्देश्य के विरुद्ध है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि नैतिकता ही है जो हमें यह अंतर करने में मदद करती है कि हमें क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है। व्यक्तियों को बेहतर जीवन जीने के अधिकार प्रदान किये जाते हैं, जो किसी व्यक्ति की क्षमता निर्माण में मदद करते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग इस उद्देश्य को विफल कर देता है।

उत्तर: (b) भ्रष्टाचार को निजी लाभ के लिये शक्ति के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सत्तासीन लोगों द्वारा किया गया असन्निष्ठ व्यवहार भ्रष्टाचार है। यह देश के विकास को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है।

- नवजात शिशु एक कोरे पन्ने की तरह होता है। माता-पिता और शिक्षक ही एक बच्चे को आकार देते हैं जैसे मिट्टी के बर्तन को उसके निर्माता द्वारा आकार दिया जाता है। जिस प्रकार बचपन में हमारे माता-पिता और शिक्षक हमें नैतिक कहानियाँ सुनाते थे। इसके माध्यम से वे हमारे राष्ट्र के लिये एक मानव पूंजी का निर्माण करते हैं और मूल्यवान नागरिक बनाने के लिये बच्चे में विभिन्न मूल्यों को विकसित करते हैं।
- नगालैंड की जेम जनजाति से संबंध रखने वाले आईएएस अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम, जनको "मिरेकल मैन" के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के मणिपुर को नगालैंड और असम से जोड़ने वाली 100 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कराया।
- लेकिन, अगस्त 2022 में, आईएएस अधिकारी के. राजेश को हथियार लाइसेंस जारी करने के लिये रिश्वत लेने, अपात्र लाभार्थियों को सरकारी भूमि आवंटित करने और अन्य अवैध लाभ प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
- ये दो उदाहरण किसी व्यक्ति के मूल्यों में बड़ा अंतर दिखाते हैं। यह माता-पिता की विफलता है क्योंकि वे अपने बच्चे में नैतिक मूल्यों को विकसित करने में विफल रहे।
- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2021 में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर है। इसलिये, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनने के लिये एक लंबा रास्ता तय करना है। डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा है कि भारत के भविष्य को आकार देने में माता-पिता और शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

उत्तर: (c) सफलता एक ऐसी चीज है जिसे आपके लिये केवल आप ही परिभाषित कर सकते हैं, आपके लिये इसका निर्धारण कोई और नहीं कर सकता। सफलता का अर्थ दुनिया को कुछ वापस देने और कुछ अलग करने की भावना हो सकती है। इसका मतलब उपलब्धि और करियर की प्रगति की भावना भी हो सकती है।

सफलता सही प्राथमिकताएँ निर्धारित करने और अपने जीवन में कम महत्त्वपूर्ण चीजों को छोड़ने का परिणाम है। फोगाट बहनों (गीता और बबीता) ने कुश्ती में अपने पिता के स्वर्ण पदक के सपने को साकार करने के लिये अपने बचपन का बलिदान दिया। भारत का गौरव बनने के लिये उन्हें बहुत तकलीफें सहनी पड़ी थीं।

IIT और NEET की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने और बेहतर जीवन जीने के लिये अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं। परिवार के प्रति यह उनका उत्तरदायित्व है कि वे उन्हें गरीबी से उबारें और बेहतर जीवन शैली प्रदान करें।

कुछ बड़ा हासिल करने के लिये, हमें अपने कुछ अल्पकालिक सुखों का त्याग करना होगा। महात्मा गांधी ने भी अपने पश्चिमी वस्त्र त्याग दिये थे और खादी धोती को अपनाया। भारत को आज़ाद कराने के लिये वे जेल भी गए। वह जानते थे कि पश्चिमी जीवन शैली और आधिपत्य को त्यागकर ही भारतीयों को स्वतंत्रता मिलेगी।

इसलिये, दलाई लामा ने ठीक ही कहा है कि आपकी सफलता का आकलन इस बात से हो कि इसे पाने के लिये आपको क्या छोड़ना पड़ा। प्राथमिकताओं को निर्धारित करके हम अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि असफल व्यक्तियों द्वारा अल्पकालिक सुखों को प्राथमिकता दी जाती है।

(a) 'सुशासन' से आप क्या समझते हैं? राज्य द्वारा ई-शासन के मामले में उठाई गई हालिया पहलों ने लाभार्थियों को कहाँ तक सहायता पहुँचाई है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by the term 'good governance'? How far recent initiatives in terms of e-Governance steps taken by the State have helped the beneficiaries? Discuss with suitable examples.

(b) ऑनलाइन पद्धति का उपयोग दिन-प्रतिदिन प्रशासन की बैठकों, सांस्थानिक अनुमोदन और शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण तथा अधिगम से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से टेलीमेडिसिन तक लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाभार्थियों और व्यवस्था दोनों के लिये बड़े पैमाने पर इसके लाभ और हानियाँ हैं। विशेषत: समाज के कमज़ोर समुदाय के लिये ऑनलाइन पद्धति के उपयोग में शामिल नैतिक मामलों का वर्णन तथा विवेचन कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Online methodology is being used for day-to-day meetings, institutional approvals in the administration and for teaching and learning in education sector to the extent telemedicine in the health sector is getting popular with the approvals of the competent authority. No doubt, it has advantages and disadvantages for both the beneficiaries and the system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the use of online method particularly to the vulnerable section of the society.

उत्तर: (a) जब किसी देश की सरकार अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और नागरिकों की भलाई के लिये करती है तो इस प्रकार किये गए शासन को सुशासन के रूप में जाना जाता है।

इसकी 8 प्रमुख विशेषताएँ हैं

ई-गवर्नेंस (Electronic-Governance) में शासन को प्रभावशाली बनाने के लिये सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न स्तरों पर इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क और मोबाइल कंप्यूटिंग जैसी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ICT) का उपयोग किया जाता है।

ई-गवर्नेंस के चार स्तंभ हैं:

- जनसमुदाय
- प्रौद्योगिकी
- प्रक्रिया
- संसाधन

ई-गवर्नेंस से संबंधित हालिया पहलें

- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):** सार्वजनिक वितरण योजना (PDS) के तहत प्रदान किये जाने वाले DBT ने लगभग 4 करोड़ नकली और गैर-मौजूदा राशन कार्डों हटाने में मदद की है, जिससे योजना का उचित लक्ष्यीकरण हो पाना सुनिश्चित हुआ है।
- **आरोग्य सेतु:** इस एप्लिकेशन को कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं इस संक्रमण से जुड़े उपायों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये लॉन्च किया गया था। इसने संभावित हॉटस्पॉट की पहचान करने में सफलतापूर्वक मदद की थी।
- **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP):** यह पोर्टल छात्रों को किसी भी छात्रवृत्ति संबंधी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है।
- **भूमि परियोजना:** यह कर्नाटक के किसानों को ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकृत वितरण हेतु शुरू की गई एक आत्मनिर्भर ई-गवर्नेंस पहल है।
- **ई-कोर्ट:** इस एकीकृत मिशन मोड परियोजना की शुरुआत प्रौद्योगिकी की सहायता से न्याय तक पहुँच की प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी।
- **डिजी लॉकर:** इसका उद्देश्य प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुँच प्रदान कर नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण करना है।
- **PayGov इंडिया:** यह एक नागरिक के लिये शुरू से अंत तक लेन-देन का अनुभव प्रदान करेगा जिसमें ऑनलाइन भुगतान हेतु भुगतान गेटवे इंटरफेस के साथ इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तक पहुँच शामिल है।
- **प्रगति:** यह एक बहु उद्देश्यीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। यह मंच तीन प्रौद्योगिकियों (डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी) को एक साथ लाता है। इस मंच के तीन उद्देश्य- शिकायत निवारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं परियोजना की निगरानी हैं।

उत्तर: (b) महामारी के आगमन ने सभी गतिविधियों, व्यवसायों, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और सामाजिक अंत:क्रियाओं को ऑनलाइन मोड में ला दिया है। पारंपरिक शिक्षा एवं चिकित्सा जाँच पूरी तरह से डिजिटल अभ्यास में स्थानांतरित हो गई हैं जैसे- शिक्षक प्रशिक्षण के लिये NISTHA एप और सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिये मिशन कर्मयोगी।

ऑनलाइन कार्यप्रणाली के लाभ

- बुनियादी ढाँचे पर कम निवेश।
- कुशल, किफायती और लागत प्रभावी।
- लचीलापन प्रदान करता है।
- सार्वभौमिक पहुँच।
- ऑनलाइन कार्यप्रणाली ने 'वर्क फ्रॉम होम' को व्यापक स्वीकृति दी है, जिसने करियर को प्रोत्साहित करने और कार्यशील-जीवन संतुलन के प्रबंधन को बढ़ावा दिया है।
- टेली-परामर्श ने मरीज़ों और डॉक्टरों 'विशेष रूप से महामारी के समय में' के बीच संपर्क स्थापित करने की क्रिया को आसान बना दिया है।

ऑनलाइन कार्यप्रणाली के नुकसान

- विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों में लगातार बने रहने वाले नेटवर्क संबंधी मुद्दे और तकनीकी समस्याएँ।
- शिक्षा एवं अन्य सेवाओं के ऑनलाइन होने के कारण बेरोज़गारी में वृद्धि।
- जवाबदेही, सहानुभूति और टीम वर्क की भावना का अभाव।
- डिजिटल डिवाइड ऑनलाइन माध्यमों के सार्वभौमिक उपयोग के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

ऑनलाइन कार्यप्रणाली के उपयोग में शामिल नैतिक मुद्दे

- अंग्रेज़ी बोलने वाले, शहरी, अमीर लोगों को अधिक लाभ मिलता है, जिनके पास कंप्यूटर, इंटरनेट और बिजली तक पहुँच है।
- अधिकांश गाँव अभी भी फाइबर-नेट से नहीं जुड़े हैं और कंप्यूटर और स्मार्टफोन का खर्च भी सभी नहीं उठा सकते हैं।
- जो बच्चे इंटरनेट का अधिक उपयोग करते हैं, वे सुरक्षा और साइबरबुलिंग जैसे मामलों से भी जुड़ सकते हैं, यह उनके नैतिक विकास को बाधित कर सकता है।
- बच्चों की सीखने की क्षमता तब बहुत अधिक प्रभावित होती है जब वे इंटरनेट पर पहले से तैयार सामग्री का उपयोग करते हैं, इससे उनके संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है।

(a) पिछले सात महीनों से रूस और युक्रेन के बीच युद्ध जारी है। विभिन्न देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र स्टैंड लिया है और कार्यवाही की है। हम सभी जानते हैं कि मानव त्रासदी समेत समाज के विभिन्न पहलुओं पर युद्ध का अपना असर रहता है। वे कौन-से नैतिक मुद्दे हैं, जिन पर युद्ध शुरू करते समय और अब तक इसकी निरंतरता पर विचार करना महत्त्वपूर्ण है? इस मामले में दी गई स्थिति में शामिल नैतिक मुद्दों का औचित्यपूर्ण वर्णन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Russia and Ukraine war has been going on for the last seven months. Different countries have taken independent stands and actions keeping in view their own national interests. We are all aware that war has its own impact on the different aspects of society, including human tragedy. What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation so far? Illustrate with justification the ethical issues involved in the given state of affair.

(b) निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये: (150 शब्द, 10 अंक)

Write short notes on the following in 30 words each: 2 × 5 = 10

(i) संवैधानिक नैतिकता
Constitutional morality

(ii) हितों का संघर्ष
Conflict of interest

(iii) सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा
Probity in public life

(iv) डिजिटीकरण की चुनौतियाँ
Challenges of digitalization

(v) कर्त्तव्यनिष्ठा
Devotion to duty

उत्तर: (a) मानव जाति के इतिहास में, युद्ध मानव जाति द्वारा बनाए गए विनाशकारी उपकरणों में से ही एक है। युद्ध के नकारात्मक प्रभाव केवल इस पीढ़ी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके खतरनाक प्रभाव अगली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं।

हम देख रहे हैं कि किस प्रकार रूस -यूक्रेन युद्ध ने सकल मानवाधिकारों के उल्लंघन, वैश्विक मांग आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कीमती संसाधनों की बर्बादी, दर्दनाक प्रवास के माध्यम से समाज के सभी संभावित हिस्सों को गंभीरता से प्रभावित किया।

इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिये, राष्ट्रों को अपने स्वतंत्र रुख और व्यक्तिगत राष्ट्रीय हित की बजाए अपने सामूहिक वैश्विक हित को ध्यान में रखते हुए सामूहिक निर्णय लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिये।

युद्ध शुरू करते समय संभावित नैतिक मुद्दे और इसकी निरंतरता

- **मानवाधिकारों के नैतिक मुद्दे:** युद्ध के समय मानव अधिकार का घोर उल्लंघन होता है। महिलाओं, बच्चों और अन्य कमज़ोर वर्गों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये - मानव नरसंहार, जघन्य नरसंहार, महिलाओं तथा बच्चों के प्रति क्रूरता मानव अधिकारों के उल्लंघन के बदतर स्वरूपों में शामिल हैं।

- **भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के अधिकारों के नैतिक आयाम:** वर्तमान पीढ़ी के युद्ध की कीमत अगली पीढ़ी चुकाती है। उदहारण के लिये- दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा-नागासाकी बमबारी। यहाँ नैतिक चिंता यह है कि आने वाली पीढ़ी को वर्तमान पीढ़ी की कीमत क्यों चुकानी चाहिये?
- **जवाबदेही और उत्तरदायित्व के मुद्दे:** युद्ध के समय में कौन उत्तरदायी है और किसके प्रति जवाबदेह है, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है।
- **राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक हित:** गंभीर नैतिक चिंता यह है कि राष्ट्र सामूहिक वैश्विक हितों से ऊपर अपने व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों को रखते हैं।
- **व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बनाम सामूहिक महत्त्वाकांक्षा:** राजनीतिक समकक्षों की व्यक्तिगत आकांक्षाएँ लाखों लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं पर हावी हो जाती हैं।
- **साधन बनाम साध्य:** प्रादेशिक और विस्तार प्राप्त करने हेतु साध्य राष्ट्र युद्ध, सीमा संघर्ष आदि के गलत साधनों का उपयोग करते हैं। इसके खतरनाक परिणाम देखने को मिले है जो संपूर्ण समाज और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं।
- **युद्ध संबंधी आनुपातिक बनाम अनुपातहीन आयाम के मुद्दे:** युद्ध की नैतिकता उसकी आनुपातिक प्रतिक्रिया होनी चाहिये लेकिन परमाणु हमले, सामूहिक नरसंहार और युद्ध नैतिकता के घोर उल्लंघन की गतिविधियाँ युद्ध के विषम आयामों को उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिये- रूस द्वारा यूक्रेन के परमाणु रिएक्टर पर हमला दुनिया के लिये गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है।

युद्ध के बारे में, नोबल पुरस्कार विजेता जॉन स्टीनबेक ने प्रसिद्ध रूप से उद्धृत किया कि सभी युद्ध एक विचारशील जानवर के रूप में मनुष्य की विफलता का परिणाम है। मानव जाति को इस तथ्य को समझना चाहिये कि युद्ध कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का लक्ष्य संवाद, कूटनीति, शालीनता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

उत्तर: (b)

(i) संवैधानिक नैतिकता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ के महत्त्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा ने लिखा है कि "संवैधानिक नैतिकता अपने सख्त अर्थों में दस्तावेज़ के विभिन्न खंडों में निहित संवैधानिक सिद्धांतों का सख्त और पूर्ण पालन है। यह आवश्यक है कि सभी संवैधानिक पदाधिकारी 'संवैधानिकता की भावना को निर्मित और विकसित करें'। जहाँ उनके द्वारा की गई हर कार्रवाई संविधान के मूल सिद्धांतों द्वारा शासित होती है और उनके अनुरूप होती है।" उदाहरण के लिये- सबरीमाला और हादिया मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, धारा 377 का उन्मूलन आदि।

(ii) हितों का संघर्ष

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक कर्त्तव्य हितों का व्यक्तिगत हितों के साथ टकराव होता है। यह वह स्थिति होती है जहाँ व्यक्तिगत और पेशेवर साध्यों के बीच अंतरात्मा को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिये- ICICI की पूर्व अध्यक्ष चंदा कोचर का इस्तीफा, NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण का मामला।

(iii) सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा

सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा एक महत्त्वपूर्ण गुण है। उच्च सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति में अकर्मण्यता, ईमानदारी, शालीनता और नैतिकता का स्तर उच्च होता है। निष्पक्षता और गैर-पक्षपात सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की योग्यता के प्रमुख साधन हैं। उदाहरण के लिये- अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन।

(iv) डिजिटलीकरण की चुनौतियाँ

डिजिटलीकरण संभावित जानकारी को डिजिटल डेटा प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया है।

चुनौतियाँ

- डिजिटल निरक्षरता और लोगों के बीच डिजिटल विभाजन का मुद्दा।
- साइबर फ्रॉड और डिजिटल इकोनॉमिक फ्रॉड।
- साइबर युद्ध।
- बड़े पैमाने पर निगरानी और डिजिटल फिशिंग हमले।
- खराब नेटवर्क और कनेक्टिविटी के मुद्दे।
- उच्च ऊर्जा खपत उपकरण।

(v) कर्त्तव्यनिष्ठा

यह कर्त्तव्य के प्रति मज़बूत भावना, अखंडता, निष्ठा, दृढ़ संकल्प और प्रशंसा को व्यक्त करता है। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध उद्धरण भी है कि "कर्त्तव्य के प्रति समर्पण भगवान की पूजा का सर्वोच्च रूप है।" उदाहरण के लिये भगवत् गीता की निष्काम कर्म अवधारणा, मदर टेरेसा की जीवन शैली।

(a) भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल-ब्लोअर) संबंधित अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों, गलत काम और दुराचार की रिपोर्ट करता है। वह निहित स्वार्थों, आरोपी व्यक्तियों तथा उनकी टीम द्वारा गंभीर खतरे, शारीरिक नुकसान और उत्पीड़न के चपेट में आने का जोखिम उठाता है। आप भ्रष्टाचार-सूचक (ह्विसल ब्लोअर) की सुरक्षा के लिये मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था हेतु किन नीतिगत उपायों का सुझाव देंगे?

(150 शब्द, 10 अंक)

Whistle-blower, who reports corruption and illegal activities, wrongdoing and misconduct to the concerned authorities, runs the risk of being exposed to grave danger, physical harm and victimization by the vested interests, accused persons and his team. What Policy measures would you suggest to strengthen protection mechanism to safeguard the whistle-blower?

(b) समकालीन दुनिया में धन और रोज़गार उत्पन्न करने में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। ऐसा करने में वे जलवायु, पर्यावरणीय संधारणीयता और मानव की जीवन-स्थितियों पर अप्रत्याशित हमले कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, क्या आप पाते हैं कि कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सी.एस.आर.) कॉर्पोरेट जगत् में आवश्यक सामाजिक भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम और पर्याप्त है, जिसके लिये सी.एस. आर. अनिवार्य है? विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

In contemporary world, corporate sector's contribution in generating wealth and employment is increasing. In doing so, they are bringing in unprecedented onslaught on the climate, environmental sustainability and living conditions of human beings. In this background, do you find that Corporate Social Responsibility (CSR) is efficient and sufficient enough to fulfill the social roles and responsibilities needed in the corporate world for which the CSR is mandated? Critically examine.

उत्तर: (a) व्हिसल ब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो अवैध गतिविधि में लिप्त किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में सूचित करता है। ऐसे कई आयोग हैं जिन्होंने सिफारिश की थी कि व्हिसल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिये एक विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है, जैसे कि भारतीय विधि आयोग 2001 एवं वर्ष 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट। भारत में व्हिसल ब्लोअर्स को व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 द्वारा संरक्षित किया जाता है।।

व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिये सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने के लिये नीतिगत उपाय

- व्हिसल ब्लोअर के संरक्षण के संबंध में कई नीतिगत उपाय हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन बहुत खराब है। यह महत्त्वपूर्ण है कि उनकी सुरक्षा के लिये नीतियों को ठीक से लागू किया जाए।
- इस मुद्दे को एक गुमनाम व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत करने से व्हिसल ब्लोअर के जीवन की रक्षा होगी।
- श्रमिकों को उनके अधिकारों और उपलब्ध आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में सिखाने के लिये एवं प्रबंधकों को संबंधित कौशल, व्यवहार तथा कार्य करने के दायित्वों के साथ इन्हें सीखने के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण।
- निर्दोष व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करने के लिये उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिये और वर्ष 2015 के संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित अधिनियम को कमज़ोर करना छोड़ दिया जाना चाहिये।

इसलिये व्हिसल ब्लोअर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि लोकतंत्र की अखंडता संरक्षित, पोषित और निरंतर बनी रहे।

उत्तर: (b) सामान्य तौर पर "कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी" (CSR) शब्द को कंपनी के पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव का आकलन करने तथा इसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिये एक कॉर्पोरेट पहल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इन गतिविधियों में भूख और गरीबी का उन्मूलन, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

CSR की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं

- **स्व-विनियमन मॉडल:** CSR एक स्व-विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो एक कंपनी को अपने हितधारकों और जनता के लिये सामाजिक रूप से जवाबदेह बनाने में मदद करता है।
- **बेहतर कार्य संस्कृति:** CSR गतिविधियाँ कर्मचारियों और निगमों के बीच एक मज़बूत बंधन बनाने में मदद कर सकती हैं, मनोबल बढ़ा सकती हैं और कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं दोनों को अपने आसपास की दुनिया से अधिक जुड़ाव महसूस करने में मदद कर सकती हैं।
- **कॉर्पोरेट नागरिकता:** कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी, जिसे कॉर्पोरेट नागरिकता भी कहा जाता है, के अनुपालन से कंपनियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सहित समाज के सभी पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूक हो सकती हैं।

यद्यपि कॉर्पोरेट क्षेत्र पूंजी उत्पादन कर रहा है लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि धन विभाजन में बहुत बड़ा अंतर विद्यमान है जिससे अमीर दिन-प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं एवं गरीब और गरीब होते जा रहे हैं जो कि सामाजिक कल्याण के विरुद्ध है। भले ही कंपनी अधिनियम कंपनियों को अपने औसत शुद्ध लाभ का लगभग 2% CSR गतिविधियों में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह पर्यावरण और जलवायु समस्याओं का मुकाबला करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।

2021

प्रश्न: उन पाँच नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिये, जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य-निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। मेट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Identify five ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant. Justify their inclusion in the matrix.

उत्तर: कार्य निष्पादन आकलन कर्मचारी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का एक संगठित तरीका होता है जिसमें उसके वास्तविक कार्य निष्पादन तथा कार्य को करने के पूर्व निर्धारित स्तरों एवं मानकों के बीच तुलना की जाती है। एक लोक सेवक इस विश्वास के आधार पर सार्वजनिक पद धारण करता है कि वह अपने कार्य निष्पादन में नैतिक मानकों का पालन करेगा। लोक सेवाओं का मूलभूत उद्देश्य इसी विश्वास पर आधारित है।

नैतिक मानकों के आधार पर एक लोक सेवक यह तय कर सकता है कि किसी कार्य को नैतिकतापूर्ण ढंग से किया गया है या नहीं। यहाँ

कुछ नैतिक मानक दिये गए हैं जो एक लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं; जैसे-

- **कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण:** यह गुण ही लोक सेवक को सौंपे गए कार्य के प्रति उसके इरादे और दृष्टिकोण को नियंत्रित करता है और दिये गए कार्य के प्रति जवाबदेही को नियंत्रित करता है।
- **भावनात्मक रूप से बुद्धिमान:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक प्रशासक को तटस्थ, निष्पक्ष, श्रेष्ठ और तर्कसंगत होने में मदद करती है।
- **ईमानदारी:** इसके आधार पर एक लोक सेवक किसी कार्य को बिना किसी लालच और भय के करने में सक्षम हो पाता है।
- **करुणा और सहानुभूति:** वंचित वर्ग के प्रति करुणा और सहानुभूति एक लोक सेवक को वस्तुनिष्ठता के उच्च मानकों से समझौता न करके समस्या के अभिनव और प्रभावी समाधान के लिये प्रेरित करती है।
- **साहस:** प्लेटो ने साहस को सद्गुणों के अंतर्गत रखा है और यह एक लोक सेवक के लिये महत्त्वपूर्ण गुण है। सेवाकाल के दौरान एक लोक सेवक को सत्य तथा समाज में होने वाले हर संभव अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिये साहस की आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कार्य निष्पादन में इन नैतिक मानकों को बनाए रखने से एक लोक सेवक को समाज और सरकार द्वारा उस पर विश्वास बनाए रखने में मदद मिलती है।

प्रश्न: उन दस आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिये, जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिये आवश्यक हैं। लोक सेवकों में गैर-नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Identify ten essential values that are needed to be an effective public servant. Describe the ways and means to prevent non-ethical behaviour in the public servants.

उत्तर: नीतिशास्त्र में कई ऐसे मूल्य हैं जो लोक सेवकों की अभिवृत्ति तथा उनके कार्य निष्पादन को प्रभावित करते हैं, इसके अंतर्गत सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक मूल्य शामिल किये जाते हैं। अपने सेवाकाल के दौरान एक लोक सेवक को दक्षता, जवाबदेही, अनुक्रियाशीलता, तटस्थता और प्रभावकारिता जैसे प्रशासनिक मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए तथा नैतिक सिद्धांतों को लागू करने की चुनौती को स्वीकारते हुए कार्य करना होता है। इस स्थिति में कुछ आधारभूत मूल्यों को एक प्रभावी लोक सेवक के लिये आवश्यक माना गया है; जैसे-

- लोकहित में कार्य करना।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना।
- गोपनीय सूचनाओं को प्रकट न करना।
- जनसामान्य को कुशल, प्रभावी तथा निष्पक्ष सेवा प्रदान करना।
- हितों के संघर्ष से बचना।
- जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व।
- सत्यनिष्ठा एवं समर्पण का भाव।
- ईमानदारी।
- प्रतिबद्धता।
- साहसिक होना।

लोक सेवकों में बढ़ती अभिजात्य प्रवृत्ति तथा लालफीताशाही के कारण लोक सेवकों के आचरण पर प्रश्न चिह्न लगाए जाते रहे हैं। इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के रूप में आचरण नियमावली जारी की गई, इसके साथ भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा एक प्रभावी एवं उत्तरदायी सरकार हेतु कार्य योजना के एक भाग के रूप में लोक सेवाओं हेतु एक नीतिपरक आचार संहिता निर्मित की गई थी, जिसे मई 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इस संहिता का उद्देश्य लोक सेवाओं पर लागू होने वाले अखंडता और आचरण के मानकों को निर्धारित करना था।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट 'शासन में नैतिकता' को सुनिश्चित करने के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रावधान करती है, इसके साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा लोक सेवकों के संदर्भ में अनुशासनिक कार्रवाइयाँ इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होती हैं। वर्तमान समय में लोक सेवकों में बुनियादी नैतिक मूल्यों के उत्थान के संदर्भ में मिशन कर्मयोगी एक सराहनीय कदम है।

प्रश्न: तर्कसंगत निर्णय लेने के लिये निवेश (इनपुट) के विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिज़िटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Impact of digital technology as reliable source of input for rational decision making is a debatable issue. Critically evaluate with suitable example.

उत्तर: डिज़िटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग वर्तमान मनुष्य के दैनिक जीवन को विभिन्न रूपों से प्रभावित कर रहा है, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने में डिज़िटल पदों की अहम भूमिका है। तर्कसंगत निर्णय लेने में एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में डिज़िटल प्रौद्योगिकी की भूमिका-

- प्रशासन के संदर्भ में निर्णय लेने हेतु उपस्थित डाटा को एकत्र करने एवं इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित करने हेतु; जैसे-आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड आदि।
- वर्तमान महामारी के दौर में सरकार को समय-समय पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ी है; जैसे-क्षेत्र विशेष अथवा संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा, वैक्सीनेशन की स्थिति आदि। ऐसे निर्णय को लेने से पूर्व सरकार के समक्ष उपलब्ध विभिन्न डाटा, जो डिज़िटल प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तैयार किये गए हैं, महत्त्वपूर्ण साबित हुए हैं।

- जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक आपदाओं की पूर्व सूचना देने एवं उनके निराकरण के लिये उचित कदम उठाने में डिज़िटल प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बिग डाटा विश्लेषण अहम भूमिका निभा रहा है।

डिज़िटल प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग

- डिज़िटल प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग का सबसे बड़ा माध्यम वर्तमान में सोशल मीडिया है। भ्रामक खबरें एवं असत्यापित जानकारी लोगों के निर्णय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है; जैसे-चुनावों से पूर्व भ्रामक खबरें, वैक्सीन के संदर्भ में भ्रामक खबरें।
- डिज़िटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग मानव की तर्कसंगतता को कमज़ोर बनाता है। अधिक जानकारियों के उपलब्ध होने पर भी गलत निर्णय लेने की संभावना प्रबल होती है।
- डिज़िटल प्रौद्योगिकी मनुष्य के नैतिक मूल्यों; जैसे-करुणा, समानुभूति एवं निष्पक्षता आदि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- निर्णय लेने में डिज़िटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग डिज़िटल ज्ञान से वंचित वर्ग की निर्णय लेने में भागीदारी कम अथवा समाप्त कर देता है।

इस प्रकार आवश्यक है कि निर्णय लेने में मानवीय मूल्यों एवं विवेक पर निर्भर रहते हुए डिज़िटल प्रौद्योगिकी का अनुकूलतम प्रयोग किया जाए।

प्रश्न: नैतिक दुविधा का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्यक्षेत्र के ज्ञान के अलावा परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of a high order as well, while resolving ethical dilemmas. Discuss with suitable example.

उत्तर: नैतिक दुविधा ऐसी परिस्थिति है, जिसमें निर्णयन में दो या अधिक नैतिक सिद्धांतों में टकराव होता है। दोनों में से एक को चुनना होता है और दोनों बराबर की स्थिति में होते हैं। नैतिक दुविधाओं को हल करने में कार्यक्षेत्र का ज्ञान महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि :

- यह निर्णयों की गुणवत्ता और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद करती है, इस प्रकार सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र के नंदुरबार के कलेक्टर डॉ. राजेंद्र अपने क्षेत्रीय ज्ञान के कारण प्रभावी तरीके से कोविड की दूसरी लहर का प्रबंधन करने में सक्षम हुए।
- कार्य क्षेत्र की विशेषज्ञता रखने वाले लोक सेवक विशिष्ट क्षेत्र की बारीकियों और गतिशीलता को समझने में सक्षम होते हैं, जो परस्पर विरोधी मूल्यों के बीच टकराव को हल करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिये, मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई. श्रीधरन शिक्षा से एक लोक इंजीनियर है।
- यह बाहरी विशेषज्ञ परामर्श पर निर्भरता को कम करते हुए योग्यता, दक्षता, निष्पक्षता को भी बढ़ावा देती है।
- नैतिक दुविधाओं को हल करने के लिये नवीनता और रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है।
- विभिन्न विशेषज्ञ एक ही समस्या के लिये अलग-अलग सुझाव/दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं। रचनात्मकता और नवाचार से युक्त एक लोक सेवक प्रभावी नीति हेतु सही सलाह एवं आँकड़ों की पहचान कर सकता है।
- यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिये काम करते हुए उभरती अंतर-अनुशासनात्मक समस्याओं को हल करने हेतु भी महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण, आर्थिक मंदी, राजनीति व्यापार गठजोड़ और जोखिम का आकलन करने में बैंकों की अक्षमता।
- यह "आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग" की क्षमता को विकसित करता है; जैसे- समस्या समाधान हेतु आई.सी.टी. का उपयोग।

निष्कर्षत: कार्यक्षेत्र की विशेषज्ञता और रचनात्मकता दोनों एक लोक सेवक के महत्त्वपूर्ण गुण हैं, जो उसे विभिन्न नैतिक दुविधाओं को हल करने में सक्षम बनाते हैं।

प्रश्न: निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What does each of the following quotations mean to you?

"प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुज़रना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चियी हैं, वे ही देर-सबेर प्रकाश को देख पाएँगे।" -स्वामी विवेकानंद

(150 शब्द, 10 अंक)

"Every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light, sooner or later." —Swami Vivekananda

उत्तर: दृढ़ता अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने के लिये किसी के प्रयासों को बनाए रखने की क्षमता है। दृढ़ता छोटे और बड़े मामलों में सफलता की कुंजी है, इसके संदर्भ में नीचे चर्चा की गई है-

- चलने के लिये सीखने में कई बार गिरना शामिल है, इससे पहले कि पहला कदम सीधे मुद्दे में रखा जाए।
- व्यस्कता में सत्यनिष्ठा, वर्षों की मूल्य भावना और बेईमानी के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने से बनती है।
- आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले, गौतम बुद्ध ने खुद को सबसे गंभीर तपस्या, बौद्धिक प्रश्नों और वाद-विवाद के अधीन कर लिया।
- महात्मा गांधी के 'सत्य के साथ प्रयोग' में अपरिपक्व उम्र में झूठ बोलना और चोरी करना शमिल थे। स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनका दृष्टिकोण, चौरी-चौरा और भारत छोड़ो आंदोलन के विपरीत तरीकों से विकसित हुआ।
- स्वामी विवेकानंद स्वयं एक जिज्ञासु युवक थे, जो सभी हठधर्मिता पर सवाल उठाते थे। उनके खुले और असंतुष्ट मन ने उन्हें अपने भविष्य के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिये प्रेरित किया और उन्होंने जीवन में अपने मिशन से मुलाकात की।

सफलता के मार्ग के हिस्से हैं- कठिनाइयाँ, परीक्षण, क्लेश जो दृढ़ रहते हैं, वे प्रकाश को देखते हैं, दृढ़ता का मार्ग छोड़ने वाले इस प्रकाश को कभी नहीं देख सकते हैं।

प्रश्न: निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What does each of the following quotations mean to you?

"हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते।"

-दलाई लामा

(150 शब्द, 10 अंक)

"We can never obtain peace in the outer world until and unless we obtain peace within ourselves."

—Dalai Lama

उत्तर: शांति संघर्ष की कमी और स्वीकृति की स्थिति है। शांति व्यक्तियों और समाज को उनकी क्षमता से स्वस्थ लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है।

विश्व में शांति के लिये आंतरिक शांति की प्रासंगिकता

- भीतर की शांति अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है, जो घर पर माता-पिता और बच्चों, सीमाओं पर सैनिकों, सार्वजनिक जीवन में नेताओं, काम पर कर्मचारियों आदि की भूमिकाओं के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- आंतरिक शांति, धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करती है, जो सांप्रदायिकता का विरोधी है।
- जब लोग अपने भीतर तृप्त होते हैं, तो बलात्कार, चोरी, घरेलू हिंसा, भ्रष्टाचार आदि जैसे अपराधों की घटनाएँ कम होने की संभावना होती है।
- आंतरिक शांति लालच की कमी से जुड़ी है, जिसका प्रभाव धन, स्थिति और आय की असमानता, जलवायु परिवर्तन आदि पर पड़ता है।
- नस्लवाद, अलगाववाद, आदि जैसे सामाजिक संघर्षों को व्यक्तियों के भीतर आंतरिक कमी के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है।

आंतरिक शांति विश्व में शांति का निर्माण खंड है, परंतु शांति की इच्छा को हठधर्मिता और संघर्षों के प्रति समर्पण के खतरे से बचना चाहिये।

प्रश्न: निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What does each of the following quotations mean to you?

"परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमें एक-दूसरे की ज़रूरत है और जितनी जल्दी हम इसे सीख लें यह हम सबके लिये उतना ही अच्छा है।"-एरिक एरिकसन

(150 शब्द, 10 अंक)

"Life doesn't make any sense without interdependence. We need each other, and the sooner we learn that, it is better for us all."

—Erik Erikson

उत्तर: परस्पर निर्भरता दुनिया का एक बुनियादी तथ्य है। पारिस्थितिकी से खगोलीय पिंडों, परिवार से राष्ट्रों तक, हम एक अन्योन्याश्रित दुनिया में रहते हैं।

परस्पर निर्भरता का महत्त्व

- **मूल्य:** परिवार, स्कूल, दोस्त, समुदाय व्यक्ति में मूल्यों को महत्त्व देते हैं और समाज के नैतिक ताने-बाने को बुनते हैं।
- **जलवायु कार्रवाई:** जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिये सामान्य लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं।
- **लोकतंत्र:** संस्थागत जाँच और संतुलन की व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का वितरण या संघवाद के माध्यम से लोकतंत्र को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।
- **भावनात्मक भलाई:** स्वयं और दूसरों की भावनात्मक ज़रूरतों को समझना, भावनात्मक रूप से समझा जाना अन्योन्याश्रित प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति है।
- **वैज्ञानिक विकास:** न्यूटन और आइंसटीन जैसे बौद्धिक दिग्गजों के कंधों पर निर्भरता, शोध प्रबंध के माध्यम से ज्ञानमीमांसा।
- **विरासत:** जनजातीय ज्ञान प्रणालियों, मौखिक परंपराओं, साहित्य, धर्म आदि के माध्यम से अंतर पीढ़ीगत ज्ञान संस्कृति के स्रोत हैं।

इतिहास, संस्कृति, पारिस्थितिकी और विकास सभी अन्योन्याश्रित हैं। ग्लोबल वार्मिंग और विकास घाटा आधुनिक दुनिया में अन्योन्याश्रितता का सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण है। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, हमें अपने आसपास के समाज और प्रकृति का ध्यान रखना होगा।

प्रश्न: अभिवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण घटक है, जो मानव के विकास में निवेश (इनपुट) का काम करता है। ऐसी उपयुक्त अभिवृत्ति का विकास कैसे करें, जो एक लोक सेवक के लिये आवश्यक है? (150 शब्द, 10 अंक)

Attitude is an important component that goes as input in the development of human being. How to build a suitable attitude needed for a public servant?

उत्तर: अभिवृत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक अथवा उदासीन प्रतिक्रिया या मनोवृत्ति को कहते हैं। इसका संबंध व्यक्ति के चरित्र या गुणों से भी होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार भी है। यह स्थायी नहीं होती। इसमें विचारों में बदलाव के साथ-साथ बदलाव होते रहते हैं।

किसी व्यक्ति की सफलता में 99% योगदान अभिवृत्ति का होता है। यही कारण है कि आजकल व्यावसायिक संगठनों की सफलता के लिये सकारात्मक अभिवृत्ति को एक अनिवार्य शर्त माना जाने लगा है। यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं है, तो उसके पास पर्याप्त कौशल होते हुए भी वह अपने पेशे या व्यवसाय में सफल नहीं भी हो सकता है।

उदाहरण के लिये, किसी अभ्यर्थी में लोक सेवक बनने की सभी योग्यताएँ होते हुए भी यदि लोक सेवा के प्रति उसकी अभिवृत्ति सकारात्मक नहीं है, तो वह एक सफल लोक सेवक बनने से रह जाएगा।

इसके विपरीत ऐसे भी कई उदाहरण हैं, जब विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के पश्चात् अनेक लोग लोक सेवा में चयनित होकर सफलता के झंडे गाड़ देते हैं।

लोक सेवक के लिये आवश्यक अभिवृत्ति का विकास

- वैसे तो अभिवृत्ति के विकास में परिवार, मित्र, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ इत्यादि की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु लोक सेवा की प्रकृति को समझना आवश्यक है।
- किसी व्यक्ति में ऐसी अभिवृत्ति का विकास तभी हो सकता है, जब वह इस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों व घटनाओं के बारे में जानकारियाँ हासिल करता है। यह जानकारी वह अपने परिवार, मित्र समूह, शिक्षण संस्थान या किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकता है।
- लोक सेवा से जुड़े हुए ऐसे अनेक प्रतिष्ठित चेहरे हैं, जो लोक सेवक बनने वाले अभ्यर्थियों के बीच लोकप्रिय हैं एवं अनुकरणीय भी। उनसे भी अपनी सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है।
- इसके साथ-साथ अपने क्षेत्र, समाज की आवश्यकताओं, गरीबी और विकास की चुनौतियों को दूर करने के लिये किस तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। इन पर भी नज़र बनाए रखकर इस सेवा के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न: उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श, जिसको आप अंगीकार करते हैं, से समझौता किये बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उबरने में सहायता करती है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

In case of crisis of conscience does emotional intelligence help to overcome the same without compromising the ethical or moral stand that you are likely to follow? Critically examine.

उत्तर: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में अपनी सोच एवं कृत्यों द्वारा दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार से प्रभावित भी होता है। हमें परिवार, समाज एवं कार्य-स्थल पर नाना प्रकार की समस्याओं, दबावों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इनसे निपटने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कारगर है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आशय उस समग्र समता से है, जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अपने तथा दूसरों के संवेगों को जानने, समझने तथा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपने चिंतन और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करते हुए वांछित अनुक्रिया करने में सक्षम बनाती है। वहीं अंतरात्मा के संकट से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है, जब हम यह फैसला नहीं कर पाते हैं कि कौन-सा कृत्य सही है और कौन-सा गलत? अर्थात् सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता। सरल शब्दों में कहें, तो जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय न दे सके।

उदाहरण के लिये, लोक सेवकों द्वारा सरकारी आदेशों का पालन करने के लिये स्वेच्छा से सरकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं, वे उन आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य हैं, भले ही वे आदेश उनके अंत:करण के खिलाफ हों। ऐसी स्थिति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहायक होती है, क्योंकि यह प्रशासनिक अधिकारी में सहयोग, समायोजन, संवेदनशीलता, अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंध प्रबंधन एवं नेतृत्व की भावना तथा क्षमता को विकसित करती है।

किंतु कभी-कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हो जाती हैं। जब जीवन-मृत्यु या बहुत ही मज़बूत नैतिक मूल्यों के बीच द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापक हित को चुनने के लिये हमें कुछ समझौते करने पड़ते हैं या नैतिक मूल्यों को अनदेखा करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में संभवत: भावनात्मक बुद्धिमत्ता सहायता करने में सक्षम न हो।

प्रश्न: "शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिये, जहाँ उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा।" खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक))

"Refugees should not be turned back to the country where they would face persecution or human right violation." Examine the statement with reference to ethical dimension being violated by the nation claiming to be democratic with open society.

उत्तर: जब किसी क्षेत्र में कुछ मानव समुदायों के मानवाधिकारों का हनन होता है, उन्हें देश छोड़ने के लिये विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है या जलवायु परिवर्तन के कारण, तो ऐसे लोग अन्य देशों में मज़बूरी में पलायन कर जाते हैं। उन देशों में इन लोगों को शरणार्थी कहा जाता है; जैसे-यहूदी शरणार्थी, भारत में तिब्बती शरणार्थी, बांग्लादेश के चकमा शरणार्थी, म्याँमार के रोहिंग्या शरणार्थी, अफगानी, अफ्रीकी शरणार्थी आदि।

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) के नए आँकड़े दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी त्रासदियों से अफगानिस्तान से मध्य अमेरिका तक, सूखा, बाढ़ और चरम मौसम की अन्य घटनाएँ, उन लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, जिनके पास उबरने और अनुकूलन के लिये साधन नहीं हैं। इसी वजह से वर्ष 2010 से अब तक, मौसम संबंधी आपात घटनाओं के कारण, औसतन हर वर्ष दो करोड़ से ज़्यादा लोगों को पलायन के लिये विवश होना पड़ा है।

सवाल यह है कि सभी मानव समूह अपने मूल देश से बहुत प्यार करते हैं और कोई भी अपने गृह राज्य, प्रदेश, गाँव, देहात आदि को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में बसना नहीं चाहता है।

इसके अलावा यदि शरणार्थियों को किसी दूसरे प्रदेश में बसा दिया जाए, तो भी वहाँ विभिन्न तरह की स्थानीय समस्याओं का सामना करना

पड़ता है। यानी स्थानीय संसाधनों का बँटवारा, रोज़गार में हिस्सेदारी, स्थानीय लोगों से नस्लीय विवाद, इत्यादि जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अत: कोई राष्ट्र कितना भी खुला क्यों न हो या लोकतांत्रिक होने का दावा करता हो, परंतु फिर भी वह शरणार्थियों को सदैव आने की इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि सबकी अपनी घरेलू सीमाएँ होती हैं, बाध्यताएँ होती हैं।

अत: यह कहना कि शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिये, यह तर्कसंगत नहीं है, बल्कि उचित तो यही होगा कि विभिन्न लोकतांत्रिक देशों द्वारा ऐसे देशों (अफगानिस्तान, म्याँमार, बांग्लादेश आदि) की सरकारों पर दबाव बनाया जाना चाहिये ताकि वे अपने यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न न होने दें, जिससे शरणार्थी समस्याएँ उत्पन्न हो।

प्रश्न: क्या सफल लोक सेवक बनने के लिये निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिये? दृष्टांत सहित चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Should impartial and being non-partisan be considered as indispensable qualities to make a successful civil servant? Discuss with illustrations.

उत्तर: एक सफल लोक सेवक बनने के लिये निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती होना आवश्यक है। निष्पक्षता और गैर-पक्षपाती लोक सेवाओं का एक महत्त्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है।

निष्पक्षता का अर्थ है बिना किसी पूर्वाग्रह के निर्णय करना तथा सभी परिस्थितियों में तटस्थ रहकर जनहित में कार्य करना। गैर-पक्षपात (Non-partisan) का अर्थ है किसी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन न करना और न ही विरोध करना।

लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं, परंतु लोक सेवक स्थायी कार्यपालिका होते हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखनी चाहिये बल्कि निष्पक्ष रहकर अपने प्रशासनिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करना चाहिये। चाहे वे सत्ताधारी दल के विचारों से सहमत हों या न हों, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही सरकार की होती है।

लोक सेवक के पास काफी प्रशासनिक अधिकार होते हैं, इसलिये लोग लोक सेवक पर विभिन्न तरीके से दबाव डालकर, रिश्वत आदि पेश कर अपना कार्य करवाने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोक सेवकों को वस्तुनिष्ठ, सहिष्णु, निष्पक्ष एवं गैर-पक्षपाती होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वे सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण विधि-विधान एवं प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सटीकता से कर सकें।

यदि लोक सेवक ही भ्रष्ट तरीके से कार्य करने लगे, बुनियादी अवसरों एवं सेवाओं का आवंटन करने में पक्षपात करने लगे (जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद देखा गया है), तो पात्र व्यक्ति या समुदाय अपनी बुनियादी अवसरों एवं सेवाओं से वंचित हो सकते हैं। इससे प्रशासन की छवि बिगड़ती है, जो कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिये शुभ नहीं है। अत: लोक सेवकों को इनसे बचना चाहिये। इसलिये अनेक लोगों के लिये कई पूर्व-नौकरशाह; जैसे-टी.एन. शेषन, किरण बेदी, वर्तमान में अशोक खेमका, आदि एक प्रतिमान हैं।

अत: उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि सफल लोक सेवक होने के लिये निष्पक्ष और गैर-पक्षपाती होना अनिवार्य है, लेकिन यही एकमात्र शर्त नहीं है। इनके साथ-साथ उनमें सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, नवाचारी, विनम्रता एवं धैर्य जैसे गुणों का होना भी अनिवार्य है।

प्रश्न: न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिये एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। सविस्तार समझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

An independent and empowered social audit mechanism is an absolute must in every sphere of public service, including judiciary, to ensure performance, accountability and ethical conduct. Elaborate.

उत्तर: सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट एक विधिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया है, जहाँ संभावित तथा विधिक लाभार्थी किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ आधिकारिक रिकॉर्ड से ज़मीनी वास्तविकता की तुलना की जाती है। भारत में सामाजिक अंकेक्षण को 2005 में ही महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी अधिनियम के लिये अनिवार्य बनाया गया था, तब से अब तक इसने न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी आवश्यकता दर्ज कराई है-

- यह शासन पर अनुकूल प्रभाव डालते हुए योजना की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करता है।
- सोशल ऑडिट का उपयोग यह निर्धारित करने के लिये किया जाता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय के लिये इच्छित लाभ उन तक पहुँचा है या नहीं।
- यह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का एक साधन है, विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले उस गरीब तबके को, जिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिये, संविधान के 73वें संशोधन ने ग्राम सभाओं को अन्य कर्त्तव्यों के अलावा सोशल ऑडिट करने का अधिकार दिया।
- सोशल ऑडिट पद्धति में ऑडिट अनुशासन की आवश्यकताओं के साथ लोगों की भागीदारी और निगरानी शामिल है।
- सोशल ऑडिट का लक्ष्य स्थानीय सरकार में सुधार करना है, अर्थात् स्थानीय निकायों में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। नियमित (सोशल ऑडिट) स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली की जवाबदेही और खुलेपन में सुधार करने में सहायता करती है।

- योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) की धारा-17 के तहत नियमित 'सामाजिक लेखा परीक्षा' (सोशल ऑडिट) भी आवश्यक है।
- सोशल ऑडिट पर्यावरण और आर्थिक विचारों के अलावा, सामाजिक परिणामों के अक्सर अनदेखे किये गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करती है तथा पूर्ण नीति समीक्षा में सहायता करती है।

उपर्युक्त बिंदुओं के आलोक में 'सोशल ऑडिट' की आवश्यकता को समझा जा सकता है, लेकिन इसके मार्ग में बहुत-सी चुनौतियाँ भी हैं। नतीजतन 'सोशल ऑडिट' में नीतिगत लक्ष्यों और परिणामों के बीच की खाई को पाटने की काफी संभावनाएँ हैं।

प्रश्न: "सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है, जो मनुष्य को सशक्त बनाता है।" उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

"Integrity is a value that empowers the human being." Justify with suitable illustration.

उत्तर: सत्यनिष्ठा का तात्पर्य यह है कि नैतिक कर्त्ता अपनी अंत:मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है। सत्यनिष्ठा संपन्न व्यक्ति का आचरण लगभग हर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होता है। किसी व्यक्ति में सत्यनिष्ठा का परीक्षण मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों, यथा- व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य एवं व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है।

- **व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा:** व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा से आशय यह है कि व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार में कोई अंतर नहीं होना चाहिये। किसी दबाव से परे एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। उदाहरण के रूप में, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का निर्णय महात्मा गांधी द्वारा विभिन्न विरोधों के बाद भी स्वविवेक से लिया गया।
- **सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा:** इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति नियम-कानून या नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन का सतत् निर्वहन करता है। उदाहरण के रूप में, एक सत्यनिष्ठ नेतृत्वकर्त्ता अथवा नेता किसी आर्थिक अथवा राजनीतिक लोभ में न आकर सदैव जनहित में कार्य करने एवं निर्णय लेने के लिये तत्पर रहता है।
- **व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा:** व्यावसायिक रूप से एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव पारदर्शिता एवं ज़िम्मेदारीपूर्वक संबंधित व्यवसाय से जुड़ी नैतिक संहिता का पालन करते हुए अपना कार्य करता है। उदाहरण के रूप में, एक मैच में 99 रन पर बैटिंग करते हुए अंपायर द्वारा नॉट आउट दिये जाने के बाद भी सचिन तेंदुलकर द्वारा स्वयं को आउट घोषित करते हुए मैदान से बाहर जाना।

इस प्रकार एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति जीवन के सभी आयामों में अपनी सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी को नहीं छोड़ता है। अल्पकाल के लिये भले ही सत्यनिष्ठा उसे अधिक लाभ न पहुँचाए, किंतु दीर्घकाल में यह उसके जीवन को स्थायित्व एवं समाज को लाभ पहुँचाती है।

2020

प्रश्न: व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) के तीन मुख्य घटकों जैसे मानवीय पूंजी, मृदु शक्ति (संस्कृति और नीतियाँ) तथा सामाजिक सद्भाव की अभिवृद्धि में नीति-शास्त्र और मूल्यों की भूमिका का विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the role of ethics and values in enhancing the following three major components of Comprehensive National Power (CNP) viz. human capital, soft power (culture and policies) and social harmony.

उत्तर: व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) मुख्य रूप से चीन के विचारकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली एक अवधारणा है जो किसी राष्ट्र की समग्र शक्ति का परिचायक है। यह अवधारणा पश्चिमी अवधारणाओं के विपरीत किसी राष्ट्र की सभी प्रकार की शक्तियों का योग प्रस्तुत करती है। इसके मुख्य घटकों में उस देश की आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, विज्ञान एवं तकनीकी क्षमता, शिक्षा की स्थिति, मानवीय पूंजी, सामाजिक सद्भाव, सामरिक शक्ति एवं उसके सांस्कृतिक प्रभुत्व (सॉफ्ट पावर) को शामिल किया जाता है।

नीतिशास्त्र एक प्रकार की आचरण नियमावली है जो किसी समूह या समाज में सही एवं गलत को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है। इसके अंतर्गत किसी समाज हेतु नैतिकता का पालन करने के लिये बनाए गए औपचारिक दिशानिर्देश होते हैं। वहीं मूल्य किसी व्यक्ति विशेष के महत्त्वपूर्ण स्थायी विश्वास एवं विचार हैं जो उसे अच्छे एवं बुरे तथा वांछनीय एवं अवांछनीय के मध्य विभेद करने में सहायता प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से एक व्यक्ति अपने मूल्यों को बाह्य वातावरण, परिवार एवं अनुभव आदि के माध्यम से सीखता है।

किसी राष्ट्र की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) के मुख्य घटकों (मानवीय पूंजी, सामाजिक सद्भाव एवं मृदु शक्ति) की वृद्धि में नीतिशास्त्र एवं मूल्य की निम्नलिखित भूमिका होती है-

- मानव पूंजी मूलत: उन लोगों के समूह को संदर्भित करती है जो किसी संगठन/राष्ट्र के आर्थिक अथवा राजनीतिक विकास में अपना योगदान देते हैं अथवा देने योग्य होते हैं। यह महज़ श्रमबल तक सीमित नहीं है। किसी राष्ट्र में नीतिशास्त्र एवं मूल्यों के विकास द्वारा हम मानवीय पूंजी में भी अभिवृद्धि कर सकते हैं। यदि किसी राष्ट्र में नैतिकता के मानक उच्च होंगे तो उस समाज में शिक्षा, रोज़गार, अनुशासन एवं तकनीकी विकास पर अधिक बल दिया जाएगा। वहीं यदि उस समाज में निवासरत व्यक्तियों के मूल्य भी उच्च होंगे तो व्यक्ति बेहतर ढंग से स्वयं के लिये उचित तथा अनुचित के मध्य निर्णय ले सकता है। इसके परिणामस्वरूप हमें उस समाज में अधिक निपुण लोगों की प्राप्ति होगी जिससे अंतत: उस राष्ट्र के व्यापक राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि होगी। जैसे कि शुल्टज एवं हर्बीसन द्वारा हाल ही में किये गए अध्ययन दर्शाते हैं कि यू.एस.ए. में उत्पादन की वृद्धि का एक बड़ा भाग, बढ़ी हुई

उत्पादकता के कारण है जो मुख्यत: कुशल मानवीय पूंजी निर्माण का परिणाम है।

- 'सॉफ्ट पावर (मृदु शक्ति)' शब्द का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाता है जिसके तहत कोई राज्य परोक्ष रूप से सांस्कृतिक अथवा वैचारिक साधनों के माध्यम से किसी अन्य देश के व्यवहार अथवा हितों को प्रभावित करता है। 'सॉफ्ट पावर' मूलत: अमूर्त चीज़ों जैसे- योग, सिनेमा, संगीत, आध्यात्मिकता आदि पर आधारित होता है। किसी राष्ट्र विशेष में उसके सामाजिक नीतिशास्त्र एवं व्यक्तिपरक मूल्यों को संवर्द्धित कर वहाँ की संस्कृति एवं प्राचीन परंपराओं को और परिष्कृत किया जा सकता है जो अंतत: उस राष्ट्र के व्यापक राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करेगा। एक उदाहरण के रूप में भारत के अध्यात्मवाद, योग, फिल्म और धारावाहिक, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य और संगीत, व्यंजन के साथ-साथ इसके सिद्धांत, जैसे कि विश्व बंधुत्व, अहिंसा, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, बहुलवादी समाज आदि ने विश्व भर के लोगों को आकर्षित किया है।
- किसी विविधतापूर्ण समाज में जब लोगों के मध्य एक-दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति, श्रद्धा, करुणा एवं दया का भाव होता है, सामाजिक सद्भाव कहलाता है। महात्मा गांधी के अनुसार मन, वचन एवं कर्म की एकता एवं परस्पर सामंजस्य के माध्यम से ही सामाजिक सद्भाव का वातावरण बनाया जा सकता है। उनके अनुसार यह सामंजस्य समाज में नैतिक मूल्यों के परिवर्द्धन से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार किसी समाज में नैतिक मानकों में वृद्धि कर उस समाज के सामाजिक सद्भाव में अभिवृद्धि की जा सकती है।

समग्रत: हम कह सकते हैं कि किसी समाज अथवा राष्ट्र में नैतिक मानकों के उच्च स्तर को स्थापित कर उसकी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति (सी.एन.पी.) में पर्याप्त अभिवृद्धि की जा सकती है।

प्रश्न: "शिक्षा एक निषेधाज्ञा नहीं है, यह व्यक्ति के समग्र विकास और सामाजिक बदलाव के लिये एक प्रभावी और व्यापक साधन है।" उपर्युक्त कथन के आलोक में नई शिक्षा नीति, 2020 (एन.ई.पी., 2020) का परीक्षण कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Education is not an injunction, it is an effective and pervasive tool for all round development of an individual and social transformation". Examine the New Education Policy, 2020 (NEP, 2020) in light of the above statement.

उत्तर: शिक्षा, पूर्ण मानवीय क्षमता प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिये मूलभूत उपकरण है। शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। यह आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, न्याय और समानता तथा वैज्ञानिक उन्नति की कुंजी है। शिक्षा केवल यह नहीं बताती कि मनुष्य को कैसा आचरण नहीं करना चाहिये बल्कि वह मनुष्य के बुद्धि-विवेक और ज्ञान का उन्नयन कर उसकी आत्म उन्नति पर विशेष ज़ोर देती है।

नई शिक्षा नीति, 2020 राष्ट्र में शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में कई बदलावों का प्रस्ताव करती है, जो निम्नवत हैं–

- नई शिक्षा नीति पुरातन प्रथाओं और शिक्षाशास्त्र से एक प्रस्थान है। यह छात्रों को उनके कौशल और रुचियों को प्रखर बनाने और वैश्विक बाज़ार में उन्हें अधिक वांछनीय बनाने हेतु आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगी। यह बच्चों को '21वीं सदी के कौशल' के अनुरूप बनाने पर प्रमुख रूप से केंद्रित है।
- एनईपी, 2020 व्यापक रूप से प्रारंभिक बचपन से उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच पर ध्यान केंद्रित करती है। यह सकल नामांकन बढ़ाने और ड्राप-आउट दर पर रोक लगाने पर ज़ोर देती है।
- साथ ही शैक्षणिक क्रेडिट बैंक का निर्माण, अनुसंधान हेतु प्रेरित, अंतर्राष्ट्रीयकरण और विशेष शैक्षणिक क्षेत्रों का विकास, भारत को उच्च गंतव्य के रूप में पुन: विकसित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- विद्यालयों में सभी स्तरों पर, नियमित रूप से खेल-कूद, योग, संगीत, मार्शल आर्ट की सुविधा स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी।
- यह वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिये लिंग समावेशी कोष, विशेष शिक्षा क्षेत्रों की स्थापना पर ज़ोर देता है। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केन्द्र, आवास, सहायक उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर देती है।

चुनौतियाँ

- शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इस कारण एनईपी, 2020 के वास्तविक कार्यान्वयन में अधिकांश राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।
- इस नीति ने विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिससे भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है।
- भारत में शिक्षा पर खर्च जीडीपी का लगभग 4.43 प्रतिशत है, जो बहुत से विकसित व विकासशील देशों से बहुत कम है। अत: वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर जीडीपी के प्रस्तावित 6 प्रतिशत खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।
- तैयारी के चरण से व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ज़ोर, कई तरह के भय, हाशिये की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिये जल्दी पढ़ाई छोड़ने के लिये प्रेरित करेगी। यह सीखने की प्रक्रिया को बाधित करेगी।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि कुछ चुनौतियों के बावजूद एनईपी, 2020 में वे सभी विशेषताएँ मौजूद हैं जो 'भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाने में तथा भावी पीढ़ी के जीवन को आकार देने में मदद कर सकती हैं।

प्रश्न: "घृणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंत:करण के लिये संहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें। **(150 शब्द, 10 अंक)**

"Hatred is destructive of a person's wisdom and conscience that can poison a nation's spirit." Do you agree with this view? Justify your answer.

उत्तर: इस संदर्भ में कोई दो राय नहीं है कि घृणा व्यक्ति की बुद्धिमता तथा राष्ट्र के चित्त दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

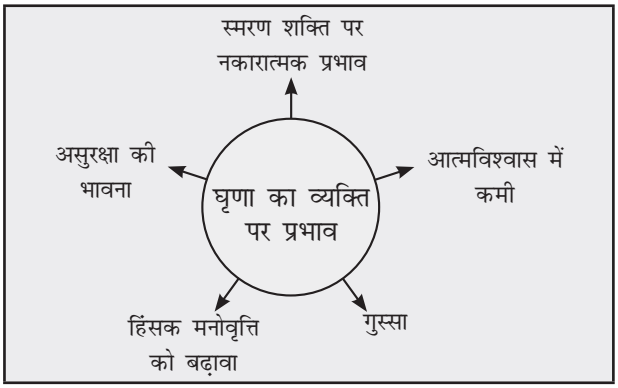

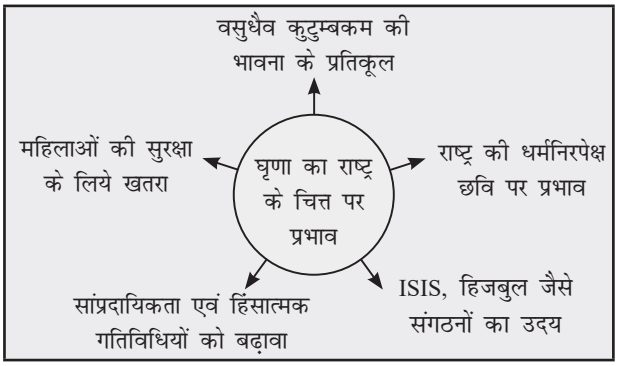

इस विचार को निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है–

- हिटलर द्वारा यहूदियों के प्रति उसकी घृणा के कारण जर्मनी में यहूदियों के प्रति नरसंहार की घटनाओं को बढ़ावा मिला।
- हमारे देश में घटित होने वाले सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक वर्ग की दूसरे वर्ग के प्रति घृणा की भावना संपूर्ण राष्ट्र के चित्त को विषाक्त करती है।
- समाज में महिला अत्याचारों के पीछे भी कुछ लोगों की घृणित मानसिकता ही ज़िम्मेदार होती है जो देश की स्वच्छ सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है।

घृणा को निम्नलिखित उपायों को अपनाकर कम किया जा सकता है–

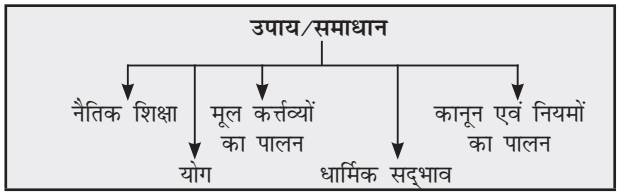

अत: कहा जा सकता है कि घृणा व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है जो समाज और देश की एकता व अखंडता के लिये खतरा है जिसे मानव के मस्तिष्क में प्रेम व अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों का समावेश करके नियंत्रित किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का प्रसिद्ध कथन भी है, "घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, यह सार्वकालिक नियम है।"

प्रश्न: संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक क्या हैं? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
What are the main components of emotional intelligence (EI)? Can they be learned? Discuss.

उत्तर: अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक 'Emotional Intelligence why it can matter more than IQ' में संवेगात्मक बुद्धि के बारे में विस्तार से बताया है। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, फिर इस ज्ञान का उपयोग कर कौशल व समझदार तरीके से निर्णयन व कार्य करने से है। संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य घटक–

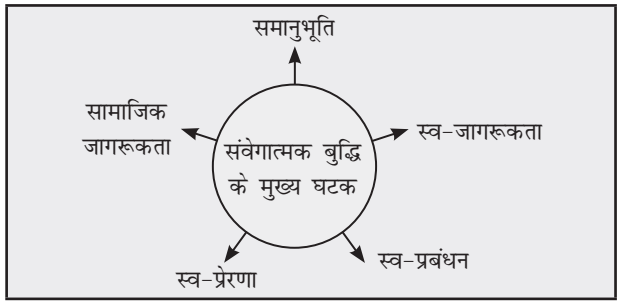

- **स्व-जागरूकता:** अपने संवेगों की सही जानकारी रखना संवेगात्मक बुद्धि का आधार है। जब तक अपनी भावनाओं, अनुभूतियों, क्षमताओं एवं कमज़ोरियों को सही ढंग से नहीं समझेंगे तब तक इन पर नियंत्रण नहीं रख सकेंगे।
- **आत्म नियमन:** इसके तहत भावनाओं की प्रकृति, तीव्रता तथा अभिव्यक्ति को प्रबंधित करना है।
- **स्व-प्रेरणा:** आशावादी तरीके से स्वयं को प्रेरित करना। यदि व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक चुनौतियाँ, बाधाएँ, संघर्ष आदि हैं तो उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिये कि वह स्वयं को प्रेरित कर सके।
- **समानुभूति:** दूसरों की अनुभूतियों को सही ढंग से पहचानने की क्षमता।
- **सामाजिक जागरूकता:** सामाजिक जागरूकता से तात्पर्य अंतर-वैयक्तिक दक्षता से है। इसका आशय है- दूसरों के संवेगों का संचालन करना।

संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखने की प्रक्रिया के पक्ष में तर्क–

- संवेगात्मक बुद्धि के घटकों को सीखा जा सकता है। ये जन्मजात नहीं होते हैं। इन्हें शिक्षा, बुद्धि कौशल तथा योग एवं ध्यान से विकसित किया जा सकता है। उदाहरण- महात्मा गांधी बचपन से ही संवेगात्मक बुद्धि नहीं रखते थे अपितु उन्होंने समय व अनुभव से इन गुणों को विकसित किया।

- मदर टेरेसा की भावनात्मक समझ में मुख्य रूप से करुणा व समानुभूति जैसे गुण प्रमुख थे जो उनके द्वारा आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा से अर्जित किये गए थे।
- प्रशासनिक नेतृत्व के दृष्टिकोण से भावनात्मक समझ प्रशिक्षण के द्वारा सिखाई जा सकती है जिसमें एक प्रशासक द्वारा स्वयं की भावनाओं का प्रबंधन करते हुए विकट परिस्थिति में साहस एवं नेतृत्व का गुण अहम है। उदाहरण- अजीत डोभाल, सत्येन्द्र नाथ दूबे।

विपक्ष में तर्क-

- कुछ विद्वान संवेगात्मक बुद्धि को जन्मजात प्रतिभा मानते हैं।
- अलग-अलग व्यक्तियों की सोच और परिवार, समाज व संस्कृति में संवेगात्मक समझ का स्तर अलग-अलग पाया जाता है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि संवेगात्मक बुद्धि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में कौशल, नेतृत्व व प्रबंधन जैसे गुणों का विकास कर राष्ट्र हित में उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न: बुद्ध की कौन-सी शिक्षाएँ आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों? विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What teachings of Buddha are most relevant today and why? Discuss.

उत्तर: बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध भारतीय विरासत के एक महान विभूति हैं। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से संपूर्ण मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाई। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके शिष्यों ने राजगृह में एक परिषद का आह्वान किया, जहाँ उनकी मुख्य शिक्षाओं को त्रिपिटकों, यथा- विनय पिटक, सुत पिटक तथा अभिधम्म पिटक के रूप मे संहिताबद्ध किया गया। उनके विचार, उनकी मृत्यु के लगभग 2500 वर्षों के पश्चात् आज भी हमारे समाज के लिये प्रासंगिक बने हुए हैं।

वर्तमान समय में महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता

- बुद्ध का विश्वप्रचलित मध्यम मार्ग सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है। वर्तमान में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नस्लवाद तथा जातिवाद इत्यादि समस्याओं ने विश्व को खोखला बना रखा है। ऐसे में बुद्ध के मध्यम मार्ग सिद्धांत, जो रूढ़िवादिता को नकारते हुए तार्किकता पर बल देता है, को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल-मिलाप तथा आम सहमति प्राप्त करने की ओर ले जाता है।
- महात्मा बुद्ध का यह विचार कि दु:खों का मूल कारण इच्छाएँ हैं, आज के उपभोक्तावादी समाज के लिये प्रासंगिक प्रतीत होता है। दरअसल प्रत्येक इच्छा की संतुष्टि के लिये प्राकृतिक या सामाजिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में अगर सभी व्यक्तियों के भीतर इच्छाओं की प्रबलता बढ़ जाए तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे, साथ ही सामाजिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना समाज और नैतिकता के लिये अनिवार्य हो जाता है।
- बुद्ध का कर्मवादी सिद्धांत भी वर्तमान विश्व में काफी महत्त्व रखता है। दरअसल आज जिस तरह व्यक्ति भाग्यवाद तथा तरह-तरह के आडंबरों एवं कर्मकांड में जकड़ता जा रहा है, ऐसे में कर्मवादी सिद्धांत उन्हें मानव कल्याण से जोड़कर समाज को तार्किक बनाने में कारगर साबित हो सकता है।
- बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत आज के भौतिकवादी समाज में ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। उदाहरण के लिये उनका सम्यक् जीविका का विचार इस बात पर बल देता है कि समाज में सभी को जीविका मिले जिससे आज के समाज की बड़ी समस्या बेरोज़गारी का समाधान हो सकता है।
- महात्मा बुद्ध का अंहिसा का विचार, जो सभी प्राणीमात्र के लिये है, भी वर्तमान में अत्यधिक प्रासंगिक है। आज विश्व में जहाँ एक तरफ पशुओं के विरुद्ध हिंसा के नए-नए तरीके खोजे जा रहे हैं वहीं पशुओं के साथ अच्छा आचरण करने को लेकर पेटा जैसी संस्थाएँ विश्वव्यापी आंदोलन चला रही हैं।
- आज घृणा जैसी नकारात्मक विचारधाराओं के समर्थकों को विचारहीन मृत्यु और विनाश से बचने के लिये रचनात्मक रूप से संलग्न होने की आवश्यकता है। ऐसे में बुद्ध का सिद्धांत "शांति से बढ़कर कोई आनंद नही है" ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है।
- वर्तमान संदर्भ में बुद्ध का मानव के कल्याण के लिये अंत:शुद्धि का सिद्धांत भी काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अंदर से नैतिक होने पर बल देता है। आज जिस तरह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपदा एकत्र करने के लिये संघर्षशील है, यह प्रवृत्ति कहीं-न-कहीं एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही है।
- बुद्ध का सबसे महत्त्वपूर्ण विचार 'अप्प दीपो भव:' है अर्थात् अपना दीपक स्वयं बनो। इस विचार का मूल यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी नैतिक-अनैतिक प्रश्न का फैसला स्वयं करना चाहिये। वर्तमान समय में बुद्ध के इस विचार का महत्त्व बढ़ जाता है जब व्यक्ति अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण फैसले भी स्वयं न लेकर दूसरे की सलाह पर लेता है, अत: वह वस्तु बन जाता है। बुद्ध का सिद्धांत व्यक्ति को व्यक्ति बनने पर बल देता है।

हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि बुद्ध की सभी शिक्षाएँ वर्तमान में प्रासंगिक हैं। बुद्ध का यह विश्वास कि संपूर्ण जीवन दु:खमय है और जगत् को समझने के लिये हर अनुभव को दु:खद अनुभव के रूप में देखने की ज़रूरत है, वर्तमान में तार्किक प्रतीत नहीं होता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने पर कोई भी व्यक्ति निराशावादी प्रवृत्ति का हो सकता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध की शिक्षाओं की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है। उनकी शिक्षा नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक है, जिसके माध्यम से शांति और सतत विकास पर आधारित एक संघर्ष मुक्त विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न: शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्त्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है।" अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"The will to power exists, but it can be tamed and be guided by rationality and principles of moral duty." Examine this statement in the context of international relations.

उत्तर: अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिये एक संघर्ष है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक राष्ट्र हमेशा अपनी स्थिति को मज़बूत करने में लगा रहता है। राष्ट्रीय हित में वह नैतिक कर्त्तव्य की तिलांजलि देता है और विवेक को परे रख देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवेकशीलता का प्रयोग स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है बल्कि दृढ़ अनुभूति और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसलिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सम्मेलन, संधियाँ और प्रथागत नियम विवेकशीलता पर आधारित हैं। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु बम का परीक्षण, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका का बाहर होना आदि तर्कहीनता अथवा व्यक्तिपरक स्वभाव पर आधारित है। इसी प्रकार शक्ति के प्रयोग को नैतिक सिद्धांतों जैसे- समानता, सहानुभूति और करुणा जैसे मूल्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, भारत का पंचशील सिद्धांत आदि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रमुख उदाहरण हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति की स्थापना तथा इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता नैतिक कर्त्तव्य के सिद्धांतों से निर्देशित हैं, जबकि प्रायोजित आतंकवाद, ट्रेड वार तथा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध नैतिक कर्त्तव्यों की अवहेलना करते हैं।

निष्कर्षत: सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या मानवीय संवेदना वाली अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ तभी सुलझाई जा सकती हैं जब सभी राष्ट्र एक होकर नैतिक सिद्धांतों और विवेक पर आधारित उच्च मानकों की स्थापना करे। विवेक और नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग ही शक्तिशाली राष्ट्रों को हिंसक होने तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने में सहायक हो सकता है।

प्रश्न: विधि और नियम के बीच विभेदन कीजिये। इनके सूत्रीकरण में नीति-शास्त्र की भूमिका का विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Distinguish between laws and rules. Discuss the role of ethics in formulating them.

उत्तर:

विधि (Law)	नियम (Rule)
❑ विधि या कानून संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो देश/राज्य पर लागू होता है।	❑ नियम आमतौर पर प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का एक समूह होता है जो किसी विशेष कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये गठित/तैयार किये जाते हैं।
❑ कानून सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा सरकारी कारकों जैसे-पुलिस और अभियोजकों द्वारा लागू किये जाते हैं।	❑ नियम संगठनों और व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। नियम प्रकृति में व्यक्तिगत होते हैं जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित किया जाता है।
❑ कानून अनम्य (Inflexible) होते हैं, और इसके अंतर्गत कठोर दंड सहित कारावास और कुछ मामलों में मौत की सज़ा भी हो सकती है।	❑ नियम अपेक्षाकृत अधिक लचीले होते हैं, और टूटने पर हल्के परिणाम देते हैं।
❑ कानून को प्रभावी होने के लिये मतदान सहित अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुज़रना पड़ता है।	❑ नियम आवश्यकतानुसार सेट और समायोजित किये जाते हैं तथा नियमों को स्थापित करने वालों के लिये सम्मान का ध्यान रखा जाता है।
❑ कानून शिक्षण उपकरण नहीं है, बल्कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने का उपकरण है।	❑ नियम हमें समाज में रहने के लिये तैयार करने में मदद करते हैं तथा इनके द्वारा अच्छे नागरिक बनाने के मानक तैयार किये जाते हैं।

विधि और नियम के सूत्रीकरण में नीतिशास्त्र की भूमिका

- कानून किसी समाज में न्यूनतम प्रवर्तनीय मानक होते हैं, जिसका निर्माण नीतिगत सिद्धांतों तथा नैतिक मूल्यों पर विचार के पश्चात किया जाता है अर्थात् जब नीतिगत सिद्धांतों को व्यापक स्तर पर स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें संहिताबद्ध कर विधि/कानून का रूप दे दिया जाता है।
- लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के उद्भव संबंधी अधिकांश मामलों में नैतिक मानदंडों से विधियों का विकास हुआ है। हालाँकि, सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है। उदाहरणस्वरूप सती प्रथा को देखा जाए तो इसे व्यापक स्तर पर स्त्रियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानक व्यवहार के रूप में मान्यता प्राप्त थी। किन्तु कुछ समाज सुधारकों के प्रयास से इस प्रथा को गैर-कानूनी घोषित कर एक विधान बना दिया गया। यह इस बात का उदाहरण है कि कुछ लोगों की नैतिकता विधि के अधिनियम का कारण बनी, जिसने बाद में समाज के नीतिशास्त्र को आकार प्रदान किया।
- इसी क्रम में IPC की धारा-377 का दृष्टांत लें, जो समलैंगिकता को विधि के विरुद्ध या गैर-कानूनी करार देती है। किंतु सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि समलैंगिकता को समाज के लिये अस्वाभाविक, भ्रष्ट तथा अनैतिक समझा जाता था। इसलिये, यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ नीतिशास्त्र से प्रेरित होकर विधि अधिनियमित की गई है।

- इसके अलावा भारत में सरोगेसी को नियंत्रित करने वाले कानून पर समाज के नीतिशास्त्र का बड़ा प्रभाव है। हमारे समाज में मातृत्व को परमपावन समझा जाता है तथा धन से इसका मूल्य चुकाना यहाँ स्वीकार्य नहीं है। इसी नैतिक सिद्धांत के आधार पर इस कानून को दिशानिर्देश प्रदान किया गया है।
- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले IT अधिनियम की धारा-66A एक ऐसा क्लासिक दृष्टांत था जिसमें लोगों की प्रगतिशील नैतिक मान्यताओं ने एक प्रतिगामी कानून को निरस्त करने में सहायता की।

इस प्रकार उपर्युकत दृष्टांतों से स्पष्ट है कि विधि तथा नीतिशास्त्र एक-दूसरे के विरोधाभासी भी हो सकते हैं तथा एक-दूसरे को सुदृढ़ता प्रदान करने में सहायक भी।

प्रश्न: सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है जिसे प्राय: नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति में सकारात्मक अभिवृत्ति क्या योगदान देती है? (150 शब्द, 10 अंक)

A positive attitude is considered to be an essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. What contributes to a positive attitude in a person?

उत्तर: अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। यदि व्यक्ति की अभिवृत्ति सकारात्मक है तो उसकी प्रतिक्रिया भी अनुकूल होगी। इसी कारण से सकारात्मक अभिवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है।

एक सिविल सेवक अपने सेवा काल के दौरान करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इस दौरान उसे राजनीतिक दबाव, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन, कार्य का अतिशय भार, मानसिक तनाव जैसी परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। ऐसे में सकारात्मक अभिवृत्ति एक सिविल सेवक को समाज के कल्याण के लिये अपनी योग्यता का उपयोग करने हेतु निर्देशित और नियंत्रित करती है। लोक सेवकों में सकारात्मक अभिवृत्ति प्रशासन और जनता के बीच सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। सकारात्मक अभिवृत्ति लोक सेवकों को अपने कार्यों के निर्वहन के दौरान तनाव प्रबंधन में भी सहायता करती है।

निम्नलिखित उपायों से किसी व्यक्ति में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हो सकता है-

- स्वयं के गुणों एवं दोषों की जाँच करना और उसे बदलने की इच्छा।
- नवीन विचारों और अवधारणाओं के प्रति खुलापन।
- स्वयं के भय को दूर करने की इच्छाशक्ति और साहस।
- खुद को मानने और खुद पर विश्वास करने की इच्छा।
- दुनिया को प्रभावित करने की स्वयं की क्षमता पर विश्वास करना।
- यह मानना कि प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई और मूल्य हैं तथा प्रेम सभी पर विजय प्राप्त करता है।
- जीवन में खुशी की अनुभूति होना।
- सकारात्मक अभिकथन को बार-बार दोहराकर अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना।

सामान्यतया अभिवृत्ति सीखी जाती है परंतु कुछ मामलों में यह जन्मजात भी होती है। अभिवृत्ति सामान्यत: स्थायी होती है परंतु इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

प्रश्न: भारत में लैंगिक असमानता के लिये कौन-से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान का विवेचन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What are the main factors responsible for gender inequality in India? Discuss the contribution of Savitribai Phule in this regard.

उत्तर: लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परम्परागत रूप से समाज में महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। 'वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक-2020' में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में लैंगिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं।

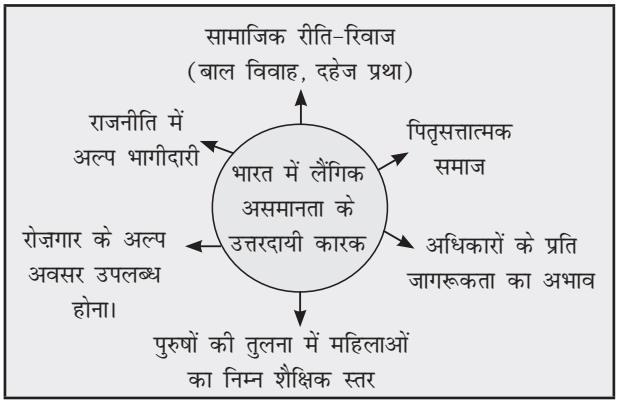

भारत में लैंगिक असमानता के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-

- उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर पर पारिवारिक सम्पति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं हैं।
- भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक एवं पारिवारिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं को विकास के कम अवसर उपलब्ध होते हैं।
- शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष तथा महिला साक्षरता के मध्य 16.68% का अंतराल है।
- राजनीति में महिलाओं की अल्प भागीदारी। वर्तमान में भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधि मात्र 11% है।
- 'STEM' क्षेत्र के रोज़गार में महिलाओं की भागीदारी मात्र 14% है।

लैंगिक असमानता दूर करने में सावित्री बाई फुले का योगदान-

- इन्होंने अपने पति ज्योतिबाराव फुले के साथ मिलकर पुणे में 1848 ई. में प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की।
- इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **1852** में 'महिला सेवा मंडल' की स्थापना की।
- टिफनी वेन ने सावित्री बाई फुले को "पहली पीढ़ी की आधुनिक भारतीय नारीवादी और विश्व नारीवाद के लिये महत्त्वपूर्ण योगदानकर्त्ता" के रूप में वर्णित किया है।

हालाँकि सरकार ने लैंगिक असमानता को कम करने के लिये कई सकारात्मक प्रयास किये हैं जैसे-सबला योजना, जननी सुरक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टेप (STEP), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इत्यादि, किंतु इस दिशा में अभी काफी कार्य करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: "सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को मनासीन किया है, जो प्रायः परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील रहते हैं।" विवेचना कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"The current internet expansion has instilled a different set of cultural values which are often in conflict with traditional values". Discuss.

उत्तर: वर्तमान समय में इंटरनेट समस्त विश्व के दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। इंटरनेट अब मात्र सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित नहीं है अपितु यह अब अपने परिष्कृत रूप में एक बहु-विषयक उपकरण के रूप में सामने आया है। आज हम एक सेकंड से कम समय में दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक डेटा भेज सकते हैं, ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण कर सकते हैं और कितनी भी दूर बैठे व्यक्ति से संवाद कर सकते हैं। किंतु इसके विपरीत इंटरनेट के अनेक दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे-इसने मनुष्य को वास्तविक जीवन से दूर कर एक आभासी दुनिया में धकेल दिया है, जिसने मानव समाज के लिये अनेक गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इन्हीं चुनौतियों में से एक है– सांस्कृतिक मूल्यों में हो रहे परिवर्तन।

इंटरनेट विस्तारण ने आज सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को जन्म दिया है जो परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील प्रतीत होते हैं–

- लोगों ने ऑनलाइन संचार साधनों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप अपने संचार एवं संवाद के तरीकों और आदतों को बदल दिया है। आज हम लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने की अपेक्षा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के प्रयोग से उनसे जुड़ने को वरीयता दे रहे हैं। सामाजिक सद्भाव एवं मेल-जोल की परंपरागत संस्कृति के विपरीत आज व्यक्ति समाज से कटता जा रहा है और वर्चुअल दुनिया में खोता जा रहा है।
- इंटरनेट के अत्यधिक प्रयोग ने लोगों की रचनात्मकता को भी प्रभावित किया है। लोग आज नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी एवं स्टेज शो को प्रत्यक्ष देखने की अपेक्षा उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ही देखने को वरीयता दे रहे हैं। इसके चलते इन कलाकारों का मनोबल भी कमज़ोर हुआ है।
- इंटरनेट के प्रयोग से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत समाज के उन प्रतिबंधित (taboo) विषयों पर भी खुली चर्चा (ओपन डिस्कशन) की जाती है जिन्हें भारतीय संस्कृति के अंतर्गत चर्चा हेतु निषेध माना जाता है। इन विषयों में एल.जी.बी.टी. समुदाय, महिला माहवारी (Menstruation) और लिव इन रिलेशन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
- वर्तमान में इंटरनेट के प्रयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन लाया है। आज बच्चे अपने से कहीं दूर बैठे शिक्षक से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। वर्तमान कोरोना आपदा के दौर में इसमें और वृद्धि देखने को मिली है। किंतु शिक्षा के इस नवाचारी माध्यम ने प्राचीन गुरुकुल की गुरु-शिष्य परंपरा को कमज़ोर कर दिया है।
- इंटरनेट के प्रसार ने आज के बच्चों की मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव डाला है। सोशल मीडिया के इस युग में आज बच्चे उन कंटेंट अथवा सामग्री को भी देख रहे हैं जिन्हें परंपरागत संस्कृति में उनसे दूर रखा जाता है।
- सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार के माध्यम से किसी धर्म विशेष के विरुद्ध लोगों की मानसिकता को प्रभावित किया जाता है। इसके चलते हमें सांप्रदायिक संघर्ष के मामले भी देखने को मिलते हैं। परिणामतः भारतीय संस्कृति में प्रचलित 'सर्वधर्म समभाव' जैसे मूल्यों का ह्रास हो रहा है।
- इंटरनेट ने पारंपरिक लोकतंत्र की अवधारणा को भी परिवर्तित कर दिया है। आज अनेक राजनीतिक दलों ने जनता के बीच जाकर प्रचार करने एवं उनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने की अपेक्षा इंटरनेट के प्रयोग से प्रचार को अधिक वरीयता दी है।

यद्यपि ऐसा नहीं कि उपर्युक्त कमियों के चलते इंटरनेट का संस्कृति पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। इंटरनेट ने वैश्वीकरण की गति को बढ़ाकर परंपरागत 'वसुधैव कुटुम्बकम' की अवधारणा को बल प्रदान किया है। सूचना की क्रांति के चलते आज किसी भी रिमोट क्षेत्र में रह रहा व्यक्ति अपनी संस्कृति के सभी पहलुओं से परिचित हो सकता है। नाभिकीय परिवार की अवधारणा से प्रभावित वर्तमान समय में इंटरनेट के प्रयोग से किसी अन्य क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने सगे-संबंधियों से जुड़ पा रहे हैं जिसने पारिवारिक एकता को कहीं-न-कहीं मज़बूत भी किया है। अतः आवश्यकता है कि हम इंटरनेट का अपने हित के लिये प्रयोग करें किंतु यह भी प्रयास करें कि हम इस आभासी दुनिया में इतना न खो जाएँ कि यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके।

प्रश्न: निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What do each of the following quotations mean to you?

(a) "किसी की भर्त्सना नहीं कीजिये : अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कीजिये। यदि नहीं तो आप हाथ जोड़िये, अपने बंधुओं को आशीर्वचन दीजिये और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिये।"

–स्वामी विवेकानंद

(150 शब्द, 10 अंक)

"Condemn none : if you can stretch out a helping hand, do so. If not, fold your hands, bless your brothers, and let them go their own way."

–Swami Vivekanand

(b) स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग यह है कि अपने आपको अन्य की सेवा में खो दें।" -महात्मा गांधी

(150 शब्द, 10 अंक)

"The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others." -Mahatma Gandhi

(c) "नैतिकता की एक व्यवस्था जो कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित है केवल एक भ्रांति है, एक अत्यंत अशिष्ट अवधारण जिसमें कुछ भी युक्तिसंगत नहीं है और न ही सत्य।" -सुकरात

(150 शब्द, 10 अंक)

"A system of morality which is based on relative emotional values is a mere illusion, a thoroughly vulgar conception which has nothing sound in it and nothing true." -Socrates

उत्तर (a): स्वामी विवेकानंद एक योद्धा संन्यासी थे। आत्मज्ञानी संन्यासी के रूप में उन्होंने 'स्व' का विस्तार करते हुए 'आत्मबोध' की ओर प्रवृत्त करने का मार्ग प्रस्तुत किया है। स्वामी जी ने व्यावहारिक जीवन में वेदांत दर्शन की उपयोगिता बताने के क्रम में उक्त उद्धरण का वाचन किया।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम सभी उसी एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यदि कोई किसी कारणवश हमारे समान उन्नति नहीं कर पाया तो उससे घृणा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें दूसरों की निंदा अथवा भर्त्सना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि भेद केवल परिमाणगत होता है, प्रकारगत नहीं। वास्तव में सभी वस्तुएँ वही एक अखंड वस्तुमात्र हैं और उनमें अंतर केवल परिमाण का है। इसलिये यदि हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो ऐसा करना चाहिये। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें अपने रास्ते जाने देना चाहिये क्योंकि सभी लोग कमोबेश उसी आदर्श की ओर पहुँच रहे हैं। गाली देने से अथवा निंदा करने से कोई उन्नति नहीं होती है बल्कि ऐसा करके व्यक्ति स्वयं की ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट करता है।

स्वामी विवेकानंद ने बताया, यदि युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए और हर समय अनावश्यक रूप से उनकी आलोचना न की जाए तो वे समय पर उन्नति करने के लिये बाध्य हो जाएंगे।

उत्तर (b): यहाँ 'स्वयं को खोजने' का वास्तविक अर्थ हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक गुणों का पता लगाना नहीं है, बल्कि मानव के अस्तित्व के उद्देश्य को जानने से है।

हमारा अस्तित्व समाज के अस्तित्व पर निर्भर करता है क्योंकि जब सर्वोदय होगा तब हमारा भी उदय होगा। यह वाक्यांश गांधी के सर्वोदय की संकल्पना से संबंधित है, इसलिये हमारी उन्नति का मार्ग हमारे चरित्र की श्रेष्ठता पर निर्भर करता है और चरित्र की उन्नति तभी होगी जब हम अपने कार्यों के प्रभाव का आकलन समाज के संदर्भ में करना सीखें तथा 'मैं' के भाव से आगे बढ़कर 'हम' का भाव रख सकें।

महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा एवं न्याय रूपी सद्गुणों को तभी वास्तविक रूप से अपनाया जब वे शोषित वर्ग के कल्याण के मार्ग पर चले। गौतम बुद्ध और बोधिसत्वों ने अपना पूरा जीवन मानव जाति की सेवा में समर्पित कर दिया।

राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद ने हमें समाज के कल्याण के लिये अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिये सेवा का सिद्धांत सिखाया है। भारतीय शास्त्रों में भी कहा गया है- 'परहित सरस धरम नहीं भाई'। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी कथन है कि 'जीवन केवल दूसरों के लिये जीने के लायक है।' मदर टेरेसा ने भी मानव सेवा व कुष्ठ रोगियों की सेवा का मंत्र दिया।

इसलिये 'स्व' को खोजने के लिये व्यक्ति को अपने शरीर, धन और ज्ञान जैसे सभी संसाधनों का उपयोग करके समुदाय की सेवा का प्रयास करना चाहिये।

उत्तर (c): नैतिकता एक दार्शनिक अवधारण है जिसमें सही और गलत की अवधारणाओं को व्यवस्थित करना, बचाव करना और अनुशंसा करने की प्रक्रिया शामिल होती है। नैतिक निर्णयन की प्रक्रिया किसी विषय का ज्ञानात्मक तत्त्व, भावनात्मक तत्त्व तथा क्रियात्मक तत्त्व पर निर्भर करती है।

सुकरात ने उपर्युक्त उद्धरण के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि सापेक्ष भावनात्मक मूल्यों पर आधारित नैतिकता अपने आप में अशिष्ट होती है अर्थात् सापेक्ष भावुकता पर आधारित विकल्प नैतिक विकल्प नहीं हो सकते।

सुकरात का मूल उद्देश्य ऐसे सार्वभौमिक नैतिक विचार की स्थापना करना था, जो विभिन्न व्यक्तियों या देशकाल की परिस्थितियों से प्रभावित न हो। वे सोफिस्टों द्वारा प्रचारित आत्मनिष्ठतावादी व सापेक्षवादी विचार से असंतुष्ट थे, क्योंकि उसके बल पर किसी भी कार्य को नैतिक या अनैतिक ठहराया जा सकता है। इन्होंने नैतिकता के प्रतिमान के रूप में भावनात्मक तत्त्व की अपेक्षा ज्ञानात्मक तत्त्व को अधिक महत्त्व दिया है।

सुकरात ने सद्गुणों को नैतिकता का प्रतिमान माना है। इनके अनुसार सद्गुण वे गुण हैं, जो कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं और व्यक्ति के भीतर ऐसी क्षमता पैदा करते हैं कि वह अपनी वासनाओं और इच्छाओं को अपने विवेक के अधीन रख सके। उदारहरण के लिये, साहस सद्गुण का अर्थ है– भय की भावना को नियंत्रित करने का स्थायी गुण, जो बार-बार ऐसी परिस्थितियों में किये गए अभ्यास से विकसित होता है। सुकरात ने 'ज्ञान' को प्रमुख सद्गुण माना है। इसका वास्तविक अर्थ है–शुभ-अशुभ, सत्य-असत्य, न्याय-अन्याय तथा कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य में भेद कर पाने की क्षमता।

इन्होंने विभिन्न सद्गुणों के संबंध को स्पष्ट करने के लिये 'सद्गुणों की एकता का सिद्धांत' (Principle of Unity of Virtues) प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ज्ञान एकमात्र सद्गुण है और शेष सद्गुण साहस, संयम, विवेक, न्याय आदि इसी के विशिष्ट रूप हैं।

प्रश्न: नैतिक मूल्यों से क्या अभिप्राय है? किसी समाज में नैतिक मूल्यों को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करें। (150 शब्द, 10 अंक)

What is the meaning of ethical values? Identify the key factors that determine ethical values in a society.

उत्तर: नैतिक मूल्यों से अभिप्राय ऐसे मानकों से है जो किसी समाज या किसी सामान्य व्यक्ति को यह बताते हैं कि उस समाज या व्यक्ति को 'क्या करना चाहिये' तथा 'क्या नहीं करना चाहिये'। संक्षेप में कहें तो नैतिक मूल्य किसी समाज में नैतिक व्यवस्था के नियंत्रक एवं निर्धारक होते हैं। यूँ तो नैतिक मूल्य समाज में ही विकसित होते हैं किंतु इन्हें निर्धारित करने वाले कुछ अन्य कारक भी महत्त्वपूर्ण हैं जो निम्नलिखित हैं-

- किसी प्रदेश विशेष की भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ विभिन्न नैतिक मूल्यों को विकसित होने के लिये आधार निर्मित करती हैं, यथा- तापमान, उपजाऊ भूमि आदि।
- नैतिक मूल्यों के विकास में आबादी भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। (जैसे किसी समाज में जहाँ जनसंख्या की प्रतिशतता कम है वहाँ गर्भपात को स्वीकृत नहीं किया जाता।)
- उपजाऊ भूमि एवं तापमान भी नैतिक मूल्य या किसी समाज के प्रतिमान को गढ़ने में सहायक होते हैं। (यथा- ऐसे क्षेत्र जहाँ बंजर भूमि का ही विस्तार हो वहाँ मांसाहार की प्रवृत्ति द्रष्टव्य होगी। वहीं ठंडे प्रदेशों में अधिक वस्त्र पहनने का चलन एवं खान-पान में मद्य का प्रयोग करना सामान्य बात होगी।)
- लिंगानुपात भी इस हेतु उत्तरदायी होते हैं (उदाहरणस्वरूप, जिन समाजों में लिंगानुपात असंतुलित होता है, वहाँ प्रायः विवाह की विशेष परंपरा देखने को मिलती है, यथा- बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह)।
- आर्थिक कारणों की भूमिका भी किसी समाज के नैतिक मूल्यों को विकसित करने में अहम होती है। (यथा- किसी राष्ट्र में पूंजीवाद की व्यवस्था प्रचलित होती है तो वहाँ 'व्यक्तिवाद' को अधिक महत्त्व दिया जाता है एवं समाजवादी देशों में 'सामाजिक योगदान की इच्छा' का मूल्य विकसित होता है।)
- इसके अतिरिक्त धार्मिक कारकों के अंतर्गत ईश्वर एवं धर्म पर विश्वास किसी व्यक्ति या समाज के नैतिक मूल्यों के निर्माण में सहायक होता है। (उदाहरणतया, धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख होता है कि व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिये। धर्म आधारित नीतिशास्त्र के द्वारा ईश्वर की इच्छाओं के अनुपालन को ही अच्छे जीवन का मार्ग माना गया है जो अंततः व्यक्ति को नैतिक बने रहने की प्रेरणा देता है।)
- अन्य कारकों में मानव का अंतःकरण, अंतःप्रज्ञा, संस्कृति एवं समाज की भूमिका को स्वीकार किया जाता है क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये तत्त्व भी एक विशेष प्रकार के नैतिक मूल्य तय करते हैं।
- परिवार, शिक्षक, विधि, कानून, दर्शन जैसे तत्त्व भी नैतिक मूल्यों के निर्धारक के रूप में सदैव सक्रिय रहते हैं एवं सामूहिक रूप से ये कारक एक व्यक्ति या समाज के अंदर सद्गुण सृजित करते हैं जोकि नैतिक मूल्य का अंकुर होता है।

अतः स्पष्ट है कि विभिन्न नैतिक मूल्यों को निर्मित करने में अनेक कारक शामिल होते हैं जो किसी समाज को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण बनाते हैं।

प्रश्न: "कोई भी कार्य अपने मूल रूप में अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उस कार्य के द्वारा उत्पन्न परिणाम ही उसे नैतिक या अनैतिक बनाते हैं।" एक सिविल सेवक द्वारा अपने दायित्व निर्वहन के संदर्भ में कथन का सोदाहरण परीक्षण करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"No work is good or bad per se but the results generated by that work only make it moral or immoral." Examine the statement with example(s) in the context of compliance of obligations by a civil servant.

उत्तर: उक्त कथन प्रयोजनवादी (Teleological) नीतिशास्त्र के अनुसार सत्य प्रतीत होता है। किसी कार्य द्वारा उत्पन्न परिणाम अर्थात् साध्य ही कर्म की पवित्रता या अपवित्रता को तय करता है। एक सिविल सेवक को कभी-कभी अपने दायित्व निर्वहन हेतु केवल साध्य को महत्त्व देना होता है, इस संदर्भ में भी उक्त कथन की सत्यता की पुष्टि होती है।

सामान्य स्थितियों में साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता आवश्यक है (उदाहरणतया, किसी खेल या किसी परीक्षा में उचित साधनों के माध्यम से साध्य को प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा)। किंतु आपद स्थिति में जब व्यापक हित दाँव पर लगा हो, तो साध्य की पवित्रता, साधन की पवित्रता से ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है एवं साधन को अपवित्र होने के बावजूद न्यायोचित माना जा सकता है।

उदाहरणतया तीन व्यक्ति यह दावा करते हैं कि कुछ समय बाद वे किसी स्थान पर परमाणु हमला करने वाले हैं जिससे विनाश होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जब समय सीमित है एवं कई प्रयासों के बाद भी उसकी (जिसके पास रिमोट है) पहचान नहीं हो पा रही हो तो तीनों व्यक्तियों की हत्या कर देना उचित होगा। व्यापक हित रूपी साध्य हेतु उक्त कृत्य को साधन के रूप में अपनाने को अनुचित या अनैतिक नहीं माना जा सकता।

किंतु सामान्य स्थितियों में उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती क्योंकि इस समय 'साधन' एवं 'साध्य' दोनों की महत्ता एक जैसी होती है।

एक सिविल सेवक द्वारा अपने दायित्व निर्वहन हेतु विशेष परिस्थितियों में साध्य को महत्त्व देना उचित एवं नैतिक माना जा सकता है। यह भी परिणाम सापेक्षवादी, नीतिशास्त्र की ही अभिव्यक्ति है जो उक्त कथन का समर्थन करता है।

उदाहरणतया, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कुछ लोग स्वरोज़गार के रूप में सड़कों के किनारे अपनी छोटी-छोटी दुकान लगाते हैं। एक सरकारी योजना के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, ऐसे में आपको उच्च अधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर सड़क के किनारे से उन दुकानों को हटाने का आदेश प्राप्त होता है किंतु आपसे

वे गरीब लोग कुछ और समय की मांग रहे हैं ऐसे में आप नियमों को लचीला बनाते हुए उन्हें थोड़ा अधिक समय यदि दे देते हैं तो इससे प्रशासकीय दायित्वों एवं नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। क्योंकि आपका यह कदम अंततः गरीबों के कल्याण को सुनिश्चित करता प्रतीत हो रहा है।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विशेष या आपात परिस्थितियों में किये गए कार्य को मूल रूप में नैतिक या अनैतिक नहीं माना जाता अपितु उसके परिणाम उसे नैतिक या अनैतिक बनाते हैं। एक सिविल सेवक के लिये भी यही सिद्धांत कार्य करता है किंतु सामान्य स्थितियों में साधन (कार्य) एवं साध्य (परिणाम) दोनों की पवित्रता अपरिहार्य होगी।

प्रश्न: "धर्मनिरपेक्ष नैतिकता कमज़ोर होती है, जबकि धार्मिक नैतिकता रूढ़िग्रस्त।" सोदाहरण स्पष्ट करें।
(150 शब्द, 10 अंक)

"Secular ethics are weak, while religious morality is conservative." Explain with example(s).

उत्तर: धर्मनिरपेक्ष नैतिकता में धर्म एवं नैतिकता को पृथक-पृथक स्वीकार किया जाता है, वहीं धार्मिक नैतिकता के संदर्भ में धर्म, नैतिकता से अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। धर्म से पृथक नैतिकता अपूर्ण होती है एवं कठिन परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा इसके त्याग की संभावना बनी रहती है। दूसरी तरफ, धार्मिक नैतिकता, व्यक्ति को आत्मिक संबल प्रदान अवश्य करती है किंतु धार्मिक नैतिकता रूढ़ियों एवं परंपराओं से ग्रस्त होती है।

धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के समर्थकों में जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स आदि प्रमुख हैं जिनका मानना है कि धर्मयुक्त नैतिकता मनुष्य को परलोकवादी बनाती है जबकि नैतिकता इसी जगत से संबंधित है। किंतु केवल बुद्धि पर टिकी नैतिकता बड़े लालच एवं भय के समक्ष कमजोर सिद्ध होती है साथ ही इसमें व्यक्ति के विचलन का खतरा बना रहता है।

वहीं धार्मिक नैतिकता व्यक्ति के विचारों के स्तर पर ही नहीं बल्कि उसके मूल्यों एवं संस्कारों के स्तर पर कार्य करती है एवं इसमें विचलन का खतरा कम होता है।

किंतु धर्म नैतिकता को अनैतिक भी बना देता है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी अलौकिक सत्ता या अवस्था में आस्था रखता है एवं इसमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक (भक्ति), क्रियात्मक (पूजा-पाठ) तीनों पक्ष अनिवार्यतः शामिल होते हैं। उक्त पक्षों के माध्यम से धर्म नैतिकता को अनैतिक बना देता है (जैसे-धर्म के कारण वर्णव्यवस्था, कर्मकांड जैसे नकारात्मक तत्त्व प्रबल हो जाते हैं)।

इसके अतिरिक्त विभिन्न धर्मों से जुड़ी नैतिकता को भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग में लाया जाता है (उदाहरणस्वरूप, जैन धर्म में अहिंसा को मुख्य तौर पर नैतिक मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है वहीं कुछ धर्मों में बलि या कुर्बानी के रूप में जीव हत्या को स्वीकार किया जाता है)।

सारतः यह कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता कमज़ोर होती है, जबकि धार्मिक नैतिकता रूढ़ियों से ग्रस्त होती है। अतः आदर्श स्थिति यह होनी चाहिये कि नैतिकता में धर्म जैसी सुदृढ़ता हो किंतु कुरीतियाँ एवं रूढ़ियाँ अनुपस्थित हों।

प्रश्न: अभिरुचि को परिभाषित कीजिये। आपके अनुसार एक अच्छे सिविल सेवक में कौन-कौन सी अभिरुचियाँ होनी चाहिये?
(150 शब्द, 10 अंक)

Define aptitude. According to you, what types of aptitudes should be there in a good civil servant?

उत्तर: अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है। सामान्यता अभिरुचियाँ जन्मजात होतीं है लेकिन उन्हें अर्जित भी किया जा सकता है।

अपने कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिये एक अच्छे सिविल सेवक में निम्नलिखित अभिरुचियाँ होनी चाहिये-

- भाषा पर सूक्ष्म पकड़ अर्थात् जटिल कथनों का सटीक अर्थ समझने की क्षमता एवं कठिन बात को सरल तथा पारदर्शी भाषा में लिखने की क्षमता एक अच्छे सिविल सेवक के लिये आवश्यक है।
- उच्च तार्किक क्षमता।
- निर्णयन एवं समस्या समाधान की सटीक क्षमता।
- आधारभूत गणित तथा आँकड़ों को समझने की क्षमता।
- संचार तथा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल।
- अपने आस-पास तथा विश्व की घटनाओं और स्थितियों, समस्याओं को जानने तथा समझने की सामान्य आदत होनी चाहिये।

उपर्युक्त अभिरुचियों के अतिरिक्त विभिन्न नैतिक मूल्य यथा- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्त्तव्यपरायणता आदि भी एक अच्छे सिविल सेवक में होने चाहिये। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सिविल सेवा अभिरुचि एक व्यापक एवं गतिशील विचार है जो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों से जुड़ा रहता है।

प्रश्न: अभिवृत्ति का क्या अभिप्राय है? अस्पृश्यता, असहिष्णुता जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने में अभिवृत्ति परिवर्तन किस प्रकार सहायक है? **(150 शब्द, 10 अंक)**

What is the meaning of Attitude? How is attitudinal change helpful in dealing with social evils like untouchability and intolerance?

उत्तर: 'अभिवृत्ति' का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय (व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या जिसके बारे में भाव आ सके) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। (उदाहरण के लिये, वर्तमान भारत में पश्चिमी ज्ञान एवं संस्कृति हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई देती है।) साथ ही, अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति तीन पक्षों- संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एवं व्यवहारात्मक पक्ष की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है।

वर्तमान समाज कई विसंगतियों से युक्त है जिनकी जड़ें गहरे रूप में सामाजिक ताने-बाने में समाई हुई हैं (यथा- ऊँच-नीच की भावना, जात-पात की अवधारणा, अस्पृश्यता, असहिष्णुता आदि)। समाज से इन विभेदनकारी शक्तियों के प्रभाव को अभिवृत्ति परिवर्तन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।

लोग उक्त विसंगतियों के आदी हो चुके हैं। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक स्तर पर उन्हें सचेत करने का प्रयास किया जाना चाहिये, तत्पश्चात भावात्मक अपील के माध्यम से लोगों में इन विसंगतियों के प्रति नकारात्मक धारणा विकसित की जानी चाहिये। अंत में यह विश्वास विकसित करने के उपरांत कि वर्षों से चली आ रही ये विसंगतियाँ समाज के लिये घातक हैं, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अभिवृत्ति परिवर्तन की इस प्रक्रिया में अभिवृत्ति परिवर्तन के प्रमुख कारकों जैसे- संदर्भ समूह में परिवर्तन, बाध्यकारी संपर्क, अनुनयन। इन विसंगतियों के संदर्भ में समाज को अतिरिक्त सूचना परिचर्चा आदि के माध्यम से प्रदान करके उपयुक्त दिशा में अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है।

प्रश्न: शासन व्यवस्था में ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? वर्तमान संदर्भों में इसके अनुपालन में क्या कठिनाइयाँ हैं तथा इन पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है?

(150 शब्द, 10 अंक)

What do you mean by honesty in governance? In the current context, what are the difficulties in its compliance and how can they be overcome?

उत्तर: शासन व्यवस्था में ईमानदारी सरकार के औचित्य एवं चरित्र को स्पष्ट करती है। कल्याणकारी राज्य एवं प्रशासन की दक्षता हेतु शासन व्यवस्था में ईमानदारी के सद्गुण का होना आवश्यक है। (लोकसेवा में ईमानदारी का तात्पर्य है- लोकसेवक उच्चस्तरीय नैतिकता एवं आचरण का आदर्श प्रस्तुत करते हुए सत्यनिष्ठ होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें; वर्तमान में लोकसेवा में ईमानदारी का सद्गुण आधुनिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त है।)

शासन में ईमानदारी संस्थागत सामर्थ्य, उत्तरदायी व्यक्तियों के दृढ़ संकल्प तथा सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है किंतु वर्तमान में शासन में ईमानदारी का पालन कठिन होता जा रहा है। शासन में ईमानदारी के अनुपालन में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं-

- अनुशासन तथा कानून के प्रति सम्मान की भावना में कमी। (इस संदर्भ में गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक 'एशियन ड्रामा' में भारत को एक 'मृदु समाज' कहा।)
- व्यक्तिगत जीवन में विभिन्न समस्याओं की उपस्थिति।
- विभिन्न नैतिक प्रतिमानों के पालन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ।
- पूर्वाग्रह, भय, दबाव, प्रलोभन जैसे तत्त्वों का प्रभाव इत्यादि।
- लोग तथा उनके प्रतिनिधियों में नैतिकता के स्तर में आई गिरावट। (हालिया भ्रष्टाचार के बड़े मामले इस बात की पुष्टि करते हैं।)

उपरोक्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिये-

- उच्चकोटि की सत्यानिष्ठा ही सिविल सेवकों की प्रतिष्ठा का मूल आधार है, इस हेतु निजी जीवन एवं आचरण साफ-सुथरा रखने की दिशा में प्रयास करना चाहिये, जिससे जनता उन्हें एक अनुकरणीय नागरिक के रूप में देखे।
- कानून के प्रति सम्मान की भावना का विकास करते हुए संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिये।
- सार्वजनिक जीवन में लोकसेवकों को निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी तथा नेतृत्व जैसे सिद्धांतों का पालन करते हुए गोपनीयता (कुछ अपवादों को छोड़कर) तथा हितों के टकराव से बचना चाहिये।
- नागरिक सशक्तीकरण, न्याय की सहज उपलब्धता, समुदाय आधारित पुलिसिंग तथा पारदर्शी तंत्र की स्थापना के प्रयास होने चाहिये। साथ ही ईमानदार लोकसेवकों को पर्याप्त सुरक्षा (कानूनी एवं अन्य) मिलनी चाहिये।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि 'लोकसेवा में ईमानदारी' का गुण अत्यंत आवश्यक है इसलिये समाज तथा लोकसेवकों को ईमानदारी (Probity) को अपनी जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाना होगा, सशक्त विधियों का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा तथा 'लोकसेवा में ईमानदारी' के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति' को आत्मसात् करना होगा।

प्रश्न: महात्मा गांधी के नैतिकता के प्रतिमानों को बताते हुए इन प्रतिमानों की वर्तमान में आवश्यकता की चर्चा कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Describing the standards of Mahatma Gandhi's ethics, discuss the current need of those standards.

उत्तर: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में एवं लेखक के रूप में गांधी जी ने अनेक विषयों, यथा- राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं मानव जीवन आदि के नैतिक पहलुओं पर अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं। मानव के स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति एवं आनंदपूर्ण जीवन के लिये गांधी जी ने कुछ नैतिक प्रतिमानों को बताया है, जिसका वर्णन अग्रलिखित है-

- गांधी जी 'सत्य' को ही ईश्वर की संज्ञा देते थे एवं अपने आचरण में पूर्णतया 'सत्य' रूपी उच्च नैतिक मूल्यों को आत्मसात् करने की प्रेरणा देते हैं।
- 'अहिंसा' के माध्यम से ही सत्य की खोज की जा सकती है। वर्तमान में 'मॉब लिंचिंग' तथा धर्म एवं जातीय संघर्ष जैसी समस्याओं के समाधान हेतु अहिंसा जैसे नैतिक मूल्य सहायक हो सकते हैं।
- 'ब्रह्मचर्य' का पालन अर्थात् सभी इन्द्रियों पर संयम रखने के सद्गुण को उच्च नैतिक प्रतिमानों में सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में बढ़ते सामाजिक एवं आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने में यह महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- अस्वाद जैसे मूल्य से गांधी जी का अभिप्राय है कि भोजन केवल शरीर के पोषण के लिये हो स्वाद या भोग हेतु नहीं।

- अस्तेय (चोरी न करना या दूसरे की चीज़ उसकी इज़ाज़त के बिना न लेना) का पालन वर्तमान भ्रष्टाचार युक्त शासन व्यवस्था में सुधार हेतु अति आवश्यक है।
- अपरिग्रह (अत्यधिक संग्रह न करना) गांधी जी द्वारा संदर्भित आवश्यक मूल्य है जिससे सच्चा सुख, संतोष और सेवा-शक्ति में वृद्धि होती है।

स्पष्ट है कि गांधी जी के नैतिक दर्शन एवं सिद्धांत वर्तमान में न केवल प्रासंगिक हैं, अपितु अपरिहार्य भी हैं।

प्रश्न: जनसेवा के प्रति समर्पण एवं समानुभूति के सद्गुण लोकसेवा में क्यों आवश्यक हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

Why are the virtues of dedication and empathy important in public service? Explain with examples.

उत्तर: सिविल सेवा के कुछ आधारभूत मूल्य हैं, जो सिविल सेवा के मूल उद्देश्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जिनके अंतर्गत जनसेवा के प्रति समर्पण एवं समानुभूति भी सम्मिलित है। सिविल सेवकों को केवल निर्धारित मानदंडों एवं नियम-कानूनों का पालन करने के लिये नियुक्त नहीं किया जाता अपितु आम जनमानस के हित में कार्यों का संपादन भलीभाँति व सोच-समझकर करने के लिये किया जाता है।

लोकसेवा हेतु समर्पण भाव की गहरी आवश्कता होती है इससे सार्वजनिक प्रबंधनों में जनहित को सुनिश्चित किया जाता है। उदाहरणत: एक सिविल सेवक यदि अपने अंदर समर्पण की भावना का विकास करता है तो उसके अंदर समाज के प्रति वचनबद्धता, सकारात्मक दृष्टिकोण, जनमानस से हितकारक संबंध एवं आंतरिक प्रेरणा का उद्भव होता है। इसके परिणामस्वरूप अंतर्मन में उठे संवेगों के साथ साम्य बिठाते हुए वे विभिन्न कार्यों का ज़िम्मेदारीपूर्वक संपादन भी करते हैं।

समर्पण के साथ समानुभूति के सम्मिश्रण से लोकसेवा को बेहतर तरीके से संपादित किया जा सकता है। समानुभूति में संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक घटक पाए जाते हैं जिससे संवेदनशीलता के साथ जनहित को साधा जाता है, यथा- किसी आपदा के दौरान सिविल सेवक समानुभूति के साथ जनता की मदद के लिये उद्यत रहते हैं।

अत: स्पष्ट है कि जनसेवा के लिये उपर्युक्त दोनों सद्गुण आवश्यक प्रतीत होते हैं।

प्रश्न: वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What do each of the following quotations mean to you in the present context?

(a) "अविद्या बुद्धि को भ्रमित करती है, जबकि शिक्षा सच्ची आत्मा का ज्ञान कराती है।"-रवींद्रनाथ टैगोर
(150 शब्द, 10 अंक)

"Lack of knowledge confuses the intellect, while education provides the knowledge to the true soul."
— Rabindranath Tagore

(b) "प्रत्येक व्यक्ति का महत्त्व केवल एक व्यक्ति का महत्त्व है इससे अधिक नहीं।"- बेंथम (150 शब्द, 10 अंक)

"Everybody to count for one, nobody for more than one."
—Bentham

(c) "कर्त्तव्य के लिये कर्त्तव्य।" -कांट
(150 शब्द, 10 अंक)

"Duty for duty's sake." — Kant

उत्तर: (a) अविजेय आशावाद के प्रणेता, भारत के वैश्विक कवि एवं मानवतावादी दार्शनिक रवींद्रनाथ टैगोर का यह कथन भारतीय चिंतन परंपरा में ज्ञान एवं शिक्षा की महत्ता की सतत् अभिव्यक्ति है। कई शताब्दियों पूर्व अद्वैत वेदांत दार्शनिक शंकर ने भी ज्ञान को मोक्ष (आध्यात्मिक स्वतंत्रता) का माध्यम कहा। ऐसा ही भाव टैगोर की उपर्युक्त पंक्ति में भी है।

गुरुदेव टैगोर ने भारत की दासता का मूल कारक भारत की अविद्या को बताया था। भारतीयों की अविद्या ही विदेशियों के छल, प्रपंच तथा साम्राज्यवादी सोच को समझने में सबसे बड़ी बाधक रही। टैगोर जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अज्ञानता व्यक्ति के आत्मिक विकास, मानवीय चेतना, भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की सबसे बड़ी बाधा है जो मानव को उसके मानवत्व से वंचित करती है।

अविद्या के उपर्युक्त नकारात्मकताओं के आलोक में टैगोर जी ने 'शिक्षा को आत्मिक संतुष्टि का माध्यम' बताया है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व, मानवता जैसे मूल्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। अंतत: शिक्षा ही मानव का उसके मूल एवं शाश्वत तत्त्व (आत्मा) से साक्षात्कार कराती है।

अत: स्पष्ट है कि शिक्षा के उपरोक्त महत्त्व ने ही तर्कणा, मानवीय स्वतंत्रता एवं सर्वदेशियता के पुजारी टैगोर को विश्वभारती जैसे विश्वविद्यालय के स्थापना की प्रेरणा दी थी। वर्तमान संदर्भ में जब दुनिया 'सभ्यताओं के संघर्ष', धर्म के नाम पर फैले आतंकवाद, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे में शिक्षा की महत्ता तथा मूल्यात्मक शिक्षा से जुड़ा टैगोर का यह कथन बेहद प्रासंगिक है।

उत्तर: (b) बेंथम ने मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक सुखवाद को आधार बनाकर उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है जिसके अंतर्गत अधिकतम सुख की अवधारणा दी गई है। बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में न्याय के सिद्धांत को सम्मिलित किया है, उनका उपर्युक्त कथन इसी न्याय के सिद्धांत की ओर इंगित करता है।

इस कथन का तात्पर्य है कि किसी कार्य की उपयोगिता का निर्णय करने के लिये या अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की गणना के समय, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों को महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिये। यथा- किसी अमीर व्यक्ति के सुख को उतना ही ध्यान में रखा जाना चाहिये जितना कि एक गरीब के सुख को। अत: बेंथम का यह कथन समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों में 'सुख के न्यायपूर्ण वितरण' को सुनिश्चित करता है।

यद्यपि बेंथम के 'सुख के न्यायपूर्ण वितरण' से संबद्ध इस कथन की अपनी सीमा भी है क्योंकि न्यायपूर्ण वितरण हेतु सुख का मापन आवश्यक होता है किंतु सुख एक अनुभूति है, न कि कोई भौतिक वस्तु जिसका सहजता से मापन किया जा सके।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद भी बेंथम के इस कथन का महत्त्व इस बात में निहित है कि 'सुखों के न्यायपूर्ण वितरण' के आधार पर ही सही किंतु बेंथम ने इसमें 'समानता' के मूल्य को महत्त्व अवश्य दिया है। वर्तमान संदर्भ में जब सामाजिक न्याय की स्थापना सभी लोक-कल्याणकारी राज्यों का प्रमुख ध्येय है ऐसे में बेंथम का यह कथन न्याय के मूल्य की स्थापना हेतु अति प्रासंगिक है।

उत्तर: (c) कांट का नीतिशास्त्रीय सिद्धांत 'परिणाम निरपेक्षवादी' या 'नियमवादी' (Deontological) है। यह सिद्धांत कहता है कि हमें कोई कर्म इसलिये नही करना चाहिये कि उससे हमें सुख मिलता है बल्कि कर्म अपने आप में साध्य हैं इसलिये उसे कर्त्तव्य समझकर करना चाहिये। कांट का मत है, हमारी अंतरात्मा हमें 'निरपेक्ष आदेश' (नैतिक नियमों) के बारे में बताती है हमें उन आदेशों के पालन की प्रक्रिया में कर्म करना चाहिये फल जैसे विषयों पर सोचना भी अनैतिक है।

कांट के इस सिद्धांत के मूल में व्यक्ति के लिये कुछ कर्त्तव्यों का होना आवश्यक प्रतीत होता है जैसे- किसी के साथ हुए अन्याय को समाप्त करने की कोशिश करना, दूसरों की मदद करना, इत्यादि। कांट के अपने इस सिद्धांत से धर्म को नैतिकता से अलग करने का प्रयास किया जिससे धर्मनिरपेक्षता का मूल्य महत्त्व पा सके।

किसी फल की इच्छा से किया गया कार्य नैतिक दृष्टिकोण से कभी उचित नहीं माना जा सकता। कांट सुखवादियों की इस अवधारणा का घोर खंडन करते हैं कि सुख प्राप्ति एवं दु:ख निवारण के लिये कर्म करना चाहिये। कांट के अनुसार, कर्म करना हमारा धर्म है एवं निष्काम कर्म हमारा आदर्श है, इसलिये हमें परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिये।

कर्त्तव्य हेतु कांट ने 3 सूत्र भी दिये हैं यथा- प्रथम, व्यक्ति उसी सिद्धांत के अनुसार काम करे जिसकी इच्छा वह उसी समय सार्वभौम नियम बन जाने पर कर सकता हो। दूसरे, ऐसे कर्म करे कि मानवता सदैव साध्य बनी रहे एवं तीसरे, प्रत्येक व्यक्ति को साध्य मानने की बात की गई है, न कि साधन।

कांट के उक्त कथन की वर्तमान प्रासंगिकता इस बात में निहित है कि यह मानव को 'धर्मनिरपेक्षता' जैसे आधुनिक और उच्च नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। साथ ही वर्तमान में परिणाम के प्रति अति आसक्ति ने मानव जीवन में जो तनाव एवं अवसाद बढ़ाया है उससे भी मानव को बचाने में सहायक होगा।

प्रश्न: नैतिक दुविधा क्या है? प्रशासनिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ नैतिक दुविधाओं को बताएँ तथा इन दुविधाओं के समाधान का मार्ग भी सुझाएँ। (150 शब्द, 10 अंक)
What is an Ethical Dilemma? Mention some ethical dilemmas found in public administration and also suggest ways to address these dilemmas.

उत्तर: नैतिक दुविधा, ऐसी स्थिति है जहाँ निर्णयकर्त्ता नैतिकता को समझते हुए भी नैतिक निर्णय नहीं कर पाता। नैतिक दुविधा के समय निर्णय करने की अनिवार्यता के साथ-साथ उपलब्ध विकल्पों में जटिलता भी होती है, जिससे निर्णय के बाद नैतिक पक्ष का उल्लंघन होता है।

प्रशासनिक क्षेत्र में पाई जाने वाली नैतिक दुविधाएँ निम्नलिखित हैं-

- सिविल सेवा के मूल्यों में विद्यमान विरोधाभास, जैसे- पारदर्शिता बनाम गोपनीयता, सत्यनिष्ठा बनाम संवेदना, प्रतिबद्धता बनाम करुणा, दक्षता बनाम जवाबदेही आदि।
- पेशेवर नैतिकता बनाम पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा प्राप्त अन्यायपूर्ण आदेश।
- व्यक्तिगत मूल्य बनाम वरिष्ठों के निर्देश। इससे कभी-कभी अंत:करण का संकट भी उत्पन्न होता है।
- सहकर्मी के भ्रष्टाचार की शिकायत बनाम व्यक्तिगत संघर्ष।

इन दुविधाओं की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए इनके समाधान का निर्धारण करना पड़ता है। सामान्यत: निम्न उपायों के द्वारा हम इन नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकते हैं-

- सिविल सेवा के मूल्य में अंतर्विरोध उत्पन्न होने पर प्रशासनिक आचार संहिता हमारा मार्गदर्शन कर सकती है।
- प्रशासनिक नियमावली की स्पष्ट जानकारी भी नैतिक दुविधाओं की स्थिति में मार्गदर्शन करती है।
- विधिक पदसोपान की बेहतर समझ नैतिक दुविधाओं का समाधान कर सकती है (जैसे यह पदसोपान क्रम हो सकता है- संविधान → विधान → नियम → विनियम → वरिष्ठ एवं विश्वसनीय लोगों का परामर्श)।
- 'नैतिक पदानुक्रम का निर्धारण' व्यापक हित के सिद्धांत पर निर्धारित करके नैतिक दुविधाओं से बच सकते हैं (जैसे- राष्ट्रहित → समाजहित → परिवारहित → स्वहित)।

इस प्रकार नैतिक दुविधा प्रशासनिक क्षेत्र में कई रूपों में उपस्थित होती है तथा एकीकृत नैतिक मानदंडों के द्वारा ही इनका समाधान हो सकता है।

प्रश्न: प्रशासनिक नीतिशास्त्र क्या है? लोक प्रशासन में इसकी महत्ता को स्पष्ट करें। (150 शब्द, 10 अंक)
What is Administrative Ethics? Explain its importance in public administration.

उत्तर: 'प्रशासनिक नीतिशास्त्र' व्यावहारिक नीतिशास्त्र की वह शाखा है जिसमें लोक प्रशासन के लिये आवश्यक नैतिक मानदंडों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत लोक प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों की पेशेवर नैतिकता, व्यवहार एवं आचरण संबंधी विषय शामिल होते हैं।

'प्रशासनिक नीतिशास्त्र' लोक प्रशासन से संबद्ध मूल्यात्मक, मानकीय तथा व्यावहारिक सभी पक्षों का विश्लेषण करता है। 'प्रशासनिक नीतिशास्त्र' निम्नलिखित कारणों से लोक प्रशासन के लिये उपयोगी/महत्त्वपूर्ण है-

- यह लोक प्रशासन की संकल्पना, उद्देश्य तथा कार्य में सामंजस्य स्थापित करता है।
- लोक सेवकों के लिये उनके प्रशासकीय कार्यों हेतु नैतिक मार्गदर्शन का मूल स्रोत है, जिससे लोक प्रशासन का व्यावहारिक पक्ष नैतिक मूल्यों से संयुक्त होता है।
- प्रशासनिक नीतिशास्त्र नैतिक एवं संवैधानिक लक्ष्यों, जैसे- समानता, स्वतंत्रता, न्याय आदि की प्राप्ति के लिये आवश्यक है।

- प्रशासनिक नीतिशास्त्र लोक सेवकों को लोकहित से जोड़ता है, हित संघर्ष से बचने में सहायता करता है, जवाबदेह बनाता है तथा राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाता है।
- यह प्रशासनिक आचार संहिता एवं आचरण संहिता को आवश्यक आधार प्रदान करता है।

इस प्रकार 'प्रशासनिक नीतिशास्त्र' लोक प्रशासकों को अपने प्रशासकीय कर्त्तव्यों के अनुपालन की दिशा में सर्वोच्च नैतिक मानकों को अपनाने हेतु निर्देशित करता है।

प्रश्न: भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं? भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिकता में संबंध को स्पष्ट करते हुए इसकी आलोचना या सीमाओं का विश्लेषण करें।

(150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by emotional intelligence? While explaining the connection between emotional intelligence and ethics, analyze its criticism or limitations.

उत्तर: स्वयं व दूसरों की भावनाओं को समझना तथा उनका प्रबंधन करना 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' कहलाता है। वर्तमान पूंजीवाद व प्रतिस्पर्द्धा के युग में भावनात्मक बुद्धिमत्ता निजी और सार्वजनिक जीवन में 'सफलता की कुंजी' है।

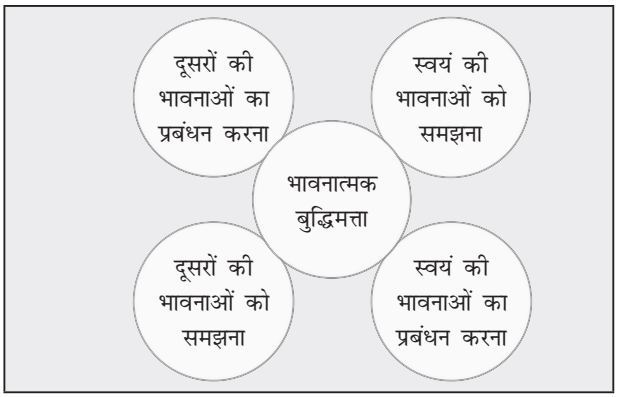

कोई भी शक्ति या क्षमता स्वयं में 'निर्नैतिक' होती है, यह प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इसका उपयोग किस संदर्भ में करता है। स्वयं की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझकर और उनका प्रबंधन करके इसका उपयोग स्वयं की 'निर्णयन कुशलता' को बढ़ाने में किया जा सकता है। तो वहीं दूसरों की भावनाओं को समझकर उनका प्रबंधन किया जा सकता है। किंतु दूसरों की भावनाओं को समझकर व उनका प्रबंधन करके 'अनैतिक कृत्यों' और उस व्यक्ति से लाभ उठाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जो सीधे तौर पर अनैतिक है। फलतः उस व्यक्ति की स्थिति 'साधन' या 'वस्तु' के समान हो जाएगी।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आलोचना या सीमाएँ

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का 'संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता' से कोई संबंध नहीं है। साथ ही, इसका मापन करना भी संभव नहीं है क्योंकि यह एक सटीक विज्ञान नहीं है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखने की प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है तथा कई विद्वान इसकी 'व्यावहारिकता' पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक तरह से पूर्व में ही चली आ रही 'सामाजिक बुद्धिमत्ता' एवं 'अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता' ही है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है, जो नैतिकता व मानवीयता की दृष्टि से उचित नहीं है।

समग्रतः उपर्युक्त सीमाओं या आलोचनाओं के बावजूद भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रासंगिकता व उपयोगिता है।

प्रश्न: प्लेटो के सद्गुण संबंधी विचारों को बताते हुए वर्तमान जीवन में इनकी उपयोगिता को सोदाहरण स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Explain Plato's thought on Virtue, illustrate their usefulness in the present life with examples.

उत्तर: प्रत्ययवादी चिंतक प्लेटो ने मानव के संतुलित एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिये नैतिकता को आवश्यक माना। नैतिकता की स्थापना के लिये प्लेटो ने अपने सद्गुण संबंधी विचार दिये।

प्लेटो ने अपने सद्गुण सिद्धांत में चार सद्गुणों की चर्चा की- विवेक, संयम, साहस तथा न्याय। प्लेटो ने 'न्याय' को सर्वोच्च सद्गुण बताते हुए यह भी कहा कि प्रथम तीन सद्गुणों के सामंजस्य एवं उचित अनुपात से ही सर्वोच्च सद्गुण अर्थात् न्याय उत्पन्न होता है। प्लेटो ने व्यक्ति एवं राज्य दोनों के लिये उपर्युक्त चारों सद्गुणों को आवश्यक माना। इस आवश्यकता के पीछे प्लेटो का तर्क था कि सद्गुणों से संबद्ध व्यक्ति ही विवेकपूर्ण आचरण करता है। साथ ही, सद्गुण से युक्त राज्य ही न्यायपूर्ण व्यवस्था का सर्जक हो सकता है।

उक्त विचारों की वर्तमान संदर्भ में अत्यधिक उपयोगिता है, यथा- राज्य का समुचित मार्गदर्शन करने, विभिन्न नीतियों को निर्धारित करने एवं लागू करने के संदर्भ में एक प्रशासक का विवेकशील होना आवश्यक है, तभी समावेशी एवं कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना संभव हो सकेगी। वहीं साहस जैसे सद्गुण के माध्यम से राज्य की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से निपटा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त संयम जैसे मूल्य शासक को व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित को उनका मुख्य ध्येय बनाने की तरफ अग्रसर करते हैं एवं यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना में भी सहायक है। साथ ही न्याय जैसे विचार वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना से संबंधित संवैधानिक लक्ष्यों को पूरा करने में शासन का मार्गदर्शन करते हैं।

सारतः यह कहा जा सकता है कि प्लेटो के सद्गुण संबंधी विचार आज भी अपनी जीवंतता एवं उपयोगिता को बनाए हुए हैं।

प्रश्न: नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा का प्रयोग कहाँ करना चाहिये, साथ ही अंतरात्मा का प्रयोग करते समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिये? विवेचना करें।

(150 शब्द, 10 अंक)

Where should we use conscience as a source of ethical guidance and what precautions should be exercised while using conscience? Discuss.

उत्तर: सामान्यत: लोक व्यवहार में व्यक्तियों के सम्मुख तथा प्रशासन में लोक सेवकों के समक्ष अपने कृत्यों को लेकर 'नैतिकता' और 'अनैतिकता' का प्रश्न प्राय: उत्पन्न होता है। तब इन परिस्थितियों में नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत निर्णयकर्त्ता के अंदर या बाहर हो सकता है। विधि, नियम तथा विनियम बाह्य स्रोत हैं जबकि अंतरात्मा आंतरिक स्रोत है। नैतिक मार्गदर्शन के रूप में 'अंतरात्मा का प्रयोग'-

- जहाँ कोई कानून, नियम या विनियम न हो अथवा कानून, नियम या विनियम तो हैं, परंतु उनमें स्पष्टता का अभाव है।
- जहाँ अधिकारी के पास स्पष्ट रूप से विवेकाधीन शक्ति है।
- जिस समस्या के लिये कोई पूर्व उदाहरण उपलब्ध न हो अथवा विरोधी किस्म के पूर्व उदाहरण मौजूद हों।
- कानून, नियम व विनियम संख्या में इतने अधिक हैं कि कोई भी उन सभी को पूरी तरह जानने का दावा नहीं कर सकता। इसीलिये व्यवहार में कई बार अंतरात्मा का प्रयोग किया जा सकता है।

'अंतरात्मा' का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिये-

- अधिकारी द्वारा विवेकीय क्षमता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिये, जिससे उसकी अंतरात्मा समुचित निर्णयों पर ही पहुँचे।
- नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों का यांत्रिक प्रयोग करने की बजाय उनके सार को समझे और उसी के अनुरूप निर्णय करे।
- अगर अंतरात्मा का निर्णय 'संभावना' के रूप में हो तो अन्य जानकारियाँ जुटाकर अंतरात्मा को निश्चितता के स्तर तक लाने का प्रयास करना चाहिये। अगर अन्य जानकारी का अवसर नहीं है या अभाव है तो बड़े फैसले करने से बचना चाहिये।

निष्कर्षत: अंतरात्मा के आधार पर निर्णय लेते समय अंतरात्मा के प्रयोग की उपयुक्तता तथा अंतरात्मा की निश्चितता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखकर 'नैतिक निर्णय' ले सकते हैं।

प्रश्न: "अगर व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व, जवाबदेही को समझता है तो वह अपने क्रियाकलापों में निश्चित रूप से उच्च नैतिक स्तर को भी बनाए रखता है।" उपर्युक्त कथन के संदर्भ में जवाबदेही, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन के आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"If a person understands his responsibilities and accountability, then he certainly maintains high ethical standards in his activities." Explain the relationship between accountability, responsibility and ethical rule in the context of the statement.

उत्तर: उत्तरदायित्व का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति है तो उस पर यह बाध्यता होनी चाहिये कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके, अर्थात् किसी विशेष परिस्थिति में उसने कौन-सा निर्णय लिया और क्यों? तो वहीं नैतिक शासन में सत्य, न्याय और ईमानदारी जैसे उच्च सार्वभौमिक मूल्य समाहित होते हैं तथा शुभ की प्राप्ति इसका लक्ष्य होता है।

वस्तुत: रोज़ेनब्लूम (Rosenbloom) और क्राव्चुक (Kravchuk) के अनुसार, नैतिकता को स्वयं अपनी जवाबदेही समझने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। प्रशासकों के लिये 'नैतिकता' की संकल्पना एक प्रकार से आंतरिक नियंत्रक का कार्य करती है जिससे प्रशासक अपनी जवाबदेही को समझते हुए उच्च नैतिक मानदंडों को अपनाता है।

वास्तव में नैतिकता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही का आपस में घनिष्ठ संबंध है। नैतिक शासन नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सही और गलत जैसे नैतिक मानदंडों पर अधिक बल देता है। अगर एक प्रशासक जवाबदेही, उत्तरदायित्व जैसे गुणों से युक्त होगा तो वह नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रयास करेगा और जनता की भागीदारी को प्रशासनिक कार्यों में बढ़ाने का प्रयास करता है। इस प्रकार शासन में नैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्षत: उत्तरदायित्व और नैतिक शासन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नज़र आते हैं और दोनों की प्राप्ति से शासन व्यवस्था में 'शुभ' की प्राप्ति तथा प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्यों को स्थापित करके नागरिकों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि की जा सकती है।

प्रश्न: वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

What do each of the following quotations mean to you in the present context?

(a) "ज़िंदगी नहीं, बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी को महत्त्व देना चाहिये।" - सुकरात (150 शब्द, 10 अंक)

"Not life, but good life, is to be chiefly valued." – Socrates

(b) "जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर हैं।" - विवेकानंद (150 शब्द, 10 अंक)

"The day you face no problems, you can be sure that you are on the wrong track." –Vivekananda

(c) "ऐसे जिएँ जैसे कि आपको कल मरना हो और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है।" -गांधी (150 शब्द, 10 अंक)

"Live as you have to die tomorrow and learn like you always have to live." –Gandhi

उत्तर: (a) मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और मनुष्य का जीवन पशुओं से इस संदर्भ में भिन्न होता है कि वह अपने आस-पास के परिवेश में परिवर्तन करना चाहता है। अब सवाल यह उठता है कि ज़िंदगी और एक अच्छी ज़िंदगी के मध्य क्या अंतर है? वस्तुत: अच्छी ज़िंदगी से तात्पर्य जीवन में लक्ष्य या उद्देश्य धारण करना, इच्छा पर विचारों का नियंत्रण, समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन इत्यादि से है।

सुकरात ने भी केवल ज़िंदगी अर्थात् जीवनयापन को महत्त्व न देकर एक अच्छी ज़िंदगी को महत्ता प्रदान की। परिणामस्वरूप, सुकरात आज भी नागरिकों के आदर्श और उनके विचार वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं।

अगर हम इस परिचर्चा में आगे बढ़ें तो अच्छी ज़िंदगी न केवल व्यक्ति के लिये बल्कि मानव सभ्यता के विकास में भी सहायक होती है। अच्छी ज़िंदगी से युक्त व्यक्ति नए-नए लक्ष्यों, जोखिम वहन की क्षमता से युक्त होकर समाज को नेतृत्व प्रदान करता है और एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाता है। जैसे कि मध्यकालीन भारतीय समाज जब विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक वैमनस्य, जातिवाद, धार्मिक कर्मकांडों इत्यादि में संलग्न था, तब इन परिस्थितियों में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संतों, यथा- कबीर, नानक, दादू, रैदास आदि ने स्वयं कष्ट सहकर भी सामाजिक रूढ़ियों पर कठोर चोट करके सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया।

उपर्युक्त कथन की वर्तमान में 'पर्यावरणीय नैतिकता' की दृष्टि से भी अत्यधिक प्रासंगिकता है। मनुष्य ने अपनी भोगवादी व स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया; इसी क्रम में विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं की आवृत्ति एवं मात्रा बढ़ती जा रही है जिन्होंने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। यह कथन वर्तमान में त्यागपूर्वक एवं संयमपूर्वक उपभोग, जीवन में संतुलन के महत्त्व इत्यादि को चरितार्थ करता है। जिससे मानव-प्रकृति संबंधों में संतुलन उत्पन्न हो सके।

उत्तर: (b) मनुष्य अपने जीवन में नित्य-प्रतिदिन नई-नई समस्याओं का सामना करता है। ये समस्याएँ उसे अपने पथ पर दिग्भ्रमित करने के लिये नहीं बल्कि लक्ष्य के प्रति अधिक दृढ़ता व मज़बूती प्रदान करती हैं।

उल्लेखनीय है कि व्यक्ति के समक्ष समस्याएँ तभी आती हैं, जब वह कोई 'कृत्य' कर रहा होता है अथवा अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर अग्रसर होता है। जहाँ सफलता के लिये धैर्य, लगन, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों की आवश्यकता होती है, वहीं कार्य में अत्यधिक जोखिम, रचनात्मकता तथा समाज से अलग हटकर कार्य करने से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे कि थॉमस अल्वा एडीसन बल्ब के आविष्कार के दौरान कई बार असफल हुए, तो इसी तरह राजा राममोहन राय को 19वीं सदी में भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता व सती प्रथा को समाप्त करने के क्रम में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा।

अगर व्यक्ति के समक्ष समस्याएँ नहीं आ रही हैं तो धीरे-धीरे उसकी स्थिति अकर्मण्यता के समान हो जाएगी। और यह भी स्वाभाविक है कि वह अपने कार्यों में कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहा है। फलतः उसकी सफलता बाधित होगी। व्यक्ति अपने जीवन में समस्याएँ आने के भय से जोखिम की क्षमता नहीं रखेगा तो उसकी स्थिति कूपमंडूक के समान हो जाएगी और वह आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। फलतः वह सफलता से उत्कृष्टता के बिंदु तक नहीं पहुँच पाएगा।

वस्तुतः मनुष्य के जीवन में समस्याएँ आने से वह निरंतर गतिशील एवं जीवंत बना रहता है और नए-नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। इसी कारण जे.एस. मिल ने कहा है, "एक संतुष्ट सूअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है।"

उत्तर: (c) उपर्युक्त कथन 'नव्यवेदांती दर्शन' के समर्थक और अपने व्यक्तिगत जीवन में सत्य, अहिंसा, सदाचार एवं करुणा जैसे मूल्यों को धारण करने वाले महात्मा गांधी का है।

अगर हम प्रश्न के प्रथम हिस्से अर्थात् ऐसे जिएँ जैसे कि आपको कल मरना है, की चर्चा करें तो हमें न तो भूतकाल की बातों या असफलता के प्रति ज़्यादा सोच-विचार करना चाहिये और न ही भविष्य के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। वस्तुतः इस जीवन के सफर में कभी-कभी असफलता और विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान होने से यह लग सकता है कि यह जीवन निरर्थक है। परंतु हमें सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीखने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखते हुए जीवन के प्रति जीवंतता, उत्साह बरकरार रखना चाहिये।

उल्लेखनीय है कि गांधीजी ने अपने जीवन में जीवन के प्रति उत्साह, जीवंतता तथा सीखने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए हुए रखा था। व्यक्तिगत जीवन में सीखने की प्रक्रिया का ही परिणाम है कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन चलाने के परिणामस्वरूप उन्होंने भारत में भी इसी पद्धति का अनुकरण करते हुए अंततः भारत को आज़ादी दिलाई।

इसके अतिरिक्त, सीखने की प्रक्रिया से मनुष्य की रचनात्मकता में वृद्धि होती है और यह रचनात्मकता अंततः नवाचार को बढ़ावा देती है। 'कार्ल मार्क्स' एवं अन्य विचारकों ने मनुष्य की रचनात्मकता को महत्त्वपूर्ण बताया है जो मानवीय सभ्यता के विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्तमान समय में प्रतिस्पर्द्धा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी के बढ़ते महत्त्व तथा मनुष्य की 'आत्मकेंद्रित' प्रवृत्ति के कारण व्यक्तियों में निरर्थकता बोध, अजनबीपन और अवसाद जैसी स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो जीवन में सीखने की प्रक्रिया को निरंतर बाधित एवं जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करती हैं। इस प्रकार वर्तमान संदर्भ में यह कथन अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है।

प्रश्न: निम्नलिखित मानवीय मूल्य किसी भी समाज के लिये महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं-

(a) विनम्रता

(b) दयालुता

(c) निष्कपटता

(d) उदारता

प्रश्न: मौलिक उदाहरणों द्वारा सार्वजनिक जीवन में उक्त मूल्यों की प्रासंगिकता का परीक्षण करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Following human values are considered important for any society:

(a) Humility

(b) Kindness

(c) Innocence

(d) Generosity

Discuss the relevance of the above-mentioned values in public life citing suitable examples.

उत्तर: (a) विनम्रता अच्छे व्यवहार या शिष्टाचार जैसे सद्गुण का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। यह सांस्कृतिक रूप से समाज से जुड़ा होता है। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के विनम्र व्यवहार का अत्यधिक महत्त्व है। विनम्रता व्यक्ति को अपने सहकर्मियों (वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं समकक्ष) तथा अन्य लोगों के बीच बेहतर सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायक होती है।

उत्तर: (b) दयालुता व्यक्ति के नैतिक व्यवहार के रूप में परिभाषित है। यह व्यक्ति के करुणा तथा सहानुभूति जैसे अच्छे स्वभावों को प्रदर्शित करती है। सार्वजनिक जीवन में लोगों के व्यवहार को दयालुता महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। एक अधिकार संपन्न व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह सुभेद्य तथा हाशिये पर पड़े लोगों के प्रति दया व करुणा का भाव रखे। दयालुता का गुण व्यक्ति के सार्वजनिक दायित्वों के निर्वाह में सहायक होता है।

उत्तर: (c) निष्कपटता से तात्पर्य है पाखंड रहित निश्छल व शुद्ध व्यवहार। निष्कपटता व्यक्ति के वास्तविक तथा कृत्रिमता रहित व्यवहार को दर्शाती है। निष्कपटता व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में वस्तुनिष्ठ रहते हुए तथा बिना किसी पूर्वाग्रह या दुराग्रह के कार्य करने की प्रेरणा देती है।

उत्तर: (d) उदारता व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके अंतर्गत वह अलग-अलग तथा नए विचारों को सुनने और उन्हें स्वीकारने को तैयार होता है। सार्वजनिक जीवन में उदारता के व्यवहार का अत्यधिक महत्त्व है। यह व्यक्ति को रूढ़ तथा स्टीरियोटाइप (Stereotype) होने से रोकती है। यह नए अनुप्रयोगों तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। उदारता व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में अनुकूलित करने में सहायक होती है।

प्रश्न: एक सिविल सेवक अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सामान्यत: किस प्रकार के नकारात्मक मनोभावों से ग्रसित हो सकता है? ऐसे मनोभावों को दूर करने हेतु उसे क्या उपाय करने चाहिये? (150 शब्द, 10 अंक)

What negative sentiments affect a civil servant in the discharge of his/her administrative responsibilities? What measures should he/she take to ward off such sentiments?

उत्तर: एक सिविल सेवक को अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। तथा सामान्यत: अपने पद व शक्ति के कारण भी सिविल सेवकों में अनेक नकारात्मक भाव विकसित हो जाते हैं। इसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-

- **निराशा व प्रेरणा का अभाव:** कई बार अच्छे कार्य करने के बावजूद आपको विरोधियों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निराशा का भाव जाग्रत होता है और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिये सिविल सेवा के मूल उद्देश्यों को याद करना चाहिये। जनसेवा स्वयं एक बड़ा पुरस्कार है और फिर यदि आप लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं तो धीरे-धीरे आलोचक भी आधार विहीन हो जाएंगे और उनकी आलोचनाओं का कोई महत्त्व नहीं रह जाएगा।
- **स्वार्थ व हित का संघर्ष:** अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग कर लोग अपने निजी हित साधने में लग जाते हैं। थॉमस हॉब्स के अनुसार, मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है, किंतु हमें अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को ईश्वर व समाज सेवा की ओर मोड़कर लोकोत्तर बनाने का प्रयास करना चाहिये।
- **पलायनवादिता:** कई बार कठिन परिस्थितियों में सिविल सेवकों द्वारा पलायनवाद का सहारा लिया जाता है। वे समस्याओं से भागने लगते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो मनुष्य की चुनौतियों से जूझने की क्षमता को कमज़ोर करती है। समस्याओं से भागना कोई समाधान नहीं है। अत: मनुष्य को धैर्य और साहसपूर्वक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिये। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण दोहन कर पाता है।
- **ईर्ष्या व पाखंड :** कई बार सिविल सेवकों में अपने सहकर्मी, वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारियों को लेकर निजी या अन्य कारणों से ईर्ष्या का भाव जाग्रत होता है और वे कई प्रकार की गुटबाज़ियों व पाखंड में लिप्त हो जाते हैं। इससे जनहित भी काफी दुष्प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये सिविल सेवकों को अपने संकीर्ण हितों तथा पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर व्यापक जनहित को ध्यान में रखना चाहिये।
- **घमंड:** अनेक स्थितियों में यह देखा गया है कि अधिकारियों को अपनी शक्ति तथा पद का अत्यधिक घमंड हो जाता है और वे इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। उन्हें यह समझना चाहिये कि यह शक्ति उन्हें जनहित के लिये प्राप्त हुई है। अत: अनावश्यक घमंड करना अनुचित है।

इसी प्रकार के कई अन्य नकारात्मक मनोभावों का सिविल सेवकों को समय-समय पर सामना करना पड़ता है। इनसे निपटने के लिये उन्हें जनसेवा को अपना धर्म व निष्काम कर्म को अपना कर्त्तव्य मानते हुए निरंतर अपनी सकारात्मक ऊर्जा व अभिप्रेरणा बनाए रखनी चाहिये।

प्रश्न: "सुकरात की दार्शनिक अभिरुचियाँ वैज्ञानिक प्रकृति की होने की बजाय नीतिपरक थीं।" सोदाहरण व्याख्या करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"Socrates philosophical interests were more ethical than scientific." Explain with examples.

उत्तर: पश्चिमी दर्शन-शास्त्रीय परंपरा में सुकरात पहले सुव्यवस्थित नैतिक विचारक माने जाते हैं। वे प्राचीन यूनान में एथेनियन गणराज्य के नागरिक थे। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत सुकरात की दार्शनिक अभिरुचियाँ वैज्ञानिक प्रकृति की होने की बजाय नीतिपरक थीं।

सुकरात को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि वे अंतरिक्षीय अटकलबाज़ी को छोड़कर दर्शन को आकाश से धरती पर अर्थात् वास्तविकता के धरातल पर लाए। सुकरात से पूर्व यूनानी दर्शन ब्रह्मांड

या सार्वभौम की प्रकृति तथा सभी वस्तुओं के सर्वोच्च सिद्धांत पर चिंतन के रूप में आरंभ हुआ था। सुकरात ने व्यावहारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जीवन के मानवीय संबंधों तथा अपनी विभिन्न भूमिकाओं में एक-दूसरे से व्यवहार करने के अनेक प्रकारों पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी सोच थी कि ये ही बातें ज्ञान के दायरे में आती हैं और ये जीवन को सही ढंग से चलाने में सक्षम हैं। इस अर्थ में वे एक व्यावहारिक नीतिशास्त्री थे।

सुकरात नैतिक सोच को अन्य के मुकाबले सर्वोपरि मानते हैं। उनके अनुसार मानव के लिये एकमात्र वांछनीय लक्ष्य है- सद्गुण, जो श्रेष्ठ एवं प्रशंसनीय है। उनके अनुसार कौशल किसी भी काम को सर्वोत्तम रूप से करना है। सद्व्यवहार की पूर्व शर्त ज्ञान है। अत: वे ज्ञान प्राप्ति को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने भोग-विलास, सम्मान और सांसारिक प्रगति की अपेक्षा आत्म-विकास व कर्त्तव्य के आनंद को पसंद किया है। सुकरात के अनुसार सद्गुणों को प्राप्त कर ही आत्मा को संपूर्ण किया जा सकता है और सद्गुण ही सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक हित या अच्छाई है।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सुकरात की दार्शनिक अभिरुचियाँ वैज्ञानिक प्रकृति की होने की बजाय नीतिपरक थीं।

प्रश्न: "सिद्धांत, एक ऐसा सामान्य कानून या नियम है जो व्यवहार या निर्णयों का मार्ग-निर्देशन करता है, जबकि मूल्य आदर्श नैतिक अवस्था की आकांक्षा को सुस्पष्ट करता है।"
दैनिक जीवन का उदाहरण लेते हुए 'नीति संहिता' (Code of Ethics) एवं 'आचरण संहिता' (Code of Conduct) के संदर्भ में उक्त कथन का विवेचन करें।
(150 शब्द, 10 अंक)
"Principles is one such general law or rule that guides behavior or decision-making, whereas ideal values clearly define the expectations of a moral state."
Examine the above statement in the light of 'code of ethics' and 'code of conduct' while giving examples from daily life.

उत्तर: नीति संहिता व आचरण संहिता को लेकर प्राय: भ्रांति की स्थिति रहती है। लोग आचरण संहिता और नीति संहिता को एक ही मानकर पर्याय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। परंतु दोनों में अंतर है और जेरेमी बेंथम का यह कथन इसी अंतर को स्पष्ट करता है। नीति संहिता में आमतौर पर सामान्य मूल्य होते हैं जबकि आचार संहिता स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को बताती है जो मूल्यों से प्राप्त होते हैं। मूल्य सामान्यत: नैतिक उत्तरदायित्व होते हैं, जबकि सिद्धांत वे अपेक्षित नैतिक शर्तें या व्यवहार होते हैं जो मूल्यों का अनुसरण करते हैं।

मूल्य, राजनीतिक व सामाजिक सोच के उन उच्च ध्येयों को बताते हैं जिन्हें समाज प्राप्त करना चाहता है। इसके विपरीत आचरण संहिता का संकेंद्रण सीमित है। आचरण संहिता वे विशिष्ट आचरण नियम हैं जो किसी संगठन के उच्चतर स्तर से लगाए गए होते हैं या किसी व्यवसाय की अनिवार्यताओं के तौर पर स्वेच्छा से अपना लिये जाते हैं। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं-

न्याय एक महत्त्वपूर्ण मूल्य माना जाता है लेकिन यह शब्द स्वयं में हमें नहीं बताता कि यदि हम अपनी मूल्य प्रणाली में इसे शामिल कर लें तो आचरण या समाज की अवस्था के लिये कौन-सा नियम अनुसरित होगा। हमें यह दिखाने के लिये कि कार्य का कौन-सा पैटर्न न्याय के मूल्य को स्थापित करेगा, आचरण में न्याय के स्पष्ट सिद्धांत को शामिल करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं नीति संहिता मूल्य को संदर्भित करती है और मूल्य साध्य है, तो आचरण संहिता उसे प्राप्त करने का साधन।

प्रश्न: 'व्यावसायिक आचरण संहिता' से आप क्या समझते हैं? हाल के दिनों में इसकी बढ़ती अवहेलना की सोदाहरण विवेचना करें। साथ ही, इसके प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक सुझावों की चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक)
What do you understand by 'professional code of conduct'? Examine with examples the increasing cases of its neglect observed in recent times. Discuss novel suggestions for effective observance of professional code of conduct.

उत्तर: 'व्यावसायिक आचरण संहिता' नियमों- विनियमों का वह समुच्चय होता है जो विभिन्न व्यवसायों और धंधों के करने वालों द्वारा स्वेच्छा से अपनाया जाता है। ये आचरण के ऐसे मानकों का निर्धारण करते हैं जिनका अनुसरण सभी सदस्यों द्वारा एक समान तथा स्वीकार्य गुणवत्ता वाली सेवा को सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है ताकि संबंधित व्यवसाय की प्रतिष्ठा व विश्वसनीयता बनी रहे। उदाहरण के लिये विभिन्न व्यवसाय, जैसे- नर्सिंग, डॉक्टरी, वकालत, लेखांकन, लेखापरीक्षण आदि की अपनी-अपनी व्यावसायिक आचरण संहिताएँ होती हैं।

हाल के दिनों में अपने संकीर्ण स्वार्थ के कारण व्यावसायिक आचरण संहिता की अत्यधिक अवहेलना देखने को मिलती है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरणों से समझ सकते हैं-

- डॉक्टरों द्वारा पैसों के लालच में न केवल अपने 'हिप्पोक्रेटिक वचन' को झुठला कर रोगी के इलाज से इनकार किया जाता है बल्कि कई बार वे अवैध अंग तस्करी जैसे अमानवीय कृत्यों में भी शामिल पाए जाते हैं।
- इसी प्रकार नर्सों द्वारा भी लोगों के स्वास्थ्य देखभाल से अधिक महत्त्व पैसों को दिया जाने लगा है।
- इंजीनियरों, वकीलों, लेखापरीक्षकों आदि द्वारा भी अपने व्यावसायिक आचरण से कहीं ज़्यादा महत्त्व अपने संकीर्ण निजी हितों को दिया जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

आचरण संहिता के प्रभावी अनुपालन के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रारंभिक दौर से ही लोगों को आचरण संहिता के दृढ़ अनुपालन के लिये प्रेरित करना।
- व्यावसायिक आचरण संहिता लोगों से नैतिक चेतना की अपील करती है। अत: इस संदर्भ में समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार आदि का आयोजन करना।

- व्यावसायिक आचरण संहिता के उल्लंघन में दोषसिद्ध व्यक्ति के लिये निश्चित सज़ा का प्रावधान।
- आचरण संहिता के अनुपालन को अभिप्रेरित करने के लिये पुरस्कार व दंड की नीति भी अपनाई जा सकती है।

प्रश्न: 'नागरिक अधिकार-पत्र' (Citizen Charter) से आप क्या समझते हैं? इसके मुख्य संघटकों की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करें कि किस प्रकार यह एक नागरिक केंद्रित तंत्र के निर्माण में सहायक है? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by 'Citizen Charter'? While discussing its main components make clear how it is helpful in creation of a citizen centric system?

उत्तर: नागरिक अधिकार-पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों/ग्राहकों तक सेवाओं, सूचनाओं, शिकायत निवारण आदि की व्यवस्थित पहुँच का प्रयास करता है। इसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये नागरिक संगठनों की अपेक्षाओं को भी शामिल किया गया है।

वर्ष 1991 में जॉन मेजर के नेतृत्व में ब्रिटेन में कंज़रवेटिव पार्टी नागरिक अधिकार-पत्र की शुरुआत करने वाली पहली सरकार थी। नागरिक अधिकार-पत्र लोगों के लिये सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा किया जा सके।

इसके मुख्य संघटकों में हम निम्नलिखित की चर्चा कर सकते हैं-

- **गुणवत्ता:** सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार का प्रयास करना।
- **चयन:** जहाँ भी संभव हो, चयन का विकल्प दिया जाए।
- **मानक/स्तर:** यह विनिर्दिष्ट करना कि किस स्तर के सेवा की आशा की जाए।
- **फीडबैक मैकेनिज़्म:** शिकायत या सुझाव तंत्र की सक्षम व्यवस्था।
- **पारदर्शिता:** नियमों, पद्धतियों, योजनाओं आदि में पारदर्शिता होना आवश्यक।
- **मॉनीटरिंग व आवधिक समीक्षा:** गहन मॉनीटरिंग व आवधिक समीक्षा सुधार की संभावना को बढ़ाता है।

आधुनिक समय में सरकार का मुख्य उद्देश्य जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है और सरकारी तंत्र में उपरोक्त तत्त्वों के समावेशन से सरकार एक उत्कृष्ट सेवा प्रदाता के रूप में परिणत होती है। गुणवत्ता युक्त सेवाओं की समय पर आपूर्ति तथा एक पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण से सरकारी तंत्र अधिकाधिक नागरिक केंद्रित हो पाता है।

प्रश्न: कांट का नैतिक दर्शन कठोर है तथा वह मानवीय प्रवृत्ति एवं कर्त्तव्यों के बीच लगातार संघर्ष को देखता है। टिप्पणी करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Kant's moral philosophy is rigid and sees a constant struggle between human nature and duties. Comment.

उत्तर: इम्मैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने कर्त्तव्य के विचार पर आधारित नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। कांट का नैतिक दर्शन कठोर है। उनका मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को स्वाभाविक 'निर्मल आत्माओं' से नहीं नवाज़ा है। कांट के अनुसार, आत्मा की अंत: अच्छाई पर ऐसा विश्वास करना कि जिसे न तो प्रेरणा की ज़रूरत होती है, न ही रोकने की और न ही किसी आदेश की, नितांत आत्म-श्लाघा (Perkiness) होगी और इस प्रकार अपने कर्त्तव्य को भूल जाना होगा। सही के लिये केवल भावना पर निर्भर रहना मानव नैतिकता को नष्ट कर देगा।

कांट के नैतिक कर्त्तव्य की संकल्पना काफी विस्तृत है: यह एक व्यक्ति की बुद्धिपरक सोच का परिणाम है। उनका मानना है कि मानव क्रियाकलाप के अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं, किंतु ये क्रियाकलाप के नैतिक मूल्य को निश्चित नहीं करते। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो कार्य अवांछित परिणाम देता है, नैतिक हो सकता है तथा जो कार्य अच्छे परिणाम देता है, वह अनैतिक हो सकता है। परिणामों का नैतिक उत्तरदायित्वों या कर्त्तव्य से इस प्रकार का सरोकार नहीं है कि वह अकेला ही यह निश्चित कर सकता है कि क्रियाकलाप नैतिक है या नहीं।

कांट के विचार में नैतिकता खुद ही अपना पुरस्कार है और प्रत्येक की ज़िम्मेदारी वह करने की है जो उसे करना चाहिये। कर्त्तव्य पालन का यह उत्तरदायित्व तब भी समाप्त नहीं हो जाता है, जब अन्य लोग सिद्धांत की अवज्ञा करें। अन्य लोगों द्वारा सिद्धांतों का जवाबी पालन न होने पर भी व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों से बंधा होता है।

अत: उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि कांट कर्त्तव्यों पर अत्यधिक बल देता है। कर्त्तव्य पर आधारित उसका नैतिक दर्शन अत्यधिक कठोर है जो मानव प्रवृत्ति से कर्त्तव्यों का निरंतर संघर्ष देखता है।

प्रश्न: रवींद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी दोनों महान सुधारक थे एवं टैगोर, गांधीजी की नेतृत्व क्षमता के बड़े प्रशंसक थे, तथापि कई मुद्दों पर टैगोर की गांधीजी से गंभीर मतभिन्नता थी। विश्लेषित करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi were great reformers. Tagore was a big admirer of Gandhiji's leadership though they had serious differences on certain issues. Analyze.

उत्तर: टैगोर और गांधी दोनों आधुनिक भारत के प्रमुख निर्माताओं में सम्मिलित हैं। दोनों महान सुधारक थे तथा एक-दूसरे से बहुत प्रभावित भी थे। गांधीजी टैगोर को महान चिंतक व शिक्षक मानते थे, उन्होंने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। टैगोर, गांधीजी की नेतृत्व क्षमता से बेहद प्रभावित थे तथा उन्होंने गांधीजी को महात्मा (महान आत्मा) कहा। इसके बावजूद भी गांधीजी तथा टैगोर में कई मुद्दों पर गंभीर मतभिन्नता थी, जिसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-

- टैगोर तर्क तथा औचित्य पर डटे रहने की ज़रूरत पर बल देते थे। गांधीजी ने 1934 के बिहार के भूकंप, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे, का उपयोग अपने अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिये किया। उन्होंने भूकंप को *"हमारे दोषों के लिये सज़ा देने हेतु भगवान द्वारा भेजा गया माना"* विशेष रूप से अस्पृश्यता के पाप के लिये। टैगोर ने इसका विरोध किया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया

और कहा कि यह एक अवैज्ञानिक तर्क है और इसे देश के एक बड़े वर्ग द्वारा हाथों-हाथ लिया जाता है।

- इसी प्रकार टैगोर गांधीजी की आर्थिक नीतियों से भी सहमत नहीं थे। टैगोर का विचार था कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने सामान्यत: कड़ी मानवीय मेहनत व निर्धनता को कम कर दिया है। टैगोर ने चरखा चलाने के आध्यात्मिक तर्क की निंदा की है।
- टैगोर और गांधी में आधुनिक औषधियों को लेकर भी मतभेद था। गांधीजी का इन औषधियों पर विश्वास नहीं था।

इसी प्रकार आधुनिकता के संदर्भ में कुछ अन्य मुद्दे भी थे जिन पर दोनों में मतभिन्नता थी तथापि ऐसे मतभेदों को भिन्न वैश्विक विचारों से उत्पन्न माना जाना चाहिये।

प्रश्न: "सर्वोत्तम (लोग) कोई दृढ़ धारणा नहीं होती, जबकि बुरे (लोग) मनोवेगी प्रबलता से भरे होते हैं।" सिविल सेवकों में 'आशावादिता' एवं 'साहस' जैसे मूल्यों की उपयोगिता के संदर्भ में उक्त कथन की सोदाहरण व्याख्या करें।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Best (people) have no firm commitment while evil (people) are driven by passion." Discuss the above statement with examples in context of utility of values like 'optimism' and 'courage' for civil servants.

उत्तर: डब्ल्यू. बी. यीट्स का यह कथन सज्जन व उत्कृष्ट लोगों की लोचशीलता को दर्शाता है। सज्जन व्यक्ति किसी दृढ़ मान्यता के प्रति पूर्णत: आशक्त नहीं होते हैं। वे लकीर के फकीर नहीं होते बल्कि उनमें बदलती परिस्थिति के अनुरूप ढलने की क्षमता होती है और वे अलग-अलग परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

सिविल सेवकों के लिये लोचशीलता जैसे मूल्यों की प्रासंगिकता अत्यधिक होती है। चूँकि, लोक सेवा में नैतिक व प्रशासनिक प्राथमिकताएँ सामान्य सिद्धांतों की अपेक्षा विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग होती हैं। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करने के लिये लोक सेवकों में पर्याप्त लोचशीलता होना अपेक्षित है।

इसी प्रकार लोक सेवकों में आशावादिता, साहस, दयालुता तथा निष्पक्षता जैसे गुण भी अपेक्षित होते हैं। कई बार प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिये अधिकारी द्वारा नई पहल की शुरुआत की जाती है परंतु उसे काफी विरोधों का सामना करना पड़ता है और सर्वाधिक विरोध संगठन के भीतर से ही होता है। चूँकि, अधिकांश कार्यालय परंपरागत रूढ़िवादी और सुस्त होते हैं, जो बदलावों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में लोक सेवकों का आशावादी होना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार, लोक सेवकों को अनैतिक व गैर-कानूनी दबावों का मज़बूती से सामना करने के लिये साहसी होना भी ज़रूरी है। फिर जनकल्याण के लिये लोक सेवकों को कानूनी सीमा में रहते हुए गरीब व कतार के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिये दयालुता के गुण से भी युक्त होना चाहिये क्योंकि कई बार कानूनी जटिलताओं के कारण पात्र लाभार्थी को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है।

प्रश्न: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्रियों के लिये निर्धारित नैतिक संहिता में किन नीतियों एवं सिद्धांतों को शामिल किया है, मंत्री-सिविल सेवक संबंधों को यह किस प्रकार दिशा प्रदान करेगी? (150 शब्द, 10 अंक)

Which policies and principles have been included in the moral code of conduct for ministers by the 2nd ARC. How will this give direction to Minister-Civil Servant relations?

उत्तर: वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। आयोग ने मंत्रियों के लिये नैतिक संहिता में निम्नलिखित तत्त्वों को शामिल किये जाने की सिफारिशें की-

- मंत्रियों को सर्वोच्च नैतिक मानक बनाए रखना चाहिये।
- मंत्रियों को सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करना चाहिये।
- मंत्रियों को सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके सार्वजनिक दायित्वों और निजी हितों के बीच कोई टकराव न हो या होता हुआ प्रतीत न हो।
- लोकसभा में मंत्रियों को मंत्री के तौर पर तथा चुनाव क्षेत्र के सदस्य के रूप में अपनी भूमिकाओं को अलग-अलग रखना चाहिये।
- मंत्रियों को अपने दल या राजनीतिक प्रयोजनों के लिये सरकारी साधनों का उपयोग नहीं करना चाहिये।
- मंत्रियों को सुनिश्चित करना चाहिये कि सरकारी निधियों का उपयोग सर्वाधिक किफायत व सावधानी से किया जाए।
- मंत्रियों पर अपने विभागों तथा एजेंसियों की नीतियों, निर्णयों और कार्यों का हिसाब संसद/विधानमंडल को देने का उत्तरदायित्व होता है। अत: मंत्रियों को अपने कार्यों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिये।
- मंत्रियों को अपने द्वारा लिये गए निर्णयों का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिये और इसे गलत सलाह के नाम पर टालना नहीं चाहिये।
- मंत्रियों को सिविल सेवा की राजनीतिक निष्पक्षता को ऊपर रखना चाहिये तथा सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार काम करने के लिये नहीं कहना चाहिये जिनसे सरकारी कर्मचारियों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ टकराव हो।

उपरोक्त निर्देश मंत्री व सिविल सेवकों के संबंधों को दिशा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारा संविधान सिविल सेवकों के 'अनायिता के सिद्धांत' पर आधारित है अर्थात् सिविल सेवकों के कार्यों का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर होगा परंतु मंत्रियों द्वारा सफल कार्यों का श्रेय तो लिया जाता है लेकिन असफल कार्यों का उत्तरदायित्व सिविल सेवकों पर डाल दिया जाता है। इससे कई बार सिविल सेवक अच्छे कार्यों तथा नीतियों के अनुपालन से भी पीछे हटते हैं और एक प्रकार से 'पॉलिसी पैरालिसिस' (Policy Paralysis) की स्थिति उत्पन्न होती है। ये निर्देश इन समस्याओं के समाधान में बहुत हद तक सहायक हो सकते हैं और मंत्री तथा सिविल सेवकों के संबंधों को देश हित में सहयोगी बनाने में सफल होंगे।

प्रश्न: 'भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन' से क्या अभिप्राय है? भ्रष्टाचार जोखिम को उत्पन्न करने वाले राजनीतिक-प्रशासनिक कारकों की चर्चा करें एवं इसके प्रभावी प्रबंधन की रणनीति बताएँ। (150 शब्द, 10 अंक)

What is meant by 'Corruption Risk Management'? Discuss the politico-administrative factors responsible for creating the corruptions risk and suggest strategy for effectively handling it.

उत्तर: सामान्यत: भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है- किसी संगठन में भ्रष्टाचार की संभावना को न्यून करना या समाप्त करने का प्रयास करना।

सरकारी विभागों व संगठनों में भ्रष्टाचार जोखिम को उत्पन्न करने वाले कई राजनीतिक व प्रशासनिक कारक हैं जिन्हें हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-

राजनीतिक कारक

- चुनावों में अत्यधिक गैर-कानूनी खर्च भ्रष्टाचार जोखिम को अत्यधिक बढ़ाता है।
- राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण भी भ्रष्टाचार जोखिम को बढ़ाता है।
- राजनीतिक चंदों का दुरुपयोग तथा राजनीतिक दलों का आर.टी.आई (RTI) कानून के दायरे से बाहर होना।
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव।

प्रशासनिक कारक

- नियमों की जटिलता व अस्पष्टता।
- अधिकारियों के पास अधिकाधिक विवेकाधीन शक्तियाँ।
- "सरकारी गोपनीयता अधिनियम" का दुरुपयोग।
- अधिकारियों पर किसी कार्य की निश्चित जवाबदेही व ज़िम्मेदारियों का अभाव।
- सेवाओं को पूरा करने के लिये निश्चित समय-सीमा का अभाव।
- सरकार अनेक क्षेत्रों में एकमात्र सेवा प्रदाता है। इसके कारण कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं है, उपभोक्ताओं के लिये कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस कारण सरकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं जो भ्रष्टाचार के बढ़ने का एक प्रमुख कारक है।

भ्रष्टाचार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- चुनावी खर्च के संबंध में महत्त्वपूर्ण सुधार किये जाने आवश्यक हैं। इस दिशा में राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण किया जा सकता है। हाल ही में सरकार द्वारा 'इलेक्टोरल बॉण्ड' की व्यवस्था बजट में की गई जो एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।
- राजनीतिक दलों को आर.टी.आई. कानून के दायरे में लाया जाना चाहिये। यह राजनीतिक दलों की आंतरिक अनियमितताओं को दूर करने में सहायक होगा।
- जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की तीव्र सुनवाई के लिये विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों की व्यवस्था की जा सकती है।
- स्व-विवेकी निर्णयों को कम किया जाए। कानूनों की स्पष्ट चर्चा की जाए तथा पद्धतियों को सरल किया जाए। इसके लिये 'सिंगल विंडों क्लीयरेंस' या 'वन-स्टॉप सर्विस सेंटर' महत्त्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं।
- सेवाओं की आपूर्ति की एक निश्चित समय-सीमा तय की जानी चाहिये। इस दिशा में लोक सेवा अधिकार कानून एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
- शासन की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिये आई.सी.टी. (ICT) तकनीक का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है।
- उन कार्यालयों में जहाँ जनता का 'इंटरेक्शन' (Interaction) ज़्यादा होता है, वहाँ एक बेहतर 'फीडबैक मैकनिज़्म' की व्यवस्था की जानी चाहिये।

प्रश्न: क्या आप मानते हैं कि 'सरकारी गोपनीयता अधिनियम' सूचना के अधिकार अधिनियम के मौलिक लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोधक है? विभिन्न आयोगों एवं समूहों के मंतव्यों के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दें। (150 शब्द, 10 अंक)

Do you think that 'Official Secrets Act' is a hindrance in achieving the fundamental aims of Right to Information? Justify your answer citing recommendations of various committees and commissions.

उत्तर: सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में 'सूचना का अधिकार' कानून बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सूचना के अधिकार को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार माना है। वस्तुत: अनुच्छेद 19 के तहत बोलने के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार सम्मिलित है। इसी निर्णय के आलोक में संसद द्वारा भी व्यावहारिक कानून के निर्माण को आवश्यक समझा गया, जिसका उपयोग कर नागरिक सरकारी प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त कर सकें, जिससे कि सरकारी एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिल सके।

यद्यपि सूचना के अधिकार कानून ने सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को बहुत हद तक बढ़ाया है। लोगों की पहुँच कई सरकारी दस्तावेज़ों तक हुई जिससे सरकारी कार्य प्रणाली के संबंध में लोगों की जानकारी बढ़ी तथा भ्रष्टाचार पर भी कुछ हद तक नियंत्रण हुआ। तथापि आज भी 'सरकारी गोपनीयता अधिनियम' (OSA) के नाम पर कई महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती हैं।

सूचना के अधिकार से संबंधित अनेक कार्यकर्त्ताओं ने समय-समय पर ओ.एस.ए. (OSA) को समाप्त किये जाने अथवा उसमें भारी बदलाव किये जाने की मांग की है। इतना ही नहीं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ओ.एस.ओ. को निरस्त करने का सुझाव दिया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में जासूसी के लिये अलग प्रावधान किये जाने की सिफारिश

की। आगे मंत्रियों के एक समूह ने कई सिफारिशों को स्वीकृति दी तथापि ओ.एस.ए (OSA) को निरस्त करने को अस्वीकार कर दिया गया।

- सरकार का मानना है कि ओ.एस.ए. आवश्यक है और इसके प्रावधानों का कोई विशेष दुरुपयोग नहीं हुआ है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार देश की सुरक्षा के लिये ओ.एस.ए को ज़रूरी समझती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहतर यह होगा कि सरकार एक समिति का निर्माण करे, जिसमें सभी संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व हो और वह ओ.एस.ए. (OSA) की आवश्यकता तथा इसमें अपेक्षित बदलावों की सिफारिश करे और सरकार को उस अनुरूप कार्य करना चाहिये।

प्रश्न: सिविल सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण करें। (150 शब्द, 10 अंक)

(a) दृढ़-संकल्प

(b) साहस

(c) विषयनिष्ठता/वस्तुनिष्ठता

(d) लचीलापन

Examine the relevance of the following in context of the civil services:

(a) Determination

(b) Courage

(c) Objectivity

(d) Flexibility

उत्तर: (a) प्रतिकूल परिस्थितियों में कठिन कार्य को करने की इच्छाशक्ति का प्रयोग ही 'दृढ़-संकल्प' है। दृढ़-संकल्पित व्यक्ति अपनी ऊर्जा और प्रयासों को जिस किसी कार्य पर केंद्रित करते हैं उसे पूरा करने के लिये तब तक प्रयासरत रहते हैं, जब तक कि वह कार्य संपन्न नहीं हो जाता है।

सिविल सेवकों को कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है जहाँ कार्य की सफलता काफी संदिग्ध होती है और अपेक्षित परिणाम के लिये निरंतर प्रयास किये जाने की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों में दृढ़-संकल्प सिविल सेवकों के लिये एक वांछित गुण है।

उत्तर: (b) 'साहस' व्यक्ति को डर का सामना करने में सक्षम बनाता है। मुश्किल व कठिन परिस्थितियों में भी सही कार्य करने व उचित निर्णय लेने की क्षमता ही साहस है। सिविल सेवकों के लिये साहस सर्वाधिक वांछित गुणों में से एक है क्योंकि साहस विपरीत परिस्थितियों में सही कार्य करने, जनहित में नए अभिनव प्रयास करने तथा अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने की क्षमता प्रदान करता है।

उत्तर: (c) सामान्य अर्थ में 'वस्तुनिष्ठता' से तात्पर्य है व्यक्ति का तथ्यात्मक व तार्किक होना। यदि कोई व्यक्ति वस्तुनिष्ठ है तो वह किसी विषय पर निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होगा जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल हैं, जैसे- विचारधाराएँ, कल्पनाएँ, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएँ, मान्यताएँ आदि। वस्तुनिष्ठ व्यक्ति अपने निर्णय के मूल में केवल उन आधारों को रखेगा जो तथ्यात्मक होंगे तथा जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति मानने को बाध्य होगा।

वस्तुनिष्ठता सिविल सेवकों को जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र, विश्वास, मान्यता व परंपरा आदि के पूर्वाग्रह से बाहर निकल कर सबकी समान रूप से सेवा के लिये प्रेरित करेगा।

उत्तर: (d) परिवर्तन व बदलाव के प्रति खुला होना ही 'लचीलापन' है। लचीलापन आपको दूसरों के विचारों व भावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। यह आपको कार्यों को नए तरीकों से करने तथा रचनात्मकता का नया मार्ग उपलब्ध करवाता है।

सिविल सेवकों को नए विचारों, प्रक्रियाओं, नीतियों आदि के साथ सामंजस्य बिठाने में लचीलापन का गुण सहायक होता है। यह सिविल सेवकों को नवाचारी व 'ओपन माइंडेड' बनाता है।

प्रश्न: भावनात्मक भूख से आप क्या समझते हैं? यह प्रेम से किस प्रकार भिन्न है? वर्तमान समय में समाज में भावनात्मक भूख के बढ़ने के कारणों की जाँच करें। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by 'Emotional Hunger'? How is it different from 'Love'? Examine the reasons behind the increasing emotional hunger in the society at present.

उत्तर: भावनात्मक भूख व्यक्ति की ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को प्रबल भावनात्मक सहयोग व समर्थन की ज़रूरत होती है। भावनात्मक भूख के कई कारण हो सकते हैं, जैसे-बचपन में भावनात्मक सहयोग व समर्थन का अभाव, सामाजिक संपर्कों से अलगाव, किसी से बिछड़ने का दर्द अथवा अलगाव की लंबी अवधि आदि। प्रायः लोग भावनात्मक भूख तथा प्रेम को समानार्थी समझने की भूल करते हैं, परंतु दोनों में काफी अंतर है जिसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-

- प्रेम में व्यक्ति अपने साथी की भावनाओं का समर्थन करता है और उसके व्यक्तित्व को निखारने में सहायता करता है। जबकि भावनात्मक भूख में व्यक्ति का पूरा संकेंद्रण स्वयं पर होता है और उसे साथी की भावनाओं से कोई लेना-देना नहीं होता है।
- भावनात्मक भूख व्यक्ति की भावनात्मक इच्छाओं के दमन के कारण उत्पन्न होती है, जबकि प्रेम एक प्राकृतिक व नैसर्गिक इच्छा है।
- भावनात्मक भूख के परिणाम रचनात्मक व विध्वंसात्मक दोनों हो सकते हैं, जबकि प्रेम रचनात्मक परिणाम देने वाला होता है।
- भावनात्मक भूख लोगों को 'ओवरप्रोटेक्टिव' तथा 'तुनक मिज़ाज' (Touchy) बनाती है, जबकि प्रेम दूसरे की भावनाओं व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझते हुए उसे 'पर्सनल स्पेस' प्रदान करता है।

समाजशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान में समाज में भावनात्मक भूख पहले की तुलना में बढ़ी है। इसके कारणों में हम निम्नलिखित की गणना कर सकते हैं-

- वर्तमान उपभोक्तावादी समय में व्यक्ति-से-व्यक्ति का भावनात्मक लगाव कम हुआ है और मानवीय मूल्यों का पतन हुआ जिसने भावनात्मक बिलगाव की स्थिति उत्पन्न की है।

- न्यूक्लियर फैमिली के विस्तार व माता-पिता दोनों के 'वर्किंग' होने के कारण बच्चों को पर्याप्त समय व भावनात्मक सहयोग व समर्थन न मिल पाने के कारण।
- तकनीकी पर अत्यधिक निर्भरता ने भी लोगों के सामाजिक जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न की है जिससे उनमें एक प्रकार से भावनात्मक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई है।
- गला-काट प्रतियोगिता, मानवीय व सामाजिक मूल्यों का पतन आदि अनेक कारणों ने लोगों को भावनात्मक रूप से एकाकी बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप भी लोगों में भावनात्मक भूख बढ़ी है।

प्रश्न: "एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं"- महात्मा गांधी। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
"In a gentle way, you can shake the world"-Mahatma Gandhi. Analyse.

उत्तर: गांधी जी का उपरोक्त कथन मानव जीवन में विनम्रता के महत्त्व को दर्शाता है। गांधी जी अपने समय के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में लोगों के दिलो-दिमाग पर अधिक ताकत से राज करते थे, परंतु यह ताकत हथियारों की शक्ति या आतंक व हिंसा द्वारा अर्जित नहीं थी बल्कि इसका आधार सत्य, अहिंसा, न्याय, स्नेह व प्रेम आधारित विनम्र अपील थी।

तत्कालीन समय में यदि ब्रिटिश सत्ता से लोहा लेना और देश को स्वतंत्र कराने का विचार एक दिवास्वप्न से वास्तविकता में परिणत होता दिखता है तो इसके मूल में गांधी जी की यही विनम्र अपील थी। वे इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि ब्रिटिश शक्ति को हिंसा या ताकत से चुनौती नहीं दी जा सकती है और फिर इस प्रकार के हिंसक शक्ति प्रदर्शन के लिये वे न तो साधारण भारतीय नागरिक को तैयार कर सकते हैं और न ही इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों के लिये वे वैश्विक समर्थन प्राप्त कर सकते थे। साथ ही इससे ब्रिटिश सत्ता की प्रतिक्रियावादी हिंसक कार्यवाहियों को झेलने का भी खतरा रहता।

यह गांधी जी का अहिंसा पर आधारित विनम्र प्रयास ही था जिसने विरोधियों को भी उनका मुरीद बना दिया। इतना ही नहीं वर्तमान विश्व में भी सर्वाधिक प्रचलित व प्रभावी 'सॉफ्ट पावर' की नीति का मूल आधार भी विनम्र अपील ही है।

प्रश्न: मूल्य से आप क्या समझते हैं? अभिवृत्ति तथा मूल्य के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए यह दर्शाएँ कि मूल्य किस प्रकार अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
What do you mean by Values? Elucidating the relationship between attitudes and values show how values influence attitudes?

उत्तर: मूल्य किसी समाज या संगठन के उस उच्चतम स्तर को दर्शाता है जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रमुख लक्ष्य होता है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ बहुत गहराई से जुड़ा होता है। यह हमारे जीवन के उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के साधनों को परिभाषित करता है। हमारे जीवन की जितनी भी उद्देश्यपूर्ण गतिविधियाँ होती हैं वे सभी मूल्यों से ही जुड़ी होती हैं।

व्यक्ति के आचरण अथवा व्यवहार पर अभिवृत्ति तथा मूल्य दोनों का प्रभाव पड़ता है और वे दोनों व्यक्ति के अर्जित गुण हैं तथा दोनों में भावनात्मक पक्ष प्रधान होता है। तथापि दोनों में कई मूलभूत अंतर हैं जिन्हें हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-

- अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य अधिक स्थिर होता है, परिणामस्वरूप मूल्य में परिवर्तन अपेक्षाकृत कठिन होता है।
- अभिवृत्ति की तुलना में मूल्य में भावनात्मक पक्ष अधिक प्रबल होता है।
- मूल्य में पहचान अथवा आत्मीकरण की प्रधानता होती है लेकिन अभिवृत्ति में नहीं।
- अभिवृत्ति के निर्माण पर मूल्य का निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसे हम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि मूल्यों के प्रभाव से निर्मित अभिवृत्ति के संदर्भ में समझ सकते हैं। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण से अधिक स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं।
- मान लीजिये किसी समाज का धार्मिक मूल्य पशु की सेवा से जुड़ा है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उस समाज के लोगों में पशु हिंसा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होगा।

प्रश्न: स्वामी विवेकानंद के 'दरिद्र नारायण' के सिद्धांत की संक्षिप्त चर्चा करते हुए इसके नैतिक महत्त्व को दर्शाएँ। (150 शब्द, 10 अंक)
Discuss the concept of 'Daridra Narayana' ('God in the poor and the lowly') as propounded by Swami Vivekananda and highlight its ethical importance.

उत्तर: दरिद्र नारायण सिद्धांत का प्रतिपादन स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने गरीबों व निशक्तजनों की सेवा को ईश्वर की सेवा व धार्मिक पुण्य कार्य के समान महत्त्वपूर्ण माना। स्वामी जी ने देश भ्रमण के क्रम में समाज के गरीब व अभावजन्य लोगों की पीड़ा को अनुभव किया और उनकी सेवा को सर्वाधिक महत्त्व दिया।

दरिद्र नारायण का यह सिद्धांत समाज के गरीब, निशक्त तथा हाशिये पर पड़े लोगों के दुख निवारण का प्रयास है। यह निःस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कार्य को प्रेरित करता है।

वर्तमान में जब सामाजिक असमानता पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। सामाजिक न्याय स्थापित करने में स्वामी विवेकानंद के इस सिद्धांत का महत्त्व और अधिक बढ़ जाता है। "एकमात्र ईश्वर जिसका अस्तित्व है, एकमात्र ईश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वह दीन-हीन व दुखी लोगों में निवास करता है और इनकी सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है।" स्वामी जी का यह कथन वर्तमान उपभोक्तावादी व व्यक्तिवादी युग में मानवता के नैतिक कर्त्तव्यों के प्रति पथ-प्रदर्शक के समान है।

स्वामी जी के इस सिद्धांत का महत्त्व इस बात में भी है कि इससे प्रेरणा प्राप्त कर कई राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ (NGO) व अन्य संगठन निःस्वार्थ भाव से गरीब व लाचार लोगों के कल्याण से जुड़े हुए हैं।

स्वामी जी के 'दरिद्र नारायण' सिद्धांत का महत्त्व परवर्ती काल के कई महान समाज सेवक व नैतिक विचारकों ने भी स्वीकारा। इनमें हम महात्मा गांधी व मदर टेरेसा का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं।

प्रश्न: "आप आज टाल-मटोल करके कल की ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं।" अब्राहम लिंकन के इस कथन की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today." Comment on the relevance of Abraham Lincoln's statement.

उत्तर: अब्राहम लिंकन का यह कथन पलायनवादिता को संदर्भित करता है। जो लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं उनको संदर्भित करते हुए लिंकन का कहना है कि भले ही वे आज अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हों परंतु वे इससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि भविष्य में यह समस्या और विकट रूप में सामने आएगी।

लिंकन का यह कथन मानव इतिहास के हर युग में प्रासंगिक है क्योंकि पलायनवादिता कभी भी समस्याओं के समाधान का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं-

मनुष्य द्वारा लंबे समय से पर्यावरण संबंधी समस्याओं की अनदेखी की गई और आज इस समस्या ने वह विकराल रूप धारण कर लिया कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

पलायनवादिता जीवन के छोटे-बड़े किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रभावी या बेहतर विकल्प नहीं हो सकती है। यह महज़ क्षणिक हल प्रस्तुत करता है जिसकी भारी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है।

प्रश्न: ट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित नैतिकता के मुद्दों की चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by trolling? Discuss the ethical issues related to it.

उत्तर: इंटरनेट की दुनिया में ट्रोल का मतलब उन लोगों से होता है, जो किसी भी मुद्दे पर चल रही चर्चा में कूदते हैं और आक्रामक, अनर्गल व भड़काऊ बातों से विषय को भटका देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है पाठकों की भावुक प्रतिक्रिया तथा उत्तेजना को जन्म देना जिससे आक्रामक भावनात्मक प्रतिक्रिया की आड़ में मुख्य मुद्दे खो जाएँ अथवा गौण हो जाएँ।

वर्तमान समय में ट्रोलिंग ने कई नैतिक चिंताओं को जन्म दिया है। ट्रोलिंग एक प्रकार की वैचारिक हिंसा है जिसके प्रभाव को कमतर आँकना एक बड़ी भूल होगी। सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट करना तथा किसी की निजी जिंदगी पर भद्दी टिप्पणी करना आज आम चलन सा हो गया है।

आज सोशल मीडिया की पहुँच व प्रभाव, संचार के किसी अन्य साधन से अधिक है और ट्रोल आमजन तक पहुँच के इस साधन को दुष्प्रभावित करने का एक बड़ा ज़रिया है। कई कंपनियाँ राजनीतिक दल व सरकारें अपने ट्रोल्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर अपने फायदे के लिये आमजन की राय को प्रभावित करते हैं।

फिर जहाँ एक ओर सोशल मीडिया ने आमजन को ताकतवर बनाया है वहीं, ट्रोल्स ने इसकी विश्वसनीयता पर महत्त्वपूर्ण प्रश्नचिह्न लगाया है। इसके अतिरिक्त ट्रोलिंग के क्रम में महिलाओं पर की जाने वाली अश्लील व भद्दी टिप्पणियों ने भी समाज के नैतिक मानकों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत की है।

प्रश्न: भीड़ हत्या (मॉब लिंचिंग) एक सभ्य व नैतिक समाज के लिये कलंक है। टिप्पणी करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Mob lynching remains a stigma for a civilized and ethical society. Comment.

उत्तर: हाल के वर्षों में देश में भीड़ ने मॉब लिंचिंग या भीड़ हत्या के रूप में अपने वीभत्स अमानवीय रूप को कई बार दिखाया जिसने इंसानियत को शर्मसार करते हुए देश व समाज की साख को गहरे स्तर पर दुष्प्रभावित किया।

एक सभ्य, लोकतांत्रिक तथा कल्याणकारी समाज में विधि व न्याय की सुव्यवस्थित मशीनरी मौजूद होती है। ऐसी स्थिति में भीड़ द्वारा अपनी मनमर्जी से न्याय व दंड तय कर लेना-एक अराजक स्थिति को दर्शाता है।

भीड़ हत्या की ये घटनाएँ समाज की एकता, अखंडता तथा विविधता के लिये गंभीर रूप से घातक हैं। तथा समाज में एक अजीब भय का माहौल उत्पन्न करती हैं जो हमें पुरातन बर्बर परंपराओं की याद दिलाती हैं।

भीड़ द्वारा सम्पादित ये घटनाएँ इसलिये भी अत्यधिक चिंताजनक हैं क्योंकि इनको प्रेरित करने वाले कारक व उद्देश्य दूषित हैं। इसका खतरनाक परिणाम यह होगा कि भावनात्मक स्तर पर भीड़ को भड़काकर विभाजनकारी शक्तियों द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जाएगा, जो अंततः एक ऐसी अराजक स्थिति को जन्म देगा जिसमें पूरा तंत्र ही ढह जाएगा।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भीड़ हत्या किसी भी सभ्य समाज के लिये असह्य व कलंक के समान है।

प्रश्न: भावनात्मक समझ न केवल व्यक्ति के निर्णयन को प्रभावित करती है बल्कि पूरे समूह के निर्णयन को भी गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। सोदाहरण स्पष्ट करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Emotional Intelligence not only affects the decision of the individual but also affects the decision making of the entire group at a deeper level. Explain with examples.

उत्तर: स्वयं की भावनाओं को पहचानने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने व उनका प्रबंधन करने और फिर इस ज्ञान का उपयोग कुशलतापूर्वक निर्णयन व कार्य की दिशा में करने की क्षमता को भावनात्मक समझ या भावनात्मक बुद्धि कहते हैं। भावनात्मक समझ व्यक्ति के निर्णय को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। भावनात्मक रूप से कुशाग्र व्यक्ति अपने भावावेश पर नियंत्रण रखते हुए दीर्घगामी हित-अहित सोचकर निर्णय लेता है, न कि केवल क्षणिक रूप में।

इसी प्रकार एक समूह में लोगों के बीच पारस्परिक समझ एवं विश्वास रूपी पुल-निर्माण हेतु भावनात्मक समझ एक अनिवार्य शर्त है।

जब लोगों का एक समूह एक साथ कार्य करता है तो उनमें भावनाओं का उठना स्वाभाविक है परंतु उनमें भावनाओं के प्रबंधन का गुण होना अनिवार्य है तभी समूह अपने निर्धारित लक्ष्य को कुशलता व दक्षता पूर्वक प्राप्त कर सकेगा। मान लीजिये किसी भयंकर प्राकृतिक आपदा के बाद राहत व पुनर्वास के लिये केंद्र व राज्य के विभिन्न विभागों में चर्चा हो रही है। इस कठिन वक्त में उनके बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। सभी अधिकारी बेहतर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं और किसी विभाग के प्रमुख को कोई बात पसंद नहीं आई और वह इसे अपने क्षेत्राधिकार का हनन समझते हुए क्रोध में गरमा-गरम बहस शुरू कर देता है। बहस बढ़ती है और परिचर्चा मुख्य मुद्दे से भटक जाती है तथा एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं हो पाता है जिसे अविलंब लिया जाना आवश्यक था। स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की निम्न भावनात्मक समझ ने पूरे समूह के निर्णयन को प्रभावित करते हुए संपूर्ण समूह की उत्पादकता व परिणाम पर नकारात्मक असर डाला।

प्रश्न: 'नैतिक संहिता' व 'आचरण संहिता' के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए दोनों में मूलभूत अंतर को बताएँ।

(150 शब्द, 10 अंक)

Explain 'Code of Ethics' and 'Code of Conduct' and discuss the difference between them.

उत्तर: सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की अनिवार्य आवश्यकता होती है क्योंकि नैतिक मूल्यों को आत्मसात् करने वाला सार्वजनिक पदाधिकारी जनता के लिये कल्याणकारी व न्यायपूर्ण निर्णय लेने में ज़्यादा प्रयत्नशील होता है। इसके अलावा, नैतिकता के स्थापित मानदंडों के द्वारा ही किसी सार्वजनिक पद को धारण करने वाले व्यक्ति के कार्यों का उचित मूल्यांकन हो पाता है। इन संदर्भों में सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की स्थापना अनिवार्य होती है और इस कार्य हेतु मुख्यत: दो विकल्प होते हैं- 1. नैतिक संहिता, 2. आचरण संहिता।

'नैतिक संहिता' ऐसे सिद्धांतों व मूल्यों का समुच्चय होता है जो व्यवहारों व निर्णयों को निर्देशित करता है। बेंथम के अनुसार, नैतिक संहिता का संबंध विचारों से होता है। नैतिक संहिता में बुनियादी मूल्यों को शामिल किया जाता है क्योंकि आदर्श नैतिक राज्य की स्थापना के लिये ऐसे मूल्यों का समायोजन अनिवार्य होता है। सार्वजनिक पदों के लिये नैतिक मानदंड क्या हों, इसका उल्लेख यूनाइटेड किंगडम की 'नोलन समिति' ने किया था जिसमें नि:स्वार्थनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी, नेतृत्वक्षमता जैसे मूल्यों को शामिल किया गया था। इसी प्रकार गांधीजी ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता हेतु 'सात पापों' की चर्चा की है।

आचरण संहिता नैतिक संहिता पर आधारित दस्तावेज़ होता है जो कुछ निश्चित कार्यों या आचरणों के बारे में यह बताता है कि किसी अधिकारी को इन्हें करना चाहिये या नहीं। 1964 में भ्रष्टाचार के विषय पर गठित 'संथानम समिति' ने कहा था कि जब तक सार्वजनिक जीवन में नैतिक मानकों को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा तब तक लोगों के जीवन-स्तर में सुधार और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव नहीं होगा। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली- 1964 बनाई गई थी, जिसके तहत अखिल भारतीय सेवाओं को विनियमित किया जाता है। इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा या लोक सेवा में सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करना है। इसका एक अन्य लक्ष्य है सिविल सेवा को अराजनीतिक बनाना जिससे निर्णयन में जवाबदेही व पारदर्शिता आए, स्वस्थ व कार्यकुशल कार्यसंस्कृति का निर्माण हो, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण हो तथा बेहतर समन्वय एवं सुशासन की स्थापना हो।

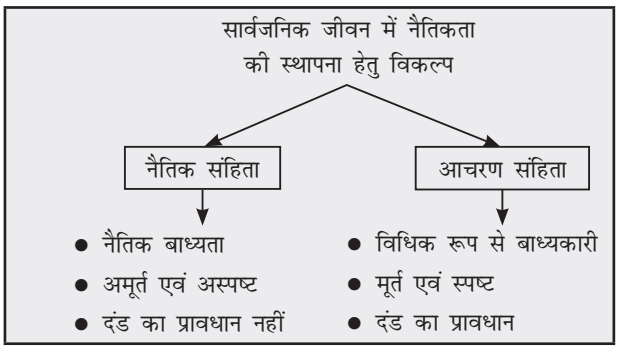

'नैतिक संहिता' व 'आचरण संहिता' में अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- नैतिक संहिता एक प्रकार की नैतिक बाध्यता है जबकि आचरण संहिता विधिक रूप से बाध्यकारी होती है।
- नैतिक संहिता अमूर्त एवं अस्पष्ट होती है जबकि आचरण संहिता मूर्त एवं स्पष्ट रूप में होती है।
- नैतिक संहिता के उल्लंघन पर दंड नहीं दिया जा सकता जबकि आचरण संहिता के उल्लंघन पर दंड दिया जा सकता है।

अत: अच्छे शासन व सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के संवर्द्धन हेतु 'नैतिक संहिता' व 'आचरण संहिता' दोनों आवश्यक हैं। ध्यातव्य है कि भारत में लोकसेवकों हेतु 'आचरण संहिता' तो है किंतु 'नैतिक संहिता' स्पष्ट रूप में नहीं मिलती है।

प्रश्न: निम्नलिखित में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें-

(a) समानुभूति तथा सहानुभूति

(b) नैतिक चिंता तथा नैतिक दुविधा (150 शब्द, 10 अंक)

Elucidate the difference between the following with examples.

(a) Empathy and Sympathy

(b) Ethical concern and Ethical dilemma.

उत्तर: (a) समानुभूति तथा सहानुभूति: समानुभूति का तात्पर्य है किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों, प्राणियों आदि की मन: स्थितियों को सटीक रूप में समझने की क्षमता। समानुभूति में 'स्व' व 'पर' का अंतर समाप्त हो जाता है, यह सहानुभूति का अगला स्तर है।

सहानुभूति में व्यक्ति दूसरे की पीड़ा को देखकर दु:खी तो होता है साथ ही यह भी चाहता है कि दूसरे की पीड़ा दूर हो जाए। किंतु सहानुभूति में भावनात्मक स्तर पर 'स्व' व 'पर' का द्वैत बना रहता है।

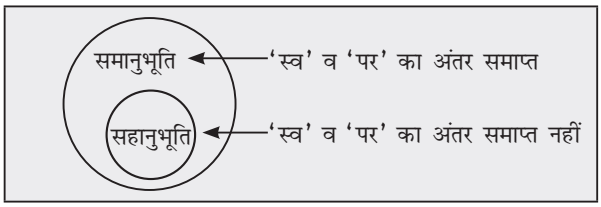

जैसे यदि किसी व्यक्ति ने जातीय आधार पर भेदभाव (जैसे छुआछूत) का सामना किया है तो उसे उन व्यक्तियों के प्रति 'समानुभूति' होगी जो ऐसी जातीय भेदभाव का सामना करते हैं। किंतु इसी संदर्भ में अन्य संवेदनशील एवं सजग व्यक्ति जिसने प्रत्यक्षत: जातीय भेदभाव का सामना नहीं किया है उसमें इस तरह के भेदभाव से पीड़ित के प्रति 'सहानुभूति' तो होगी किंतु 'समानुभूति' की संभावना न्यूनतम होगी।

उत्तर: (b) नैतिक चिंता तथा नैतिक दुविधा: नैतिक चिंता (Ethical Concern) उस समय उत्पन्न होती है जब हम नैतिकता की मूल भावना को समझते हुए भी निर्णयन के समय उसका व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर पाते तथा द्वंद्व से घिर जाते हैं। 'नैतिक चिंता' में नैतिक पक्ष का उल्लंघन संभावित होता है, लेकिन यहाँ नैतिकता की चिंता स्वयं निर्णयकर्त्ता के लिये नहीं होती, न ही निर्णयकर्त्ता के मन में दुविधा होती है और न ही निर्णय करने की अनिवार्यता होती है। 'नैतिक चिंता' के समय विकल्पों में भी जटिलता नहीं होती। वास्तव में, 'नैतिक चिंता' उस दूसरे पक्ष को लेकर होती है जो निर्णय से प्रभावित होता है। जैसे नैतिक विकल्प चुनने पर जब निजी हित की क्षति हो तो 'नैतिक हित' और 'निजी हित' के बीच नैतिक चिंता उत्पन्न हो सकती है, किंतु नैतिक हित को वरीयता देना है यह भी स्पष्ट है 'नैतिक चिंता' में।

'नैतिक दुविधा' नैतिक चिंता का एक विशिष्ट रूप है जहाँ निर्णयन से नैतिक पक्ष का उल्लंघन संभावित होता है, निर्णयन आवश्यक भी होता है तथा विकल्पों की जटिलता भी होती है। इस प्रकार 'नैतिक दुविधा' के समय 'नैतिक चिंता' अपने चरम स्तर पर दिखती है। 'नैतिक दुविधा' की तुलना में नैतिक 'चिंता' व्यापक विचार है। जैसे सिविल सेवा के नैतिक मूल्यों- सत्यनिष्ठा एवं संवेदना में विरोधाभास होने पर 'नैतिक दुविधा' उत्पन्न हो सकती है। जैसे प्रशासकीय दायित्व होने के कारण फुटपाथ से ठेले वालों को हटाना है किंतु इसमें जन संवेदना की उपेक्षा होगी, क्योंकि उनकी आजीविका नष्ट होगी।

प्रश्न: "महान लोग सिर्फ विचार नहीं देते बल्कि विचारों को एक संस्थागत स्वरूप देते हैं जिससे उनके जीवन के मूलभूत उद्देश्य उनके जीवन के बाद भी पूर्ण होते रहते हैं।" इस संदर्भ में दयानंद सरस्वती तथा विवेकानंद के योगदान की चर्चा करें।
(150 शब्द, 10 अंक)

"Great personalities not only propound ideas but also institutionalize those ideas so that the fundamental purpose of their lives continue to be fulfilled after them." Discuss the contributions of Dayanand Saraswati and Vivekanand in this context.

उत्तर: कथन का मूल निहितार्थ यह है कि ऐसे महान व्यक्ति जिनमें मानवता के कल्याण का ध्येय विद्यमान रहता है, वे उसे अपने जीवन के साथ-साथ जीवन के बाद भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों एवं विचारों के प्रसार हेतु महान लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपने विचारों को एक संस्थागत आधार प्रदान करते हैं और ये संस्थाएँ सदैव मानवता की सेवा में अग्रसर होती हैं। इस संदर्भ में हम दयानंद सरस्वती व स्वामी विवेकानंद के कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं।

स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापित 'आर्य समाज' वैदिक संस्कृति के सकारात्मक पक्ष को तो आत्मसात करता ही है साथ ही आधुनिक ज्ञान व तर्क आधारित समाज की स्थापना का भी निरंतर प्रयास कर रहा है। आर्य समाज का प्रमुख कार्य सामाजिक क्षेत्र में देखा जा सकता है, जैसे एक ईश्वर में विश्वास, मनुष्यों में भ्रातृवाद का विकास, स्त्री-पुरुष समानता, मानव हेतु पूर्ण न्याय, निष्पक्षता, प्रेम तथा दान आदि के लिये आर्य समाज लगातार प्रयासरत है। इस संस्था के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के आत्मविश्वास, आत्मपरीक्षण तथा आत्मशुद्धि की भावना को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। दयानंद सरस्वती ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी, राजनीतिक क्षेत्र में स्वशासन का जो विचार दिया है उसकी अभिव्यक्ति आर्य समाज के अनुयायियों में देखी जा सकती है। यह संस्था छुआछूत तथा बाल-विवाह की समाप्ति एवं अंतर्जातीय विवाह, महिलाओं के सशक्तीकरण तथा सामाजिक समानता के लिये निरंतर प्रयासरत है।

इसी संदर्भ में दूसरे प्रमुख चिंतक हैं 'स्वामी विवेकानंद' तथा उनके द्वारा स्थापित संस्था 'रामकृष्ण मिशन'। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान प्रदान करवाई, भारतीय चिंतन व दर्शन परंपरा का मानवीय पक्ष संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत किया। भारतीय संस्कृति के 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के ध्येय वाक्यों को स्वामी जी ने अपने कार्यों तथा अपने विचारों में प्रस्तुत किया है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये स्वामी जी ने 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की जिससे मानव सेवा की भारतीय परंपरा को वास्तविक संदर्भों में व्यक्त किया जा सके। इस संस्था के द्वारा युवाओं के चरित्र निर्माण का महान प्रयास किया जा रहा है जो स्वामी जी की पुस्तक 'कॉल टू द यूथ फॉर नेशन' में व्यक्त विचारों का ही प्रभाव माना जा सकता है। स्वामीजी ने हिंदू धर्म को एक नवीन सामाजिक उद्देश्य दिया तथा भारतीय संस्कृति में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया, इसकी साक्षात अभिव्यक्ति 'रामकृष्ण मिशन' के लोक सेवा व समाज सुधार के कार्यक्रमों में होती है।

इस प्रकार, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद ने अपने राष्ट्रीय तथा मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये जो संस्थाएँ स्थापित कीं वे उनके विचारों को मूर्त रूप प्रदान कर रही हैं।

प्रश्न: महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत 'एकादश व्रत' की अवधारणा का परिचय दीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Write a note on the concept of 'Eleven vows' given by Mahatma Gandhi.

उत्तर: गांधीजी वास्तविक अर्थों में मानवतावादी थे। उन्होंने दीन-हीन भारत को सशक्त व श्रेष्ठ बनाने के लिये अद्वितीय प्रयास किये। गांधीजी एक ऐसे विजेता थे जिन्होंने अपने विजय अभियानों के लिये कभी किसी अनैतिक व गलत हथियार का प्रयोग नहीं किया। उनकी विजय का आधार उनके नैतिक शस्त्र थे जिन्हें उन्होंने 'एकादश व्रत' का नाम दिया था। ये 'एकादश व्रत' गांधीजी के नैतिक जीवन का सार हैं,जो निम्नलिखित हैं-

- **सत्य:** सत्य को गांधीजी ईश्वर के सदृश मानते थे। उनके राजनीतिक संघर्ष का आधार ही सत्य-आग्रह, सत्य-विचार, सत्य-वाणी तथा सत्य-कर्म थे। उनके अनुसार आनंद का मार्ग सत्य के मार्ग से ही होकर जाता है।
- **अहिंसा:** अर्थात् मनसा, वाचा एवं कर्मणा से हिंसा न करना। गांधीजी के अनुसार अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है।
- **ब्रह्मचर्य:** इसका मूल अर्थ है सभी इंद्रियों का संयम। अर्थात् सत्य की खोज में किया जाने वाला आचरण ही ब्रह्मचर्य है।
- **अस्वाद:** इसके बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। अस्वाद का अर्थ है जीभ पर नियंत्रण रखना। भोजन शरीर के पोषण हेतु हो, स्वाद या भोग हेतु न हो।
- **अस्तेय:** चोरी न करना। इसके दो अर्थ हैं- पहला, व्यक्ति दूसरे की चीज़ को बिना अनुमति के न ले; दूसरा, व्यक्ति अपनी न्यूनतम ज़रूरतों के अलावा जो कुछ संग्रह करता है वह भी चोरी है।
- **अपरिग्रह:** विचार व इच्छापूर्वक कम ग्रहण करना ही अपरिग्रह है। ज्यों-ज्यों अपरिग्रह कम होता है सच्चा सुख, संतोष और सेवाशक्ति बढ़ती है।
- **अभय:** इसका तात्पर्य है सर्वत्र भयवर्जना। जो सत्य परायण रहना चाहे वह न जाति-बिरादरी से डरे, न सरकार से डरे, न चोरी, बीमारी, मौत या किसी के बुरा मानने से डरे।
- **अस्पृश्यता निवारण:** छुआछूत हिंदू धर्म का अंग नहीं बल्कि इसकी कमी है। अत: इसे हटाना प्रत्येक हिंदू का धर्म है, कर्त्तव्य है।
- **शारीरिक श्रम:** सभी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिये। इससे मानव स्वावलंबी बनता है।
- **सर्वधर्म समभाव:** सभी धर्मों को समान मानते हुए उनका सम्मान करना चाहिये। इससे धर्मांतरण व सांप्रदायिकता जैसी समस्याएँ स्वत: समाप्त हो जाएंगी।
- **स्वदेशी:** अपने आसपास रहने वालों की सेवा में संलग्न रहना ही स्वदेशी धर्म है। अपने देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग को वरीयता देना ही स्वदेशी धर्म है।

इस प्रकार गांधीजी द्वारा प्रस्तुत 'एकादश व्रत' उनके जीवन का निचोड़ होने के साथ-साथ आधुनिक मानव, जो कई तरह की नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याओं से ग्रस्त है, उसके लिये भी प्रासंगिक है। जैसे आज दुनिया में मानव मृत्यु का प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप तथा अनुचति खाद्य आदतें हैं, ऐसे में गांधीजी द्वारा प्रस्तुत अस्वाद का व्रत अत्यंत प्रासंगिक है।

प्रश्न: "हमारी वैज्ञानिक शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति पर प्रभावी हो गई है। हमने मिसाइलों का मार्गदर्शन किया है और मनुष्य को मार्ग से भ्रमित कर दिया है।"-मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वर्तमान संदर्भ में वैज्ञानिक शक्ति के कुछ ऐसे उदाहरण दें जिन्होंने मानव के सामने नैतिक चुनौती प्रस्तुत की है।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men."

–Martin Luther King, Jr.

In the present scenario illustrate some examples of scientific power which have put up an ethical challenge before humans.

उत्तर: कोई भी शक्ति अपने मूल स्वरूप में अच्छी या बुरी नहीं होती बल्कि उसका प्रयोगकर्त्ता शक्ति की प्रकृति को अच्छा या बुरा अथवा सही या गलत बनाता है। शक्ति का यह गुण कथन में उल्लिखित वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में भी लागू होता है। वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में वर्तमान में यह चिंता बलवती हुई है कि इसने मानव के आध्यात्मिक पक्ष से संबद्ध दया, करुणा, संवेदना तथा अहिंसा जैसे मूल्यों को कमज़ोर किया है।

कथन के संदर्भ में यदि वैज्ञानिक शक्ति के विकास पर विचार करें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भावनात्मक मशीनें, ब्रेन हैकिंग तकनीकें, क्रिस्पर तकनीक, रक्षा क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट के विशिष्ट प्रयोग ने मानव के समक्ष कई प्रकार के आध्यात्मिक व नैतिक संकट उत्पन्न किये हैं। इन नवीनतम प्रौद्योगिकियों ने मनुष्य के महत्त्व को चुनौती दी है जिससे मानव के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न हुआ। एलन मस्क जैसे उद्यमी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को मानव के लिये एक चुनौती मानते हैं। इसी प्रकार, क्रिस्पर तकनीक ने जहाँ मानव के जन्म के पूर्व ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप को अवसर प्रदान किया जिससे नवजात के मानवाधिकारों की रक्षा का प्रश्न भी उत्पन्न होता है, वहीं रक्षा क्षेत्र में रोबोट का प्रयोग मानव व मशीन के संघर्ष का प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसमें प्रश्न उठता है कि मानव के सहयोग हेतु विज्ञान है या मानव को प्रतिस्थापित करने हेतु विज्ञान है। इसके अलावा, 'ऑटोमेशन' के बढ़ते प्रयोग ने मानव की आजीविका के लिये भी एक संकट उत्पन्न किया है।

विज्ञान द्वारा मनुष्य के सम्मुख पर्यावरणीय नैतिकता, व्यावसायिक नैतिकता तथा मानवतावादी मूल्यों के प्रति चुनौती तो प्रस्तुत की ही गई है, साथ ही विज्ञान के अतिशय प्रयोग ने मानव को आत्मकेंद्रित भी बनाया है। निरंतर मशीनों व कंप्यूटरों के सान्निध्य में रहते हुए बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है, जिसका सीधा प्रभाव उनके अंदर दया, करुणा, संवेदनशीलता तथा अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों की कमी के रूप में देखा जा सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण सोशल मीडिया पर बच्चों द्वारा 'ब्लूव्हेल ऑनलाइन गेम' के प्रति बढ़ते रुझान के रूप में देखा जा सकता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि हमने मिसाइलों का मार्गदर्शन तो विज्ञान से किया है किंतु मानव को ही मार्ग

से भ्रमित कर दिया है। इसके अलावा, विज्ञान के प्रति अत्यधिक लगाव ने मनुष्य को पर्यावरण से दूर कर दिया है।

अत: वैज्ञानिक शक्ति के प्रति मानव के अतिशय झुकाव तथा मूल्यविहीन विज्ञान के प्रयोग ने पर्यावरणीय नैतिकता व व्यावसायिक नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। विज्ञान के माध्यम से बढ़ती पोर्नोग्राफी की समस्या ने व्यक्तिगत व सामाजिक नैतिकता पर बुरा असर डाला है जिससे महिला व बाल अपराधों में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार कई प्रकार के रासायनिक, जैविक व नाभिकीय हथियारों के विकास ने मानव को भयाक्रांत किया है।

संक्षेप में कहें तो विज्ञान के मूल्यविहीन प्रयोग ने मानव की आध्यात्मिक शक्ति को कमज़ोर किया है जिससे मानव अपने मानवता के वास्तविक मार्ग से भ्रमित हुआ। अत: कथन का निहितार्थ यह है कि हमें वैज्ञानिक शक्ति का संतुलित व मूल्यात्मक प्रयोग करना होगा जिससे मानवता का कल्याण हो सके।

प्रश्न: "एकात्म मानववाद की विचारधारा मानव को समग्रता में स्वीकार करती है।" कथन का अर्थ स्पष्ट करते हुए 'एकात्म मानववाद' की नैतिक उपादेयता को स्पष्ट करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"The ideology of integral humanism views the human in his totality." Explain the meaning of the statement and discuss the ethical utility of 'integral humanism'.

उत्तर: 'एकात्म मानववाद' के दर्शन को प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित दीन दयाल उपाध्याय को जाता है। इस दर्शन का मूल विचार यह है कि मनुष्य एकांगी न होकर बहुअंगी होता है किंतु उसके सभी अंगों में परस्पर सहयोग, समन्वय, पूरकता तथा एकात्मकता का भाव देखा जा सकता है। इस दर्शन के द्वारा भारतीय संस्कृति की समग्रतावादी अद्वैत दृष्टि की अभिव्यक्ति होती है।

'एकात्म मानववाद' भारतीय सभ्यता के विकास में विद्यमान सहकार को मूल तत्त्व के रूप में स्वीकार करता है। संक्षेप में कहें तो एकात्म मानववाद, सामाजिक अद्वैतवाद को व्यक्त करता है। कथन का संदर्भ इस दर्शन की मूलभूत विशेषता से है जिसका विस्तृत विश्लेषण अग्रलिखित है।

'एकात्म मानववाद' मनुष्य को खंडित रूप में नहीं देखता, जैसे- पश्चिमी विचारधाराओं-पूंजीवाद तथा मार्क्सवाद के द्वारा मानव को देखा गया है। पूंजीवाद, व्यक्ति को सिर्फ आर्थिक लाभ की दृष्टि से देखता है तो मार्क्सवाद व्यक्ति की सभी समस्याओं का कारण आर्थिक शोषण में देखता है, जबकि 'एकात्म मानववाद' व्यक्ति की सभी राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक ज़रूरतों को एकीकृत रूप में देखता है। इस तरह 'एकात्म मानववाद' मानव की आवश्यकताओं को समग्रता में देखता है।

'एकात्म मानववाद' मनुष्य के आत्म तत्त्व तथा भौतिक तत्त्व में संतुलन स्थापित करता है जो इस दर्शन की समग्रतावादी दृष्टि का परिचय देता है। यह दर्शन मानव को मन, बुद्धि, आत्मा व शरीर का समन्वित रूप मानता है, न कि पश्चिमी दर्शन प्रणाली की तरह सिर्फ मानव के शरीर को ही चिंतन का केंद्र बनाता है। इसी प्रकार 'एकात्म मानववाद', 'मानववाद' की तरह मनुष्य के सिर्फ भौतिक उन्नयन को ही महत्त्व नहीं देता और न ही 'समाजवाद' की तरह मनुष्य के सिर्फ सामाजिक पक्ष पर बल देता है बल्कि एकात्म मानववाद में व्यक्ति के आत्म तत्त्व एवं भौतिक तत्त्व तथा वैयक्तिक पक्ष एवं सामाजिक पक्ष का समग्र विश्लेषण किया गया है। इस दर्शन में विकास की अवधारणा भी संतुलित तथा समावेशी है, इसके अंतर्गत इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि शासन की नीतियों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी ढंग से पहुँचे। इस प्रकार 'एकात्म मानववाद' 'अंत्योदय' के लक्ष्य को स्वीकार करता है।

एकात्म मानववाद की नैतिक उपादेयता या सार्थकता पर यदि विचार करें तो यह मानव के नैतिक उत्थान का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा सभी मनुष्यों के प्रति समानता के भाव को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ-साथ अन्य लोकतांत्रिक मूल्यों, जैसे- बंधुता, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, अंत्योदय आदि का विकास यह दर्शन अपनी एकात्मवादी दृष्टि से करता है। भ्रष्टाचार का एकीकृत रूप आज 'क्रोनी कैपिटलिज़्म' के रूप में दिखाई देता है जिसका सामना 'एकात्म मानववाद' की समग्र दृष्टि ही कर सकती है तथा जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये एकीकृत प्रयास को प्रेरित करते हुए सत्यनिष्ठा व ईमानदारी जैसे मूल्यों की स्थापना कर सकती है।

इस प्रकार 'एकात्म मानववाद' मानव के स्वरूप, उसकी आवश्यकताओं तथा उसके अस्तित्व को खंडित रूप में न देखकर समग्र रूप में देखता है। यह दर्शन भारतीय व स्वदेशी चिंतन परंपरा को प्रभावी रूप में प्रस्तुत करता है। इस दर्शन का आत्म तत्त्व तथा अंत्योदय का लक्ष्य इसे गांधी दर्शन के अनुकूल बनाता है जिससे वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तथा संतुलित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न: "महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक अपराध केवल राज्य के कानून और व्यवस्था की कमी को नहीं प्रदर्शित करते बल्कि किसी समाज में मूल्यों की गंभीर गिरावट को भी स्पष्ट करते हैं।" कथन के संदर्भ में उन मूल्यों की चर्चा करें जिनकी कमी ने समाज के सम्मुख यह समस्या भयावह रूप में उपस्थित की है। (150 शब्द, 10 अंक)

"The crimes against women not only expose the inefficiency of law and order of the state but also highlight the serious downfall of values of a society." In context of this statement, discuss the values whose erosion has posed this appalling problem before society.

उत्तर: कथन का मूल निहितार्थ यह है कि महिला सुरक्षा केवल राज्य का उत्तरदायित्व नहीं बल्कि एक समाज का भी उत्तरदायित्व है। यदि किसी समाज में ऐसे अपराधों की वृद्धि होती है तो ये सामाजिक व वैयक्तिक दोनों प्रकार की नैतिकता पर एक प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

हाल ही में कठुआ, उन्नाव, सूरत तथा देश के अन्य हिस्सों से महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराध के विभिन्न मामले सामने आए हैं जिन्होंने 'राज्य' व 'समाज' दोनों को झकझोर कर रख दिया है। इसी का प्रभाव रहा कि भारत सरकार को 'क्रिमिनल ऑर्डिनेंस एक्ट, 2018' पारित करना पड़ा तथा इस कानून में सज़ा को और कठोर किया गया है।

किंतु, राज्य के ऐसे कानूनी प्रयासों से ये अपराध रुक पाएंगे, यह सोचना अव्यावहारिक है क्योंकि ऐसे अपराधों को रोकने के लिये समाज को दीर्घकालिक तथा मूल्यात्मक प्रयास करने होते हैं। यदि महिला अपराधों की पृष्ठभूमि पर विचार करें तो मध्यकाल में युद्ध के समय सर्वाधिक उत्पीड़न महिलाओं का किया जाता था क्योंकि महिलाओं के द्वारा ही किसी संस्कृति को वास्तविक शक्ति प्रदान की जाती रही है। अत: महिला सुरक्षा सिर्फ एक कानूनी आवश्यकता नहीं बल्कि एक सामाजिक व सांस्कृतिक आवश्यकता भी है।

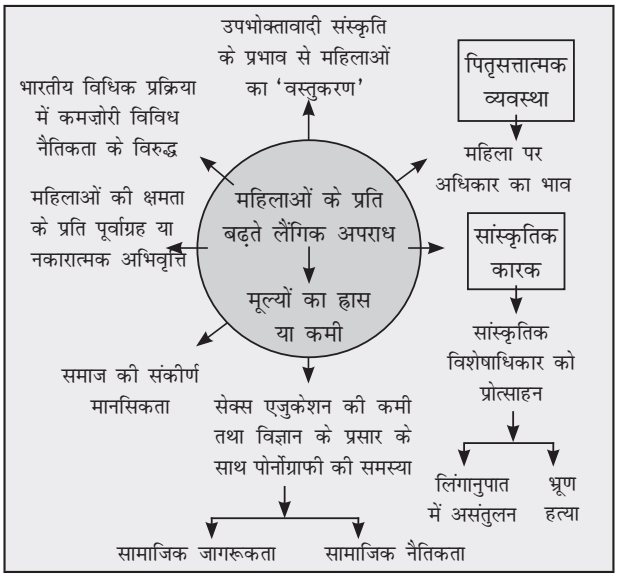

यदि उन मूल्यों की चर्चा करें जिनकी कमी से देश में ऐसे अपराधों में वृद्धि हुई है तो इन मूल्यों की संक्षिप्त चर्चा निम्नलिखित है-

- भारतीय समाज में विद्यमान पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मनोविज्ञान ऐसा है जो महिला पर अधिकार का भाव रखता है जिससे महिलाओं के लिये आवश्यक समानता का मूल्य बाधित होता है।
- भारतीय समाज में ऐसे सांस्कृतिक कारक विद्यमान हैं जिनके कारण पुरुषों को वंश परंपरा के लिये आवश्यक माना जाता है जो उन्हें एक प्रकार का सांस्कृतिक विशेषाधिकार प्रदान करते हैं और जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के विरुद्ध हैं। इसी सांस्कृतिक पक्ष से लिंगानुपात में असंतुलन आया है तथा भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन मिला है।
- भारतीय समाज में 'सेक्स एजुकेशन' की कमी तथा विज्ञान के प्रसार के साथ पोर्नोग्राफी की समस्या ने सामाजिक जागरूकता तथा सामाजिक नैतिकता दोनों को कमज़ोर किया है जिससे महिलाओं के प्रति लैंगिक अपराध बढ़े हैं।
- महिलाओं की क्षमता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति या पूर्वाग्रह ने भी महिलाओं के महत्त्व को कम किया है जिससे महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का मनुष्य माना जाता है।
- भारतीय विधिक प्रक्रिया में विद्यमान कमज़ोरियों ने भी इन अपराधों को प्रोत्साहित किया है। यह कमी विधिक नैतिकता के भी विरुद्ध है।
- उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव ने महिलाओं का वस्तुकरण किया है जिससे महिला अपराधों में वृद्धि हुई है।

अत: व्यक्तिगत, सामाजिक तथा विधिक नैतिकता में हुई गिरावट एवं समाज में समानता, संवेदना, सच्चरित्रता एवं अहिंसा जैसे मानवीय मूल्यों में आई कमी ने महिला अपराधों की समस्या को जटिल बनाया है। समाज की संकीर्ण मानसिकता भी महिला सुरक्षा के मार्ग में एक बाधा है। इस दिशा में समाज द्वारा रचनात्मक पहल की जा सकती है, जैसे माता का 'सरनेम' लगाने की परंपरा को यदि प्रोत्साहित किया जाए तो वंश विस्तार हेतु पुरुष के विशेषाधिकार को समाप्त किया जा सकता है।

प्रश्न: डॉ. बी.आर. अंबेडकर वास्तविक संदर्भों में भविष्यद्रष्टा थे क्योंकि उनके विचारों ने 'आज़ाद भारत' को 'आधुनिक भारत' में रूपांतरित करने हेतु अविस्मरणीय योगदान दिया है। स्पष्ट करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Dr. B. R. Ambedkar was a visionary in true sense as he made memorable contribution for the transformation of 'free India' into 'modern India'.

उत्तर: डॉ. बी.आर. अंबेडकर भारत में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत होने के साथ-साथ भारतीय संविधान के निर्माता भी थे। डॉ. अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक चिंतन में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता जैसे मूल्यों को विशेष महत्त्व दिया गया है।

डॉ. अंबेडकर के विचारों की यदि चर्चा करें तो हम पाते हैं कि वह दलितों के अधिकारों के मुखर समर्थक थे। इसके लिये वे हिंदू धर्म में आमूलचूल परिवर्तन के पक्षधर थे। दलित अधिकारों के लक्ष्य के अप्राप्य रहने पर वे हिंदू धर्म को छोड़ने या ब्रिटिश शासन से समझौता तक करने को तैयार थे। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि डॉ. अंबेडकर को स्वतंत्रता या राष्ट्र से प्रेम नहीं था किंतु वे एक ऐसा राष्ट्र व समाज निर्मित करना चाहते थे जिसमें समानता का मूल्य वास्तव में उपस्थित हो। ऐसे समतामूलक समाज में छुआछूत या जातीय विशेषाधिकार पूर्णत: समाप्त हो। इसी कारण जाति व्यवस्था के संदर्भ में उनका गांधी जी से मतभेद भी था किंतु दोनों महापुरुषों का अंतिम लक्ष्य अस्पृश्यता का अंत तथा दलितों का कल्याण ही था।

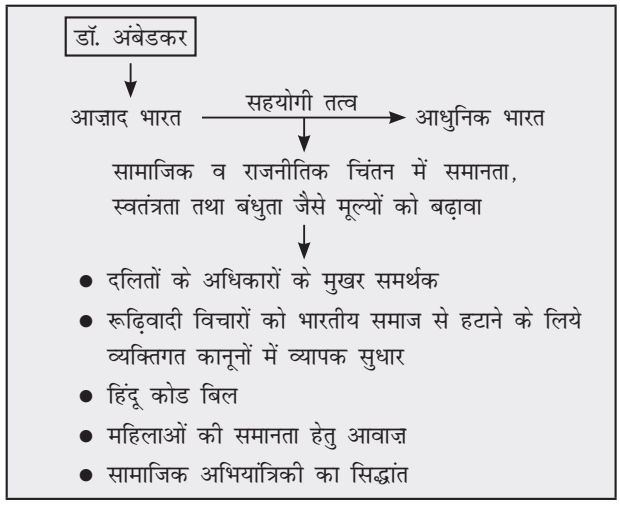

भारतीय समाज को जीवंत व गतिशील बनाने के लिये डॉ. अंबेडकर व्यक्तिगत कानूनों में भी व्यापक सुधार चाहते थे जिससे धर्म के रूढ़िवादी विचार भारतीय समाज को जड़वत न बना सकें। हिंदू कोड बिल की भूमिका में डॉ. अंबेडकर ने ऐसे ही विचार व्यक्त किये थे। डॉ. अंबेडकर ने महिलाओं की समानता हेतु भी आवाज़ उठाई थी। सामाजिक अभियांत्रिकी का उनका मूल सिद्धांत ही यही था कि सामाजिक क्रांति का प्रारंभ समाज के सबसे कमज़ोर व निचले पायदान के लोगों के दृष्टिकोण से होना चाहिये।

डॉ. अंबेडकर ने 'अनुसूचित जाति संघ' की स्थापना की तथा अनुसूचित जातियों के हितों के लिये 'रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया' की स्थापना की। डॉ. अंबेडकर ने कमज़ोरों व दलितों को अपने विकास हेतु 'एजुकेट, एजीटेट एंड ऑर्गनाइज़' होने का संदेश दिया।

अत: डॉ. अंबेडकर ने 'आज़ाद भारत' को एक समतामूलक, लोकतांत्रिक व आधुनिक समाज के रूप में विकसित होने का स्वप्न देखा था तथा इस हेतु राजनीतिक, संवैधानिक तथा सामाजिक प्रयास भी किये थे। अत: हम कह सकते हैं कि उनके विचारों ने 'आज़ाद भारत' को 'आधुनिक भारत' बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया है।

प्रश्न: "व्यक्ति बनो और व्यक्तियों का सम्मान करो।" वर्तमान संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"Be a person and respect other persons." Explain this statement in the present scenario.

उत्तर: प्रश्न में दिया गया कथन आत्मपूर्णतावादी नीतिमीमांसा के समर्थक हीगेल का है। आत्मपूर्णतावादी नीतिमीमांसा आत्मसिद्धि या आत्मसाक्षात्कार को महत्त्व देते हुए व्यक्तित्व के विकास पर बल देती है। यह विचारधारा स्वार्थ व परार्थ का समन्वय करते हुए स्वार्थ को परार्थ के अधीन रखती है। प्रश्न में प्रस्तुत कथन भी व्यक्ति के आत्मविकास को तो महत्त्व देता ही है। साथ ही परार्थ को भी आवश्यक मानता है।

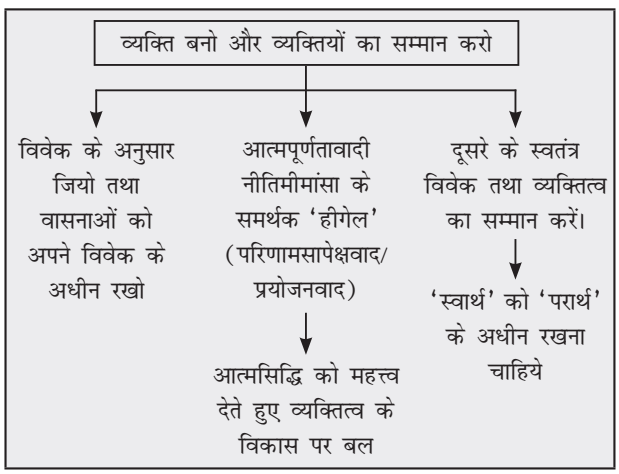

वर्तमान संदर्भ में यदि हीगेल के इस कथन पर विचार किया जाए तो कथन का पहला भाग 'व्यक्ति बनो' आज भी प्रासंगिक है क्योंकि यदि मानव विवेकपूर्ण जीवन न जीकर पशुओं की तरह अपनी वासनाओं के अधीन जीवन जीता है तो इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तो बाधित होता ही है, साथ ही समाज में अव्यवस्था भी उत्पन्न होती है और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होती है। अत: वर्तमान संदर्भ में व्यक्ति बनने का यही अर्थ है कि विवेक के अनुसार जीवन जियो तथा वासनाओं को अपने विवेक के अधीन रखो जिससे मानव व पशु में मूलभूत अंतर बना रहे।

कथन का दूसरा हिस्सा 'व्यक्तियों का सम्मान करो' वर्तमान संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि विज्ञान के विकास तथा जीवन-मूल्यों में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यक्ति आत्मकेंद्रित हुआ है, जिससे वह अपने सामाजिक कर्त्तव्यों से अलग हो गया है। वास्तव में मानव को दूसरे के स्वतंत्र विवेक तथा व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए सहिष्णुता का परिचय देना चाहिये तथा स्वार्थ को परार्थ के अधीन रखना चाहिये।

इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कथन वर्तमान संदर्भों में सामाजिक व्यवस्था के सुचारु संचालन तथा मानव के व्यक्तित्व के उचित विकास के लिये आवश्यक है। इस विचार के द्वारा मानव, विज्ञान के प्रभावशाली दौर में भी मानवता की मूलभूत विशेषताओं को संरक्षित रख सकेगा तथा मानव होने की सार्थकता को बनाए रख पाएगा।

प्रश्न: "नैतिकता उस अंतर को भलीभाँति बताती है कि आपके कर्त्तव्य के लिये क्या सही है और आपके लिये क्या सही।" व्यापारिक नैतिकता के संदर्भ में कथन की व्याख्या उदाहरण के साथ करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"Ethics well-differentiates between what is right for your duty and what is right for you." In the context of professional ethics explain the given statement with examples.

उत्तर: नैतिकता, व्यक्ति को उचित व अनुचित का ज्ञान कराती है, इसमें मानव के जीवन-मूल्य, जनकल्याण की भावना तथा सामाजिक मानदंड अंतर्निहित होते हैं। अंत:प्रज्ञावादी दृष्टि से भी यदि विचार करें तो मानव के भीतर विद्यमान अंत:प्रज्ञा हमें यह बताती है कि कौन से कार्य नैतिक हैं तथा कौन से कार्य अनैतिक हैं? नैतिकता की ये विशेषताएँ व्यापारिक गतिविधियों पर भी लागू होती हैं। व्यापारिक नैतिकता के संदर्भ में प्रश्न में दिये गए कथन का यही अर्थ है कि व्यापार में नैतिकता की आज्ञा न मानने का अंतिम परिणाम भ्रष्टाचार होता है।

'व्यापारिक नैतिकता' किसी व्यापार प्रतिष्ठान के व्यापारिक कार्यकलापों, निर्णयों, कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं से संबंधों का नैतिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन करती है। व्यापार के कार्यकलापों में जब व्यापारिक नैतिकता के मानदंडों की उपेक्षा करके अपने कर्त्तव्यों की जगह अपने स्वार्थों को वरीयता दी जाती है तो उसे भ्रष्टाचार माना जाता है। कालाबाज़ारी, उच्च मूल्य निर्धारण, माप-तौल में गड़बड़ी तथा नकली व हानिकारक उत्पादों की ब्रिक्री जैसे कार्य मात्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करना व्यावसायिक कदाचार कहलाता है। इसके अलावा उपभोक्ता के अधिकारों, जैसे- सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, स्वास्थ्य व सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार आदि की उपेक्षा भी व्यापारिक कर्त्तव्य व नैतिकता के विपरीत है।

व्यापारिक नैतिकता कर्मचारियों, शेयरधारकों, प्रतिस्पर्द्धियों, उधारदाताओं के हितों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखती है। इसके अलावा श्रम का महत्त्व तथा अच्छी कामकाजी परिस्थितियाँ भी व्यापारिक नैतिकता के लिये आवश्यक हैं। व्यापारिक नैतिकता व्यापारी के मौद्रिक लाभ को भी महत्त्व देती है, साथ ही उपभोक्ताओं के हितों को भी।

किंतु हाल के दिनों में कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें अल्पकाल में अत्यधिक मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिये व्यापारिक नैतिकता की उपेक्षा की गई है। व्यापारिक नैतिकता की उपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अपनी अंत:प्रज्ञा से यह भलीभाँति पता होता है कि यह कृत्य गलत है तथा भ्रष्टाचार से युक्त है। किंतु अपने निहित स्वार्थों के लिये व्यक्ति द्वारा व्यापारिक नैतिकता व अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा की जाती है। इस तरह के कुछ प्रमुख व्यापारिक नैतिकता की उपेक्षा करने वाले प्रकरण निम्नलिखित रहे हैं-

- पंजाब नेशनल बैंक के फ्रॉड से जुड़ा नीरव मोदी का प्रकरण, जिसमें बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान कमज़ोरी का प्रयोग अपने लाभ के किये किया गया। यह व्यापारिक भ्रष्टाचार का ही उदाहरण है।
- हाल ही में फेसबुक द्वारा अपने 87 मिलियन 'यूज़र्स' का डेटा 'कैंब्रिज एनालिटिका' नामक फर्म के साथ साझा करना, वह भी अपने 'यूज़र्स' को बिना विश्वास में लिये, जोकि व्यापारिक अनैतिकता है।
- इसी प्रकार ऑनलाइन शॉपिंग सेवाओं में कभी-कभी उपभोक्ताओं को गुणवत्ताविहीन या खराब वस्तुओं की आपूर्ति कर दी जाती है जो व्यापारिक नैतिकता के विरुद्ध है।

इस प्रकार नैतिकता किसी व्यक्ति को उचित व अनुचित के प्रति सचेत करती है किंतु व्यक्ति द्वारा इसकी उपेक्षा भ्रष्टाचार को आमंत्रण देती है। ऐसे भ्रष्टाचार व्यापारिक क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, अत: इस क्षेत्र में व्यापारिक नैतिकता को बढ़ाना आवश्यक है जिससे व्यवसायों का अस्तित्व बचा रहे तथा उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो सके। प्रश्न में दिये गए कथन का मूल निहितार्थ भी यही है कि नैतिक आदेशों की अवज्ञा भ्रष्टाचार को उत्पन्न करती है।

प्रश्न: निम्नलिखित में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें:

(a) मूल्य एवं आचरण

(b) दया एवं करुणा

(c) सुख एवं आनंद (150 शब्द, 10 अंक)

Explain the difference between the following with examples:

(a) Value and Conduct

(b) Mercy and Compassion

(c) Happiness and Joy

उत्तर: (a) मूल्य एवं आचरण: 'मूल्य' एक विशेष प्रकार की मानव मन:स्थिति है। ये अच्छे-बुरे, उचित-अनुचित तथा वांछनीय और घृणित के मध्य अंतर करती है। मूल्य केसी समाज या संस्कृति के आधारभूत नैतिक आदर्श या सिद्धांत होते हैं। मूल्यों को साकार करने हेतु सामाजिक मानक, रीति-रिवाज, परंपराएँ, प्रथाएँ इत्यादि निर्मित होती हैं। उदाहरणतया- बड़ों का आदर करना, ईमानदारी, परोपकार इत्यादि।

आचरण, मूल्यों का क्रियात्मक या व्यावहारिक रूप है, जिसकी पृष्ठभूमि में विचार एवं भावनाएँ उद्दीपक एवं उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होती हैं। एक सिविल सेवक के व्यक्तित्त्व में साहस, धैर्य, ईमानदारी, विनम्रता इत्यादि मूल्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है, जिससे उसका आचरण शासन के कल्याणकारी स्वरूप के अनुकूल हो सके।

उत्तर: (b) दया एवं करुणा: दया का अर्थ है- दूसरों के दु:ख एवं तकलीफ को महसूस कर उसके प्रति अपनी भावनाएँ प्रदर्शित करना, जैसे- विशेष परिस्थिति में सड़क पर किसी दुर्घटनाग्रस्त जीव को देखकर दया का भाव आना। इसके विपरीत, करुणा विशिष्ट के प्रति ही नहीं सामान्य के प्रति भी हो सकती है। बुद्ध ने करुणा को नैतिकता का आधार माना है।

दया एक तात्कालिक मानसिक अवस्था है। इसके विपरीत करुणा तुलनात्मक रूप से स्थायी भाव है। दया मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाती है। यह मस्तिष्क स्तर पर उत्पन्न होने वाला भाव है। वहीं करुणा दिल और दिमाग से गहरे रूप से जुड़ी होती है। उदाहरणतया- एक हंस को शिकारी का तीर लगने पर यह नहीं पूछा जाता कि तीर किसने चलाया, अपराधी कौन है? वरन् इस पक्ष पर ध्यान दिया जाता है कि तीर को निकाल कर तड़पते हंस को कष्ट से मुक्ति दिलाई जाए। करुणा इंसानियत का दूसरा नाम है एवं दया का ही व्यावहारिक रूप है।

उत्तर: (c) सुख एवं आनंद: सुख ऐंद्रिक एवं तीव्र होने के साथ ही दु:ख के विपरीत होता है। भौतिकवादी परिस्थितियाँ सुख की उत्पत्ति में सहायक होती हैं। सुख के दो प्रकार हैं- व्यक्तिगत सुख, और सामाजिक सुख। व्यक्तिगत सुख के संदर्भ में यदि बात की जाए तो किसी स्वइच्छा की पूर्ति, कामवासना की पूर्ति इत्यादि उदाहरण उपयुक्त होंगे। इसे निकृष्ट सुख भी कह सकते हैं। सामाजिक सुख अर्थात् अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इस संदर्भ में उच्चकोटि का सुख, जैसे- भगत सिंह, मदर टेरेसा के लिये आत्मबलिदान ही सुख था उपयुक्त उदाहरण होगा।

वहीं आनंद एक शांतिपूर्ण अवस्था एवं सद्गुण से प्राप्त की गई अवस्था को संदर्भित करता है। आनंद की प्राप्ति हेतु कठोर अभ्यास की आवश्यकता होती है, ये आनुवंशिक नहीं होता। आनंद आत्मसंयम और विवेकशीलता का परिचायक होता है तथा एक स्थितिप्रज्ञ दशा का द्योतक है अर्थात् सुख-दु:ख से परे। उदाहरणस्वरूप- महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी को प्राप्त पूर्ण आनंद की स्थिति।

प्रश्न: "ऐसी कल्पना भी मत करो कि कोई व्यक्ति आपके पक्ष में अपनी सबसे छोटी उँगली भी हिलाएगा, जब तक उसे साफ नज़र न आ जाए कि इसमें उसका अपना फायदा है।"-बेंथम (150 शब्द, 10 अंक)

"Do not even imagine that a person will move his smallest finger in your favour until a clear benefit is visible to him." -Bentham

उत्तर: उपर्युक्त कथन उपयोगितावादी विचारक 'बेंथम' का है और उपयोगितावादी विचारधारा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुखों को केंद्र

में रखती है। वस्तुत: बेंथम ने साधारणत: हॉब्स के 'स्वार्थवाद' का भी समर्थन किया है। हॉब्स की तरह 'बेंथम' की भी राय है कि मनुष्य मूलत: स्वार्थी है और तब तक कोई कार्य नहीं करता है, जब तक व्यक्ति को उसमें लाभ न हो।

द्रष्टव्य है कि बेंथम का यह कथन कुछ हद तक सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो उसमें अपने लाभ-हानि की गणना पहले ही कर लेता है और इस लाभ-हानि की गणना में उसका स्वार्थ मौजूद होता है। अगर उस कार्य में लाभ की तुलना में व्यक्तिगत हानि ज़्यादा हो तथा उससे समाज को अधिकतम लाभ पहुँचता हो तो भी मनुष्य वह कार्य नहीं करता है। जैसे- वर्तमान समय में विभिन्न कंपनियों या संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने हित के साथ ही अन्य हितधारकों, जैसे- समाज, पर्यावरण इत्यादि को भी महत्त्व दें, लेकिन वर्तमान प्रतिस्पर्द्धा के युग में इन कंपनियों द्वारा इनकी अवहेलना कर दी जाती है, जो मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति को रेखांकित करता है।

ध्यातव्य है कि मनुष्य की इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण ही वर्तमान समय में विभिन्न समस्याएँ, यथा- आतंकवाद, जैविक, रासायनिक, परमाणु हथियारों का निर्माण, शरणार्थी समस्या, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की महत्त्वाकाक्षांओं के कारण विभिन्न व्यक्तियों का शोषण एवं नरसंहार सामने आए हैं। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस संसार में अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनके मूल में व्यक्तियों की समस्याएँ न होकर व्यक्ति की स्वार्थपूर्ति व स्वार्थी मानसिकता ही थी, जिसमें अनेक लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी।

परंतु यह विचारणीय है कि मनुष्य मूलत: स्वार्थी नहीं होता है बल्कि उसमें स्वार्थ व परार्थ की चेतना साथ-साथ चलती है और 'मार्क्स' जैसे विचारक मनुष्य को मूलत: 'परार्थी' प्रवृत्ति का मानते हैं। अत: मनुष्य की इसी परार्थी प्रवृत्ति के कारण ही संसार में नैतिक व्यवस्था में स्थायित्व और प्रेम, भाईचारा, सौहार्द जैसे मूल्य विकसित हुए हैं, जिन्होंने मानवीय सभ्यता को विकास क्रम में आगे ले जाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त बेंथम का यह कथन एक माँ का अपने बच्चे के प्रति अटूट प्रेम व त्याग तथा एक सैनिक का अपने देश के लिये बलिदान जैसे प्रसंगों की व्याख्या नहीं कर पाता है, जिसमें इन व्यक्तियों की नि:स्वार्थ चेतना मौजूद है।

निष्कर्षत: मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रकृति है कि वह किसी कार्य में अपने हित या लाभ को देखता है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उसकी स्वार्थमूलक इच्छाओं की पूर्ति में व्यतीत होता है। वह भौतिक वस्तुओं को ही नहीं बल्कि स्नेह, प्रेम, त्याग जैसे गुणों को भी इसलिये महत्त्व देता है, क्योंकि वे उसकी इच्छापूर्ति में सहायक होते हैं। इस संदर्भ में 'हॉब्स' ने कहा भी है कि "जिस तरह कोई पत्थर आकाश में उड़ नहीं सकता, वैसे ही कोई मनुष्य परोपकारी नहीं हो सकता।"

प्रश्न: 'विभिन्न खिलाड़ियों का मानना है कि जीतना ही सब कुछ है।' कथन के आधार पर खेलों की दुनिया में उठने वाले विभिन्न नैतिक मुद्दों को बताते हुए समुचित समाधान सुझाएँ।
(150 शब्द, 10 अंक)

"Some players believe that winning is everything." Based on this statement identify the various ethical issues that arise in the world of sports and suggest the appropriate solution.

उत्तर: नीत्शे के अनुसार, 'जीतने की इच्छा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है।' यह प्रवृत्ति खेलों की दुनिया में भी लागू होती है, जिसके कारण विभिन्न खिलाड़ी और टीमें खेल में जीत दर्ज करने को ही अत्यधिक महत्त्व देती हैं। तथा किसी भी परिस्थिति में जीत दर्ज करने की अनैतिक मानसिकता के कारण खिलाड़ी कई बार अनैतिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जिससे खेल के मैदान में खेल भावना महत्त्वपूर्ण न होकर 'द्वेषपूर्ण द्वंद्व' हावी हो जाता है एवं खेल की मूल भावना को चोट पहुँचती है।

गौरतलब है कि खेलों की दुनिया में 'जीतना ही सब कुछ है,' की अवधारणा में जीत हासिल करने के सभी मार्ग उचित हैं। यदि आपकी धोखाधड़ी पकड़ी जाती है तो ही वो धोखाधड़ी है अन्यथा नहीं। यह रेफरी का फर्ज़ है कि वह किसी भी खिलाड़ी की गलती या नियमों के उल्लंघन को पकड़े। हाल में, खेलों की दुनिया में विभिन्न नैतिक मुद्दे उभरकर सामने आए हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- खेल उपकरणों के साथ छेड़खानी करना, जैसे- क्रिकेट में बॉल टेंपरिंग। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर इत्यादि पर बॉल टेंपरिंग के आरोप सिद्ध हुए, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों पर कुछ महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांडीमल एवं पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर भी बॉल टेंपरिंग के आरोप लगे।
- वर्तमान में खेलों की दुनिया में प्रतिस्पर्द्धा अत्यधिक होने के कारण खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को सुधारने व बेहतर बनाने के लिये प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन किया जाता है, जो खिलाड़ियों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन रसायनों का प्रयोग खेल नैतिकता की भावना के विरुद्ध है। खेलों की दुनिया के मशहूर खिलाड़ी मारिया शारापोवा, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग एवं उसैन बोल्ट इत्यादि पर इन प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण प्रतिबंध लगा है।
- खेल के दौरान ज़ख्मी होने का ढोंग करना, जिससे अपनी टीम को खेल में फायदा पहुँचाया जा सके।
- विपक्षी खिलाड़ी को खेल से बाहर करने के लिये चोट पहुँचाना।
- विपक्षी खिलाड़ी की एकाग्रता भंग करने के लिये उस पर छींटाकशी करना, उसे उकसाना।
- खेल से संबंधित नियमों को न मानना या उनका उल्लंघन करना।
- जीत दर्ज करने के लिये सभी अनुचित मार्गों को अपनाना।

खेलों की दुनिया में नैतिकता बनी रहे और खेल, युद्ध का मैदान व द्वेषपूर्ण द्वंद्व बनने की बजाय व्यक्ति के चरित्र एवं व्यवहार की उन्नति में सहायक हो, इसके लिये निम्न उपाय किये जा सकते हैं-

- किसी भी खिलाड़ी को हर संभव परिस्थिति में खेल के नियमों का पालन करना चाहिये, चाहे परिणाम के तौर पर हार का सामना क्यों न करना पड़े।

- व्यक्ति को अपने गुणों, चरित्र और सम्मान का विकास करते हुए खेलना चाहिये, जिससे खेलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिल सके।
- एक खिलाड़ी के तौर पर लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं होना चाहिये, बल्कि सर्वोत्तम प्रयासों एवं सम्मान के साथ जीतना होना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों में 'सद्गुणों' के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जिसके अंतर्गत खेलों में निष्पक्षता/न्यायसंगति, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और सम्मान आदि के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिये अर्थात् सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों, विपक्षी टीम के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों को सम्मान देना तथा खिलाड़ी और प्रशिक्षक मैदान के बाहर और मैदान में अपने आचरण को अनुकरणीय बनाए रखें इत्यादि प्रयास किये जाने चाहिये।

निष्कर्षत: खेल संपूर्ण विश्व में सौहार्द एवं भाईचारे को व्यक्तियों के मध्य बढ़ावा देते हैं, जिसे अभी हाल ही में 'रूस' में हुए फीफा वर्ल्ड कप और इंग्लैंड एंड वैल्स में आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप के संदर्भ में देख सकते हैं। खिलाड़ियों को खेल के मैदान में एवं बाहर नैतिकता से युक्त आचरण का प्रयास करना चाहिये।

प्रश्न: पशुओं से संबंधित विभिन्न नैतिक मुद्दों पर भारतीय दर्शन या विचारक पश्चिम की तुलना में ज़्यादा प्रगतिशील नज़र आते हैं। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

On various ethical issues related to animals, Indian philosophy and thinkers appear more progressive than the West. Explain.

उत्तर: वर्तमान समय में नैतिकता की दुनिया में प्रमुख विवाद यह है कि मनुष्य की नैतिकता या नैतिक व्यवहार सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित है या फिर मानवेत्तर प्राणी भी इस परिधि के अंतर्गत आते हैं। वस्तुत: वर्तमान में पशुओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जैसे- पशुओं पर क्लीनिकल ट्रायल, भोजन एवं कपड़ों के लिये पशुपालन एवं पशु वध इत्यादि के संदर्भ में यह विवाद ज्वलंत हो चुका है।

इस संदर्भ में भारतीय दर्शन या विचारकों और पश्चिमी विचारकों में अंतर दृष्टिगोचर होता है। पश्चिम में पशुओं को मनुष्यों से सभी दृष्टियों में हीन समझा गया है, क्योंकि पशुओं में मनुष्यों की तरह न तो आत्मा होती है और न ही बुद्धि। मनुष्यों के पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार के नैतिक दायित्व नहीं माने गए हैं, इसलिये मनुष्य जैसे चाहे वैसा पशुओं के साथ व्यवहार करें। 'ऑगस्टिन' और 'एक्विनास' जैसे चिंतक इस मत के समर्थक माने जाते हैं।

वस्तुत: पाश्चात्य दार्शनिक रेने देकार्त और थॉमस एक्विनास पशुओं को किसी भी प्रकार के अधिकारों का पात्र नहीं मानते। 'देकार्त' के अनुसार, पशु जटिल जैव रोबोटों से ज़्यादा कुछ भी नहीं हैं। इसी तरह अरस्तू और सार्त्र भी सिर्फ मनुष्य के हित पर ध्यान देते हैं तथा मानवेत्तर प्रकृत्ति को मानव के लिये साधन समझते हैं। उल्लेखनीय है कि कार्ल मार्क्स जैसे विचारक भी पशुओं के प्रति मनुष्य का कोई दायित्व नहीं मानते हैं। परंतु पश्चिम में ईसा मसीह पशुओं के प्रति अत्यधिक करुणा रखते थे और आधुनिक ईसाई मत भी पशुओं के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखता है।

विचारणीय बिंदु है कि भारतीय दर्शन में मानव के साथ-साथ मानवेत्तर प्राणियों को भी अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है और उनके प्रति मानव के समान व्यवहार करने की बात कही जाती है। भारतीय उपनिषदों में 'ईशावास्यमिंद सर्वं' अर्थात्- जगत् के कण-कण में ईश्वर की उपस्थिति को माना गया है। ईश्वर ही अलग-अलग तरीके से विभिन्न मनुष्यों को स्वीकार करता है, अन्य प्राणियों पेड़-पौधों तथा भौतिक वस्तुओं में व्यक्त होता है। गौतम बुद्ध एवं महावीर जैन ने पशुओं के विरुद्ध हिंसा की आलोचना की है और महावीर जैन ने अपनी नीति मीमांसा में खेती न करने की बात कही, क्योंकि खेती करने के कारण अनेक सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने जैन अनुयायियों को हर संभव स्तर तक जाकर जीव-जंतुओं की रक्षा करने की हिदायत दी।

ध्यातव्य है कि आधुनिक काल में महात्मा गांधी उपनिषद् के 'ईशावास्यमिंद सर्वं' (अर्थात् प्रकृति के कण-कण में ईश्वर का निवास) को मानते हैं और कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं बाकी जीव-जंतुओं में भी ईश्वर का अस्तित्त्व है और वे हमारे सजातीय हैं। इसलिये मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह पशुओं का मन चाहा उपभोग करे। इस प्रकार गांधीजी की नीतिमीमांसा पशुओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील नज़र आती है।

सार यही है कि भारतीय दर्शन या विचारक पश्चिम की तुलना में पशुओं के प्रति व्यवहार को लेकर ज़्यादा प्रगतिशील और संवेदनशील नज़र आते हैं। अत: वर्तमान समय में पशुओं के प्रति होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के लिये भारतीय दर्शन या विचारकों के मार्ग का अनुसरण किया जाए तथा मानव के समान ही पशुओं को महत्त्व प्रदान किया जाए, क्योंकि पशु भी इस संसार में मानव के समान ईश्वर की अद्वितीय कृति हैं।

प्रश्न: क्या सिर्फ सुख प्राप्त करना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिये? सिर्फ सुख प्राप्त करने का उद्देश्य रखना व्यक्ति व समाज दोनों के लिये क्या विषम स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है? चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Should attainment of happiness be the only objective of an individual? What challenging situations can be created for individual and society by a single-minded pursuit of pleasure? Discuss.

उत्तर: बेंथम और मिल के अनुसार, सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं। यह बात सच है कि सुखों की आकांक्षाएँ ही वे प्रेरणाएँ हैं, जो व्यक्ति के जीवन में उत्साह बनाए रखती हैं और व्यक्ति को निरंतर अपनी कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिये साहस देती हैं।

ध्यातव्य है कि सभी के लिये सुख का अर्थ और उसकी परिधि का विस्तार भिन्न-भिन्न हो सकता है। कोई व्यक्ति दूसरों के लिये त्याग करने में सुख प्राप्त कर सकता है तो कोई व्यक्ति दूसरे को पीड़ित करने

में सुख प्राप्त करता है। यह सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह सुख को किस परिधि में समेटना चाहता है। अगर व्यक्ति का सुख सर्वोच्च स्तर पर अर्थात् समाज सेवा और परोपकार का सुख है तो सिर्फ सुख प्राप्त करना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिये, परंतु अगर यह सुख निम्नवर्ती सुख, जैसे- स्वादिष्ट भोजन, गहरी नींद जैसे दैहिक सुखों पर केंद्रित हो और दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से उसे सुख प्राप्त होता है तो सिर्फ सुख प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होना चाहिये। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को सिर्फ सुख प्राप्त करने को ही उद्देश्य नहीं समझना चाहिये बल्कि संयमपूर्वक उपभोग, त्याग, सद्गुण, उच्च मूल्यों का विकास इत्यादि को भी जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिये।

द्रष्टव्य है कि सिर्फ सुख प्राप्त करने का उद्देश्य रखना व्यक्ति व समाज दोनों के लिये नकारात्मक है। यदि व्यक्ति सिर्फ निम्नवर्ती सुखों की अंधी दौड़ में शामिल होगा, तो इससे व्यक्ति के चारित्रिक ह्रास के साथ-साथ अनियंत्रित भोग-विलास को बढ़ावा मिलेगा, जिनकी पूर्ति करना एक समय पश्चात् व्यक्ति के लिये आसान नहीं रह जायेगी। वस्तुत: वर्तमान पूंजीवादी युग में वस्तुओं की भरमार है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विभिन्न साधनों द्वारा व्यक्तियों को अत्यधिक उपभोग के लिये प्रेरित किया जाता है, जिनके बहकावे में आकर व्यक्ति ऋण दुश्चक्र में फँस जाता है, जो व्यक्ति में तनाव, अवसाद, अजनबीपन, निरर्थकताबोध जैसी समस्याओं का कारण बनता है। यह व्यक्ति के अत्यधिक सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि वर्तमान में भ्रष्टाचार, सामाजिक मूल्यों पर आर्थिक मूल्यों को वरीयता, कम समय एवं कम मेहनत में दूसरों से आगे निकलने के कारण अनैतिक साधनों का उपयोग जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं।

उल्लेखनीय है कि समाज में अगर सभी व्यक्ति सिर्फ सुख प्राप्त करने को अपना उद्देश्य बनाएंगे तो इससे समाज में एक अनैतिक वातावरण पैदा हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने सुख प्राप्त करने की इच्छा में दूसरे व्यक्तियों को अपना विरोधी मानेंगे। फलत: समाज में नैतिक व्यवस्था में अस्थायित्व बढ़ेगा। साथ ही, व्यक्ति 'आत्मकेंद्रित' होने के साथ-साथ समाज से कट जाएगा।

निष्कर्षत: सुख प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन व्यक्ति को ऐसे सुखों को प्राप्त करने का उद्देश्य बनाना चाहिये, जो स्वयं को उत्कर्ष तक पहुँचाने के साथ ही समाज के विकास में भी योगदान दे सकें। इस प्रकार व्यक्ति को 'निम्नवर्ती' स्तर के सुखों से 'सर्वोच्च' स्तर पर सुखों को प्राप्त करने के लिये प्रयास करना चाहिये।

प्रश्न: सिर्फ जीना ही काफी नहीं है; आपके पास कुछ ऐसा लक्ष्य भी होना चाहिये जो गौरव व सम्मान की अनुभूति करा सके। व्यक्ति के संदर्भ में इस कथन की क्या उपयोगिता हो सकती है? स्पष्ट करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Mere existence is not enough; one should also have such a goal which can bring pride and respect. What is the utility of this statement in the context of an individual? Explain.

उत्तर: व्यक्ति संसार में जन्म लेता है और अपने लिये कुछ उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करता है, जिनको पूरा करने के लिये व्यक्ति निरंतर संघर्षरत रहता है। बिना उद्देश्य के अभाव में जीना 'मंथर मृत्यु' के सम्मान है।

वस्तुत: इस संसार में मनुष्य अपना जीवनयापन करता है और पशु-पक्षी व जीव-जंतु भी जीते हैं, लेकिन इनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता है, जबकि मनुष्य के जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होता है, जो इसे विशिष्ट बनाता है, इसीलिये सिर्फ जीना ही काफी नहीं है।

अब यह सवाल उठता है कि सिर्फ उद्देश्य होना ही काफी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने मानवीय नरसंहार व मानवता के विनाश को अपना उद्देश्य बना लिया तो क्या व्यक्ति गौरव व सम्मान की अनुभूति कर सकता है। तो इसका जवाब मिलता है, नहीं। वस्तुत: व्यक्ति के पास कुछ उच्च उद्देश्य होने चाहिये, जो मानवीय सभ्यता के विकास में सहायक हों और जिनसे व्यक्ति गौरव व सम्मान की अनुभूति कर सके।

उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता को अपना उद्देश्य बनाया और उन्होंने अहिंसक तरीके से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के औपनिवेशिक शोषण से मुक्त कराया। इसी प्रकार नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में सरकार की रंगभेदी नीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जीवन का एक लंबा समय जेल में व्यतीत किया, किंतु अंतत: उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से रंगभेदी नीतियों को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की। इन महान व्यक्तियों के महान उद्देश्य के कारण ही इन्हें संसार में सम्मानपूर्वक याद किया जाता है।

ध्यातव्य है कि व्यक्ति के उद्देश्य ही उसे लगातार जीवन में संघर्ष करने के लिये प्रेरित करते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये वह कठोर परिश्रम करता है, जिससे न केवल वह व्यक्ति गौरव व सम्मान की अनुभूति प्राप्त करता है बल्कि समाज को भी इससे लाभ प्राप्त होता है। जैसे- 'एडिसन' ने बल्ब के आविष्कार को अपना उद्देश्य बनाया, जिससे वह संसार में प्रकाश पैदा करके मानव के जीवन को आसान बना सके और इस उद्देश्य की प्राप्ति उन्हें गौरव व सम्मान की अनुभूति प्रदान कराती थी, जिसके कारण वे अनेक बार परीक्षण में असफल होने के बावजूद अपने प्रयासों में लगे रहे और अंतत: बल्ब के आविष्कार में सफलता प्राप्त की।

समग्रत: व्यक्ति के उद्देश्य उसे विशिष्ट गौरव व सम्मान की अनुभूति कराकर मानवीय सभ्यता के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं फिर चाहे वह न्यूटन हो, डार्विन हो या कार्ल मार्क्स। मानवीय सभ्यता भी उन्हीं व्यक्तियों को याद रखती है, जिनके उद्देश्य महान हों, न कि सिर्फ जीना ही उनके जीवन का मक़सद हो। इसलिये किसी विद्वान ने कहा है- 'असफलता नहीं अपितु निरुद्देश्य जीवन ही अपराध है।'

प्रश्न: वर्तमान में लोक सेवक के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं? प्रस्तुत विषय पर चर्चा करते हुए लोक सेवा में सुधार के संबंध में उपायों को सुझाएँ। (150 शब्द, 10 अंक)

What are the challenges faced by civil servants these days? Discuss the issue involved and suggest measures for improvement in civil service.

उत्तर: वर्तमान पूंजीवाद एवं उदारीकरण के युग में भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में लोक सेवकों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लोक सेवक सरकार और जनता के मध्य 'सेतु' का अर्थात् संवाद का कार्य करते हैं। भारत अभी अपने विकास के पथ पर अग्रसर है तथा सिविल सेवक इस पथ को सरल एवं कुशल बनाने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में लोक सेवकों के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं जो निम्नलिखित हैं-

- वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अपेक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं, जबकि राज्य के पास संसाधन सीमित हैं। गठबंधन की राजनीति के कारण परस्पर विरोधी राजनीति तथा अतिशय दबाव, मीडिया का दबाव तथा सिविल सोसायटी आंदोलन इत्यादि के कारण सिविल सेवकों पर इन संस्थाओं की कसौटियों पर खरा उतरना अर्थात् राज्य की संवृद्धि में प्रयास जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- शासन व्यवस्था में मौजूद जटिल प्रक्रियाएँ तथा जोखिम न लेने की मानसिकता के कारण 'नवाचार' जैसी प्रवृत्ति सिविल सेवकों में उत्पन्न नहीं हो रही है, जबकि नवाचार किसी भी समाज, संगठन, राष्ट्र के लिये उपयोगी होता है।
- एक सिविल सेवक के समक्ष यह प्रमुख चुनौती आ रही है कि वह एक बेहतर 'कार्य संस्कृति' का निर्माण नहीं कर पा रहा है। एक बेहतर 'कार्य संस्कृति' संगठन की उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि करने में सहायक होती है।
- सिविल सेवकों में अपने कार्य के प्रति उत्साह की कमी नज़र आ रही है। साथ ही सिविल सेवकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का चुनाव करने का भी अधिकार नहीं है।
- वर्तमान में सिविल सेवकों के समक्ष किसी राजनीतिक विचारधारा या पार्टी के समर्थन में न होना एक प्रमुख चुनौती बन गया है, क्योंकि इन सिविल सेवकों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा अत्यधिक प्रलोभन दिये जाते हैं। इन परिस्थितियों में राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखना सिविल सेवक के लिये एक प्रमुख चुनौती है।
- वर्तमान में किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिये 'टीम वर्क' की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है और इस 'टीम वर्क' का बेहतर क्रियान्वयन तभी किया जा सकता है, जब सिविल सेवक 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' से युक्त हों। सिविल सेवकों द्वारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग शासन व्यवस्था में कर पाना एक प्रमुख चुनौती है।

अत: उपर्युक्त चुनौतियों को देखते हुए लोकसेवा में सुधार के संबंध में निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- सिविल सेवक संविधान के भाग-14 के विशिष्ट उपबंधों के तहत रक्षण की सुविधा पाते हैं, जो उनकी सेवा की शर्तों के विनियमन को अधिकृत करती है। इस संबंध में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का मत है कि अनुच्छेद-311 को संविधान से हटा दिया जाना चाहिये जिससे सिविल सेवकों को प्राप्त विशिष्ट सुरक्षाओं की समाप्ति की जा सके।
- प्रशासनिक व्यवस्था का रूप बदला जाना चाहिये, ताकि सिविल सेवा के प्रत्येक स्तर पर ढाँचाबद्ध और इंटरलॉक्ड जवाबदेही के साथ कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट आवंटन हो सके, जिसमें सरकारी सेवक उस ढंग से जवाबदेह ठहराया जा सके जिस ढंग से वह अपना कर्त्तव्य निभाता है। ऐसा आवंटन विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिये और इसमें मूर्त रूप में नियंत्रण अधिकारियों का निरीक्षण और निगरानी के उत्तरदायित्व शामिल होने चाहिये।
- सिविल सेवकों में डिस्क्रेशन को घटाकर और व्यवस्था में अधिकतम पारदर्शिता लाकर तथा किये गए कृत्यों के लिये कड़ी जवाबदेही को तय करके लोक सेवा में विद्यमान भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- सिविल सेवा में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। जैसे कुछ विशिष्ट पदों पर निजी क्षेत्र के लोगों को आमंत्रण करना अर्थात् लैटरल एंट्री की दिशा में प्रयास करना। हालाँकि, ये प्रयास धीरे-धीरे किये जाने चाहिये, जिससे सिविल सेवा में विशेषज्ञता को बढ़ावा मिल सके।

निष्कर्षत: लोक सेवा में उपर्युक्त सुधार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को बढ़ावा देंगे, जिससे सरकारी कामों में और अधिक पारदर्शिता आएगी।

प्रश्न: भारतीय शासन प्रणाली में 'उत्तरदायित्व' का अभाव होने के कारण यह 'नैतिक शासन' की प्राप्ति में बाधक है। आपके अनुसार उत्तरदायित्व किस प्रकार नैतिक शासन की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये सहायक है? उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

The absence of 'responsibility' in the Indian governance system is an obstacle to the achievement of 'ethical governance'. According to you, how responsibility can be helpful in attaining ethical governance? What measures can be taken to ensure 'responsibility'?

उत्तर: 'उत्तरदायित्व' का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है, उस पर यह बाध्यता होनी चाहिये कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व तार्किक व्याख्या कर सके, जैसे किसी विशेष स्थिति में कौन-सा निर्णय लिया गया और क्यों? कितना धन किस मद में खर्च किया गया और क्यों? तो दूसरी तरफ नैतिक शासन नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन में 'सही और गलत' जैसे नैतिक मानदंडों पर अधिक बल देता है तथा 'शुभ' की प्राप्ति इसका साध्य होता है।

भारतीय शासन प्रणाली में लोक सेवकों एवं संस्थाओं में 'उत्तरदायित्व' का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण उनके निर्णय संविधान और कानूनों से सुसंगत सिद्ध न होने के साथ ही नैतिक संहिता और आचरण संहिता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, जिसके कारण लोक सेवकों एवं इन संस्थाओं द्वारा सरकारी नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन न होने और जवाबदेही जैसे मूल्य विकसित नहीं होते हैं। फलत: सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम तय समय पर पूरा न होने के अलावा इन योजनाओं की समय अवधि बढ़ती जाती है, जिससे अतिरिक्त समय खर्च होने के साथ ही संसाधनों का दुरुपयोग होता है। दूसरी तरफ जवाबदेही व उत्तरदायित्व का अभाव होने के कारण भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार उत्तरदायित्व का अभाव नैतिक शासन की प्राप्ति में बाधा है।

अब सवाल यह उठता है कि उत्तरदायित्व किस प्रकार नैतिक शासन में सहायक है? वस्तुत: उत्तदायित्व जैसे गुण शासन में ईमानदारी को बढ़ाने के साथ ही उच्च नैतिक मूल्यों के विकास में सहायक है, क्योंकि ईमानदारी से परिपूर्ण लोक सेवक एवं संस्थाएँ गरीब एवं वंचित वर्गों के हितों में ही अपना कार्य संतुष्टि समझते हैं। इसके अलावा 'उत्तरदायित्व' जैसे गुणों के कारण कोई लोक सेवक या संस्था तार्किक आधार पर अपना निर्णय लेता है, जो उस परिस्थिति में 'सर्वोच्च' हो सकता है।

उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- सूचना का अधिकार तथा सूचना व संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग, जैसे ई-गवर्नेंस के उपयोग को बढ़ावा देना। इसके अतिरिक्त नागरिक घोषणापत्र की प्रभावी उपस्थिति।
- सामरिक महत्त्व के विषय को छोड़कर जहाँ संभव हो, वहाँ प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति लागू करना। सभी विभागों द्वारा वर्ष में कम-से-कम एक बार लोक अदालत ज़रूर लगाई जाए।
- भ्रष्ट अधिकारियों तथा निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही हेतु संस्थाएँ होनी चाहिये। सतर्कता आयोग, लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसी संस्थाओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिये।
- सभी परियोजनाओं तथा सेवाओं के संबंध में कुछ घोषणाएँ सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिये, जैसे- गुणवत्ता के मानक, विभिन्न चरणों के पूरा होने की समय-सीमाएँ इत्यादि।

निष्कर्षत: 'उत्तरदायित्व' के द्वारा शासन व प्रशासन को प्रभावी बनाकर 'नैतिक शासन' की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है।

प्रश्न: अंधविश्वास न सिर्फ एक व्यक्ति को कमज़ोर बनाता है बल्कि एक प्रगतिशील समाज में बाधा उत्पन्न करता है। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा करने के साथ ही इससे उत्पन्न नैतिक मुद्दों को स्पष्ट करें।

(150 शब्द, 10 अंक)

Superstition not only weakens an individual but also hinders a progressive society. Discuss the various factors that promote superstition and explain the ethical issues arising from it.

उत्तर: अंधविश्वास को अतार्किक विश्वास या पारलौकिक शक्ति पर अत्यधिक विश्वास के रूप में देखा जाता है जो सामान्यत: अज्ञानता या भय, तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का न होना इत्यादि पर आधारित होता है तथा जिसकी जादू-टोना, शगुन, नर बलि, पशु बलि आदि के प्रति आसक्तिपूर्ण श्रद्धा होती है।

उल्लेखनीय है कि अंधविश्वास के कारण व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर भरोसा न करके किसी अन्य सत्ता के प्रति आसक्त हो जाता है। अर्थात् उसकी स्थिति अकर्मण्य के समान हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण दोहन नहीं कर पाने के साथ ही तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्त्व नहीं दे पाता है, जिससे व्यक्ति के निर्णय बाधित होते हैं, जो व्यक्ति को कमज़ोर बनाते हैं। इसके अलावा अंधविश्वास की प्रवृत्ति समाज की प्रगति में बाधा पैदा करती है, क्योंकि अंधविश्वास से समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्त्व नहीं दिया जाता। अंधविश्वास से विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का भी विकास होता है, जो समाज की प्रगति व विकास में बाधा पैदा करती हैं। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारक निम्नलिखित हैं-

- टीवी धारावाहिक और ऐसे ही अन्य स्रोत अंधविश्वासपूर्ण तत्त्वों को वास्तविक लगने वाली कहानियों के रूप में चित्रित करते हैं, जिससे दर्शकों विशेषकर बच्चों की मानसिकता प्रभावित होती है।
- अज्ञानता अंधविश्वास को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षा से वंचित व्यक्ति इन अंधविश्वासों के प्रति अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिये ज़्यादा आकर्षित होता है।
- व्यक्ति के 'समाजीकरण' की प्रक्रिया के दौरान वह समाज व परिवार से कई बातों को सीखता है और ऐसी स्थिति में अगर परिवार और धर्म में अंधविश्वास मौजूद है, तो उस बच्चे में भी अंधविश्वास के प्रति उर्वर भूमि तैयार हो जाती है।
- मनुष्य की यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वह सुरक्षा चाहता है। यह प्रवृत्ति उसे आसानी से इन अलौकिक तत्त्वों पर विश्वास करने के लिये प्रेरित करती है, जिसके कारण व्यक्ति यह समझता है कि वह कुछ अनिश्चितताओं का समाधान निकाल सके, जो व्यक्ति को अंधविश्वास की तरफ आकर्षित करती है।

अंधविश्वास समाज में व्यक्तियों के शोषण का कारण होता है और अंधविश्वासों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रमुख नैतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- अंधविश्वासों से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है जिससे मानवता का ह्रास होता है जैसे- मानव बलि, आग पर चलने के लिये विवश करना। किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक विसंगतियों के आधार पर 'अशुभ' मानना इत्यादि के कारण उसके साथ भेदभावपरक व्यवहार किया जाता है।
- अंधविश्वास के कारण पशु अधिकारों का भी उल्लंघन होता है, जैसे- पशु बलि, जल्लीकट्टू की प्रथा इत्यादि।
- व्यक्तियों का भाग्यवादी दृष्टिकोण, जिसमें प्रत्येक दुर्घटना को भाग्य की बात मान लिया जाता है, जैसे कि कुछ पड़ोसी देशों में यह देखा गया कि माता-पिता ने अपने बच्चों का पोलियो टीकाकरण कराने से इसलिये मना कर दिया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह भाग्य की बात है।
- व्यक्तियों की विवेकहीनता, जिसके कारण भय और अतार्किक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे- गर्भ में भ्रूण लिंग बदलने का दावा।

निष्कर्षत: किसी भी सभ्य समाज और आधुनिक काल में अंधविश्वास जैसी प्रवृत्तियों के विरुद्ध कठोर आचरण की आवश्यकता है और बच्चों में शुरुआत से ही वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने का प्रयास करके एक तार्किक एवं चिंतनशील समाज का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न: प्रतिबंध संस्कृति को बढ़ावा दिये जाने के प्रमुख कारणों की चर्चा करें तथा प्रतिबंध संस्कृति से उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों को भी स्पष्ट करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Explain the moral issues arising from 'ban culture' and discuss the main reasons behind its rise.

उत्तर: भारत अपनी संस्कृति के कारण विश्वविख्यात रहा है। सहिष्णुता, भाईचारा, सौहार्द हमारी संस्कृति की आत्मा रहे हैं। लेकिन वर्तमान की प्रवृत्तियाँ कुछ और ही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं, जिसमें प्रतिबंध संस्कृति का उद्भव होता प्रतीत हो रहा है। प्रतिबंध यदि सामाजिक या राजनीतिक बुराई पर लगे तो यह समाज के लिये प्रेरणादायक हो सकता है।

किंतु वर्तमान समय की परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि वैचारिक मतभेद तथा असहिष्णुता के कारण प्रतिबंध संस्कृति अपना सर उठा रही है।

इस प्रवृत्ति के कुछ कारणों का उल्लेख निम्नलिखित है-

- **वोट बैंक की राजनीति:** इसके अंतर्गत राजनेताओं द्वारा दो भिन्न विचारधारा वाले वर्ग का निर्माण कर राजनीतिक फायदा उठाना आसान हो जाता है।
- **राजनीतिक संस्कृति में बदलाव की अनुभूति कराना:** राजनीति में एक अलग व्यक्तित्त्व के रूप में प्रसिद्धि पाने तथा सुधार की दिशा में कार्य करते हुए, राजनीति में व्याप्त बुराइयों एवं अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है।
- **प्राणिजगत के प्रति संवेदनशीलता का प्रदर्शन:** अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक लोक-कल्याणकारी राज्य के रूप में कई तरह के पशु संबंधित खेलों पर भी प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध।
- **वैचारिक सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना:** अपनी विचारधारा को सर्वोपरि मानकर असहिष्णुता की भावना से किताबों पर प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं।

उपर्युक्त कारणों से कई नीतिगत मुद्दे चुनौतियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे-

- **न्याय का प्रश्न:** कई बार प्रतिबंध आरोपित करने हेतु पुलिस तंत्र का सहारा लिया जाता है। यदि इसमें हिंसा का प्रयोग होता है तब न्याय संबंधी चुनौतियाँ सामने आती हैं।
- **भय व असहिष्णुता का माहौल:** जब किसी संप्रदाय विशेष की संस्कृति का आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तब हिंसात्मक गतिविधियाँ भारतीय संस्कृति की आत्मा पर चोट करती हैं। उदाहरणस्वरूप दलित, मुस्लिम हिंसा की वारदातें।
- **सांस्कृतिक भावना का आहत होना:** किसी क्षेत्र अथवा संप्रदाय विशेष की संस्कृति पर प्रतिबंध उनमें उपेक्षा का भाव पैदा करता है। जब जल्लीकट्टू जैसे खेलों पर प्रतिबंध की बात आती है तब संबंधित लोगों को लगता है कि यह उनकी द्रविड़ संस्कृति पर चोट है।

अत: जब सरकार द्वारा सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये प्रतिबंध आरोपित किये जाएँ तो पहले जन समुदाय को जागरूक कर उन्हें विश्वास में लेना आवश्यक है।

प्रश्न: निम्नलिखित मूल्य सिविल सेवा की प्रकृति को देखते हुए महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं-

(a) सत्यनिष्ठा

(b) निष्पक्षता

(c) सेवा भावना

(d) सहिष्णुता

एक लोक सेवक के जीवन में उक्त मूल्यों की प्रासंगिकता का परीक्षण करें। (150 शब्द, 10 अंक)

The following values are considered important in civil services-

(a) Integrity

(b) Objectivity

(c) Spirit of Service

(d) Tolerance

Examine the relevance of the above values in the life of a public servant.

उत्तर: भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में गरीब एवं वंचित वर्गों के हितों की रक्षा, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिये ज़रूरी है कि एक सिविल सेवक में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, सेवा भावना, सहिष्णुता जैसे मूल्य विकसित हों।

उत्तर: (a) सत्यनिष्ठा: लोक जीवन में सत्यनिष्ठा से आशय अपने कथनों और कृत्यों में ईमानदारी और उनमें सुसंगति बनाए रखने से है। लोक सेवक की सत्यनिष्ठा से राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है, वे लाभ उनको प्राप्त होंगे। वस्तुत: वर्तमान में महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील पद उन्हीं सिविल सेवकों को दिये जाते हैं जिन्होंने सत्यनिष्ठा का पालन किया है।

उत्तर: (b) निष्पक्षता: निष्पक्षता का अर्थ है- निर्णयकर्त्ता को कोई भी निर्णय सिर्फ 'वस्तुनिष्ठ' कारणों को आधार बनाकर करना चाहिये। लोक सेवकों में निष्पक्षता के होने से वे किन्हीं पूर्वाग्रहों, रूढ़ियों में बंधकर किसी समाज या समुदाय के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में सिविल सेवकों के 'निष्पक्ष' होने पर वह राज्य के आर्थिक संसाधनों का समाज के अनुकूल दोहन करेगा, न कि पूंजीपति वर्ग के दबाव में।

उत्तर: (c) सेवा भावना: लोक सेवा में सेवा भावना का अर्थ है कि सिविल सेवक को वेतन, सम्मान और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देकर सामाजिक कल्याण में अपनी पूरी ऊर्जा लगानी चाहिये। लोक सेवक समाज के प्रति कार्य करने को ही प्रामाणिक जीवन जीने की शर्त मानते हैं। वर्तमान में सिविल सेवकों में सेवा भावना होने पर ही वे कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू कर पाएंगे।

उत्तर: (d) सहिष्णुता: सहिष्णुता से आशय, अपने विरोधी तथा भिन्न धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल के विचारों एवं विचारधाराओं को सुनने और समझने की क्षमता रखना तथा यदि उनका पक्ष तार्किक या सही है, तो उसे स्वीकार करने से है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में लोक सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विविधताओं का सम्मान करे। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के दौर में समाजों के वैविध्य में वृद्धि हो रही है। अत: सिविल सेवकों के लिये वर्तमान में सहिष्णुता जैसे मूल्य अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि सिविल सेवकों के अधिक आक्रामक हो जाने से सरकार पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है।

प्रश्न: भ्रष्टाचार को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय नैतिकता है न कि कानून। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

Ethics, and not legislation, can most effectively check corruption. Critically evaluate.

उत्तर: भ्रष्टाचार समाज तथा प्रशासन दोनों के लिये हानिकारक है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिये अब तक बनाए गए विभिन्न नियम-कानून सफल नहीं हो पा रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् भ्रष्टाचार को रोकने के लिये 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' जैसे कानून तथा 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' का गठन जैसे विभिन्न संस्थागत प्रयास किये गए। किंतु इसके बावजूद भ्रष्टाचार के विरुद्ध तमाम कार्रवाइयाँ दिखावा मात्र बनकर रह गई हैं।

अत: अब हमें समझना होगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभिन्न कानूनों का निर्माण इस समस्या की जड़ों को कमज़ोर नहीं कर सकता है। अत: आवश्यकता है कि हम अपने सार्वजनिक व व्यक्तिगत जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दें, जैसे- 'द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग' ने अपनी रिपोर्ट में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, अनुकरणीय आचार जैसे मूल्यों को विभिन्न लोक सेवकों में विकसित करने को कहा है। इसके अलावा आवश्यकता है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करें और भ्रष्टाचार विरोधी मूल्यों को बढ़ावा दें, जिससे भारत में भ्रष्टाचार का जो 'संस्कृतीकरण' हो गया है उसे समाप्त किया जा सके। जैसा कि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा, "माता-पिता और गुरु किसी राष्ट्र से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।" विभिन्न संस्थाओं और प्रशासन में 'नैतिक संहिताओं' और 'आचरण संहिताओं' का निर्माण कर और उनका कड़ाई से पालन करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।

गौरतलब है कि नैतिकता अर्थात् आंतरिक दबाव के अतिरिक्त कानून, नियम जैसे बाहरी दबाव भी भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। इसी क्रम में हमें एक सशक्त लोकपाल व लोकायुक्त की आवश्यकता है, जिससे भ्रष्टाचार से संबंधित विवादों का निपटारा शीघ्र किया जा सके तथा भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को जल्दी-से-जल्दी कानून के शिकंजे में कसा जा सके, जिससे समाज के अन्य व्यक्तियों में डर पैदा हो।

समग्रत: यही कहा जा सकता है कि नैतिकता भ्रष्टाचार के विरुद्ध पहली रक्षा पंक्ति है जबकि कानूनी व दंडात्मक उपाय उपचारात्मक हैं। भ्रष्टाचार नैतिक नियमों की गंभीर विफलता है इसलिये हमें एक 'ईमानदार कार्यसंस्कृति' की सख़्त आवश्यकता है जोकि कानून और नैतिकता के सामंजस्य से लाई जाए।

प्रश्न: "हमें दूसरों के लिये वह करना चाहिये जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिये करें।" मानकीय नीतिशास्त्र के संदर्भ में स्पष्ट करें।
(150 शब्द, 10 अंक)

"Do unto others as you would have them do unto you." Explain in the context of principle of morality.

उत्तर: मानकीय नीतिशास्त्र, आदर्श सिद्धांतों व मानकों के निर्माण से संबंधित है जो व्यक्ति को 'क्या किया जाना चाहिये' का निर्देश देता है। यह व्यक्ति के नैतिक निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है।

नीतिशास्त्र में यह प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये? इस संदर्भ में मानकीय नीतिशास्त्र के अनुसार, मनुष्य को दूसरे व्यक्तियों के साथ 'साध्य' की तरह व्यवहार करना चाहिये; न कि 'साधन' मानकर। जैसा कि जब कोई व्यक्ति संकटकालीन परिस्थितियों में होता है तो वह समाज के अन्य व्यक्तियों से दयालुता व करुणा की अपेक्षा रखता है। अत: आवश्यक है कि वह व्यक्ति भी अपने निजी जीवन में दयालुता व करुणा जैसे मूल्यों को अपनाए।

वस्तुत: ग्रीक नीतिमीमांसा अर्थात् सद्गुण नीतिशास्त्र में सुकरात, प्लेटो व अरस्तू जैसे विचारकों ने 'सद्गुणों' को अर्जित करने पर बल दिया ताकि व्यक्ति समाज में एक-दूसरे से ठीक प्रकार से व्यवहार कर सकें। इसी तरह 'सुखवादी विचारकों', जैसे- हॉब्स, अरिस्टीपस आदि का मत है कि मनुष्य की मूल प्रकृति सुख प्राप्त करने की है। अत: मनुष्य को स्वयं सुख प्राप्त करने के साथ दूसरों को भी सुख प्राप्त करने देना चाहिये।

यद्यपि कुछ दार्शनिकों ने इसकी आलोचना की है। उनके अनुसार व्यक्ति को यह जानकारी नहीं होगी कि अन्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, क्योंकि लोगों की रुचियाँ, ज़रूरतें और अभिवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। इस संदर्भ में बर्नार्ड शॉ एक वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करते हैं, "दूसरों के साथ वैसा मत करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ नहीं करें।"

सार यही है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जो तुम अपने लिये चाहते हो। इससे वर्तमान संदर्भ की अनेक समस्याओं, जैसे- लैंगिक एवं नस्लीय भेदभाव, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक असमानता जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो, "जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं वह परिवर्तन पहले स्वयं में लाएँ।"

प्रश्न: "आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।" इस कथन की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता बताइये।
(150 शब्द, 10 अंक)

"An eye for an eye will make the whole world blind." Explain the relevance of this statement in the current scenario.

उत्तर: उपर्युक्त कथन महात्मा गांधी की नीतिमीमांसा में 'अहिंसा' से संबंधित है। इसी प्रकार का कथन 'बाइबिल' में भी दिखाई पड़ता है। इस कथन का आशय यह है कि प्रतिशोध या बदले की भावना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती है और इससे समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है।

ध्यातव्य है कि हिंसा से किसी समस्या का तात्कालिक व एकपक्षीय समाधान ही हो सकता है। अगर हम हिंसा का अपने जीवन एवं समाज में उपयोग करते रहे तो समाज में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति का शत्रु होगा। महात्मा गांधी के अनुसार 'अहिंसा' प्रतिशोध या बदले की भावना से बेहतर है। समाज में हिंसा को बढ़ावा देते रहे तो हिंसा की यह कड़ी कभी रुकेगी नहीं।

वर्तमान जैव, रासायनिक एवं परमाणु हथियारों के युग में महात्मा गांधी का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि अब अगर 'तीसरा विश्वयुद्ध' हुआ तो यह संपूर्ण मानव सभ्यता का विनाश कर सकता है। यह विचारणीय बिंदु है कि परमाणु हथियारों का उपयोग किस प्रकार भयंकर नरसंहार को जन्म दे सकता है। हम इसे 'हिरोशिमा' एवं 'नागासाकी' में हुए परमाणु हमलों में देख सकते हैं।

वर्तमान घटनाक्रम में देख सकते हैं कि हिंसा का उपयोग किस प्रकार नई समस्याओं को जन्म दे सकता है। जैसे आतंकवाद व नक्सलवाद 20वीं सदी में प्रारंभ हुई घटनाएँ हैं और अब आतंकवाद का स्वरूप ज़्यादा व्यापक हो गया है जिसे हम पश्चिमी देशों में हुए आतंकवादी हमलों और हालिया श्रीलंका आंतकवादी हमलों के संदर्भ में समझ सकते हैं।

सार यही है कि 'आँख के बदले में आँख' का सिद्धांत पूरे विश्व में हिंसा को बढ़ावा दे सकता है जो समाज एवं मानव दोनों के लिये भयानक है। अत: आवश्यकता है कि हम व्यक्तियों में सहनशीलता, करुणा व दया जैसे मूल्यों का विकास करें जो मानवीय सभ्यता को आगे ले जाने में सक्षम हों, न कि पीछे धकेलने में।

प्रश्न: नैतिक शासन के लिये आवश्यक है कि 'गोपनीयता की संस्कृति' की बजाय 'पारदर्शिता की संस्कृति' विकसित की जाए। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

For ethical governance 'culture of transparency' should be promoted over 'culture of privacy'. Analyze.

उत्तर: नैतिक शासन नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सही और गलत जैसे नैतिक मानदंडों पर बल देता है। 'सही और गलत' का मापन नैतिक शासन में इस बात पर निर्भर करता है कि शासन और प्रशासन में 'गोपनीयता की संस्कृति' को महत्त्व दिया जाता है या 'पारदर्शिता की संस्कृति' को।

यह बात सत्य है कि 'गोपनीयता की संस्कृति' शासन में कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है, जैसे- शासन व प्रशासन का अकर्मण्य होना, उत्तरदायित्व की भावना से युक्त न होना, भ्रष्टाचार का बढ़ना इत्यादि। वस्तुत: 'पारदर्शिता की संस्कृति' नागरिकों को सरकार के कार्यों की जानकारी प्रदान कर उन्हें सरकार के कार्यों की समीक्षा करने में सक्षम बनाती है।

स्पष्टत: एक नैतिक शासन और लोकतंत्र की सफलता के लिये आवश्यक है कि व्यक्ति सरकार में अधिकतम हिस्सा लें और सरकार में हिस्सा लेने के लिये ज़रूरी है कि सरकार में पारदर्शिता हो। सूचना मांगे जाने पर तो प्रदान की ही जानी चाहिये, साथ ही कुछ सूचनाओं को प्रकाशित करना अनिवार्य होना चाहिये।

वर्तमान युग सूचना का युग है। अत: नैतिक शासन के लिये आवश्यक है कि सभी सूचनाएँ तथा सेवाएँ बिना लालफीताशाही के न्यूनतम प्रक्रियागत विलंब के साथ प्राप्त हो सकें अर्थात् सूचना द्वारा संचालित समावेशी समाज के विकास का प्रयास करना चाहिये। इसलिये भारत सरकार द्वारा आरटीआई, 2005 तथा विभिन्न संस्थानों में नागरिक चार्टर जैसे प्रयास किये गए हैं।

समग्रत: नैतिक शासन में 'पारदर्शिता की संस्कृति' विकसित होने पर सूचना के आदान-प्रदान से सरकार में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व का विकास होता है। साथ ही, सार्वजनिक दायरे में सूचना तथा आँकड़ों के आने पर तथा आँकड़ों को बहुत सावधानी से तैयार करने पर आँकड़ों की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

प्रश्न: किसी संगठन की कार्य-संस्कृति काफी हद तक उस समाज की मूल संस्कृति से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में एक लोक सेवक के लिये अच्छी कार्य-संस्कृति बनाने के लिये क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

The work culture of an organization reflects the foundational ethos of the society. In this context, suggest measures to be taken to create a good work culture for a public servant?

उत्तर: कार्यसंस्कृति का अर्थ कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से है जो कार्य के विषय में कर्मचारियों की मनोवृत्तियाँ निर्धारित करता है। प्राय: प्रत्येक संगठन की एक विशिष्ट कार्यसंस्कृति होती है।

वस्तुत: संगठन की कार्यसंस्कृति काफी हद तक उस समाज की मूल संस्कृति से प्रभावित होती है। 'होफ्सटेड' ने इस संबंध में 'सांस्कृतिक आयाम का सिद्धांत' प्रस्तुत किया, जिसका सार यही है कि संस्कृति कार्यसंस्कृति को व्यापक स्तर पर प्रभावित करती है। जैसे-

- सत्ता की जैसी संरचना संस्कृति में होती है वैसी ही कार्यसंस्कृति में भी दिखती है। उदाहरण के लिये जिन देशों में परिवार का ढाँचा पितृसत्तावादी है वहाँ कार्यसंस्कृति में भी अंतराल साफ दिखेगा। जबकि जिन देशों या समाजों में परिवार भीतर से लोकतांत्रिक हो गया है वहाँ कार्यसंस्कृति में भी समानता और स्वतंत्रता का भाव दिखेगा। उदाहरणत: भारत में अधीनस्थ कर्मचारी अपने वरिष्ठों को 'सर' कहकर बुलाते हैं। अमेरिका में पहले 'नाम' से पुकारते हैं।
- समाज में सांस्कृतिक वैविध्य होने पर और वैविध्य के प्रति सम्मान का भाव होने पर कार्यसंस्कृति में भी विभिन्न वर्गों का बेहतर अनुपात होगा अर्थात् समावेशी विकास होगा। उदाहरणत: 1960 से अमेरिका में डायवर्सिटी पॉलिसी, भारत में आरक्षण की व्यवस्था आदि।
- संस्कृति में व्यक्तिवाद अधिक हावी होने पर कर्मचारी अपने संगठन पर आर्थिक व भावनात्मक दृष्टि से कम निर्भर होगा। तो दूसरी ओर यदि संस्कृति में सामूहिक ढाँचे का अधिक महत्त्व है तो व्यक्ति अपने संगठन पर अधिक निर्भर होगा। जैसे- जापान सामूहिकतावादी संस्कृति के कारण अपने संगठन पर अत्यधिक निर्भर है जबकि अमेरिका में व्यक्तिवादी संस्कृति के कारण संगठन के प्रति कोई भावनात्मक लगाव नहीं पाया जाता।

इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि एक बेहतर कार्यसंस्कृति कर्मचारियों के कार्य करने की गुणवत्ता व उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकती है। अत: भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के लिये आवश्यक है कि एक लोक सेवक द्वारा बेहतर कार्यसंस्कृति का निर्माण किया जाए, जिसके लिये निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हैं-

- भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आवश्यक है कि लिंग, नस्ल, भाषा इत्यादि के प्रति स्वीकृति व सहजता का भाव हो।
- विभिन्न कर्मचारियों में समानता का सिद्धांत लागू होना या करना।
- कर्मचारियों के निष्पादन का सतत् व वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और उस मूल्यांकन के अनुसार उन्हें प्रोत्साहनों का मिलना।
- कोई भी संगठन सामूहिकता की भावना के साथ ही चलता है। अत: सामूहिकता की भावना विकसित करने के लिये वर्कशॉप, अनौपचारिक बैठकें, साथ में घूमने जाना इत्यादि प्रयास किये जाने चाहिये।

प्रश्न: खेल नैतिकता से आप क्या समझते हैं? नैतिकता के अभाव में किसी भी खेल को एक 'द्वेषपूर्ण द्वंद्व' बनने में देरी नहीं लगेगी। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by sports ethics? Without ethics a sport becomes 'spiteful duel'. Critically examine.

उत्तर: खेल-नीतिशास्त्र या खेल-नैतिकता, नीतिशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न नैतिक नियमों एवं सिद्धांतों के आलोक में खेल के नियमों, खिलाड़ियों के व्यवहार, प्रशिक्षकों के आचरण व विभिन्न खेल संगठनों के नियमों-विनियमों का अध्ययन करते हैं।

वस्तुत: खेल में नैतिकता की आवश्यकता ने ही खेल-नैतिकता की अवधारणा को जन्म दिया है। खेलों में नैतिकता का अभाव खिलाड़ियों के मध्य 'द्वेषपूर्ण द्वंद्व' का कारण बनता है, जैसे- वर्ष 1997 में डब्ल्यू. बी.ए. (WBA) की खिताबी लड़ाई में 'माइक टायसन' और 'इवेंडर होलीफील्ड' के बीच मुकाबला चल रहा था। होलीफील्ड, टायसन से हैवीवेट खिताब कुछ महीने पहले जीत चुके थे और इस मुकाबले में टायसन ने होलीफील्ड के दोनों कानों को दाँतों से काट लिया। इस घटना ने खेलों में नैतिकता को आवश्यक बना दिया।

कई बार यह भी देखा जाता है कि एक टीम के खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाड़ियों को हराने या नीचा दिखाने के लिये अनैतिक साधनों, जैसे- विपक्षी खिलाड़ी की एकाग्रता भंग करने के लिये उस पर छींटाकशी करना और उसे उकसाना, का उपयोग करते हैं। इसी तरह यह कई बार खेल के मैदान में हिंसा में भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों का मैच रैफरी से अनुचित व्यवहार तथा खिलाड़ियों का आपस में चोट पहुँचाना, जैसी खबरें सामने आती रहती हैं।

वर्तमान समय में खिलाड़ियों में 'जीतना ही सबकुछ है' की इच्छा प्रबलता से बढ़ रही है, जिसके कारण प्रदर्शन को सुधारने के लिये प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करना और क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग जैसे नैतिक मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों द्वारा गेंद से छेड़खानी अर्थात् बॉल टेंपरिंग की गई, जिसके कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इन खिलाड़ियों पर कुछ महीनों का प्रतिबंध लगा दिया।

सार यही है कि खेल के मैदान को 'द्वेषपूर्ण द्वंद्व' से बचाने के लिये ज़रूरी है कि 'गेममैनशिप' की बजाय 'स्पोर्ट्समैनशिप' को महत्त्व दिया जाए। 'स्पोर्ट्समैनशिप' की अवधारणा खेलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को महत्त्व देती है और व्यक्ति को अपने गुणों, चरित्र और सम्मान का विकास करते हुए खेलने के लिये प्रेरित करती है।

प्रश्न: मीडिया एथिक्स से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में मीडिया एथिक्स की स्थिति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by Media Ethics? Critically examine the present status of Media Ethics.

उत्तर: मीडिया एथिक्स व्यावहारिक नीतिशास्त्र की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत हम मीडिया के विभिन्न नैतिक सिद्धांतों और मानकों का अध्ययन करते हैं। मीडिया एथिक्स में प्राय: नैतिकता से जुड़े विवादित मुद्दों, विशेषत: जिन मुद्दों में एक पक्ष मीडिया हो, को सम्मिलित किया जाता है। जैसे वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के दौरान देश के टी.वी. चैनलों में पूरे घटनाक्रम को 'लाइव' दिखाने के कारण आतंकवादियों को सुरक्षाकर्मियों की हर गतिविधि की जानकारी मिल पा रही थी जिसने मीडिया के नैतिकता संबंधी मुद्दों पर विवाद उत्पन्न कर दिया था।

ध्यातव्य है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया सरकार के फैसलों का विश्लेषण, आलोचना या सराहना कर जनता और सरकार के मध्य संबंधों को दिशा देती है। आमतौर पर मीडिया, विशेषकर पत्रकारिता और सोशल मीडिया समाज में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने के अग्रदूत रहे हैं। हाल ही में हुई 'अरब बसंत' (Arab Spring) में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो दूसरी तरफ मीडिया अनेक सामाजिक समस्याओं और पर्यावरणीय समस्याओं से लोगों को अवगत कराती है तथा उनके समाधान का प्रयास करती है। हाल के समय में मीडिया ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद संबंधित मुद्दों पर अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

किंतु इस तथ्य पर विचार करना ज़रूरी है कि वर्तमान समय में न्यूज़ चैनल्स जनता को सबसे पहले 'ब्रेकिंग न्यूज़' देने की प्रतिस्पर्द्धा में कई नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। हाल ही में राजनीति-मीडिया गठजोड़ के कारण 'पेड न्यूज़' जैसी समस्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें मीडिया द्वारा किसी राजनेता या सेलिब्रिटी की छवि सुधारने के लिये पैसे लेकर उसके हित के अनुकूल खबरों को प्रकाशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कई बार यह भी देखा जाता है कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में फैसला देने से पहले ही मीडिया द्वारा उस व्यक्ति की छवि को जनता की नज़र में गुनहगार या बेकसूर साबित कर दिया जाता है।

समग्रत: मीडिया को खबरें प्रकाशित करते समय निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता बरतनी चाहिये जिससे सही जानकारी या खबरें जनता के बीच पहुँच सकें। इसके अतिरिक्त, मीडिया राजनीतिक अभिवृत्तियों को परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अत: ज़रूरी है कि एक जागरूक एवं परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में मीडिया द्वारा सही खबरें प्रसारित की जाएँ।

प्रश्न: निम्नलिखित मूल्यों का अर्थ स्पष्ट करते हुए सिविल सेवक के रूप में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करें।

(150 शब्द, 10 अंक)

(a) दृढ़ता

(b) सेवा भावना

(c) करुणा

(d) जवाबदेही

Explain the meaning of the following values and their relevance for a civil servant.

(a) Perseverance/Persistence

(b) Spirit of service

(c) Compassion

(d) Accountability

उत्तर: भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में वंचित वर्गों के हितों व न्याय अर्थात् सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने, संविधान के आदर्शों व सिद्धांतों के अनुपालन में, राष्ट्र की आर्थिक संवृद्धि इत्यादि के आलोक में एक सिविल सेवक में उपर्युक्त मूल्यों- दृढ़ता, सेवा भावना, करुणा, जवाबदेही की प्रासंगिकता आवश्यक प्रतीत होती है।

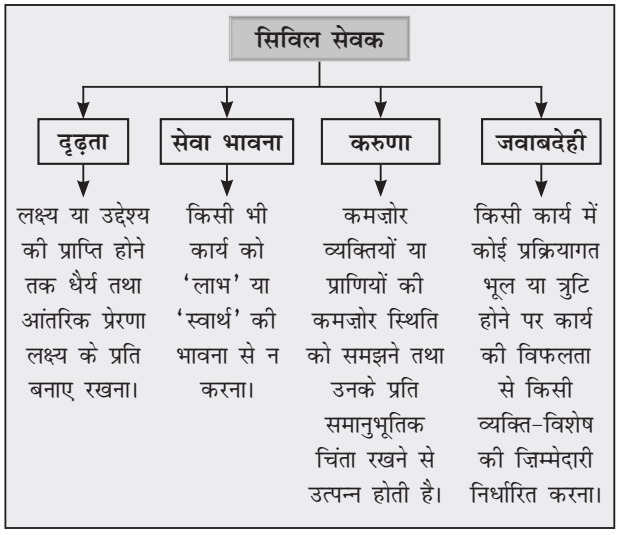

उत्तर: (a) दृढ़ता: दृढ़ता का अर्थ है उद्देश्यों एवं विचारों आदि पर अडिग रहने की अवस्था अर्थात् जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए; तब तक धैर्य, आंतरिक प्रेरणा को लक्ष्य के प्रति बनाए रखना। साथ ही, दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति के बीच में आने वाली चुनौतियों तथा बाधाओं से हतोत्साहित हुए बिना अपनी आशावादी मानसिकता के साथ संघर्ष करते रहना।

सिविल सेवक के लिये दृढ़ता जैसे मूल्य अत्यंत प्रासंगिक हैं। क्योंकि सिविल सेवकों को कई ऐसे कार्य करने होते हैं जो तात्कालिक रूप से बहुत लोकप्रिय सिद्ध नहीं होते हैं लेकिन दीर्घकाल में वृहद् जनहित के लिये काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में एक सिविल सेवक को दृढ़ता से अपने निर्णय पर बने रहना आवश्यक होता है। साथ ही, सिविल सेवक को संसाधनों की सीमित मात्रा तथा विपरीत परिस्थितियों में सफलता की अभिप्रेरणा के लिये दृढ़ता की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

उत्तर: (b) सेवा भावना: 'सेवा भावना' वह मन:स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति कार्य को किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं करता, बल्कि इस भावना के साथ करता है कि यह करना मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी है। वस्तुत: एक सिविल सेवक के लिये 'सेवा भावना' का मूल्य आवश्यक है क्योंकि इस कारण वह वेतन, सम्मान और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देकर भारत जैसे कल्याणकारी राज्य के अनुरूप सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने व संविधान के आदर्शों के अनुरूप कार्य करता है। सिविल सेवक में 'सेवा भावना' जैसे मूल्यों के होने पर उसे कार्य में ही आनंद मिलता है जो देश की प्रगति में सहायक होता है।

उत्तर: (c) करुणा: 'करुणा' एक सामान्य भाव है जो कमज़ोर व्यक्तियों या प्राणियों की नाज़ुक स्थिति को समझने तथा उनके प्रति समानुभूतिक चिंता रखने से उत्पन्न होती है। इस भावना से प्रोत्साहित होकर व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास करता है इसीलिये संपूर्ण विश्व में 'परोपकार' का मूल आधार 'करुणा' को माना गया है। वस्तुत: गौतम बुद्ध व महावीर ने करुणा पर अत्यधिक बल दिया है।

गौरतलब है कि भारत में कमज़ोर वर्ग विकास की प्रक्रिया में बहुत पिछड़ चुके हैं जिन्हें मुख्यधारा में लाने के लिये विशेष प्रयासों की ज़रूरत है। अगर एक लोक सेवक में इन वर्गों के प्रति करुणा का भाव होगा तो वह इन वंचित वर्गों की दशा को सुधारने के लिये निरंतर प्रयासरत होगा जिससे इन वर्गों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के साथ समावेशी संवृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्तर: (d) जवाबदेही: 'जवाबदेही' का अर्थ है- यदि किसी कार्य में कोई प्रक्रियागत भूल या त्रुटि होती है, जिसके कारण वह कार्य विफल या असफल हो जाता है तो इसके लिये किसी व्यक्ति-विशेष की ज़िम्मेदारी निर्धारित होना। इसका संबंध व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वहन करने से है।

सिविल सेवक में जवाबदेही का मूल्य होने पर वह किसी कार्य की सफलता के लिये ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगा। 'जवाबदेही' के कारण किसी कार्य के प्रति सिविल सेवक को स्पष्ट दिशा-निर्देश होंगे; इस प्रकार स्पष्ट निर्धारण से किसी भी कार्य या परियोजना की सफलता बढ़ जाती है। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में एक सिविल सेवक को जनता की आकांक्षाओं व सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिये जवाबदेह होना चाहिये। साथ ही जवाबदेही के कारण भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है।

प्रश्न: "मनुष्यता सिर्फ साध्य है, इसे कभी भी साधन नहीं बनाया जाना चाहिये।" तर्कों द्वारा इस कथन के समर्थन में चर्चा करें।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Humanity is just an objective, it should never be made a tool." Give arguments in favour of this statement.

उत्तर: उपर्युक्त कथन निरपेक्षतावादी या कर्त्तव्यवादी नीतिमीमांसा के समर्थक 'कांट' का है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों को साध्य के रूप में देखा जाना चाहिये; साधन के रूप में नहीं।

वस्तुत: कुछ लोगों का मानना है कि मनुष्य द्वारा दूसरे व्यक्ति को साधन मानना उसकी स्वार्थी या लालची प्रवृत्ति के समान स्वाभाविक है। इसी का परिणाम है कि कुछ व्यक्तियों के पास सत्ता या शक्ति का अत्यधिक संकेंद्रण होता गया और कुछ व्यक्ति पिछड़ते गए। एक संदर्भ में यह शोषक-शोषित संबंध बन गया जिसे हम सामंतवाद, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, उपनिवेशवाद इत्यादि के संदर्भ में देख सकते हैं।

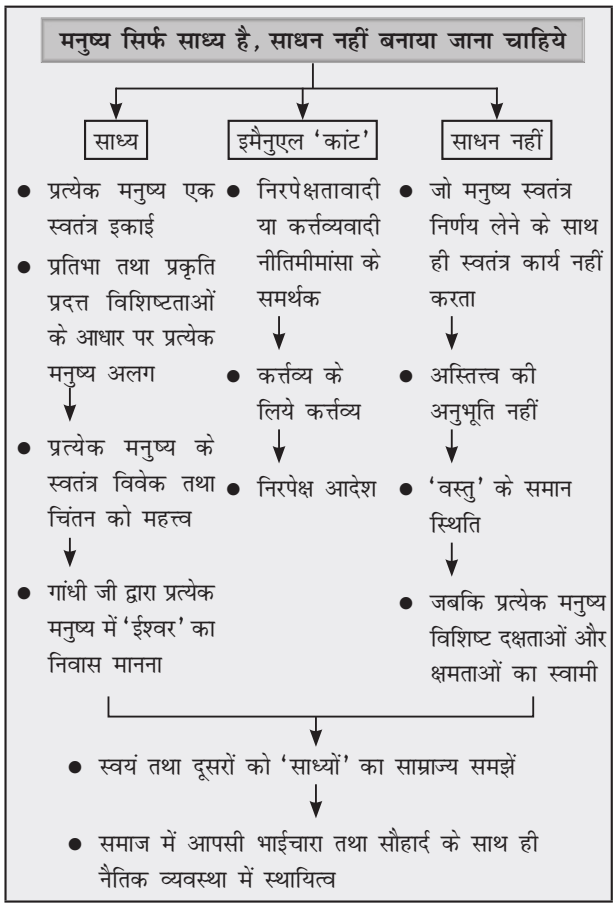

वास्तव में प्रत्येक मनुष्य एक स्वायत्त इकाई तथा स्वयंमेव में एक 'साध्य' है तथा उसे साधन नहीं बनाया जाना चाहिये और गांधीजी जैसे चिंतक प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का 'वास' मानते थे। उल्लेखनीय है कि मनुष्य तब साधन बनता है जब वह अपने स्वतंत्र विवेक से निर्णय न लेकर किसी विवशता या दबाव में आकर दूसरों की इच्छापूर्ति का माध्यम बनता है। और दूसरों की इच्छापूर्ति बनना 'वस्तु' के समान है, जो अपने बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकता।

गौरतलब है कि प्रत्येक मनुष्य विशिष्ट है, प्रतिभा तथा प्रकृति प्रदत्त विशिष्टताओं के आधार पर प्रत्येक मानव अनूठा है। अगर व्यक्ति को साधन बनाया जाएगा तो उसकी इन विशिष्टताओं पर कुठाराघात होगा। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को साध्य समझेगा तो प्रत्येक मनुष्य समाज में समुचित कर्त्तव्यचेतना की भावना से मदद करेगा जिससे समाज में आपसी सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। वस्तुत: अगर व्यक्ति खुद को एवं दूसरों को 'साध्य' मानेगा तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर कर्म करने का निर्णय कर सकेगा।

प्रत्येक मनुष्य का दूसरों के प्रति दायित्व है उससे ज़्यादा खुद के प्रति यह नैतिक दायित्व है कि वह 'दूसरों' को साध्य मानें, न कि साधन। इससे प्रत्येक व्यक्ति के चिंतन, स्वतंत्र विचार को महत्त्व देने के साथ ही समाज में होने वाले व्यक्तियों के शोषण में कमी आ सकती है। इसी तर्क के आधार पर कांट ने दासता, बलात्कार, हत्या और शोषण जैसे कृत्यों को पूर्णत: अनैतिक माना है, क्योंकि इन कृत्यों में मनुष्यता को साधन मानने की चेष्टा की गई है।

सार यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि वह स्वयं को तथा दूसरों को 'साध्यों' का साम्राज्य समझ सके जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी कर्त्तव्यचेतना द्वारा समुचित कर्त्तव्यों का निर्धारण करते हुए मानवता की भलाई के लिये कार्य कर सके।

प्रश्न: एक सशक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में सूचना का अधिकार किस प्रकार भूमिका निभा सकता है? तर्कों के साथ स्पष्ट करें। (150 शब्द, 10 अंक)

How can the right to information lead towards an empowered and corruption free society? Explain.

उत्तर: लोकतंत्र में निर्वाचित व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान किया जाता है एवं साथ ही सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी ईमानदारी एवं कर्त्तव्यनिष्ठता के साथ अपने दायित्वों को पूरा करे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राय: यह देखने को मिलता है कि पारदर्शिता व ईमानदारी जैसे मूल्यों का पतन हो रहा है एवं राजनीति में भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित होने वाली स्थितियाँ प्राय: दिखाई ही देती रहती हैं।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये हर वो कार्य किया गया जो जन विरोधी व अलोकतांत्रिक है। सरकारें यह भूल जाती हैं कि जनता ने उन्हें चुना है व जनता ही देश की असली मालिक है। अत: जनता का शासन होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में है, वह क्या कर रही है? ऐसे में जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा कब, कहाँ व किस प्रकार खर्च किया जा रहा है? इसके लिये आवश्यक है कि सूचना की जनता को समक्ष रखने व जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो कानून द्वारा ही संभव है। अत: भ्रष्टाचार मुक्त एक सशक्त समाज के निर्माण के लिये सूचना का अधिकार का होता बहुत आवश्यक है।

भारत में पारदर्शितायुक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिये 12 मई, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद ने पारित किया एवं 12 अक्तूबर, 2005 को यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नागरिक को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं-

- वह सूचना अधिकारी से कोई भी सवाल पूछ सकता है या कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की जाँच कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी काम की जाँच कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल की गई सामग्रियों का प्रमाणित नमूना ले सकता है।

सशक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में सहायक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- नागरिक अधिकारी से सवाल पूछ सकता है
  - ↓
- कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है
  - ↓
- धारा 8 में वर्णित कुछ विषयों से संबंधित सूचनाओं को छोड़कर
- अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल 18 एजेंसियों की सूचनाओं को छोड़कर
  - ↓
- सरकारी दस्तावेज़, सरकारी काम की जाँच

- व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत
  - ↓
- सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितता को कम करने में सहायक

लोक सूचना अधिकारी इस अधिनियम के धारा 8 में वर्णित कुछ विषयों से संबंधित सूचनाएँ देने से मना भी कर सकता है, इसमें मुख्यतः विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएँ, सुरक्षा मामलों से संबंधित सूचनाएँ, रणनीतिक, वैज्ञानिक या देश के आर्थिक हितों से जुड़े मामले, विधानमंडल के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही, इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में ऐसी 18 एजेंसियों की सूचनाएँ हैं जहाँ सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। फिर भी यदि सूचना भ्रष्टाचार के आरोपों या मानवाधिकारों के हनन से जुड़ी हुई है तो इन विभागों को भी सूचना देनी पड़ेगी। इस अधिनियम में सूचना उपलब्ध न कराने या भ्रामक जानकारी प्रदान करने समय-सीमा के भीतर सूचना न देने पर लोक सूचना अधिकारी पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान है और अधिकारी के खिलाफ सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार का अधिनियम न सिर्फ व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है बल्कि सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितता को भी कम करने में सहयोग करता है जो एक सशक्त समाज के निर्माण के लिये आवश्यक है। आज भारत में देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और यह कानून कदम-दर-कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस कानून में व्याप्त मत-मतांतरों व अस्पष्ट क्षेत्रों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: क्या गांधी जी के 'अपरिग्रह' व्रत का पालन करने से समाज में विषमता को दूर किया जा सकता है? तर्क के साथ चर्चा करें। (150 शब्द, 10 अंक)

Can inequality in the society be eradicated by following the Gandhiji's vow of Aparigraha (non-possessiveness)? Discuss.

उत्तर: महावीर ने अपने अनुयायियों को 'पंचव्रत' का पालन करने की सलाह दी थी, जिसमें शामिल पाँच व्रत हैं- अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य अर्थात् जैन धर्म के पाँच महाव्रतों में अपरिग्रह भी शामिल है। 'अपरिग्रह' का सरल अर्थ है- एकत्रित न करना। महात्मा गांधी ने महावीर जैन के 'पंचव्रत' से 'अपरिग्रह' का सिद्धांत लिया; किंतु गांधीजी ने इसका व्यापक अर्थ लिया है।

अगर हम 'अपरिग्रह' व्रत के सिद्धांतों की बात करें तो ये निम्नलिखित हैं-

- व्यक्ति को उतनी ही संपदा एकत्रित करनी चाहिये, जितनी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनिवार्य हो।
- अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपदा का संग्रहण नैतिक रूप से गलत है।
- किसी विचार, व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्ति न होना।
- निरंतर श्रम करते हुए ही समाज से कुछ लेना। बिना श्रम किये किसी चीज़ पर हक न जताना।
- जीवन की अनिवार्यताओं के अलावा जो कुछ भी है उसका प्रयोग समाज के हित में करना।

'अपरिग्रह' से संबंधित निम्नलिखित मूल्य ऐसे तर्क के रूप में स्थापित करते हैं जो समाज में समानता की स्थापना करने में सहायक हैं, जैसे-

- समाज में संसाधन सीमित होते हैं और यदि ये संसाधन कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित हो जाएँ तो समाज में विषमता बढ़ेगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति उतना ही रखे जितना उसकी ज़रूरत है तो अन्य व्यक्ति भी अभावग्रस्त नहीं होंगे और सभी संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकेंगे जिससे धीरे-धीरे समाज में समानता बढ़ेगी।
- अपनी आवश्यकताओं से अधिक संग्रहण की प्रवृत्ति अर्थात् 'परिग्रह' की भावना व्यक्ति की 'स्वार्थ लिप्सा' को बढ़ाती है और व्यक्ति 'भोगवादी' होता जाता है- ऐसे में 'अपरिग्रह का व्रत' व्यक्ति को

सीमित एवं नियंत्रित उपभोग की प्रेरणा देता है जिससे समाज में अन्य व्यक्तियों को भी उपभोग के लिये वस्तुओं की प्राप्ति होती है जिससे विषमता कम होती है।

- यह बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग-अलग होती है और यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संचय करेगा तो इससे अन्य व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी- ऐसे में अपरिग्रह का व्रत 'सामाजिक संतुलन' को बढ़ावा देता है।
- वर्तमान वैश्वीकरण एवं पूंजीवाद के दौर में कुछ व्यक्ति काफी आगे निकल चुके हैं, जबकि समाज का बड़ा भाग इस प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ गया है। अत: इन व्यक्तियों के पास जीवन की अनिवार्यताओं के अलावा जो कुछ भी है, उसका प्रयोग 'समाज के हित' में करने से समाज के अन्य व्यक्तियों के जीवनस्तर में भी सुधार होगा जिससे समाज में विषमता कम होगी। जैसे कि वर्तमान में 'बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन', वारेन बफेट, मार्क ज़ुकरबर्ग, अज़ीम प्रेमजी ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समाज को बेहतर बनाने के लिये देने का निश्चय किया है।
- इसके अतिरिक्त, बिना श्रम किये हुए समाज से किसी चीज़ पर हक न जताने का मूल्य समाज में 'कार्यबल' अर्थात् कार्य करने के महत्त्व को दर्शाता है जिससे समाज में अन्य संसाधनों को जुटाकर समाज में समानता का प्रयास किया जाए।

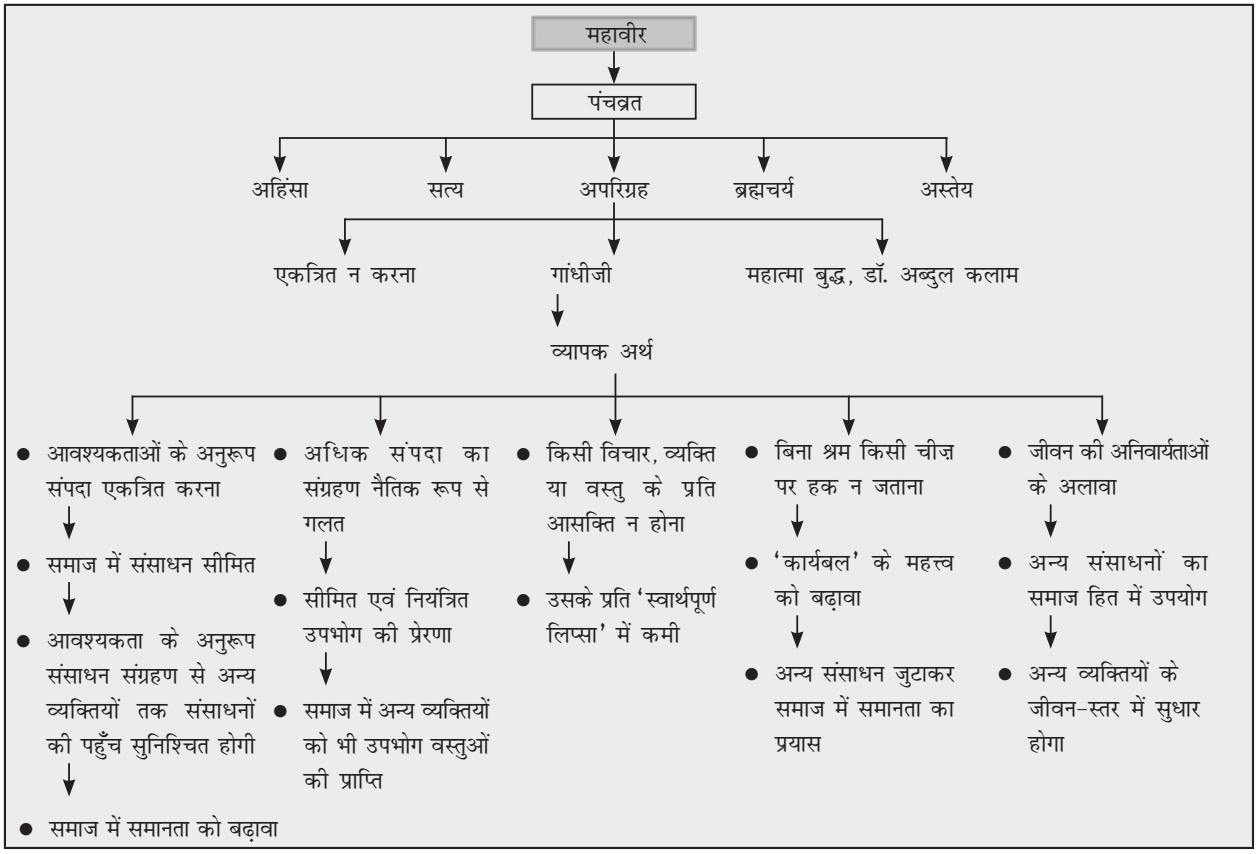

समग्रत: अपरिग्रह व्रत का पालन समाज में समानता स्थापित करने में उपयोगी हो सकता है, जैसे कि भारतीय संस्कृति में महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी एवं डॉ. अब्दुल कलाम इत्यादि ने इस अपरिग्रह व्रत का पालन किया। साथ ही, अपरिग्रह व्रत समाज एवं प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करने और अनेक विषमताओं को कम करने में सहायक हो सकता है।

प्रश्न: "राज्य, व्यक्ति या संस्था द्वारा दिये जाने वाले दण्ड मात्र से किसी व्यक्ति में सुधार संभव नहीं है।" प्रस्तुत विषय पर चर्चा करें, साथ ही व्यक्ति में सुधार के संबंध में उपायों को भी स्पष्ट करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"Only retribution by a state, person or institution cannot reform an individual." Discuss. Suggest measures to reform a person.

उत्तर: दंड व्यक्ति के सुधार के लिये आवश्यक है क्योंकि दंड के कारण व्यक्ति में भय उत्पन्न होता है कि अगर वह कुछ गलत कृत्य करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी अर्थात् दंड व्यक्ति पर बाह्य दबाव आरोपित करता है। इस प्रकार राज्य, व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया जाने वाला दंड समाज में नैतिक व्यवस्था के संचालन में सहयोग करता है। जैसे- बलात्कार, हत्या, चोरी करना इत्यादि कृत्य करने पर व्यक्तियों को पता है किदंड का प्रावधान है, इसलिये व्यक्ति ऐसे कृत्य दंड के भय के कारण नहीं करता है।

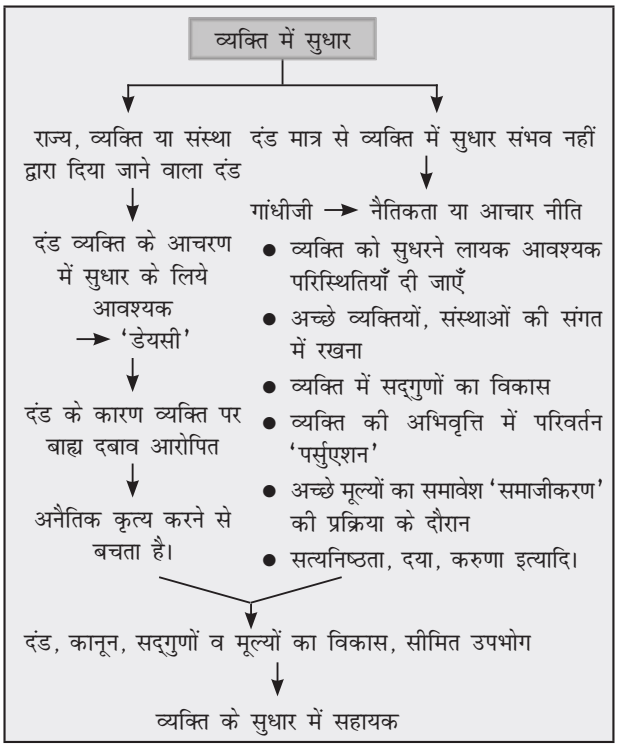

किंतु यह बात सत्य है कि राज्य, व्यक्ति या संस्था द्वारा दिये जाने वाले दंड मात्र से ही व्यक्ति में सुधार संभव नहीं है क्योंकि बाहरी दबावों से यह पूर्णत: संभव नहीं है कि व्यक्ति गलत कृत्य न करे। व्यक्ति में सुधार तभी संभव है जब आंतरिक दबाव अर्थात् नैतिकता उसे अच्छे कार्य करने के लिये प्रेरित करे। उल्लेखनीय है कि अगर दंड के भय से व्यक्ति को अच्छा आचरण करने के लिये बाध्य किया जाएगा तो जब कभी भी उसे इसके उल्लंघन की शक्तियाँ मिलेंगी तो वह इसका उल्लंघन करने लगेगा। जैसे- अगर एक व्यक्ति ट्रैफिक हवलदार के भय के कारण ट्रैफिक सिग्नल पर रुकता है तो जब कभी ट्रैफिक हवलदार नहीं होगा तो वह ट्रैफिक सिग्नलों के कानूनों को तोड़ने का प्रयास करेगा। किंतु अगर व्यक्ति में नैतिकता होगी तो वह ट्रैफिक हवलदार की अनुपस्थिति में भी ट्रैफिक कानूनों को नहीं तोड़ेगा।

इसके अतिरिक्त, संपूर्ण विश्व में गलत कृत्यों के लिये दंड का प्रावधान होने के बावजूद अपराधों में वृद्धि इसी ओर रेखांकित करती है कि मात्र दंड के भय से व्यक्ति में सुधार संभव नहीं है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी 'नैतिकता' या 'आचारनीति' को व्यक्ति के सुधार के संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं अत: व्यक्ति में सुधार के संबंध में निम्न उपाय किये जा सकते हैं-

- व्यक्ति में सुधार के लिये ज़रूरी है कि उसे सुधारने से संबंधित आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई जाएँ, जैसे- अच्छे व्यक्तियों, अच्छी संस्थाओं की संगत में व्यक्ति को रखा जाए।
- व्यक्ति में सुधार के लिये ज़रूरी है कि उस में 'सद्गुणों' का विकास किया जाए। सुकरात, प्लेटो, अरस्तू जैसे दार्शनिकों ने 'सद्गुणों' के विकास पर अत्यधिक बल दिया। वस्तुत: सद्गुण निरंतर कठोर अभ्यास से सीखे जाते हैं जिससे व्यक्ति में धैर्य और साहस जैसे मूल्यों का विकास होता है।
- व्यक्ति की अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके व्यक्ति में सुधार संभव है। इस संदर्भ में 'पर्सुएशन' महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति बदलने के उद्देश्य से संवाद किया जाता है।
- व्यक्ति में सुधार के लिये ज़रूरी है कि उसमें अच्छे मूल्यों का समावेश किया जाए, जैसे- सत्यनिष्ठा, दया, करुणा, सहिष्णुता इत्यादि मूल्यों का विकास करना। साथ ही शिक्षा में मानवीय व संवेदनशील, नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चहिये।
- व्यक्ति के सुधार के लिये यह आवश्यक है कि वह विवेक के अधीन भावनाओं व वासनाओं को रखे; न कि भावनाओं व वासनाओं के अधीन विवेक को; जिससे व्यक्ति की ज़रूरतें सीमित होने के साथ ही व्यक्ति वर्तमान उपभोक्तावादी युग में जीवन में संतुलन को महत्त्व दे।

समग्रत: दंड, कानून, नैतिकता, सद्गुणों व मूल्यों का विकास, अपनी ज़रूरतों को सीमित रखना इत्यादि व्यक्ति के आचरण या व्यवहार को नियंत्रित करने अर्थात् व्यक्ति में सुधार के लिये आवश्यक हैं।

अतिरिक्त सूचना

किसी भी समाज के व्यवस्थित संचालन के लिये एक निश्चित ढाँचे की आवश्यकता होती है और इस व्यवस्थित ढाँचे के अंतर्गत राज्य, व्यक्ति या संस्था द्वारा कानून के अंतर्गत दिया जाने वाला दंड, समाज के संचालन एवं व्यक्ति में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुत: 'डेयसी' जैसे विचारक व्यक्ति के आचरण में सुधार के लिये कानून या दंड को अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

प्रश्न: ईमानदार प्रवृत्ति वाले अधिकारियों की नियुक्ति में सतर्कता मंज़ूरी (Vigilance Clearance) कहाँ तक सहायक हो सकती है? चर्चा करें। आपके अनुसार इसमें सुधार के लिये और कौन-से उपायों का सहारा लिया जा सकता है?

(150 शब्द, 10 अंक)

How can the 'vigilance clearance' in the appointment of honest officers be helpful? Discuss. According to you what measures can be taken to improve this?

उत्तर: भारतीय लोक सेवा में भ्रष्टाचार सर्वाधिक जटिल समस्या के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है, वैसे तो वर्तमान समय में प्रशासन में भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी घटना है और यह प्राय: विकसित व विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में पाया जाता है, लेकिन भारत में दिखने वाला भ्रष्टाचार अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर व व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिये ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति किया जाना अति आवश्यक है। इसके लिये ज़रूरी है कि प्रशासन में आने वाले अधिकारियों की नियुक्ति से पहले सतर्कता मंज़ूरी की व्यवस्था की जाए।

भारत में सतर्कता मंज़ूरी के माध्यम से ईमानदार व भ्रष्ट प्रवृत्ति वाले अधिकारियों का पता लगाया जाता है एवं उन पर निगरानी भी रखी जाती है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भ्रष्टाचार में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में कम जोखिम वाले यानी जिनकी कार्यनिष्ठा संदिग्ध न हो, ऐसे ईमानदार प्रवृत्ति वाले अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। सरकार की सतर्कता संबंधी इस व्यवस्था में केंद्र व राज्य सतर्कता आयोगों के साथ ही साथ भारत सरकार का भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो एवं तमाम जाँच एजेंसियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सतर्कता संगठन कार्यरत हैं जो समय-समय पर लोकसेवकों की सत्यनिष्ठा, उनकी ईमानदारी, दलाल और बिचौलियों से उनके संपर्क की स्थिति, उनकी वार्षिक संपत्तियों के विवरण के लिये उठाए गए कदमों की समीक्षा करके सूची जारी करते हैं और फिर इस आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है।

लेकिन इस व्यवस्था में थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है, इसके लिये आवश्यक है कि संबद्ध अधिकारी का विभागीय सतर्कता तंत्र ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क और मज़बूत बनाया जाए जिसमें विभाग के उच्च अधिकारियों को ज़्यादा-से-ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिये उन्हें उनके अधीनस्थों के भ्रष्टाचार संबंधी कृत्यों के लिये ज़िम्मेदार ठहराया जाए क्योंकि वर्तमान में ये अधिकारी अपने अधीनस्थों की परीक्षण संबंधी रिपोर्टों में कुछ भी विवादित लिखने से बचने के लिये यह जानते हुए भी कि अमुक अधिकारी भ्रष्ट हैं, क्लीन चिट दे देते हैं। साथ ही एक ऐसे सतर्कता नेटवर्क की ज़रूरत है जिसमें सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के कारण काली सूची में डाले गए संदेहास्पद निष्ठा वाले अधिकारी, ठेकेदार, दलाल आदि से संबंधित सूचनाओं को इस तंत्र में शामिल किया जाए एवं इन सूचनाओं की पहुँच सभी संबद्ध विभागों, भ्रष्टाचार विरोधी निकायों और आम नागरिकों तक होनी चाहिये।

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सतर्कता मंज़ूरी के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति से प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार को एक हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में राजनीतिक स्तर पर सुधार भी अपेक्षित हैं।

प्रश्न: दु:ख हमें उदास, अपराधबोध कराने नहीं आता, बल्कि सचेत करने और बुद्धिमान बनाने आता है। एक व्यक्ति तथा वैश्विक संकट के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण करें।

(150 शब्द, 10 अंक)

Misery befalls to make us conscious and intelligent rather than to feel sad and guilty. Examine the statement with respect to a person and global crisis.

उत्तर: संसार में दुखों और सुखों का चक्र चलता रहता है। जेरेमी बेंथम के शब्दों में कहें तो- "प्रकृति ने मानवता को दो शासक स्वामी के शासन के अंदर रखा है, दु:ख और सुख।" लेकिन सभी मनुष्य सुख की 'आकांक्षा' करते हैं जिसके कारण दु:ख आने पर मनुष्य उदास और अपराधबोध की भावना से भर जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि दुखों से लड़कर या सामना करके ही व्यक्ति बुद्धिमान और जीवन के संघर्षों में नए लक्ष्यों को प्राप्त करता है।

गौरतलब है कि दु:ख के समय व्यक्ति कई बार यह महसूस करता है कि जीवन व्यर्थ चला गया। परंतु दु:ख के समय ही यह पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति आपके साथ है और कौन सा व्यक्ति आपके साथ स्वार्थपूर्ण संबंधों को निभा रहा है? इस संदर्भ में देखें तो दु:ख व्यक्ति को सचेत बनाता है। तो दूसरी तरफ व्यक्ति दुखों या संकटों में रहकर नई शक्ति से परिपूर्ण होता है और वह जीवन में आने वाले दुखों का सामना करने के लिये तत्पर रहता है- इस दूसरे संदर्भ में दु:ख व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, जैसे कि विश्व के महान फुटबॉलर लियोनिल मेसी को शुरुआत में फुटबॉल क्लब में ट्रेनिंग करने के लिये 'वेटर' की भी नौकरी करनी पड़ी लेकिन इन्हीं दुखों से लड़ते हुए 'मेसी' विश्व के महानतम फुटबॉलरों में शुमार हुए।

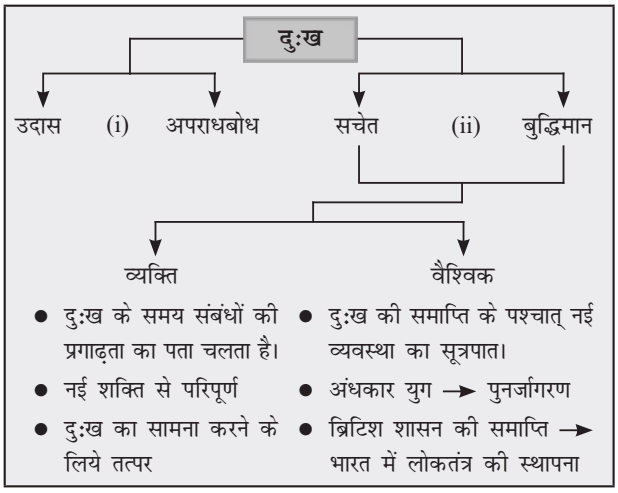

वास्तव में वैश्विक स्तर पर दु:ख को यूरोप में 'अंधकार युग', प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध तथा एशिया-अफ्रीका उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद इत्यादि के रूप में देख सकते हैं। किंतु इन्हीं दुखों का सामना करते हुए 'अंधकार युग' के पश्चात् 'पुनर्जागरण' हुआ जिसने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के साथ 'मानव' को केंद्र में ला दिया। इसी तरह भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात् ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति मिली और लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया।

वस्तुत: औद्योगिक क्रांति के समय मज़दूरों का अत्यधिक शोषण होने के कारण इस पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध 'मार्क्स' ने 'समाजवाद' या 'साम्यवाद' की अवधारणा प्रस्तुत की; जिसके कारण मज़दूरों के संगठनों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ मज़दूरों में अपने अधिकारों की मांग बढ़ी। फलत: प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' की स्थापना हुई।

इसी तरह वर्तमान संदर्भ में वैश्विक स्तर पर विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के साथ-साथ आतंकवाद, शरणार्थी समस्या इत्यादि चुनौतियाँ हैं जिनका सामना भी मनुष्य सफलतापूर्वक कर लेगा। अत: मानवीय सभ्यता के विकास में दु:ख और चुनौतियाँ आती रही हैं और मनुष्य को आने वाले दुखों के प्रति सचेत व बुद्धिमान बनाती रही हैं।

कुल मिलाकर, यही कहा जा सकता है कि दुखों के समय व्यक्ति में धैर्य, संयम और साहस जैसे सद्गुणों का विकास होता है जो व्यक्ति की सफलता में अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं। इसलिये किसी विद्वान ने कहा है- 'दु:ख से लड़कर ही व्यक्ति ज़िंदादिल और अपने अस्तित्त्व की अनुभूति कर पाता है।'

प्रश्न: "पृथ्वी सभी मनुष्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है न कि लालच की पूर्ति के लिये।" प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इस कथन की उपयोगिता का परीक्षण करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed." Examine the utility of this statement regarding nature and environment protection.

उत्तर: महात्मा गांधी का यह उपर्युक्त कथन वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। विदित है कि मनुष्य की बढ़ती भोगवादी एवं स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जिससे वर्तमान संदर्भ में कई पर्यावरणीय समस्याएँ, जैसे- ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, ओज़ोन परत में छिद्र, प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली वृद्धि और इन आपदाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली बीमारियों एवं रोगों ने भविष्य में मनुष्य के अस्तित्त्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। वस्तुत: महात्मा गांधी का प्रकृति संबंधी विचार 'नव्यवेदांत' दर्शन की पृष्ठभूमि पर आधारित है जो मनुष्य ही नहीं, बाकी जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों में भी ईश्वर के अस्तित्त्व को स्वीकारता है।

वास्तव में, महात्मा गांधी का यह कथन अपने मूल में पर्यावरण संरक्षण के तत्त्व को समाहित किये हुए है क्योंकि विकास के नाम पर पर्यावरण का मनचाहा दोहन अंतत: मानव के लिये ही संकट उत्पन्न करेगा। अत: ज़रूरत है कि मनुष्य प्रकृति के विनाश पर विकास को बढ़ावा दे। उल्लेखनीय है कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराती है, किंतु मनुष्य अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के संसाधनों का लालचपूर्ण उपभोग करता है जिससे कुछ व्यक्तियों को संसाधन उपलब्ध नहीं होते। इस तरह यह कथन 'संधारणीय विकास' को बढ़ावा देता है।

गौरतलब है कि गांधीजी का उपर्युक्त कथन इस ओर संकेत करता है कि मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रकृति का मनचाहा उपभोग करे। संसार के समस्त प्राणियों का एक-दूसरे के प्रति सीमित दायित्व बनता है इसलिये प्रकृति मनुष्य की कुछ आवश्यकताएँ पूरी करे और मनुष्य प्रकृति की, यही सही विचार है।

वस्तुत: किसी भी सभ्य समाज की यह चिंता होनी चाहिये कि उसके सदस्यों की संख्या उसके संसाधनों की हद को पार न कर जाए। गांधीजी को हर पल इस बात की चिंता सताती थी कि मानवीय लालच कहीं प्रकृति के सीमित संसाधनों को नष्ट न कर डाले जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्त्व खतरे में पड़ जाए- इस संदर्भ में गांधीजी का यह कथन प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी है।

गहन पारिस्थितिकी आंदोलन के प्रवर्तक 'आर्ने नेस' के अनुसार, वर्तमान में पर्यावरण संकट मूलत: अरस्तू, डेकार्ट, न्यूटन के चिंतन से उपजा है जो प्रकृति व मानव को अलग-अलग रूप में देखते थे। गांधीजी का दर्शन एवं उपर्युक्त कथन मानव-प्रकृति सहअस्तित्त्व को रेखांकित करता है जो पर्यावरण व प्रकृति के संरक्षण में सहायक है, इसलिये आर्ने नेस ने प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण के लिये कहा है कि यदि वर्तमान में प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देना है तो हमें महात्मा गांधी के दर्शन पर चलना होगा।

समग्रत:, यही कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपनी ज़रूरतों को सीमित रखना चाहिये, जिससे प्रकृति लालच की वस्तु न बने अर्थात् 'आवश्यकता निर्माण' की जगह 'आवश्यकता पूर्ति' पर बल देना चाहिये; यही मनुष्य के अस्तित्त्व के लिये ज़रूरी है। इसी संदर्भ में एच.जी. वेल्स ने कहा है- 'अनुकूल बनें या नष्ट हो जाएँ, अब या कभी भी, यही प्रकृति की निष्ठुर अनिवार्यता है।'

प्रश्न: "सिद्धांतों के बिना शिक्षा, एक मनुष्य को चालाक दैत्य बनाने जैसी है।" तर्कों द्वारा स्पष्ट करते हुए इस कथन की पुष्टि करें। (150 शब्द, 10 अंक)

"Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil." Justify the statement.

उत्तर: शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है और शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया में मूल्यों का अनिवार्य समावेशन होना चाहिये। अगर शिक्षा मूल्यविहीन होगी, तो वह केवल मनुष्य की स्वार्थपूर्ति तक सीमित होगी; जिससे व्यक्ति में सहिष्णुता, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक मूल्य, करुणा जैसे मूल्य विकसित नहीं होने पर वह व्यक्ति समाज के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।

वस्तुत: मूल्य, व्यक्ति को शिक्षा का सही संदर्भों में उपयोग करने के लिये प्रेरित करते हैं, अगर शिक्षा में मूल्यों का समावेशन न हो, तो वह मनुष्य को चालाक दैत्य बनाने जैसा है। 'मिशेल फूको' के शब्दों में कहें तो- "वर्तमान समय में राजनीतिक सत्ता ज्ञान अर्थात् शिक्षा पर सवार होकर आती है।" इस संदर्भ में मूल्यविहीन शिक्षा से राजनीति में विकृत्ति उत्पन्न होगी। वर्तमान समय में आतंकवाद, मूल्यविहीन शिक्षा रूपी 'चालाक दैत्य' का ज्वलंत उदाहरण है। तो वहीं मूल्य ही व्यक्ति को 'हिटलर' या 'गांधी' बना देते हैं। वस्तुत: दोनों ने ही शिक्षा को प्राप्त किया किंतु एक ने मूल्य सहित शिक्षा के कारण विश्व की शांति के लिये कार्य किया, तो 'हिटलर' ने मूल्यविहीन शिक्षा के द्वारा मानव सभ्यता का नरसंहार किया तथा हिंसा को बढ़ावा दिया।

उल्लेखनीय है कि मूल्यविहीन शिक्षा से रहित व्यक्ति अपने पेशे में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देता है, जिसे वर्तमान में डॉक्टरों द्वारा किसी मरीज़ की किडनी निकालना, अध्यापक द्वारा अपने छात्र के साथ यौन हिंसा जैसी गतिविधियों के संदर्भ में देख सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के द्वारा इनका उद्देश्य तंत्र में शामिल होना था। इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि मूल्यों के बिना शिक्षा व्यक्ति को एक

'रोबोट' के समान बना देती है, जो मानव से अधिक कुशल कार्य तो कर सकता है किंतु उसमें ईमानदारी, दया, संवेदनशीलता, समायोजन की क्षमता जैसे मूल्य नहीं होते हैं। मूल्यों से ही एक शिक्षित मानव और प्रशिक्षित मशीन के बीच अंतर स्पष्ट होता है।

यह विचारणीय है कि वर्तमान समय में अधिकाधिक लाभ कमाना किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य बन गया है। इन परिस्थितियों में अन्य मूल्य गौण हो जाते हैं और ऐसी शिक्षा असमानता को ही बढ़ावा देती है। अत: ऐसे में शिक्षा से युक्त व्यक्ति संसाधनों का उपयोग अपने हित में बेहतर तरीके से करेंगे; जबकि अन्य व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के साथ व्यवस्था में पिछड़ जाएंगे।

कुल मिलाकर, सार यही है कि अगर उपयोगी प्रतीत होती शिक्षा में मूल्यों का समावेश नहीं किया गया तो वह केवल 'चालाक दैत्य' ही बनाएगी, जिसका एकमात्र ध्येय होगा 'अपने स्वार्थों की पूर्ति करना।' अत: ज़रूरत है कि शिक्षा में मूल्यों, सद्गुणों के विकास को बढ़ावा दिया जाए, जिससे व्यक्ति शिक्षा से युक्त होकर समाज की भलाई के लिये कार्य करे, न कि समाज के विरुद्ध।

प्रश्न: उपयोगितावाद का मूल आदर्श "अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख" व्यक्ति एवं राज्य के लिये किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? स्पष्ट कीजिये। साथ ही, इस आदर्श को पूर्णत: नैतिक मानने में विद्यमान कमियों को स्पष्ट कीजिये?
(150 शब्द, 10 अंक)

How can the basic idea of utilitarianism "the greatest happiness of the greatest number" be useful for a person or state? Explain. Also, highlight the flaws that prevent this ideal from being considered completely ethical?

उत्तर: उपयोगितावाद 18वीं और 19वीं शताब्दियों में विकसित हुई एक 'परिणाम सापेक्षवादी' विचारधारा है जो 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' को केंद्र में रखती है। यह विचारधारा व्यक्ति-विशेष के हित में न होकर 'व्यापक सामाजिक हित' की पुष्टि करती है। इसके समर्थक बेन्थम, मिल, सिज़विक इत्यादि हैं।

उल्लेखनीय है कि अधिकांश उपयोगितावादी सुखवादी भी हैं और किसी वस्तु या कार्य की उपयोगिता इस बात से तय करते हैं कि वह समाज के अधिकतम व्यक्तियों को कितना सुख प्रदान करती है- यह मूल आदर्श व्यक्ति एवं राज्य दोनों के लिये उपयोगी है। जैसे- 'अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख' को महत्त्व देने से समाज में व्यापक हितों के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता होगी। यह बात सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख का 'शुभ' अलग-अलग होगा; परंतु अधिकतम व्यक्तियों के सुख को 'शुभ' मानने से समाज में व्यापक 'व्यक्तियों' के शुभ को सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे यह विचारधारा व्यक्ति के सुखों के स्तर पर सहायक हो सकती है।

गौरतलब है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में नीति-निर्माण के समय यह मुख्य मुद्दा रहता है कि कि नीतियों का निर्माण किस वर्ग के लिये किया जाए एवं क्या सभी व्यक्तियों को समान माना जाए। इस संदर्भ में बेंथम का प्रसिद्ध कथन है- "प्रत्येक व्यक्ति का महत्त्व केवल एक व्यक्ति का महत्त्व है इससे अधिक नहीं।" अत: राज्य को यह सुविधा होती है कि नीति-निर्माण करते समय अमीर व्यक्ति का हित या महत्त्व उतना ही गिना जाएगा जितना गरीब व्यक्ति का। साथ ही नीतियों का निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाए, जिससे विभिन्न व्यक्तियों में सुख के न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित किया जाए।

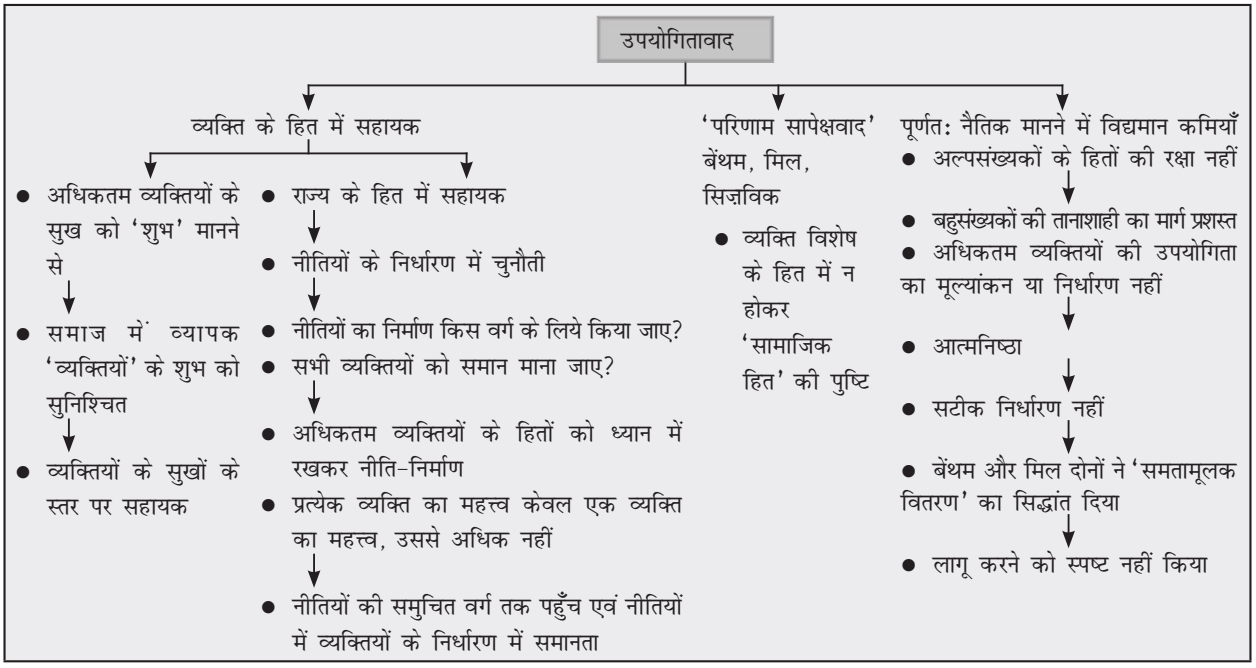

वास्तव में उपयोगितावाद के आदर्श "अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख" को पूर्णत: नैतिक मानने में निम्नलिखित कमियाँ विद्यमान हैं-

- अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का प्रतिमान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाता और बहुसंख्यकों की तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करता है। महात्मा गांधी ने इसी आधार पर उपयोगितावाद का विरोध किया है।
- अधिकतम व्यक्तियों की उपयोगिता का मूल्यांकन या निर्धारण करना एक 'आत्मनिष्ठा' है, जिसका सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है।
- उपयोगितवाद के आदर्श को पूर्णत: मानने पर कई जटिल स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जिसके कारण निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे- यदि एक व्यक्ति के माता-पिता दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हैं जिसके इलाज के लिये ₹5 लाख लगेंगे; लेकिन दूसरी तरफ इसी राशि से 20 वृद्धों का इलाज किया जा सकता है तो इस संदर्भ में व्यक्ति किसको महत्त्व दे।
- सुखों के समतामूलक वितरण का सिद्धांत बेन्थम और मिल दोनों ने दिया है, परंतु किसी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह लागू कैसे होगा?

निष्कर्षत: हर विचारधारा की तरह उपयोगितावाद में भी कई खामियाँ हैं; लेकिन 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' व्यक्तियों को आपस में समानता स्थापित करने के साथ राज्य के लिये कई चुनौतियों के समाधान करने एवं तीव्र निर्णय लेने में सहायक है।

प्रश्न: "क्रोध और असहिष्णुता, व्यक्ति व समाज दोनों की उन्नति में बाधक हैं।" तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Anger and intolerance are barriers to the progress of both the individual and the society." Give arguments in favour of this statement.

उत्तर: भारत के नैतिकतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत काम, क्रोध, लोभ तथा असहिष्णुता जैसे मूल्यों को व्यक्ति व समाज दोनों की प्रगति में बाधक माना गया है।क्रोध: क्रोध एक मनोभाव है जो किसी परिस्थिति या घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होता है। क्रोध में हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और हमारा व्यवहार अनियंत्रित और अनुचित हो सकता है, इससे दैहिक स्तर पर हमारी हृदयगति और रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है। हमारी आवाज़ ऊँची हो जाती है या हम चिल्लाने लगते हैं, और इसकी पराकाष्ठा से हम हिंसा पर भी उतारू हो जाते हैं। अनियंत्रित और अतर्कपूर्ण क्रोध बहुत विनाशकारी होता है और ऐसा क्रोध जहाँ सिर्फ बदले की भावना हो वह व्यक्ति और समाज दोनों की उन्नति में बाधक होता है।

असहिष्णुता: असहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ है सहन न करना। असहिष्णुता का मतलब अपने से अलग धर्मों, मतों, भाषाओं, परंपराओं, विचारों को स्वीकार न करना या उनके प्रति सहज न होने से है।

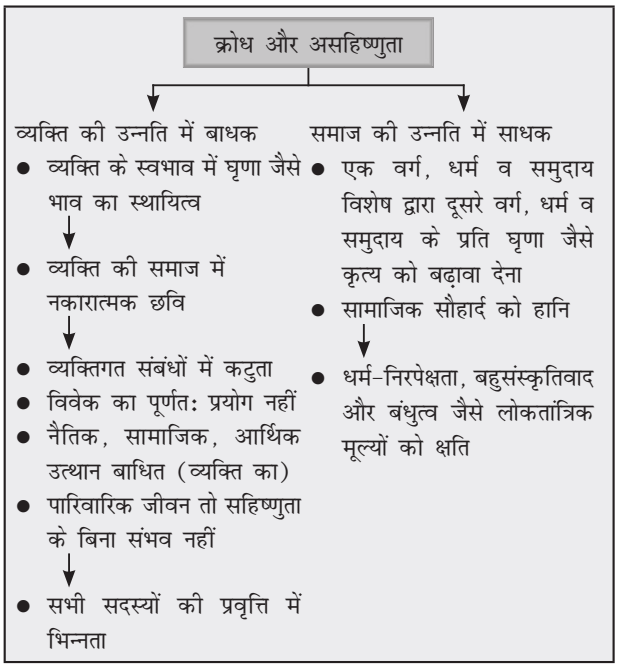

कुछ नीतिशास्त्री दोनों को अंतर्संबंधित मानते है, इनका मानना है कि क्रोध परस्पर सौहार्द को खत्म कर देता है व द्वेष भाव को प्रबल बना देता है।

क्रोध व असहिष्णुता व्यक्ति के स्वभाव में घृणा जैसे भाव को स्थायी बना देती है जिससे व्यक्ति के स्वभाव में निरंतर परिवर्तन आता रहता है और व्यक्ति की नकारात्मक छवि समाज में बनने लगती है। कभी-कभी व्यक्ति में यह एक रोग का रूप धारण कर लेता है, इससे व्यक्ति के संबंधों में कटुता तो आती ही है साथ ही वह अपने विवेक का भी पूर्णत: प्रयोग नहीं कर पाता जिससे व्यक्ति का नैतिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान बाधित हो जाता है। पारिवारिक जीवन तो सहिष्णुता के बिना संभव ही नहीं है क्योंकि परिवार में भिन्न-भिन्न सदस्यों की प्रवृत्तियों में विभिन्नता स्वाभाविक है।

क्रोध व असहिष्णुता का प्रयोग समाज में एक वर्ग, धर्म व समुदाय विशेष द्वारा दूसरे वर्ग, धर्म व समुदाय के प्रति घृणा जैसे कृत्य को बढ़ावा देने के लिये होता है तो इससे सामाजिक सौहार्द को हानि पहुँचती है जिससे धर्म निरपेक्षता, बहुसंस्कृतिवाद और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षति पहुँचती है। इसके कारण समाज कई वर्गों में विभाजित होने लगता है, जिसकी अंतिम परिणति दंगों के रूप में सामने आती है जो हमारी कानून व्यवस्था के समक्ष भी चुनौतियाँ उत्पन्न करती है और वैश्विक स्तर पर देश की लोकतांत्रिक छवि को भी क्षति पहुँचती है।

क्रोध को भारतीय दर्शन में भी व्यक्ति के विकास की दृष्टि से अस्वीकार किया गया है, जैन दर्शन में इसे जहाँ चार कषायों के अंतर्गत शामिल किया है, वहीं महात्मा बुद्ध ने इस संदर्भ में कहा है कि "जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में यह नहीं समझ पाते कि हमारी भलाई किस बात

में है।" महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि "क्रोध व असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन हैं।"

अत: उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि व्यक्ति व समाज दोनों की उन्नति के लिये दोनों मनोवेगों पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है, क्योंकि जब आप क्रोधित व असहिष्णु होते हैं, तब-तब आप अपने व अपने समाज की प्रणाली को ही नष्ट करते हैं। साथ ही, जिसने इन दोनों प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा लिया वह नि:संदेह समाज में विशेष स्थान का हकदार होगा, इसे हम अतीत के कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं।

2019

प्रश्न: सार्वजनिक जीवन के आधारिक सिद्धांत क्या हैं? इन में से किन्हीं तीन सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What are the basic principles of public life? Illustrate any three of these with suitable examples.

उत्तर: लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि प्राधिकार धारण करने वाले सभी व्यक्ति इन्हें लोक या जनता से प्राप्त करते हैं; दूसरे शब्दों में, सभी सार्वजनिक अधिकारी जनता के 'संरक्षक/ट्रस्टी' हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के दौर में सरकार की भूमिका के विस्तार के साथ, सार्वजनिक अधिकारी लोगों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। इसलिये जनता और अधिकारियों के मध्य संरक्षक-संरक्षित (ट्रस्टीशिप) संबंध की आवश्यकता है। फलत: सार्वजनिक अधिकारियों को सौंपा गया प्राधिकार नागरिकों के सर्वोत्तम हित और 'सार्वजनिक हित' में प्रयोग किया जाए।

ध्यातव्य है कि सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख करने वाली सबसे व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तियों में ब्रिटेन की 'नोलन समिति' प्रमुख है, जिसने सार्वजनिक जीवन में निम्नलिखित सात सिद्धांतों का उल्लेख किया– नि:स्वार्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, खुलापन/निष्कपटता, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता।

- **नेतृत्व क्षमता:** सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को नेतृत्व और उदाहरण द्वारा सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों का प्रचार और समर्थन करना चाहिये।

  उदाहरण के लिये, भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रत्येक सोमवार को देश के गरीब लोगों के लिये अनाज बचाने के लिये उपवास करते थे और उन्होंने राष्ट्र से भी इसका पालन करने का आह्वान किया।

- **नि:स्वार्थता:** सार्वजनिक अधिकारियों को सार्वजनिक हित के संदर्भ में कुशल निर्णय लेने चाहिये। उन्हें अपने, स्वयं के परिवार या मित्रों के लिये वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ या सुविधा प्राप्ति हेतु अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये।

  उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र पुलिस के तुकाराम ओंबले ने मुंबई हमले के आतंकवादियों में से कसाब को उलझाए रखा ताकि वह उनके साथी पुलिसकर्मियों पर हमला न कर सके।

- **उत्तरदायित्व:** सार्वजनिक अधिकारी अपने निर्णयों और कार्यों के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेह होते हैं और उन्हें अपने कार्यालय को भी समीक्षा/सूक्ष्म जाँच (Scrutiny) के अधीन रखना चाहिये।

  जैसे कि, विक्रम साराभाई ने इसरो के पहले मिशन की विफलता का उत्तरदायित्व स्वयं के ऊपर लिया। इसे मिशन प्रमुख (एपीजे अब्दुल कलाम) पर नहीं थोपा।

  स्पष्ट है कि सार्वजनिक जीवन के सिद्धांत लोकतंत्र की मज़बूती के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इस तरह के सिद्धांतों से उत्पन्न सार्वजनिक व्यवहार के दिशा-निर्देश सार्वजनिक अधिकारियों और आम जनता के बीच विश्वास पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिये कोई भी व्यक्ति जो लोगों की नियति या भाग्य के मार्गदर्शन और उसको निर्धारित करने का विशेषाधिकार रखता है, उसे न केवल नैतिक होना चाहिये बल्कि सार्वजनिक जीवन के इन सिद्धांतों का अनुपालन भी करना चाहिये।

प्रश्न: 'लोक सेवक' शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by the term 'public servant'? Reflect on the expected role of public servant.

उत्तर: लोक सेवक सामान्यत: वह व्यक्ति होता है जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित या चुनाव के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत हितों के ऊपर सार्वजनिक हित/कल्याण को महत्त्व दे। चूँकि करदाताओं के पैसे और सार्वजनिक धन से आंशिक या पूर्णरूपेण उसके वेतन का भुगतान किया जाता है, इसलिये उन्हें 'जनता के सेवक' के रूप में जाना जाता है। वस्तुत: ऐसे कई तत्त्व हैं जो लोक सेवक को अधिक मानवीय और शासन को नैतिक शासन और सुशासन की संरचना प्रदान करने की दिशा में सहायक हो सकते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

- लोक सेवकों का दायित्व है कि विधि के शासन को बनाए रखने, प्रशासनिक न्याय के प्रसार और नागरिकों को प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिये प्रस्तावना में निहित हमारे संवैधानिक आदर्शों की रक्षा करें और उन्हें बढ़ावा दें।
- लोक सेवक में दृढ़ता होनी चाहिये। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का निम्नलिखित कथन मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है कि यदि दुविधा हो कि कोई कार्रवाई अच्छी होगी या बुरी तो देश के निर्धनतम व्यक्ति के रूप में स्वयं को देखते हुए विचार करना चाहिये कि कोई विशेष नीति और कार्यक्रम उसे कैसे प्रभावित करेगा।
- उसे दक्ष भी होना चाहिये क्योंकि शक्ति और प्रधिकार रखने वाले प्रशासक के रूप में यह उसका उत्तरदायित्व है कि नीतियों को कार्यक्रमों के रूप में परिवर्तित करे और उसे ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करे।

- उन्हें अपने विचारों और कार्यों में कुशल होना चाहिये, जिससे वह नवीनतम जानकारी और ज्ञान तक पहुँच सके और सेवा वितरण में सुधार के लिये इनका उपयोग करने में सक्षम हो सके।
- लोक सेवक को निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ होना चाहिये, जिसकी अपेक्षा सरदार पटेल जी ने भी प्रकट की थी। उसे संविधान द्वारा निर्दिष्ट 'समावेशी राष्ट्रीय विकास' के लिये कार्य करना चाहिये।
- उन्हें गरिमापूर्ण व्यवहार करने के साथ-साथ धैर्यपूर्वक बातें सुनने और संतुलित दृष्टिकोण रखने की क्षमता होनी चाहिये। इसके अतिरिक्त अहंकार और अधिनायकवादी प्रवृत्ति से बचना चाहिये।

इस प्रकार प्रशासन की सफलता उस भागीदारी, प्रतिबद्धता, समर्पण और त्याग पर निर्भर करती है जिसके साथ देश के वंचित लोगों के कल्याण के लिये लोक सेवक प्रयासरत होते हैं।

प्रश्न: लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग एवं दुरुपयोग के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
Effective utilization of public funds is crucial to meet development goals. Critically examine the reasons for under-utilization and mis-utilization of public funds and their implications.

उत्तर: कल्याणकारी राज्य के लिये लोक निधियों का प्रभावी उपयोग सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रमुख कार्मिक सिद्धांतों में से एक है। हालाँकि, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने टिप्पणी की थी कि सार्वजनिक कल्याण पर खर्च किये जाने वाले प्रत्येक 1 रुपये के लिये केवल 15 पैसे वास्तव में जनता तक पहुँचते हैं। इस कथन से देश में धन के अप्रभावी उपयोग की गंभीरता पर प्रकाश पड़ता है।

लोक सेवक परिश्रम से अर्जित सार्वजनिक निधियों के संरक्षकों में से एक हैं, इसलिये उनका प्रभावी उपयोग उनकी नैतिक और वैधानिक ज़िम्मेदारी है। लोक निधियों का न्यून-उपयोग और दुरुपयोग होने के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं-

अल्प-उपयोग

- सरकारी कार्यालयों में उच्च प्रशासनिक लागत और प्रक्रियात्मक विलंब; जो प्रशासनिक उलझन और नौकरशाही की खामियों में लोक निधियों को रोके रखता है।
- सरकारी कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की कमी।
- ज़मीनी स्तर पर अनुपयुक्त तकनीकी पहुँच।
- वित्तीय शक्ति का अप्रभावी विकेंद्रीकरण।

दुरुपयोग

- भ्रष्टाचार, जो अनधिकृत स्रोतों की ओर धन के प्रवाह को मोड़ता है।
- निम्न उत्तरदायित्व तंत्र, जो प्रभावी निगरानी और धन के कुशल उपयोग को अक्षम करता है।
- योजना निर्माण में सामंजस्य का अभाव।
- देश में लोकलुभावन राजनीति।
- पक्षपात और पद का दुरुपयोग, अर्थात् सरकारी परियोजनाओं के आवंटन के दौरान किसी का पक्षपातपूर्ण समर्थन।
- मार्च माह के दौरान व्यय में तीव्रता, जो 'मार्च रश' के रूप में चर्चित है; जिसके अंतर्गत व्यय न हो सकीं निधियों को 'व्यपगत' होने से बचाने के लिये अनियोजित और अनुपयुक्त तरीके से धन को खर्च किया जाता है।

निहितार्थ

- **सामाजिक:** जनता के अधिकारों का उल्लंघन। यह असमानता, अशिक्षा, निम्न स्वास्थ्य और स्वच्छता, विभिन्न समुदायों के बीच कटुता में वृद्धि जैसी सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है।
- **राजनीतिक:** लोक निधि के त्रुटिपूर्ण आवंटन और अल्प-उपयोग के कारण देश में असमान विकास हुआ है, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। इससे क्षेत्रवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- **आर्थिक:** निर्धनता की व्याप्ति और जनांकिकीय लाभांश के दोहन में असमर्थता। इसके साथ ही बुनियादी ढाँचे में अपर्याप्त सुधार, मानव सूचकांक में निम्न प्रदर्शन और बेरोज़गारी आदि की समस्या कम नहीं हो रही है।
- **नैतिक:** सार्वजनिक संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन; यह जनता के लाभों के लिये निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग का उत्तरदायित्व लोक सेवक पर रखता है।

निष्कर्षत: हम चाहे कितनी भी अच्छी नीति बना लें, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक रूप से निधियों के कुशल आवंटन और उनके प्रभावी उपयोग पर निर्भर करता है। अत: कल्याणकारी उपायों को अधिकतम व सुनिश्चित करने और कुछ हाथों में धन के संग्रहण को रोकने के लिये राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में सन्निहित नैतिक कर्त्तव्य को साकार करने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि समुचित नीति उपाय किये जाएँ।

प्रश्न: "लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या करें। (150 शब्द, 10 अंक)
"Non-performance of duty by a public servant is a form of corruption" Do you agree with this view? Justify your answer.

उत्तर: 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' भ्रष्टाचार को शक्ति के दुरुपयोग के रूप में देखता है जो समाज की बुनियादी संरचना को नष्ट करता है। यह राजनीतिक व्यवस्था, संस्थानों और देश के नेतृत्व में लोगों के भरोसे को कमज़ोर करता है। दूसरी तरफ शंकालु या उदासीन जनता भ्रष्टाचार को चुनौती देने में एक महत्त्वपूर्ण बाधा बन सकती है।

उल्लेखनीय है कि सभी सिविल सेवकों को जनता के कल्याण के लिये सार्वजनिक कर्त्तव्य सौंपा गया है। सार्वजनिक कर्त्तव्य का पालन न

करने से लोगों की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकारों का हनन होता है और यहाँ तक कि कभी-कभी जीवन को भी हानि पहुँचती है। इसलिये, एक लोक सेवक द्वारा कर्त्तव्य का अनिष्पादन भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। उदाहरण के लिये, अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करने वाला कोई शिक्षक न केवल बच्चों के भविष्य को खतरे में डालता है, बल्कि समग्र समाज का भी नुकसान करता है।

भ्रष्टाचार, सिविल सेवक के प्रति जनता के विश्वास के साथ धोखा है और यह व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन है। यह कुशल प्रशासन, विधि व व्यवस्था कल्याणकारी नीतियों के उद्देश्यों की प्राप्ति और अंततः सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय जैसे संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी के मार्ग में बाधा बनता है। लोक सेवकों द्वारा कर्त्तव्य का अनिष्पादन, जिसके लिये वे नैतिक, कानूनी और संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, भ्रष्टाचार का एक रूप है क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2018 सार्वजनिक कर्त्तव्य के अनिष्पादन को अपराध मानता है।

अतः प्रत्येक सिविल सेवक द्वारा निर्दिष्ट कर्त्तव्यों का पालन किया जाना आवश्यक है ताकि वे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें। आम लोगों के जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन सकें; तभी आम नागरिक उन अधिकारों का आनंद ले सकते हैं जिसके वे अधिकारी हैं।

प्रश्नः 'सांविधानिक नैतिकता' से आप क्या समझते हैं? सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण कोई किस प्रकार करता है?

(150 शब्द, 10 अंक)

What is meant by 'constitutional morality'? How does one uphold constitutional morality?

उत्तरः सांविधानिक नैतिकता का अर्थ है संवैधानिक लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन करना। जॉर्ज ग्रोटे के अनुसार शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, इसका अर्थ है, "संविधान के रूपों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा हो; प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता लागू हो और इन तय रूपों के अंतर्गत कार्य किया जाए, यह इसका महत्त्वपूर्ण भाग है।"

भारत में इस शब्द का पहली बार प्रयोग डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अपनी संसदीय बहसों के दौरान किया था। उनके दृष्टिकोण से इसका अर्थ विभिन्न लोगों के परस्पर विरोधी हितों के बीच एक प्रभावी समन्वयन और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संघर्षरत विभिन्न समूहों के बीच किसी टकराव के बिना इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिये प्रशासनिक सहयोग है। समकालीन संदर्भ में, यह संविधान के मूलभूत तत्त्वों को संदर्भित करता है।

इसका दायरा केवल संवैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः पालन करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि संविधान के अंतिम उद्देश्य को सुनिश्चित करने तक विस्तृत है। यह उद्देश्य है एक 'सामाजिक-न्यायिक परिदृश्य का निर्माण', जो प्रत्येक नागरिक के पूर्ण व्यक्तित्व को विकसित व प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है, यही संविधान का मूल लक्ष्य है।

सांविधानिक नैतिकता के स्रोत संविधान के शब्द, संविधानसभा की बहस और उस अवधि में हुई घटनाएँ हैं। संवैधानिक कानूनों को प्रभावी बनाने के लिये संवैधानिक नैतिकता महत्त्वपूर्ण है। इसके बिना, संविधान का क्रियान्वयन अनियंत्रित, अनिश्चित और स्वेच्छाचारिता में परिवर्तित हो सकता है।

'नाज़ फांउडेशन वाद' में इस अवधारणा को मूर्त रूप में नियोजित किया गया जिसमें इसका उपयोग भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को निरस्त करने और समलैंगिकता को अपराधमुक्त घोषित करने के लिये किया गया था।

सांविधानिक नैतिकता का अनुरक्षण

- संविधान की व्याख्या करते समय 'लोकप्रिय नैतिकता' की बजाय सांविधानिक नैतिकता द्वारा न्यायालय अपने निर्णय का मार्गदर्शन देकर।
- सांविधानिक नैतिकता की अंतर्वस्तु और रूपरेखा का पता लगाकर, ताकि इसका न्यायालय में अज्ञानतावश और खतरनाक तरीके से उपयोग न किया जा सके।
- संवैधानिक सर्वोच्चता, विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता, सरकार का संसदीय स्वरूप, आत्मसंयम और भ्रष्टाचार के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' जैसे मूल्यों के लिये प्रतिबद्धता होना।
- जहाँ संविधान के उपबंध अलग-अलग पढ़े जाने पर अलग-अलग अर्थ प्रदान करते हों, वहाँ इसकी सहायता से वास्तविक आशय चुना जा सकता है।
- संविधान के आदर्शों व सिद्धांतों के प्रति सर्वोपरि श्रद्धा रख कर; प्राधिकार के प्रति आज्ञाकारिता लागू करके और इन तय आदर्शों व सिद्धांतों के दायरे में कार्य करके।

संविधान में भी इस अवधारणा का उल्लेख केवल चार बार (अनुच्छेद 19 में दो बार और अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में एक-एक बार) किया गया है और इस पर लंबे समय से अधिक विचार और अध्ययन नहीं किया गया है। इस अवधारणा की संभावनाओं पर आगे और विचार करके एक नए परिप्रेक्ष्य में संविधान को समझने में सहायता मिल सकती है।

प्रश्नः 'अंतःकरण का संकट' का क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में यह किस प्रकार अभिव्यक्त होता है?

(150 शब्द, 10 अंक)

What is meant by 'crisis of conscience'? How does it manifest itself in the public domain?

उत्तरः गांधीजी 'अंतःकरण' को सर्वोच्च निदेशक मानते थे तथा उनके अनेक निर्णयों का आधार 'अंतःकरण' ही था। इस संदर्भ में गांधीजी का प्रसिद्ध कथन है, "न्याय की अदालत से भी ऊँची एक अदालत है और यह है अंतःकरण की अदालत, जो अन्य सभी अदालतों से ऊपर है।"

अंतःकरण का संकट

- यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक रूप से अनुचित या गलत होने की दुविधा है।

- कभी-कभी जटिल और भावनात्मक स्थितियों में यह तय करना बहुत कठिन होता है कि क्या करना सही होगा। किसी स्थिति को व्यावहारिक रूप से एक अलग समाधान की आवश्यकता हो सकती है जो अनैतिक हो सकती है। लेकिन हमारा अंत:करण दृढ़ता से हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देता है।
- अनेक बार दो नैतिक सिद्धांतों में किसे वरीयता दी जाए या किन परिस्थितियों में नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए, को लेकर दुविधा उत्पन्न हो जाती है। किसी नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन करना नैतिक रूप से उचित है, जब किसी अन्य सच्चे नैतिक सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिये यह स्पष्ट रूप से आवश्यक हो, जो कि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि पहुँचाए। यह एक 'उपयोगितावादी' दृष्टिकोण है।

'अंत:करण का संकट' सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में कैसे अभिव्यक्त होता है?

- यह सिविल सेवकों द्वारा उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रकट होता है जहाँ कोई निर्णय लोगों की बड़ी संख्या को प्रभावित कर सकता है। विशेषकर, जब वे अनैतिक निर्णय लेने या अनैतिक नीतियों को लागू करने के लिये किसी मंत्री के दबाव में होते हैं।
- यह 'नैतिकता' और 'विधि' के मध्य संघर्ष में प्रकट होता है। उदाहरण के लिये, भारत के कुछ क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिये नागरिकों के अधिकारों को कुछ हद तक सीमित किया गया है। अत: विधि व्यवस्था एवं नागरिकों के अधिकारों के मध्य द्वंद्व अंत:करण के संकट की स्थिति को दर्शाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र में अंत:करण के ऐसे संकटों की उत्पत्ति सामान्य है, जहाँ जीवन और निर्णय में अतिव्यापन होता रहता हैं और लगभग हमेशा ही एक-दूसरे के सम्मुख होते हैं। लोक सेवक के लिये अंत:करण के ऐसे संकट से बाहर निकलने की कुंजी यह है कि वह सभी आयामों को ध्यान में रखे, इच्छाओं या दबावों से स्वयं को मुक्त करे। सार्वजनिक सेवा नैतिक संहिता (Ethical Code) और विधायी ढाँचे (Legal Framework) के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध बना रहे।

प्रश्न: नागरिकों के अधिकार पत्र (चार्टर) आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिये और उसके महत्त्व को उजागर कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Explain the basic principles of citizens charter movement and bring out its importance.

उत्तर: नागरिक अधिकार पत्र एक सरकारी संस्थान द्वारा नागरिकों/ग्राहक समूहों को प्रदत्त की जा रही या प्रदान की जाने वाली सेवाओं/योजनाओं के संबंध में स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं का एक दस्तावेज़ है। नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। अन्य उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन के बीच पुलों का निर्माण करना और नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासन को सुव्यवस्थित करना है।

नागरिक चार्टर आंदोलन के मूलभूत सिद्धांत

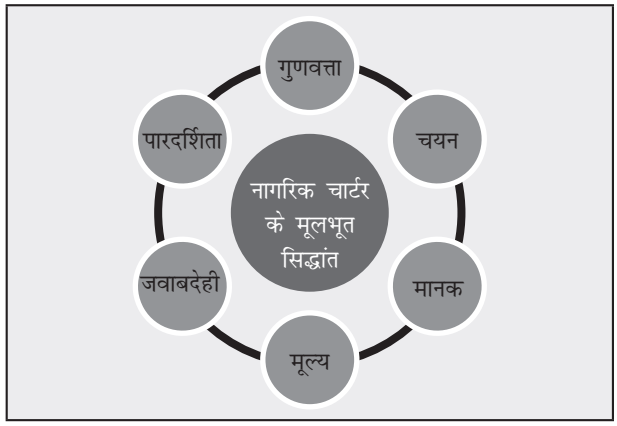

महत्त्व

- यह प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में सहायक है।
- यह अपनी प्रकृति में नागरिक-केंद्रित है और प्रशासन को अधिक नागरिक अनुकूल बनाता है।
- यह सुशासन और नैतिक शासन को बढ़ावा देता है
- यह सेवा वितरण में सुधार और उनकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है।
- यह शिकायत निवारण के लिये एक मार्ग प्रदान करता है।

नागरिक चार्टर अपने आप में कोई अंतिम उपाय नहीं है, बल्कि यह एक साधन है जो यह सुनिश्चित करने की मंशा रखता है कि किसी भी सेवा वितरण मॉडल के केंद्र में हमेशा 'नागरिक' रहें।

प्रश्न: एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

There is a view that the Official Secrets Act is an obstacle to the implementation of Right to Information act. Do you agree with the view? Discuss

उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 एक पथ-प्रदर्शक विधान है, जिसने भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता के एक नए युग का आरंभ किया। साथ ही इसने निम्नलिखित तरीकों से जनता का सशक्तीकरण किया:

- आम जनता के लिये सूचनाओं को सुलभ बनाना।
- अपने निर्णयों के लिये सरकार के ऊपर जवाबदेही में वृद्धि।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश सुनिश्चित करने का एक उपकरण।
- सरकारी कर्मचारियों की कुशल कार्यप्रणाली की शुरुआत।

हालाँकि, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दमन की प्रक्रिया में 1923 में शासकीय गुप्त बात अधिनियम (ओएसए) को लागू किया गया। यह RTI के प्रावधानों के प्रतिकूल है। यह केवल आधुनिक उदार लोकतंत्र में अप्रासंगिक ही नहीं है, बल्कि निम्नलिखित तरीकों से आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधाएँ भी उत्पन्न करता है-

- औपनिवेशिक मनोवृत्ति का अधिनियम।
- मुख्यत: सरकार द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर नागरिकों से सूचना गुप्त रखने में उपयोग किया जाता है।
- इसका उपयोग सरकार की अक्षमता को छुपाने के लिये भी किया जाता है।
- सरकारी कमियों को उजागर करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध एक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है।
- नागरिकों पर जासूसी करने का गलत संदेह उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि- इसरो जासूसी मामले में इसरो के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस. नंबी नारायणन को जाँच के घेरे में लिया गया, जिन्होंने ओएसए के तहत एक आपराधिक मुकदमे का सामना किया और 24 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बरी हुए।

हालाँकि, सुरक्षा चिंताओं के कारण पूर्ण पारदर्शिता न तो संभव है और न ही वांछनीय है। विशेषकर तब, जब भारत को एक शत्रुतापूर्ण पड़ोस के कारण बहुपक्षीय खतरों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप-

- परमाणु प्रतिष्ठान, सैनिकों का आवागमन/तैनाती जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मुद्दों से संबंधित सूचनाओं के खुलासे का आम जनता के लिये कोई विशेष उपयोग नहीं है और ये राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।
- जासूसी संबंधी चिंताओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्कॉर्पीन क्लास सबमरीन की डिज़ाइन योजना की हालिया चोरी ऐसा ही एक उदाहरण है।

यद्यपि सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा-22 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह शासकीय गुप्त बात अधिनियम पर अधिभावी है। सरकार केवल इस आधार पर किसी मामले में आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना देने से इनकार नहीं कर सकती कि यह ओएसए के अंतर्गत वर्णित है। फिर भी एक मज़बूत प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिये जो ओएसए के उपयोग और दुरुपयोग के बीच अंतर करे।

अत: गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट ने सुझाव दिया था कि गुप्त रखने की संस्कृति गोपनीयता का संपोषण करती है, जिससे सूचनाओं के प्रकटीकरण व खुलेपन की संस्कृति दुर्लभ हो जाती है। आयोग की सिफारिश है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को निरस्त किया जाना चाहिये।

प्रश्न: शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? इस शब्द की आपकी अपनी समझ के आधार पर, सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)
What do you understand by probity in governance? Based on your understanding of the term, suggest measures for ensuring probity in government.

उत्तर: शासन में सत्यनिष्ठा शासन प्रणाली के कुशल संचालन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे ईमानदारी, अखंडता, शुचिता जैसे आचार-परक और नैतिक मूल्यों के पालन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह उच्च मानकों के नैतिक व्यवहार के साथ प्रक्रियात्मक अखंडता या शुचिता की उपस्थिति है।

शासन में सत्यनिष्ठा यह भी स्पष्ट करती है कि सिविल अधिकारियों के लिये निष्पादन, ईमानदारी और देशभक्ति के पारंपरिक सिविल सेवा मूल्यों के साथ-साथ नैतिक और सत्यनिष्ठ मूल्यों को अपनाना भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसमें मानव अधिकारों के प्रति सम्मान, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का पालन, कमज़ोरों के प्रति करुणा और उनके कल्याण के प्रति समर्पण रखना शामिल है।

शासन में सत्यनिष्ठा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है

- यह सरकारी प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को बनाए रखती है।
- यह शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- यह कदाचार, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं से बचने का प्रयास करती है।

सरकार में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उपाय

शासन में सत्यनिष्ठा की कमी समाज के सबसे बड़े खतरों में से एक बन गई है। शासन में सत्यनिष्ठा को अंतर्विष्ट करने और नैतिक प्रक्रियाओं के कुशल पालन के लिये कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं-

- सरकारी अधिकारियों द्वारा 'नैतिक संहिता' और 'आचार संहिता' के उल्लंघन की निगरानी के लिये एक समर्पित इकाई की स्थापना राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर की जानी चाहिये।
- सूचनाओं को वेबसाइटों के माध्यम से आम जनता के लिये सुलभ बनाया जाना चाहिये। साथ ही 'सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी' के उपयोग को शासन में बढ़ावा देना चाहिये।
- उपयुक्त ऑडिटिंग के साथ सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और देनदारियों की अनिवार्य घोषणा की जानी चाहिये।
- स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक संस्था की स्थापना की जानी चाहिये।
- प्रशासन में सुधार लाने हेतु आम जनता के विचारों को संलग्न करने के लिये 'नागरिक सलाहकार बोर्ड' का गठन किया जाना चाहिये।
- सभी सरकारी कार्यक्रमों का अनिवार्य 'सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट)' होना चाहिये, जैसे कि मेघालय राज्य ने सरकारी कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण के लिये एक कानून पारित किया है।

अत: कानूनों और नीतियों के अलावा, सरकार को सरकारी कर्मचारियों में व्यवहारगत परिवर्तन (Behavioural Change) लाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिये ताकि वे आम जनता की समस्याओं से समानुभूति रखें; जिससे 'जनता द्वारा, जनता के लिये, जनता के शासन' के लोकतांत्रिक लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

प्रश्न: संवेगात्मक बुद्धि आपके अपने संवेदों से आपके विरुद्ध कार्य करने की बजाय आपके लिये कार्य करवाने का सामर्थ्य है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? विवेचना कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

"Emotional Intelligence is the ability to make your emotions work for you instead of against you" Do you agree with this view? Discuss.

उत्तर: संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है व्यक्ति के अपने और दूसरों के संवेदों को कुशल तरीके से समझने की क्षमता ताकि उन्हें नियंत्रित और प्रबंधित किया जा सके और उनका उपयोग कार्य निष्पादन में हो सके। यह प्रशासकों के 'सामाजिक कौशल' का आधार है जो संगठनात्मक प्रभावशीलता में योगदान करता है। संवेगात्मक बुद्धि निम्नलिखित तरीके से आपके पक्ष में काम करती है-

- यह संगठन में कार्य को वितरित करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में मदद करती है।
- यह वांछित परिणामों की ओर ले जाती है।
- सहकर्मियों के बीच विश्वास बढ़ाती है।
- तनाव प्रबंधन और समस्याओं का प्रभावी समाधान खोजने में मदद करती है।
- दूसरों की मन:स्थितियों को समझने में सहायता करती है।
- यह एक अधिकारी में 'अभिप्रेरणा' और उपलब्ध कार्यों को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिये अपने अधीनस्थों को प्रेरित करने में मदद कर सकती है।
- इसके अलावा, यह सिविल सेवक को आम लोगों, विशेष रूप से गरीब और कमज़ोर लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने में सहायता करती है। जिसका लाभ प्रशासक को सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और विकासात्मक योजनाओं में जनता के सहयोग के रूप में मिलता है।

उदाहरणार्थ, मान लीजिये आप एक कठोर समय सीमा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में एक बहुत महत्त्वपूर्ण परियोजना की देख-रेख कर रहे हैं। जैसे-जैसे समय सीमा निकट आती जाती है, यदि आपकी संवेगात्मक बुद्धि निम्न है तो आप आसानी से उत्तेजित, चिंतित, निराश, हताश और हतोत्साहित हो जाएंगे, जो आपकी परियोजनाओं के लिये और अधिक बाधाएँ पैदा करेगा। लेकिन, यदि आप उच्च संवेगात्मक बुद्धि रखते हैं तो आप कार्य में तीव्रता लाने के लिये अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करेंगे और एक सकारात्मक दृष्टिकोण, शांत व व्यवस्थित आचरण के साथ काम को जल्दी पूरा करने के लिये अन्य नवोन्मेषी तरीकों पर विचार करेंगे। इस प्रकार, संवेगात्मक बुद्धि संवेदों की यादृच्छिकता और संवेगों के उच्च स्तर पर नियंत्रण में सहायक होती है।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के आपके लिये क्या मायने हैं?

"एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है।" -सुकरात

(150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean to you?

"An unexamined life is not worth living." – Socrates

उत्तर: एक अपरीक्षित मनुष्य जीवन के अस्तित्व की सार्थकता और उद्देश्य से वंचित होता है। आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता नैतिक सत्यनिष्ठा और सामाजिक एकजुटता के लिये प्रतिबद्धता का आह्वान करके व्यक्तिवादी विसंगति को दूर करती है।

जैसे बीज को अपने अंकुरण के लिये मिट्टी, धूप और जल की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव जीवन को अपने विकास के लिये आत्मनिरीक्षण और परीक्षण की आवश्यकता होती है।

महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा 'सत्य के साथ मेरे प्रयोग' (My Experiments with Truth) के माध्यम से स्वयं का परीक्षण, जीवन पर आत्म-चिंतन के महत्त्व को उजागर किया गया है। इस परीक्षण के माध्यम से महात्मा गांधी न केवल अपनी दुर्बलताओं और कमज़ोरियों को पहचानने में सक्षम हुए, बल्कि अपने पूर्वाग्रहों को प्रश्नगत करने और एक मानव के रूप में अपनी शक्ति को समझने में भी सक्षम हुए। जीवन पर आत्म-चिंतन की यही क्षमता महाभारत में भीष्म, युधिष्ठिर या कौरवों जैसे अन्य सभी चरित्रों से अर्जुन के चरित्र को अधिक मज़बूत बनाती है। मानदंडों का पालन करने और अपने वंश, परिजन व साथियों के साथ मिलकर युद्ध आरंभ करने की बजाय अर्जुन ने युद्ध की निरर्थकता और अपने जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न उठाए।

समकालीन विश्व में तेज़ी से बदलते समाज और उपभोक्तावादी संस्कृति ने मानव को परिवर्तनों के परीक्षण और उस पर चिंतन का बहुत कम अवसर दिया है। परिवर्तनों के प्रति अनुकूल होना स्वचालित और प्रश्नातीत प्रक्रिया हो गई है।

वर्तमान समय में जहाँ मानव सभ्यता पर युद्धों के इतिहास उपनिवेशवाद का बोझ है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति में नैतिकता का क्षरण हो रहा है और उसके अंदर आध्यात्मिक रिक्तता की भावना भरी हुई है। इन परिस्थितियों में सुकरात का यह उद्धरण बेहद प्रासंगिक हो जाता है।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के आपके लिये क्या मायने है?

"जहाँ हृदय में शुचिता है, वहाँ चरित्र में सुंदरता है। जब चरित्र में सौंदर्य है, तब घर में समरसता है। जब घर में समरसता है, तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है। जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, तब विश्व में शांति है।" -ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

(150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean to you?

"Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world." – A.P.J. Abdul Kalam

उत्तर: ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने इस उद्धरण के माध्यम से शुचिता के महत्त्व पर प्रकाश डाला है तथा हृदय, चरित्र, राष्ट्र और विश्व के बीच एक सुंदर संबंध की स्थापना की है।

शुचिता, नैतिक रूप से उचित और न्यायपूर्ण होने का गुण है जो किसी भी शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के आधार का निर्माण करती है। प्रत्येक धर्म शुचिता की गुणवत्ता पर एक अंत साधन के रूप में ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के लिये, हिंदू पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में शुचिता का मार्ग अर्थात् 'धर्म को प्रत्येक मनुष्य का आदर्श मार्ग या परम कर्त्तव्य माना गया है।'

उपर्युक्त उद्धरण के द्वारा वे समाज में शांति की स्थापना का मार्ग दिखाते हैं। सभी गतिविधियों के केंद्र में व्यक्तिगत सुधार को रखकर वे समग्र समाज के सुधार और एकीकरण का लक्ष्य रखते हैं। उदाहरणार्थ, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने अपने साम्राज्य में 'धम्म नीति' को बढ़ावा दिया, जो राज्य में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने का निर्धारित आदर्श सामाजिक व्यवहार था।

समकालीन समाज शुचितापूर्ण व्यवहार मार्ग से विचलित होकर जीवन के भौतिकवादी मार्ग की ओर अधिक झुकता हुआ नज़र आता है, जिसके कारण कई सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है।

यदि लोग शुचितापूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वे दूसरों को सुख देने और अपने व्यक्तिगत प्रयासों में सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। इससे वे अपने पारिवारिक स्तर के उत्थान में योगदान देंगे, जो अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज के सुख और उत्थान में सहयोग करेगा, जिससे अपराध, भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिग जैसी अनेक सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसी तरह, एक अधिक समृद्ध समाज एक अधिक समृद्ध राष्ट्र में योगदान करेगा।

उदाहरणस्वरूप, आतंकवाद ने पश्चिम एशिया के कई देशों में एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है तथा संपूर्ण विश्व की रक्षा और सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। इन राष्ट्रों में शुचिता मार्ग के अनुसरण पर बल देकर समस्त विश्व में शांति स्थापना के लिये योगदान किया जा सकता है।

निष्कर्षत: 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के स्वप्न को साकार करने के लिये अदम्य भावना के साथ समाज में कई आयामों में शुचिता की स्थापना आवश्यक है।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के आपके लिये क्या मायने है?

"व्यक्ति और कुछ नहीं केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है। वह जो सोचता है वही बन जाता है।" -एम.के. गांधी

(150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean to you?

"A man is but a product of his thoughts. What he thinks he becomes." – M.K.Gandhi

उत्तर: किसी व्यक्ति के कार्य मुख्यत: उसकी विचार प्रक्रिया से निर्धारित होते हैं। किसी व्यक्ति के विचार ही समाज के साथ उसकी संलग्नता के प्रवेश बिंदु होते हैं। विचार, आचरण के साथ-साथ अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं, और कृत्य को इसी अनुरूप ढालते हैं। इसलिये, विचारों को नैतिकता और अंत:करण के एक दिशा-निर्देशक से नियंत्रित किया जाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। नैतिक विचार प्रक्रिया से नैतिक आचरण और नैतिक कृत्यों का नियंत्रण होता है।

अनुभवों पर आधारित विचार या चिंतन कृत्य के विविध विकल्पों का मार्ग खोलते हैं। विचारों और भावनाओं के बारे में समझ, जागरूकता संवेगात्मक बुद्धिमत्ता कृत्यों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिये, दयालुता और करुणा के विचार समाज में समानुभूति रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ा सकते हैं, जबकि हिंसा और क्रोध के विचार समाज में अपराधियों की संख्या वृद्धि में योगदान कर सकते हैं।

'कृत्रिम बुद्धि' और 'बिग डेटा' जैसी तकनीकी प्रगति वर्तमान समय के समाज में नैतिकता के संदर्भ में नए प्रश्नों को जन्म देती है। व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव में लोगों के विचार अधिक आत्म-केंद्रित हो गए हैं, जिसने उन्हें समुदाय व समाज से और असंलग्न किया है। इसके साथ ही, बाज़ार व राज्य लोगों के विचारों, आचरणों व कृत्यों पर अधिकाधिक नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित हो रहे हैं। यह न केवल किसी व्यक्ति के भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि प्रश्नरत रहने और तार्किक रूप से विचार कर सकने की उसकी प्रवृत्ति को भी कम करता है।

ऐसे समय में समाज में स्वतंत्रतापूर्वक विचार और लोगों की अभिव्यक्ति की क्षमता का संपोषण किया जाना चाहिये। समाज को शिक्षा पर अधिक बल देने की आवश्यकता है क्योंकि तार्किक नैतिक सोच का विकास ऐसे व्यक्तियों को उभरने का अवसर देगा जो नीतिपूर्वक कार्य करते हैं। इस प्रकार समाज, राष्ट्र और विश्व पर वृहत् प्रभाव डालते हैं।

2018

प्रश्न: सिविल सेवाओं के संदर्भ में सार्विक प्रकृति के, तीन आधारिक मूल्यों का कथन कीजिये और उनके महत्त्व को उजागर कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

State the three basic values, universal in nature, in the context of civil services and bring out their importance.

उत्तर: भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं व सिविल सेवकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये कल्याणकारी राज्य के प्रमुख 'एजेंट' होते हैं। सिविल सेवाओं की प्रकृति को देखते हुए सिविल सेवकों में सार्विक प्रकृति के तीन आधारभूत मूल्यों– सत्यनिष्ठा, करुणा और सहिष्णुता का होना आवश्यक है। सार्विक प्रकृति के मूल्यों से आशय उन मूल्यों से है जिन्हें विश्व के अधिकांश समाज व समुदायों में मान्यता प्राप्त होने व समाज में प्रचलन में होने तथा देश, काल, परिस्थितियों का जिन पर सीमित प्रभाव पड़ता हो, जैसे– करुणा का मूल्य। करुणा को भारतीय व पश्चिमी समाज में अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। संपूर्ण विश्व में परोपकार की मूल भावना का कारण 'करुणा' ही है।

वस्तुत: सत्यनिष्ठा से तात्पर्य किसी चीज़ के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा होने से कर्मचारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और जनता का विश्वास प्राप्त हो जाता है जिससे सामाजिक परिवर्तन तथा अन्य मामलों में जनता का सक्रिय सहयोग मिलता है। कल्याणकारी राज्य में सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा की उपस्थिति इस बात की गारंटी देती है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है, वे लाभ सचमुच उन्हें प्राप्त होंगे।

करुणा एक सामान्य भाव है जो कमज़ोर व्यक्तियों या प्राणियों की पीड़ा को महसूस कर उनकी सहायता की इच्छा उत्पन्न होने की भावना से उत्पन्न होता है। लोकसेवाओं में करुणा का मूल्य होने से लोक सेवक कमज़ोर एवं गरीब वर्गों की स्थिति में सुधार करने के साथ ही उनकी दशा सुधारने के लिये भीतर से प्रतिबद्ध होंगे, जिससे इन वर्गों की जीवन स्थिति में गुणात्मक सुधार और समावेशी वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

सहिष्णुता का संकीर्ण अर्थ सहन करना है। जबकि व्यापक अर्थ अपने विरोधी एवं विभिन्न भाषा, लिंग, धर्म, विचार इत्यादि समुदायों व व्यक्तियों के विचारों, मान्यताओं को स्वीकार करने और उनका सम्मान करने से है तथा उनके विचार वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित एवं तार्किक होने पर उन्हें अपनाने से है। भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में सभी समाजों के वैविध्य में वृद्धि हो रही है। लगभग सभी समाजों में धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयताओं के विभिन्न समूह साथ-साथ रहते हैं। इन परिस्थितियों में लोकसेवाओं में सहिष्णुता होने से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साथ ही समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक होते हैं। भारत एवं अन्य विविधतावादी देशों में लोकसेवाओं में यह गुण अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

निष्कर्षत: लोकसेवाओं में इन आधारिक मूल्यों से समाज, प्रशासन व राजनीति सभी को लाभ पहुँचता है और देश की प्रगति व विकास में लोकसेवक समुचित तरीके से अपने कर्त्तव्यों का निवर्हन करते हैं।

प्रश्न: उपयुक्त उदाहरणों सहित 'सदाचार-संहिता' और 'आचार-संहिता' के बीच विभेदन कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Distinguish between 'Code of ethics' and 'Code of conduct' with suitable examples.

उत्तर: नीति-संहिता और आचरण-संहिता दोनों का ही संबंध प्रशासन या प्रबंधन में नैतिकता की स्थापना से है। सदाचार-संहिता या कोड ऑफ एथिक्स में प्रशासन या प्रबंधन से जुड़े कुछ आधारभूत मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट, सदाचार-संहिता पर आधारित दस्तावेज़ होता है जो प्रशासन या प्रबंधन में कुछ निश्चित कार्यों या आचरणों के बारे में यह बताता है कि किसी अधिकारी को इन्हें करना चाहिये या नहीं।

उल्लेखनीय है कि व्यावहारिक तौर पर इन दोनों को पूरी तरह से अलग करना संभव नहीं है किंतु सैद्धांतिक तौर पर इनमें अंतर किया जा सकता है। सदाचार-संहिता सामान्य व अमूर्त होती है जबकि आचरण-संहिता विशिष्ट व मूर्त।

इसके अलावा, सदाचार-संहिता के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है जबकि 'आचार संहिता' के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। सदाचार-संहिता करणीय व अकरणीय के कुछ मानदंड निर्धारित कर प्रशासकों के व्यवहार में सुनिश्चितता लाती है। चूँकि प्रशासन के नैतिक मूल्य आधारभूत मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। इसलिये यह संभव है कि विभिन्न देशों या एक ही देश में सरकार के विभिन्न अंगों, विभागों आदि की सदाचार-संहिताएँ एक जैसी हों। परंतु आचार संहिताएँ एक जैसी सदाचार-संहिताओं पर आधारित होकर भी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं क्योंकि एक ही नैतिक मूल्य अलग-अलग विभागों में विभिन्न रूपों में व्यक्त हो सकता है। जैसे कि 'प्रतिबद्धता' का नैतिक मूल्य प्राय: सभी विभागों की सदाचार-संहिताओं में पाया जाता है। सैनिक आचरण-संहिता में 'प्रतिबद्धता' का अर्थ युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपना जीवन अर्पण करने के लिये तैयार रहना और शत्रु को हर हाल में हराना होगा। जबकि सिविल सेवकों की आचरण-संहिता में इसका तात्पर्य ईमानदारी से काम करना, वेतन शर्तों इत्यादि पर ध्यान न देना होगा।

गौरतलब है कि नैतिक संहिता तुलनात्मक रूप से स्थायी होती है क्योंकि सामान्यत: नैतिक मूल्यों में परिवर्तन बहुत धीमी गति से आते हैं परंतु आचरण-संहिता अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिये 'ईमानदारी' का नैतिक मूल्य 'सदाचार-संहिता' में लगभग हर समय स्थायी रहता है। किंतु आचरण-संहिता में परिवर्तन इसलिये होता है क्योंकि समय के साथ बेईमानी के नए-नए रूप सामने आते हैं, जैसे- डोपिंग एवं मैच फिक्सिंग इत्यादि।

निष्कर्षत: सार्वजनिक एवं निजी जीवन में नैतिकता की अनिवार्य आवश्यकता होती है। अत: अच्छे शासन व सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के संवर्द्धन हेतु सदाचार-संहिता और आचार संहिता दोनों आवश्यक हैं।

प्रश्न: लोकहित से क्या अभिप्राय है? सिविल कर्मचारियों द्वारा लोकहित में कौन-कौन से सिद्धांतों और कार्यविधियों का अनुसरण किया जाना चाहिये? (150 शब्द, 10 अंक)

What is meant by public interest? What are the principles and procedures to be followed by the civil servants in public interest?

उत्तर: 'लोकहित' सामूहिक रूप से जनता के हित को कह सकते हैं। इसके अंतर्गत या तो प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होता है या फिर इसमें लोगों के एक वर्ग को लाभ होता है किंतु दूसरों को कोई नुकसान नहीं होता। वर्तमान में लोकहित प्रजातंत्र, सरकार के स्वरूप, जनकल्याण, सरकारी नियोजन तथा न्याय के लिये आवश्यक हो गया है। लोकहित को सर्वमान्य आधार पर परिभाषित करना जटिल है किंतु इतना अवश्य है कि लोकहित वर्तमान में सत्ता की वैधता का मानदंड अवश्य है। सरल शब्दों में कहें तो लोकहित का तात्पर्य है साधारण व्यक्तियों की ज़रूरतों व आवश्यकताओं को संपोषित और पूरा करना।

प्रशासनिक नैतिकता के अंतर्गत सिविल कर्मचारियों के लिये लोकहित के सिद्धांतों तथा कार्यविधियों का अनुसरण आवश्यक है क्योंकि इनके द्वारा सिविल सेवक आम जनता के प्रति सहयोगी, समानतापूर्ण, संवेदनशील तथा सकारात्मक व्यवहार करने में सक्षम बनता है।

यदि लोकहित के सिद्धांतों पर विचार करें तो इसके अंतर्गत सिविल कर्मचारी पारदर्शिता, भागीदारी, परोपकार, स्वायत्तता, निष्पक्षता तथा सत्यनिष्ठा जैसे सिद्धांतों का पालन करता है। साथ ही, लोकहित के उन्नयन के लिये विवेकपूर्ण अधिकारों का भी उपयोग करता है।

इन सिद्धांतों के पालन में सिविल कर्मचारी नैतिक मूल्यों पर स्थापित कार्यविधियों का अनुसरण करता है। लोकहित के अंतर्गत सिविल कर्मचारी प्रत्येक व्यक्ति की मांग व ज़रूरत को समान महत्त्व व सम्मान के साथ पूरा करने का प्रयास करता है। सिविल कर्मचारी 'लोकहित' की प्रक्रिया में उपयुक्तता, तत्परता, सहानुभूति तथा संवेदनशीलता का समुचित समन्वय करता है।

इस प्रकार 'लोकहित' तथा इसके सिद्धांतों एवं कार्यविधियों का मुख्य ध्येय नागरिकोन्मुख प्रशासन की स्थापना है जिसमें कार्यनिष्पादन सहयोग व प्रेम की भावना के साथ किया जाता है न कि भार के रूप में।

प्रश्न: "सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनःपरिभाषित करता है।" विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"The Right to Information Act is not all about citizens' empowerment alone, it essentially redefines the concept of accountability." Discuss.

उत्तर: किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार नागरिकों का सशक्तीकरण, शासन व प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता, नागरिकों तक सूचनाओं की प्रभावी उपलब्धता होता है। इस दृष्टि से सूचना का अधिकार अधिनियम स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्ण अधिनियम है क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों का सशक्तीकरण करने के साथ ही जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है।

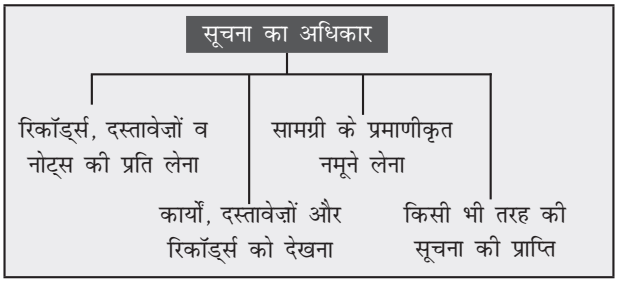

उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम शासन प्रक्रियाओं के बारे में लोगों की जानकारी को बढ़ाकर नागरिकों में सशक्तीकरण लाता है। यह खुले शासन के लिये आवश्यक दशाओं का निर्माण करता है जो लोकतंत्र की आधारशिला बनती है। वस्तुतः सूचना का अधिकार अधिनियम न सिर्फ व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है जो लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है बल्कि सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितता को भी कम करने में सहयोग करता है जो एक सशक्त समाज के निर्माण के लिये आवश्यक है। इस प्रकार यह अधिकार नागरिकों के सशक्तीकरण एवं सुशासन में सहायक है।

ध्यातव्य है कि सूचना के अधिकार से पूर्व नागरिकों को सरकार से सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था और शासन में 'गोपनीयता की संस्कृति' को बढ़ावा मिलता था, जो भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त, शासन व प्रशासन में कोई प्रभावी नियम व अधिनियम की अनुपलब्धता के कारण जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी।

किंतु सूचना के अधिकार अधिनियम ने जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित किया है इसके माध्यम से नागरिक, अधिकारी से कोई भी सवाल या सूचना (कुछ अपवाद, जैसे अधिनियम के अनुच्छेद 8 में वर्णित कुछ विषय इत्यादि को छोड़कर) प्राप्त कर सकता है तथा संबंधित संस्था या विभाग द्वारा 30 दिन की अवधि में सूचना प्रदान की जाएगी। अब विभाग के अधिकारी दस्तावेज़ों को संरक्षित रखने का प्रयास करने के साथ ही प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हैं तथा लोक सेवक अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग होने के साथ ही पिछली गलतियों को दोहराने से बचते हैं।

गौरतलब है कि जनमानस अब आरटीआई को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए शासन की प्रत्येक इकाई से जवाबदेही की मांग कर सकता है। इसी व्यवस्था का परिणाम है कि अब देश का साधारण-से-साधारण नागरिक भी शासकीय व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने में सक्षम हुआ है, साथ ही जवाबदेही व उत्तरदायित्व को पुनः परिभाषित किया है।

निष्कर्षतः आरटीआई अधिनियम को बेहतर एवं सशक्त बनाने के लिये कुछ और महत्त्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है तथा वर्तमान में यह नागरिकों के सशक्तीकरण के साथ ही उनमें जवाबदेही सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बना है। आदर्श घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला इत्यादि को उजागर करने में आरटीआई अधिनियम की निर्णायक भूमिका रही है।

प्रश्न: हित-विरोधिता से क्या तात्पर्य है? वास्तविक और संभावित हित-विरोधिताओं के बीच के अंतर को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What is meant by conflict of interest? Illustrate with examples, the difference between the actual and potential conflicts of interest.

उत्तर: 'हित-विरोधिता' से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जो किसी लोक सेवक के व्यक्तिगत हित तथा सार्वजनिक एवं पेशेवर हित के बीच विरोध उत्पन्न करने के कारण उसकी निष्पक्षता, तटस्थता तथा सत्यनिष्ठा जैसे नैतिक मूल्यों को कमज़ोर करती है।

'वास्तविक हित-विरोधिता' तब उत्पन्न होती है जब किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कर्त्तव्य तथा उसके निजी हितों में वास्तविक संघर्ष उत्पन्न हो, यहाँ हित-विरोधिता अनुमानित नहीं होती, जैसे राजनीतिज्ञों एवं उद्योगपतियों के गठजोड़ से 'क्रोनी कैपिटलिज़्म' का प्रचलन, जिसके मूल में ही 'लाभ के लिये दोस्त' बनाने की मानसिकता काम करती है। इन परिस्थितियों में लोक सेवा के पद को धारण करने वाला व्यक्ति प्रतिफल के रूप में उद्योगपति को लाभ पहुँचाता है। इस प्रकार ऐसे 'भ्रष्टाचार' वास्तविक हित-विरोधिता का परिणाम होते हैं।

'संभावित हित-विरोधिता' उन परिस्थितियों को संदर्भित करती है जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में सार्वजनिक पदाधिकारी या लोक सेवक के निजी एवं सार्वजनिक हितों में विरोध उत्पन्न हो सकता है। यहाँ 'हित-विरोधिता' का अनुमान लगाया जाता है, यह वास्तविक नहीं होती। जैसे प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री बन जाए जो स्वयं भी कई अस्पतालों का संचालन करता हो; ऐसी स्थिति में उसके निजी हित व सार्वजनिक हितों में विरोधिता उत्पन्न हो सकती है क्योंकि हो सकता है भविष्य में यह मंत्री चिकित्सा के आवश्यक मानकों के प्रवर्तन में अपने अस्पतालों को छूट दे दे।

इस प्रकार 'हित-विरोधिता' एक सार्वजनिक पदाधिकारी को नैतिक दुविधा में डालने के साथ-साथ भ्रष्टाचार की प्रमुख कारक भी है, इसलिये एक सार्वजनिक पदाधिकारी को 'हित-विरोधिता' से बचना चाहिये।

प्रश्न: "नियुक्ति के लिये व्यक्तियों की खोज करते समय आप तीन गुणों को खोजते हैं: सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा। यदि उनमें पहला गुण नहीं है, तो अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे।" *–वॉरेन बफेट*

वर्तमान परिदृश्य में इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"In looking for people to hire, you look for three qualities : integrity, intelligence and energy. And if they do not have the first, the other two will kill you."

– Warren Buffett

What do you understand by this statement in the present-day scenario? Explain.

उत्तर: किसी भी शासन, प्रशासन और व्यवसाय की तरक्की या उन्नति में उसमें कार्यरत व्यक्तियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तियों में सत्यनिष्ठा के अभाव में कोई भी संगठन, शासन, प्रशासन मंथर मृत्युगति को बाध्य है।

अब यह सवाल उठता है कि संगठन में व्यक्तियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाए, तो इसके लिये आवश्यक है कि व्यक्ति में तीन गुणों– सत्यनिष्ठा, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा की खोज की जाए। इन गुणों के अभाव में कोई भी व्यक्ति आपके लिये उपयोगी नहीं हो सकता है। लेकिन इन तीनों में भी मूल आधार-सत्यनिष्ठा है। सत्यनिष्ठा नैतिक चरित्र का तत्त्व है जो दया, करुणा, अनुशासन, जवाबदेही, कर्त्तव्यनिष्ठता जैसी आदतों को विकसित करता है। सत्यनिष्ठा युक्त व्यक्ति को प्रशासन या संगठन की गोपनीय जानकारी सौंपी जा सकती है क्योंकि सत्यनिष्ठा व्यक्ति के ठोस चरित्र का निर्माण करती है। सत्यनिष्ठा के साथ बुद्धिमत्ता और ऊर्जा जैसे मूल्य व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि कर देते हैं जो अंततः आपके लिये सहायक होता है। बगैर सत्यनिष्ठा के बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति गलत या अनैतिक कार्यों में कर सकता है जो संगठन, व्यवसाय, प्रशासन को नुकसान पहुँचा सकता है तथा पहले गुण के अभाव में अन्य दो गुण आपको समाप्त कर देंगे।

अगर हम वर्तमान परिदृश्य में इस कथन की चर्चा करें तो व्यक्तियों में सत्यनिष्ठा के अभाव के कारण संपूर्ण विश्व में भ्रष्टाचार एवं घोटाले एक प्रमुख समस्या बनकर उभरे हैं। हाल ही में विभिन्न कॉर्पोरेट और बैंकों में घोटाले इस संदर्भ को रेखांकित करते हैं। इसके अलावा, व्यक्ति अपनी ऊर्जा एवं बुद्धिमत्ता का उपयोग सकारात्मक दिशा में न करके नकारात्मक दिशा में करेगा, जैसे ओसामा बिन लादेन ने बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का दुरुपयोग मानवीय नरसंहार के लिये किया। सत्यनिष्ठा के अभाव के कारण व्यक्ति बुद्धिमत्ता और ऊर्जा से संगठन के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप के साथ ही अपनी ज़िम्मेदारियों का समुचित निर्वहन नहीं करेगा जिससे संगठन की उत्पादकता और प्रभाविता कम होगी।

निष्कर्षतः सत्यनिष्ठा के अभाव में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा का उपयोग व्यक्ति मानव के विरुद्ध ही करेगा। इसी कारण कहा जाता है कि बिना सत्यनिष्ठा के बुद्धिमत्ता अंततः मानव जाति को नुकसान ही पहुँचाएगी।

प्रश्न: "अच्छा कार्य करने में, वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति के द्वारा या स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो।" एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के संदर्भ में, इस कथन का उपयुक्त उदाहरणों सहित परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"In doing a good thing, everything is permitted which is not prohibited expressly or by clear implication." Examine the statement with suitable examples in the context of a public servant discharging his/her duties.

उत्तर: लोक सेवक सार्वजनिक हित एवं कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिये नीतियों के सूत्रीकरण (नीतियों की जटिलता कम करने में), कार्यक्रमों की अभिकल्पना, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन में प्रमुख योगदान देते हैं। इस कार्य में लोक सेवकों की 'आचरण-संहिता' उनका मार्गदर्शन करने में अमूल्य योगदान देती है। किंतु, कभी-कभी लोक सेवकों की आचरण-संहिता में अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शक अभिव्यक्तियों की कमी होती है।

मार्गदर्शक अभिव्यक्तियों या स्पष्ट निहितार्थों की कमी की ऐसी परिस्थितियों में लोक सेवकों को अपनी भावनात्मक समझ से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना होता है। कर्त्तव्य पालन हेतु तथा श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर लोक सेवक को लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों, जैसे सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, भेदभावरहितता, संवेदनशीलता, सहानुभूति तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। गांधीजी के नैतिक चिंतन में इसी को साध्य एवं साधन की पवित्रता के रूप में व्यक्त किया गया है अर्थात् श्रेष्ठ एवं अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु श्रेष्ठ साधनों को भी अपनाना चाहिये। ऐसे साधनों को प्रयोग करने से लोक सेवक वास्तविक अर्थों में अच्छे कार्य कर सकेंगे। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है-

- यदि किसी लोक सेवक को 'स्वच्छ भारत मिशन' को सफल बनाना है तो उसे 'व्यवहार परिवर्तन' की प्रक्रिया को समाज में बढ़ाना होगा। इस प्रक्रिया हेतु लोक सेवक अवपीड़क (कठोर) कदम भी उठा सकता है तो दूसरी ओर 'अनुनय' तथा 'सामाजिक प्रभाव' की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी अपना सकता है। स्पष्ट है कि 'व्यवहार परिवर्तन' हेतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया ज़्यादा कारगर होगी।
- इसी प्रकार आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास, सामाजिक सौहार्द के निर्माण, भ्रष्टाचार की समाप्ति तथा लैंगिक समानता एवं विकासपरक योजनाओं की सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ाने में भी एक लोक सेवक के लोकतांत्रिक कदम उसके दंडात्मक तथा अवपीड़क कदमों की तुलना में ज़्यादा उपयोगी एवं प्रभावी होंगे। इसके लिये वह सामाजिक जागरूकता तथा अपनी भावनात्मक समझ का प्रयोग करके लोगों को अभिप्रेरित कर सकता है, साथ ही बेहतर कार्य-संस्कृति का विकास कर सकता है।

अतः अच्छा कार्य करने हेतु एक लोक सेवक को मार्गदर्शक अभिव्यक्तियों का अभाव होने की दशा में वही सब कुछ करना चाहिये जो लोक सेवा के बुनियादी मूल्यों के अनुकूल हो तथा जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया व साध्य-साधन की पवित्रता बनी रहे।

प्रश्न: कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है, कि साधन सर्वोपरि महत्त्व के होते हैं और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। आपके विचार में इनमें से कौन-सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क पेश कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

With regard to morality of actions, one view is that means are of paramount importance and the other view is that the ends justify the means. Which view do you think is more appropriate? Justify your answer.

उत्तर: नैतिकता मानक नियमों का एक संवर्ग है जिसे समाज अपने ही ऊपर लागू करता है और जो उचित-अनुचित, व्यवहार, विकल्पों और कार्यवाहियों के मार्गदर्शन में सहायता करता है।

नैतिकता की कार्यवाहियों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों एवं विचारकों के मध्य यह विवाद का विषय है कि 'साधन' ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है या 'परिणाम' की पवित्रता साधनों को भी उचित बना देगी। गांधीजी जैसे चिंतक साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं और उनका मानना है कि साध्य अपने आप में चाहे कितना भी पवित्र हो, वह अनैतिक साधनों को पवित्र नहीं बना सकता है। इसी दृष्टिकोण पर चलते हुए गांधीजी ने स्वाधीनता संग्राम को अहिंसक सत्याग्रह का रूप दिया। 'जॉन रॉल्स' ने कहा है कि साधन पवित्र होगा तो 'साध्य' या 'परिणाम' भी पवित्र हो जाएगा। इन दृष्टिकोणों से समाज में किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं होगा तो साथ ही, समतामूलक समाज का निर्माण होने के अलावा नैतिक व्यवस्था उच्च स्तर पर होगी।

यद्यपि, दूसरी तरफ मार्क्स, स्पेंसर, मैकियावेली जैसे विचारकों का मानना है कि परिणाम या साध्य ज़्यादा महत्त्वपूर्ण है। यदि कार्य का परिणाम उचित है तो वह साधनों को भी उचित बना देगा, जैसे 'मार्क्स' ने विषमता को समाप्त करने के लिये हिंसक क्रांति को नैतिक माना है। उपयोगितावादी मानते हैं कि अगर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख साधने के लिये कुछ व्यक्तियों को कुछ कष्ट उठाना भी पड़े तो यह अनैतिक नहीं है। इसी कारण विभिन्न देशों में क्रांतियाँ हुईं। उदाहरणस्वरूप रूस की साम्यवादी क्रांति में 'सर्वहारा वर्ग' का शासन स्थापित करने वाले जैसे पवित्र साध्य में हिंसक क्रांति हुई; तो वहीं 'रूस' में साम्यवादी शासन की स्थापना के लिये विभिन्न व्यक्तियों को कष्ट उठाना पड़ा।

अब यह सवाल उठता है कि इन दोनों दृष्टिकोणों में अपेक्षाकृत कौन अधिक उपयुक्त है? इस संदर्भ को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 'कबीर' अमेरिका के प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी करने के पश्चात् अपने देश में 'स्कूल' प्रारंभ करना चाहता है, किंतु इसके लिये सरकारी कर्मचारी कुछ रिश्वत मांगते हैं और अगर वह रिश्वत नहीं देगा तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। अत: कबीर को रिश्वत देकर स्कूल प्रारंभ करना चाहिये या नहीं?

कार्यवाहियों के संदर्भ में साध्य या परिणाम के साथ ही 'साधनों' का भी महत्त्व है क्योंकि अनैतिक साधनों द्वारा प्राप्त परिणाम पूर्णत: नैतिक नहीं होगा, जो अंतत: मानव समाज के लिये नुकसानदायक ही होगा। इसके साथ ही, विरले परिस्थितियों में अनैतिक साधनों को भी अपनाया जा सकता है लेकिन इसमें समाज का व्यापक हित मौजूद होना चाहिये। इन दोनों दृष्टिकोणों में अपेक्षाकृत उचित दृष्टिकोण पर चर्चा करें तो दूसरा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक एवं उचित है क्योंकि इसमें समाज का व्यापक हित मौजूद होने के साथ ही व्यक्ति में समाज के प्रति कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। अत: कबीर को 'रिश्वत' जैसे अनैतिक कार्य पर स्कूल प्रारंभ करने वाले परिणाम को तरजीह देना अपेक्षाकृत अधिक उचित दृष्टिकोण होगा।

प्रश्न: मान लीजिये कि भारत सरकार एक ऐसी पर्वतीय घाटी में एक बांध का निर्माण करने की सोच रही है, जो जंगलों से घिरी है और जहाँ नृजातीय समुदाय रहते हैं। अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिये सरकार को कौन-सी तर्कसंगत नीति का सहारा लेना चाहिये?

(150 शब्द, 10 अंक)

Suppose the Government of India is thinking of constructing a dam in a mountain valley bound by forests and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies?

उत्तर: प्रश्नोल्लिखित प्रकरण में सर्वप्रथम यदि हम अप्रत्याशित आकस्मिकताओं पर विचार करें तो इसमें निम्नलिखित आकस्मिकताएँ दिखाई पड़ती हैं-

- पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे- जैव विविधता का ह्रास, जंगल का विनाश, वनस्पतियों के डूबने से मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैस में वृद्धि आदि।
- नृजातीय असंतोष की अभिव्यक्ति हो सकती है, जैसे- सांस्कृतिक पहचान व आजीविका संकट के कारण।
- आपदा की चुनौती उत्पन्न हो सकती है, जैसे- बांध की पर्वतीय घाटी में अवस्थिति के कारण भूकंप, भूस्खलन तथा बाढ़ की संभावना आदि।

उपर्युक्त चुनौतियों से निपटने के लिये सरकार को जल, जंगल तथा ज़मीन हेतु एक समग्र एवं तार्किक नीति पर कार्य करना चाहिये। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सरकार को बिंदुवार निम्नलिखित कदम उठाने चाहिये-

- बांध परियोजना को प्रारंभ करने से पहले सरकार को नृजातीय समुदाय को विश्वास में लेना चाहिये तथा समुदाय के लोगों को वार्त्ता में शामिल करते हुए बांध निर्माण का लाभ समझाना चाहिये। इस समुदाय के पुनर्वास की नीति ऐसी हो जिससे इन्हें विस्थापन के पश्चात् सांस्कृतिक अलगाव तथा मुआवज़े एवं आजीविका के संकट का सामना न करना पड़े।
- पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु 'पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन' की प्रक्रिया का विधिवत् पालन करना चाहिये, साथ ही इस संवेदनशील क्षेत्र में पेशेवरों तथा विशेषज्ञों के द्वारा बांध निर्माण की प्रक्रिया के पूर्व लाभ और हानि का गहन विश्लेषण करना चाहिये।

- आपदा की समस्या से निपटने के लिये आपदा प्रबंधन के 'सेंदाई फ्रेमवर्क' के मानकों का पालन करना चाहिये। इस संदर्भ में आपदा पूर्व, आपदा के समय तथा आपदा के पश्चात् की तैयारियों का विस्तृत ब्योरा होना चाहिये और समय-समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिये।
- पर्वतीय क्षेत्र में जंगलों का विनाश होने पर समस्याएँ और जटिल हो सकती हैं, इसलिये उपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू होना चाहिये।

इस प्रकार बांध निर्माण की इस प्रक्रिया में सरकार को नृजातीय समुदाय की भावनाओं, राष्ट्रीय हितों तथा पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़ी सभी अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं सजग रूप से आगे बढ़ना चाहिये जिससे सतत विकास की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

प्रश्न: लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करने के प्रक्रम को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Explain the process of resolving ethical dilemmas in Public Administration.

उत्तर: लोक प्रशासन में अधिकारियों को समय-समय पर विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दो मूल्यों के मध्य किस मूल्य को प्राथमिकता दी जाए, को लेकर टकराव हो जाता है। कभी व्यक्तिगत व सार्वजनिक हित के मध्य द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार की विभिन्न चुनौतियों में से 'नैतिक दुविधा' भी एक है जो समय-समय पर उत्पन्न होती रहती है।

उल्लेखनीय है कि नैतिक दुविधा में दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं। विकल्पों में कम-से-कम एक पक्ष नैतिकता से संबंधित होता है और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों विकल्प अलग-अलग नैतिक मूल्यों पर आधारित हों। लगभग सभी विकल्प बराबर होने के साथ ही एक विकल्प को चुनना ज़रूरी होता है।

अत: लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करना जटिल हो जाता है। इस समस्या के समाधान के प्रक्रम में सर्वप्रथम कोई निश्चित कानून है तो इस आधार पर निर्णय लेना चाहिये। अगर कानून है किंतु पर्याप्त नहीं है तो उसके पश्चात् नियम, विनियम को देखना चाहिये। अगर कानून, नियम और विनियम न हो तो अधिकारी को, उससे पहले के अधिकारियों ने ऐसे मामलों में क्या निर्णय लिये थे व उसके पक्ष में क्या तर्क दिये थे; इससे कुछ ऐसे सुझाव मिल सकते हैं जो सामूहिक बुद्धिमत्ता पर आधारित होंगे। इसके अलावा, अगर उसे कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की निर्णय क्षमता या परिपक्वता में विश्वास हो तो उनसे भी सलाह लेनी चाहिये ताकि कोई पहलू अनछुआ न रह जाए।

गौरतलब है कि अगर निर्णय में विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं तो कुछ अन्य प्रतिमानों को भी आधार बनाया जाना चाहिये, जैसे– अगर दो मूल्यों में संघर्ष है तो देखना चाहिये कि कौन-सा मूल्य अधिक व्यापक तथा महत्त्वपूर्ण है, जैसे– परिवार से जुड़े मूल्यों से ज्यादा महत्त्व देश से जुड़े मूल्यों को मिलना चाहिये। इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि कौन-से निर्णय के क्या परिणाम होंगे और उन परिणामों के लिये जो कीमत चुकाई जाएगी वह समुचित है या नहीं है। इसके अलावा, अगर जहाँ विवेकाधीन शक्ति हो और स्पष्ट रूप से कानून, नियम या विनियम न हों तो 'अंतरात्मा' की सहायता से निर्णय लिये जा सकते हैं।

निष्कर्षत: उपर्युक्त विकल्पों के माध्यम से लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान करके कर्त्तव्य पालन, प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों का पालन करके देश के विकास व प्रगति में सहयोग किया जा सकता है।

प्रश्न: वर्तमान संदर्भ में निम्नलिखित उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है?

"किसी भी बात को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्धारण करने में सही नियम यह नहीं है कि उसमें कोई बुराई है या नहीं; बल्कि यह है कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है। ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जो पूरी तरह बुरे या अच्छे होते हैं। लगभग सभी विषय, विशेषकर सरकारी नीति से संबंधित, अच्छाई और बुराई दोनों के अविच्छेदनीय योग होते हैं; ताकि इन दोनों के बीच प्रधानता के बारे में हमारे सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है।"

–अब्राहम लिंकन

(150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean to you in the present context?

"The true rule, in determining to embrace, or reject any thing, is not whether it has any evil in it; but whether it has more evil than good. There are few things wholly evil or wholly good. Almost every thing, especially of governmental policy, is an inseparable compound of the two; so that our best judgment of the preponderance between them is continually demanded."

–Abraham Lincoln

उत्तर: सरकारी नीति, व्यक्तिगत जीवन में यह प्रमुख द्वंद्व का विषय रहता है कि किस बात को स्वीकार किया जाए और किस बात को नहीं? क्योंकि किसी भी बात में पूर्णत: अच्छाई या बुराई नहीं होती है, बल्कि दोनों का अविच्छेदनीय योग होता है। इस अविच्छेदनीय योग के कारण सरकारी नीति में सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है जिससे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख एवं समाज के व्यापक हित को सुनिश्चित किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि किसी भी सरकारी योजना को प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि समाज के उचित लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुँच सके। किंतु इसमें कई बार लीकेज या भ्रष्टाचार की समस्या आने लगती है; लेकिन इस कारण इस सरकारी नीति को बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें गरीब एवं वंचित लाभार्थियों का सुख मौजूद है। इन्हीं कारणों से सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता होती है, जैसे कि इस लीकेज या भ्रष्टाचार की समस्या को वर्तमान में रोकने के लिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एवं तकनीकी उपयोग इत्यादि प्रयास किये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि किसी भी सरकारी नीति में सौ प्रतिशत अच्छाई या बुराई नहीं होती है। इसी प्रकार किसी भी बात को उसमें बुराई होने पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है बल्कि यह देखने का प्रयास करना चाहिये कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है या बुराई से अधिक अच्छाई है। वर्तमान में पर्यावरण एवं विकास का मुद्दा एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एवं रक्षा को महत्त्व देने पर आर्थिक विकास की गतिविधियाँ बाधित होती हैं तो वहीं पर्यावरण के विकास पर आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है इसीलिये सर्वोत्तम निर्णय पर्यावरण-मानव सह-अस्तित्व पर बल दिया जा रहा है।

निष्कर्षत: किसी भी बात को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्धारण और सरकारी नीति में व्यापक अच्छाई या बुराई को देखकर ही इस संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये क्योंकि अगर हमने केवल बुराई के आधार पर किसी बात को अस्वीकार किया तो इससे समाज के किसी भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होगा और मानवीय हित बाधित होंगे। अत: हमें व्यापक जनहित एवं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का पालन करते हुए सर्वोत्तम निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिये।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के क्या मायने हैं?

"क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं।" -महात्मा गांधी (150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean?

"Anger and intolerance are the enemies of correct understanding." – Mahatma Gandhi

उत्तर: व्यक्ति अच्छा जीवन-यापन तभी कर सकता है जब उसमें सद्गुण एवं अच्छे मूल्य विकसित हों और इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति सफलता एवं उन्नति को प्राप्त करता है। लेकिन क्रोध और असहिष्णुता के कारण व्यक्ति का चारित्रिक विकास बाधित होता है तथा समाज में उसकी बातों को ज़्यादा महत्त्व नहीं दिया जाने लगता है जिसके कारण क्रोध और असहिष्णुता को सही समझ के शत्रु कहा जाता है।

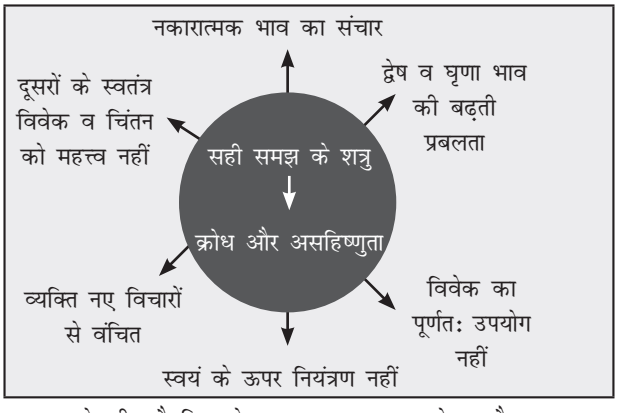

उल्लेखनीय है कि क्रोध एक नकारात्मक मनोभाव है, जब हमारा व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, जबकि असहिष्णुता का अर्थ सहन न करने से है। इसमें व्यक्ति अपने विरोधी एवं भिन्न व्यक्तियों, समुदायों, धार्मिक, राष्ट्रीयता, जाति या परंपराओं के समूहों अथवा व्यक्तियों के विचारों, विश्वासों एवं प्रथाओं को स्वीकार न करने के साथ-साथ उनका सम्मान नहीं करता है। क्रोध और असहिष्णुता दोनों एक-दूसरे से अंतर्संबंधित हैं।

ध्यातव्य है कि क्रोध और असहिष्णुता परस्पर सौहार्द को खत्म करते हुए द्वेष व घृणा भाव को प्रबल बना देते हैं जिससे व्यक्ति में दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव का संचार होने के साथ ही व्यक्ति समाज से कटने लगता है। क्रोध के समय व्यक्ति का स्वयं के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा कोई भी कृत्य करने से पूर्व वह उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता है और अंतत: यह कृत्य उसे ही नुकसान पहुँचाता है। इसके अतिरिक्त, क्रोध के समय व्यक्ति अपने विवेक का पूर्णत: उपयोग नहीं कर पाता है और कोई भी निर्णय तार्किक आधार पर नहीं करने के अलावा अच्छे-बुरे को तय करने का भेद मिट जाता है जिसके परिणाम उसके सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक उत्थान को बाधा पहुँचाते हैं। इसी कारण महात्मा बुद्ध ने कहा है, "जिस तरह उबलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में यह नहीं जान पाते कि हमारी भलाई किस बात में है।"

वस्तुत: असहिष्णुता के कारण व्यक्ति दूसरों के विचारों को नहीं सुनता है और उनका सम्मान भी नहीं करता है, जिससे व्यक्ति नए विचारों से वंचित रह जाता है जो उसकी समझ बढ़ाने में बाधा उत्पन्न करता है। वर्तमान वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण के दौर में जबकि विविधता को अत्यधिक महत्त्व देने के साथ ही विविधता को सम्मान दिया जा रहा है; इन परिस्थितियों में सहिष्णुता का होना आवश्यक है। बिना सहिष्णुता के व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है।

निष्कर्षत: व्यक्ति को क्रोध और असहिष्णुता जैसे नकारात्मक भावों को निरंतर कम करने का प्रयास करते हुए शांति, सौहार्द एवं भाईचारे को बढ़ावा देकर व्यक्तियों के विचारों को सुनकर व उनका सम्मान करके अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के क्या मायने हैं?

"असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है यदि उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो।" –तिरुक्कुरल (150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean?

"Falsehood takes the place of truth when it results in unblemished common good." –Tirukkural

उत्तर: नीतिशास्त्र में सत्य को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, क्योंकि सत्य ही व्यक्तियों के मध्य विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ शांति, प्रेम इत्यादि के साथ नैतिक व्यवस्था में स्थायित्व लाता है, इसलिये गांधीजी जैसे विचारक सत्य को 'ईश्वर' के समान मानते हैं।

असत्य को नीतिमीमांसा में बुरा माना जाता है, लेकिन असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है, यदि परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो। जिस असत्य से समाज के किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो तथा समाज का व्यापक हित सुनिश्चित हो, वह असत्य भी सत्य का स्थान ले लेता है। जैसे- किसी अत्यधिक व्यस्त सड़क पर कोई दुर्घटना हो

गई है, जिससे एक व्यक्ति अत्यधिक घायल हो गया है जिस कारण सड़क पर अत्यधिक भीड़ उत्पन्न हो गई है और मैं उस क्षेत्र का पुलिस अधिकारी हूँ तो इन परिस्थितियों में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर भी मृत्यु की सूचना जनता को नहीं दूँगा और भीड़ को समझाने का प्रयास करूँगा कि घायल व्यक्ति सुरक्षित है क्योंकि इससे सार्वजनिक परिवहन सुविधा बाधित नहीं होगी। इस प्रकार के असत्य से भीड़ एक जगह इकट्ठा नहीं होगी और सड़क यातायात प्रभावी तरीके से संचालित हो सकेगा। इस प्रकार इस असत्य का परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण है तो यह सत्य का स्थान ले सकता है।

विचारणीय बिंदु है कि वह असत्य जिससे समाज के कुछ व्यक्तियों के शोषण व अत्याचार को बढ़ावा मिलता हो, भले ही उस असत्य से लाभ लेने वालों की संख्या अधिक हो, फिर भी वह असत्य-सत्य का स्थान नहीं ले सकता है। इस संदर्भ में यह कथन उपयोगितावादी विचारधारा का विरोधी प्रतीत होता है क्योंकि इस विचारधारा में यदि कुछ व्यक्तियों का हानि से अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्राप्त हो रहा हो तो उस कार्य को शुभ माना जा सकता है।

वर्तमान परमाणु युग के दौर में संपूर्ण विश्व एक भय के वातावरण में जीवन-यापन कर रहा है। इन परिस्थितियों में यदि सभी देश मिलकर एक असत्य की घोषणा कर दें कि सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने परमाणु हथियार समाप्त कर दिये हैं तो इस असत्य से संपूर्ण विश्व में शांति का वातावरण उत्पन्न होने के साथ ही भय के वातावरण से मुक्ति मिलेगी; इस प्रकार यह असत्य सत्य का स्थान ले सकता है क्योंकि इसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण होगा। वास्तव में यह कथन 'सर्वोदय' की दिशा में अर्थात् सबके कल्याण की स्थिति में ही असत्य को सत्य का स्थानापन्न बनाना चाहता है।

निष्कर्षत: जीवन की विकट स्थितियों में यदि असत्य से समाज के व्यापक हित को लाभ होता हो तथा उस असत्य पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जाए तो वह निश्चित ही सत्य का स्थान ले लेता है। संक्षेप में कहें तो वही असत्य, सत्य का स्थान ले सकता है जो निष्कलंक एवं सभी के सार्वजनिक कल्याण जैसे 'सर्वोदय' को स्थापित करता है न कि उपयोगितावाद की दृष्टि से कुछ के शोषण पर अधिकतम के कल्याण की स्थापना करे।

2017

प्रश्न: सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है, जब निम्नलिखित की एक-दूसरे के ऊपर प्राथमिकता रखते हैं:

(a) पदीय कर्त्तव्य

(b) सार्वजनिक हित

(c) व्यक्तिगत हित

प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Conflict of interest in the public sector arises when

(a) Official duties

(b) Public interest

(c) Personal interest

Are taking priority one above the other. How can this conflict in administration be resolved? Describe with an example.

उत्तर: दरअसल, हित संघर्ष एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति और संगठन के हितों/मूल्यों में भिन्नता हो और निर्णय लेने में दोनों के हितों, उद्देश्यों और मूल्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिसकी वजह से किसी एक के मूल्यों अथवा हितों पर दूसरे को वरीयता देनी पड़े तो इसे हित/संघर्ष कहेंगे।

पदीय कर्त्तव्य एवं सार्वजनिक हित का संघर्ष

उदाहरणस्वरूप अवैध तरीके से निर्मित किया गया एक ऐसा स्कूल जहाँ अब सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, को तोड़ने का आदेश एक अधिकारी को प्राप्त हुआ है। ऐसे में निर्णय लेने वाले अधिकारी को यहाँ अपने पदीय कर्त्तव्यों और सार्वजनिक हितों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी।

पदीय कर्त्तव्य एवं व्यक्तिगत हित का संघर्ष

एक ऐसी स्थिति जबकि हमारे परिवार का कोई एक सदस्य बीमार हो और उसे हमारी देखभाल की अत्यंत आवश्यकता हो, किंतु उसी समय यदि हमें अपने ऑफिस की ज़िम्मेदारी भी निभाना अत्यंत आवश्यक हो तो यहाँ भी हितों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी।

व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक हित का संघर्ष

एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के कर्मचारी को पता चला है कि उसकी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पाद में कुछ विषैले तत्त्व आ गए हैं। अपने उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत करने पर उसे कहा गया कि इसे निकट भविष्य में दूर कर लिया जाएगा। अभी यह संभव नहीं क्योंकि इससे लागत बढ़ जाएगी। साथ ही, उसे भी अपना मुँह बंद रखने को कहा गया तथा अप्रत्यक्ष तरीके से नौकरी पर खतरे की ओर भी इशारा किया गया। अब इनके सामने अपनी नौकरी जाने का भय भी है और साथ ही सार्वजनिक हित की तड़प भी।

संघर्ष सुलझाने के उपाय

- हितों के मध्य प्राथमिकता निर्धारित कर दी जाए।
- जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो सार्वजनिक हित को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये।
- विभिन्न नियमों के बीच अगर विभेद हो, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख अर्थात् बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत हमारा मार्गदर्शक हो सकता है।
- हम निर्णय को थोड़ी देर के लिये टाल भी सकते हैं। जैसे अवैध स्कूल तोड़ने के आदेश की स्थिति में हम अपने वरिष्ठों को स्थिति स्पष्ट कर उनसे निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं तथा शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था तक इसे तोड़ने का आदेश स्थगित करवा सकते हैं।

प्रश्न: "बड़ी महत्त्वाकांक्षा महान चरित्र का भावावेश (जुनून) है। जो इससे संपन्न हैं वे या तो बहुत अच्छे अथवा बहुत बुरे कार्य कर सकते हैं। यह सबकुछ उन सिद्धांतों पर आधारित है जिनसे वे निर्देशित होते हैं।" –नेपोलियन बोनापार्ट। उदाहरण देते हुए उन शासकों का उल्लेख कीजिये, जिन्होंने (i) समाज व देश का अहित किया है तथा (ii) समाज व देश के विकास के लिये कार्य किया है। (150 शब्द, 10 अंक)

"Great ambition is the passion of a great character. Those endowed with it may perform very good or very bad acts. All depends on the principles which direct them." – Napoleon Bonaparte.
Stating examples mention the rulers (i) who have harmed society and country., (ii) who worked for the development of society and country.

उत्तर: महत्त्वाकांक्षा महानता या किसी बड़े परिवर्तन की पहली अनिवार्य शर्त है। परंतु महत्त्वाकांक्षा का यह जुनून जहाँ एक ओर संरचनात्मक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है, वहीं दूसरी ओर इसके परिणाम विध्वंसात्मक भी हो सकते हैं। यह सब उन सिद्धांतों व विचारों पर निर्भर करता है जिनसे वह व्यक्ति प्रभावित और निर्देशित हो रहा है। इसे हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं-

- **ऐसे महत्त्वाकांक्षी शासक, जिन्होंने समाज व देश का अहित किया हो:** इस संदर्भ में सबसे पहला नाम 'हिटलर' का लिया जा सकता है। हिटलर की बड़ी महत्त्वाकांक्षा ने निश्चय ही प्रथम विश्वयुद्ध के बाद बदहाल जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिणत किया, परंतु उसकी युद्ध की मानसिकता व खत्म न होने वाली साम्राज्य विस्तार की लालसा तथा शासन के नस्लवादी चरित्र ने न केवल जर्मनी के लोगों का अहित किया बल्कि संपूर्ण विश्व को ही मानव इतिहास के सबसे भयानक युद्ध में झोंक दिया। इसी प्रकार हम 'मुसोलिनी', 'सद्दाम हुसैन', 'किम जोंग उन' आदि अनेक जुनूनी व्यक्तियों की गिनती कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी महत्त्वाकांक्षा की आग में अपने राष्ट्र व लोगों का अहित ही किया है।
- **ऐसे महत्त्वाकांक्षी शासक, जिन्होंने समाज व देश के विकास के लिये कार्य किया हो:** पूरे विश्व में ऐसे अनेक नेता हुए जिन्होंने अपने जुनून से धारा के विपरीत जाते हुए समाज व देश के विकास की नई गाथा लिखी। अब्राहम लिंकन, एफ.डी. रूज़वेल्ट, लेनिन, अशोक, अकबर आदि के जीवनवृत्त से यह स्पष्ट होता है कि इनकी सकारात्मक सोच व देश और समाज के लिये कुछ विशेष करने की महत्त्वाकांक्षा ने ही इन्हें इतिहास के महानतम युग-पुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया।

प्रश्न: नैतिक आचरण वाले तरुण लोग सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिये उत्सुक नहीं होते हैं। उनको सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिये उपाय सुझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

Young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. Suggest steps to motivate them to come forward.

उत्तर: हमारे देश की सक्रिय राजनीति के संदर्भ में एक आम धारणा है कि यह गंदी, भ्रष्ट व अनैतिक है इसलिये नैतिक आचरण वाले युवा सामान्यत: स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग रखते हैं। युवाओं को सक्रिय राजनीति में अभिप्रेरित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं-

- चुनाव सुधार के कुछ प्रयास किये जा सकते हैं, जैसे- राज्य द्वारा चुनावी खर्च की आपूर्ति, धर्म तथा जातिगत निशानियों का चुनाव में प्रयोग पर रोक आदि।
- राजनीतिक दलों के भीतर मज़बूत आंतरिक लोकतंत्र स्थापित किया जाना चाहिये ताकि राजनीति में परिवारवाद व वंशवाद पर नियंत्रण किया जा सके।
- स्वस्थ छात्र राजनीति को प्रेरित करना ताकि युवा भविष्य में सक्रिय राजनीति के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकें।
- स्कूली शिक्षा में देश के विकास के लिये स्वस्थ व स्वच्छ राजनीति के महत्त्व को बताया जाना चाहिये ताकि बचपन से ही एक सकारात्मक राजनीतिक अभिवृत्ति का विकास किया जा सके आदि।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय की मांग के अनुसार युवाओं को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। इसके लिये उनकी अभिवृत्ति को परिवर्तित कर उन्हें यह समझाने का प्रयास किया जाए कि राजनीति इसलिये गंदी, भ्रष्ट व अनैतिक है क्योंकि नैतिक आचरण वाले युवा इससे स्वयं को अलग रखते हैं। अत: सक्षम युवाओं की सक्रिय सहभागिता निश्चय ही स्वस्थ राजनीतिक तंत्र का विकास करेगी।

प्रश्न: समझौते से पूर्ण रूप से इनकार करना सत्यनिष्ठा की एक परख है। इस संदर्भ में वास्तविक जीवन से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

One of the tests of integrity is complete refusal to be compromised. Explain with reference to a real life example.

उत्तर: सत्यनिष्ठा का तात्पर्य किसी चीज़ के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है। इसके अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों के बीच आंतरिक सुसंगति तथा सिद्धांत और व्यवहार की सुसंगति भी आती है।

पूर्ण सत्यनिष्ठा का तात्पर्य इन सिद्धांतों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करने से है। साथ ही, व्यवहार रूप में भी अन्य किसी प्रकार की छूट तथा समझौते से दूर रहने से है। अगर इसमें थोड़ी भी रियायत बरती गई तो यह सत्यनिष्ठा को भंग कर पिछले सभी कार्यों के महत्त्व को समाप्त कर देता है।

सिद्धांत एवं व्यवहार में सत्यनिष्ठ होते हुए भी कभी-कभी अन्य मजबूरियों, जैसे करूणा के कारण या फिर अन्य नैतिक मूल्यों, जैसे क्षमा और सुधार की उम्मीद रखना इत्यादि के कारण व्यक्ति पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ नहीं रह पाता और छोटे-मोटे समझौते कर लेता है जो व्यक्ति की सत्यनिष्ठा को भंग कर देता है।

उदाहरणस्वरूप एक सिविल इंजीनियर निर्माण कार्य की प्रगति की जाँच के लिये निर्माण स्थल पर पहुँचता है तो पाता है कि निर्माण कार्य में लाए जा रहे सीमेंट की क्वालिटी वह नहीं है जो 'कॉन्ट्रेक्ट पेपर' में वर्णित थी। हालाँकि, कार्य करवा रहे ठेकेदार की छवि अच्छी है और पूछने पर पता चला कि किसी मजबूरी में उसने ऐसी सामग्री का उपयोग किया।

अत: इस आधार पर सिविल इंजीनियर ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया और आगे से वही क्वालिटी प्रयोग करने को कहा। पर पहले प्रयोग की जा चुकी कमतर क्वालिटी पर कोई एक्शन नहीं लिया। व्यावहारिक रूप से देखें तो इसमें कोई विशेष समस्या नहीं, पर एक तरह से यह सत्यनिष्ठा का उल्लंघन ही था।

आदर्श तो यह होना चाहिये था कि पुराने सारे निर्माण को तोड़कर वर्णित क्वालिटी की सामग्री प्रयोग कर पुन: निर्माण किया जाए। लेकिन इंजीनियर ने व्यावहारिक समस्या के सदंर्भ में इतनी सी छूट प्रदान कर दी। यहाँ न तो इंजीनियर का इरादा गलत था और न ही अन्य किसी लाभ की उम्मीद थी।

लेकिन इंजीनियर ने एक तरह से समझौता तो किया ही, चाहे वह परिस्थितियों के साथ ही समझौता क्यों न हो। अत: अगर सत्यनिष्ठा की कसौटी पर इस निर्णय को देखा जाए तो यह समझौतापूर्ण सत्यनिष्ठा कहलाएगी, पूर्ण सत्यनिष्ठा नहीं।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के क्या मायने हैं?

"मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मनों वाला बनाना है तो उसमें समाज के तीन प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। वे हैं पिता, माता एवं शिक्षक।" –ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। विश्लेषण कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean?

"If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher." – A. P. J. Abdul Kalam. Analyse.

उत्तर: भूतपूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का यह कथन देश और समाज के नैतिक उत्थान के लिये एक पथ प्रदर्शक के समान है। निश्चय ही एक राष्ट्र के नैतिक आधार को निर्मित करने में माता-पिता और शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है।

बाल मनोविज्ञान के अनुसार परिवार और शैक्षिक संस्थानों का माहौल और वातावरण बच्चों में मानवीय मूल्यों को पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य। बच्चे एक दृढ़ पर्यवेक्षक होते हैं। वे अपने माता-पिता के क्रियाकलाप को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं।

माता-पिता के निर्देश व कृत्य बच्चों का सामाजिक संस्थाओं में विश्वास, नैतिक मानकों के अनुपालन करने आदि में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि बच्चे जो भविष्य के राष्ट्र निर्माता हैं उनके चरित्र-निर्माण तथा उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने में माता-पिता की भूमिका सर्वोपरि होती है।

बच्चों के चरित्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका माता-पिता के बाद सर्वप्रमुख है।

शिक्षक बच्चों के आदर्श होते हैं, वे बच्चों में सम्मान, जवाबदेही, लचीलापन, सौहार्द, नवाचार, सकारात्मक सोच, सत्यनिष्ठा और विश्वास जैसे उन मूल्यों का बीजारोपण करते हैं जिनके आधार पर ही एक सफल और खुशहाल राष्ट्र व समाज का निर्माण होता है।

अत: उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि राष्ट्र के बहुमुखी विकास में माता-पिता व शिक्षक की भूमिका मुख्य आधार का निर्माण करती है।

प्रश्न: प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धि का आप किस तरह प्रयोग करेंगे? (150 शब्द, 10 अंक)

How will you apply emotional intelligence in administrative practices?

उत्तर: स्वयं की भावनाओं को पहचानने और दूसरे की भावनाओं को समझने तथा इस ज्ञान का निर्णयन व कार्य संपादन में कुशलतापूर्वक उपयोग ही भावनात्मक बुद्धि कहलाती है। प्रशासनिक क्षेत्र में लोगों के बीच पारस्परिक समझ एवं विश्वास निर्माण हेतु भावनात्मक समझ अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्थापित हो चुकी है। इसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं-

- प्रशासनिक कार्यों में टीम वर्क की अत्यधिक आवश्यकता होती है। भावनात्मक समझ लोगों को एक टीम के रूप में कार्य करने में सहायता प्रदान करती है।
- प्रशासनिक कार्यों में कई बार ऐसी स्थिति उपस्थित होती है जहाँ स्वयं की मान्यताओं के विपरीत मान्यताओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इस परिस्थिति में भावनात्मक बुद्धि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिये कोई व्यक्ति उत्तर भारतीय राज्य का निवासी है तथा एक ज़िलाधिकारी के रूप में उसकी नियुक्ति पूर्वोत्तर भारत के सुदूर ज़िले में होती है और वहाँ की कई सांस्कृतिक मान्यताएँ उसकी निजी मान्यताओं से असंगत हैं। ऐसे में भावनात्मक समझ उसे उचित प्रशासनिक दायित्व निर्वाह करने में सहायक होगी।
- वर्तमान शासन व प्रशासन का मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। ऐसे में प्रशासनिक निर्णयों में मानवीय पक्षों का समावेशन अपरिहार्य हो जाता है। ऐसे में भावनात्मक समझ निर्णय लेने में इसमें सहायता करती है।
- प्रशासकों को कई बार अच्छे कार्यों के बावजूद आलोचना का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में प्रशासकों को भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग कर स्वयं को आत्म-प्रबंधित व आत्म-प्रेरित करना पड़ता है ताकि वे निरंतर अपने दायित्वों का उचित निर्वहन कर पाएँ।

अत: उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक पद्धति के बेहतर व सुचारु संचालन के लिये प्रशासकों में भावनात्मक समझ का उचित स्तर होना अति आवश्यक है। मैं उपर्युक्त वर्णित रूपों में प्रशासनिक पद्धतियों के लिये भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग करूँगा।

प्रश्न: शक्ति, शांति एवं सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार माने जाते हैं। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Strength, peace and security are considered to be the pillars of international relations. Elucidate.

उत्तर: परंपरागत रूप से सैन्य शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार माना जाता रहा है, परंतु वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में कई अन्य तत्त्वों को भी सम्मिलित किया जाता है। आज शांति और सुरक्षा की अवधारणा भी काफी व्यापक हुई है।

वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में सैन्य शक्ति से कहीं ज़्यादा नैतिक शक्ति तथा मृदु शक्ति (Soft Power) का महत्त्व बढ़ा है। द्विपक्षीय व बहुपक्षीय संबंधों में मृदु शक्ति प्रमुख निर्धारक के रूप में उभरा है।

नैतिक शक्ति के रूप में अहस्तक्षेप, सहयोग, शांतिपूर्ण स्थायित्व, समानता आदि का महत्त्व काफी बढ़ा है। उसी प्रकार 'सॉफ्ट पावर' के रूप में सांस्कृतिक व आर्थिक शक्ति का महत्त्व काफी बढ़ा है।

शांति और सुरक्षा की अवधारणा भी पहले की तुलना में काफी व्यापक हुई है। अब शांति व सुरक्षा के समक्ष नए मुद्दे उपस्थित हुए हैं, यथा- आतंकवाद, पर्यावरणीय संकट आदि। वैश्विक शांति व सुरक्षा के संदर्भ में ये मुद्दे पूर्व की तुलना में काफी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे कोई एक राष्ट्र या क्षेत्र नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व समुदाय प्रभावित है और यह संपूर्ण मानवता के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न लगता प्रतीत होता है।

अत: आज आवश्यकता है कि इन समस्याओं के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाए तभी संपूर्ण विश्व में शांति, सुरक्षा व स्थायित्व लाया जा सकता है।

प्रश्न: वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सद्-जीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

The crisis of ethical values in modern times is traced to a narrow perception of the good life. Discuss.

उत्तर: वर्तमान में हमने अच्छे/सद्-जीवन की धारणा को काफी सीमित कर लिया है। यह धारणा हमारे जीवन की कुछ स्थूल भौतिक आवश्यकताओं, जैसे- अच्छी नौकरी, पैसा, सुख-सुविधाएँ एक सुखी परिवार इत्यादि तक सिमटकर रह गई है। और इतना तक प्राप्त हो जाने को ही हम अच्छा जीवन मानने लगते हैं।

अपने जीवन में शांति बनी रहे, परिवार को कोई कष्ट न हो यह सब हमारी पहली प्राथमिकता हो जाती है और इस कारण हम कई विसंगतियों पर भी अपनी आँख बंद कर लेते हैं।

लेकिन यह अच्छा जीवन नहीं है या है भी तो अच्छे जीवन का स्थूल-सा दिखने वाला छोटा हिस्सा। इसी छोटे हिस्से को ज़्यादा महत्त्व देने के कारण हम विभिन्न नैतिक मूल्यों के बीच संकट में फँस जाते हैं। जैसे, यदि हम सार्वजनिक जीवन के किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन पर संकट की आशंका हो सकती है। अपने जीवन, परिवार की ज़िम्मेदारी तथा अन्य इसी प्रकार के डर हम पर हावी होने लगे तो हम उन बृहत्तर लक्ष्यों से पीछे हट सकते हैं, जबकि हमारी दृष्टि यह होनी चाहिये कि यदि ऐसे भ्रष्ट आचरण होने लगे तो कई अन्य लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा।

यदि हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में इन्हीं नैतिक मूल्यों के संकट का द्वंद्व महसूस किया होता तो भारत की तस्वीर कुछ अलग होती। उदाहरण के लिये गांधी जी ने अपनी बैरिस्टरी नहीं छोड़ते, तो उस समय की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन करना उनके लिये संभव न होता।

वर्तमान से भी तुलना करें तो कई लोग हैं जो सद्-जीवन की इस संकीर्ण धारणा से ऊपर हैं। समाज, राष्ट्र एवं मानवता इनकी पहली प्राथमिकता है। इनमें प्रमुख रूप से 'अशोक खेमका', 'संजीव चतुर्वेदी', 'ई. श्रीधरण', 'कैलाश सत्यार्थी' इत्यादि इसी मूल्य को प्राथमिकता पर लेकर अपना कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न: वर्द्धित राष्ट्रीय संपत्ति के लाभों का न्यायोचित वितरण नहीं हो सका है। इसने "बहुमत के नुकसान पर केवल छोटी अल्पसंख्या के लिये ही आधुनिकता और वैभव के एन्क्लेव" बनाए हैं। इसका औचित्य सिद्ध कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Increased national wealth did not result in equitable distribution of its benefits. It has created only some "enclaves of modernity and prosperity for a small minority at the cost of the majority." Justify.

उत्तर: वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों की संपत्ति एवं समृद्धि में निरंतर वृद्धि हो रही है। पर यह भी सच है कि इस समृद्धि ने असमानता को और अधिक बढ़ावा ही दिया है। धनी लोग और भी धनवान होते जा रहे हैं तथा निर्धनों की स्थिति निरंतर दयनीय होती जा रही है।

संपत्ति की असमानता ने कुछ अल्पसंख्यक समूह जिनमें शहरी मध्यवर्ग, अधिकांशत: पढ़े-लिखे, अंग्रेज़ी-भाषी, गोरी नस्ल, बड़े व्यापारी इत्यादि के लिये सुख-सुविधाओं के बेहतरीन साधन उपलब्ध कराए हैं, वहीं दूसरी ओर विपन्नता से पीड़ित एक ऐसी दुनिया भी है, जहाँ गरीबी, भुखमरी, बीमारी इत्यादि से जकड़े लोग इसे अपनी नियति समझ चुके हैं।

वैश्विक स्तर पर सभी सरकारें सर्पत्ति के न्यायोचित वितरण का प्रयास करती रहती हैं एवं सुविधाहीन जनसंख्या के लिये कल्याणकारी योजनाएँ चलाती हैं तथा अमीरों पर टैक्स लगाती हैं। परंतु इस प्रयास को और भी गति देने की आवश्यकता है। एक न्यूनतम आधारभूत सुविधा की समुचित व्यवस्था सबके लिये होनी चाहिये। हर व्यक्ति के लिये समुचित पोषण, आवश्यक वस्त्र, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य की जवाबदेही होनी चाहिये।

पश्चिमी राष्ट्रों में इसे सुनिश्चित कराने के लिये 'सोशल सिक्योरिटी नंबर' इत्यादि के माध्यम से बेरोज़गारी भत्ता, मुफ्त चिकित्सा एवं शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है।

भारत में भी इसके लिये मनरेगा, खाद्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सहयोग योजना, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं आदि के माध्यम से 'कल्याणकारी

राज्य' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। अब तो 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' तक के बारे में योजनाएँ बनाई जा रही हैं ताकि 'आधुनिकता एवं वैभव के एन्क्लेव' कितने ही मज़बूत क्यों न हों 'विपन्नता का संसार' न बन पाए और आधारभूत सुविधाएँ सबको उपलब्ध हों।

प्रश्न: अनुशासन में सामान्यत: आदेश पालन और अधीनता निहित है। फिर भी यह संगठन के लिये प्रति-उत्पादक हो सकता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discipline generally implies following the order and subordination. However, it may be counterproductive for the organisation. Discuss.

उत्तर: किसी भी संगठन के लिये अनुशासन का साध्य है एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सभी व्यक्तियों/निकायों/विचारों इत्यादि में 'सुसंगति' लाना। 'आदेश पालन' और 'अधीनता' तो इसकी विकृत व्याख्या है। चूँकि, किसी संगठन को एक अनुक्रम (Hierarchy) के अनुसार काम करना पड़ता है अत: उसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सदस्यों को आदेश का पालन भी करना होता है और देना भी होता है।

इसी प्रकार कुछ वरिष्ठ सदस्यों के साथ कुछ कनिष्ठ सदस्य भी होते हैं जो वरिष्ठों द्वारा निर्देशित कार्यों को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ वरिष्ठता या कनिष्ठता एक 'साधन' है, 'साध्य' नहीं। साध्य तो संस्था के वे लक्ष्य हैं, जिन्हें निरंतर पूरा करना होता है। अगर अनुशासन में 'आदेश पालन' और 'अधीनता' का भाव हावी होने लगे तो यह संस्था के लिये निम्नलिखित तरीके से प्रति-उत्पादक हो सकता है-

- संस्था के कनिष्ठ सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। उनमें 'आदेश लेने' की प्रवृत्ति आ जाएगी जिससे उनके द्वारा दिये जा सकने वाले नवाचारी विचार, जो संगठन के लिये लाभकारी हो सकते थे, बाहर नहीं आ पाएंगे।
- आदेश पालन एवं अधीनता का वरिष्ठ सदस्यों द्वारा दुरुपयोग भी किया जा सकता है।
- अगर किसी संस्था की ऐसी कार्यशैली हो तो प्रतिभावान एवं स्वाभिमानी सदस्य या तो उसका हिस्सा नहीं होंगे या फिर अपने आप को संस्था से अलग कर लेंगे।

हर तरीके से 'अनुशासन' की यह सामान्य व्याख्या संस्था के लिये नुकसानदायी हो सकती है।

हालाँकि एक अन्य अर्थ जिसमें 'आदेशपालन' एवं 'अधीनता' का संदर्भ कानून के आदेशपालन एवं अधीनता से हो, वहाँ यह आवश्यक हो जाता है, लेकिन यहाँ भी इसका अंतिम उद्देश्य संस्था के बृहत्तर लक्ष्य को पूरा करना ही होता है।

इसीलिये नई कार्यशैली में 'वरिष्ठता' एवं 'कनिष्ठता' की अवधारणा को समाप्त कर 'टीम लीडर' जैसी अवधारणा का पालन किया जाता है जिसमें सभी सदस्य एक-दूसरे से सीखते हुए संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने में अपना योगदान देते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अगर अनुशासन की सर्वोच्च अवधारणा 'अपने आप पर शासन' को मानकर चला जाए तो यह व्यक्ति, संगठन, राष्ट्र एवं मानवता सभी के लिये लाभकारी होगा। 'आदेश पालन' एवं अधीनता थोड़े समय के लिये भले ही उत्पादक दिखे पर यह हमेशा अलाभकारी होगा।

प्रश्न: सामान्यत: साझा किये गए तथा व्यापक रूप से मोर्चाबंद नैतिक मूल्यों और दायित्वों के बिना न तो कानून, न लोकतंत्रीय सरकार और न ही बाज़ार अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य कर पाएंगे। इस कथन से आप क्या समझते हैं? समकालीन समय के उदाहरण द्वारा समझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

Without commonly shared and widely entrenched moral values and obligations, neither the law, nor democratic government, nor even the market economy will function properly. What do you understand by this statement? Explain with illustration in the contemporary times.

उत्तर: किसी भी व्यवस्था के संचालन तथा लोगों द्वारा उसके सम्मान एवं सहयोग का एक बड़ा पक्ष साझे 'नैतिक मूल्यों' का होता है। चाहे वह व्यवस्था अच्छी हो या बुरी, तभी चल सकती है जब वह लोगों को नैतिक रूप से स्वीकार्य होगी, अन्यथा नहीं।

अब सवाल यह हो सकता है कि जब व्यवस्था के संचालन तथा कानून लागू करने के लिये हमारे पास प्रशासनिक, पुलिस एवं न्यायिक व्यवस्था है, क्या ये अपनी ताकत पर इसे नहीं चलवा सकतीं? वस्तुत: कानून के उल्लंघन को तभी तक रोका जा सकता है जब तक एक अल्पांश ही उसके उल्लंघन का प्रयास करे। जब अधिकांश उसका विरोध करेंगे तो उसे रोक पाना संभव नहीं है।

'लोकतांत्रिक सरकार' की बात करें तो ये वहीं सुचारु रूप से चल सकती है जहाँ लोगों में लोकतंत्र के प्रति व्यापक आस्था हो, नहीं तो बहुत संभव है कि कोई देश राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक होते हुए भी वास्तविक अर्थों में सैनिक तानाशाही या निरंकुशतंत्र हो जाए। उदाहरणस्वरूप, भारत एवं पाकिस्तान दोनों ही देश संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक हैं पर व्यवहार में पाकिस्तान अधिकांश समय तक सैनिक तानाशाही शासन में जकड़ा रहा।

वहीं वेनेज़ुएला में जब ह्यूगो शावेज़ की सरकार का सेना ने तख्तापलट किया तो वहाँ के लोग सड़कों पर आ गए तथा पुन: लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो गई थी। इसका कारण था वहाँ के लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास।

'बाज़ार अर्थव्यवस्था' के लिये तो यह और भी महत्त्वपूर्ण होता है। यहाँ न तो कोई मज़बूत नियंत्रक होता है और न ही कोई इतनी बड़ी व्यवस्था जो इन गतिविधियों को नियंत्रित कर सके। यह मांग और आपूर्ति के सामान्य नियम से चल रहा होता है अत: यहाँ पर एक नैतिक बल होना और भी आवश्यक हो जाता है। इस व्यवस्था में अवसरों की क्षमता, ग्राहकों के प्रति वफादारी, स्वस्थ प्रतियोगिता इत्यादि को नैतिक मूल्यों एवं दायित्वों द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अगर इसमें गुप्त साँठ-गाँठ इत्यादि प्रारंभ हो जाए तो कानून लागू करने वाली एजेंसी इत्यादि के सक्रिय रहने पर भी इसे पूरी तरह से रोक पाना संभव नहीं होगा।

2016

प्रश्न: स्पष्ट कीजिये कि आचारनीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। (150 शब्द, 10 अंक)

Explain how ethics contributes to social and human well-being?

उत्तर: अगर इस विचार को निर्विवाद मान लें कि हर व्यक्ति सुख की आकांक्षा रखता है तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बिना किसी नियंत्रण के 'अपने-अपने' सुखों के निर्धारण और उसकी प्राप्ति के तरीकों में व्यापक भिन्नता होगी, परिणामत: एक व्यापक संघर्ष का जन्म होगा जो अंतत: बलशाली के पक्ष में झुक जाएगा। इससे एक प्रकार की अराजकता उत्पन्न होगी, जो मानव और समाज दोनों के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न करेगी। इसी भयावह और अराजक स्थिति से बचने के लिये जिन अनेक व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, उनमें 'आचारनीति' एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। मानव और समाज कल्याण के संदर्भ में आचारनीति के महत्त्व को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है:

- इससे समाज की नैतिक व्यवस्था का निर्माण होता है जिसमें दया, करुणा, समानुभूति और परोपकार जैसे मूल्य समाहित होते हैं। इस प्रकार समाज वंचितों का पक्षधर बनता है।
- यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर बल देती है साथ ही निकृष्ट सुखों के ऊपर उत्कृष्ट सुखों को वरीयता देती है। इससे सामाजिक विचलन कम होता है तथा समाज में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है।
- आचारनीति एक समय में समाज में आम सहमति का निर्माण करती है जिससे व्यक्ति 'स्व-प्रेरणा' से सत्य, न्याय जैसे उच्च मूल्यों का अनुगमन करता है।

इस प्रकार आचारनीति स्थानिक विशेषताओं से युक्त और ऐतिहासिक रूप से निर्मित एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करती है, जो समाज को कल्याणकारी मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करती है।

प्रश्न: क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में, विशेषकर वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में, आधारभूत मूल्य समझना चाहिये? अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ सुस्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Why should impartiality and non-partisanship be considered as foundational values in public services, especially in the present day socio-political context? Illustrate your answer with examples.

उत्तर: निष्पक्षता से तात्पर्य है- एक ऐसा मूल्य जो बिना किसी पूर्वाग्रह के, वस्तुनिष्ठ आधार पर तार्किक रूप से चलने के लिये प्रेरित करे तथा किसी को मनमाने ढंग से लाभ पहुँचाने पर रोक लगाए अर्थात् यह 'प्राकृतिक न्याय' को संदर्भित करती है। अपक्षपातीयता का अर्थ है- किसी भी समूह या दल के प्रति निष्ठा न रखना अर्थात् मोटे तौर पर यह 'राजनीतिक तटस्थता' की बात करती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यवस्था के न्यायपूर्ण संचालन के लिये ये दोनों मूल्य आधारभूत हैं। उदाहरणार्थ- एक सिविल सेवक हेतु किसी क्षेत्र के विकास के लिये सभी संबद्ध हित समूहों, यथा- सिविल सोसायटी, एनजीओ, उद्योगपति इत्यादि से अपने प्राधिकार के अंतर्गत संपर्क स्थापित करना किंतु किसी के पक्ष में व्यक्तिगत झुकाव न रखना आवश्यक है।

वर्तमान संदर्भ में देखें तो भारत जैसे विविधतामूलक देश में भाषा, धर्म, रंग, नस्ल के आधार पर चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ऐसे में यदि लोक सेवाओं में उपर्युक्त आधारों पर भेदभाव किया जाएगा तो न केवल संवैधानिक व्यवस्था भंग होगी, बल्कि देश की एकता भी खंडित होगी। उदाहरण के लिये उत्तर-पूर्व के लोगों के मन में यह भावना मज़बूत होती जा रही है कि दिल्ली आधारित लोक सेवा उनके साथ भेदभाव करती है। निष्पक्षता और अपक्षपातीयता न केवल विभिन्न समूहों और सरकार के बीच व्याप्त विश्वास के संकट को दूर करती है, बल्कि यह वंचित वर्गों के प्रति विशेष उपाय, जैसे- आरक्षण, कृषि ऋण माफी, कल्याणकरी योजनाओं का संचालन कर विश्वास को मज़बूत भी करती है। नकारात्मक संदर्भ में दोनों मूल्यों के महत्त्व को निम्नांकित रूप से और स्पष्टता से व्यक्त किया जा सकता है-

- निष्पक्षता व अपक्षपातीयता के अभाव में सहचर पूंजीवाद (Crony Capitalism) तथा भाई-भतीजावाद की प्रवृत्ति बढ़ेगी; जैसे- विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर अपने संबंधी को अनुचित लाभ पहुँचाना।
- उक्त गुणों के अभाव में राजनीतिक तटस्थता का अभाव, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा कार्य-निर्धारण में राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिये किसी राजनीतिक दल के प्रति आस्था रखने वाला लोक सेवक इस नाते अवैध लाभ उठा सकता है।
- पूर्वाग्रहयुक्त विचार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों को कमज़ोर करता है, जिससे न्यायपूर्ण व्यवस्था भंग होती है। जैसे- किसी एक भाषा के प्रति पूर्वाग्रह रखने वाला लोक सेवक अन्य भाषाओं के प्रति भेदभाव कर सकता है।
- इनकी अनुपस्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण करती है। उदाहरण के लिये, यदि लोक सेवा का उद्देश्य अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न करके किसी राजनीतिक दल के विचार को आगे बढ़ाना हो जाए तो इससे किसी के पक्ष में गलत तरीके से सहमति निर्मित हो जाएगी।

उपर्युक्त तर्कों तथा उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निष्पक्षता तथा अपक्षपातीयता लोक सेवा के आधारभूत मूल्य हैं।

प्रश्न: 'शासन', 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' शब्दों से आप क्या समझते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by the terms 'governance', 'good governance' and 'ethical governance'?

उत्तर: वस्तुत: 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' जैसी अवधारणाएँ 'शासन' के ही अर्थ-विस्तार हैं। अपने आदर्श स्वरूप में शासन उन सभी विशेषताओं से युक्त होता है, जिन्हें अभी सुशासन और नैतिक शासन के रूप में निरूपित किया जाता है। चूँकि शासन का आदर्श रूप मूर्त नहीं हो पाया, इसलिये इसकी परिधि सुशासन व नैतिक शासन तक विस्तृत

हुई। साथ ही, समय के साथ कुछ अन्य विशेषताएँ भी इस अवधारणा में समाविष्ट हुईं, जिससे शासन के साथ कई उपसर्ग जुड़ते चले गए।

अब अगर इन्हें परिभाषित करें तो शासन का अर्थ नीति-निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया से है, जो नियमों के एक समुच्चय से संचालित होता है। सुशासन का तात्पर्य न केवल बेहतर क्रियान्वयन से है, बल्कि यह समाज के वंचितों का पक्षधर भी होता है। सुशासन की आठ आधारभूत विशेषताएँ बताई जाती हैं, जिन्हें नीचे रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है-

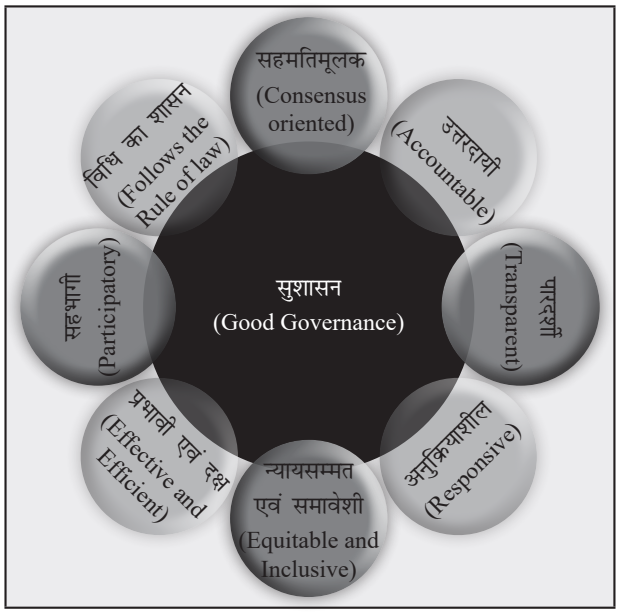

नैतिक शासन में सत्य, न्याय, ईमानदारी जैसे उच्च सार्वभौमिक मूल्य समाहित होते हैं तथा 'शुभ' की प्राप्ति इसका साध्य होता है। नैतिक शासन नीति-निर्माण और उसके क्रियान्वयन में 'सही और गलत' जैसे नैतिक मानदंडों पर अधिक बल देता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट करना चाहें तो सभी नागरिकों पर 'समान कर' आरोपित करना शासन का एक हिस्सा हो सकता है; किंतु सुशासन के अंतर्गत प्रगतिशील व्यवस्था अपनाई जाएगी तथा आय के हिसाब से कर आरोपित किया जाएगा। जबकि नैतिक शासन में न केवल प्रगतिशील कर व्यवस्था अपनाई जाएगी बल्कि सरकार ईमानदारीपूर्वक कर देने तथा 'शुभ' की प्राप्ति के लिये लोगों से सब्सिडी जैसी सुविधा छोड़ने की 'अपील' कर सकती है।

प्रश्न: महात्मा गांधी की सात पापों की संकल्पना की विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss Mahatma Gandhi's concept of seven sins.

उत्तर: महात्मा गांधी एक ओर जहाँ साधन और साध्य को समान रूप से पवित्र मानते हैं, वहीं वह किसी गतिविधि के संचालन या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में पात्र की उपयुक्तता पर भी ज़ोर देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो गांधी नैतिक मूल्यों के अभाव में प्राप्त की गई प्रतिष्ठा या वैभव को पाप की संज्ञा देते हैं अर्थात् यदि कोई पात्र सार्वभौमिक मूल्यों से रहित है तो उसमें कितनी भी महान उपलब्धियाँ क्यों न आरोपित कर दी जाएँ, वे 'अनैतिक उपलब्धियाँ' ही कहलाएंगी। गांधी ने जिन सात पापों का उल्लेख किया है, वे हैं-

- परिश्रम रहित धनोपार्जन
- सिद्धांत रहित राजनीति
- विवेक रहित सुख
- चरित्र रहित ज्ञान
- सदाचार रहित व्यापार
- मानवता रहित विज्ञान
- त्याग रहित उपासना या धर्म।

अब अगर इनकी विवेचना करें तो परिश्रम रहित धनार्जन का सीधा सा अर्थ है कि इसमें साधन की पवित्रता नष्ट हो चुकी है। यह प्रवृत्ति भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण जैसी बुराइयों को जन्म देती है। फिर यदि राजनीति में कोई सिद्धांत न हो तो यह अवसरवाद को बढ़ावा देती है, जिसका अंतिम लक्ष्य किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना हो जाता है। सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार इत्यादि इसी के उपोत्पाद हैं। साथ ही यदि सुख की चाह पर विवेक का अंकुश न लगे तो समाज में भौतिक प्राप्ति, दैहिक सुख जैसे निम्नस्तरीय सुखों की अधिकता हो जाएगी तथा त्याग, परोपकार जैसे उच्चस्तरीय सुख दुर्लभ हो जाएंगे। ज्ञान अपने आप में अच्छा होते हुए भी किसी चरित्रहीन के पास जाते ही महत्त्व खो देता है। यहाँ चरित्र का संबंध सिर्फ यौनिक संदर्भों में नहीं है, बल्कि इसका अर्थ-विस्तार उपयोग के तरीकों तक है। जैसे, यदि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान का उपयोग आतंकी गतिविधियों के संचालन में करता है तब वह ज्ञान व्यर्थ है। व्यापार में ईमानदारी का अभाव परस्पर विश्वास को कम करेगा, परिणामतः आर्थिक अराजकता उत्पन्न होगी। विज्ञान को यदि एक 'साधन' मान लें तो इसका उपयोग मानव के पक्ष या विपक्ष किसी भी तरफ किया जा सकता है, जैसे- विज्ञान का उपयोग चिकित्सीय साधनों को उत्कृष्ट बनाने में भी किया जा सकता है तो यही विज्ञान विध्वंसकारी आयुध भी बना सकता है। त्याग के बिना धर्म सिर्फ कर्मकांडीय आडंबरों तक सीमित हो जाता है तथा मानव कल्याण का इसका लक्ष्य धूमिल हो जाता है।

निष्कर्ष के रूप में कहें तो गांधी एक नैतिक व्यवस्था के संदर्भ में इन सातों पापों की चर्चा करते हैं, जिनकी उपस्थिति जीवन में शुचिता भंग करती है।

प्रश्न: भारत के संदर्भ में सामाजिक न्याय की जॉन रॉल्स की संकल्पना का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Analyse John Rawls's concept of social justice in the Indian context.

उत्तर: जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक 'अ थ्योरी ऑफ जस्टिस' में न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। रॉल्स के सिद्धांत का मुख्य बल 'समानता की ज़रूरत' पर है। इसके लिये रॉल्स एक काल्पनिक दुनिया गढ़ते हैं, जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान से अनभिज्ञ है। इसे रॉल्स 'अज्ञान का पर्दा' (Veil of Ignorance) कहते हैं। इस स्थिति में लोग अहंवादी नहीं होते तथा उनमें न्याय की भावना होती है। फिर रॉल्स कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें उसी प्राथमिकता के साथ मानने पर एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकेगी-

- प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत स्वतंत्रता का समान अधिकार हो, जो दूसरों की स्वतंत्रता के अनुकूल हो।
- सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ इस प्रकार समायोजित की जाएँ कि-
  - सबसे वंचित को सबसे अधिक लाभ मिले।
  - निष्पक्ष समानता व अवसर परिस्थितियों के तहत सभी के लिये पद और हैसियत प्राप्त करने के मौके खुले रहें।

रॉल्स के सिद्धांत को सार रूप में कहें तो वह एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है, जहाँ समानता का नियम लागू होता हो तथा इसका अतिक्रमण तभी किया जाता हो, जब किसी वंचित के हित संवर्द्धन हेतु ऐसा करना अनिवार्य हो। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की जिस पद्धति को स्वीकार करता है, वह रॉल्स के सिद्धांत के काफी निकट है। भारतीय संविधान में वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिये जिस 'आरक्षण' की व्यवस्था की गई है, वह समानता के कुछ मानकों से अलग तो है, किंतु समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुँचाने वाली है। यह सबके लिये 'समान स्वतंत्रता' उपलब्ध कराने का एक प्रयास है तो साथ ही यह उन परिस्थितियों के निर्माण में भी सहायक है, जहाँ सभी पदों व स्थितियों के लिये अवसर की समता सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सहित सामाजिक न्याय की बात, सकारात्मक भेदभाव, जाति प्रथा का निषेध इत्यादि सभी प्रयास रॉल्स के सिद्धांत के निकट हैं।

अत: यह कहना उचित ही होगा कि रॉल्स के सामाजिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। हालाँकि रॉल्स जिस पहचान रहित वर्ग की बात करते हैं, वह भारत जैसे विविधतामूलक देश में संभव नहीं है। साथ ही एक स्तर के बाद रॉल्स कुछ विषमताओं को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि भारतीय संविधान इसके उन्मूलन की बात करता है।

प्रश्न: "भ्रष्टाचार सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता एवं राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है।" कौटिल्य के विचारों की विवेचना कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Corruption causes misuse of government treasury, administrative inefficiency and obstruction in the path of national development." Discuss Kautilya's views.

उत्तर: भ्रष्टाचार के संबंध में उपर्युक्त वाक्य कौटिल्य ने भले ही लगभग 2300 वर्ष पहले कहा हो, किंतु आज भी प्रासंगिक है। भ्रष्टाचार समाज में सबसे बड़ी बुराई के रूप में व्याप्त है और यह बहुआयामी रूप से व्यक्ति एवं राष्ट्र को नुकसान पहुँचाता है।

भ्रष्टाचार के कारण राजकोष का उपयोग सार्वजनिक हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों की पूर्ति में होने लगता है। भ्रष्टाचार अनैतिक व्यवहारों को प्रोत्साहित करता है जिससे व्यक्ति गलत ढंग से मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक लाभ प्राप्त करता है। उदाहरण के लिये स्पेक्ट्रम घोटाले तथा कोयला घोटाले के कारण राजकोष को भारी नुकसान हुआ। राजकोष का दुरुपयोग जनता का प्रशासन के प्रति भरोसे को कमज़ोर करता है। फ्राँसीसी क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण कारण राजकोष का दुरुपयोग था। भ्रष्टाचार अनेक तरह से प्रशासनिक अदक्षता को जन्म देता है। भ्रष्टाचार के कारण पूरी शासन व्यवस्था शक्तिशाली के पक्ष में झुक जाती है, क्योंकि सेवाओं की आपूर्ति उन्हीं को हो पाती है, जो रिश्वत देने में सक्षम होते हैं। सबसे बढ़कर इससे बिचौलियों का एक वर्ग पनपता है, जो 'समानांतर प्रशासन' चलाने लगता है। इससे लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा कम होने लगता है तथा वे भ्रष्टाचार को शासकीय प्रक्रिया का एक अंग मान लेते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के कारण काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था संचालित होने लगती है। भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करता है, आय की विषमता को बढ़ाता है, विकास कार्य को बाधित करता है, निवेश को हतोत्साहित करता है; ये सब कारक सम्मिलित रूप से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं।

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाना चाहिये कि भ्रष्टाचार अंतत: शासन के प्रति भरोसे को कम कर देता है, जिससे हर प्रकार की प्रगति बाधित होती है।

प्रश्न: विधि एवं आचारनीति मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले दो उपकरण माने जाते हैं ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिये सहायक बनाया जा सके।

चर्चा कीजिये कि वे इस उद्देश्य की किस प्रकार पूर्ति करते हैं।

(150 शब्द, 10 अंक)

Law and ethics are considered to be the two tools for controlling human conduct so as to make it conductive to civilized social existence.

Discuss how they achieve this objective.

उत्तर: किसी समाज के व्यवस्थित संचालन के लिये एक निश्चित ढाँचे की आवश्यकता होती है, जिसमें विधि और आचारनीति महत्त्वपूर्ण उपकरण होते हैं। विधि जहाँ 'बाह्य बल' के द्वारा मानव आचरण को नियंत्रित करती है, वहीं आचारनीति 'आंतरिक प्रेरणा' द्वारा नियंत्रित करती है। 'डायसी' जैसे विद्वान सामाजिक नियंत्रण के लिये विधि के शासन को अनिवार्य बताते हैं तो 'गांधी' इसके लिये आचारनीति को महत्त्वपूर्ण बताते हैं, जिसका आशय 'हृदय परिवर्तन' से है। साथ ही दोनों उपकरण अनिवार्यत: विरोधी न होकर परस्पर सहयोगी भी होते हैं। इसी संदर्भ में प्रश्न के दोनों हिस्सों को देखा जा सकता है-

विधि और आचारनीति के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं के उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। विधि 'अपराध' का निर्धारण संहिताबद्ध कानून के माध्यम से करती है तो आचारनीति सामाजिक परंपराओं तथा रीति-रिवाजों के आधार पर 'पाप' को निर्धारित करती है। इसी प्रकार विधि जहाँ अपना कार्य विभिन्न संवैधानिक व प्रशासनिक एजेंसियों, जैसे- पुलिस, अदालत इत्यादि के माध्यम से करती है, वहीं आचारनीति सामाजिक एजेंसियों, जैसे- पंचायत आदि के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। विधि की दंड व्यवस्था में जेल तथा आर्थिक जुर्माना शामिल हैं, तो आचारनीति सामाजिक बहिष्कार को अपनाती है। विधि के द्वारा मानव आचरण/अपराध को तुरंत प्रभाव से नियंत्रित कर सकते हैं तथा यह अल्प काल या दीर्घ काल के लिये हो सकता है लेकिन आचार

नीति के द्वारा मनुष्य के गुणों को परिवर्तित किया जाता है। जिसका दीर्घकाल तक प्रभाव होता है।

प्रश्न: विधि एवं आचारनीति मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले दो उपकरण माने जाते हैं ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिये सहायक बनाया जा सके।

उदाहरण देते हुए यह बताइये कि ये दोनों अपने उपागमों में किस प्रकार एक-दूसरे से भिन्न हैं। (150 शब्द, 10 अंक)

Law and ethics are considered to be the two tools for controlling human conduct so as to make it conductive to civilized social existence.

Giving examples, show how the two differ in their approaches.

उत्तर: अपनी प्रकृति में अलग होने के कारण ही दोनों के उपागम में भिन्नता है। आचारनीति का मूल संबंध व्यक्तिगत जीवन तथा आदत संबंधी चीज़ों से है, जैसे- बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, गरीबों की मदद करना, इत्यादि, जबकि विधि मूल रूप से सार्वजनिक व्यवस्था से संबद्ध होती है। जैसे- चोरी करने पर रोक लगाना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना इत्यादि। सार रूप में कहें तो एक सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिये आवश्यक है कि समाज 'अपराध' तथा 'पाप' दोनों से मुक्त हो। अपराध पर नियंत्रण जहाँ विधि के माध्यम से होता है, वहीं पाप पर आचारनीति द्वारा अंकुश लगता है। हालाँकि कुछ कृत्य ऐसे भी होते हैं, जो अपराध व पाप दोनों होते हैं, इसलिये उन पर विधि व आचारनीति दोनों का नियंत्रण होता है। आमतौर पर विधि का निर्माण सामाजिक परंपराओं के अनुरूप ही होता है, लेकिन कभी-कभी यह स्थिति बदल भी जाती है। उदाहरण के लिये- सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि परंपराओं को सामाजिक स्वीकृति मिली पर ये परंपराएँ न तो विधिसम्मत थीं और न ही पुण्यकारी, जिनका आगे चलकर भारी विरोध हुआ। आज ये गैर-कानूनी और पापजन्य कृत्य हैं। इसी तरह अपने माता-पिता का सम्मान करना जहाँ परंपरा का अंग रहा है, वहीं भरण-पोषण अधिकार कानून इस परंपरा को वैधानिकता प्रदान करता है। मूल रूप से विधि एक बाध्यकारी उपाय है, जबकि आचारनीति काफी कुछ नैतिक दबाव का मामला है। अत: अपने उपागम में भिन्नता होने के बावजूद दोनों का उद्देश्य 'सभ्य समाज का निर्माण करना' ही है, इसलिये दोनों में जितनी अधिक साम्यता होगी, अपराध व पाप पर नियंत्रण उतना ही सहज हो जाएगा।

प्रश्न: सामाजिक प्रभाव और समझाना-बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिये किस प्रकार योगदान कर सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

How could social influence and persuasion contribute to the success of Swachh Bharat Abhiyan?

उत्तर: स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य खुले में शौच की समाप्ति, हाथ से मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति तथा अपशिष्ट निवारण तंत्र से लेकर लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इसके लिये जहाँ अवसंरचनात्मक विकास की आवश्यकता है, वहीं लोगों में इसे आत्मसात् करने की प्रवृत्ति का विकास होना भी आवश्यक है अर्थात् यह एक दोहरी प्रक्रिया है, जिसमें बाद वाली प्रक्रिया के लिये प्रोत्साहन और सामाजिक प्रभाव अत्यंत महत्त्व रखते हैं।

वस्तुत: स्वच्छता का संबंध हमारी आदतों और हमारी मन:स्थिति से है। यदि हमारे अंदर स्वच्छता एक 'मूल्य' के रूप में उपस्थित होगी, तभी इसको लेकर हो रहे शासकीय प्रयास सफल हो पाएंगे। उदाहरण के लिये यदि लोगों को बाहर शौच करना 'गलत' नहीं लगता तो शौचालय बना देने के बाद भी वे उसका प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि अभी हो भी रहा है। इसी तरह कहीं भी कूड़ा फेंक देने की हमारी आदत जब तक नहीं बदलेगी तब तक कोई स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो सकता। इसके लिये हमें अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी, जिसका एक सशक्त उपकरण समझाना-बुझाना (पर्सुएशन) है।

दरअसल, जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति/अपने क्षेत्र का सफल व्यक्ति हमें यह समझाता है कि स्वच्छता एक 'अच्छी आदत' है तो उसकी यह कोशिश कई तरह से प्रभावकारी होती है। एक तो यह किसी शुष्क अभियान की अपेक्षा अधिक संपर्क साधने वाली होती है, दूसरे छोटे बच्चे व युवा इससे अधिक प्रभावित होते हैं। अभिनेता, डॉक्टर, खिलाड़ी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, गायक समेत तमाम पोस्टर तथा ऑडियो-वीडियो का उपयोग सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करता है कि स्वच्छ रहना एक अच्छी आदत है। फिर धीरे-धीरे यह एक 'मूल्य' बन जाता है, जो समाज के लिये अनुकरणीय हो जाता है। इस स्थिति में लोग स्वयं ही स्वच्छता के मानकों का पालन करने लगते हैं। उदाहरण के लिये 'बिश्नोई' समुदाय में पर्यावरण की रक्षा एक 'मूल्य' है, इसलिये वे स्वयं इसकी रक्षा करते हैं।

इस प्रकार 'सामाजिक प्रभाव' एवं 'पर्सुएशन' स्वच्छ भारत मिशन की सफलता में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

प्रश्न: जीवन, कार्य, अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी अभिवृत्तियाँ आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित हो जाती हैं, जिसमें हम बड़े होते हैं। अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिये अवांछनीय होते आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना कीजिये।

ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है तथा लोक सेवाओं के लिये आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक-नैतिक मूल्यों को आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार संवर्द्धित किया जा सकता है? हैं। (250 शब्द, 20 अंक)

Our attitudes towards life, work, other people and society are generally shaped unconsciously by the family and the social surroundings in which we grow up. Some of these unconsciously acquired attitudes and values are often undesirable in the citizens of a modern democratic and egalitarian society.

Discuss such undesirable values prevalent in today's educated Indians.

How can such undesirable attitudes be changed and socio-ethical values considered necessary in public services be cultivated in the aspiring and serving civil servants?

उत्तर: अभिवृत्ति एवं मूल्य का निर्माण अपेक्षाकृत लंबी समयावधि में होता है तथा ये मानव व्यवहार को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। इनके निर्माण में रीति-रिवाज, परिवार, मित्र-समूह, शिक्षा पद्धति, अखबार, सिनेमा, साहित्य इत्यादि का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। चूँकि उपर्युक्त सभी माध्यमों की प्रवृत्ति 'हमेशा' लोकतांत्रिक व समतामूलक मूल्यों के अनुकूल नहीं होती तथा ये प्रवृत्तियाँ अलग-अलग कारणों से किसी-न-किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी होती हैं, इसलिये उस परिवेश में रहने वाला व्यक्ति अनायास ही उन अभिवृत्तियों को स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिये पितृसत्तावादी परिवेश में पलने वाले बच्चों में अनायास ही लैंगिक भेदभाव की अभिवृत्ति विकसित हो जाती है।

अगर वर्तमान संदर्भ में शिक्षित भारतीयों में व्याप्त अवांछनीय मूल्यों की बात करें तो जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, क्षेत्रवाद, धार्मिक विद्वेष, नस्लीय भेदभाव, भाषायी संकीर्णता इत्यादि ऐसे नकारात्मक मूल्य हैं, जो समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ऐसे मूल्यों के विकसित होने में सूचनाओं व अंतर्क्रिया के अभाव से उपजा पूर्वाग्रह, जैसे- एक उत्तर भारतीय व्यक्ति का दक्षिण भारतीय व उत्तर-पूर्व के व्यक्ति के प्रति व्याप्त पूर्वाग्रह, सामाजिक रूढ़ियाँ इत्यादि कारक ज़िम्मेदार हैं। इसी प्रकार यदि किसी समाज में किसी विशेष भाषा, धर्म और जाति के मानने वालों की बहुलता है तो वहाँ एक प्रकार की कट्टरता जन्म ले लेती है। किंतु इन अवांछित अभिवृत्तियों को विभिन्न उपायों को अपनाकर बदला जा सकता है।

एक लोक सेवक तथा लोक सेवा में जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह समतावादी तथा लोकतांत्रिक अभिवृत्तियों को धारण करने वाला हो। अगर उचित परिस्थितियाँ मुहैया करा दी जाएँ तो इन अवांछनीय अभिवृत्तियों को बदला जा सकता है। इसके कुछ उपाय निम्नांकित हो सकते हैं-

- ऐसी अवांछनीय अभिवृत्तियों का जन्म ही न हो। इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था अधिक विविधतामूलक हो तथा यथासंभव एकरूपता से बचा जाए। उदाहरण के लिये जहाँ तक संभव हो, एक स्कूल/कॉलेज में विभिन्न धर्म, जाति और भाषा के विद्यार्थियों का अनुकूल अनुपात हो। शिक्षण संस्थानों में परस्पर अंतर्क्रिया को बढ़ावा देना चाहिये।
- सूचनाओं की पर्याप्त सटीक उपलब्धता पूर्वाग्रह को दूर करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। मीडिया, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्रीज़, पुस्तकें इत्यादि के माध्यम से स्कूल, परिवार, कार्यालय इत्यादि के स्तर पर अलग-अलग संस्कृतियों के प्रति पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
- भूमिका निर्वहन (Role Playing) अभिवृत्ति बदलने का एक कारगर साधन है, उदाहरण के लिये एक लड़के को कुछ दिन एक लड़की का जीवन जीने को कहा जाए। इसी तरह एक उच्च जाति के व्यक्ति को निम्न जाति के व्यक्ति का जीवन जीने को कहा जाए। भूमिका बदलने से दूसरों के प्रति समझ अधिक बेहतर होती है।
- शंका की निवृत्ति कर अथवा अनुनयन (Persuasion) के माध्यम से भी अभिवृत्ति बदली जा सकती है। अगर प्रभावशाली ढंग से (तर्कों तथा उदाहरण के साथ) यह समझा दिया जाए कि अमुक चीज़ों के प्रति हमारी राय गलत है तो उनके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है।
- विभिन्न जाति/धर्म से संबंधित सफल व्यक्तियों के विचार सुनना या उनसे मिलकर अपने पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है।
- साथ ही संविधान की मूलभूत जानकारी को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करना चाहिये, जिससे आमजन में लोकतांत्रिक एवं समतामूलक मूल्यों का प्रसार हो सके।

उपर्युक्त उपायों को अपनाकर अवांछनीय अभिवृत्तियों को बदला जा सकता है।

प्रश्न: क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिये हानिकारक है।

चर्चा कीजिये कि यह किस प्रकार नकारात्मक संवेगों और अवांछनीय व्यवहारों को पैदा कर देता है।

इसे कैसे व्यवस्थित एवं नियंत्रित किया जा सकता है?

(250 शब्द, 20 अंक)

Anger is a harmful negative emotion. It is injurious to both personal life and work life.

Discuss how it leads to negative emotions and undesirable behaviours.

How can it be managed and controlled?

उत्तर: क्रोध एक ऐसी अवस्था है, जब हमारा व्यवहार हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क की तर्क शक्ति कमज़ोर हो जाती है तथा अच्छे-बुरे को तय करने का भेद मिट जाता है। व्यक्तिगत जीवन में जहाँ इस अनियंत्रित व्यवहार के कारण अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएँ जन्म लेने लगती हैं तथा लोग क्रोध के वशीभूत व्यक्ति से दूरी बनाने लगते हैं, वहीं कार्यस्थल पर उसकी छवि खराब होती है तथा अंततः कार्य पर ही संकट आ जाता है।

क्रोध एक प्रकार की असामान्य मानसिक अवस्था को दर्शाता है, जिसकी बारंबारता उच्च रक्तचाप को तो जन्म देती ही है, साथ ही यह क्रोध तनाव को अवसाद की हद तक पहुँचा देता है। कई बार तो इस स्थिति में व्यक्ति आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेता है। चूँकि क्रोध के समय व्यक्ति हर स्थिति में अपनी बात मनवाना चाहता है। इसलिये वह अपशब्दों का प्रयोग करने के साथ-साथ शारीरिक हिंसा का सहारा भी लेता है।

निम्नांकित उपायों को अपनाकर क्रोध को व्यवस्थित व नियंत्रित किया जा सकता है-

- क्रोध तब आता है, जब किसी नकारात्मक परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं। इससे बचने के लिये हमें विपरीत स्थितियों में सहज रहने

की आदत विकसित करनी चाहिये। ध्यान, योग, व्यायाम और संतुलित व स्वच्छ खान-पान इसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

- अधिक तथा तत्क्षण अभिव्यक्ति क्रोध की पूर्व सदस्या है। हर पक्ष को सुनने-समझने के बाद अभिव्यक्ति अधिक संतुलित हो जाती है तथा इससे क्षणिक भावावेश से भी बचा जा सकता है।
- क्रोधित हो जाना एक सामान्य बात है, किंतु समस्या तब आती है, जब इससे व्यवहार अनियंत्रित हो जाता है। इसे कई प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जैसे- क्रोध की अवस्था को टालने के लिये किसी अच्छे दोस्त से बात करना, धीमा संगीत सुनना, कोई अच्छी किताब पढ़ना इत्यादि।
- असंतुलित जीवन-शैली तथा अधिक कार्य दबाव भी चिड़चिड़ापन तथा क्रोध को जन्म देता है। इसलिये जीवन में मनोरजंन, खेल-कूद, पर्यटन जैसे साधनों का अनुपात भी ठीक-ठाक होना चाहिये।

वस्तुत: जटिल होते जीवन संबंधों में क्रोध का आना स्वाभाविक है, किंतु उचित उपायों को अपनाकर इसके दुष्परिणामों से बचा जा सकता है।

प्रश्न: "मैक्स वैबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। इस बात को समझ लेना महत्त्वपूर्ण है कि हो सकता है कि राज्य के अधिकारीतंत्र के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र अधिकारीतंत्रीय नैतिकता हो।'' इस कथन का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"Max Weber said that it is not wise to apply to public administration the sort of moral and ethical norms we apply to matters of personal conscience. It is important to realilse that the State bureaucracy might possess its own independent bureaucratic morality." Critically analyse this statement.

उत्तर: मैक्स वैबर के अनुसार अधिकारी तंत्र (Bureaucracy) विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित लक्ष्योन्मुख संगठन होता है जिसके पास अपनी अधिकारीतंत्रीय नैतिकता होती है। यहाँ अधिकारीतंत्रीय नैतिकता से वैबर का अर्थ नियमों से आबद्ध नौकरशाही (rule-bound bureaucracy) से है। ऐसी नौकरशाही के व्यवहार में निरंतरता होती है। इससे प्रशासन में भाई-भतीजावाद, शक्ति के गलत प्रयोग को रोका जा सकता है तथा प्रशासन को दक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। वैबर का मानना है कि हम जिन नैतिक प्रतिमानों को व्यक्तिगत स्तर पर लागू करते हैं उन्हें राज्य के अधिकारी तंत्र पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये नैतिक प्रतिमान हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक मानदंडों से प्रभावित होते हैं जिनकी व्याख्या वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है।

वस्तुत: वैबर नौकरशाही के जिस मॉडल को मान्यता देता है उसमें नियमों (rules) को ही अंतिम ध्येय माना जाता है। लेकिन प्रशासन को केवल नियमों से आबद्ध ही नहीं, वरन उसे मानवीय संवेदनाओं जैसे दया, करुणा इत्यादि नैतिकताओं से भी युक्त होना चाहिये। केवल नियमों (rules) को ही ध्येय मानने वाला प्रशासन पश्चिम में तो सफल हो सकता है किंतु भारत जैसे विकासशील देशों में नहीं। पश्चिम में साक्षरता का स्तर उच्च है व नागरिक भी जागरूक हैं अत: नियमबद्ध प्रशासन ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ साक्षरता का स्तर निम्न है एवं नागरिक भी उतने जागरूक नहीं हैं वहाँ प्रशासन को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कार्य करना होगा। भारत जैसे देशों में केवल अधिकारी तंत्रीय नैतिकता या नियमों से आबद्ध प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। प्रशासन में अधिकारी तंत्रीय नैतिकता के साथ व्यक्तिगत नैतिकता का भी समावेशन हो, तभी नौकरशाही परिवर्तन का वाहक बनेगी और 'लोगों का कल्याण', जो कि अंतिम ध्येय है, वह सिद्ध होगा।

2015

प्रश्न: 'पर्यावरणीय नैतिकता' का क्या अर्थ है? इसका अध्ययन करना किस कारण महत्त्वपूर्ण है? पर्यावरणीय नैतिकता की दृष्टि से किसी एक पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What is meant by 'environmental ethics? Why is it important to study? Discuss any one environmental issue from the viewpoint of environmental ethics.

उत्तर: 'पर्यावरणीय नैतिकता' पर्यावरण दर्शन की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत हम मनुष्य और पर्यावरण के आपसी संबंधों का नैतिकता के सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के आलोक में अध्ययन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से मनुष्य के उन क्रियाकलापों का नैतिकता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिनसे पर्यावरण प्रभावित होता है। यह मूलत: प्रकृति और मनुष्य के संबंध का प्रश्न है। पर्यावरण नैतिकता प्रकृति को मनुष्य से ऊँचा स्थान प्रदान करती है।

आज जिस गति के साथ मानव अपने अनियंत्रित लालच से वशीभूत होकर प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, उसके समक्ष प्रकृति की प्रतिस्थापना शक्ति (Replacement Power) भी घुटने टेक रही है। वर्तमान में 'अर्थ ओवरशट डे' (Earth Overshoot Day) निरंतर हर वर्ष जल्दी आ रहा है। यानी हम वर्ष के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही प्राकृतिक संसाधनों का उतना उपभोग कर लेते हैं, जितनी भरपाई प्रकृति एक वर्ष में करती है। मानव जीवन के अस्तित्व के लिये पर्यावरण संरक्षण पहली शर्त है। इसीलिये पर्यावरण नैतिकता का अध्ययन आवश्यक है। गांधीजी ने एक बार कहा था- "प्रकृति के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के पर्याप्त संसाधन हैं, हमारे लालचों को पूरा करने के लिये नहीं।"

मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप ही वैश्विक वन क्षेत्र में अप्रत्याशित गिरावट आई तथा भौतिक प्रगति के साथ पर्यावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई, जिसने 'वैश्विक तापन' जैसी समस्या को उत्पन्न कर दिया। 'वैश्विक तापन' के चलते 'जलवायु परिवर्तन' जैसी परिघटना हो रही है। इन सबके चलते समुद्री जल-स्तर बढ़ने के कारण कई द्वीपीय देश जलमग्न होने के कगार पर हैं। यह सब मानव द्वारा पर्यावरण की उपेक्षा करने का ही नतीजा है। इसीलिये अगर अभी

भी समय रहते मानव जाति ने पर्यावरण के प्रति नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं निभाई तो वह दिन दूर नहीं, जब यह जीवनदायिनी प्रकृति ही सबके विनाश की आधारशिला रखेगी।

प्रश्न: निम्नलिखित के बीच विभेदन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
Differentiate between the following.

उत्तर: विधि और नैतिकता (Law and Ethics): विधि अपनी मूल प्रकृति में बंधनकारी होती है। इसे मानवीय प्रकृति के अनुरूप ऐसी उचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए बनाया जाता है कि इसका पालन सभी के लिये संभव हो सके। आमतौर पर विधि किसी समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप ही होती है, किंतु यदि सामाजिक मूल्य रूढ़ हो जाएँ तो उनके विरुद्ध भी विधि निर्माण होता है। जैसे- हिंदू कोड बिल, दहेज़ प्रथा विरोधी कानून आदि। विधि का उल्लंघन करने पर सज़ा का प्रावधान होता है।

नैतिकता मानवीय क्रियाकलापों का मूल्यांकन है। यह किसी कार्य का मूल्यांकन कर उसके उचित-अनुचित, अच्छा-बुरा या शुभ-अशुभ होने का निर्धारण करती है। एक ही समाज के विभिन्न समुदायों के नैतिक मूल्यों में भिन्नता मिल सकती है, परंतु 'विधि' सब पर एकसमान लागू होती है।

- **नैतिक प्रबंधन और नैतिकता का प्रबंधन (Ethical management and Management of ethics):** नैतिक प्रबंधन से तात्पर्य किसी कृत्य का विभिन्न नैतिक सिद्धांतों एवं नियमों के साथ सामंजस्य है अर्थात् किसी कृत्य को इस प्रकार करना कि नैतिक नियमों का उल्लंघन न हो तथा नैतिकता का प्रबंधन वह स्थिति है, जिसमें किसी कृत्य को सही ठहराने के लिये अनावश्यक रूप से नैतिक आयाम जोड़े जाएँ। जहाँ नैतिक प्रबंधन बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में उचित होता है, वहीं नैतिकता का प्रबंधन सिर्फ आंतरिक रूप से उचित होने का दावा करता है, बाह्य रूप से उसका अनैतिक स्वरूप स्पष्ट दिखता है। उदाहरण के लिये पर्यावरण का उचित ध्यान रखते हुए दीपावली जैसे त्योहारों में आतिशबाज़ी न करना नैतिक प्रबंधन है एवं कोई गरीब वृद्ध व्यक्ति अपने भूखे बच्चे के लिये किसी दुकान से खाने का सामान चुरा ले यह नैतिकता का प्रबंधन है।
- **भेदभाव और अधिमानी बरताव (Discrimination and Preferential treatment):** भेदभाव किसी विशेष समूह/समुदाय/वर्ग को लक्ष्य करके किया जाने वाला नकारात्मक व्यवहार होता है, जबकि अधिमानी बरताव के अंतर्गत किसी समुदाय के कुछ चुनिंदा लोगों को दी गई विशेष सहूलियत अथवा लाभ आता है। उदाहरण के तौर पर किसी मकान मालिक द्वारा किसी धर्म/जाति/क्षेत्र विशेष के व्यक्ति को मकान किराये पर न देना भेदभाव है, जबकि अपनी जान-पहचान या अपने क्षेत्र या जाति के व्यक्ति को ही किराये पर मकान देना और वह भी वास्तविक किराये से कम पर, अधिमानी व्यवहार है।
- **वैयक्तिक नैतिकता और संव्यावसायिक नैतिकता (Personal ethics and Professional ethics):** वैयक्तिक नैतिकता से तात्पर्य दर्शन की उस शाखा से है, जो यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति नैतिक, अनैतिक, सही और गलत, उचित और अनुचित आदि के विषय में क्या विश्वास रखता है या इनके विषय में उसकी क्या सोच है, जबकि संव्यावसायिक नैतिकता का निर्धारण संबद्ध संगठन के विशेष शासी निकाय द्वारा किया जाता है जिसका अनुपालन संगठन के कार्यरत सभी लोगों के लिये अनिवार्य होता है।

वैयक्तिक नैतिकता संव्यावसायिक नैतिकता से इस संदर्भ में भिन्न है कि संव्यावसायिक नैतिकता के उदय/उत्पत्ति का संबंध जहाँ किसी संगठन/निगम से है, वहीं वैयक्तिक नैतिकता व्यक्ति की अंतर्रात्मा से निर्देशित होती है। उदाहरण के लिये किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिये बोला गया झूठ वैयक्तिक नैतिकता है तथा किसी वकील द्वारा अपने पक्ष के व्यक्ति को सज़ा से बचाने के लिये बोला गया झूठ, किसी सेल्समैन द्वारा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताना आदि संव्यावसायिक नैतिकता है।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के क्या मायने हैं?

"कमज़ोर कभी माफ नहीं कर सकते; क्षमाशीलता तो ताकतवर का ही सहज गुण है।" (150 शब्द, 10 अंक)
What does following quotation mean?
"The weak can never forgive; forgiveness is the attribute of the strong.'

उत्तर: किसी के व्यक्तित्व/चरित्र का निर्माण उसके गुणों से होता है। जहाँ धैर्य, साहस, क्षमा, प्रेम, त्याग जैसे गुण व्यक्तित्व को मज़बूती देते हैं और व्यक्ति को एक परिपक्व इंसान बनाते हैं, वहीं क्रोध, लालच, रोष, क्रूरता जैसे अवगुण एक कमज़ोर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। भारत की आज़ादी के संघर्ष में महात्मा गांधी ने सभी लोगों को यही संदेश दिया था कि अंग्रेज़ों की क्रूरता का जवाब यदि हम अहिंसा और सत्याग्रह से देते हैं तो यह हमारे अच्छे चरित्र एवं दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचायक है, न कि हम इससे कमज़ोर या कायर साबित होते हैं।

वर्तमान में यदि हम देखें तो प्रतिस्पर्धा और आपाधापी के इस युग में व्यक्ति में धैर्य और सहनशीलता की कमी साफ तौर पर दिखती है। वह अपनी चिड़चिड़ाहट को किसी-न-किसी अधीनस्थ या कमज़ोर पर निकालने के लिये तैयार ही रहता है। ऐसा कर वह स्वयं ही अपने चरित्र की कमज़ोरी को प्रकट कर देता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की गलती को क्षमा कर देता है तो संभावना रहती है कि गलती करने वाला ग्लानिबोध से सुधर जाए, क्योंकि बाह्य सज़ा से ज़्यादा तकलीफदेह अंतर्मन की पीड़ा होती है और निश्चित तौर पर क्षमा करने का गुण उस व्यक्ति के मज़बूत चरित्र को दर्शाता है।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के क्या मायने हैं?

"हम बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं, जो अँधेरे से डरता है; जीवन की वास्तविक विडंबना तो तब है जब मनुष्य प्रकाश से डरने लगते हैं।" (150 शब्द, 10 अंक)
What does following quotation mean?
'We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.

उत्तर: मनुष्य गलतियों का पुतला है। वह कभी अनजाने में तो कभी जान-बूझकर गलतियाँ करता है। अनजाने में की गई गलतियाँ क्षमा के योग्य होती हैं, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब कोई मनुष्य जान-बूझकर गलती करे। उपर्युक्त वाक्य का एक भावार्थ यह निकलता है कि यदि कोई नासमझ या अबोध अज्ञान की ओर खींचा चला जाता है तो उसकी इस भूल को माफ किया जा सकता है, परंतु दुविधा या विडंबना की स्थिति तब बनती है, जब एक परिपक्व व्यक्ति सत्य ज्ञान (Real Knowledge) से दूर भागता है एवं जीवन की मौलिक सत्यता से परिचित होने से डरता है।

वर्तमान युग में चारों ओर यही विडंबना दृष्टिगोचर हो रही है। उदाहरण के तौर पर यह एक तथ्यात्मक सत्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा मानव जीवन के लिये परमावश्यक है। ऐसे में यदि कोई आदिवासी समुदाय इस तथ्य को नज़रअंदाज़ करते हुए झूम खेती जैसी गतिविधियाँ करता है तो उसकी गलती क्षम्य हो सकती है, परंतु जब दुनिया के विकसित देश सब कुछ जानकर और समझकर भी इसके संदर्भ में कोई ज़िम्मेदारी भरा समझौता करने या समाधान निकालने से दूर भागते हैं तब स्थितियाँ पेचीदा और विसंगति युक्त हो जाती हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी आज मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य अर्थात् मानवीय मूल्यों के विकास के स्थान पर भौतिक वस्तुओं की ओर खींचा जा रहा है। वह यह समझना भी नहीं चाह रहा कि वास्तव में जीवन का परम उद्देश्य होना क्या चाहिये।

प्रश्न: विश्वसनीयता और सहनशक्ति के सद्गुण लोक सेवा में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

How do the virtues of trustworthiness and fortitude get manifested in public service? Explain with examples.

उत्तर: लोक सेवा में विश्वसनीयता एवं सहनशक्ति जैसे सद्गुण लोक सेवा के प्रति अवधारणा (perception) के आधार पर देखे या मापे जाते हैं। किसी विभाग द्वारा अपनी सेवाओं में जब पारदर्शिता और ज़िम्मेदारी भरा रवैया अपनाया जाता है तो लोगों के मध्य उस विभाग के प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है। एक लोक सेवक को विभिन्न प्रकृति, आयु वर्ग एवं विचारधाराओं के लोगों से अंतर्क्रिया करनी होती है। उन सभी विभिन्नताओं के साथ सामंजस्य बनाना उस लोक सेवक के धैर्य को प्रदर्शित करता है।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी ज़िले के लोग पुलिस में शिकायतें लेकर नहीं आते हैं, पुलिस को देखकर इधर-उधर चले जाते हैं, अपराध स्थल पर मौजूद होने के बावजूद पुलिस के साथ गवाह बनकर सहयोग नहीं करते तो यह स्थिति साफ दर्शाती है कि वहाँ के पुलिस विभाग ने लोगों के मध्य अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आप एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ अधिकारी हैं और आप उस ज़िले में लोगों का विश्वास जीतने के लिये लगातार अच्छे कार्य करते हैं, परंतु विश्वास न्यूनता के कारण लोगों के रवैये में बदलाव न आने के बावजूद यदि आप अपने प्रयासों में अथक लगे रहते हैं तो यह आपमें सहनशक्ति के सद्गुण की उपस्थिति को दर्शाता है। अत: प्रत्येक लोक सेवक में ऐसे सद्गुणों का होना आवश्यक है।

प्रश्न: "केवल कानून का अनुपालन ही काफी नहीं है, लोक सेवक में अपने कर्त्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिये नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है।" क्या आप सहमत हैं? दो उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिये, जहाँ (i) कृत्य नैतिक रूप से सही है, परंतु वैध रूप से सही नहीं है तथा (ii) कृत्य वैध रूप से सही है, परंतु नैतिकत रूप से सही नहीं है। (150 शब्द, 10 अंक)

"A mere compliance with law is not enough, the public servant also has to have a well developed sensibility to ethical issues for effective discharge of duties." Do you agree? Explain with the help of two examples where (i) an act is ethically right, but not legally and (ii) an act is legally right, but not ethically.

उत्तर: मैं इस कथन से पूर्णत: सहमत हूँ कि एक लोक सेवक में अपने कर्त्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिये केवल कानून का अनुपालन ही नहीं, बल्कि नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी आवश्यक है। यह शक्ति एक लोक सेवक के भीतर परोपकार और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने की भावना का विकास करती है।

उदाहरण

(i) एक चौराहे पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल बहुत तेज़ी से आती कार को रुकवाता है। कार तय सीमा से कहीं अधिक गति से चल रही थी तथा कार चालक अपना लाइसेंस भी घर भूल आया था; परंतु कांस्टेबल देखता है कि कार की पिछली सीट पर ड्राइवर की पत्नी है, उसको दिल का दौरा पड़ा है तथा उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जल्दबाज़ी में ही ड्राइवर ज़्यादा तेज़ी से कार चला रहा था। यदि वह कांस्टेबल ऐसी स्थिति में बिना चालान काटे उसे तुरंत जाने देता है तो उसका कृत्य कानूनन गलत हो सकता है, परंतु नैतिक रूप से सही है।

(ii) किसी व्यस्त सड़क के फुटपाथ पर सब्ज़ियाँ बेचती एक बुढ़िया को बार-बार उस स्थान से भगा देना तथा उसकी सब्ज़ियाँ फेंक देना, ताकि वह दोबारा वहाँ बैठकर आने-जाने के रास्ते को अवरुद्ध न करे, वैध रूप से सही है, किंतु नैतिकता के आधार पर सही नहीं है। एक संवेदनशील लोक सेवक उसकी तकलीफ समझते हुए उसे सब्ज़ियाँ बेचने के लिये अन्यत्र किसी सही जगह पर भेजेगा।

प्रश्न: "सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।" राष्ट्र की समावेशी संवृद्धि के संदर्भ में उपर्युक्त कथन पर उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"Social values are more important than economic values." Discuss the above statement with examples in the context of inclusive growth of a nation.

उत्तर: मूल्यों का संबंध व्यक्ति के अवचेतन में स्थित सिद्धांतों, अनुभवों एवं लक्ष्यों से होता है। एक समाज में होने के कारण व्यक्ति समाज के अनगिनत आयामों के संबंध में कुछ-न-कुछ धारणाएँ अवश्य रखता है। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत राजनीतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य आदि आते हैं।

आर्थिक मूल्यों का संबंध व्यक्ति के जीवन में 'अर्थ' की ज़रूरत एवं उसे अर्जित करने के तरीकों से है। यदि किसी समाज में पैसे को लेकर लोग ज्यादा महत्त्वाकांक्षी होंगे तो संभव है उन्हें इसके बदले कुछ अन्य मूल्यों का त्याग भी करना पड़े। ऐसे समाज में आध्यात्मिक, भाईचारा एवं प्रेम आदि से संबंधित मूल्य कम हो सकते हैं।

राष्ट्र की समावेशी संवृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि उस समाज की बुनियाद आर्थिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो, परंतु इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई सारे मूल्य हैं, जैसे- पारिवारिक मूल्य, कमज़ोर वर्गों की देखभाल, पर्यावरणीय मूल्य आदि, जो राष्ट्र की समावेशी संवृद्धि के लिये उतने ही आवश्यक हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मूल्य आर्थिक मूल्यों से कहीं ज़्यादा महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रश्न: लोक सेवकों की अपने कार्य के प्रति प्रदर्शित दो अलग-अलग प्रकारों की अभिवृत्तियों की पहचान अधिकारीतंत्रीय अभिवृत्ति और लोकतांत्रिक अभिवृत्ति के रूप में की गई है।

इन दो पदों के बीच विभेदन कीजिये और उनके गुणों-अवगुणों को बताइये।

अपने देश का तेज़ी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिये क्या दोनों में संतुलन स्थापित करना संभव है? (250 शब्द, 20 अंक)

Two different kinds of attitudes exhibited by public servants towards their work have been identified as bureaucratic attitude and the democratic attitude.

Distinguish between these two terms and write their merits and demerits.

Is it possible to balance the two to create a better administration for the faster development of our country?

उत्तर: अधिकारीतंत्रीय अभिवृत्ति के मूल में विधि का शासन तथा अन्य नियम-विनियम होता है, जिसे एक सिविल सेवक को सख्ती से पालन करना होता है। इसके अतिरिक्त अपक्षपातीयता, ईमानदारी, तटस्थता, वस्तुनिष्ठता इत्यादि अधिकारीतंत्रीय अभिवृत्ति के मुख्य अवयव होते हैं। इस अभिवृत्ति के लाभ की बात करें तो इससे कानून व्यवस्था बनी रहती है तथा अराजकता की स्थिति नहीं आती। निश्चित पदानुक्रम के कारण निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थित व पारदर्शी ढंग से संपादित होती है। साथ ही निश्चित प्रक्रिया के तहत कार्य अधिक तेज़ी से संपन्न हो जाता है, किंतु एलीट मनोवृत्ति, लालफीताशाही, जनता से अलगाव, निश्चित उत्तरदायित्व का अभाव इत्यादि अधिकारीतंत्रीय अभिवृत्ति के कुछ नकारात्मक पहलू हैं।

जैसा कि पद के नाम से ही स्पष्ट है कि लोक सेवकों में सहभागिता अर्थात् नीति-निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन में जनता की अधिक-से-अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये लोकतांत्रिक अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है। इससे लोक सेवकों में जवाबदेही, करुणा इत्यादि मूल्यों का समावेश होता है। इस अभिवृत्ति का लाभ यह होता है कि शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ जाती है तथा शासक-शासित के बीच का अंतर कम हो जाता है। इससे जनता की आवश्यकता को भी अधिक बेहतर ढंग से समझा जा सकता है तथा क्रियान्वयन पक्ष भी बेहतर हो जाता है। हालाँकि इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि हर मुद्दे पर जनता की राय लेने से विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा परस्पर विरोधी मांगों के समय सिर्फ बहुमत के आधार पर फैसला ले लिया जाता है जो अनुचित है। इसके अतिरिक्त कई बार यह लोकतांत्रिक अभिवृत्ति विधि के शासन के विरोध में भी हो जाती है।

भारत विविधताओं से भरा देश है। एक ओर यह आर्थिक महाशक्ति कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भुखमरी सूचकांक में यह बहुत दयनीय स्थिति में है। ऐसे में बेहतर प्रशासन के लिये न सिर्फ कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार अपेक्षित है, वरन् जन आकांक्षाओं को भी पूरा किया जाना आवश्यक है।

देश के तीव्र विकास के लिये एक ओर जहाँ लोकतांत्रिक मनोवृत्ति को अपनाते हुए जनमानस का मनोबल ऊँचा रखना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक महाशक्ति बनने के लिये पूंजीपतियों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिये कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति भी अनिवार्य है। ऐसे में आधिकारिक अभिवृत्ति भी उतनी ही ज़रूरी है, जितनी लोकतांत्रिक अभिवृत्ति।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत जैसे देश के तीव्र विकास के लिये दोनों प्रकार के प्रशासन का मिला-जुला रूप ही एकमात्र विकल्प है।

प्रश्न: आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता सेलों/आयोगों की स्थापना, आर.टी.आई., सक्रिय मीडिया और विधिक यांत्रिकत्वों के प्रबलन जैसे विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचारपूर्ण कर्म नियंत्रण के अधीन नहीं आ रहे हैं।

इन उपायों की प्रभावशीलता का औचित्य बताते हुए मूल्यांकन कीजिये।

इस खतरे का मुकाबला करने के लिये और अधिक प्रभावी रणनीतियाँ सुझाइये। (250 शब्द, 20 अंक)

Today we find that inspite of various measures like prescribing codes of conduct, setting up vigilance cells/commissions, RTI, active media and strengthening of legal mechanism, corrupt practices are not coming under control.

Evaluate the effectiveness of these measures with justifications.

Suggest more effective strategies to tackle this menace.

उत्तर: संगठित अपराध ही कानूनों की जननी है। कानूनों के नए रूप, जैसे- आचार संहिता का निर्माण, सतर्कता विभाग आदि की स्थापना के पीछे नित नए तरीकों के अपराध एवं भ्रष्टाचार ही कारण रहे हैं। इन कानूनों की प्रभावशीलता दो बातों पर निर्भर करती है-

1. कानून की कठोरता।
2. कानून का पालन सुनिश्चित करना/करवाना।

भारत में कानूनों की कमी नहीं है, किंतु कानूनों का पालन सुनिश्चित करना यहाँ एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, आधारभूत संरचनाओं के अभाव आदि के कारण कानूनों का पालन सुनिश्चित नहीं हो सका है।

वर्तमान युग तकनीक का युग है। कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित उपायों को मूर्त रूप दिया जाना चाहिये-

- कानून बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कानून के कार्यान्वयन के लिये पर्याप्त कर्मचारी हैं या नहीं? आधारभूत संरचना, जिसकी आवश्यकता कानून पालन के लिये होनी चाहिये, उपलब्ध है या नहीं। उदाहरण के लिये R.T.I. बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ई-साक्षरता को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा आदि।
- सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, जहाँ तक संभव हो, नागरिक केंद्रित व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिये।
- सार्वजनिक कार्यालयों में कैमरे के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति दर्ज़ करने वाले यंत्र को स्थापित किया जाना चाहिये।
- ईमानदारी एवं सराहनीय कार्यों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिये, जिससे मूल्यों पर आधारित व्यवस्था का निर्माण हो सके।

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध, अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किये बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इससे राष्ट्रों के बीच द्वंद्व और तनाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे तनावों के समाधान में नैतिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

At the international level, the bilateral relations between most nations are governed on the policy of promoting one's own national interest without any regard for the interest of other nations. This leads to conflicts and tensions between the nations. How can ethical consideration help resolve such tensions? Discuss with specific examples.

उत्तर: किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच तनाव के दो कारण संभव हैं या तनाव के दो प्रकार होते हैं-

प्रथम, दो राष्ट्रों के बीच तनाव का पुराना इतिहास हो। दूसरा, किसी तात्कालिक कारण से दो देशों के संबंधों में तनाव की स्थिति हो। यदि दोनों देशों के बीच तनाव का लंबा इतिहास रहा हो, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, तब नैतिक मूल्यों का ह्रास स्वाभाविक है। ऐसे में नैतिक विचार निम्नलिखित प्रकार से संबंधों को मज़बूती प्रदान कर सकते हैं-

- हर देश में कुछ ऐसे महापुरुष, सामाजिक कार्यकर्त्ता, दार्शनिक, साहित्यकार इत्यादि होते हैं जिनसे वहाँ का समाज अत्यधिक प्रभावित रहता है। यदि दोनों तनावग्रस्त देशों के ऐसे महापुरुषों या अन्य प्रभावशाली लोगों की शिक्षाओं या विचारों को एक मंच दिया जाए तो निश्चित रूप से दोनों विचारों का लक्ष्य एक अहिंसक समाज के निर्माण का ही होगा। अत: अंतर्राष्ट्रीय तनाव एवं युद्ध की दशा में नैतिक विचारों का महत्त्व बढ़ जाता है।
- भारत-पाकिस्तान संबंधों की बात करें तो जहाँ एक तरफ प्यार-मुहब्बत के संदेश से लबरेज़ सूफी संगीत एक-दूसरे को जोड़ता है तो वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार भी दोनों देशों के सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को वैश्विक पहचान देता है। ऐसे में नैतिक विचार स्वयंसिद्ध महत्त्व रखते हैं।

यदि दो राष्ट्रों के बीच तनाव का कारण तात्कालिक है तो ज़्यादा संभावना है किसी राष्ट्र विशेष के हित प्रभावित हुए हों। हाल ही में भारत-नेपाल के बीच हुआ तनाव तात्कालिक कारणों से ही था, जिसमें भारतीय मूल के लोगों के संवैधानिक अधिकारों का न्यायसंगत न होना प्रमुख मुद्दा था। किसी भी देश के संविधान का आधार देश की प्रगति एवं खुशहाली पर केंद्रित वहाँ का दर्शन होता है। नेपाल के संविधान में यदि किसी भी प्रकार की उपेक्षा की गई है तो यह उस दर्शन के खिलाफ है, जिसमें उस देश का खुशहाल भविष्य छुपा हुआ है। नैतिक विचार हमेशा इस बात के लिये प्रेरित करेंगे कि एक समाज में प्रत्येक व्यक्ति का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हो।

अत: कह सकते हैं कि नैतिक विचारों की शक्ति किसी भी द्विपक्षीय संबंध की कटुता को न सिर्फ कम करने में सक्षम है, अपितु उन दोनों देशों को एक साथ मिलाकर एक खुशहाल समाज का निर्माण करने में भी सक्षम है।

प्रश्न: लोक सेवकों के समक्ष 'हित संघर्ष (कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट)' के मुद्दों का आ जाना संभव होता है। आप 'हित संघर्ष' पद से क्या समझते हैं और यह लोक सेवकों के द्वारा निर्णयन में किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? यदि आपके सामने हित संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाए तो आप उसका हल किस प्रकार निकालेंगे? उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Public servants are likely to confront with the issues of 'Conflict of Interest'. What do you understand by the term 'Conflict of Interest' and how does it manifest in the decision making by public servants? If faced with the conflict of interest situation how would you resolve it? Explain with the help of examples.

उत्तर: 'हित संघर्ष' पद से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है, जब एक लोक सेवक के पास आधिकारिक क्षमता हो किंतु वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये उसे इस्तेमाल कर सकने की स्थिति में न हो।

उदाहरण के तौर पर लोक सेवा आयोग के सदस्य/अध्यक्ष का ऐसे साक्षात्कार पैनल में बैठना, जिसमें साक्षात्कार देने वाला एक अभ्यर्थी उसका अपना पुत्र या रिश्तेदार हो तो ऐसी स्थिति 'हित संघर्ष' की स्थिति होती है।

यदि मेरे सामने ऐसी स्थिति आए तो मेरा पहला निर्णय स्वयं को उस साक्षात्कार पैनल से अलग कर लेना होगा। मैं अन्य सदस्यों से भी

स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि उस अभ्यर्थी का मूल्यांकन उसकी योग्यता और अन्य वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही होना चाहिये, न कि उसकी मेरे साथ निकटता या संबद्धता से।

'हित संघर्ष' का एक अन्य उदाहरण यह हो सकता है कि एक लोक सेवक किसी प्रोजेक्ट के लिये निविदाएँ जारी करे और आवेदन करने वालों में उसका भाई भी हो। यदि मैं ऐसी स्थिति में होता तो आवेदनों की जाँच करने वाली कमेटी को स्पष्ट निर्देश देता कि निविदा की शर्तों के आधार पर ही वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष तरीके से योग्य आवेदक को निविदा मिले तथा मैं स्वयं को उस कमेटी से अलग कर लेता। यदि संभव होता तो मैं यह भी कोशिश करता कि कमेटी को पता ही न चले कि एक आवेदन मेरे भाई का भी है।

'हित संघर्ष' की स्थिति का हल निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-

- सर्वप्रथम सभी हितों को एक पेपर पर लिख लेना चाहिये।
- जहाँ मेरी आधिकारिक क्षमता किसी हित को प्रभावित कर रही है, वहाँ मैं स्वयं निर्णय न लूँ तथा अपने वरिष्ठों को वस्तुस्थिति से अवगत कराऊँ।
- यदि निर्णय मुझे लेना भी पड़े तो मैं निष्पक्षता, ईमानदारी और वस्तुनिष्ठता के आधार पर निर्णय लूँ।

2014

प्रश्न: सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। क्या आप सहमत हैं? आपके लिये सुख का क्या अर्थ है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

All human beings aspire for happiness. Do you agree? What does happiness mean to you? Explain with examples.

उत्तर: मैं बेंथम और मिल जैसे विचारकों की इस धारणा से सहमत हूँ कि सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं; हालाँकि यह अवश्य है कि सभी के लिये सुख का अर्थ और उसका परिधि-विस्तार भिन्न-भिन्न हो सकता है। किसी को दूसरों को पीड़ित करने में सुख मिल सकता है तो किसी को दूसरों के लिये त्याग करने में; किसी को मदिरापान करने में तो किसी को शास्त्रीय संगीत सुनने में।

अगर कोई व्यक्ति सुखों के त्याग को ही अपना उद्देश्य बना ले तो भी मैं जे.एस. मिल की तरह यही मानूँगा कि उसने बस सुख की परिभाषा बदल ली है। अब उसे त्याग से मिलने वाली संतुष्टि और प्रतिष्ठा में सुख मिलने लगा है।

मेरे लिये 'सुख' बहुस्तरीय अर्थ रखता है, जैसे-

- निम्नवर्ती स्तर पर: स्वादिष्ट भोजन, गहरी नींद जैसे दैहिक सुख;
- मध्यवर्ती स्तर पर: सफलता, प्रेम, प्रतिष्ठा जैसे सुख;
- सर्वोच्च स्तर पर: समाज सेवा, परोपकार का सुख।

मैं प्रयास करता हूँ कि निम्नवर्ती सुखों की आकांक्षा कम होती जाए और उच्चस्तरीय सुखों की आकांक्षा बढ़ती जाए।

प्रश्न: मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है? लोक-प्रशासन में यह और भी अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों है? (150 शब्द, 10 अंक)

What does ethics seek to promote in human life? Why is it all the more important in public administration?

उत्तर: नैतिकता मानव जीवन को संभव बनाने की पूर्व-शर्त है, जिसके अभाव में हमारी स्थिति वन्य जीव के समकक्ष हो सकती है।

नैतिकता मानव जीवन में निम्नलिखित तत्त्वों की प्रोन्नति करती है-

- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे आधारभूत मूल्यों की, ताकि समाज में अराजकता न फैले और समाजार्थिक विकास हो सके।
- सामान्य शिष्टाचार के नियमों (जैसे-अभिवादन शैली) और सामाजिक मर्यादाओं की, ताकि स्वस्थ सामाजिक माहौल बन सके।
- परोपकार, त्याग, समन्वय जैसी क्षमताओं की, ताकि व्यक्ति सिर्फ स्वकेंद्रित होने के बजाय सामाजिक कल्याण में भी सक्रिय रहे।
- सत्य, न्याय, समानता जैसे उच्चतर आदर्शों की, ताकि मानव समाज को निरंतर सही दिशा मिलती रहे।

लोक प्रशासन में नैतिकता अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधनों के लोकहित में प्रयोग की शक्ति उसी के पास है। वंचित वर्गों को न्याय और मुख्य धारा से जोड़ने का एकमात्र माध्यम भी वही है। अगर लोक प्रशासक ही भ्रष्ट हो जाएंगे तो सामाजिक न्याय और समरसता की संभावनाएँ नष्ट हो जाएंगी और वंचित समुदायों का संविधान तथा राजव्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।

प्रश्न: रक्षा सेवाओं के संदर्भ में, 'देशभक्ति' राष्ट्र की रक्षा करने में अपना जीवन उत्सर्ग करने तक की तत्परता की अपेक्षा करती है। आपके अनुसार, दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या तात्पर्य है? उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसको स्पष्ट कीजिये और अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

In the context of defence services, 'patriotism' demands readiness to even lay down one's life in protecting the nation. According to you, what does patriotism imply in everyday civil life? Explain with illustrations and justify your answer.

उत्तर: दैनिक असैनिक जीवन में देशभक्ति के विविध रूप और तर्क निम्नलिखित हैं-

- संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों (जैसे- राष्ट्रगान व तिरंगे) का सम्मान करना तथा देश की उपलब्धियों (जैसे-मंगलयान मिशन आदि) पर गौरव-बोध महसूस करना, क्योंकि इससे देशवासियों में भावनात्मक निकटता बढ़ती है।
- विदेशी पर्यटकों के सामने देश के सम्मान (जैसे-उनकी सुरक्षा आदि) का ध्यान रखना ताकि दुनिया में हमारे देश का आदर बढ़े और हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धारणा को चरितार्थ करें।
- राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग न करना, ताकि वर्तमान व भविष्य में सबको समुचित स्थितियाँ मिल सकें।

- मूल कर्त्तव्यों, जैसे- अपनी गौरवशाली संस्कृति की रक्षा, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास और पर्यावरण सजगता आदि का निष्ठापूर्वक पालन करना, क्योंकि इन्हीं रास्तों पर चलकर हम विकसित राष्ट्र बन सकते हैं।
- वंचित समुदायों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो देश भीतर से विभाजित और कमज़ोर रहेगा।

प्रश्न: लोक-जीवन में 'सत्यनिष्ठा' से क्या अर्थ ग्रहण करते हैं? आधुनिक काल में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाइयाँ हैं? इन कठिनाइयों पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by 'probity' in public life? What are the difficulties in practicing it in the present times? How can these difficulties be overcome?

उत्तर: लोक-जीवन में 'सत्यनिष्ठा' (Probity) का अर्थ है- अपने कथनों और कृत्यों में ईमानदारी और सुसंगति बनाए रखना। इसके विभिन्न उदाहरण संभव हैं, जैसे-

- झूठे दावे या वायदे न करना, छल-कपट न करना,
- अपनी प्रतिबद्धताओं का निर्वाह करना,

वर्तमान में सत्यनिष्ठा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आजकल व्यक्ति की प्रतिष्ठा का मुख्य आधार धन हो गया है, चाहे वह किसी भी तरह से अर्जित किया गया हो। इससे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार और छल-कपट करने का दबाव बनता है। ईमानदार व्यक्ति को 'सनकी' और 'अव्यावहारिक' कहकर उसे बेईमान होने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा मीडिया, बाज़ार और विज्ञापन हमारे सामने असंख्य इच्छाएँ व लालच परोसते हैं, जिनसे व्यक्ति सत्यनिष्ठा से विचलित होता है।

इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिये चरित्र को मज़बूत बनाना ही एकमात्र रास्ता है। इसके लिये निम्नलिखित उपाय हैं-

- व्यक्ति अपने समक्ष अपने जीवन-लक्ष्य स्पष्ट कर ले और उन्हें निरंतर दोहराता रहे।
- मित्रों और जीवनसाथी के रूप में समान मूल्यों वाले व्यक्तियों को ही चुने।
- स्वयं तथा परिवारजनों को अनावश्यक सुख-सुविधाओं का आदी न बनने दे।
- अपने हर नैतिक विचलन पर आत्मालोचना व आत्मशोधन करे।

प्रश्न: "मनुष्यों के साथ सदैव उनको, अपने-आप में 'लक्ष्य' मानकर व्यवहार करना चाहिये, कभी भी उनको केवल 'साधन' नहीं मानना चाहिये।" आधुनिक तकनीकी-आर्थिक समाज में इस कथन के निहितार्थों का उल्लेख करते हुए इसका अर्थ और महत्त्व स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"Human beings should always be treated as 'ends' in themselves and never as merely `means'." Explain the meaning and significance of this statement, giving its implications in the modern techno-economic society.

उत्तर: 18वीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट का यह विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है- "सभी मनुष्य 'साध्य' हैं, 'साधन' नहीं।" इसका सरल अर्थ है कि हमें अपने फायदे के लिये किसी व्यक्ति का इस्तेमाल या शोषण नहीं करना चाहिये; किसी व्यक्ति पर अपने निर्णय थोपने के बजाय उसे स्वयं अपने फैसले करने का अवसर देना चाहिये।

आज के तकनीकी-आर्थिक समाज में इस कथन के कुछ निहितार्थ निम्नलिखित हैं-

- डॉक्टरों को चाहिये कि वे बिना पूर्वानुमति के मरीज़ों पर चिकित्सकीय परीक्षण न करें।
- मीडियाकर्मियों को चाहिये कि वे गैर-ज़रूरी मामलों में मीडिया ट्रायल और स्टिंग ऑपरेशन के बहाने किसी की निजता का हनन न करें।
- नियोक्ताओं को चाहिये कि वे अपने कर्मचारियों को अच्छी कार्यदशाएँ, वेतन-सुविधाएँ व सम्मान दें; उन्हें मशीन न समझें।

इस विचार का महत्त्व यह है कि अगर सभी लोग एक-दूसरे की मानवीय गरिमा का सम्मान करें तो सामाजिक समरसता और न्याय सुनिश्चित होते हैं, जो आदर्श लोकतंत्र के आधारभूत तत्त्व हैं।

2013

प्रश्न: 'मूल्यों' व 'नैतिकताओं' से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by 'values' and 'ethics'? In what way is it important to be ethical along with being professionally competent?

उत्तर: 'मूल्यों' व 'नैतिकताओं' को अक्सर एक-दूसरे का पर्याय समझा जाता है, जबकि दोनों में काफी अंतर है। मूल्य वे कसौटियाँ हैं, जिनके आधार पर किसी भी व्यवहार, नियम अथवा कार्यों के सही या गलत होने का फैसला किया जा सके। चूँकि कसौटियों का निर्धारण अलग-अलग समाज अपनी-अपनी ज़रूरतों व परिस्थितियों के अनुसार करता है, इसलिये मूल्यों की प्रकृति सामान्यत: समाज सापेक्ष होती है। यद्यपि कुछ ऐसे भी मूल्य हैं, जो सर्वव्यापक व शाश्वत होते हैं जैसे सत्यनिष्ठा, समयबद्धता, ईमानदारी इत्यादि।

दूसरी ओर, नैतिकता समाज द्वारा स्वीकृत वे सिद्धांत हैं, जो यह बताते हैं कि उस समाज में क्या अच्छा और क्या बुरा है। इस हिसाब से नैतिकता मानव समाज में विद्यमान विभिन्न मूल्यों की अभिव्यक्ति बन जाती है। नैतिक सिद्धांत ज़रूरतों के अनुसार बदलते रहते हैं, जबकि मूल्यों में परिवर्तन इतनी जल्दी संभव नहीं होता।

इसलिये कहा जा सकता है कि नैतिक सिद्धांत समाज द्वारा बनाए गए उन परंपराओं का समुच्चय है, जो मानव जीवन को संभव बनाने की पूर्व शर्त है। किसी भी व्यवसाय की सफलता में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वह है- लोगों का विश्वास। कोई भी व्यवसायी बिना लोगों का भरोसा जीते अपने उत्पादों या सेवाओं की व्यापक पहुँच नहीं बना सकता।

यह हो सकता है कि शुरुआत में अनैतिक साधनों के माध्यम से तीव्र प्रगति होती दिखे, किंतु यह धारणीय साबित नहीं होगी। फिर व्यावसायिक रूप से कोई व्यक्ति कितना भी दक्ष क्यों न हो, किंतु अगर वह भ्रष्ट और लालची है तो समाज के लिये अभिशाप ही साबित होगा। उदाहरण के लिये- एक कुशल इंजीनियर यदि रिश्वत लेकर किसी पुल का निर्माण करवाता है तो वह कहीं-न-कहीं पुल की गुणवत्ता से समझौता करेगा ही, जो भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है।

प्रश्न: जीवन में नैतिक आचरण के संदर्भ में आपको किस विख्यात व्यक्तित्व ने सर्वाधिक प्रेरणा दी है? उसकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कीजिये। विशिष्ट उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिये कि आप अपने नैतिक विकास के लिये उन शिक्षाओं को किस प्रकार लागू कर पाए हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Which eminent personality has inspired you the most in the context of ethical conduct in life? Give the gist of his/her teachings. Giving specific examples, describe how you have been able to apply these teachings for your own ethical development.

उत्तर: मुझे नैतिक आचरण के संबंध में सर्वाधिक प्रेरणा महात्मा गांधी से मिली है।

गांधीजी की शिक्षाओं का निम्नलिखित सार है-

- किसी के प्रति अनावश्यक हिंसा नहीं करनी चाहिये।
- प्रकृति से उतना ही लेना चाहिये, जितना ज़रूरी हो। विलास के लिये प्रकृति का दोहन अनुपयुक्त है।
- दूसरी संस्कृतियों को जानना-समझना वांछनीय है, पर अपनी जड़ों को थामकर रखना भी ज़रूरी है।
- मन में सर्वधर्मसमभाव अर्थात् सभी धर्मों के प्रति समान आदर का भाव रखना चाहिये।

मैंने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को कई स्तरों पर लागू किया है, जैसे-

- मैं किसी भी प्राणी के प्रति अनावश्यक हिंसा नहीं करता हूँ।
- मैं डीज़ल वाहनों तथा पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करता हूँ, ताकि प्रकृति को नुकसान न पहुँचे।
- मैं हिंदू हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे मित्रों में मुसलमान, ईसाई व अन्य धर्मावलंबी भी शामिल हों।
- मैं उत्तर भारत का निवासी हूँ पर कोशिश करता हूँ कि उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण भारत के लोगों के प्रति भी निकटता का भाव रखूँ। यदि भविष्य में मौका मिलेगा तो अन्य देशों के नागरिकों के प्रति भी ऐसी ही सहजता रखूँगा।

प्रश्न: लोक-सेवकों पर भारी नैतिक उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि वे सत्ता के पदों पर आसीन होते हैं, लोक-निधियों की विशाल राशियों पर कार्रवाई करते हैं और उनके निर्णयों का समाज और पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे उत्तरदायित्व को निभाने के लिये, अपनी नैतिक सक्षमता पुष्ट करने हेतु आपने क्या कदम उठाए हैं (150 शब्द, 10 अंक)

There is a heavy ethical responsibility on the public servants because they occupy positions of power, handle huge amounts of public funds and their decisions have wide-ranging impact on society and environment. What steps have you taken to improve your ethical competence to handle such responsibility?

उत्तर: लोक सेवकों के लिये अपेक्षित नैतिक सक्षमता विकसित करने के लिये मैंने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- अपने परिवार तथा मित्रों को बताया है कि मेरे लोक सेवक बनने के बाद मुझसे कोई अनैतिक अपेक्षा न रखें।
- समाज के वंचित वर्गों, विशेषत: गरीबों, विकलांगों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों के जीवन को नज़दीक से देखा है तथा उनके साथ काफी संवाद किया है। मुझे विश्वास है कि अगर कभी मुझ पर लालच या निष्क्रियता हावी होगी तो उन्हें याद करके मुझे अपने दायित्वों का पुन: बोध हो जाएगा।
- महान समाज सुधारकों, संतों तथा क्रांतिकारियों की आत्मकथाएँ व जीवनियाँ नियमित तौर पर पढ़ता हूँ, क्योंकि उन्हें पढ़कर यह सीख मिलती है कि कठिन-से-कठिन लालच या भय का सामना किस प्रकार किया जा सकता है।
- कोशिश करता हूँ कि कम-से-कम साधनों तथा कठिन-से-कठिन स्थितियों में जीने की आदत बनाए रखूँ।

प्रश्न: वर्तमान समाज व्यापक विश्वास-न्यूनता से ग्रसित है। इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या परिणाम हैं? आप अपने को विश्वसनीय बनाने के लिये व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

The current society is plagued with widespread trust-deficit. What are the consequences of this situation for personal well-being and for societal well-being? What can you do at the personal level to make yourself trustworthy?

उत्तर: विश्वास-न्यूनता का अर्थ है कि लोगों को एक-दूसरे पर तथा सामाजिक-राजनीतिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा है।

इस स्थिति का नुकसान व्यक्ति को भी होता है और समाज को भी। जब व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं कर पाता तो अकेलेपन का शिकार होता है, उसका सामाजिक व भावनात्मक जीवन असफल होता है, वह दूसरों के साथ परस्पर निर्भरता से वंचित रहता है और संकट के समय तुरंत अवसाद से घिर जाता है।

विश्वास-न्यूनता का नुकसान सामाजिक कल्याण पर भी पड़ता है, क्योंकि ऐसे समाज में आस-पड़ोस के व अन्य सामाजिक संबंध कमज़ोर हो जाते हैं। परस्पर अविश्वास से भरे माहौल में अपराध व अनैतिक आचरण बढ़ जाते हैं। उन्हें नियंत्रित करने के लिये सामाजिक दबाव नहीं रहता।

मैंने स्वयं को विश्वसनीय बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- अगर किसी को कोई वायदा किया है तो कठिनतम स्थितियों में भी उसे निभाता हूँ।
- यदि कोई संकट में है और मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ तो भी ऐसा न कर मैं उसकी मदद करता हूँ, ताकि तात्कालिक लाभ की जगह उसका दीर्घकालिक विश्वास जीत सकूँ।
- यदि किसी ने मुझे कोई व्यक्तिगत व गोपनीय जानकारी दी है तो किसी भी स्थिति में उसे किसी अन्य के सामने व्यक्त नहीं करता।

प्रश्न: अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, जहाँ संपन्न एवं शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं? उदाहरणों के द्वारा अपने उत्तर को सम्पुष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

It is often said that poverty leads to corruption. However, there is no dearth of instances where affluent and powerful people indulge in corruption in a big way. What are the basic causes of corruption among people? Support your answer with examples.

उत्तर: गरीबी भ्रष्टाचार के कारणों में से एक हो सकती है, किंतु गरीबी और भ्रष्टाचार में अनिवार्य संबंध नहीं है। न तो यह कहना सही है कि गरीब व्यक्ति भ्रष्ट ही होगा और न ही यह कहना ठीक है कि अमीर व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होगा।

भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण निम्नलिखित हैं-

- वर्तमान समाज में धन का महत्त्व बहुत अधिक हो गया है। आज व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तय करती है। उदाहरणार्थ- कई लोग हर्षद मेहता की तरह अमीर बनना चाहते हैं, चाहे रास्ता कुछ भी हो।
- समाज में भ्रष्टाचार को नैतिक स्वीकृति मिल चुकी है। समाज भ्रष्ट व्यक्ति पर ईमानदार होने का दबाव नहीं बनाता, बल्कि ईमानदार व्यक्ति को पागल आदि कहकर भ्रष्ट होने की प्रेरणा देता है। प्रमाण यह है कि वैवाहिक रिश्तों के लिये सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, किंतु उन्हें नहीं जो ईमानदार हैं।
- कानूनों तथा उन्हें लागू करने की प्रक्रिया का कमज़ोर होना भी एक बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार के मुकदमे 15–20 साल चलते हैं और तब भी प्रायः आरोप साबित नहीं होते।

प्रश्न: सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति (एटिट्यूड) के निर्माण में कौन-से कारक प्रभाव डालते हैं? हमारे समाज में अनेक सामाजिक समस्याओं के प्रति विषम अभिवृत्तियाँ व्याप्त हैं। हमारे समाज में जाति प्रथा के बारे में क्या-क्या विषम अभिवृत्तियाँ आपको दिखाई देती हैं? इन विषम अभिवृत्तियों को आप किस प्रकार स्पष्ट करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What factors affect the formation of a person's attitude towards social problems? In our society, contrasting attitudes are prevalent about many social problems. What contrasting attitudes do you notice about the caste system in our society? How do you explain the existence of these contrasting attitudes?

उत्तर: सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति (एटिट्यूड) बनाने में निम्नलिखित कारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है-

- उसके परिवार के सामाजिक मूल्य रूढ़िवादी थे या प्रगतिशील?
- उसे तार्किक-वैज्ञानिक शिक्षा मिली या नहीं?
- उसे भिन्न-भिन्न सामाजिक समूहों से संवाद या अंतर्क्रिया करने के पर्याप्त अवसर मिले या नहीं?

हमारे समाज में जाति-प्रथा को लेकर निम्नलिखित तीन विषम/विरोधी अभिवृत्तियाँ दिखती हैं-

1. कुछ लोग इसे पूर्णतः तार्किक व दैवी व्यवस्था मानते हैं।
2. कुछ लोग इसे सिर्फ शोषणकारी तथा अमानवीय व्यवस्था के रूप में देखते हैं।
3. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनकी राय में यह व्यवस्था अपने मूल रूप में (वर्ण व्यवस्था के रूप में) तार्किक थी पर जन्म पर आधारित होने के उपरांत जड़ व अमानवीय हो गई।

इन विषम अभिवृत्तियों के सह-अस्तित्व की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है-

- अधिकांश व्यक्ति आजीवन उन्हीं मूल्यों को मानते रहते हैं जो उन्हें बचपन में परिवार से मिले थे, क्योंकि विरोधी समूहों के साथ उनका इतना संवाद कभी नहीं होता कि उनकी अभिवृत्ति बदल सके। इसीलिये प्रायः जाति प्रथा का समर्थन अगड़ी जातियों के सदस्य करते हैं और विरोध दलित या पिछड़ी जातियों के सदस्य।
- चूँकि जाति एक वोट बैंक और दबाव समूह भी है, अतः जातिवाद पर आधारित फायदे भी अभिवृत्ति परिवर्तन को बाधित करते हैं।

प्रश्न: लोक सेवा के संदर्भ में 'जवाबदेही' का क्या अर्थ है? लोक सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What does 'accountability' mean in the context of public service? What measures can be adopted to ensure individual and collective accountability of public servants?

उत्तर: जवाबदेही का अर्थ है- किसी कार्य से जुड़ी संभावित विफलता या प्रक्रियागत भूलों के लिये किसी व्यक्ति विशेष की ज़िम्मेदारी का निर्धारित होना। ऐसे स्पष्ट निर्धारण से किसी भी कार्य या परियोजना की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

लोक सेवा के संदर्भ में भी इसका यही अर्थ है अर्थात् यह निर्धारित करना कि किसी कार्य या परियोजना के संदर्भ में अंतिम ज़िम्मेदारी किस अधिकारी की होगी तथा किसके प्रति होगी? अगर कार्य विफल हुआ तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकेंगे और उन्हें उठाए जाने की क्या प्रक्रिया होगी? लोक सेवा के मामले में जवाबदेही अधिक

महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जनता का धन और सुविधाएँ दाँव पर होती हैं और लोकतंत्र में संपूर्ण प्रशासन की अंतिम जवाबदेही जनता के प्रति ही बनती है।

लोक सेवकों की व्यक्तिगत और सामूहिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के निम्नलिखित उपाय हैं-

- सुनिश्चित सोपानक्रम होना चाहिये, जिसमें सभी पदों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व स्पष्टत: परिभाषित हों।
- किसी कार्य या परियोजना के संदर्भ में सभी अधिकारियों में स्पष्ट कार्य-विभाजन हो। संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये।
- ज़िम्मेदारी को निभाने की प्रतिबद्धता और निष्पादन के आधार पर समुचित पुरस्कारों तथा दंडों की वस्तुनिष्ठ व्यवस्था हो।
- प्रशासन को कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों की संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिये, ताकि वे निर्भयतापूर्वक लोकहित में निर्णय कर सकें।

प्रश्न: हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

We are witnessing increasing instances of sexual violence against women in the country. Despite existing legal provisions against it, the number of such incidences is on the rise. Suggest some innovative measures to tackle this menace.

उत्तर: महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के कुछ नवाचारी उपाय निम्नलिखित हैं-

- विद्यालय स्तर पर लड़कियों को अनिवार्यत: ऐसा शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाए, जो आत्मरक्षा के लिये पर्याप्त हो।
- विद्यालयों में स्वस्थ यौन शिक्षा दी जाए, जो किशोरों को यौन-जीवन के प्रति क्रूर और कल्पनाजीवी नहीं, बल्कि संवेदनशील बनाए। विशेषत: लड़कियों को ऐसे यौन-संकेतों आदि से अवगत कराया जाना चाहिये, जिन्हें देखकर वे सही समय पर सजग हो सकें।
- मीडिया के माध्यम से बच्चों के माता-पिता को भी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने बच्चों के स्वस्थ मानसिक व संवेदनात्मक विकास में सहायक हो सकें।
- जो महिलाएँ उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, उन्हें समाज व प्रशासन द्वारा यंत्रणा नहीं, सम्मान मिलना चाहिये ताकि महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हो सके।
- यौन उत्पीड़कों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिये। इसके लिये सोशल मीडिया का सार्थक उपयोग किया जा सकता है। स्वयं महिलाएँ फेसबुक/ट्विटर आदि के माध्यम से दबाव बना सकती हैं।

प्रश्न: लोक सेवा के संदर्भ में निम्न शब्दों से आप क्या समझते हैं (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by the following terms in the context of public service?

(i) सत्यनिष्ठा (Integrity)

(ii) अध्यवसाय (Perseverance)

(iii) सेवा-भाव (Spirit of Service)

(iv) प्रतिबद्धता (Commitment)

उत्तर: **(i)** सत्यनिष्ठा (Integrity): लोक जीवन में सत्यनिष्ठा का अर्थ है- अपने कथनों और कृत्यों में ईमानदारी और सुसंगति बनाए रखना अर्थात् किसी व्यक्ति के न केवल नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के बीच सुसंगति होनी चाहिये, बल्कि उसके नैतिक सिद्धांतों और व्यवहारों के बीच भी सुसंबद्धता होनी चाहिये। उदाहरण के लिये- यदि किसी लोक सेवक से विभागीय तौर पर कोई ऐसी गलती हो जाए जिसे वह अपने से उच्च अधिकारी से छिपा सकता हो, पर वह ऐसा न करके संबद्ध अधिकारी को सब कुछ बता देता है और गलती हेतु माफी भी मांगता है, तो यह उसकी सत्यनिष्ठा है।

(ii) अध्यवसाय (Perseverance): अध्यवसाय का अर्थ है, निरंतर उद्यमशील बने रहना अर्थात् किसी दूरगामी तथा कठिन उद्देश्य की प्राप्ति होने तक धैर्य तथा आंतरिक प्रेरणा बनाए रखना। बीच-बीच में आने वाली चुनौतियों व बाधाओं से सकारात्मक तथा आशावादी मानसिकता के साथ निपटना। किसी व्यक्ति में विद्यमान अध्यवसाय का गुण अर्थात् कार्य में अनवरत लगा रहना उसकी सफलता सुनिश्चित करने में निर्णायक साबित होता है। एक लोक सेवक हेतु अध्यवसायी होना आवश्यक है क्योंकि इससे वह औरों के लिये प्रेरणास्रोत भी बनेगा और विभाग को लाभ भी पहुँचाएगा।

(iii) सेवा-भाव (Spirit of Service): सेवा-भाव एक मन:स्थिति है, जिसमें कार्य किसी लाभ या स्वार्थ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि इस भावना के साथ किया जाता है कि ऐसा करना मेरा नैतिक उत्तरदायित्व है। लोक सेवा में इसका अर्थ यह है कि वेतन, सम्मान और सुविधाओं पर विशेष ध्यान न देकर सामाजिक कल्याण को साधने पर अपनी ऊर्जा लगाना। समाज के प्रति अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करना भी सेवा-भाव का ही विशेष लक्षण है।

(iv) प्रतिबद्धता (Commitment): प्रतिबद्धता एक आंतरिक गुण है, जो व्यक्ति, विचारधारा या मूल्यों के प्रति हो सकती है। प्रतिबद्धता में संज्ञानात्मक व भावनात्मक पक्ष के साथ-साथ प्राय: व्यवहारात्मक पक्ष भी होता है। लोक सेवा के संबंध में प्रतिबद्धता संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बनी संस्थाओं, नियमों, कानूनों और नीतियों आदि के प्रति होनी चाहिये।

प्रश्न: दो ऐसे गुण बताइये जिन्हें आप लोक सेवा के लिये महत्त्वपूर्ण समझते हैं। अपने उत्तर का औचित्य समझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

Indicate two attributes which you consider important for public service. Justify your answer.

उत्तर: लोक सेवकों पर विशाल जननिधियों को खर्च करने का उत्तरदायित्व तो होता ही है, साथ ही सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन

करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने की अपेक्षाएँ भी होती हैं। इसलिये लोक सेवा के लिये कुछ बुनियादी मूल्यों का होना आवश्यक समझा गया है। मेरे अनुसार लोक सेवा के लिये गुणों में सहिष्णुता और करुणा (Compassion) होना महत्त्वपूर्ण है।

सहिष्णुता: सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ होता है- सहन करना। इस दृष्टि से सहिष्णुता का अर्थ है, जिन व्यक्तियों या समूहों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से व्यक्ति भिन्नता या विरोध रखता है, उनके प्रति भी एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचना। लोक सेवा के संबंध में यह इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि लोक सेवक किसी विशेष धर्म या जाति का सदस्य होने से पहले सरकार का प्रतिनिधि होता है और इस नाते उसे विभिन्न वर्गों और समूहों की मांगों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। उसके अधिक आक्रामक हो जाने से सरकार पर लोगों का भरोसा घट सकता है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देशों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये तो सहिष्णुता अपरिहार्य है।

करुणा: करुणा का अर्थ कमज़ोर वर्गों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से है, जो उनकी उस कमज़ोर स्थिति को समझने तथा उनके प्रति समानुभूतिक चिंता रखने से उत्पन्न होती है। कमज़ोर वर्गों के प्रति करुणा की यह ज़रूरत इसलिये है, क्योंकि ये वर्ग विकास की प्रक्रिया में इतने पिछड़ चुके हैं कि इन्हें साधारण उपायों से मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता। अगर लोक सेवकों में इनके प्रति करुणा का भाव होगा तो वे उनकी दशा सुधारने के लिये भीतर से प्रतिबद्ध होंगे। समावेशी संवृद्धि को साधने के लिये भी यह आवश्यक है।

प्रश्न: कुछ लोगों का मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य सर्वव्यापक व शाश्वत हैं। इस संबंध में आप अपनी धारणा तर्क देकर बताइये। (150 शब्द, 10 अंक)

Some people feel that values keep changing with time and situation, while others strongly believe that there are certain universal and eternal human values. Give your perception in this regard with due justification.

उत्तर: मूल्यों को प्राय: उन कसौटियों के रूप में देखा जाता है, जिनके आधार पर कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय किसी नियम, व्यवहार या कार्यों को सही या गलत ठहराता है। प्राय: सभी समाजों में उन्हीं मूल्यों को अपनाया जाता है, जो उनकी ज़रूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप हों। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मूल्य समय व समाज सापेक्ष होता है। उदाहरण के लिये- किसी कृषि प्रधान समाज के लिये शाकाहार का मूल्य उत्तम माना जा सकता है, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों में यही मूल्य अर्थहीन हो जाता है। इसी तरह ठंडे प्रदेशों में मद्यपान करना जहाँ सामान्य बात है, वहीं भारत जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में इसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। अगर यही भौगोलिक स्थिति पलट दी जाए तो मूल्यों का यह क्रम भी बदल जाएगा।

इसके विपरीत एक अन्य मत भी है, जो यह मानता है कि कुछ मानवीय मूल्यों की प्रकृति देश, काल और परिस्थितियों से परे होती है। इसके पीछे यह तर्क काम करता है कि सभी मानव समाजों ने अपने ऐतिहासिक विकासक्रम में कुछ मूल्यों का विकास किया तो कुछ मूल्यों को त्याग दिया। इसी क्रम में कुछ ऐसे मूल्य भी विकसित हो गए, जिसे कमोबेश सभी समाजों ने अपनी सामाजिक स्थायित्व व नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये आवश्यक माना। उदाहरण के लिये- सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, बड़ों का सम्मान आदि वे मूल्य हैं, जिन्हें आधुनिक सभी समाजों में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है।

उपर्युक्त दोनों विचारों और उनके पक्ष में दिये गए तर्कों के आधार पर मेरी धारणा यही है कि कुछ मूल्यों की प्रकृति सर्वव्यापी तथा शाश्वत होती है, किंतु अधिकांश मूल्य समय व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं।

प्रश्न: 'भावनात्मक प्रज्ञता' क्या होती है और यह लोगों में किस प्रकार विकसित की जा सकती है? किसी व्यक्ति विशेष को नैतिक निर्णय लेने में यह कैसे सहायक होती है?

(150 शब्द, 10 अंक)

What is 'emotional intelligence' and how can it be developed in people? How does it help an individual in taking ethical decisions?

उत्तर: 'भावनात्मक प्रज्ञता' एक क्षमता है, जो व्यक्ति को न केवल अपनी भावनाओं को समझकर उनका प्रबंधन करने के योग्य बनाती है, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी समझकर उनके प्रबंधन में समर्थ बनाती है। भावनात्मक प्रज्ञता से युक्त व्यक्ति परिस्थितियों का विश्लेषण काफी बेहतर और कुशल ढंग से कर सकता है।

'भावनात्मक प्रज्ञता' को बौद्धिक क्षमता की तरह औपचारिक तरीके से नहीं सिखाया जा सकता। इसके लिये आवश्यक है कि एक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रहने और उसमें निर्णय लेने के लिये अभ्यस्त किया जाए। उसे विभिन्न समूहों, वर्गों व धर्मों के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस संदर्भ में दूसरे समुदायों या वंचित वर्गों के प्रति समानुभूति विकसित करने हेतु उनसे जुड़े साहित्य या लेख पढ़ना भी काफी उपयोगी हो सकता है।

किसी व्यक्ति के निर्णय की सटीकता और प्रभावशीलता तब तक बेहतर नहीं हो सकती, जब तक कि वह परिस्थितियों को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम न हो। यही कारण है कि भावनात्मक प्रज्ञता से युक्त व्यक्ति परिस्थितियों और समय की मांग के अनुरूप निर्णय लेता है।

दूसरों की भावनाओं को समझने का एक लाभ यह भी होता है कि इससे व्यक्ति को उन मूल्यों और सिद्धांतों का बेहतर ज्ञान होता है, जिन पर एक बड़ा समूह विश्वास करता है। इसलिये सामान्यत: वह इनसे समझौता किये बगैर नैतिक निर्णय ही लेता है। उसे अल्पकालिक भौतिक लाभ की अपेक्षा दीर्घकाल में मिलने वाला सम्मान अधिक आकर्षित करता है। इसलिये वह ऐसा कोई भी निर्णय लेने से बचता है, जो उसकी नैतिकता के विरुद्ध हो। उदाहरण के लिये- गांधीजी यदि चाहते तो अंग्रेज़ों से ऊँचे पद प्राप्त कर विलासी जीवन जी सकते थे, लेकिन उनकी दीर्घकालिक सोच ही थी कि वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और महान कहलाए।

प्रश्न: 'अंत:करण की आवाज़' से आप क्या समझते हैं? आप स्वयं को अंत:करण की आवाज़ पर ध्यान देने के लिये कैसे तैयार करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by the term 'voice of conscience'? How do you prepare yourself to heed to the voice of conscience?

उत्तर: अंत:करण की आवाज़ से तात्पर्य उस आंतरिक प्रेरणा से है, जो हमारे किसी व्यवहार के नैतिक या अनैतिक होने को बताता है। चूँकि मनुष्य की अंतरात्मा बाह्य दबावों व परिस्थितियों से निर्देशित नहीं होती, इसलिये यह किसी कृत्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय अधिक श्रेष्ठता से कर पाती है। गांधीजी तो अंतरात्मा की आवाज़ को ही सर्वोच्च निर्देशक मानते थे तथा उनके कई निर्णयों का नैतिक आधार अंतरात्मा की आवाज़ ही थी। इसी तरह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिग्मंड फ्रायड जिस इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं, उसमें सुपर ईगो अर्थात् 'नैतिक मन' अंतरात्मा ही है। सार रूप में कहें तो भौतिक लाभ-हानि, सांसारिक अर्थों से परे नैतिकता-अनैतिकता की जो आवाज़ मन के अंदर से आती है, वही अंत:करण की आवाज़ है। उदाहरण के लिये जब कोई चोरी कर रहा होता है तथा उसे कोई नहीं देख रहा होता तब भी अंत:करण की आवाज़ उसे यह बताती है कि वह गलत कर रहा है।

अंत:करण की आवाज़ पर 'ध्यान देने' के लिये आवश्यक है कि पहले उसे 'सुना' जाए। इसलिये मैं प्रतिदिन अपने कार्यों का मूल्यांकन करता हूँ तथा यह कोशिश करता हूँ कि जिसे मेरी अंतरात्मा गलत मानती हो, उस कृत्य को न दुहराऊँ। इसके लिये समय-समय पर ध्यान व योग भी करता हूँ। इस प्रकार अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान देने का अभ्यास हो जाता है तथा निर्णय प्रक्रिया में द्वंद्व कम हो जाता है। साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि अनैतिक इच्छाओं, जैसे- लालच, भ्रष्टाचार इत्यादि से स्वयं को बचा कर रखूँ, ताकि अंत:करण की आवाज़ कमज़ोर न हो जाए।

प्रश्न: 'विवेक का संकट' से क्या अभिप्राय है? अपने जीवन की एक घटना बताइये जब आपका ऐसे संकट से सामना हुआ और आपने उसका समाधान कैसे किया। (150 शब्द, 10 अंक)

What is meant by 'crisis of conscience'? Narrate one incident in your life when you were faced with such a crisis and how you resolved the same.

उत्तर: 'विवेक का संकट' से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जब हम यह फैसला नहीं कर पाते कि कौन-सा कृत्य सही है और कौन-सा गलत अर्थात् सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो विवेक का संकट उस स्थिति को कहते हैं जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय न दे सके। यह उस नैतिक दुविधा को दर्शाता है, जब किसी एक पक्ष में निर्णय लेते समय दूसरे पक्ष के साथ अनैतिक हो जाने का डर हो। उदाहरण के लिये, यदि कोई गरीब भूखा बच्चा किसी दुकान से बिस्किट का एक पैकेट चुरा लेता है और उसे ऐसा करते हुए मेरे सिवा किसी ने न देखा हो, तो यदि मैं यह सब दुकानदार को बता देता हूँ, ऐसी स्थिति में बच्चा भूखा भी रहेगा और संभव है कि उसकी पिटाई भी हो जाए; यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं चोरी होने देने में सहायक हो जाता हूँ। निर्णय लेने की यही दुविधा विवेक का संकट है।

अपने व्यक्तिगत जीवन से उदाहरण देकर कहूँ तो एक बार मेरे समक्ष विवेक का संकट उपस्थित हो गया जो सचमुच गंभीर था। दरअसल मेरे एक दोस्त, जिसने संकट के समय मेरी मदद की थी तथा उसने आत्महत्या कर लेने से मुझे बचाया था, को अतिशीघ्र किडनी डोनर की आवश्यकता थी, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। स्थिति ऐसी बनी कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य का चिकित्सीय कारणों से गुर्दे का प्रत्यारोपण संभव न हो सका। अंतिम स्थिति यह थी कि मुझ पर ही दबाव बना कि मैं किडनी डोनेट करूँ। दूसरी तरफ मेरा पूरा परिवार मुझ पर ही आश्रित था तथा घर के सारे लोग किसी अनहोनी की आशंका से मुझे ऐसा न करने के लिये दबाव डाल रहे थे।

उपर्युक्त स्थिति का समाधान मैंने किडनी डोनेट करके किया। इस निर्णय के पीछे कई सारे कारक मौजूद थे। सबसे पहले तो एक ऐसे मित्र, जिसने मेरी जान बचाई थी, की जान बचाने का नैतिक दायित्व मुझ पर था। फिर यदि मैं ऐसा न करता तो निश्चित तौर पर मेरे दोस्त की मृत्यु हो जाती, जबकि मेरे द्वारा दिये गए गुर्दे के प्रत्यारोपण के असफल होने की संभावना नगण्य थी। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से निश्चितता को संभावना पर वरीयता मिलनी चाहिये।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के क्या मायने हैं?

"लगभग सभी लोग विपत्ति का सामना कर सकते हैं पर यदि किसी के चरित्र का परीक्षण करना है तो उसे शक्ति/अधिकार दे दो।" –अब्राहम लिंकन (150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean?

"Nearly all men can withstand adversity, but if you want to test a man's character, give him power."

–Abraham Lincoln

उत्तर: अब्राहम लिंकन का उपर्युक्त कथन मानवीय नैतिकता की दृढ़ता की बात करता है। दरअसल, किसी के वास्तविक चरित्र का पता तभी चल सकता है, जब उसके पास सही और गलत दोनों प्रकार के कार्य करने की शक्ति हो और तब उसका आचरण उसके चरित्र का निर्धारण कर देता है। उदाहरण के लिये गांधी और हिटलर दोनों के पास अपार जनसमर्थन था, किंतु गांधी ने जहाँ इसका प्रयोग जनकल्याण के लिये किया, वहीं हिटलर ने इस शक्ति का प्रयोग जनसंहार में किया।

उपर्युक्त कथन कथनी और करनी के अंतर्संबंधों के परीक्षण की भी बात करता है अर्थात् प्राधिकार के अभाव में कोई व्यक्ति नैतिकता के बड़े-बड़े दावे कर सकता है, किंतु उसका वास्तविक चरित्र निर्धारण तभी हो सकता है जब उसे उचित अधिकार दे दिये जाएँ। उदाहरण के लिये नेता विपक्ष में रहते हुए स्वयं को कितना भी नैतिक क्यों न बनाए, सही रूप में उसका परीक्षण सत्ता में आने के बाद ही होता है।

लिंकन का उपर्युक्त वाक्य इस ओर ध्यान आकृष्ट कराता है कि उचित नैतिकता के अभाव में कोई व्यक्ति शक्ति पाते ही आसानी से भ्रष्ट हो सकता है। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण ही विवेकाधीन शक्तियों का गलत प्रयोग करना है। जो इन शक्तियों का उपयोग पूरे नैतिक बल के साथ करता है, वह हर परिस्थिति में ईमानदार बना रहता है।

निष्कर्ष के रूप में कहें तो विपत्ति का सामना करते समय व्यक्ति जहाँ लगभग बाध्यकारी विकल्प को अपनाने के लिये विवश होता है, वहीं सत्ता उसे अन्य विकल्प उपलब्ध कराती है। सही और गलत विकल्पों में से चुनाव ही व्यक्ति के चरित्र के सही या गलत होने का निर्धारण करता है।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण के क्या मायने हैं?

"शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा मैं अपनी इच्छाओं का दमन करने वाले को अधिक साहसी मानता हूँ।" –अरस्तू

(150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean?

"I count him braver who overcomes his desires than him who overcomes his enemies." –Aristotle

उत्तर: उपर्युक्त कथन आत्म तथा बाह्य के द्वंद्व को दर्शाता है। बाह्य अर्थात् शत्रु पर विजय पाना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि यहाँ स्पष्टत: एक दूसरा पक्ष है, यह प्रत्यक्ष है तथा इसकी पहचान स्पष्ट है, यह सीमित है; वहीं दूसरी ओर एक ही पक्ष है, अपने विरुद्ध ही लड़ाई है, पहचान में न आने वाली असंख्य इच्छाएँ हैं। अत: स्वाभाविक रूप से अपने 'विरुद्ध' विजय पाना शत्रुओं पर विजय पाने की अपेक्षा अधिक कठिन है।

इच्छाओं का अनंत विस्तार तथा इसका अनियंत्रित स्वरूप तमाम बुराइयों को जन्म देता है। जब धन की इच्छा बेलगाम हो जाती है तो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो जाता है, जब शासन करने की इच्छा अनियंत्रित हो जाती है तो एक तानाशाह का जन्म होता है, जब काम की इच्छा विकृत हो जाती है तो बलात्कार जैसा अपराध उत्पन्न होता है, जब विकसित होने की इच्छा सनक में तब्दील हो जाती है तब पर्यावरण का विनाश होता है अर्थात् इच्छाओं का गुलाम व्यक्ति तमाम अनैतिक कार्य करने के लिये उत्प्रेरित होता है। वर्तमान भौतिकवादी युग में तो इच्छाओं की गुलामी और भी सघन होती जा रही है। इसलिये इस पर विजय पाना निश्चित ही बड़े साहस का काम है।

इच्छाओं के दमन की बात अरस्तू के पहले तथा बाद के भी कई विचारकों ने कही है। छठी सदी ई.पू. में गौतम बुद्ध ने इच्छाओं को ही दु:ख का कारण माना तो 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने लालच को सबसे बड़ी बुराई बताया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह की अवधारणा इच्छाओं के नियंत्रण से ही संबंधित है। सार रूप में कहें तो लगभग सभी विचारधाराओं में इच्छा पर अंकुश की बात कही गई है।

अंत में इच्छाओं का दमन इसलिये भी अत्यंत साहसपूर्ण काम है, क्योंकि यह अपने स्वरूप में मित्रवत्, प्राप्य तथा आनंद देने वाला प्रतीत होता है, जबकि शत्रु त्याज्य व दुख देने वाला होता है।

प्रश्न: "सर्वहित में ही हर व्यक्ति का हित निहित है।" आप इस कथन से क्या समझते हैं? सार्वजनिक जीवन में इस सिद्धांत का कैसे पालन किया जा सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

"The good of an individual is contained in the good of all." What do you understand by this statement? How can this principle be implemented in public life?

उत्तर: उपर्युक्त कथन 'हित' को व्यापक अर्थ में परिभाषित करता है तथा व्यक्तिगत हित के ऊपर सार्वजनिक हित को वरीयता देता है अर्थात् यदि कोई कार्य व्यापक जनकल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है तो उसमें हर व्यक्ति का कल्याण निहित है। चूँकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे से संबद्ध है, इसलिये यदि समाज का अंतिम व्यक्ति लाभान्वित होता है तो परोक्ष रूप से समाज का पहला व्यक्ति भी लाभान्वित होगा। गांधीजी का 'सर्वोदय का सिद्धांत', जो रस्किन के 'अन टू दिस लास्ट' से प्रेरित था, भी सबके उदय के लिये समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करता है।

सर्वहित की धारणा समाज में समानुभूति, करुणा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है, जिससे सह-अस्तित्व की भावना मज़बूत होती है। वस्तुत: यदि किसी समाज में असमानता अत्यधिक है तो यह संघर्ष को बढ़ावा देती है, जिससे समाज की समग्र खुशहाली में कमी आती है। साथ ही एक समाज सर्वाधिक खुशहाल तभी हो सकता है जब इसमें सभी का योगदान हो। इसके लिये सर्वहित को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

सार्वजनिक जीवन में इसके पालन से तात्पर्य है कि नीतियों के निर्माण में अंतिम व्यक्ति प्राथमिकता में हो। उदाहरण के लिये वंचित एवं पिछड़े तबकों के लिये मुफ्त या उचित कीमत पर भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, मकान इत्यादि उपलब्ध कराना, ताकि वे मुख्य धारा में शामिल हो सकें। अनेक सरकारी योजनाएँ तथा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत स्तर पर ही परोपकारिता, सहयोग, त्याग जैसे मूल्यों को अपनाकर सर्वहित में योगदान दिया जा सकता है।

प्रश्न: प्राय: यह कहा जाता है कि 'राजनीति' और 'नैतिकता' साथ-साथ नहीं चल सकते। इस संबंध में आपका क्या मत है? अपने उत्तर का, उदाहरणों सहित, आधार बताइये।

(150 शब्द, 10 अंक)

It is often said that 'politics' and 'ethics' do not go together. What is your opinion in this regard? Justify your answer with illustrations.

उत्तर: वस्तुत: अपने आदर्श रूप में राजनीति नैतिकता से युक्त होती ही है, जैसा कि गांधीजी नैतिकता के बिना राजनीति को पाप की संज्ञा देते हैं। किंतु जैसे-जैसे राजनीति का स्वरूप बिगड़ता चला गया तथा इसमें भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, सहचर-पूंजीवाद, भाई-भतीजावाद जैसी कुरीतियों का प्रवेश हुआ तो यह धारणा मज़बूत होती गई कि राजनीति और नैतिकता साथ-साथ नहीं चल सकतीं। हालाँकि इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि राजनीति व नैतिकता परस्पर विरोधी हैं, बल्कि इसका

तात्पर्य इतना भर है कि राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष व उसके व्यावहारिक रूप में साम्यता नहीं रह गई है।

इस संबंध में मेरा मत यही है कि दोनों साथ-साथ चल सकती हैं। इसके पक्ष में सबसे पहला तर्क तो यही दिया जा सकता है कि सैद्धांतिक रूप से राजनीति अभी भी नैतिक ही है। इसका व्यावहारिक पक्ष कमज़ोर है। हालाँकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता, सोशल मीडिया की उपस्थिति, स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि राजनीति में भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिये सूचना का अधिकार कानून ने पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार को कम किया है। साथ ही समय-समय पर ऐसे राजनीतिक आंदोलन होते रहे हैं, जिसके मूल में राजनीतिक शुचिता की स्थापना थी, जैसे- आपातकाल के विरुद्ध जे.पी. आंदोलन तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनलोकपाल आंदोलन। इसी तरह आज भी ऐसे अनेक राजनेता हैं, जो काफी सादगीपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे बढ़कर आज अनैतिकता का प्रश्न सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन के विविध क्षेत्रों में भी व्याप्त है। अत: उसे सिर्फ राजनीति में संदर्भित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका बहुआयामी हल ढूँढ़ना भी अनिवार्य है।

प्रश्न: भावनात्मक बुद्धिमत्ता का गठन करने वाले विभिन्न घटक कौन-से हैं? यह एक लोकसेवक को अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में कैसे सहायता प्रदान करती है? (150 शब्द, 10 अंक)

What are the various elements that make up emotional intelligence? How does it help a civil servant in the performance of his duties?

उत्तर: भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence–EI) का अभिप्राय हमारी स्वयं की और दूसरों की भावनाओं की पहचान कर सकने की क्षमता से है ताकि हम स्वयं में व हमारे संबंधों में भावनाओं के नियंत्रण व सामंजस्य के लिये हम प्रेरित रह सकें।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता के तत्त्व

- **भावनाओं को अनुभव करना**
  - भावनाओं को उपयुक्त रूप से समझने के लिये भावनाओं को सही ढंग से अनुभव करना बुनियादी शर्त है।
  - यह स्वयं की और दूसरों की भावनाओं को अनुभव करने की क्षमता है। इसके लिये कई मामलों में शारीरिक हाव-भाव और मुखाकृतिक अभिव्यक्ति जैसे गैर-वाचिक संकेतों को समझना भी शामिल हो सकता है।
- **भावनाओं का उपयोग**
  - इसके अंतर्गत विचार करने और संज्ञानात्मक गतिविधि के संवर्द्धन के लिये भावनाओं का उपयोग करना शामिल किया जाता है।
  - भावनाएँ उन चीज़ों के प्रति प्राथमिकता तय करने में सहायता करती हैं जिन पर हम ध्यान और प्रतिक्रिया देते हैं। जो चीज़ें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, हम उनके प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया रखते हैं।
- **भावनाओं को समझना**
  - हम जिन भावनाओं को महसूस करते हैं, उनके व्यापक अर्थ हो सकते हैं।
  - यदि कोई व्यक्ति आक्रोशपूर्ण भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है तो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग उसके आक्रोश के कारण और इसके अभिप्राय की व्याख्या कर सकते हैं।
- **भावनाओं का प्रबंधन**
  - भावनाओं के प्रभावी रूप से प्रबंधन की क्षमता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख भाग है।
  - भावनाओं को नियंत्रित रखना, उपयुक्त प्रतिक्रिया देना और दूसरों की भावनाओं के प्रति उत्तरदायी रहना आदि भावनात्मक प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं।
  - भावनात्मक प्रबंधन का लक्ष्य भावनाओं को संतुलित रखना है अर्थात् भावनाओं का न दमन किया जाए, न ही उनकी अतिशयता हो।

लोकसेवकों के लिये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व

- स्वस्थ संबंधों के निर्माण और जीवन व कॅरियर की चुनौतियों का सकारात्मक तरीके से सामना करने की क्षमता प्राप्त करने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोकसेवकों का मार्गदर्शन कर सकती है।
- भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोकसेवक संघर्षों का रचनात्मक प्रबंधन कर सकता है और अनिश्चितता व परिवर्तन से बेहतर तरीके से निपट सकता है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोकसेवकों में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि कर सकती है जिसमें परिस्थिति के अनुरूप नेतृत्व करने अथवा अनुसरण करने की निपुणता शामिल है।
- सहयोग, सहकारिता और संबंध निर्माण के संदर्भ में यह लोकसेवकों के मध्य समूह गतिशीलता की अभिवृद्धि में सहायता करता है।
- यह लोकसेवकों की प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता और कर्त्तव्यनिष्ठा के स्तर में वृद्धि करता है।
- यह लोकसेवकों को उनके कृत्यों/दृष्टिकोण के दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने की क्षमता प्राप्त करने में सहायता करता है।
- भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोकसेवक उन बुनियादी मूल्यों और मान्यताओं की पहचान व अनुसरण में सक्षम हो सकते हैं जो नागरिकों की सेवा के दौरान उनके द्वारा लिये गए निर्णयों व उनके चयनों को रूप/आकार देते हैं।

लोकसेवाओं का कार्य वातावरण अत्यधिक जटिल प्रकृति का, विशिष्ट क्षमता की मांग रखने वाला और कई बार तो अत्यंत विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाला भी होता है। ऐसे परिदृश्य में लोकसेवक इस स्थिति में नहीं है कि वह पुराने तरीकों से समस्याओं का प्रबंधन व सामना कर सके। यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोकसेवक अपने कार्य में अधिक सफल हो सकता है यदि वह पेशेवर रूप से सक्षम हो और सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो।

प्रश्न: पर्यावरणीय नैतिकता क्या है? पर्यावरणीय नैतिकता में शामिल विभिन्न मुद्दे कौन-से हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What is environmental ethics? What are the various issues involved in environmental ethics?

उत्तर: पर्यावरण नैतिकता दर्शन का एक उप-विषय है जो पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध नीतिपरक समस्याओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये नीतिपरक औचित्य और नैतिक प्रेरणा प्रदान करना है।

पर्यावरणीय नैतिकता 'हमें दुनिया में कैसे निवास करना चाहिये'; 'क्या चीज़ें एक अच्छे जीवन या एक अच्छे समाज का निर्माण करती हैं'; और 'कौन, कहाँ या क्या नैतिक पक्षधरता को तय करता है' आदि प्रश्नों पर केंद्रित है। वैश्विक पर्यावरणीय स्थिति के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ ही 1960 के दशक में यह क्षेत्र सबसे महत्त्वपूर्ण रूप से उभरा।

यह प्राकृतिक परिदृश्य, संसाधनों, प्रजातियों और गैर-मानव जीवों के संबंध में ज़िम्मेदार व्यक्तिगत आचरण से संबंधित है। यह विश्वासों, मूल्यों और मानदंडों का एक समूह है जो यह बतलाता है कि मनुष्य को पर्यावरण के साथ किस प्रकार स्थापित संबंध करने चाहिये।

पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़े मुद्दे

- **प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग:** पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और मानव कल्याण के लिये आवश्यक हैं। चूँकि मानव प्रकृति का हिस्सा है, इसलिये प्रकृति के सहयोग से संसाधनों की एक धारणीय उपयोग पद्धति सुनिश्चित की जा सकती है। यदि हम संसाधनों का अधिक उपयोग और दुरुपयोग करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने अस्तित्व को बहुत मुश्किल से बचा पाएंगी।
- **वनों का विनाश:** बड़े उद्योग और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वनों के अविरल दोहन के लिये प्रमुखत: उत्तरदायी हैं। हालाँकि विनाश का आवेग उन गरीबों और आदिवासियों को चपेट में लेता है जो जंगलों के मूल निवासी हैं। इसके कारण जैव-विविधता, आवास और पौधों व प्राणियों का ह्रास होता है।
- **पर्यावरणीय प्रदूषण:** पर्यावरणीय प्रदूषण के परिणाम किसी राष्ट्र की सीमाओं तक नहीं होते हैं। इसके अलावा, समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों की सबसे अधिक मार झेलते हैं।
- **मानव-केंद्रित नैतिकता:** इसका अभिप्राय एक ऐसे नैतिक ढाँचे से है जो पूरी तरह से मानव जाति को 'नैतिक पक्षधरता' प्रदान करता है। इस प्रकार, एक मानव-केंद्रित नैतिकता का दावा है कि केवल मनुष्य अपने आपमें नैतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि हमारे जो भी प्रत्यक्ष नैतिक दायित्व हैं, जिनमें पर्यावरण के प्रति दायित्व भी शामिल हैं, संपूर्ण मानव जाति के दायित्व हैं।
- **समानता:** अमीरों और गरीबों के बीच असमानता की खाई दिनोदिन गहरी हो रही है। आर्थिक रूप से उन्नत वर्ग के लोग अधिक मात्रा में संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अधिक संसाधनों को बर्बाद भी करते हैं। इस बर्बादी और अति की कीमत उन गरीब लोगों द्वारा चुकाई जाती है, जो संसाधनों से वंचित रह जाते हैं।
- **पशु अधिकार:** पृथ्वी को हमारे साथ साझा करने वाले पौधों और पशुओं को भी पृथ्वी के संसाधनों तथा जीने और रहने की जगह भी साझा करने का अधिकार है। पशु कल्याण पर्यावरणीय नैतिकता के लिये आवश्यक है क्योंकि पशु भी प्राकृतिक वातावरण में मौजूद हैं और इस प्रकार पर्यावरणविदों की चिंताओं का हिस्सा हैं।

पर्यावरणीय नैतिकता को कायम रखने के उपाय

- **एल्डो लियोपोल्ड का 'भूमि नैतिकता':** यह मांग करता है कि भूमि को मात्र वस्तु या संसाधन रूप में मानना बंद कर दिया जाए। भूमि केवल मिट्टी नहीं है, इसके बजाय, यह ऊर्जा का एक स्रोत है, जो मिट्टी, पौधों और पशुओं के एक परिपथ से प्रवाहित होती है। लियोपोल्ड का दावा है कि भूमि के अंतर्संबंधों को संरक्षित करने के लिये हमें एक 'भूमि नैतिकता' की ओर बढ़ना चाहिये, जिससे भूमि समुदाय के लिये नैतिक पक्षधरता स्थापित हो, न कि केवल इसके व्यक्तिगत सदस्यों के लिये।
- **गहन पारिस्थितिकी:** गहरी पारिस्थितिकी के आठ मूलभूत सिद्धांत या कथन हैं:
  - पृथ्वी पर मानव और गैर-मानव जीवन की भलाई और इसकी सततता अपने आपमें मूल्य धारण करते हैं। ये मूल्य मानवीय उद्देश्यों के लिये गैर-मानव जीवन की उपयोगिता पर निर्भर नहीं करते हैं।
  - जीवन के रूपों की समृद्धि और विविधता इन मूल्यों की प्राप्ति में योगदान देती हैं और ये स्वयं में भी मूल्य हैं।
  - मनुष्यों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस समृद्धि और विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं है।
  - मानव जीवन और संस्कृतियों की निरंतरता मानव आबादी में गिरावट के साथ ही संगत है। गैर-मानव जीवन के बने रहने के लिये इस तरह की गिरावट की आवश्यकता है।
  - वर्तमान समय में गैर-मानव संसार में मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक है और यह स्थिति तेज़ी से बिगड़ ही रही है।
  - इसलिये नीतियों में परिवर्तन होना चाहिये। ये नीतियाँ बुनियादी आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और वैचारिक संरचनाओं को प्रभावित करती हैं। नीतिगत बदलावों के बाद की स्थिति वर्तमान स्थिति से मूलत: भिन्न होगी।
  - इसमें वैचारिक स्तर पर परिवर्तन यह होगा कि जीवन की गुणवत्ता की सराहना की जाए न कि उच्चतर से उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने की लालसा में लिप्त रहा जाए।
  - जो लोग उपर्युक्त बिंदुओं से सहमत हैं, उनके ऊपर इसके लिये आवश्यक परिवर्तनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू करने का प्रयास करने का दायित्व है।

- **संरक्षण नैतिकता और पारंपरिक मूल्य प्रणाली:** आदि काल से लोगों ने हमेशा पहाड़ों, नदियों, जंगलों, पेड़ों और कई पशुओं को महत्त्व दिया है। इस प्रकार प्रकृति का अधिकांश हिस्सा संरक्षित और सम्मानित था। परंपराओं में पौधों और पशुओं को प्रकृति के एक महत्त्वपूर्ण पहलू के रूप में माना गया और उन्हें जीवन का आधारिक तंत्र माना गया जो एक सामंजस्यपूर्ण जीवन का अभिन्न अंग थे।
- **सद्गुण नैतिकता:** सद्गुण नैतिकता अच्छा व्यवहार करने के विषय में विचार करने का एक तरीका है, जो नैतिक कारकों के चरित्र और अच्छे जीवन की प्रकृति पर केंद्रित है। सद्गुण नैतिकता मानव स्वभाव के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्य अपने मूल स्वभाव में अन्य जीवों में उत्कृष्टता (गैर-मानव सहित) को पहचानने के लिये संवेदनशील होते हैं, जिसे आदर्श मानते हुए वे सदाचार से जिये जीवन में संतोष प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरणीय नैतिकता के मुद्दों से निपटने के लिये मनुष्यों को कुछ मूल्यों पर मतैक्य बनाना होगा और व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, बहुराष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर एक-दूसरे का सहयोग करना होगा। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा वैश्विक शासन पर निर्भर करता है। इसलिये पर्यावरणीय नैतिकता एक वैश्विक समझ के साथ अपनाई गई वैश्विक नैतिकता ही है।

प्रश्न: सामाजिक दायित्व/जवाबदेही क्या है? यह दायित्व/जवाबदेही की पारंपरिक कार्यविधियों से किस प्रकार भिन्न है?

(150 शब्द, 10 अंक)

What is social accountability? How is it different from traditional mechanisms of accountability?

उत्तर: सामाजिक दायित्व को जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में ऐसे दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया गया है जो नागरिक अनुबंध पर निर्भर करता है अर्थात् जिसमें सामान्य नागरिक तथा नागरिक समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही को पूरा करने में भाग लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में, सामाजिक दायित्व/जवाबदेही का आशय कार्यों एवं तंत्रों की एक विस्तृत शृंखला से होता है जिनका उपयोग नागरिकों, समुदायों, स्वतंत्र मीडिया तथा नागरिक समाज संगठनों द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने के लिये किया जा सकता है।

सार्वजनिक सेवा वितरण में सामाजिक दायित्व एक साथ काम करने वाली दो वस्तुओं का परिणाम है: संस्थाओं की एक प्रणाली जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उत्तरदायित्व संरचनात्मक रूप से संभव हो तथा एक सूचित एवं संगठित नागरिक समूह जो विभिन्न संवाद मंचों की सहायता से किसी तंत्र में जवाबदेही की मांग को सुनिश्चित कर सकते हैं।

सामाजिक दायित्व में भागीदारी-आधारित बजटिंग, सार्वजनिक व्यय पर नज़र रखना, नागरिक रिपोर्ट कार्ड, सामुदायिक स्कोर कार्ड, सामाजिक ऑडिट, नागरिक घोषणापत्र, सूचना का अधिकार, सामुदायिक रेडियो आदि उपकरणों का उपयोग करना शामिल है।

सामाजिक दायित्व के संबंध में अच्छी नीति का एक उदाहरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA) है, जो अपने दिशा-निर्देशों में कुछ हद तक इस बात का विवरण देता है कि इस कार्यक्रम में सामाजिक दायित्व कैसे सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

सामाजिक दायित्व/जवाबदेही के उद्देश्य

- राज्य के रोज़मर्रा के कामकाज तथा निर्णयन की प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी को बढ़ाना एवं एकीकृत करना।
- सभी नागरिकों तक सूचना की आसान पहुँच सुनिश्चित करके सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाना।
- नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिये प्रतिक्रिया एवं शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
- जवाबदेही एवं नागरिकों के द्वारा निगरानी को बढ़ाकर शासन में सुधार लाना।
- बेहतर सेवा वितरण तथा नागरिक सशक्तीकरण के माध्यम से विकास दक्षता को बढ़ाना।

सामाजिक दायित्व निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायित्व के पारंपरिक तंत्रों से भिन्न है:

- सामाजिक दायित्व नागरिक अनुबंध पर निर्भर करता है जहाँ आम-नागरिक एवं नागरिक सामाजिक संगठन बजट, व्यय एवं सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये पारंपरिक तंत्र संस्थागत, राजनीतिक, कानूनी या नैतिक दायित्वों पर निर्भर करता है।
- सामाजिक दायित्व उपकरण नीति निर्माताओं एवं कार्यान्वयनकर्त्ताओं को ज़मीनी स्तर से व्यवस्थित एवं प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं ताकि उन्हें कार्यक्रमों को संशोधित करने तथा संसाधनों का पुनरावंटन करने में मदद मिल सके।
- सरकार को जवाबदेह ठहराने के पारंपरिक प्रयासों में प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, समर्थन अभियान, खोजी पत्रकारिता तथा सार्वजनिक हित के मुकदमे शामिल हैं। सामाजिक दायित्व प्रथाओं की नई पीढ़ी ठोस साक्ष्य आधार तथा प्रत्यक्ष संवाद पर बल देती है।
- पारंपरिक जवाबदेही तंत्र सेवा प्रदाताओं की टॉप-डाउन या बाहरी दाता-संचालित निगरानी पर निर्भर होता है। वह अक्सर असफल हो जाता हैं। एक पूरक रणनीति के रूप में सामाजिक दायित्व निगरानी एवं जवाबदेही को बढ़ाने के लिये नागरिक-ग्राहकों को सशक्त बनाता है।
- पारंपरिक उत्तरदायित्व तंत्रों के विपरीत, जो आपूर्ति-पक्ष प्रणाली पर निर्भर करते हैं, सामाजिक दायित्व को समुदायों, स्थानीय सरकारों, सेवा प्रदाताओं तथा राज्य के बीच उत्तरदायित्व संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये मांग-पक्ष प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

हालाँकि शक्तिशाली निहित स्वार्थों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किये जाने के कारण सामाजिक जवाबदेही को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना

पड़ता है, जिनका यथास्थिति बनाए रखने, सरकारी एजेंसियों से समर्थन की कमी, सामाजिक दायित्व के संस्थानीकरण का अभाव, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की कमी आदि में स्वार्थ निहित होता है।

नीति निर्माण में सामाजिक दायित्व को अनिवार्य बनाना, एक सामाजिक दायित्व पहल का गठन करने के लिये मानदंडों एवं दिशानिर्देशों को विकसित करना तथा आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 4 को मज़बूत करना (सूचना का सक्रिय प्रकटीकरण), क्षमता निर्माण एवं लोगों में जागरूकता बढ़ाना जैसे प्रयास लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने, नागरिक सहभागिता को सुविधाजनक बनाने तथा सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

प्रश्न: भारत में जन-जीवन को विकृत (अपकर्षित) करने वाले मापदंडों के पीछे क्या कारण हैं? इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जा सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

What are the reasons behind deteriorating standards of public life in India? How this trend can be arrested?

उत्तर: नोलन समिति ने जन-जीवन के सात सिद्धांतों को नैतिक मापदंडों के मूल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है:

- **निःस्वार्थता:** लोक पद धारकों को केवल जनहित में कार्य करने चाहिये। उन्हें स्वयं, अपने परिवार या मित्रों के लिये वित्तीय या अन्य कोई लाभ प्राप्त करने के लिये ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिये।
- **सत्यनिष्ठा:** लोक पद धारकों को बाह्य व्यक्तियों या संगठनों के किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन स्वयं को नहीं रखना चाहिये जो उन्हें उनके आधिकारिक कर्त्तव्यों के निष्पादन में प्रभावित कर सकते हैं।
- **वस्तुनिष्ठता:** जन कार्यों, यथा-सार्वजनिक नियुक्तियाँ, अनुबंध या पुरस्कार एवं लाभों हेतु व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिये, लोक पद धारकों को योग्यता के आधार पर चयन करना चाहिये।
- **जवाबदेही:** लोक पद धारक अपने निर्णयों एवं कार्यों के लिये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें अपने पद के अनुरूप किसी भी आवश्यक जाँच हेतु स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिये।
- **स्पष्टता/खुलापन:** लोक पद धारकों को अपने सभी निर्णयों एवं कार्यों को यथासंभव स्पष्ट रखना चाहिये। उन्हें अपने निर्णयों के लिये कारण बताने चाहिये और सूचनाओं को तभी सीमित करना चाहिये जब व्यापक जनहित इसकी मांग करता हो।
- **ईमानदारी:** लोक पद धारकों का कर्त्तव्य है कि वे अपने जन कर्त्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करें और जनहित में बाधा उत्पन्न करने वाले संघर्षों के समाधान हेतु कदम उठाएँ।
- **नेतृत्व:** लोक पद धारकों को नेतृत्व तथा उदाहरण द्वारा इन सिद्धांतों का प्रचार एवं समर्थन करना चाहिये।

जन-जीवन को विकृत करने वाले मापदंडों के कारण

- **बड़े पैमाने पर समाज के नैतिक मापदंडों में विकृति:** चूँकि लोकसेवक समाज से ही आते हैं इसलिये समाज के नैतिक मापदंडों में विकृति के परिणामस्वरूप लोकसेवकों के नैतिक मापदंडों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरणत: लोकसेवकों के मध्य भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं के पीछे एक कारण यह है कि भ्रष्टाचार जैसी बुराई धीरे-धीरे समाज में एक स्वीकार्य मानदंड बन गई है।
- अधिकारियों का नियमित स्थानांतरण उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है तथा उनकी जवाबदेही को भी कम करता है। एक अशक्त जवाबदेही प्रणाली लोकसेवकों को अनैतिक व अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का अवसर प्रदान करती है।
- तीव्र शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण में, जहाँ भौतिक संपत्ति, पद और आर्थिक शक्ति समाज में एक व्यक्ति की पद एवं प्रतिष्ठा को निर्धारित करती है, चूँकि व्यक्ति का वेतन कम है और मुद्रास्फीति दर निरंतर बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में निर्धन लोकसेवक समाज में पद को बनाए रखने के लिये भ्रष्ट एवं अन्य कई अनैतिक गतिविधियों में आसानी से लिप्त हो जाते हैं।
- **सरकारी कार्यालयों की जटिल व बोझिल प्रक्रिया एवं क्रियाविधि:** यह आरोप लगाया जाता है कि कुछ सरकारी विभागों, यथा- सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयात व निर्यात, रेलवे, आपूर्ति एवं निपटान, पुलिस, आयकर, आदि की क्रियाविधियाँ जटिल, बोझिल और विलंबकारी हैं। इसने 'धन को शीघ्र अर्जित' करने की प्रणाली जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को प्रोत्साहित किया है।
- **भारत में जनसेवाओं को प्राप्त अनुचित संरक्षण:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311, जो लोकसेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है, के तहत प्राप्त संरक्षण भ्रष्ट लोकसेवकों को प्रभावी ढंग से दंडित करने के कार्य को कठिन बनाता है।
- इसके अतिरिक्त अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप; राजनीतिक वर्गों, लोकसेवकों और उद्योगों के बीच मिलीभगत; लोकसेवकों द्वारा अनैतिक एवं गैर-कानूनी प्रथाओं से निपटने के लिये अशक्त और प्रभावहीन विधिक व्यवस्था; आदि भारत में जन-जीवन को विकृत करने वाले मापदंडों के अन्य कारण हैं।

इस विकृति को रोकने के लिये अपनाए जाने वाले उपाय

- लोकसेवकों के नैतिक गुणों को सुदृढ़ करना, पेशेवर नैतिकता को प्रोत्साहन और समर्थन देने के लिये प्रणाली को मज़बूत बनाना।
- लोक अधिकारियों द्वारा 'जनहित में होने वाले खुलासों' की रक्षा हेतु 'व्हिसल ब्लोअर' संरक्षण कानून को सुदृढ़ता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- नव मानव संसाधन प्रबंधन रणनीतियाँ (उदाहरणत: जो नैतिक प्रदर्शन को प्रवेश और प्रगति के साथ तथा अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को नैतिक रूप से 'खराब प्रदर्शन' से जोड़ती हैं), योग्यता आधारित भर्ती और पदोन्नति, आदि।
- नैतिक संहिता का मूल और मुख्य प्रशिक्षण एवं विकास, नैतिक प्रबंधन सिद्धांतों की प्रयोज्यता, आधिकारिक शक्ति का उचित उपयोग एवं पेशेवर दायित्व की आवश्यकताएँ, आदि।

- प्रभावी बाह्य एवं आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र।

जन-जीवन के स्तर में विकृति न केवल प्रशासनिक प्रभावशीलता को क्षीण करती है, बल्कि व्यापक रूप से समाज पर विभिन्न नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह खराब प्रशासन और मानव एवं भौतिक संसाधनों के कुप्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार लोकसेवकों से संबंधित विद्यमान प्रशासनिक एवं कानूनी प्रणाली को सुदृढ़ करने के बजाय लोकसेवकों को अधिक जवाबदेह बनाने तथा प्रभावशाली एवं नैतिक जनसेवा सुनिश्चित करने हेतु जन-जीवन के मापदंडों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: एकाधिकार तथा कार्य स्वाधीनता से भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, जबकि प्रतिस्पर्द्धा तथा पारदर्शिता से भ्रष्टाचार में कमी आती है। उचित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Monopoly and discretion increase the propensity to corruption while competition and transparency reduce corruption. Explain with suitable examples.

उत्तर: भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्या है जो जन-जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार निर्वाचन प्रक्रियाओं को विकृत करने के साथ-साथ, विधि के शासन का विरूपण तथा नौकरशाही संकट को उत्पन्न कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की आधारशिला पर हमला करता है, जिसके अस्तित्व का एकमात्र कारण रिश्वत का लोभ है।

अति-नियमन, आर्थिक गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध, राज्य का अत्यधिक नियंत्रण, विभिन्न क्षेत्रों में सरकार का लगभग एकाधिकार और तंगी-युक्त अर्थव्यवस्था की समस्या जैसी स्थितियाँ अनियंत्रित भ्रष्टाचार के लिये अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। एकाधिकार तथा कार्य स्वाधीनता विशेष रूप से भ्रष्टाचार के उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं।

- भारत में अधिकांश जन सेवाएँ सरकार द्वारा एकाधिकारवादी व्यवस्था में प्रदान की जाती हैं। ज़ाहिर है कि ऐसी व्यवस्था मनमाने व्यवहार के अनुकूल होती है और इसकी उच्च संभावना है कि भ्रष्टाचार के लिये पदाधिकारियों के एक वर्ग द्वारा 'विभागीय आधिपत्य' का दुरुप्रयोग किया जा सकता है।
- एकाधिकार नियामकों और उद्योग के मध्य एक नकारात्मक गठजोड़ को जन्म देता है, जो कि विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों एवं क्षेत्रों के वास्तविक विकास को हानि पहुँचाता है।
- एकाधिकारों का अस्तित्व देशों को दक्षता की कमी के बंधन में बांधता है। यह विकास में बाधा उत्पन्न करता है और राष्ट्र द्वारा एक हस्तक्षेपवादी रुख अपनाने की आवश्यकता में वृद्धि करता है, इस प्रकार भ्रष्टाचार का पोषण करने वाला एक चक्र निर्मित होता है।
- इसके अतिरिक्त, सत्ता की विषमता की स्थिति में विभिन्न सरकारी अनुदान और लाभार्थी-उन्मुख कार्यक्रम लोकसेवक को आश्रयदाता और अधिकांश नागरिकों को याचक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसने अभ्रष्टाचार में लिप्त होने के अवसरों में वृद्धि की है और अत्यधिक फिरौतीनुमा मांगों का प्रतिरोध करने की नागरिकों की क्षमता को कम किया है।
- एक ऐसी प्रणाली में जहाँ आधिकारिक तंत्र के हाथों में, विशेष रूप से निचले स्तरों पर, अत्यधिक कार्य स्वाधीनता है वहाँ भ्रष्टाचार के अवसर बहुत अधिक बढ़ जाते हैं।
- इस परिप्रेक्ष्य में हम उद्यमियों को व्यावसायिक लाइसेंस जारी करने पर एकाधिकार वाली एक सरकारी एजेंसी का उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिये कि इस गतिविधि को प्रशासित करने वाले कुछ विस्तृत नियम हैं और इन विनियमनों की प्रतियाँ आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं। इसलिये सरकारी एजेंसियों के पास न केवल एकाधिकार शक्ति अधीन है, बल्कि उनके पास कार्य स्वाधीनता भी मौजूद है। एकाधिकार और कार्य स्वाधीनता का संयोजन लाइसेंस आवेदकों की तुलना में एजेंसी को एक सुदृढ़ स्थिति प्रदान करता है। आवेदकों द्वारा लाइसेंस के एवज में रिश्वत की मांगों का विरोध न करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होता है क्योंकि न केवल यह उनके लाइसेंस प्राप्त करने का एकमात्र साधन है बल्कि वे अपने 'अधिकारों' के प्रति भी अनभिज्ञ हैं।

भ्रष्टाचार का उन्मूलन न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि विश्व के बाकी भागों की पंक्ति में शामिल होने की आशा करने वाले राष्ट्र की एक आवश्यकता भी है। तंत्र में कार्य स्वाधीनता को कम करने व पारदर्शिता बढ़ाने तथा लोकसेवकों के कृत्यों के लिये सख्त जवाबदेही सुनिश्चित करके भ्रष्ट प्रथाओं को न्यूनतम किया जा सकता है।

- विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के एकाधिकार को समाप्त करना और दूसरों को प्रतिस्पर्द्धा करने की अनुमति देना भ्रष्टाचार को कम करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। काफी हद तक एकाधिकार समाप्त करने और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने का कार्य एक साथ किया जा सकता है।
- प्रतिस्पर्द्धा भी भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता प्रदान कर सकती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के आलोक में इसे नाटकीय रूप से देखा गया है। जैसे-जैसे प्रतिस्पर्द्धा आरंभ हुई व विकल्पों का विस्तार हुआ, भ्रष्टाचार में कमी आई। इसी प्रकार, जहाँ भी प्रौद्योगिकी एवं पारदर्शिता का प्रवेश हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार काफी कम हो गया।
- लोक प्रशासन में पारदर्शिता का अर्थ निष्कपटता एवं उत्तरदायित्व है। एक संस्था को पारदर्शी तब कहा जाता है जब उसका निर्णय लेने एवं कार्य करने का तरीका सार्वजनिक व मीडिया जाँच और चर्चा के लिये स्वतंत्र होता है।
- प्रशासन की एक पारदर्शी प्रणाली सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जन भागीदारी को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है और इस प्रकार मूलभूत स्तर तक और भागीदारी आधारित लोकतंत्र के विकास में योगदान प्रदान करती है।
- उदाहरणत: सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम ने पारदर्शिता के नए युग को जन्म दिया है। जानकारी साझा किये जाने के बाद नागरिक निर्णयन प्रक्रिया के भागीदार बन गए हैं, जिसके

परिणामस्वरूप नागरिकों एवं सरकार के मध्य विश्वास पैदा हुआ है और भ्रष्टाचार को कम किया जा सका है।

प्रश्न: लोकसेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिये: (150 शब्द, 10 अंक)

Examine the relevance of the following in the context of civil service:

(a) शुचिता (Probity)

(b) निष्पक्षता (Neutrality)

(c) अनुक्रियता (Responsiveness)

(d) स्पष्टता/खुलापन (Openness)

(e) दृढ़ता (Fortitude)

उत्तर (a) : शुचिता एक विशेष प्रक्रिया में नैतिक व्यवहार का प्रमाण है। 'शुचिता' पद का अर्थ सत्यनिष्ठा, न्याय-परायणता तथा ईमानदारी है। इसमें लोकसेवा मूल्यों, यथा-निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को निहित करना शामिल है। प्रत्येक लोकाधिकारी के कर्त्तव्य का एक भाग सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों में शुचिता सुनिश्चित करना है। उसे लोकसेवा मूल्यों और हितों में वृद्धि करने और प्रोत्साहन देने वाली प्रक्रियाओं, प्रथाओं व व्यवहार को अपनाना चाहिये।

उत्तर (b) : 'निष्पक्षता' का अर्थ किसी के प्रति पक्षपात केबिना कार्य करना है। एक लोकसेवक से अपेक्षित है कि वह निष्पक्ष व बिना किसी राजनीतिक विचार के सरकार को स्वतंत्र व सरल सलाह दे। इसका तात्पर्य यह भी है कि सरकार के निर्णयों को लोकसेवक द्वारा निष्कपट रूप से लागू किया जाए चाहे ऐसे निर्णय उनकी सलाह के अनुरूप हों या न हों।

उत्तर (c) : अनुक्रियता का अर्थ है कि लोकसेवकों को समयबद्ध एवं सुविधाजनक तरीके से सेवाएँ प्रदान करनी चाहिये। यह बाह्य और आंतरिक परिवेश द्वारा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में उत्पन्न की जाने वाली मांगों व चुनौतियों का प्रभावी ढंग से उत्तर देने का गुण है। अनुक्रियता सुशासन के गुणों में से एक है। एक लोकसेवक को बदलते कार्य परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होना चाहिये और साथ ही आचरण के नैतिक मानदंडों को बनाए रखना चाहिये।

उत्तर (d) : स्पष्टता/खुलापन का आशय निर्णयन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जनता एवं मीडिया को सूचना की स्वतंत्रता से है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि नियमित कार्यों के साथ-साथ नीतिगत मामलों के भी निर्णय कैसे लिये जाते हैं, वे निर्णय से लाभान्वित होते हैं या प्रभावित होते हैं, सेवा किस प्रकार प्रदान की जाती है या माल कैसे और कब वितरित किया जाता है।

सार्वजनिक पद धारण करने वालों को उनके द्वारा लिये जाने वाले सभी निर्णयों और कार्यों के संबंध में जितना संभव हो उतना उन्मुक्त होना चाहिये। उन्हें अपने निर्णयों के लिये कारण बताना चाहिये और सूचनाओं को तभी सीमित करना चाहिये जब व्यापक जनहित स्पष्टत: ऐसी मांग करे।

उत्तर (e) : दृढ़ता का अर्थ विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का साहस है। यह आत्मदृढ़ता, हमारे दैनिक कर्त्तव्यों की पूर्ति में निहित बाधाओं के बावजूद अच्छा करने की इच्छाशक्ति की दृढ़ता है। दृढ़ता विकट समस्या की स्थिति में अनियमित आतुरता और भय को सीमित करती है जो मानव स्वभाव के असंतुलन का संकट पैदा करती है।

यह महत्त्वपूर्ण है कि एक लोकसेवक दृढ़ता का गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसे अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न दबावों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रश्न: वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण उपजी नैतिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए इन चुनौतियों को दूर करने के उपाय सुझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

While mentioning the ethical challenges that the process of globalization has engendered, suggest ways to overcome these challenges.

उत्तर: वैश्वीकरण का तात्पर्य सामाजिक-आर्थिक संबंधों के वैश्विक विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों और देशों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता से है।

यद्यपि आर्थिक शक्तियाँ वैश्वीकरण का एक अभिन्न अंग हैं परंतु यह सामान्यत: आर्थिक, प्रौद्योगिकी, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और जैविक कारकों के संयोजन से प्रेरित होता है और इस प्रकार यह समाज को विभिन्न रूपों से प्रभावित करता है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंधित नैतिक चुनौतियाँ

- **बढ़ती असमानता:** धनी और गरीब के बीच का (व्यक्ति और राष्ट्र दोनों स्तर पर) अंतर विस्तृत हो गया है। जहाँ 20 प्रतिशत सबसे धनी व्यक्ति विश्व की 86 प्रतिशत संपत्ति का व्यय करते हैं। एक ओर जहाँ उन्नत पूंजीवादी राष्ट्र औद्योगिकीकरण के लाभों का आनंद लेते हैं, विश्व के बाकी राष्ट्र औद्योगिक गतिविधियों द्वारा उपजे नकारात्मक परिणामों को भुगतने के लिये विवश हैं।
- **उपभोक्तावाद की संस्कृति:** उपभोक्तावाद की संस्कृति की बढ़ती प्रवृत्तियों जैसे 'तेज़ी से बदलता फैशन' के चलते कम लागत पर तेज़ी से उत्पादन विभिन्न नैतिक मुद्दों का कारण बनता है। यह उन श्रमिकों के लिये संकट उत्पन्न करता है जो अत्यधिक गरीब हैं या आमतौर पर आप्रवासी, युवा महिलाएँ या बच्चे हैं। उन्हें अस्वस्थ परिस्थितियों में लंबे समय तक कार्य और मौखिक एवं शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है।
- **मानवाधिकार संबंधी मुद्दे:** उद्योगों में सम्मिलित अस्वस्थ कार्य वातावरण और कम वेतन श्रमिकों को मूलभूत मानवाधिकारों के प्रयोग से रोकते हैं।
- **शरणार्थी संकट:** पर्यावरणीय शरणार्थियों (जो प्राकृतिक आपदा या परिवर्तन के परिणामस्वरूप शरणार्थी) और आर्थिक शरणार्थियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जो अक्सर प्रवासियों के अधिकारों के उल्लंघन में भी वृद्धि करती है।
- **पर्यावरणीय ह्रास:** प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता एवं आवासन की हानि आदि ने पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को संकट में डाल दिया है।

- **आध्यात्मिक व्यवधान:** अन्य कारकों के बीच ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रगति द्वारा संचालित भौतिकवाद के वैश्विक प्रसार के परिणामस्वरूप आध्यात्मिक व्यवधान में वृद्धि हुई है।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवधान:** परिवारों और समुदायों का विघटन, एकल परिवारों में वृद्धि और वृद्ध माता-पिता का बढ़ता अलगाव, बढ़ता निजीकरण और इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य देखभाल; शिक्षा और अन्य सामाजिक सेवाओं की लागत में वृद्धि आदि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे हैं।

इन चुनौतियों से उबरने के उपाय

- आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करने के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक आधारभूत आय, कार्यस्थल कानूनों में सुधार तथा महिलाओं एवं समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को सशक्त करने हेतु प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है।
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और शरणार्थियों एवं प्रवासियों के लिये घोषणा के पालन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा शरणार्थियों व प्रवासियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सकती है।
- प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता का संरक्षण, 3 आर **(रिड्यूस, रीयूज़ और रीसायकल)** की नीति को अपनाना, उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन प्रथाओं आदि द्वारा पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाई जा सकती है।
- जलवायु परिवर्तन, प्रवासियों के अधिकार, मानव एवं वन्यजीव तस्करी की रोकथाम आदि मुद्दों पर प्रभावी वैश्विक प्रशासन इन महत्त्वपूर्ण चुनौतियों को दूर करने में सहायता प्रदान कर सकता है।
- ऐसे नेतृत्व को बढ़ावा देना चाहिये जो सद्गुण नीतिशास्त्र की आवश्यकता को स्थापित कर सके, साथ ही वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण उपजी नैतिक चुनौतियों को कम करने में भी सहायता प्रदान कर सके।

प्रश्न: निम्नलिखित के मध्य विभेद कीजिये: (150 शब्द, 10 अंक)

Differentiate between the following:

वैयक्तिक नैतिकता और व्यावसायिक नैतिकता

उत्तर: वैयक्तिक नैतिकता: वैयक्तिक नैतिकता का आशय उस नैतिकता से है जो एक व्यक्ति को दैनिक जीवन में उसे मिलने वाले लोगों व उसके समक्ष आने वाली परिस्थितियों के संबंध में उसके व्यवहार को दर्शाती है।

व्यावसायिक नैतिकता: व्यावसायिक नैतिकता उस नैतिकता को संदर्भित है जिसका एक व्यक्ति द्वारा उसके व्यावसायिक जीवन में वार्ता एवं व्यवसाय के संबंध में पालन किया जाना आवश्यक हो जाता है।

उदाहरणत: एक सैनिक घर में बहुत दयावान व्यक्ति हो सकता है, परंतु युद्ध के दौरान उसे लड़ाई लड़नी होगी। इसी तरह, एक राजनयिक को ईमानदार होते हुए भी राष्ट्रहित के लिये झूठ बोलना पड़ सकता है।

समानुभूति और करुणा

उत्तर: समानुभूति: समानुभूति का तात्पर्य दूसरे व्यक्ति के स्थान पर स्वयं के होने की कल्पना करने तथा दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं, विचारों एवं कार्यों को समझने की क्षमता से है। अन्य शब्दों में, समानुभूति दूसरों व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और चिंताओं को सही रूप से सुनने व समझने में सक्षम होने से संबंधित है, चाहे ये विचार उनके द्वारा स्पष्टत: व्यक्त भी नहीं किये जाएँ।

करुणा: करुणा का शाब्दिक अर्थ है 'एक साथ कष्ट सहना'। इसे उस भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब आप दूसरे व्यक्तियों के दुख का सामना करते हैं और उस दुख को दूर करने के लिये प्रेरित महसूस करते हैं।

एक ओर, समानुभूति सामान्यत: किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को महसूस करने की व्यक्ति की क्षमता को अधिक संदर्भित करती है, वहीं दूसरी ओर, उन भावनाओं एवं विचारों में सहायता प्रदान करने की इच्छा भी शामिल हो जाने की स्थिति करुणा कहलाती है।

नीतिशास्त्र और नैतिकता

उत्तर: नीतिशास्त्र: नीतिशास्त्र को मानव की न्यायपूर्णता या अन्यायपूर्णता के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि परम सुख की प्राप्ति का एक माध्यम है। दूसरे शब्दों में, नीतिशास्त्र उन मानकों का एक समूह है जो समाज स्वयं पर करता है और जो समाज व्यवहार, चयन और कार्यविधियों को निर्देशित करने में सहायता प्रदान करता है।

नैतिकता: नैतिकता एक व्यावहारिक आचरण संहिता का वर्णन करती है, जिसका पालन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इन आचरणों का पालन व्यक्ति द्वारा बातचीत, समर्थन एवं दूसरे व्यक्तियों के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये किया जाता है। यह कानून या अन्य लोगों द्वारा कथित बातों पर आधारित न होकर व्यक्ति की अंतरात्मा विवेक पर आधारित होती है।

नीतिशास्त्र उस संहिता को परिभाषित करता है जिसका एक समाज या लोगों के एक समूह द्वारा पालन किया जाता है, जबकि नैतिकता व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक दोनों में बहुत गहन स्तर पर सही और गलत का विभेदन करती है।

नीति-संहिता और आचार-संहिता

उत्तर: **नीति-संहिता:** 'नीति-संहिता' सामान्यत: व्यापक और अविशिष्ट है, जो मूल्यों का समूह या निर्णयन दृष्टिकोण प्रदान करने के लिये निर्मित की गई है। ये मूल्य या दृष्टिकोण कर्मचारियों को कार्यों के निष्पादन के लिये सबसे उपयुक्त कार्यविधि के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

आचार-संहिता: 'आचार-संहिता' के मानकों को आमतौर पर बहुत कम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है; इसमें या तो आप किसी नियम का पालन करते हैं या उल्लंघन करने पर दंड का भुगतान करते हैं और आचार-संहिता अपनी अपेक्षाएँ स्पष्ट कर देती हैं कि किन कार्यविधियों के लिये क्या आवश्यक है, क्या स्वीकार्य है या क्या निषिद्ध है।

नीति-संहिता और आचार-संहिता के मध्य प्राथमिक विभेद यह है कि नीति-संहिता सिद्धांतों का एक समूह है जो निर्णय को प्रभावित करता है जबकि आचार-संहिता दिशा-निर्देशों का एक समूह है जो कार्यविधियों को प्रभावित करता है।

प्रश्न: लोक निधियों का प्रभावी उपयोग न केवल अर्थव्यवस्था तथा लोक वित्त की दक्षता के लिये, बल्कि समाज की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी अत्यावश्यक है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Effective utilization of public funds is essential not only for economy and efficiency of public finance but also for meeting the development needs of the society. Discuss.

उत्तर: लोक निधियाँ सरकार द्वारा आम जनता को वस्तुओं एवं सेवाओं को प्रदान करने के लिये स्थापित निधियाँ हैं। इन निधियों का प्रभावी प्रयोग विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक है और यह सरकार का अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व बनाए रखने का एक माध्यम भी है। लोक निधियों के न्यून प्रयोग व गलत प्रयोग के ऐसे उदाहरण हैं जो न केवल अर्थव्यवस्था तथा लोक वित्त की दक्षता को प्रभावित करते हैं बल्कि सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इससे अंतिम रूप से सरकारी प्रणाली पर नागरिकों के विश्वास का क्षरण होता है।

लोक निधि का प्रभावी प्रयोग सरकार के प्रति एक अनुशासनबद्ध दृष्टिकोण का निर्माण करता है। दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम प्रयोग होता है और लोक निधि के अपव्यय व चोरी जैसी घटनाएँ नहीं होती हैं। सरकार का ऋण भार नियंत्रण में होता है। दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों के सृजन पर ध्यान केंद्रित होता है। लोक निधियों का प्रभावी प्रयोग यह भी सुनिश्चित करता है कि वे मात्र उत्पादन (निर्गत) हेतु नहीं बल्कि परिणामों से भी संबंधित हैं।

साथ ही लोक निधियों का प्रभावी प्रयोग यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है कि विभिन्न कल्याणकारी एवं विकासशील कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निधियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और परिणामस्वरूप समाज विकास की ओर अग्रसर हैं। हालाँकि लोक निधियों के प्रभावी प्रयोग का अर्थ केवल यह नहीं है कि लोक निधियों का कोई अपव्यय व चोरी नहीं होती है। संबंधित नीति के लक्षित अंतिम परिणामों की प्राप्ति भी अत्यंत आवश्यक है। इन कार्यक्रमों के बाह्य लक्ष्य आवश्यक हैं परंतु उनके अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

उदाहरणत: स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतिम लक्ष्य शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर को कम करना है। अस्पतालों, बिस्तरों, उपकरणों, दवाओं, पोषक तत्त्वों की आपूर्ति और डॉक्टरों एवं पराचिकित्सीय कर्मचारियों की चिकित्सा सेवाओं जैसे प्रतिलाभ केवल लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं और ये स्वत: लक्ष्य नहीं हो सकते हैं।

इसी प्रकार, प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा में लोक निधियों का प्रयोग केवल शिक्षकों की भर्ती, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने या स्कूलों के निर्माण तक ही सीमित नहीं होना चाहिये। शिक्षा क्षेत्र में लोक निधियों के प्रभावी प्रयोग का अर्थ है कि छात्रों के विद्यालयीन कौशल में ठोस सुधार, यथा- बोध के साथ पठन, स्पष्ट रूप से लेखन और गणितीय प्रश्नों को हल करने का कौशल आदि शामिल हैं।

इसलिये लोक निधियों से व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी का वित्तीय दायित्वों के उच्चतम मानकों द्वारा मार्गदर्शन किया जाना चाहिये। प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय आदेश, सख्त मितव्ययिता तथा दक्षता को भी लागू करना चाहिये और सभी प्रासंगिक वित्तीय नियमों एवं विनियमों का पालन उसके अपने कार्यालय व अधीनस्थों द्वारा किया जाए।

प्रश्न: प्राय: ऐसा समय भी आता है जब नीतिशास्त्र और विधि एक-दूसरे से संघर्ष करते प्रतीत होते हैं। उदाहरण देते हुए ऐसे संघर्षों के समाधान हेतु उपाय सुझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

There are times when ethics and law come in conflict with each other. While citing examples of such instances, suggest ways to resolve such conflicts.

उत्तर: नीतिशास्त्र उस प्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य नैतिक निर्णय लेते हैं। यह विचार की एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों के निर्णय उनकी गलत आदतों, सामाजिक परंपराओं या स्वहित पर आधारित न होकर उनके मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों पर आधारित होते हैं।

दूसरी ओर विधि भिन्न है, यह समुदाय के सफल होने और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किये जाने हेतु आवश्यक व्यवहार का एक मूलभूत और प्रवर्तनीय मानक बनाने की प्रयास करती है। विधि हमारे सामाजिक संस्थानों के क्रियान्वयन को बनाए रखने के लिये आवश्यक एक मूलभूत मानक को रेखांकित करती है।

हालाँकि विधि का मूल नीतिशास्त्र या नैतिकता के अपेक्षाकृत संकीर्ण है। कुछ ऐसे स्थितियाँ हैं जिन पर विधि निष्क्रिय है परंतु उन मुद्दों पर नीतिशास्त्र और नैतिकता बहुत सक्रिय हैं। ऐसे भी मौके हो सकते हैं जब विधि का पालन करने हेतु हमें अपनी नीतिशास्त्र या नैतिकता के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता होती है।

नीतिशास्त्र और विधि के बीच संघर्ष के उदाहरण

- एक चिकित्सक ऐसी उपचार प्रक्रिया अपनाना चाहता है जिसे वह नैतिक मानता है, परंतु गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (1971) जैसी विधि उसे ऐसा करने से रोकती है। यह कानून गर्भावस्था के 20 सप्ताह से बाद गर्भपात की अनुमति नहीं देता है और गर्भपात केवल न्यायालय की अनुमति द्वारा ही कराया जा सकता है।
- भारतीय दंड संहिता की तत्कालीन धारा 377 में समलैंगिकता तथा सभी अप्राकृतिक यौन कृत्यों को गैर-कानूनी घोषित किया गया था। इस धारा के कारण एल.जी.बी.टी. (लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर) समुदाय के सदस्यों को उनकी अलग यौन पहचान के परिणामस्वरूप सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यदि हम इस विधि को नैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति

को यह निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिये कि वह अपना जीवन कैसे जीना चाहता है। परंतु विधि का इस मामले में अलग ही मत था।

- **स्त्री जननांग अंगच्छेदन (Female Genital Mutilation):** भारत में दाउदी बोहरा समुदाय द्वारा इस प्रथा का पालन किया जाता है। यह प्रथा अनैतिक और बहुत खतरनाक है। यह बिना किसी चिकित्सीय विशेषज्ञता के एक अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा संचालित की जाती है। फिर भी, इस प्रथा को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया गया विधि का संरक्षण प्राप्त है।
- इसी प्रकार भारत में इच्छामृत्यु; व्यभिचार; वैवाहिक बलात्कार से संबंधित विधिक प्रावधान नैतिक मानकों के सापेक्ष भिन्नता रखते हैं।

ऐसे संघर्षों को हल करने के उपाय

- **क्रमिक प्रक्रिया:** विधि और नीतिशास्त्र के बीच संघर्ष को हल करना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। एक समय में एक मान्यता जिसे नैतिक के रूप में लिया गया था, वह किसी अन्य समय पर उतनी नैतिक नहीं हो सकती है।

उदाहरण के लिये, जाति आधारित भेदभाव एक समय में नैतिक माना जाता था। परंतु संविधान के लागू होते ही यह अनैतिकता में परिवर्तित हो गया। प्रारंभ में, इस तरह के जाति-आधारित निषेध का पालन करने वालों की नैतिकता का विधि के साथ संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे-धीरे यह संघर्ष थम गया।

- **तर्कवाद और वैज्ञानिक मानसिकता को बढ़ावा देना:** ये दोनों मूल्य नागरिकों को विधि के कारणों तथा उद्देश्यों को समझने में सक्षम बनाते हैं।
- **संवैधानिक नैतिकता:** गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, समानता तथा न्याय जैसे संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों को बनाए रखने वाली किसी भी विधि द्वारा हमेशा ऐसी नैतिकता को अधिक्रमित कर दिया जाना चाहिये जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करे, फिर भले ही राज्य अपने नागरिकों को उस विधि का पालन करने के लिये बाध्य क्यों न करता हो।
- **विधि का पालन करना:** एक अनुशासित समाज को विधियों का कठोरता से पालन करने की आवश्यकता होती है; अन्यथा सामाजिक अराजकता का जोखिम बना रहेगा। किसी व्यक्ति को विधि में बदलाव करने की मांग करने का अधिकार होना चाहिये, परंतु उसे विधि का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

अन्यायपूर्ण विधियों की स्थिति में एक समाज सविनय अवज्ञा में सम्मिलित हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संपूर्ण विचार एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित था जहाँ औपनिवेशिक काल की अन्यायपूर्ण विधियों के विरुद्ध नैतिकता आधारित नागरिक अवज्ञा आंदोलन द्वारा लड़ा गया था।

प्रश्न: भारत में एक स्वस्थ राजनीतिक संस्कृति के अनुपालन में निम्नलिखित की भूमिका को स्पष्ट कीजिये:

(150 शब्द, 10 अंक)

Explain the role of the following in bringing about a healthy political culture in India:

राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण
State funding of elections

उत्तर: चुनावों में अवैध तथा गैर-कानूनी रूप से होने वाला अत्यधिक खर्च भ्रष्टाचार के मूल कारणों में से एक है। जबकि व्यय की औपचारिक सीमाएँ तय हैं, फिर भी वास्तविक व्यय इससे अधिक ही होता है। यह 'अपरिहार्य' एवं सर्वव्यापी भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता है, जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति की प्रकृति को विकृत करता है साथ ही यह लोकतंत्र में विश्वास को भी कमज़ोर करता है। राजनीति में नैतिक मानकों को सुधारने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा प्रशासन में गड़बड़ियों को दूर करने के लिये निष्पक्ष चुनाव सबसे महत्त्वपूर्ण है।

गैर-कानूनी खर्च से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने का एक उपाय राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण हो सकता है। राज्य द्वारा चुनावों के वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998), चुनाव से संबंधित कानूनों में सुधार हेतु विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण किये जाने की वकालत की गई हैं। राज्य द्वारा चुनावों का वित्तपोषण किये जाने का उद्देश्य राजनीतिक दलों तथा निजी अनुदानकर्त्ताओं के बीच अधिक-से-अधिक रोधन (Insulation) तैयार करना है। चूँकि चुनाव अभियानों में अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है तथा चुनावों के दौरान नियमित राजनीतिक गतिविधियों में भी अधिक लागत आती है, यही कारण है कि राजनीतिक दल निजी अनुदानकर्त्ताओं पर निर्भर होते जा रहे हैं। अक्सर इस प्रकार का समर्थन चुनावों के बाद अनुदानकर्त्ताओं की सहायता (भिन्न-भिन्न प्रकार से) के आधार पर प्राप्त होता है। व्यावसायिक घराने एवं उद्यमी राजनीतिक दलों को अनुदान देते हैं तथा उनके माध्यम से सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

राज्य द्वारा किया जाने वाला वित्तपोषण राजनीतिक दलों की दैनिक कार्य के संचालन, राजनीतिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा चुनाव अभियानों के प्रबंधन के लिये किसी भी बाह्य वित्तपोषण (एक मामूली सदस्यता शुल्क को छोड़कर) पर निर्भरता को कम करेगा। यह पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भी वृद्धि करेगा, चुनाव-संबंधी खर्चों में काले धन के उपयोग को कम करेगा तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगा। यह सभी उम्मीदवारों के लिये समान अवसर भी प्रदान करेगा।

प्रश्न: दल-बदल विरोधी कानून को सुदृढ़ करना
Tightening of anti-defection law

उत्तर: दल-बदल लंबे समय से भारतीय राजनीतिक जीवन में एक रोग की तरह मौजूद है। निजी हितों को आगे बढ़ाने के लिये राजनीतिक प्रणाली में एक हथकंडे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक शक्तिशाली स्रोत है।

इस समस्या का समाधान करने के लिये दल-बदल विरोधी कानून बनाया गया, जिसमें एक निश्चित संख्या के ऊपर एक समूह में दल-बदल की अनुमति दी गई थी। हालाँकि इस तरह के चुनिंदा दल-बदल को वैध बनाना, राजनीतिक नैतिकता तथा अवसरवाद के अनुचित उपयोग का

अवसर प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी रूप या संदर्भ में दल-बदल की अनुमति देना राजनीति में नैतिकता का उपहास बनाना है। वर्ष 2003 में दसवीं अनुसूची के दल-बदल विरोधी प्रावधानों को कड़ा करने के लिये 91वाँ संशोधन अधिनियम लाया गया, इसमें सभी राजनीतिक दल-बदल वाले पक्षों, चाहे वह एकल हो या समूहों में, के लिये अपनी विधायी सदस्यता से इस्तीफा देना अनिवार्य कर दिया गया है।

दल-बदल कानून सरकार को किसी भी दल-बदल के मामले में राजनीतिक सदस्यों को दंडित करने की स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा दल-बदल विरोधी कानून सदस्यों में अपनी पार्टी के प्रति वफादारी की भावना को बढ़ाने में सहायता करता है।

इसके अतिरिक्त दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का मुद्दा चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिये।

प्रश्न: लोकसेवकों के लिये नीति-संहिता
Code of ethics for public servants

उत्तर: लोकसेवक जनता को सेवाएँ प्रदान करते हैं, प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हैं तथा सरकारी संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। उनके कार्य सीधे जनता को तथा सरकार में जनता के विश्वास को प्रभावित करते हैं। अत: जनता लोकसेवकों से उच्च व्यावहारिक मानदंडों तथा नैतिक आचरण की मांग करती है।

बड़े सामाजिक हित के लिये स्वयं में उच्च मूल्यों का विकास तथा ज़रूरतमंद लोगों के लिये सहानुभूति की भावना का विकास करना ऐसे कौशल नहीं हैं जिन्हें लोकसेवाओं में शामिल होने के बाद आसानी से आत्मसात किया जा सके। इस तरह के दृष्टिकोणों को न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार नीति-संहिता नैतिक आचरण पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है तथा लोकसेवकों एवं अन्य सार्वजनिक अधिकारियों के व्यवहार को विनियमित कर सकती है।

यह महत्त्वपूर्ण है कि नीति-संहिता को ज़िम्मेदारी एवं जवाबदेही की धारणा में आधारित किया जाए। एक लोकतंत्र में प्रत्येक सार्वजनिक पद धारक अंतत: जनता के प्रति जवाबदेह होता है। नीति-संहिता को यह निर्देशित करना चाहिये कि लोकसेवक अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में संवैधानिक एवं नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को कैसे बनाए रखें। न्याय के शासन को बनाए रखने तथा सार्वजनिक जीवन की अखंडता की रक्षा हेतु कानून का पालन करने के लिये इसे लोकसेवकों के अति-महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य पर आधारित होना चाहिये।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण से आप क्या समझते हैं?
What do each of the following quotations mean to you?
"खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, में एक सामंजस्य होता है। –महात्मा गांधी
(150 शब्द, 10 अंक)
"Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony" –Mahatma Gandhi

उत्तर: इन शब्दों द्वारा गांधीजी ने व्यक्ति की अखंडता पर बल दिया। उनका यह उद्धरण किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में न्याय परायणता और मन, हृदय एवं आत्मा की अखंडता का आह्वान करता है।

इससे अलग व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला कोई भी व्यक्ति संज्ञानात्मक असामंजस्य की स्थिति को दर्शाता है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें विरोधात्मक अभिवृत्ति, विश्वास या व्यवहार शामिल हैं। इससे किसी व्यक्ति के अभिवृत्ति, विश्वास या व्यवहार में परिवर्तन हेतु मानसिक असहजता की भावना उत्पन्न होती है। जब हमारी बातें और कार्यविधियाँ एक समान नहीं होती हैं, तो हम वास्तव में स्वयं को और दूसरे व्यक्तियों को यह बता रहे होते हैं कि हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, हमारे विचारों, बातों और कार्यविधियों में अखंडता की कमी होती है। यह हमारे स्वयं पर विश्वास की भावना को समाप्त कर सकता है, जो फलत: हमारे आत्म-सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

हमारे विचारों और कार्यविधियों में संज्ञानात्मक सामंजस्य या समानता आत्म निश्चय की मांग करती है। आत्म निश्चय की कमी के लिये किसी व्यक्ति के उसके प्रति राय बनने के भय या उनके पूर्णत: कुछ करने के लिये प्रतिबद्ध नहीं होने को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। हालाँकि किसी व्यक्ति का उसके विश्वासों के आधार पर कार्य करना तथा वह करना जो वह सही मानता है खुश रहने, स्वतंत्र होने और स्वयं को व्यक्त करने का एकमात्र सही तरीका है।

प्रश्न: मानव आचरण के तरीके को निर्धारित करने में नैतिक सापेक्षवाद की भूमिका नैतिक निरपेक्षता की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण है। परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
Moral relativism has a more important role in determining the course of human conduct than ethical absolutism. Examine.

उत्तर: नैतिक निरपेक्षवाद का यह मानना है कि कुछ सार्वभौमिक नैतिक मानक हैं जो हर स्थिति पर लागू होते हैं। यह उन वस्तुनिष्ठ नियमों पर आधारित है जिनका व्यवहार आचरण में पालन किया जाता है तथा जो अच्छे और बुरे की निश्चित धारणाओं पर आधारित होते हैं।

नैतिक सापेक्षतावाद का मत है कि सत्य और मिथ्या, सही और गलत, तर्क के मानक और औचित्य की प्रक्रियाएँ अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग हो सकते हैं। यह एक ऐसा दर्शन है जिसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो सभी लोगों के लिये, सभी परिस्थितियों में तथा सभी स्थानों पर एक समान तरीके से लागू हो।

नैतिक सापेक्षवाद इस बात पर बल देता है कि किसी घटना के पीछे क्या कारण है। इसके साथ ही यह अधिक मानवीय दृष्टिकोण के माध्यम से घटना को समझने की कोशिश करता है, जैसे:

- यह विश्व में मौजूद विविधता के लिये अनुमति देता है।
- यह समझता है कि जीवन सिर्फ काला और सफेद नहीं है।

- संस्कृति यह मान सकती है कि उनकी प्रथा अन्य सांस्कृतिक प्रथाओं की तुलना में अधिक न्यायसंगत है, लेकिन एक सापेक्षवादी दृष्टिकोण विभिन्न लोगों की विभिन्न संस्कृति के अच्छे मूल्यों को स्वीकार करने की अनुमति देता है।

उदाहरण के लिये, अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध और अंकुश को लोक व्यवस्था बनाए रखने के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, जबकि निरपेक्षवादी कहेंगे कि मुक्त भाषण पर कोई भी प्रतिबंध सही नहीं है, भले ही इससे जीवन का नुकसान ही क्यों न हो।

हालाँकि, नैतिक सापेक्षवाद से जुड़े कुछ मुद्दे हैं

- नैतिक सापेक्षवाद में हर कोई अपने लिये सही या गलत का निर्धारण करता है। इस प्रकार यह नैतिक आचरण का पालन करने से 'बचने का मार्ग' प्रदान करता है।
- नैतिक सापेक्षवाद भी अंततः अच्छे के अर्थ को कम करता है तथा जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, उसकी ओर जाता है। उदाहरण के लिये, यदि कोई संस्कृति पत्नी की पिटाई की अनुमति देती है, तो सापेक्षवादी यह तर्क भी दे सकते हैं कि पत्नी की पिटाई नैतिक रूप से स्वीकार्य है।
- यह तय करना अधिक कठिन हो सकता है कि विभिन्न परिस्थितियों में नियमों को कब बदलना होगा।

लोग अक्सर कांट की निरपेक्ष नैतिकता की स्पष्ट अनिवार्यता के अर्थ का नागरिक कानूनों के मामले में पालन करते हैं। आमतौर पर मानव जीवन में नैतिक सापेक्षवाद के संदर्भ में अधिकतर ऐसा होता है क्योंकि लोगों की कार्रवाई निर्देशित होती है। नैतिक सापेक्षवाद से संबंधित मुद्दे हैं-

- सामाजिक मूल्य
- स्थिति की गतिशीलता
- परिवार और संदर्भ समूह मूल्य
- राष्ट्रीय हित
- सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियाँ
- संगठनात्मक व्यवहार

विभिन्न समाजों में परिवर्तन और बहुलता ने जीवन से संबंधित मुद्दों हेतु नैतिक सापेक्षवाद को जन्म दिया है। लेकिन निश्चितता के मामले में लोग अभी भी नैतिक व्यवहार मानकों के आधार को बरकरार रखते हैं।

प्रश्न: एक लोक सेवक के लिये कानून और अंतरात्मा के मध्य का चुनाव हमेशा कठिन होता है। एक उपयुक्त उदाहरण के साथ ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली दुविधा को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Between law and conscience, the choice of a public servant is always difficult. Explain the dilemma arising in such a situation with an appropriate example.

उत्तर: नैतिक दुविधा को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ किसी व्यक्ति को दो-या-दो से अधिक प्रतिस्पर्द्धी मूल्यों पर निर्णय लेना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी एक को स्वीकार करने से दूसरे मूल्य के साथ समझौता हो सकता है।

ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं से अंतरात्मा का संकट पैदा होता है। अंतरात्मा का संकट एक ऐसी स्थिति है जिसमें सही-गलत का निर्णय करना बहुत मुश्किल होता है।

कानून और अंतरात्मा के बीच नैतिक दुविधा उत्पन्न होने के कारण

पुरातन कानून: कई बार कानून वर्तमान सामाजिक मानदंडों या वर्तमान पीढ़ी के मूल्यों के साथ तालमेल नहीं रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कानून और अंतरात्मा के बीच नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है।

कानून की जटिलता: कभी-कभी कानूनों को बहुत जटिल तरीके से तैयार किया जाता है और अस्पष्टता के करण इसे समझना मुश्किल होता है। इस प्रकार ऐसे कानूनों का पालन करना बहुत कठिन है।

उच्च अधिकारी के आदेश के तहत: अधीनस्थ लोकसेवक के लिये अधीक्षक या प्रभारी मंत्री के आदेश पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल होता है।

उदाहरण के तौर पर

1. जब एक लोक सेवक ऐसे कानून के अनुसार कार्य करता है, जो वर्तमान सामाजिक मानदंडों या वर्तमान पीढ़ी के मूल्यों के अनुसार नहीं होता है तब उसे कानून और अपनी अंतरात्मा के बीच दुविधा का सामना करना पड़ता है।
2. कई कानूनों में असाधारण स्थितियों पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके कारण सभी स्थितियों में समान समाधान की व्यवस्था की जाती है। लोक सेवक को अपने दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में ऐसी असाधारण स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ कानून और अंतरात्मा परस्पर विरोधी होती हैं।

इस तरह की नैतिक दुविधा को एक लोक सेवक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर हल कर सकता है। यहाँ तक कि **लोक सेवा (आचरण) नियम, 1964** का सुझाव है कि जब भी कोई कानून स्पष्ट नहीं होता है, तो लोक सेवकों को सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के लिये अपनी अंतरात्मा द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना चाहिये।

प्रश्न: यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को संस्थागत रूप दिया जाता है, तो इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सकता है, जबकि व्यक्तिगत पहल की अपनी सीमाएँ हैं। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Corruption can be effectively curbed if the fight against it is institutionalised, as the individual initiative has its limitations. Comment.

उत्तर: कॉर्पोरेट द्वारा भ्रष्टाचार और घोटाले के हालिया मामलों ने संस्थानों की जवाबदेही एवं सार्वजनिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की जाँच पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को महत्त्व दिया जाता है। हालाँकि, एक व्यक्ति

राजनीतिक और आर्थिक वातावरण, पेशेवर नैतिकता और नैतिकता तथा निश्चित रूप से, आदतों, रीति-रिवाजों, परंपरा और जनसांख्यिकी के कारण देश में सभी वित्तीय मामलों की देख-रेख नहीं कर सकता है।

ऐसी स्थिति में, हर स्तर पर भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाओं की व्यवस्था की गई है जिन्हें मज़बूत और सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

- **आपराधिक न्याय प्रणाली (सी.जे.एस.):** यह प्रणाली भ्रष्टाचार-रोधी उपायों को लागू करने में सहायता करती है, भ्रष्टाचार के अपराध की जाँच करती है तथा लोक सेवकों के लिये एक निवारक के रूप में कार्य करती है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.), केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) जैसे संस्थान भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों की जाँच तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं।
- केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) और सूचना का अधिकार अधिनियम जैसी संस्थाएँ जानकारी उपलब्ध कराने, पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता करती हैं।
- लोक सेवा आचरण संहिता जैसे संस्थागत नियम प्रभावी लोकसेवा के लिये पेशेवर नैतिकता और नैतिकता के लिये आवश्यक मानदंड निर्धारित करते हैं।

इन संस्थागत तंत्रों के बावजूद, इन संस्थानों में कुछ कमज़ोरियों के कारण लोकसेवा में भ्रष्टाचार अभी भी प्रचलित है, जैसे-

- **स्वायत्तता का अभाव:** सी.बी.आई. और सी.वी.सी. जैसी संस्थाओं को अपने कामकाज में स्वायत्तता नहीं दी जाती है। कुछ मामलों में, उनकी अनुशंसाएँ अनिवार्य नहीं हैं और उन अनुशंसाओं को लागू करने के लिये वे सरकार पर निर्भर होती हैं।
- चुनावी फंडिंग यकीनन राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे स्पष्ट स्रोत है। फंडिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में चुनावी बॉण्ड की शुरुआत विफल रही है। नए कानून के तहत, राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों और कॉर्पोरेट्स का विवरण सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जाएगा।
- **कमज़ोर संस्थान:** विभिन्न सरकारी विभागों में कई आर.टी.आई. अनुत्तरित हैं। सी.वी.सी. की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं और सरकार द्वारा कुछ मामलों को अति गोपनीय श्रेणी का बताकर आर.टी.आई. का जवाब देने से मना कर दिया जाता है।

लोगों के हितों को बेहतर तरीके से तब साधा जा सकता है जब यह सुनिश्चित करने के लिये तत्काल कदम उठाए जाएँ कि सी.वी.सी., सी.बी.आई. न्यायपालिका, आर.टी.आई., सी.आई.सी., बैंक प्रहरी जैसे संस्थान दबाव मुक्त हैं तथा इनकी उपेक्षा नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त इन संस्थानों को सशक्त और स्वतंत्र बनाने हेतु साहसी और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये।

प्रश्न: शासन में शुचिता बढ़ने से हमेशा भ्रष्टाचार में कमी नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? उदाहरण सहित अपने तर्क को प्रमाणित कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Increase of probity in governance does not always result in decrease of corruption. Do you agree? Substantiate your argument with examples.

उत्तर: भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये शुचिता, दक्षता और प्रभावी शासन व्यवस्था आदि आवश्यक तत्त्व होते हैं। शासन में शुचिता, एक कुशल एवं प्रभावी शासन प्रणाली तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये आवश्यक और महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि शुचिता में वृद्धि का आशय भ्रष्टाचार में कमी से है। लोक सेवकों पर विभिन्न आंतरिक और बाहरी दबाव के कारण अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही रही है।

हालाँकि, यदि हम विस्तार से विश्लेषण करें तो पाएँगे कि शुचिता बढ़ी तो है लेकिन समय के साथ भ्रष्टाचार के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। भ्रष्टाचार, जो पहले नौकरशाही के निचले स्तर में था, एक निश्चित स्तर तक कम हो गया है लेकिन विभिन्न रूपों में इसका विस्तार भी हुआ है। भ्रष्टाचार, कार्यान्वयन स्तर से नीति-निर्माण स्तर तक स्थानांतरित हो गया है।

सार्वजनिक इंटरफेस के प्रत्येक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एल.पी.जी.) सुधारों और निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के कारण राजनेताओं, नौकरशाहों तथा व्यापारियों के बीच साँठ-गाँठ बढ़ गई है। तकनीक के उपयोग से एक तरफ पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन इसने फर्ज़ी आई.डी. जैसे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों को भी जन्म दिया है। अत: यह तंत्र विश्वसनीय नहीं है।

विश्व बैंक विकास रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी है, फिर भी कार्रवाई की जवाबदेही स्थापित की जानी अभी शेष है।

प्रश्न: अभिवृत्ति पद से आप क्या समझते हैं? क्या विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियाँ एक-दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by the term attitude? Can different types of attitude influence each other?

उत्तर: अभिवृत्ति को सीखा जाता है तथा यह प्राय: स्थायी प्रवृत्ति होती है। किसी व्यक्ति, घटना या स्थिति का एक निश्चित तरीके से मूल्यांकन करने और उस मूल्यांकन के अनुसार कार्य करने का दृष्टिकोण ही अभिवृत्ति है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति में अभिवृत्तियों का विकास होता है तथा यह किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में व्यक्ति के दृष्टिकोण को तय करती है।

अभिवृत्ति के घटक

- विचार घटक को संज्ञानात्मक प्रकार्य कहा जाता है।
- भावनात्मक घटक को भावनात्मक प्रकार्य के रूप में जाना जाता है।
- कार्य करने की प्रवृत्ति को व्यवहार प्रकार्य कहा जाता है।

उपर्युक्त घटकों को ए-बी-सी (भावनात्मक-व्यवहारात्मक-संज्ञानात्मक) घटक के रूप में भी जाना जाता है।

चूँकि अभिवृत्ति निरंतर समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, इसलिये यह महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि लोगों में सही अभिवृत्ति का विकास हो अन्यथा लोग नैतिक आचरण एवं व्यवहार को सीखने और प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो सकेंगे।

अभिवृत्ति का भावनात्मक घटक भावनाओं, पसंद और नापसंद के साथ जुड़ा हुआ है। लोग समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से कुछ वस्तुओं के लिये मज़बूत अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं। इसलिये वे लोग जो भावनाओं को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की क्षमता रखते हैं, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। यह नैतिक दुविधा जैसी स्थितियों में सही निर्णय लेने में भी सहायता करता है।

समाजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिये राजनीतिक अभिवृत्ति और नैतिक अभिवृत्ति। निम्नलिखित तरीकों से एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं:

लोगों की नैतिक अभिवृत्तियों का दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिये किया जाता है। जैसे- राजनीतिक दल सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में उपयोग करने की कोशिश करते हैं।

मज़बूत नकारात्मक अभिवृत्ति का प्रयोग कभी-कभी सांप्रदायिक दंगों, नरसंहार आदि को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।

विशेष रूप से यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया हमेशा मनुष्य की अभिवृत्तियों को आकार देती है। इस प्रक्रिया में कुछ मज़बूत अभिवृत्तियों का विकास भी होता है और धीरे-धीरे यह मानव व्यवहार का एक अंतर्निहित हिस्सा बन जाती है।

प्रश्न: निर्णयन लेने में विवेक की भूमिका का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Analyze with an example, the role of discretion in decision making.

उत्तर: गलत को सही से तथा बुराई को अच्छाई से अलग करने वाली रेखाएँ ज्यामिति की महीन रेखाओं की तरह नहीं होती हैं। ये व्यापक और गहरी तथा अपवाद हैं। इस प्रकार, पारंपरिक ज्ञान यह निर्धारित करता है कि जिस स्थान पर वह नीति को लागू करने की कोशिश कर रहा है, उसके उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, यह तय करने के लिये अकेले अधिकारी ही सर्वश्रेष्ठ है।

विवेकाधिकार की व्यापक तथा निश्चित विशेषताएँ निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को शामिल करती हैं:

- विवेक स्वतंत्र रूप से न्याय करने या कार्य करने के लिये कुछ रास्ते या स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- विवेक का प्रशासनिक उपयोग परिस्थितियों को निर्धारित करने या आवश्यकता के अनुसार किसी के कार्यों का समायोजन करने हेतु कुछ ज्ञान के आधिपत्य को स्वीकार करता है।

लोकसेवकों को प्रशासन की रीढ़ माना जाता है क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें निर्णय लेने के लिये स्वतंत्रता और विवेक के साथ अपार शक्तियों की आवश्यकता होती है। विवेकाधीन शक्तियों के साथ समस्या इसके बड़े पैमाने पर दुरुपयोग में निहित है।

उदाहरण के लिये, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन की विवेक की शक्ति ने चुनाव आयोग में एक नई जान फूँक दी। दूसरी ओर, विवेक की शक्ति का उपयोग अक्सर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिये, एक अधिकारी जो किसी ज्ञात व्यक्ति को निविदा देने की अनुमति देता है।

एक प्रणाली में विशेषकर ज़मीनी स्तर की नौकरशाही में अधिकारियों के पास अत्यधिक विवेकाधिकार की शक्ति भ्रष्टाचार के अवसर को बढ़ा देती है। प्रणाली में विवेकाधिकार को कम करके, पारदर्शिता को बढ़ाकर तथा कार्यों के लिये सख्त जवाबदेही को लागू करके ऐसे अवसरों को न्यूनतम किया जा सकता है। सबसे सफल भ्रष्टाचार-रोधी सुधार वे हैं जो लोक अधिकारियों द्वारा नियंत्रित विवेकाधीन लाभ को कम करना चाहते हैं।

यह भी स्वीकार किया जाना चाहिये कि 'सही आचरण' के मानदंडों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिये मौजूदा ढाँचे को कठोर एवं अतार्किक कानूनों तथा नियमों के प्रवर्तन के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सही संतुलन बनाने का सवाल है। लोक सेवाओं के भीतर, ऐसे मानदंडों से अस्वीकार्य प्रस्थान के लिये निर्धारित 'प्रतिबंधों' के साथ अपेक्षित व्यवहार के मानदंडों को निर्धारित करने वाले औपचारिक, लागू करने योग्य कोड हैं।

विवेक एक कुल्हाड़ी की तरह है जो केवल उचित रूप से उपयोग किये जाने पर एक उपकरण है अन्यथा यह तबाही के लिये एक संभावित हथियार है। जब लोक प्रशासक अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो यह उनके विभागों/संगठनों के इरादों को प्रतिबिंबित करे।

प्रश्न: उपयुक्त उदाहरणों के साथ निम्नलिखित पदों के बीच के संबंध को समझाइये: (150 शब्द, 10 अंक)

Explain with appropriate examples the relationship between the following terms:

ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा (Honesty and Integrity)

उत्तर: ईमानदारी का अर्थ है, सच कहना तथा सच के साथ खड़ा रहना। जबकि सत्यनिष्ठा का अर्थ है, सभी प्रकार की स्थितियों, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में व्यवहार की उच्च गुणता।

समान संबंध	भिन्न संबंध
• जब कोई व्यक्ति उचित प्रकार से कार्य/व्यवहार करता है जैसे कि कार्रवाई में निष्पक्षता। • जो लोक सेवक भ्रष्ट नहीं हैं उनमें ईमानदारी के साथ-साथ सत्यनिष्ठा का गुण भी होता है।	• जो लोग भ्रष्ट हैं वे कुछ परिस्थितियों में ईमानदार हो सकते हैं लेकिन उनमें सत्यनिष्ठा की कमी होती है। • कोई व्यक्ति दुष्कार्यों के प्रति ईमानदार हो सकता है, किंतु उसमें सत्यनिष्ठा की कमी होगी। • जन सूचना अधिकारी अशिक्षित व्यक्ति को जानबूझकर जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसमें ईमानदारी के साथ-साथ सत्यनिष्ठा की कमी है।

- ईमानदारी का एक निहित सकारात्मक अर्थ होता है, जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं वे अच्छे लोग माने जाते हैं।
- ईमानदारी व्यक्ति द्वारा किये गए कार्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत गुणता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन सत्यनिष्ठा कार्य-उन्मुख है तथा एक व्यापक अवधारणा है।
- सत्यनिष्ठा नैतिक सिद्धांतों की दृढ़ता है।
- सत्यनिष्ठा में विचार एवं कार्य के बीच स्पष्टता शामिल है।
- सत्यनिष्ठा सदैव ईमानदारी लाती है लेकिन ईमानदारी सदैव सत्यनिष्ठा में परिवर्तित नहीं होती है।

प्रश्न: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कभी-कभी नियम एवं कानून समाज में नैतिक भ्रष्टाचार का आधार बन जाते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Do you agree that sometimes rules and laws become the basis for moral corruption in society?

उत्तर: सामाजिक न्याय एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिये किसी भी समाज में नियम और कानून महत्त्वपूर्ण होते हैं। वे समाज में लोगों के नैतिक आचरण के लिये मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। हालाँकि, कानूनों एवं नियमों पर बहुत अधिक निर्भरता लोगों को नैतिक भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। एक अनैतिक कार्य करने पर, व्यक्ति नियमों और कानूनों के प्रावधानों का हवाला देते हुए बहाने बनाता है, जो बहुत पुराने हो चुके हैं तथा वह वर्तमान सामाजिक मानदंडों का पालन नहीं करता है।

लोग केवल सज़ा से बचने के लिये ही कानून का पालन करते हैं, जो कानून का मूल औचित्य नहीं है-

- उनमें स्वार्थी होने की एक अंतर्निहित प्रकृति है जो नैतिक भ्रष्टाचार की ओर ले जाती है। 'मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है' (थॉमस हॉब्स)।
- समाज में क्रोनी कैपिटलिज़्म, धन द्वारा संचालित समाज, व्यवसायीकरण तथा भौतिकवाद का प्रभाव।
- सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी/सत्यनिष्ठा का कमज़ोर प्रवर्तन।
- लोगों में मज़बूत चरित्र का अभाव।
- बहुत से पुराने तथा कठोर कानून भी समाज में लोगों को कानूनों का दुरुपयोग करने के लिये आधार प्रदान करते हैं।
- औपनिवेशिक खुमारी, माई-बाप संस्कृति। (2nd ARC)
- प्रशासन में शक्ति का केंद्रीकरण। (2nd ARC)

सुझाव

- लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण के रूप में चरित्र निर्माण के लिये लोगों का मूल्यों को आत्मसात् करना।
- बदलते सामाजिक मानदंडों तथा आगामी पीढ़ियों के मूल्यों के अनुसार कानूनों एवं नियमों में परिवर्तन।
- सामाजिक संस्थाओं को मज़बूती प्रदान कर समाज में नियंत्रण एवं संतुलन में सुधार।
- नैतिक पारिस्थितिकी तंत्र या नैतिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना, जिसके लिये समाज में सभी से न्यूनतम मानकों की आवश्यकता होती है।

आचरण को वांछनीय माना जा सकता है भले ही वे कानूनों एवं नियमों द्वारा लागू न हों। इसके अलावा कानून लागू होने पर भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना मुश्किल है।

प्रश्न: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) के लिये एक नैतिक ढाँचे को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the need for developing an ethical framework for Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT).

उत्तर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) एक ऐसा कार्य-निष्पादन विज्ञान है जिसमें मानव मस्तिष्क की बजाय कंप्यूटर का उपयोग होता है, जबकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) भौतिक वस्तुओं (वाहन, मशीन, घरेलू उपकरण आदि) का एक नेटवर्क है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा इंटरनेट की सहायता से सूचना का आदान-प्रदान करते हैं।

ए.आई. तथा आई.ओ.टी. जैसी प्रौद्योगिकियों ने आज मानव जीवन में काफी सुधार किया है। जैसे-जैसे तकनीक अधिक सक्षम होती जाती है, हमारी विश्व और अधिक उत्पादक होती जाती है। हालाँकि, विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिक इन प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न नैतिक मुद्दों एवं चुनौतियों को लेकर चिंतित हैं।

ए.आई. तथा आई.ओ.टी. से संबंधित मुद्दे

- **निर्णय प्रक्रिया तथा दायित्व:** जैसे-जैसे ए.आई. का उपयोग बढ़ता जाएगा, निर्णयों के लिये ज़िम्मेदारी का निर्धारण करना अधिक कठिन हो जाएगा।
- **पारदर्शिता:** जब महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिये जटिल मशीन लर्निंग प्रणाली का उपयोग किया गया हो, तो एक विशिष्ट क्रियाविधि के पीछे के कारणों को ढूंढना कठिन हो सकता है। जवाबदेही तय करने के लिये मशीन रीज़निंग की स्पष्ट व्याख्या आवश्यक है।
- **पूर्वाग्रह:** मशीन लर्निंग प्रणाली निर्णय लेने वाली प्रणालियों को मौजूदा पूर्वाग्रह में उलझा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिये ध्यान रखा जाना चाहिये कि ए.आई. भेदभाव से मुक्त हो।
- **मानवीय मूल्य:** प्रोग्रामिंग के बिना, ए.आई. प्रणाली में कोई मूल्य या 'व्यावहारिक ज्ञान' नहीं होता है।
- **डेटा सुरक्षा:** ए.आई. की क्षमता बड़े डेटा समूहों तक पहुँच में निहित है। ए.आई. प्रणाली, जो एक डेटा समूह पर प्रशिक्षित होती है, नए डेटा समूह पर लागू करने पर एक अलग परिणाम दे सकती है। अधिक डेटा उत्पन्न होने के साथ, डेटा स्वामित्व का मुद्दा भी उठता है। डेटा संरक्षण और गोपनीयता अधिकारों पर प्रौद्योगिकी भी मज़बूत नहीं है।

- **साइबर सुरक्षा:** जैसे-जैसे ए.आई. पर निर्भरता बढ़ेगी, साइबर सुरक्षा का महत्त्व बढ़ेगा। भरोसा बनाए रखने के लिये सभी भागीदारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये।

इस संदर्भ में ए.आई. और आई.ओ.टी. के लिये एक नैतिक ढाँचा विकसित करना अनिवार्य है, जिसमें निम्नलिखित आधारों को शामिल किया जाना चाहिये:

- ए.आई. का मानवता के लिये लाभप्रद होना आवश्यक है। यहाँ इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि ए.आई. मानवीय गरिमा तथा अच्छाई को बढ़ावा दे तथा हमारे गृह की सततता में योगदान दे।
- ए.आई. को गोपनीयता या सुरक्षा को भी कमतर नहीं करना चाहिये।
- ए.आई. को मानव की स्वायत्तता एवं निर्णय लेने और विकल्पों के बीच चयन करने की क्षमता की रक्षा करनी चाहिये। ए.आई. को हमारे सेवक की भूमिका में होना चाहिये न कि हमारा स्वामी बनना चाहिये।
- मुख्य चिंता न्याय या निष्पक्षता होनी चाहिये। ए.आई. को असमानता, भेदभाव तथा अन्याय के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता को बढ़ावा देना चाहिये। नवाचार समावेशी हो तथा विविधता के साथ-साथ सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला होना चाहिये।
- उपरोक्त उपायों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि हमारे पास ए.आई. प्रणाली की कार्यपद्धति (पारदर्शिता) के संदर्भ में समझ न हो तथा यह किस प्रकार किसी निर्णय पर पहुँचती है (जवाबदेही), के संदर्भ में कोई व्याख्या न हो।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि नैतिकता एक सक्षम बनाने वाला माध्यम हो, न कि कानून को दरकिनार करने या नवीन अनुप्रयोगों के सकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिये उपयोग की जाने वाली अवधारणा। विश्व को वैश्विक चुनौतियों, जिसमें असमानता, कट्टरवाद, लोकलुभावनवाद, जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापन शामिल हैं, से निपटने के लिये सभी क्षमताओं की आवश्यकता है। इस प्रकार ए.आई. तथा आई.ओ.टी. जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये एक नैतिक ढाँचा अनिवार्य हो जाता है।

प्रश्न: कार्य संस्कृति क्या है? क्या आपको लगता है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों में अलग-अलग कार्य संस्कृति पाई जाती है? (150 शब्द, 10 अंक)

Explain what is work culture. Do you think that different types of organizations have different work culture?

उत्तर: कार्य संस्कृति या संगठन संस्कृति सामूहिक मान्यताओं, मूल्यों, नियमों तथा व्यवहार का एक समुच्चय है जिसका संगठन सामूहिक रूप से पालन करते हैं। एक सामान्य दृष्टिकोण में यह एक संस्कृति है जो एक समूह, एक संगठन के रूप में अनुसरण करता है। संस्कृति परिवार, क्षेत्र, सामाजिक वर्ग तथा कार्य के परिवेश के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। कार्य संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक-

- मूलभूत मूल्य
- नियम, प्रक्रिया
- प्रौद्योगिकी
- संचार
- संगठन द्वारा किये जा रहे कार्य
- कार्मिक प्रबंधन/नीतियाँ

भारत के संगठनों में तीन प्रकार की कार्य संस्कृति पाई जाती है-

नौकरशाही: यह आमतौर पर सरकारी या नागरिक क्षेत्र में पाई जाती है। हालाँकि कुछ निजी क्षेत्र इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तथा औपचारिक संस्कृति से चिह्नित किये जाते हैं। भारत में नौकरशाही कार्य संस्कृति लोगों को सेवाएँ देते समय लालफीताशाही, अभिजात्यवाद, गोपनीयता तथा भ्रष्टाचार के लिये प्रसिद्ध है। ये विशेषताएँ ब्रिटिश विरासत की देन हैं, लेकिन वर्तमान समय में लोक सेवाओं की भूमिका एवं कार्य में परिवर्तन आया है तथा इस प्रकार कार्य संस्कृति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है।

अर्द्ध-पेशेवर: यह आमतौर पर सार्वजनिक उपक्रमों में पाई जाती है। यह कम औपचारिक संस्कृति से चिह्नित किये जाते हैं। वर्ष 1990 से सार्वजनिक उपक्रम कार्य संस्कृति के संदर्भ में कॉर्पोरेट सेक्टर की बराबरी करने का प्रयास कर रहे हैं।

व्यावसायिक: यह आमतौर पर कॉर्पोरेट क्षेत्र में पाई जाती है तथा एक आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण से चिह्नित की जाती है, जो औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों हो सकती है। यह पश्चिम प्रबंधन की संस्कृति प्रथाओं को दर्शाती है, जहाँ दक्षता/लाभ मुख्य लक्ष्य है।

सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्र सेवा की गुणवत्ता के कुछ मामलो के संबंध में उपुयक्त हैं, लेकिन उनमें कुछ समस्याएँ हैं। निजी क्षेत्र में लोकसेवा का लक्ष्य नहीं पाया जाता है। इसका लक्ष्य केवल लाभ प्राप्त करना होता है। यह ग्राहक-उन्मुख है अर्थात् व्यवहार में एकरूपता की कमी है।

सार्वजनिक क्षेत्र सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। इसका उद्देश्य लोकसेवा होता है। साथ ही इसमें व्यवहार में एकरूपता पाई जाती है, लेकिन आमतौर पर इसमें सेवा की गुणवत्ता का अभाव पाया जाता है अर्थात् कर्मचारियों में विनम्रता का अभाव पाया जाता है।

व्यावसायिकता के माध्यम से बेहतर कार्य संस्कृति, आई.सी.टी. के प्रयोग, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन तथा आर.टी.आई. एवं सोशल ऑडिट जैसे सशक्त करने वाले उपकरणों द्वारा सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार होता है अर्थात् प्रशासन में आई.सी.टी. के प्रयोग से सेवा वितरण हेतु आवश्यक समय में कमी आती है। यह प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को भी बेहतर बनाता है।

किसी भी संगठन की कार्य संस्कृति का सेवा वितरण की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिये, प्रत्येक संगठन को गुणवत्ता सेवा के माध्यम से अपने ग्राहकों (सरकार के मामले में आम-जनता) को संतुष्ट करने के लिये अपनी कार्य संस्कृति में सुधार करने का प्रयास करना चाहिये।

प्रश्न: मानवीय मूल्यों तथा अन्य मूलभूत मूल्यों के बीच संघर्ष में मानवीय मूल्यों की जीत होनी चाहिये। क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरण सहित अपने तर्क को सिद्ध कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

In case of conflict between human values and other fundamental values, the former should triumph. Do you agree? Justify your argument with an appropriate example.

उत्तर: मूल्य ऐसी मान्यताओं का समुच्चय हैं, जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे मूल्य समाजीकरण, ज्ञान, जागरूकता, अनुभवों आदि के आधार पर ग्रहण किये जाते हैं। मूल्यों को निम्नलिखत भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

- पारिवारिक मूल्य
- लोक सेवाओं का मूल्य
- संगठनात्मक मूल्य
- व्यावसायिक मूल्य
- नैतिक मूल्य
- नीति संबंधी मूल्य
- सामाजिक मूल्य
- निजी मूल्य
- मानवीय मूल्य

मानवीय मूल्य

ये ऐसे मूल्य हैं जो लोगों द्वारा मनुष्यों की तरह व्यवहार करने हेतु आवश्यक हैं। चूँकि एक व्यक्ति पशुओं से पृथक मानव के रूप में जन्म लेता है, इसलिये समाज ने मानव अंतर्क्रिया तथा बातचीत के माध्यम से कुछ मूल्यों को विकसित किया है। ये ऐसे मूल्य हैं जो दो या दो से अधिक मनुष्यों के व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। मानवीय मूल्य निम्नलिखित प्रकार से अन्य मूल्यों से भिन्न हैं-

- चूँकि मानवीय तत्त्व सभी लोगों में समान हैं, यही कारण है कि मानवीय मूल्य भी सभी संदर्भों तथा परिस्थितियों के लिये एक समान होंगे। जबकि अन्य मूल्य जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल सकते हैं।
- मानवीय मूल्य, मानव की मुख्य पहचान यानी गरिमा एवं सम्मान से संबंधित हैं।
- मानवीय मूल्य, मानव होने के नाते, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं, जबकि अन्य मूल्यों को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मानव में विकसित किया जाता है।

  मानवीय मूल्यों को उच्च स्तर पर क्यों रखा जाता है?
- मानवीय मूल्य किसी समाज या देश में रहने के लिये लोगों को बाध्य करने हेतु अधिक उपयोगी हैं क्योंकि विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों के कारण कई विभाजनकारी शक्तियाँ उपस्थित हैं।
- संपूर्ण मानव सभ्यता का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, मानवीय मूल्यों के पालन पर आधारित है।
- जब राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति की शक्तियाँ आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, तो विभिन्न देशों के लोगों के मध्य शत्रुता तथा संरक्षणवादी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। इसलिये, मानवता को अन्य मूल्यों की तुलना में सदैव उच्च स्तर पर होना चाहिये।

मौजूदा विश्व में प्रेम और करुणा जैसे मानवीय मूल्यों का पालन आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में विश्व गृह युद्धों, शरणार्थी संकटों तथा आतंकवाद जैसे संघर्षों से ग्रसित है।

प्रश्न: समूह, भीड़ और उपद्रवी भीड़ जैसे विभिन्न विन्यासों में मानव के आचरण पर सामाजिक प्रभाव और अनुनयन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Analyze the impact of social influence and persuasion on the conduct of human beings in different settings like group, crowd and mob.

उत्तर: समूह, भीड़ और उपद्रवी भीड़ का आशय एक साथ लोगों की बड़ी संख्या से है। इनमें अंतर इस तरह के समूह की मंशा और उत्पन्न भावना में है और इस आधार पर है कि वे कैसे (सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से) एक साथ संलग्न हैं।

समूह एक संगठित व्यवस्था है जो साझा पहचान पर निर्मित होता है। ये भीड़ या उपद्रवी भीड़ की तुलना में अधिक संगठित तरीके से व्यवहार करते हैं। इनके संगठित स्वभाव के कारण किसी समूह की समूह चेतना अत्यंत सुसंगत होती है।

भीड़ निष्क्रिय पर्यवेक्षण रखती है। यह खेल गतिविधि या तमाशे जैसी घटना विशेष को देखने या संलग्न होने के लिये एक जगह पर मौजूद होती है। उनमें विघटनकारी नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता की ओर झुकाव की प्रवृत्ति होती है। यह समूह के समान सामंजस्यपूर्ण (Cohesive) नहीं होती है, लेकिन सामाजिक रूप से संक्रामक (Contagious) होती हैं अर्थात् यह विचारों के तीव्र प्रसार में सहायता करती है।

एक उपद्रवी भीड़ एक अधिक हिंसक समूह होने की प्रवृत्ति रखती है और किसी विषय में सक्रिय आक्रामकता अथवा विरोध रखती है। ये सामान्यत: स्फूर्त रूप से निर्मित होते हैं। एक निष्क्रिय भीड़ आक्रामक उपद्रवी भीड़ में परिणत हो जाती हैं।

सामाजिक प्रभाव और अनुनयन

सामाजिक प्रभाव का अर्थ है कोई भी गैर-निग्रही तकनीक (Non-Coercive Technique), उपकरण, प्रक्रिया या छल-साधन (Manipulation), जो मनुष्यों की सामाजिक प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका उपयोग लोगों की धारणा या व्यवहार के निर्माण या रूपांतरण के लिये एक साधन के रूप में किया जाता है, भले ही यह प्रयास एक प्रभावशाली व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों पर आधारित हो न हो अथवा सामाजिक प्रणालियों के आत्म-संगठित स्वभाव का परिणाम हो न हो। अनुनयन सामाजिक प्रभाव का एक सायास या मनमाना कृत्य है।

समूह, भीड़ एवं उपद्रवी भीड़ पर सामाजिक प्रभाव और अनुनयन का प्रभाव तथा उनके व्यवहार में अंतर:

भीड़ और उपद्रवी भीड़ के सामाजिक प्रभाव और अनुनयन द्वारा जागरूकता निर्माण और समाज के नैतिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिये सामाजिक लामबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़/उपद्रवी भीड़ के व्यवहार में व्यक्तिगत तार्किकता की हानि के कारण हिंसा और हत्या की घटनाएँ होती हैं।

प्रश्न: लोक सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास की चुनौतियों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the challenges of inculcating emotional intelligence in public servants.

उत्तर: भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional intelligence–EI), भावनाओं के अभिगमन और सृजन के लिये भावनाओं के अर्थग्रहण की क्षमता है ताकि भावनाओं एवं भावनात्मक ज्ञान को समझा जा सके तथा विचारपूर्ण तरीके रूप से भावनाओं को नियंत्रित किया जा सके ताकि भावनात्मक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

चूँकि विविधता, सहकार्यता, सहयोग और टीमवर्क प्रशासन एवं नेतृत्व के लिये लगातार महत्त्वपूर्ण विषय बनते जा रहे हैं, अत: भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही लोक सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास की चुनौतियाँ भी उभर रही हैं।

लोक सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के विकास की चुनौतियाँ

- **नौकरशाही का रवैया:** लोक सेवकों में अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता पाई जाती है और यह भारत में नौकरशाही की कार्य-संस्कृति में परिलक्षित होता है। आत्म-संतोष, भाई-भतीजावाद और अभिजात्यवाद इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं।
- **लोकतांत्रिक वातावरण का अभाव:** भारत में संगठन/संस्थान विचारों/मूल्यों/भावनाओं/नवाचारों/पहलों की मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।
- **सामाजिक दृष्टिकोण:** भावुक लोगों को कमज़ोर और नकारात्मक माने जाने की प्रवृत्ति है।
- **स्वयं की मूल्य प्रणाली और चरित्र:** लोक सेवकों के अपने मूल्य और चरित्र होते हैं जो समाजीकरण, वास्तविक जीवन के अनुभवों एवं ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं तथा इस प्रकार उनके मूल्यों को बदलना और उन्हें अधिक सहृदयी बनाना कठिन हो जाता है।

लोक सेवकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सुधार की प्रक्रिया

- प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न प्रबंधन खेल, रोल प्ले, योग, ध्यान आदि शामिल होने चाहिये।
- वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।
- संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।
- लोक सेवकों की मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग।

करुणा भाव (Compassion Quotient) किसी व्यक्ति की वह क्षमता है जिसमें वह दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकता है और दूसरों व स्वयं की शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक पीड़ा को दूर करने में सहायता कर सकता है। इसलिये लोक सेवकों में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ करुणा भाव का होना आवश्यक है ताकि वे उन कठिन स्थितियों का सामना कर सकें, जिनका सामना उन्हें रोज़मर्रा के प्रशासन कार्यों में करना पड़ता है।

प्रश्न: पूर्वाग्रह बिना भेदभाव के हो सकता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Prejudice can exist without discrimination. Comment.

उत्तर: पूर्वाग्रह एक पूर्वनिर्धारित धारणा है जो व्यक्तिगत अनुभवों एवं कारणों पर आधारित न होकर पूर्णत: एक सामाजिक समूह के साथ व्यक्ति के जुड़ाव पर आधारित होती है। यह एक समूह के सदस्यों का दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति अनम्य एवं तर्क-विहीन विचारों एवं व्यवहारों से संबंधित होती है। सामान्यतया पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होने का तात्पर्य अन्य व्यक्तियों, उनके समूहों तथा उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं के प्रति पूर्व धारणाओं की उपस्थिति का होना है। उदाहरणस्वरूप कोई व्यक्ति किसी जाति या लिंग विशेष के प्रति पूर्वाग्रही हो सकता है, जैसे कि रंगभेद के संदर्भ में देखा जा सकता है।

भेदभाव एक व्यावहारिक पहलू है जो कि सामान्यतया एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति विशेषकर लिंग/जाति/वर्ग के आधार पर नकारात्मक होता है। पूर्वाग्रहों का नकारात्मक स्वरूप किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के लिये भेदभाव का कारण बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ यह भी संभव है कि पूर्वाग्रही हो किंतु उसकी व्यावहारिक रूप में अभिव्यक्ति संभव न हो। उदाहरणस्वरूप जर्मनी में नाज़ियों के द्वारा यहूदियों का नरसंहार इस बात का चरम उदाहरण है कि किस प्रकार पूर्वाग्रह, नफरत व भेदभाव मासूम व्यक्तियों की मौत का कारण बन सकते हैं।

पूर्वाग्रह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे तो वह भेदभाव में परिवर्तित नहीं हो सकता-

- **समाज में मौजूद विकृति** संज्ञानात्मक रूप से भेदभावपूर्ण व्यवहार को सीमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिये भारत में जातिगत भेदभाव के विरोध में दलित आंदोलनों को देखा जा सकता है।
- **कानून का डर** भी अभिवृत्ति को व्यवहार में बदलने से रोकता है। उदाहरणस्वरूप भारतीय समाज में प्राचीन काल से निम्न जातियों के प्रति भेदभाव किया जाता रहा है किंतु अत्याचार निवारण अधिनियम के पारित होने के बाद इसमें मौजूद सज़ा के प्रावधानों के कारण इस व्यवहार को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका है।
- **समाज में विकास तथा जागरूकता बढ़ने** के साथ ही भेदभावपूर्ण व्यवहार समाप्त हो जाता है, जो केवल संज्ञानात्मक स्तर तक ही सीमित होकर रह जाता है। उदाहरणस्वरूप शुरुआती स्तर पर महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था किंतु शिक्षा एवं जागरूकता में वृद्धि के साथ ही इस व्यवहार में कमी आई है।

- **आत्म-नियमन, स्वअभिशंसन तथा अनुभव** भी व्यवहार को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; गौरतलब है कि सामान्यतया हमारे पास कुछ विषयों के प्रति पूर्वाग्रहों की मौजूदगी होती है तथा उनकी उपस्थिति पर हम प्रश्न भी उठाते हैं।
- **समूहों के बीच अंतर-संपर्क बढ़ने** से संवाद स्थापित होता है जिससे अविश्वास समाप्त होता है। उदाहरणस्वरूप स्कूल एवं कॉलेज समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर-संपर्क बढ़ाते हैं जो इन समूहों के पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में सहायता करते हैं। समाजों के द्वारा ही पूर्वाग्रहों को बनाया जाता है तथा उन्हें अतार्किक आधारों पर एक लंबे समय तक बनाए रखा जाता है। वस्तुत: इन पर व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से अंकुश लगाया जा सकता है तथा उनका उन्मूलन किया जा सकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति भेदभाव को समाप्त करने व समावेशी समाज बनाने का प्रयास करता है।

प्रश्न: सैन्य सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के अनुप्रयोग में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे निहित हैं? (150 शब्द, 10 अंक)
What are the ethical issues involved in using artificial intelligence in military security?

उत्तर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जो कि कंप्यूटर को मानव की भाँति सोचने तथा कार्य करने में सक्षम बनाती है। यह अपने चारों ओर के वातावरण से सूचनाएँ एकत्रित कर उनसे सीखकर उनके अनुरूप प्रतिक्रिया देती है। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी की इस क्रांतिकारी प्रगति से सैन्य सुरक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है। ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका तीव्रता से बढ़ रही है। ऐसे में वे नैतिक सिद्धांत जो मानवीय आचरण को संचालित करते थे, वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सेना में उपयोग करने पर चिंता का विषय बन सकते हैं। जो कि निम्नवत देखे जा सकते हैं-

- **निजता का अधिकार व अन्य मानवाधिकारों का हनन:** उन्नत ए.आई. उपकरणों के प्रयोग से सैन्य बलों की निगरानी एवं गश्ती गतिविधियों में कई गुना तक वृद्धि हुई है। ऐसी स्थिति में सीमा से लगे हुए क्षेत्रों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में निजता एवं मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **मानवीय व्यवहार एवं मान्यताओं में परिवर्तन:** निरंकुश देशों में जहाँ जनता पर किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठावान होने की अनिवार्यता होती है वहाँ किसी भी प्रकार की जातीय, सांस्कृतिक तथा धार्मिक मतभिन्नताओं को सत्तारूढ़ सरकार की निरंकुशता झेलनी पड़ सकती है। उदाहरणस्वरूप चीन के झिंजियांग प्रांत में चीनी सेना चेहरे पहचानने की तकनीक का उपयोग करके तथा जासूसी करने तथा के लिये ए.आई. उपकरणों का प्रयोग कर उईगर मुसलमानों के व्यवहारों एवं मान्यताओं में परिवर्तन कर रही है। इसके अलावा सरकार जनता के व्यवहार का आकलन करने के लिये सामाजिक क्रेडिट स्कोर प्रणाली का भी विकास कर रही है।
- **मानवीय बुद्धिमत्ता एवं क्षमताओं की भूमिकाओं में कमी:** परंपरागत रूप से युद्ध संबंधी निर्णय उन सैन्य जनरलों (अधिकारियों) द्वारा लिया जाता था जिन्हें कई युद्धों का अनुभव हो, किंतु वर्तमान समय में ए.आई. प्रणाली अधिक तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है जिसकी आँकड़ा विश्लेषण क्षमता एवं गणनाएँ मानवीय बुद्धि एवं क्षमता से कई गुना अधिक है।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति:** सैन्य बलों में शामिल सैनिक मैत्री और बंधुत्व के भाव से संचालित होते हैं जिससे वे कठिन परिस्थितियों में एक-दूसरे का भावनात्मक रूप से साथ देते हैं किंतु किसी ड्रोन, स्वचालित हथियार या रोबोटिक कुत्ते के साथ युद्धरत एक सैनिक मशीन से ऐसी सहानुभूति की उम्मीद नहीं की जा सकती। महत्त्वपूर्ण निर्णयों के मामले में भी ए. आई. में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव होता है तथा उसके द्वारा लिये गए मशीनी निर्णय अत्यंत भयावह भी हो सकते हैं। जॉन एफ. कैनेडी ने ए. आई. का उपयोग करके यू.एस.एस.आर. के नेताओं को फोन करके अपनी चिंताओं से अवगत कराते हुए क्यूबा मिसाइल संकट को टाल दिया था। हालाँकि, ए. आई. के उपयोग से खतरे को भाँपते हुए ऐसे त्वरित निर्णय लिये जाने की क्षमता कम हो जाती है।
- **युद्ध में सामंजस्य की कमी:** सैन्य सुरक्षा ए. आई. के उपयोग से हिंसा और विनाश में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, यदि किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध होता है तो कोई एक देश स्वचालित हथियारों के उपयोग से इसे एकतरफा बनाने की कोशिश करेगा जिससे व्यापक क्षति हो सकती है।
- **जवाबदेही और ज़िम्मेदारी:** किसी भी युद्ध में कुछ मानक सिद्धांतों के तहत उचित आचरण का ध्यान रखा जाता है। आज यदि सैन्यकर्मी युद्ध के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर युद्ध अपराधों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु जैसे ही हमने स्वचालित मशीनों को युद्ध में शामिल किया तो उनकी जवाबदेही न्यून हो जाएगी साथ ही मशीनों को क्रूर कृत्यों के लिये ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये ए. आई. का तर्कसंगत उपयोग प्रगतिशील साबित हो सकता है, हालाँकि इसके लिये शर्त है कि नैतिक सिद्धांत और उचित आचरण को आत्मसात् करना आवश्यक हो। महात्मा गांधी के शब्दों में, 'जिस विज्ञान में मानवता नहीं है, वह पाप है', अर्थात् सैन्य सुरक्षा में ए. आई. के अंधाधुंध प्रयोग से पहले हमें गाँधी जी के इन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिये।

प्रश्न: कभी-कभी व्यवहार, अभिवृत्ति के तर्कसंगत नहीं होता है। समझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)
Sometimes, Behaviours do not logically follow from attitudes. Explain.

उत्तर: अभिवृत्ति जन्मजात न होकर एक सीखी गई प्रवृत्ति है जिसे किसी मनोवैज्ञानिक विषय (जैसे व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार) के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक अथवा दोनों भावों की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिवृत्ति के आधार पर हम किसी विषय का मूल्यांकन करते हैं जो कि अनुकूल, प्रतिकूल तथा कई बार अनिश्चित

भी हो सकती है। व्यवहार अभिवृत्ति का प्रमुख घटक है आमतौर पर यह अपेक्षा की जाती है कि व्यवहार अभिवृत्ति का तार्किक रूप से अनुसरण करे किंतु अभिवृत्ति एवं व्यवहार का संबंध अत्यधिक जटिल है। हालाँकि किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति को सदैव व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता।

अभिवृत्ति एवं व्यवहार के मध्य असंगतता निम्न बिंदुओं पर होती है-

- **जब अभिवृत्ति अधिक मज़बूत न हो तथा अभिवृत्ति तंत्र में केंद्रीय महत्त्व न रखती हो,** उदाहरण के लिये चुनावों में बहुत से लोग किसी उम्मीदवार विशेष का समर्थन करते हैं किंतु मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद वे वोट देने का कष्ट नहीं करते।
- **जब एक व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति लापरवाह हो या वह अभिवृत्ति के बारे में अनभिज्ञ हो,** उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति अपनी अभिवृत्तियों जैसे- शैक्षिक कार्य या संगीत सुनने के प्रति अनिश्चित हो तो ऐसे में उसकी किसी एक अभिवृत्ति की उपेक्षा हो जाती है।
- **जब व्यक्ति पर किसी विशेष प्रकार का बाहरी दबाव हो,** उदाहरणस्वरूप जब व्यक्ति पर किसी सहकर्मी समूह (पियर प्रेशर) का दबाव हो। जैसे एक व्यक्ति सामान्य तौर शराब नहीं पीता किंतु कभी-कभी सहकर्मी समूह के दबाव में आकर पी लेता है।
- **जब व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन दूसरे व्यक्तियों द्वारा किया जाता हो,** उदाहरण के तौर-पर-एक व्यक्ति की अभिवृत्ति सफाई एवं कूड़ेदान का प्रयोग के प्रति नकारात्मक है किंतु अपनी इस अभिवृत्ति का व्यवहार वह इसलिये नहीं कर पाता क्योंकि वह सदैव ऐसे व्यक्तियों के इर्द-गिर्द रहता है जिनकी स्वच्छता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है।
- **जब व्यक्ति यह सोचता है कि उसके व्यवहार का परिणाम नकारात्मक होगा** इसलिये वह उस व्यवहार विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करता। उदाहरण के लिये- नए मोटरवाहन अधिनियम में भारी जुर्माने का प्रावधान होने के कारण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है। ऐसा तब भी हुआ है जबकि वे यातायात नियमों के पालन के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं।

वस्तुत: स्व-अनुभूति हमारे व्यवहारों और विश्वासों को प्रतिबिंबित करती है। सभी व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति विशेष को परिवर्तित कर सकते हैं। हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि अभिवृत्ति और व्यवहार में सदैव उपरोक्त संदर्भ ही विद्यमान हों। अंतत: हम कह सकते हैं कि व्यवहार को प्रेरणा, अनुनयन तथा सामाजिक मूल्यांकनों के प्रयोग से संशोधित किया जा सकता है।

प्रश्न: युद्ध, शिष्टता (अनुशासन) को नहीं नकारता है बल्कि युद्ध में इसकी आवश्यकता शांति काल से भी अधिक होती है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

War doesn't negate decency. It demands it, even more than in times of peace. Comment.

उत्तर: जब से मनुष्यों ने स्वयं को राजनीतिक समुदायों में संगठित किया है, तब से युद्ध मतभेद सुरक्षा और संसाधनों को नियंत्रित करने के लिये सबसे साधारण माध्यम बन गया है। भले ही युद्ध मानव चरित्र की सबसे हिंसक और विनाशकारी प्रवृत्तियों का प्रदर्शन ही क्यों नहीं हो यह नैतिक दायित्वों से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है।

पूरे मानव इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों ने युद्ध में आचरण को व्यवस्थित करने की कोशिश की है, उदाहरण के लिये, यूरोपीय ईसाई 'जस्ट वार थ्योरी' यह बताती है कि जस्ट वार के दो घटक होते हैं- 'जस एड बेलम'- युद्ध के लिये युद्ध का एकमात्र कारण और जस इन बेलो'- युद्ध में सभ्य आचरण है। भारत में भी महाभारत का उदाहरण प्रमुख है, जो युद्ध में पालन करने के लिये नैतिक सिद्धांतों को अनिवार्य बताता है। इनमें समानता का सिद्धांत (अर्थात् बराबरी की लड़ाई, यथा- घुड़सवार फौज को घुड़सवार फौज के साथ युद्ध करना चाहिये) शामिल है, जो भेदभाव (निहत्थे को लक्षित नहीं किया जाना चाहिये) को समाप्त करता है। महाभारत में भी जब अश्वत्थामा ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो श्रीकृष्ण ने उन्हें दंडित किया।

आधुनिक समय में हमारे पास सैनिकों एवं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और युद्ध अपराधों के आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिये जिनेवा सम्मेलन तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे संस्थान विद्यमान हैं। युद्ध में हार या जीत सैनिकों के हाथ में नहीं होती है, लेकिन उनके नियंत्रण में शिष्टता/नैतिक आचरण होता है। दुर्भाग्यवश, हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जो युद्धरत पक्षों में शिष्टाचार के अभाव को दर्शाते हैं, यथा- रासायनिक हथियारों का प्रयोग करना, निर्दयता से बच्चों एवं महिलाओं की हत्या करना आदि। जैसा कि हाल ही में सीरिया सरकार द्वारा अपने ही नागरिकों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया।

आदर्श रूप से युद्धों को एक पूरे समुदाय के विरुद्ध बदला लेने के एक उपकरण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये और न ही इसे अधीनस्थ लोगों की संस्कृति एवं विरासत का विस्मरण करने वाला होना चाहिये किंतु युद्ध का इतिहास ऐसी ही उपेक्षाओं से भरा हुआ है। जैसा कि अग्रलिखित रूप में देखा जा सकता है- प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अर्मेनियाई ईसाइयों की तुर्की साम्राज्य द्वारा निर्मम हत्या करवा दी गई थी। वियतनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका ने असैनिक आबादी पर बमबारी की थी। हाल ही में, मध्य-पूर्व में आई.एस.आई.एस. ने युद्ध के नाम पर यज़ीदी महिलाओं का बलात्कार किया और सीरिया में कई ऐतिहासिक स्मारकों को भी नष्ट कर दिया।

युद्धों ने विभिन्न समूहों और संस्कृतियों के सभ्यतागत लोकाचार को परिभाषित किया, जहाँ एक तरफ मंगोलियाई योद्धाओं ने डकैती, लूट, नरसंहारों और व्यापक विनाश के लिये ऐतिहासिक कुख्याति प्राप्त की तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय योद्धा वर्ग- सिख, राजपूत आदि अपनी युद्ध-नीति के लिये पूजनीय हैं।

शिष्टता जीवन के किसी भी क्षेत्र में निश्चित ही अच्छे चरित्र का परिचायक है, किंतु युद्ध के मैदान में जहाँ संवेदनहीन हिंसा और हत्याएँ हो रही हों, शिष्टता का पालन करना सर्वोच्च गुण एवं चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। शांतिकाल में हमारे पास जीवन में शिष्टाचार का

पालन करने के लिये अनुकूल माहौल होता है, किंतु युद्ध के समय इसे प्रतिबिंबित करने का कोई समय नहीं मिलता। यह भावावेश का खेल मात्र है और यहाँ तक कि कुलीन (दयालु) व्यक्ति भी युद्ध में बुरा बन सकता है। इस प्रकार युद्धकाल में मानवता का पालन करना आवश्यक बन जाता है।

प्रश्न: क्षमतागत दृष्टिकोण, उपयोगितावाद से किस प्रकार भिन्न है? चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

How is capability approach different from utilitarianism? Discuss.

उत्तर: अमर्त्य सेन का क्षमतागत दृष्टिकोण व्यक्तियों की क्षमताओं को बढ़ाकर विकास करने की एक प्रक्रिया है, जिससे उनकी वास्तविक स्वतंत्रता का विस्तार होता है। प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता सबसे अधिक मायने रखती है जो वस्तुओं की उपलब्धता से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। यह गरीबी, असमानता और मानव विकास के मानक के रूप में आर्थिक अवसंरचना के लिये सबसे प्रभावशाली साधन के रूप में उभरी है। दूसरी तरफ उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जो ऐसी क्रियाओं का समर्थन करता है, जो संपूर्ण आनंद या प्रसन्नता को बढ़ावा देता है और उन कार्यों को अस्वीकार करती है जो अप्रसन्नता या हानि का कारण बनते हैं। इसके तीन स्तंभ कर्म- परिणामवाद, लोक हितवाद तथा समान-रैंकिंग हैं।

उपयोगितावाद एवं क्षमतागत दृष्टिकोण में अंतर निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

उपयोगितावाद	क्षमतागत दृष्टिकोण
❑ उपयोगितावाद एक परिणामवादी दृष्टिकोण है जहाँ कार्यों का मूल्यांकन केवल उनके परिणामों की अच्छाई या बुराई के संदर्भ में किया जाता है। यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिणामों को लाया जाता है उसकी नैतिकता पर किसी भी विचार को शामिल नहीं किया जाता उदाहरणार्थ, व्यक्तिगत एजेंसी के सिद्धांतों का सम्मान करना।	❑ क्षमतागत दृष्टिकोण व्यापक परिणामवाद की बजाय परिणामों और सिद्धांतों दोनों के नैतिक महत्त्व को एकीकृत करने का तर्क देता है। उदाहरणार्थ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों के पास लंबा जीवन जीने की क्षमता है लेकिन यह भी आवश्यक है कि यह क्षमता कैसे हासिल की गई है।
❑ उपयोगितावाद का उद्देश्य लोगों के कल्याण को अधिकतम स्तर पर पहुँचाकर अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख देना है।	❑ यह मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने पर ज़ोर देता है जो व्यक्तियों को राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों पर निर्भरता से मुक्त बनाता है और उन्हें स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाता है।
❑ यह लोक हितवाद को बढ़ावा देता है, जिसका दृष्टिकोण यह है कि अच्छाई का मूल्यांकन केवल व्यक्तिपरक उपयोगिता के संदर्भ में किया जाना चाहिये अर्थात् सभी को अपनी सामाजिक स्थितियों से संतुष्ट होना चाहिये।	❑ सेन का क्षमतागत दृष्टिकोण हालाँकि लोक हितवाद की आलोचना करता है क्योंकि लोग भौतिक अभाव और सामाजिक अन्याय की अपनी स्थितियों के लिये सामान्य हो सकते हैं और वे पूरी तरह से संतुष्ट होने का दावा भी कर सकते हैं। उदाहरणार्थ - एक नियंत्रणाधीन और अधीनस्थ गृहिणी जिसने अपनी भूमिका और अपनी किस्मत के साथ पूरी तरह सामंजस्य कर लिया है।
❑ उपयोगितावाद समाज में कल्याणकारी कार्यों को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि इनका वितरण कैसे किया जाए, इस पर ध्यान नहीं देता। यह अलग-अलग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं रखता है।	❑ क्षमतागत दृष्टिकोण यह बताता है कि व्यक्ति आय जैसे संसाधनों को लोक-कल्याण में परिवर्तित करने की अपनी क्षमता से भिन्न है। उदाहरणार्थ, एक विकलांग व्यक्ति को समान स्तर के कल्याण के लिये महँगी चिकित्सा सेवा और परिवहन उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है।

उपयोगितावाद की कई सीमाएँ हैं जो परिणामों से प्रेरित होती हैं जिनके परिणामस्वरूप यह व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं का आकलन करने और उन्हें स्वीकार करने में विफल रहता है। क्षमतागत दृष्टिकोण, हालाँकि, इन सब पर नियंत्रण रखता है और नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिये सबसे व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरता है।

इसलिये, हम कह सकते हैं कि क्षमतागत दृष्टिकोण विकास के व्यापक पहलुओं का अनुसरण करता है और वह संकीर्ण उपयोगितावाद की तुलना में सभी के लिये न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज में विश्वास करता है। समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में क्षमतागत दृष्टिकोण का महत्त्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

प्रश्न: सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा पद को परिभाषित कीजिये। सहयोग एवं प्रतिस्पर्द्धा के निर्धारक तत्त्व कौन-से हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

Define the terms cooperation and competition. What are the determinants of cooperation and competition?

उत्तर: सहयोग वह व्यवहार है जिसमें हम किसी व्यक्ति या समूह पर पर भरोसा कर उनके साथ वार्तालाप करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं अपने विचारों को साझा करते हैं तथा इनके सम्मिलित प्रभावों से स्वयं को लाभान्वित करने हेतु आशान्वित होते हैं। उदाहरण के लिये- जलवायु परिवर्तन कम करने हेतु वैश्विक समुदायों का एक साथ आना।

प्रतिस्पर्द्धा वह क्रियाविधि है जिसमें हम आत्म-सुधार से कुछ हासिल करने अथवा जीतने का प्रयास करते हैं। सामान्य तौर पर जब लोग प्रतिस्पर्द्धा के बारे में सोचते हैं तो उसका नकारात्मक संदर्भ लेते हैं और 'विनर टेक्स ऑल' मानसिकता से परिचारित होते हैं। हालाँकि लोकप्रिय धारणा के विपरीत प्रतिस्पर्द्धा सकारात्मक एवं नकारात्मक दो प्रकार की होती है। सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा परस्पर प्रतिस्पर्द्धी समूहों के लिये सकारात्मक परिणाम लाती है जबकि नकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा परस्पर प्रतिस्पर्द्धी समूहों को हानि पहुँचाती है। उदाहरण के लिये शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका एवं सोवियत रूस के मध्य हथियारों की अंधी दौड़।

सहयोग एवं प्रतिस्पर्द्धा के निर्धारक तत्त्व

- **पुरस्कार (प्रतिफल) का स्वरूप:** मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्तियों के सहयोग या प्रतिस्पर्द्धा संबंधी कृत्य, उस कृत्य विशेष के प्रतिफल/पुरस्कार पर निर्भर करता है। जहाँ सहयोगात्मक पुरस्कार संरचना में एक-दूसरे को प्रोत्साहित करने के पश्चात् ही पुरस्कार प्राप्ति संभव होती है, वहीं प्रतिस्पर्द्धात्मक पुरस्कार संरचना में एक प्रतिस्पर्द्धी को पुरस्कार तभी मिलता है जब निश्चित रूप से दूसरे प्रतिस्पर्द्धी को पुरस्कार नहीं मिलता।
- **अंतर्वैयक्तिक संवाद:** जब समूहों में अच्छा अंतर्वैयक्तिक संवाद स्थापित होता है तब संभावित परिणाम सहयोगात्मक होंगे। संवाद पारस्परिकता एवं निर्णयन की सुविधा प्रदान करता है, परिणामस्वरूप समूह के सदस्य एक-दूसरे को समझा सकते हैं तथा एक-दूसरे से सीख भी सकते हैं।
- **पारस्परिकता:** पारस्परिकता से तात्पर्य लोगों की उस धारणा से है जब उन्हें लगता है कि वे जो कुछ करना चाहते हैं, या उसे करने के लिये बाध्य हैं। प्रारंभिक सहयोग अधिक सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है जबकि प्रतिस्पर्द्धा प्रतियोगिता को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बना सकती है। यदि कोई आपकी सहायता करता है तो आप भी उसकी सहायता करने हेतु प्रेरित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यदि कोई आपकी सहायता करने से मना कर देता है तो आप भी उसकी सहायता करना नहीं चाहते।
- **सामाजिक दुविधा:** सामाजिक दुविधा वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति विशेष तथा समूह विशेष के लक्ष्यों के बीच संघर्ष विद्यमान हो। इस स्थिति में व्यक्ति स्वयं के लक्ष्यों से विमुख हो जाता है। सहयोग एवं प्रतिस्पर्द्धा दोनों के ही हानिकारक परिणामों को ध्यान में रखें तो अपने-अपने तरीके से व्यक्तियों तथा संस्थानों की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। इसका सर्वोचित उदाहरण भारत का सहकारी एवं प्रतिस्पर्द्धी संघवाद है जो राज्यों की वास्तविक क्षमता को बढ़ाकर देश में समृद्धि ला सकता है।

प्रश्न: संगठनात्मक मूल्य सदैव व्यक्तिगत मूल्यों से ही उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Organisational values always derive from individual values. Elucidate.

उत्तर: संगठनात्मक मूल्य नैतिक मूल्यों के समूह हैं जो कि किसी संगठन की आकांक्षाओं का मार्गदर्शन करते हैं उदाहरण के लिये कुछ संगठनात्मक मूल्य, जैसे कि व्यवसायपरकता, नवाचार, जवाबदेही, पारदर्शिता एवं सेवाओं का गुणवत्तापरक वितरण आदि प्रमुख हैं। संगठनात्मक मूल्य, एक संगठन हेतु आवश्यक सामूहिक निर्णयन को प्रतिबिंबित करते हैं। जब इन संगठनात्मक मूल्यों को बेहतर रूप में संचालित एवं प्रेषित किया जाता है तो वे त्वरित निर्णयन में सहायता करते हैं।

संगठनात्मक मूल्य बड़े पैमाने पर नेतृत्वकर्त्ता तथा संस्था के प्रमुखों से संगठन के अन्य सदस्यों की ओर प्रसारित होते हैं तथा उनके नैतिक मानकों का निर्धारण करते हैं। हालाँकि, एक संगठन के नैतिक मूल्य व्यक्तिगत स्तर पर अन्य सहायक समूहों से भी प्रभावित होते हैं। सभी प्रतिष्ठित संगठनों के संगठनात्मक मूल्य उसके प्रभावशाली नेतृत्व द्वारा स्थापित व पोषित होते हैं। उदाहरण के तौर पर विक्रम साराभाई ने अपने समर्पण और विद्वत्ता से इसरो जैसे संगठन की स्थापना की; उनके बाद सतीश धवन एवं ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे नेतृत्वकर्त्ताओं ने उनके विश्वासों एवं मूल्यों को पोषित कर इसरो को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऊँचाइयों पर पहुँचाया।

कई बार एक एकल व्यक्ति भी संगठन की मूल्य-प्रणाली को निर्देशित करता है, जैसे कि महात्मा गांधी की मान्यताओं एवं मूल्यों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूल्यों को संशोधित किया। इसी प्रकार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की ने ईमानदारी, निष्ठा व सत्यनिष्ठा से भारतीय चुनाव प्रणाली को पुनर्गठित कर उसे पारदर्शी बनाया।

वस्तुत: संगठन में सांगठनिक मूल्यों की स्थापना के आरंभिक चरणों में इसे विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह संगठन के संवाद तंत्र तथा प्रचार-प्रणाली पर भी निर्भर कर सकता है। किंतु इस बात की पर्याप्त संभावना है कि संगठनात्मक मूल्यों के प्रभाव में व्यक्तिगत मूल्यों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। उदाहरणस्वरूप एक सुस्त कर्मचारी अच्छे मार्गदर्शन से अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।

इस प्रकार किसी भी संगठन की मूल्य-प्रणाली व्यक्तिगत मूल्यों से उत्पन्न होकर उस संगठन में कुशल एवं प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास करती है। किसी संगठन में किसी व्यक्ति विशेष की भूमिका सौंपे गए कार्य को करने तक सीमित न होकर अपने कर्त्तव्यों का सत्यनिष्ठा से निर्वहन करने, व्यक्तिगत एवं पेशेवर आचरण के माध्यम से संगठन के मूल्यों का प्रसार करने तक विस्तृत है।

प्रश्न: मुक्तिपरक (जीवनरक्षक) नैतिकता क्या है? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What is lifeboat ethics? Explain with examples.

उत्तर: जीवनरक्षक नैतिकता वर्ष 1974 में प्रसिद्ध पर्यावरण विज्ञानी गैरेट हार्डिन द्वारा प्रस्तावित संसाधनों के वितरण के समतुल्य है। हार्डिंग के अनुसार, प्रत्येक देश एक जीवन नौका के समान है जो कि विशिष्ट वहन क्षमता रखते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी वहन करने की क्षमता रखते हैं। किंतु इससे उस देश के मूल निवासियों के लिये आवश्यक

संसाधनों की उपलब्धता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। किंतु वर्तमान परिदृश्य में विकसित एवं विशेषाधिकार प्राप्त देश गरीब देशों एवं इनके प्रवासियों को सहायता प्रदान नहीं करना चाहते ऐसा शायद इसलिये कि उनमें इनके पीड़ित व्यक्तियों के प्रति कोई कर्त्तव्य-बोध नहीं होता और यह कृत्य उनके अपने नागरिकों के लिये संसाधनों की उपलब्धता को और तनावपूर्ण बना सकता है।

हाल के दिनों में विकसित देशों में तीव्र प्रवासी विरोधी प्रवृत्तियाँ देखी जा रही हैं। युद्धग्रस्त देशों जैसे कि सीरिया, इराक, लीबिया तथा यमन जैसे देशों से आए शरणार्थियों को कई यूरोपीय देशों ने प्रवेश नहीं दिया। यहाँ तक कि भारत ने शरणार्थी सहिष्णु होने के बावजूद रोहिंग्या शरणार्थियों को सहर्ष स्वीकार नहीं किया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नियंत्रणकारी आव्रजन नीति का शुभारंभ किया है जिसमें मध्य अमेरिकी देशों में अशांति तथा गरीबी से क्षुब्ध होकर अमेरिका आने वाले लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उपर्युक्त सभी कार्यवाहियाँ मानवता की दृष्टि से अनैतिक प्रतीत होती हैं किंतु यदि जीवनरक्षक नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो ये कृत्य पूर्णत: उचित प्रतीत होते हैं।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास एवं शासन में मानवीय प्रगति तथा प्रत्येक देश में जीवनस्तर को सुधारने में विफल रही हैं। विश्व की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अविकसित एवं विफल राष्ट्रों में रह रहा है जहाँ वे गरीबी, जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों एवं गृहयुद्धों से जूझ रहे हैं इन प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता और शरण दिये जाने की आवश्यकता है। एक जीवनरक्षक नैतिकता का पोषक यह कह सकता है कि देशों को संसाधनों की सीमितता की स्थिति में केवल अपने ही नागरिकों का ध्यान रखना चाहिये।

उपर्युक्त तर्क दो आधारों पर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है पहला संसाधन सीमित नहीं हैं बल्कि इनका वितरण असमान है, दूसरा सहायता एवं शरण के आकांक्षी ऐसा अपने स्वयं के कृत्यों से नहीं कर रहे हैं। विकसित देशों द्वारा इन देशों का शोषण विभिन्न तरीकों जैसे उपनिवेश बनाकर, अपने भू-राजनीतिक हितों के लिये इनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर तथा अपने विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिये जलवायु में तीव्रता से परिवर्तन आदि कर रहे हैं। जीवनरक्षक नैतिकता की सादृश्यता यहाँ इस प्रकार बदल जाएगी जहाँ पचास व्यक्ति जीवन- नौका से सौ व्यक्तियों को पानी में फेंकने हेतु ज़िम्मेदार हैं।

जीवनरक्षक नैतिकता राष्ट्र-राज्यों को अभेद्य संस्थाओं के रूप में निर्दिष्ट करती है जहाँ बाह्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनहीनता व्याप्त होती है। वस्तुत: जहाँ विश्व कई देशों में विभक्त है वहाँ मानवता हम सबको एकजुट करती है। वैश्विक स्तर पर 'कॉमंस' एवं गरीबी कहीं भी हो वह हम सभी की समृद्धि के लिये खतरा है। विश्व के देश एक-दूसरे की सहायता के मूल्य से बच नहीं सकते। संसाधन-संपन्न एवं सशक्त देश शरणार्थियों की सहायता कर अपनी सॉफ्टपावर व सामासिक संस्कृति को बढ़ा सकते हैं एवं प्रवासियों के कौशल का प्रयोग अपनी आर्थिक समृद्धि के लिये कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या हम जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में संज्ञानात्मक असंगति के दौर से गुजर रहे हैं जब हम एक ओर जलवायु संबंधी हड़तालों में भाग ले रहे हैं वहीं दूसरी ओर हमारा उपभोग प्रतिरूप तीव्रता एवं अपरिवर्तनीय रूप से बढ़ रहा है?

(150 शब्द, 10 अंक)

Are we going through the phase of cognitive dissonance in climate change arena when we go for climate strike on one hand and then proceed towards increased and irreversible consumption patterns on the other?

उत्तर: अमेरिकी सामाजिक-मनोविज्ञानी लियोन फेस्टिंगर के अनुसार, संज्ञानात्मक असंगति एक ऐसी परिस्थिति को संदर्भित करता है जहाँ अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों में परस्पर विरोधाभास की उपस्थिति विद्यमान हो जो कि व्यक्ति में मानसिक परेशानी का कारण बनता है, इसे कम करने और अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संतुलन बनाने हेतु व्यक्ति को अभिवृत्ति या व्यवहार में से एक विकल्प चुनना पड़ता है। उदाहरण के लिये-व्यक्ति संज्ञानात्मक स्तर पर यह जानते हुए कि धूम्रपान कैंसर का कारण बनता है फिर भी वह व्यवहार में धूम्रपान करता है, यह स्थिति संज्ञानात्मक असंगति की है।

इसी प्रकार वर्तमान जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में संज्ञानात्मक असंगति विद्यमान हैं, जो निम्नवत् हैं-

- हम यह जानते हैं कि प्लास्टिक एवं माइक्रोप्लास्टिक स्थलीय एवं जलीय पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुँचाते हैं, इनका उपयोग करते हुए हमें असहजता भी होती है, किंतु अंतत: अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये हम इन उत्पादों का उपयोग जारी रखते हैं।
- यह जानते हुए भी कि ऑटोमोटिव वाहनों से होने वाला उत्सर्जन किस सीमा तक पर्यावरण को क्षति पहुँचा सकता है, हम सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने के बजाय निजी वाहनों का प्रयोग जारी रखते हैं।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिये पेरिस जलवायु जैसे समझौते विद्यमान हैं, किंतु अप्रबंधित वैश्विक पूंजीवादी मानसिकता की स्थिति में एक संज्ञानात्मक असंगति उत्पन्न करती है जो स्पष्ट रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है।
- कार्बनिक खाद्य पदार्थों, स्थानीय एवं उचित उत्पादों की खरीद जैसे प्रगतिशील विकल्प अपनाने के बावजूद एक स्पष्ट 'नैतिक खरीद अंतराल' विद्यमान है जो अभिवृत्ति-व्यवहार अंतराल (संज्ञानात्मक असंगति) उत्पन्न करता है जिसके परिणामस्वरूप लोग निरंतर पर्यावरण असहिष्णु उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं।

इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन के संबंध में संज्ञानात्मक असंगति अक्सर विद्यमान होती है किंतु हम सभी को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में असंगति को कम करने का प्रयास करना चाहिये। ऐसा करने के लिये व्यक्तियों को अपने संज्ञानात्मक स्तर तथा व्यवहारिक स्तर पर संतुलन बनाना होगा। उदाहरणस्वरूप दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है। संज्ञानात्मक असंगति को उच्च

भावनात्मक बुद्धिमत्ता या उच्च नैतिक क्षमता के विकास से कम किया जा सकता है। उसे सामाजिक अनुनयन, सकारात्मक कंडीशनिंग एवं वार्ताओं के माध्यम से भी कम किया जा सकता है।

प्रश्न: मूल्य क्या हैं? प्रशासन में मूल्यों की महत्ता को रेखांकित कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What are values? Highlight the importance of values in governance.

उत्तर: मूल्य वे मूलभूत मान्यताएँ हैं, जो व्यक्ति के दृष्टिकोण, कार्यों और व्यवहारों का मार्गदर्शन करते हैं। मूल्य व्यवहार के एक आदर्श साधन के बारे में विश्वासों को स्थायी करते हैं। वह हमें यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि हमारे लिये क्या महत्त्वपूर्ण है? मूल्य द्वारा उन व्यक्तिगत गुणों को वर्णित किया जा सकता है, जिन्हें हम अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिये चुनते हैं। जिस तरह का व्यक्ति हम होना चाहते हैं या अपने आपको, दूसरों को और हमारे आसपास के लोगों को हम जिस प्रकार देखना चाहते हैं उसमें मूल्य हमारी सहायता करते हैं।

मूल्यों, नीतियों और संस्थाओं की व्यवस्था, जिनके द्वारा एक समाज अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों का प्रबंधन राज्य के भीतर और नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र के बीच बातचीत के माध्यम से करता है, को शासन कहा जाता है।

अखंडता, तटस्थता, ज़िम्मेदारी, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, गोपनीयता, सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पण, पारदर्शिता और दक्षता जैसे मूल्य प्रशासन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं और कानून, स्थिरता, समता और समावेशिता व सशक्तीकरण के साथ सभी के लिये व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

निम्नलिखित मूल्यों का किसी भी समाज के सामाजिक ढाँचे पर बड़ा प्रभाव पड़ता है-

- **सत्यनिष्ठा**- सत्यनिष्ठा को नैतिकता और ईमानदारी का मज़बूती से पालन करने के रूप में समझा जा सकता है। सत्यनिष्ठा का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना, व्यवहार के उच्च मानकों को बढ़ावा देना, नीति-निर्धारण में शामिल लोगों की विश्वसनीयता और वैधता को मज़बूत करना, सार्वजनिक हित की रक्षा करना और नीति-निर्माण प्रक्रिया में विश्वास बहाल करना है।
- **वस्तुनिष्ठता**- वस्तुनिष्ठता का अर्थ है व्यक्तिगत राय या पूर्वाग्रह के बिना स्थापित मानदंडों, कानूनों, नियमों, विनियमों के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेना। सार्वजनिक अधिकारियों के फैसले निष्पक्ष और योग्यता के आधार पर होने चाहियें। वस्तुनिष्ठता को नोलन समिति और द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट दोनों द्वारा शासन हेतु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मूल्यों में से एक माना जाता है।
- **निष्पक्षता**- निष्पक्षता नियत प्रक्रिया में पूर्वाग्रह का अभाव है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक हितधारक के विचारों को ध्यान में रखा जाए, साथ ही यह किसी भी राष्ट्र का समावेशी विकास सुनिश्चित करता है।
- **पारदर्शिता**- पारदर्शिता का अर्थ है- निर्णय प्रक्रिया का प्रर्वतन नियमों और विनियमों का पालन करते हुए करना। इसका अर्थ यह भी है कि सूचना स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और सीधे विभिन्न लोगों के लिये सुलभ है।
- **प्रतिक्रियाशीलता**- सुशासन के लिये आवश्यक है कि संस्थान और प्रक्रिया सभी हितधारकों को उचित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करे। जैसे सूचना के अधिकार के त्वरित उत्तरों से लोगों का विश्वास सरकारी मशीनरी में बना रहेगा और इससे नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा मिलेगा।
- **जवाबदेही**- जवाबदेही सुशासन की प्रमुख आवश्यकता है। केवल सरकारी संस्थाएँ ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र और सिविल सोसायटी संगठनों को भी जनता और उनके संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिये।

इस प्रकार मूल्य मार्गदर्शक की भाँति कार्य करते हैं। ये उन नैतिक आचरणों को पुर्नस्थापित करते हैं जो कि सुशासन हेतु आवश्यक हैं। मूल्य संस्थागत सहयोग के बिना कमज़ोर होते जाते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। उच्च मूल्यों वाले संस्थानों की कार्य-दक्षता बढ़ जाती है। अंततः मूल्य जनता के प्रति सेवा भावना व प्रशासनिक प्रतिबद्धता को मज़बूत करते हैं सुशासन हेतु आवश्यक होते हैं।

प्रश्न: अभिवृत्ति एवं अभिवृत्ति परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उन कारकों को रेखांकित कीजिये जो अभिवृत्ति परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by attitude and attitude change? Highlight the factors that influence attitude change.

उत्तर: अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या घटना के बारे में व्यक्तियों के विचारों, विश्वासों या मूल्यांकन को संदर्भित करता है। यह सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थ हो सकती है। अभिवृत्ति का विकास अपने अनुभवों से सीखने, किसी विषय के प्रति अपनी भावनाओं तथा सामाजिक वातावरण से सीखने से होता है, जो कि व्यक्तियों के व्यवहार को गहनता से प्रभावित करता है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति का विश्वास है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, जब लोग धूम्रपान करते हैं तो उन्हें परेशानी होती है और वे उन स्थितियों से बचने का प्रयास करते है।

अभिवृत्ति में परिवर्तन तब होता है जब किसी व्यक्ति की किसी अभिवृत्ति को संशोधित किया जाता है। अभिवृत्ति में परिवर्तन कई माध्यमों से किया जा सकता है। कुछ अभिवृत्तियों में परिवर्तन अन्य की तुलना में अधिक मात्रा में एवं तीव्रता से होता है। जो अभिवृत्तियाँ अभी भी शुरुआती दौर में हैं, जो अभी भी एक विचार/राय की भाँति हैं, उन्हें पुरानी एवं व्यक्तिगत मूल्य बन चुकी अभिवृत्तियों की तुलना में आसानी से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिये लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण किया तथा खुले में शौच की प्रथा को त्याग दिया जो कि उनकी अभिवृत्ति परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

अभिवृत्ति परिवर्तन को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि-

- **अनुनयन (पर्सुवेशन):** यह किसी व्यक्ति की अभिवृत्तियों, विश्वासों अथवा भावनाओं को बदलने का सक्रिय प्रयास है। भावनात्मक अपीलों तथा रेडियो, टेलीविज़न एवं सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किसी की अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से इसे और प्रभावी तरीके से बदला जा सकता है। उदाहरणस्वरूप- स्वच्छ भारत मिशन की चेतना का प्रसार करने हेतु लोकप्रिय हस्तियों की सहायता लेना।
- **असंगति:** जब व्यक्ति को किसी विषय पर अभिवृत्ति एवं व्यवहार के बीच संज्ञानात्मक असंगति का अनुभव हो तो उसे मानसिक तनाव से बचने हेतु अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन करना चाहिये।
- **अनुभव या परवरिश:** माता-पिता की अभिवृत्ति, परिवार का विश्वासों एवं मूल्यों की सहायता से बच्चे की अभिवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है।
- **सूचनाओं का प्रसार करने के तरीके:** सूचना का प्रत्यक्ष प्रसारण सामान्य तौर पर अप्रत्यक्ष प्रसारण से अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों के लिये ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स (ओ.आर.एस.) के लाभों को बताने हेतु सामुदायिक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ चिकित्सकों की सहायता से लोगों के साथ प्रत्यक्ष संवाद कर तथा रेडियो के माध्यम से इसके लाभों की चर्चा कर ओ.आर.एस. के प्रति समाज में सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास हुआ है।

अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के विचारों, व्यवहारों एवं भावनाओं का निर्माण करने हेतु महत्त्वपूर्ण होती हैं। यह व्यक्ति के अंतर्मन तथा बाह्य वातावरण के मध्य सेतु का कार्य करती है, यह जीवन के उतार-चढ़ावों को कम करने में मदद करती है तथा किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने के साथ-साथ उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है।

प्रश्न: "आपकी सोच ही आपकी पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिये, फिर चाहे आपके जीवन में कितने ही उतार-चढ़ाव क्यों न आएँ"- ए.पी.जे. अब्दुल कलाम"। सुस्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

"Thinking should become your capital asset, no matter whatever ups or downs you come across in your life"- A.P.J. Abdul Kalam. Elucidate.

उत्तर: ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के अनुसार, हमारी सोच, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होनी चाहिये क्योंकि हमारी सोच ही जीवन एवं मस्तिष्क के हर पहलू को समझने में सहायता करती है। वस्तुत: मानवों में विचार करने तथा विचारों को धारण करने की अद्वितीय क्षमता होती है जो कि अतीत में मानव प्रजाति की सामूहिक प्रगति का द्योतक है। मानव अस्तित्व के लिये विचारण क्षमता इतनी महत्त्वपूर्ण है कि रेने डेसकार्टेस जैसे प्रबुद्ध दार्शनिक ने भी कहा है कि "मुझे लगता है, इसलिये मैं हूँ"।

व्यक्ति के पास वैचारिक उन्नयन एवं तर्क करने की क्षमता विद्यमान होती है जो समृद्धि एवं विपत्ति दोनों ही परिस्थितियों में हमारी सोच ही हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। प्रतिकूल समय में हमारी सोच, हमें भविष्य की चिंताओं से बचाती है तथा अनुकूल समय में यह हमें विवेकहीन सुखों के उपभोग से बचाती है। विचार करने की क्षमता तथा आत्म-उन्नयन के महत्त्व को जानते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा है- "दिन में कम-से-कम एक बार स्वयं से बात करें अन्यथा आप दुनिया के एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने से चूक जाएंगे"।

हमारे विचार ही हमारे, कृत्यों का निर्धारण करते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को धारण करते हैं तब हमारे कृत्य भी नकारात्मक होते हैं और हमें परिणाम भी नकारात्मक ही प्राप्त होते हैं। किंतु जब हम सकारात्मक विचारों को धारण करते हैं तब हमारे द्वारा किये गए कृत्य भी सकारात्मक होते हैं। जैसे-जैसे विश्व तकनीकी प्रेमी और तीव्रता से प्रौद्योगिकी उन्मुख हो रहा है वैसे-वैसे इस उपभोक्तावाद के दौर में जहाँ हम बिना सोचे-समझे उत्पादों की खरीद करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच व फेक न्यूज़ पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं, हमारे सामाजिक ताने-बाने पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ता है जिससे विभिन्न समुदायों के मध्य तनावों में वृद्धि होती है।

उपर्युक्त प्रतिकूल प्रवृत्तियों को कम करने के लिये व्यक्ति को आत्म-मूल्यांकन एवं विचारण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है, जो कि हमारी कल्पनाशीलता को बढ़ाने के साथ-साथ हमें हमें रचनात्मक एवं नवोन्मेषी बनाने का कार्य करेगा तथा वर्तमान वैश्विक प्राकृतिक क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने में नवाचार एवं प्रगतिशील विचार ही प्रमुख उपकरण साबित हो सकते हैं।

प्रश्न: नैतिक अंत:प्रज्ञा पद को परिभाषित कीजिये तथा उचित उदाहरण देकर अंत:प्रज्ञा एवं तर्कशक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Explain the term moral intuition and differentiate between intuition and reasoning with suitable example.

उत्तर: नैतिक अंत:प्रज्ञा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रम है, जिसमें व्यक्ति किसी सामाजिक घटना, व्यक्ति अथवा विचारों के प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति की तात्कालिक अनुभूति करता है। इस प्रक्रिया में तर्क का प्रयोग शामिल नहीं होता, किंतु इसमें सामान्यत: भावनाओं, विचारों एवं अभिवृत्तियों को शामिल किया जाता है। हम सभी जब ऐसे परिदृश्य में होते हैं जब हमें अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर अपनी राय देनी होती है तो हम अपनी अंत:प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिये, कोई व्यक्ति हिंसा के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति होने के बाद भी अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर किसी तीर्थस्थल पर पशुबलि देता है।

नैतिक अंत:प्रज्ञा व्यक्तिपरक होती है जो व्यक्ति की नैतिक प्रवृत्ति पर आधारित होती है। उपर्युक्त उदाहरण में उस व्यक्ति के लिये हिंसा नैतिक रूप से घृणास्पद थी, किंतु उसकी अंतरात्मा के लिये हिंसा धार्मिक अनुष्ठान मात्र था।

अंत:प्रज्ञा एवं तर्कशक्ति: अंत:प्रज्ञा एवं तर्कशक्ति दो प्रकार की अनुभूतियों को संदर्भित करती हैं जो हमें दैनिक जीवन में विभिन्न मसलों से संबंधित निर्णय लेने में सहायता करती हैं। जहाँ तर्कशक्ति एक धीमी

प्रक्रिया है जिसमें कुछ प्रयास शामिल होते हैं तथा कम-से-कम कुछ ऐसे चरण शामिल होते हैं जो चेतना के लिये सुगम हैं। वहीं अंत:प्रज्ञा एक त्वरित प्रक्रिया है जो कि स्वचालित बिना किसी परिश्रम के निर्णयन करती है, जो कि मानसिक प्रक्रिया न होकर अंतर्रात्मा की आवाज़ है।

इन दोनों के मध्य अंतर को नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल काहनमैन के मानव अनुभूति के द्वैतवादी विभाजन, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 द्वारा समझा जा सकता है। इनके सिद्धांत के अनुसार, सिस्टम 1 एक आवेगपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें ऐसी कार्रवाइयाँ शामिल हैं जो किसी दूसरे विचार के बिना ही की जा सकती है, जबकि सिस्टम 2 विचारशील और तर्कसंगत कार्रवाइयों को शामिल करता है।

ड्राइविंग करना, खेलना, शेयरों में निवेश करना आदि गतिविधियाँ मस्तिष्क द्वारा अंतरात्मा के आधार पर किये गए कार्य हैं। चूँकि इन कार्यों में त्वरित निर्णयन की आवश्यकता होती है, इसलिये ये कार्य अंत:प्रज्ञा के आधार पर किये जाते हैं, जबकि अन्य कार्य, जैसे- लिखना, वाद-विवाद करना तथा रणनीति बनाना आदि में मानसिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। हालाँकि, कुछ कार्य विशेषज्ञों द्वारा किये जाते हैं जहाँ अंत:प्रज्ञा एवं तर्कशक्ति दोनों की ही आवश्यकता होती है। जैसे कि एक डॉक्टर द्वारा किसी रोगी का इलाज करने अथवा फुटबॉल के खिलाड़ियों द्वारा अपने खेल के लिये योजना बनाने के संदर्भ में देखा जा सकता है।

प्रश्न: भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ई.आई.) भारत में प्रशासन एवं शासन में किस प्रकार सहायता कर सकती है?

(150 शब्द, 10 अंक)

How can Emotional Intelligence (EI) help in administration and governance in India?

उत्तर: भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं तथा दूसरे की भावनाओं को सटीकता से पहचानने की क्षमता है। ई.आई. विभिन्न भावनाओं के मध्य भेद करने तथा भावनात्मक सूचनाओं का प्रयोग अन्य व्यक्ति की सोच एवं व्यवहार को निर्देशित करने में सहायक है। यह भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिये भावनाओं को नियंत्रित करने के रूप में प्रतिबिंबित होती है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासन की प्रमुख चुनौतियों, जैसे- राजनीतिक हस्तक्षेप, लोगों के बीच संवाद तथा संघर्ष प्रबंधन आदि से निपटने के लिये अनिवार्य है। जो निम्नलिखित प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती है-

- **टीम वर्क और सहयोग:** ई.आई. लोगों की भावनात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि कर कार्य को आसान बनाने में सहायक है। इस प्रकार भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अपने अधीनस्थों को प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिये, केरल की बाढ़ के समय आई.ए.एस अधिकारियों को पुनर्वास केंद्रों पर चावल की थैलियों को ले जाते हुए देखा गया। इस प्रकार उन्होंने अपने अधीनस्थों के सम्मुख एक उदाहरण पेश किया।
- **राजनीतिक प्रमुखों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय स्थापित करने में:** ई.आई. किसी व्यक्ति को चिंताजनक परिस्थितियों में भावनाओं का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है। यह कूटनीतिक कुशलता के साथ विभिन्न विचारधाराओं और विविध पृष्ठभूमि के प्रमुखों पर नियंत्रण पाने में सहायता करती है। उदाहरण के लिये, एक आई.ए.एस. अधिकारी अपने तात्कालिक राजनीतिक प्रमुख की कुछ नीतियों से सहमत नहीं होता है किंतु उसकी यह असहमति इसके राजनीतिक प्रमुख के आदेशों का पालन करने के मार्ग में नहीं आ सकती।
- **नीतियों के बेहतर लक्ष्यीकरण करने में:** नौकरशाहों को प्रशासन को बेहतर बनाने के लिये लोक भावनाओं को समझने का ज्ञान होना आवश्यक है तथा ये सार्वजनिक नीतियों के कुशल संचालन एवं सामाजिक समस्याओं के संभावित समाधान खोजने और उन्हें लक्षित करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिये कोझिकोड शहर में एक आई.ए.एस. अधिकारी द्वारा 'ऑपरेशन सुलेमानी' प्रारंभ किया गया। यह एक मुफ्त भोजन कार्यक्रम है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि कोझिकोड शहर में पैसे की कमी के कारण कोई भी व्यक्ति भोजन से वंचित न रहे। यह बिना किसी सवाल का जबाव दिये या देर किये भोजन के अधिकार की गारंटी देता है।
- **रचनात्मकता को आत्मसात् करने के लिये:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की नई चीज़ों को अपनाने, जोखिम उठाने तथा बिना किसी भय के नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने की संभावना अधिक होती है। यह क्षमता विभिन्न समस्याओं हेतु अभिनव समाधान खोजने में सहायता करती है। उदाहरण के लिये, आई.ए.एस. अधिकारी भारती होलीकेरी ने सरकार पर बगैर अतिरिक्त राजकोषीय बोझ सृजित किये पास के आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायता से दोपहर का भोजन उपलब्ध कराकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्ण जाँच को बढ़ावा दिया।
- **विवादों का प्रबंधन करके:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता विवेक तथा अंतरात्मा की आवाज़ की सहायता से किसी अप्रिय घटना का वास्तविक समय पर प्रबंधन कर सकती है। उदाहरण के लिये, हाल में घटित दिल्ली पुलिस तथा वकीलों के बीच संघर्ष के मामले में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से घटना को अधिक बढ़ने से रोका जा सकता था। ऐसे ही सबरीमाला मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों द्वारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाना चाहिये।
- **संवाद तंत्र को बेहतर करने में:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक नीतियों के संदर्भ में जनता से बेहतर रूप में संवाद स्थापित करने में सक्षम होगा। साथ ही, वह अपने अधीनस्थों व आम जनता के साथ बेहतर संबंध बनाने में भी सक्षम होगा।
- **तनाव प्रबंधन में:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता तनावपूर्ण व भड़काऊ स्थिति में भावनाओं को प्रबंधित करने तथा शारीरिक व मानसिक वेल बीइंग को बेहतर करने में सहायक होती है। उदाहरण के तौर पर कोयंबटूर पुलिस ने तनाव प्रबंधन हेतु 'वेल बीइंग' नामक पहल की शुरुआत की है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता अनुभूति एवं भावनाओं हेतु एक संधिस्थल बनाती है जो कि हमारी क्षमताओं, जैसे- लचीलापन, प्रेरणा, समानुभूति, तर्क, तनाव प्रबंधन तथा संवाद को बेहतर बनाती है जो शासन एवं प्रशासन व्यवस्था को प्रभावी रूप से चलाने में प्रमुख आधार का कार्य करती है।

प्रश्न: किस प्रकार निष्पक्षता एवं गैर-तरफदारी लोक सेवाओं में तटस्थता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

How impartiality and non-partisanship play a vital role in ensuring a neutral approach in public service? Illustrate your answers with suitable examples.

उत्तर: एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वजनिक कार्यालयों का प्रत्येक धारक जनता के प्रति जवाबदेह होता है। जवाबदेही का प्रत्यारोपण आचार संहिता के माध्यम से किया जाता है, जो अंततः सार्वजनिक रूप में सेवाओं के वितरण की गुणवत्ता को सुधारता है। निष्पक्षता एवं गैर-तरफदारी नैतिकता के दो प्रमुख आयाम हैं, जो कि लोक सेवा में एक तटस्थ दृष्टिकोण के विकास में सहायक होते हैं। तटस्थता को किसी भी लाभ अथवा व्यक्तिगत फायदे के प्रति उदासीनता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है तथा निष्पक्षता एक पक्षपातविहीन दृष्टिकोण है, जिसमें अमीर-गरीब, जाति-धर्म के सामाजिक दबाव आदि से तटस्थ रहकर कार्य किया जाता है। वहीं गैर-तरफदारी किसी विशेष विचारधारा अथवा राजनीतिक दलों के प्रति झुकाव या संबद्धता की अनुपस्थिति की द्योतक है।

निष्पक्षता एवं गैर-तरफदारी सभी के लिये सुशासन की अवधारणा के प्रवर्तन हेतु एक तंत्र का निर्माण करते हैं। हालाँकि, भारत जैसे जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में एक लोक सेवक का वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष होना अत्यधिक मुश्किल कार्य है। ऐसी स्थिति में निष्पक्षता एवं गैर-तरफदारी मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं तथा समाज को सर्वोत्तम सेवाएँ देने में सहायक होते हैं। ये मूल्य लोक सेवकों के लिये विभिन्न व्यवस्थाओं या पार्टियों के साथ बिना किसी संघर्ष के और पूरे उत्साह से कार्य करने हेतु पथ-प्रदर्शक का कार्य करते हैं।

दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि लोक सेवकों को 'सभी के कल्याण' के लिये कार्य करना होता है। उसे नीतियों के क्रियान्वयन हेतु व्यक्तिगत विश्वासों के विपरीत भी कार्य करना पड़ता है। लोक नीतियों के क्रियान्वयन में जाति, वर्ग, क्षेत्र या धर्म के विचार के बिना कार्य करना होता है। उदाहरण के लिये, किसी लोक सेवक को आदिवासी क्षेत्र में काम करने के क्रम में आदिवासी समाज के सांस्कृतिक विश्वासों के साथ असहमति हो सकती है, किंतु यह असहमति उसकी जनता की सेवा करने की इच्छाशक्ति को प्रभावित न करे।

इस प्रकार देखा जाए तो एक लोक सेवक भी किसी विशिष्ट समाज का भाग है। यदि उसमें अपने समाज का कोई सामाजिक मानदंड बचा रहता है तो वह व्यक्तिगत विचारों के आधार पर पक्षपाती निर्णय ले सकता है। उदाहरण के लिये, किसी समाज के संभ्रांत वर्ग का सिविल सेवक कभी भी समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति या करुणा नहीं रख सकता। निष्पक्षता एवं गैर-तरफदारी लोक सेवकों में बेहतर प्रशासन एवं कल्याणकारी नीतियों के निष्पक्ष क्रियान्वयन हेतु अभिवृत्ति का विकास करेंगे।

जब कभी भी अंतरात्मा की असंतुष्टि और नैतिक दुविधा की स्थिति हो तो सही-गलत में फर्क करने में निष्पक्षता एवं गैर-तरफदारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अंततः तटस्थता, सत्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता लाने में सहायक होते हैं। ये वास्तविक अर्थों में लोक सेवा के प्रति समर्पण की ओर ले जाते हैं। श्री टी.एन. शेषन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी गरिमा और सम्मान के साथ आगे बढ़ पाए। ऐसा वे इसलिये कर पाए क्योंकि उन्होंने सदैव तटस्थता, गैर-तरफदारी और निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन किया। उनके इस दृष्टिकोण ने चुनाव आयोग में अभूतपूर्व सुधार किये। इस प्रकार गैर-तरफदारी और निष्पक्षता सुशासन, तटस्थता तथा निर्णयन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हैं। ये मूल्य हितों के संघर्ष को रोकने हेतु सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं ताकि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित विभिन्न आदर्शों का पालन किया जा सके।

प्रश्न: अभिरुचि एवं अभिवृत्ति सिविल सेवकों में लोक सेवा मूल्यों के विकास हेतु एक-दूसरे के पूरक हैं। टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Aptitude and attitude complement each other in developing public service values amongs"k civil servants. Comment.

उत्तर:

- **अभिरुचि:** किसी व्यक्ति की उन विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि यदि व्यक्ति को उचित वातावरण तथा प्रशिक्षण मिले तो वह उस विशेष क्षेत्र में सफल होने के लिये आवश्यक योग्यताओं को प्राप्त करने की कितनी क्षमता रखता है। इससे व्यक्ति के भविष्य में प्रदर्शन करने का आकलन किया जा सकता है।
- **अभिवृत्ति:** एक ऐसी मनःस्थिति है जहाँ किसी विषय के प्रति विचार या विचारों का समूह उपस्थित होता है। इसमें एक मूल्यांकन की स्थिति (नकारात्मक, सकारात्मक तथा तटस्थ) उपस्थित होती है जहाँ भावनात्मक घटक के विशेष तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति विद्यमान होती है।

अभिरुचि व अभिवृत्ति के मध्य अंतर निम्नवत् हैं

- अभिवृत्ति कुछ अनुभूतियों के साथ मौजूद क्षमताओं एवं कौशल से संबंधित है जबकि अभिरुचि कौशल, क्षमता तथा ज्ञान अर्जित करने की संभावित क्षमता है।
- जहाँ अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा विचार के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक अथवा तटस्थ भाव है वहीं अभिरुचि कुछ विशेष प्रकार के कार्य करने की क्षमता है जो कि विशेष योग्यता, कौशल अथवा ज्ञान की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करती है।

लोक सेवा के मूल्यों के विकास में अभिरुचि एवं अभिवृत्ति एक-दूसरे के पूरक के रूप में

- अभिरुचि अथवा अभिवृत्ति में किसी एक की उपस्थिति पर्याप्त नहीं हो सकती इसलिये अभिरुचि के उचित अनुप्रयोग हेतु सही अभिवृत्ति की आवश्यकता होती है। तकनीकी रूप से प्रतिभावान सिविल सेवक जिसके पास कि सही अभिवृत्ति का अभाव है, वह स्वपोषक एवं निठुर (करुणा की अनुपस्थिति) या भ्रष्टाचारी (सत्यनिष्ठा व ईमानदारी के प्रति कमज़ोर अभिवृत्ति) हो सकता है।

अभिवृत्ति एवं अभिरुचि आमतौर पर एक-दूसरे को सुदृढ़ बनाती हैं। लोक कल्याण के अपने जनादेश को पूरा करने के लिये एक सिविल सेवक को इन दोनों ही मापदंडों पर खरा उतरना चाहिये। एक सिविल सेवक के पास दोनों ही मूल्यों का होना आवश्यक है ताकि वह किसी भी जटिल, बहुआयामी तथा गत्यात्मक परिस्थिति के लिये प्रतिक्रिया देने की स्थिति में रहे।

एक सकारात्मक अभिवृत्ति समाज के कल्याण हेतु अपनी अभिरुचि का प्रयोग करने में एक सिविल सेवक को निर्देशित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है जिसकी पुष्टि निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से की जा सकती है–

- हाल ही में एक आई.ए.एस. अधिकारी ने स्वेच्छा से राहत सामग्री एकत्रित करके केरल के बाढ़ पीड़ितों की सहायता की क्योंकि उस अधिकारी के पास लोगों के बीच पहुँचकर उनकी सहायता करने की अभिवृत्ति विद्यमान थी। तथा उसने अपनी जनसेवा अभिरुचि के आधार पर इसका समतामूलक वितरण सुनिश्चित किया।
- एक अन्य उदाहरण के रूप में केरल के एक आई.ए.एस. अधिकारी ने कई नई पहलें, जैसे- कंपेसिनेट कोझिकोड, ऑपरेशन सुलेमानी, फ्रीडम कैफे, तेरे मेरे बीच में इत्यादि प्रारंभ कीं जिसने प्रशासन के नवीन युग में प्रवेश करने के लिये ज़िला प्रशासन और नागरिकों के बीच अंतर को सोशल मीडिया तथा प्रौद्योगिकी के अनुकूलतम प्रयोग के माध्यम से पाटने का प्रयास किया।

इस प्रकार देखा जाए तो एक सफल प्रशासक के लिये समाज सेवा करने हेतु अभिवृत्ति एवं अभिरुचि दोनों की आवश्यकता होती है किंतु इनका महत्त्व केस-दर-केस अलग-अलग हो सकता है। सकारात्मक अभिवृत्ति तथा अभिरुचि एक सिविल सेवक के लिये आवश्यक गुणों, जैसे- भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, समानुभूति, करुणा इत्यादि की पोषक होती हैं।

प्रश्न: सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित पदों की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिये- (150 शब्द, 10 अंक)

(a) निष्पक्षता

(b) गैर-तरफदारी

(c) वस्तुनिष्ठता

(d) सहिष्णुता

Examine the relevance of the following terms in the context of civil service-

(a) Impartiality

(b) Non-partisanship

(c) Objectivity

(d) Tolerance

उत्तर (a): निष्पक्षता: इसका तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत हितों को वरीयता दिये बिना निस्स्वार्थ भाव से कार्य करने से है। इसका तात्पर्य सभी को समान रूप से और समान भावना से अपनी सेवाएँ देने से है। एक अधिकारी को किसी व्यक्ति विशेष या हित विशेष के पक्ष में अनुचित उपकार या भेदभावपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिये, उदाहरण के लिये आई.पी.एस. अधिकारी श्रीलेखा का 'रेड श्रीलेखा' उपनाम पड़ा। ऐसा उपनाम उन सी.बी.आई. टीमों का हिस्सा रहने के लिये दिया गया, जो कि प्रभावशाली व्यक्तियों के परिसरों में छापे मारने से नहीं घबराते हैं। निष्पक्षता लोक सेवा का हृदय-स्थल तथा सिविल सेवकों की प्रतिबद्धताओं का मूल बिंदु है। एक सिविल सेवक को निष्पक्ष होना चाहिये तथा उसे राष्ट्रीयता, जाति, धर्म या राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर कार्य करने वाला नहीं होना चाहिये। एक निष्पक्ष सिविल सेवक निम्न बिंदुओं को सुनिश्चित करता है-

- प्रभावी रूप में सेवा वितरण।
- जब लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ नए प्रशासन के रूप में परिणत होती हैं, तब यह कानूनी एवं संवैधानिक संक्रमण को सुनिश्चित करता है।
- संसाधनों का उचित प्रबंधन एवं सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।

उत्तर (b): गैर-तरफदारी: यह किसी विचारधारा अथवा विशेष राजनीतिक समूह के प्रति पक्षपाती दृष्टिकोण न रखने का गुण है। यह सिविल सेवा का एक आवश्यक मूल्य है जो कि लोक सेवकों के कार्यों और ज़िम्मेदारियों का आधार है। जहाँ सामान्यतया निष्पक्षता पूर्वाग्रहों और पक्षपातों के बिना समानता सुनिश्चित करती है वहीं गैर-तरफदारी राजनीति से तटस्थता एवं सरकार के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता की द्योतक है। उदाहरण के लिये, टी.एन. शेषन ने भारतीय निर्वाचन प्रणाली में ऐसे समय में विश्वास बहाली की जब भारतीय चुनाव प्रणाली बूथ कैप्चरिंग, धाँधली तथा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का पर्याय बन चुकी थी। उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लिये बगैर आयोग के कार्यों को कठोर लोकाचार और चुनावी सिद्धांत के अनुरूप बना दिया।

उत्तर (c): वस्तुनिष्ठता: यह एक अधिकारी को निर्णयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत मान्यताओं, विश्वासों, जाति, धर्म, नस्ल आदि से तटस्थ रहने की अपेक्षा को दर्शाता है। इसका तात्पर्य है कि निर्णय लेने की स्थिति में अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों एवं धारणाओं से पूर्णत: अलग रहना। सार्वजनिक जीवन में किसी अन्य कारक से निरपेक्ष रहते हुए लोगों को समान परिस्थिति में समान उपचार (सेवा) देना ही निष्पक्ष होना है। उदाहरण के लिये, एक आई.पी.एस. अधिकारी यौन उत्पीड़न के मामले में सभी पहलुओं का विश्लेषण किये बगैर किसी पूर्वाग्रह के कार्य करता है तथा उसके आधार पर उचित निर्णय लेता है।

उत्तर (d): सहिष्णुता: यह हमारी समृद्ध विविधता को सम्मान देने एवं उसको स्वीकृति देने, मानव होने के नाते हमारी अभिव्यक्ति के तरीकों को सराहना देने का पर्याय है। यह उन व्यक्तियों को भी स्वीकार करने का तरीका है, जिनके विचार और विश्वास हमारे अनुरूप नहीं हैं। यह ज्ञान, खुलापन, संवाद तथा विचार, विवेक एवं विश्वास की स्वतंत्रता से प्रेरित है। उदाहरण के लिये, समाज के कमज़ोर वर्गों हेतु नीतियाँ बनाते समय एक नीति-निर्माता को 'सभी के कल्याण' के लिये अपने व्यक्तिगत विचारों को इसके मार्ग में न आने देने के लिये पर्याप्त सहिष्णु होना चाहिये।

सहिष्णु होना सिविल सेवकों के लिये निम्नलिखित कारणों से महत्त्वपूर्ण है-

- संविधान की मूल अवसंरचना में उल्लिखित।
- मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये।
- प्राकृतिक अधिकारों को बनाए रखने हेतु।
- धमकी देने, ज़बरदस्ती करने तथा उत्पीड़क प्रवृत्तियों को रोकने हेतु।
- दूसरों के प्रति सम्मान, ज्ञान, खुलापन, समाज के विभिन्न वर्गों में संवाद स्थापित करने जैसे गुणों के विकास में।

सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर-तरफदारी, वस्तुनिष्ठता तथा सहिष्णुता सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य हैं, इसलिये इन मूल्यों का विकास एक कुशल एवं लोककेंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास में अतिआवश्यक है।

प्रश्न: "प्रतिभा और कुछ नहीं बल्कि धैर्य के प्रति एक महान अभिरुचि है।"- बेंजामिन फ्रैंकलिन। टिप्पणी कीजिये।
150 शब्द, 10 अंक)

"Genius is nothing but a greater aptitude for patience."– Benjamin Franklin. Comment.

उत्तर: मानव की प्रतिभा को एक असाधारण बौद्धिक क्षमता अथवा रचनात्मक शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसने विश्व में आधुनिक सुख-सुविधाओं के आविष्कार तथा सर्वाधिक जटिल समस्याओं के समाधान खोजने के साथ ही एक क्रांति लाई है। किंतु, मानव मस्तिष्क की इस क्षमता का वितरण मानव आबादी में असमान है। सामान्यत: प्रतिभा को भाग्य के एक कारक के रूप में स्वीकारा जाता है जबकि मस्तिष्क की प्रतिभा को आकार देने वाले कारकों, जैसे- धैर्य आदि को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता।

धैर्य के प्रति अभिरुचि चंचल और प्रतिक्रियाशील मानव मस्तिष्क को दृढ़ता एवं समर्पण हेतु प्रेरित करने करने का कार्य करता है। महान राजनीतिक व्यक्तित्वों में से एक श्री अब्राहम लिंकन को अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में लगातार चुनावी हारों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें मानसिक अवसादों का भी सामना करना पड़ा। सामान्यतया इस प्रकार के झटके किसी को भी राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर जाने हेतु विवश कर सकते हैं, फिर भी उनके धैर्य ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। अंतत: उन्हें राष्ट्रपति का पद प्राप्त हुआ। वहीं विश्व इतिहास के अन्य उदाहरणों में जहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटिश खुफिया विभाग को नाजी खुफिया सूचनाओं को समझने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यह कार्य तब तक असंभव प्रतीत हो रहा था, जब तक विलक्षण प्रतिभा के धनी एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन को डिज़ाइन नहीं कर लिया, जिसकी सहायता ने इन गुप्त कोडों को क्रैक किया गया, जिसने द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सेना को बढ़त दिलाई।

केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सांगठनिक स्तर पर भी प्रतिभा विकास के लिये एक सामूहिक अभिरुचि की आवश्यकता होती है। यदि संगठन के सदस्यों में धैर्य और क्रियान्वयन में समर्पण की कमी है तो वहाँ एक योजना कल्पना मात्र बनकर ही रह जाती है। वर्ष 1993 में रूस ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एम.टी.सी.आर.) के तहत अमेरिकी दबाव के कारण भारत को क्रायोजेनिक तकनीकी देने से मना कर दिया था, किंतु इसरो ने अपने बेहतरीन प्रतिभा के धनी वैज्ञानिकों के साथ निरंतर सत्रह वर्षों तक कार्य किया और स्वदेशी क्रायोजेनिक तकनीकी का विकास किया, किंतु यदि उनमें धैर्य के अभाव रहता तो वे कभी भी अपने मिशन में सफल नहीं हो सकते थे।

इसी प्रकार लोक सेवा और प्रशासन के क्षेत्र में नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन में हमेशा दृढ़ता तथा धैर्य की आवश्यकता होती है। एक अधिकारी ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी प्रशासन की जटिलताओं के सम्मुख अपना धैर्य खो सकता है। इस प्रकार धैर्य की अभिरुचि का होना किसी भी संगठन और जीवन के विविध क्षेत्रों में सरलता लाने हेतु अनिवार्य है।

प्रश्न: सत्यनिष्ठा के विभिन्न प्रकार कौन-से हैं? प्रशासन में इनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What are the different types of integrity? Highlight its utility in governance.

उत्तर: सत्यनिष्ठा व्यक्ति के सिद्धांतों व उसके कार्यों में आंतरिक सुसंगति का पर्याय है। वस्तुत: सत्यनिष्ठा का सामान्य अर्थ ईमानदारी से लिया जाता है, किंतु यदि इसे विस्तृत अर्थों में देखें तो सत्यनिष्ठा के अंतर्गत व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों के बीच आंतरिक सुसंगति तथा उसके नैतिक सिद्धांतों व व्यवहारों में सुसंगति को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही सिद्धांतों में एक सोपानक्रम भी तय किया जाता है, ताकि इनमें असंगति होने पर प्राथमिक मूल्यों का चयन किया जा सके।

जब हम सत्यनिष्ठा की बात करते हैं तो हम उसका तात्पर्य एक निश्चित समय व समान परिस्थितियों में एक समान मानकों अथवा एक समान नैतिक सिद्धांतों को अपनाने की अपेक्षा करते हैं।

यदि कांट के शब्दों में कहें तो "मुझे किसी नियम या विधि के उल्लंघन का हक तभी है जब मैं यह कह सकूँ कि जैसी परिस्थिति में मैं हूँ, वैसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जाना चाहिये।" सामान्यतया सत्यनिष्ठा के तीन प्रमुख प्रकार माने जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-

- **बौद्धिक सत्यनिष्ठा (Intellectual Integrity):** जब हम अपने तथा दूसरों के लिये समान प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं अर्थात् हम अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमानों के आधार पर तथा उतनी ही कठोरता

से करते हैं, जिनसे हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पीठ पीछे उसकी बुराई करता है तो उसे किसी अन्य द्वारा पीठ पीछे अपनी बुराई करने पर उस व्यक्ति से नाराज़ नहीं होना चाहिये। यदि हम स्वयं के लिये उन प्रतिमानों का प्रयोग नहीं करते, जिनके आधार पर हम दूसरे का मूल्यांकन करते हैं तो ऐसी स्थिति को बौद्धिक पाखंड कहा जाता है।

- **व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा (Personal Integrity):** जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने नैतिक सिद्धांतों व अपने आचरण में सुसंगति रखते हैं तो इसे व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा कहते हैं। यदि सरल शब्दों में कहें तो 'जैसी कथनी वैसी करनी' अर्थात् जैसा कहा शत प्रतिशत वैसा ही किया।
- **व्यावसायिक सत्यनिष्ठा (Professional Integrity):** जब व्यक्ति अपने व्यवसाय से जुड़े नैतिक सिद्धांतों तथा आचार संहिता का पालन करता है, तो उसे व्यावसायिक सत्यनिष्ठा कहा जाता है। उदाहरण के लिये, एक चिकित्सक अपने अतिरिक्त लाभ के लिये किसी व्यक्ति की अनावश्यक सर्जरी करता है या अपने चिकित्सा ज्ञान का प्रयोग अनैतिक लाभों की प्राप्ति के लिये करता है तो यह उसकी 'हिप्पोक्रेटिक ओथ' के विपरीत है अर्थात् उसकी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन है।

सत्यनिष्ठा की प्रशासन में उपयोगिता: सत्यनिष्ठा लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखने हेतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत व सांगठनिक हितों पर सार्वजनिक हितों को वरीयता देती है। यदि एक सिविल सेवक अपने सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा का पालन करता है तो वह-

- अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग जनसेवा में कर सकता है।
- उसे अपने सहयोगी-कर्मचारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त होता है जिससे उसकी नौकरी व जनसेवा के प्रति उसके समर्पण में वृद्धि होती है।
- वह अपने व्यवसाय के नैतिक सिद्धांतों व आचार संहिता का पालन करता है जिससे निर्णयन में पारदर्शिता आती है।
- उसे जनता का विश्वास भी प्राप्त हो जाता है। यदि लोक सेवकों को जनता का विश्वास प्राप्त हो जाता है तो सार्वजनिक योजनाओं पर उनका सहयोग प्राप्त होता है, जिससे बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है।

इस प्रकार देखा जाए तो सत्यनिष्ठा व्यक्ति के जीवन के सभी स्तरों, यथा- बौद्धिक, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक स्तर पर महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है जो कि व्यक्ति के सिद्धांतों व व्यवहारों को सुसंगत बनाए रखने के साथ-साथ व्यवसाय में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करती है तथा सार्वजनिक जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सक्षम होती है।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरणों को आप वर्तमान संदर्भ में किस प्रकार समझते हैं?

"विसंगति या मतभिन्नता मानव की सबसे बड़ी बीमारी है और सहिष्णुता इसका एकमात्र उपचार है।" –वॉल्टेयर।

(150 शब्द, 10 अंक)

What does each of the following quotations mean to you in the present context?

"Discord is the great ill of mankind; and tolerance is the only remedy for it." –Voltaire.

उत्तर: विसंगति एक ऐसी स्थिति है, जो समन्वय अथवा सौहार्द्र की कमी के कारण उत्पन्न होती है तथा बनावटीपन या मनमुटाव की तरफ ले जाती है, जबकि सहिष्णुता परस्पर विरोधी विचारों अथवा व्यवहारों को सहन करने की क्षमता है। प्राचीन समय से ही विसंगति समाजों में विभाजन का कारण रहा है, जिसने जातिवाद, सांप्रदायिकता, धर्मयुद्ध, क्षेत्रवाद आदि सामाजिक बुराइयों को जन्म दिया है।

हाल के दिनों में विश्व में विभाजनकारी शक्तियों में वृद्धि हुई है तथा विश्व के कई भागों में संघर्षों में भी बढ़ोतरी हुई है। रोहिंग्या शरणार्थी संकट, सीरियाई गृहयुद्ध, यमन का गृहयुद्ध आदि विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा सामूहिक पलायन के मूकदर्शक बने हैं। आज विश्व सांप्रदायिक घृणा, आतंकवाद तथा हिंसा जैसे कई गंभीर चुनौतियों के दौर से गुज़र रहा है। आज के बहुसांस्कृतिक समाजों में सामाजिक सद्भाव और एक व्यक्तिगत मूल्य के रूप में सहिष्णुता जैसे सद्गुण का अभाव दृष्टिगत हो रहा है।

सहिष्णुता विभिन्न धर्मों, राजनीतिक विचारधाराओं, राष्ट्रीयताओं तथा जातीय समूहों आदि को साथ लेते हुए समाज को गतिशील बनाए रखने हेतु एक व्यावहारिक सूत्र है। यह मत-भिन्नताओं तथा वस्तुओं की यथास्थिति को स्वीकारती है। यह लोगों को उन परिस्थितियों में शांत बनाए रखता है, जिनसे वह सहमत नहीं होते। उदाहरण के लिये, हाल ही में दिल्ली पुलिस व वकीलों के बीच हुई झड़पों को सहिष्णुता की सहायता से टाला जा सकता था।

विभिन्न विश्वासों, संस्कृतियों, धर्मों तथा जीवन पद्धतियों वाले विश्व में, सौहार्द्रपूर्ण रिश्तों को बनाए रखने में सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। हम सभी के लिये यह सद्गुण परिवार के साथ रहने, कार्यालयों में कार्य करने तथा लोक सेवाओं के लिये अतिआवश्यक हो जाता है। धैर्य के साथ सहिष्णुता अन्य मूल्यों के विकास के लिये एक उर्वर ज़मीन उपलब्ध कराती है। प्यार, शांति एवं आनंद के अनुभव को साझा करने के लिये यह एक अनिवार्य शर्त है। बिना सहिष्णुता के व्यक्ति के पूर्वाग्रही होने का खतरा बना रहता है। इस प्रकार सहिष्णुता लोक सेवा में अनिवार्य भूमिका निभाती है, क्योंकि लोक सेवाओं में इसके नियमित प्रयोग की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

हालाँकि, असहमति सदैव असंगत नहीं होती, बल्कि इसके परिणामस्वरूप विचार-विमर्श होता है, जिससे व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है। किंतु, सहिष्णुता शांति को संभव बनाती है। यह किसी एकल व्यक्ति तथा लोगों के बीच आपसी सम्मान व विचारों के सम्मान को बनाए रखती है। सहिष्णुता लोगों में विश्वासों, मूल्यों तथा विचारों की परस्पर विरोधिता को तब तक सह-अस्तित्व में बनाए रखती है, जब तक कि वे स्वीकार्य नैतिक मूल्यों के रूप में समाहित न हो जाएँ। गांधी जी ने अपने जीवनपर्यंत (विभाजन की त्रासदी में भी) सांप्रदायिक सद्भाव के लिये कार्य किया तथा उनका दृढ़ विश्वास था कि समाज

में व्याप्त तमाम सामाजिक बुराइयों को आपसी प्रेम व सहिष्णुता से दूर किया जा सकता है।

प्रश्न: "करुणा वह सबसे महत्त्वपूर्ण सद्गुण है जो विश्व को आगे बढ़ाता है।" -तिरुवल्लूर।
(150 शब्द, 10 अंक)

"It is compassion, the most gracious of virtues, which moves the world." – Thiruvalluvar

उत्तर: तिरुवल्लूर एक महान संत, कवि, उपदेशक तथा विचारक थे जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उनके कार्य मानवोचित, परिष्कृत एवं सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। उनके अनुसार करुणा मानव का सबसे महत्त्वपूर्ण सद्गुण है। करुणा के संदर्भ में वे कहते हैं, "विश्व का अस्तित्व करुणा के अद्वितीय गुण की मौजूदगी के कारण बना हुआ है।"

करुणा दूसरों के कष्टों के प्रति चिंतनशील होने तथा इनके समाधान करने की दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। यह दूसरों के दुख-दर्द को महसूस करने या अनुभव करने का पर्याय है जो कि विश्व की भलाई के लिये आवश्यक इच्छाशक्ति उपलब्ध कराने में अतिआवश्यक है।

करुणा निर्धनों के प्रति चैरिटी के रूप में प्रकट हो सकती है। यह लोगों में सामाजिक ज़िम्मेदारी की भावना उत्पन्न करती है तथा परोपकार के रूप में भी प्रकट हो सकती है। किंतु वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में करुणा का क्षरण देखा जा रहा है, जो कि मानवीय मूल्यों के संकट को जन्म दे रहा है। तिरुवल्लूर का कथन है कि "यदि हम किसी की पीड़ा को स्वयं का समझकर उसका उपचार नहीं करते हैं तो ऐसी बुद्धिमत्ता की उपयोगिता पर प्रश्नचिह्न लगना चाहिये"। हालिया वैश्विक घटनाक्रम, जैसे- एक देश का दूसरे देश से होने वाले प्रवासन को अनुमति न देना (यूरोप और म्याँमार), सीरिया में बमबारी से निर्दोषों की हत्या आदि करुणा के संकट के द्योतक हैं।

करुणा विश्व को कैसे आगे बढ़ाती है?

करुणा के संकट के बावजूद विश्व पूरी तरह इससे वंचित नहीं है, जैसे कि-

- चंपारण के किसानों की दुर्गति के प्रति गांधी जी के करुणामय दृष्टिकोण ने उन्हें चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करने के लिये प्रेरित किया।
- मदर टेरेसा को करुणा की देवी के रूप में जाना जाता है जिन्होंने वंचितों के कल्याण हेतु अथक प्रयास किये।
- वह करुणा ही है जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को बालकों के अधिकारों के लिये कार्य करने हेतु प्रेरित किया। सत्यार्थी भारत और विदेशों में सभी बालकों के लिये सामाजिक न्याय, समता, शिक्षा तथा शांति के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं।
- आई.ए.एस. अधिकारी आर्मस्ट्रांग पाम ने सरकारी मदद के बिना 100 किमी. लंबी सड़क का निर्माण किया। ऐसा उन्होंने तब किया जब उन्होंने देखा कि मणिपुर के एक गाँव में जाने के लिये स्थानीय लोगों को घंटों पैदल चलना पड़ता है या नदी को तैरकर जाना पड़ता है।

करुणा का सद्गुण हमारे देश के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यहाँ अभी भी अधिकांश लोग अपने अधिकारों तथा अपने सामाजिक-आर्थिक दायित्वों से अनभिज्ञ हैं। करुणा की अनुपस्थिति में लोक प्रशासन संवेदनहीन, कठोर और अप्रभावी हो जाता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करुणा एक सामाजिक पूंजी है जो कि सभी में सद्भाव को बढ़ाती है। जैसा कि नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट वाइटजर कहते हैं, "मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना, दूसरे के प्रति करुणा रखना तथा दूसरों की सहायता की इच्छाशक्ति रखना है।" इस कथन में हम प्रेम एवं करुणा के प्रति तिरुवल्लूर के विचारों की गूँज सुन सकते हैं। अंततः करुणारूपी इस आवश्यक सद्गुण के अभाव में लोक प्रशासन तथा कुशल सेवा प्रदायिता में गिरावट आती है।

प्रश्न: भावनात्मक बुद्धिमत्ता की उपयोगिता का परीक्षण कीजिये-
(150 शब्द, 10 अंक)
व्यक्तिगत स्तर पर
कार्य समूह के स्तर पर
संगठनात्मक स्तर पर
Examine the utility of emotional intelligence:
at an individual level
at work team level
at the organizational level

उत्तर: भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सामाजिक बुद्धिमत्ता के एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं की भावनाओं तथा दूसरे की भावनाओं को पहचानने, उनमें अंतर करने तथा उनका प्रयोग किसी के विचारों एवं कृत्यों को निर्देशित करने की क्षमता को शामिल करता है। डेनियल गोलमेन द्वारा भावनात्मक बुद्धिमत्ता के पाँच घटक निर्धारित किये गए हैं जो कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, समानुभूति तथा सोशल स्किल हैं।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता की विभिन्न स्तरों पर उपयोगिता

- **व्यक्तिगत स्तर पर:** यह किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं से अवगत होने तथा उन्हें पहचान कर उनका प्रयोग संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को संदर्भित करता है। पेशेवर स्तर पर अंतर-वैयक्तिक या सार्वजनिक इंटरफेस, सेवा प्रदायिता की प्रभावशीलता आदि व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता से गहनता से जुड़ी होती हैं। एक सिविल सेवक के रूप में नीतियों के बेहतर लक्ष्यीकरण, व्यक्तिगत जीवन तथा व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाए रखने, बेहतर निर्णयन तथा तनाव प्रबंधन आदि में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है। यह सिविल सेवाओं हेतु आवश्यक आधारभूत मूल्यों, जैसे-सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर-तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता तथा कमज़ोर वर्गों के प्रति करुणा आदि को मज़बूती प्रदान करती है।
- **कार्य समूह के स्तर पर:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता टीम के प्रदर्शन की प्रमुख निर्धारक तत्त्व है। एक टीम में संपर्क सहज व सुगम अथवा

विकृत एवं संघर्षपूर्ण हो सकता है, ऐसे में भावनात्मक बुद्धिमत्ता टीम के प्रमुख के साथ-साथ टीम के सदस्यों में सामंजस्य बनाने का कार्य करती है। एक उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति एक फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करता है, यह जानता है कि लोगों को कैसे प्रेरित करना है, जैसे- विवाद की स्थिति से कैसे निपटना है तथा विरोधी दलों के बीच सामंजस्य कैसे बनाना है। उदाहरण के लिये गांधी जी ने अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हेतु भारत के आम जनमानस को संगठित किया।

- **संगठनात्मक स्तर पर:** किसी संगठन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपने सदस्यों की भावनाओं को स्वीकार करने, पहचानने, उनको मॉनीटर करने, उनमें अंतर करने तथा उनका प्रबंधन करने की भावनात्मक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। सटीक सामाजिक अनुभूतियाँ नेतृत्वकर्ता को समूह के अन्य सदस्यों की अभिवृत्तियों, लक्ष्यों तथा उनके हितों को जानने में सहायता करती हैं। ये घोषित-अघोषित लक्ष्यों को पहचानने, उन्हें समझने तथा संबोधित करने से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिये टाटा समूह के चेयरमैन श्री रतन टाटा ने समूह की वर्षगाँठ के अवसर पर अपने कर्मचारियों को एक पत्र लिखकर उन्हें टाटा समूह का उत्तराधिकारी और संरक्षक बताया तथा समाज में सतत् बदलाव लाने हेतु उन पर विश्वास जताया। ऐसा करके उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ उच्चस्तरीय जुड़ाव का प्रदर्शन किया तथा उनके प्रयासों को स्वीकृति भी प्रदान की।

इस प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्त्व को विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है। यह एक व्यक्ति, टीम अथवा संगठन को अधिक उत्पादक तथा सशक्त बनाती है।

प्रश्न: भारत जैसे एक जटिल समाज में लोगों में पूर्वाग्रह एवं पक्षपात की प्रवृत्ति विद्यमान होती हैं। इस कथन के संदर्भ में लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये। (150 शब्द, 10 अंक)

In a complex society like India, people tend to have prejudices and biases. In the context of this statement, highlight the need for objectivity and impartiality in public services.

उत्तर: भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक तथा बहुलतावादी समाज है जिसकी विभिन्न जातियों, क्षेत्रों तथा संस्कृतियों में संसाधनों, साक्षरता एवं जनसांख्यिकी संबंधी व्यापक एवं अभूतपूर्व भिन्नताएँ विद्यमान हैं। ये भिन्नताएँ लोगों के मन में गहराई से पैठ जमाई हुई हैं जो कि पूर्वाग्रहों एवं भेदभावों हेतु एक आधार प्रदान करती हैं। ये पूर्वाग्रह एवं भेदभाव इनका सामना करने वाले लोगों के हितों को सीमित करते हैं। लोक सेवाओं की प्रकृति ऐसी है कि इसमें अधिकारी को विभिन्न नेताओं, विभिन्न विचारधाराओं एवं संस्कृतियों के लोगों को अपनी सेवाएँ देनी होती हैं। इस संदर्भ में लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- **वस्तुनिष्ठता** से तात्पर्य प्रमाणित तथ्यों एवं आँकड़ों के आधार पर निर्णय लेने से है। यह परिस्थिति तथा परिणामों की परवाह किये बिना सदैव व्यक्ति के कृत्यों को सही या गलत के रूप में देखने को संदर्भित करती है।
- **निष्पक्षता** से तात्पर्य लोक सेवकों को अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, स्थितियों एवं कृत्यों से परे रहकर कार्य करने की अपेक्षा से है, जो कि किसी विशेष कारण अथवा कार्रवाईवश पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं।

लोक सेवाओं में वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता का विशेष गुण के रूप में महत्त्व

- ये निष्पक्ष, न्यायोचित एवं समानतापूर्ण उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता करती हैं तथा समानता एवं न्याय के प्रति सिविल सेवाओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।
- ये मूल्य राजनीतिक निष्पक्षता को बनाए रखते हुए राजनीतिक दबाव से स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।
- ये मित्रवाद, भाई-भतीजावाद तथा गुटबंदी को रोकते हैं तथा इस प्रकार यह सार्वजनिक संसाधनों का उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिये- एक नेता एक सिविल सेवक पर किसी का पक्ष लेने हेतु दबाव बनाता है तो निष्पक्षता उसे नैतिक कार्रवाई करने में सहायता करेगी।
- वस्तुनिष्ठता नीतियों तथा कार्यक्रमों के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन में सहायता करती है, जिससे एक सकारात्मक एवं प्रेरक कार्य-संस्कृति का निर्माण होता है।
- दंगों, सांप्रदायिक हिंसा या किसी नृजातीय संघर्ष की स्थिति में एक तटस्थ अभिवृत्ति वाला सिविल सेवक न्यायोचित कार्रवाई करने में सक्षम होगा, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक अथवा सामाजिक पूर्वाग्रहों से मुक्त रहता है।
- प्रत्यायोजित विधान की शक्तियों का प्रयोग कर नीतिगत मामलों पर मुफ्त व निष्पक्ष सलाह देकर संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता राष्ट्रीय एकीकरण तथा समावेशी विकास के विस्तृत लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हैं। ये गुण राष्ट्र के प्रशासन में एक निष्पक्ष समावेशी प्रबंधन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं।

एक लोक अधिकारी के कर्त्तव्यों में विभिन्न निर्णय लेना सम्मिलित है जिसमें नियुक्तियाँ, अनुबंध प्रदान करना, लाभ की अनुशंसा करना आदि प्रमुख हैं जिसे योग्यता के अतिरिक्त किसी अन्य मानदंड पर चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके निर्णय बिना किसी दुराग्रह के उचित कारणों पर आधारित होने चाहिये। इस प्रकार यह महत्त्वपूर्ण है कि सिविल सेवकों को सेवा के प्रति अनुरागी तथा जिनकी सेवा कर रहे हैं उनकी लोक-छवि के प्रति विरागी होना चाहिये। बिना किसी पूर्वाग्रह एवं पक्षपात के सभी नागरिकों की समान रूप में सेवा करनी चाहिये, किंतु विकास से वंचितों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

इसी प्रकार आगे की राह गांधी जी द्वारा प्रतिपादित 'अंत्योदय' होना चाहिये, जिसका तात्पर्य किसी को भी पीछे न छोड़ना है अर्थात् पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित करना होना चाहिये।

प्रश्न: किन्हीं दो महान व्यक्तित्व के नाम बताइये जो आपको एक समर्पित सिविल सेवक बनने हेतु प्रेरित करते हैं। उनके कौन से विशिष्ट गुण हैं, जो आपको प्रेरणा देते हैं?

(150 शब्द, 10 अंक)

Name two personalities who inspire you to become a dedicated public servant. What are their qualities which inspire you?

उत्तर: किसी उद्देश्य के प्रति निष्ठा के चरम स्तर को समर्पण कहते हैं तथा लोक सेवा के प्रति समर्पण से तात्पर्य स्वयं को पूरी प्रतिबद्धता, ईमानदारी, उत्साह तथा असाधारण सेवा-भावना के साथ समुदाय, समाज एवं देश की उन्नति में लगाने से है। लोक सेवा में समर्पण एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सद्गुण है जो कई गुणों, जैसे- उच्चस्तरीय कर्त्तव्यनिष्ठा, खुलापन, दृढ़ता, संयम, किसी भी परिस्थिति में अडिग रहना, साहस, सहनशीलता तथा निडरता आदि को समाहित किये हुए है।

हम व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में कई लोगों के बीच रहते हैं, उनमें से कुछ के कृत्य एवं कार्यशैलियाँ हमें प्रभावित करती हैं तथा जो हमें इनका अनुकरण करने हेतु प्रेरित करती हैं। उनके द्वारा जिन सिद्धांतों एवं मूल्यों का पालन किया जाता है, वे हमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, निस्स्वार्थता तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने की राह दिखाते हैं।

निम्नलिखित दो महान व्यक्तित्व हमें एक समर्पित सिविल सेवक बनने हेतु प्रेरित करते हैं-

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

लोकप्रिय रूप में 'मिसाइलमैन ऑफ इंडिया' के रूप में जाने जाने वाले डॉ. कलाम एक प्रसिद्ध एयरोस्पेस वैज्ञानिक व भारत के राष्ट्रपति थे जिनका संपूर्ण जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है। इनके से कुछ विशिष्ट गुण निम्नलिखित हैं-

- **नेतृत्व क्षमता:** डॉ. कलाम के अनुसार, नेता में एक स्पष्ट दृष्टिकोण एवं जुनून होना चाहिये तथा उसे किसी भी समस्या से डरना नहीं चाहिये बल्कि उसे उन समस्याओं से लड़ना आना चाहिये।
- **विनम्रतापूर्ण नेतृत्व:** डॉ. कलाम में नेतृत्व प्रदान करने की अद्भुत क्षमता थी। वे अपनी सफलताओं का श्रेय अपने सहयोगियों देते थे तथा असफलाओं की ज़िम्मेदारी स्वयं ले लेते थे। उदाहरणस्वरूप वे सदैव अपने शिक्षकों, अपने तात्कालिक बॉस डॉ. सतीश धवन तथा अपने अधीनस्थों का उदाहरण दिया करते थे।
- **जनता के साथ जुड़ाव:** डॉ. कलाम का जनता के साथ गहरा जुड़ाव था। उन्हें सामान्य तौर पर 'जनता का राष्ट्रपति' कहा जाता था। ऐसा शायद इसलिये, क्योंकि उनका मानना था कि नेतृत्व लोगों के प्रति जुड़ाव और प्रेरणा का ही समग्र रूप है। जनता के साथ जुड़ाव का यह गुण सिविल सेवकों को समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति करुणा की भावना से जोड़ता है।
- **करुणा:** भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए डॉ. कलाम ने मृत्युदंड का विरोध करते हुए कहा, "ईश्वर के दिये जीवन को हम कैसे ले सकते हैं!" इससे उनकी सभी के लिये करुणा की भावना का पता चलता है।
- **धैर्य एवं लगन:** "मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ होनी आवश्यक हैं, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिये इनकी आवश्यकता होती है।" डॉ. कलाम का यह कथन उनके धैर्य से संबंधित दर्शन को संदर्भित करता है तथा भविष्य की सफलताओं का धैर्यपूर्वक इंतज़ार करने के लिये प्रेरित करता है। उदाहरणस्वरूप इसरो में कार्य करते हुए उन्होंने कई असफलताओं को देखा, किंतु वे सफलता प्राप्ति हेतु निरंतर धैर्यपूर्वक कार्य करते रहे।

श्री. टी.एन. शेषन

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए श्री शेषन ने चुनावी प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने हेतु अभूतपूर्व प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, जिसने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ा। उनके निम्नलिखित गुण प्रेरणास्रोत के रूप में कार्य करते हैं-

- **सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी:** अपनी त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा के साथ श्री शेषन ने भारतीय चुनाव प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार किया। एक लोक सेवक के रूप मे कार्य करते हुए उन्होंने किसी भी प्रकार के अनुचित राजनीतिक दबाव के आगे हमें कभी न झुकने की प्रेरणा दी। सिखाया।
- **साहस एवं निडरता:** उन्होंने हमें डर एवं दबाव से मुक्त होकर निर्णय करना सिखाया। उदाहरणस्वरूप वर्ष 1992 में चुनाव के दौरान चुनावी हेरफेर की संभावनाओं के चलते उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया था।
- **वस्तुनिष्ठता:** एक अच्छा लोक सेवक बनने के लिये वस्तुनिष्ठता का होना अतिआवश्यक है ताकि स्वयं की व्यक्तिगत धारणाओं व पक्षपातों पर अंकुश लगाया जा सके। निर्णयन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता उन संभावनाओं को समाप्त करती है जो कि सिविल सेवक को अन्य लोगों की कीमत पर किसी एक का पक्ष लेने हेतु मजबूर करती हैं तथा जो सिविल सेवक को निष्पक्ष न्याय निर्णयन में सहायता करती हैं। वस्तुनिष्ठता का यह गुण श्री शेषन की कार्यपद्धति में पूर्णत: प्रतिबिंबित होता था।
- **दूरदर्शिता:** लोक सेवक के दूरदर्शी होने का गुण उसे भविष्य की योजनाओं हेतु सटीक अनुमान लगाने में सहायता करता है। श्री शेषन के कार्यों में यह गुण कई बार प्रतिबिंबित हुआ है। उदाहरणस्वरूप प्राय: वे मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती करते थे ताकि बूथ कैप्चरिंग तथा मतदान केंद्रों के समीप हिंसा जैसे जोखिमों को कम किया जा सके जो कि तथाकथित विरोधी मतदाताओं को विरत करने हेतु लक्षित होते थे। जैसा कि समाज के कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं को डराने-धमकाने के संदर्भ में देखा जा सकता है।

एक सिविल सेवक को पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने के क्रम में नैतिक सिद्धांतों व मूल्यों का पालन करना चाहिये। इन सिद्धांतों एवं मूल्यों का पालन डॉ. कलाम व श्री शेषन ने सार्थक रूप में किया। आम आदमी की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एवं समर्पण हमें एक कुशल व समर्पित सिविल सेवक बनने हेतु प्रेरित करता है। उपर्युक्त के संदर्भ में मार्गरेट चेस के शब्द सत्य प्रतीत होते हैं-

"लोक सेवा को कुशलतापूर्वक एवं ईमानदारी से नौकरी करने से अधिक लोगों एवं राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में होना चाहिये।"

प्रश्न: ईमानदारी से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरणों की सहायता से शासन में इसके महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by Probity? Explain its importance in governance with relevant examples.

उत्तर: ईमानदारी से तात्पर्य उस नैतिक व्यवहार से है जो कि पूरी निष्पक्षता, जवाबदेही पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के साथ किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन हेतु प्रेरित करता है तथा सार्वजनिक मूल्यों को बनाए रखता है। लोक सेवा में ईमानदारी का अर्थ व्यापक है जिसमें न्यायनिष्ठा, सत्यनिष्ठा तथा स्पष्टवादिता जैसे सद्गुणों को शामिल किया जाता है। यह लोक सेवकों को भ्रष्ट व स्वकेंद्रित होने से बचाता है तथा जनोन्मुखी शासन की अवधारणा का विकास करता है।

सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का सिद्धांत सुशासन हेतु प्राथमिक शर्त है जो कि सतत् विकास लक्ष्यों का केंद्र- बिंदु है एवं शासन में भ्रष्ट आचरणों एवं कदाचारों का निषेध करता है। शासन को प्रभावी एवं कुशल बनाने तथा सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिये लोक सेवाओं में ईमानदारी अत्यावश्यक है। संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ने भी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया है। शासन में ईमानदारी के महत्त्व को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-

- शासन में कदाचार, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार जैसी अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने एवं सार्वजनिक मशीनरी में जनता के विश्वास को बढ़ाने में।
- शासन में सार्वजनिक हितों को सुनिश्चित करने तथा जन सहयोग को बढ़ावा देने के लिये।
- समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये।
- संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को सुधारने हेतु।
- शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता आदि लाकर सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने में।

उपर्युक्त लाभों के बावजूद शासन में ईमानदारी लाने के मार्ग में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-

- पारदर्शिता एवं जवाबदेही की अनुपस्थिति।
- समाज में नैतिक मूल्यों का क्रमिक पतन।
- अव्यावहारिक आचार संहिताओं की उपस्थिति।
- लचर कानून व्यवस्था एवं संस्थागत तंत्र।
- राजनीतिक दलों व नौकरशाहों में अनैतिक गठजोड़ का होना।
- वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भौतिकतावाद का विकास।
- धीमा एवं अनैतिक न्याय वितरण तंत्र

इस प्रकार देखा जाए तो शासन में ईमानदारी लाने के मार्ग में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं किंतु शासन में नैतिक मूल्यों, जैसे- जवाबदेही, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, न्यायनिष्ठता आदि का समावेशन कर इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है तथा सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व उन समस्त चीज़ों के लिये पर्याप्त है जो कॉर्पोरेट नैतिकता के लिये आवश्यक है? समाचोलनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Does Corporate Social Responsibility suffice for everything that is needed in corporate ethics? Critically analyze.

उत्तर: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों, जैसे- संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्त्तिकर्ताओं, ग्राहकों एवं स्थानीय जनता तथा पर्यावरण आदि के प्रति नैतिक दायित्व से है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने सी.एस.आर. को कानूनी वैधता प्रदान की है। भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत औद्योगिक इकाइयों को अपने शुद्ध लाभ का 2% तक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, गरीबी तथा लैंगिक समानता जैसे मदों में निवेश करने का सामाजिक दायित्व दिया है।

वर्तमान में कई कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. परियोजनाओं के माध्यम से समाज में अभूतपूर्व बदलाव लाए गए हैं, जैसे- महिंद्रा एवं महिंद्रा ग्रुप, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन तथा टाटा ग्रुप आदि औद्योगिक इकाइयों ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य किये हैं। हालाँकि कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. मानकों को पूरा करना ही कॉर्पोरेट नैतिकता का एकमात्र मानक नहीं हो सकता। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कंपनियों का सी.एस.आर. रिकॉर्ड शत प्रतिशत अच्छा हो और वे व्यवसाय की अनैतिक प्रथाओं, जैसे- चोरी, फेक विज्ञापन तथा फेक उत्पादों आदि में संलग्न हों।

वस्तुत: सी.एस.आर. औद्योगिक समूहों के लिये मात्र एक कानूनी बाध्यता है, न कि नैतिक बाध्यता। ऐसे में आवश्यक है कि कंपनियाँ स्वयं आगे आकर व्यावसायिक नैतिकता का परिचय दें और समाज एवं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करें जैसा कि टाटा समूह ने मुंबई ऑफिस के आस-पास के लावारिस कुत्तों के लिये एक आवास बनाकर किया।

गौरतलब है कि भारत में सी.एस.आर. की अवधारणा गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचारों के अनुरूप प्रतीत होती है जिसमें उन्होंने कल्पना की थी कि औद्योगिक इकाइयों की सफलता के माध्यम से लोगों एवं समुदायों का कल्याण किया जा सकता है। वर्तमान में तेज़ी से बढ़ती

जनसंख्या एवं पर्यावरणीय संकट के दौर में भारत को सी.एस.आर. जैसे मानकों की आवश्यकता है जिसके लिये औद्योगिक क्षेत्र को आगे आकर सिर्फ विधिक दायित्व को समझकर सामाजिक दायित्व के रूप में व्यावसायिक नैतिकता के मानकों को अपनाना चाहिये।

प्रश्न: भारत में सिविल सेवकों के लिये नैतिक संहिता की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Examine the need of Code of Ethics for civil servants in India.

उत्तर: नैतिक संहिता किसी संगठन द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों का एक समूह है जो कि संगठन के प्राथमिक मूल्यों तथा उनके आचरण को नैतिक मानकों के अनुरूप संचालित करने हेतु निर्देशित करती है। इसमें सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समर्पण, जवाबदेही, लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता तथा समानुभूति जैसे मूल्यों को शामिल किया जाता है। आमतौर पर यह अत्यधिक व्यापक एवं गैर-विशिष्ट प्रकृति की होती है जो कि कर्मचारियों को निर्णयन प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है।

लोक सेवक जनता को सेवाएँ देने हेतु उत्तरदायी होते हैं तथा ये आधिकारिक तौर पर सरकारी संसाधनों का प्रबंधन करते हैं जो कि जनता को सीधे प्रभावित करता है तथा जनता सरकार पर सीधे निर्भर रहती है जिसके लिये वह लोक सेवकों से उच्च स्तरीय नैतिक आचरणों की अपेक्षा रखती है।

नैतिक संहिता के लाभ

- नैतिक संहिता लोक सेवकों के कार्यों की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्तिगत एवं सांगठनिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में सहायता करती है।
- नैतिक संहिता लोक सेवकों को एक आधारभूत ढाँचा उपलब्ध कराती है जो कि राजनीतिक व जनसेवा के प्रति इनकी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने में सहायता करती है।
- यह अस्पष्ट एवं अस्वीकार्य व्यवहारों को स्पष्ट करती है तथा सरकारी अधिकारियों को लोक सेवा के प्रति एक विज़न प्रदान करती है।

वस्तुत: नैतिक संहिता एक अमूर्त व विस्तृत परिकल्पना है जिसका पोषण दशकों में न होकर कई पीढ़ियों में होता है। यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करती है किंतु इसका पालन तुलनात्मक रूप से अधिक कठिन कार्य है। हालाँकि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि नैतिक संहिता की कठोर प्रकृति के कारण इसका पालन करने से लोक अधिकारी बचते हैं।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नैतिक संहिता को लोचशील एवं व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है जो लोक सेवकों को ज़िम्मेदारी का एहसास कराने के साथ-साथ इसके पालन को बिना किसी अतिरिक्त दबाव सृजित किये सुनिश्चित करे तथा जनता तक सेवाएँ की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। गौरतलब है कि भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ लोक सेवाएँ प्रशासन की मेरुरज्जु हैं वहाँ कानूनों, नियमों व विनियमों के साथ-साथ नैतिक संहिता को भी अपनाए जाने की आवश्यकता है ताकि विधि तथा न्याय का प्रशासन स्थापित किया जा सके।

प्रश्न: नैतिक दुविधा क्या होती है? सरकारी संस्थानों के सम्मुख आने वाली विभिन्न प्रकार की नैतिक दुविधाओं का उल्लेख कीजिये तथा उनके समाधान के तरीकों को भी सुझाइये। (150 शब्द, 10 अंक)

What is ethical dilemma? Mention the different types of ethical dilemmas faced in government institutions and also suggest ways to resolve them.

उत्तर: नैतिक दुविधा नैतिक निर्णयन में ऐसी परिस्थिति है जहाँ दो बराबर महत्त्व के विकल्पों में किसी एक को चुनने में दुविधा होती है। इस स्थिति में दोनों विकल्पों में से एक का चयन अनिवार्य होता है तथा किसी एक को चुनकर पूर्ण संतुष्टि मिलना संभव नहीं हो पाता तो इस स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। यह एक जटिल स्थिति है जिसमें एक विकल्प का चयन करने पर दूसरे की अवज्ञा हो जाती है। इस प्रकार की दुविधा में कम से कम एक पक्ष नैतिकता से संबंधित होता है तथा ऐसा भी संभव है कि दोनों पक्ष अलग-अलग नैतिक मूल्यों से संबंधित हों।

लोक सेवकों द्वारा अपने सेवा काल में कई प्रकार की नैतिक दुविधाओं का सामना किया जाता है जिन्हें निम्नवत् देखा जा सकता है-

- **प्रशासनिक विवेकाधिकार संबंधी दुविधाएँ:** लोक सेवक न केवल सरकारी नीतियों के निष्पादक होते हैं बल्कि वे जनता के जीवन संबंधी निर्णय, जैसे- कर संबंधी, आजीविका संबंधी एवं बर्खास्तगी संबंधी आदि निर्णय लेते हैं, उनके समक्ष चयन हेतु विकल्पों की अधिकता के कारण नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **भ्रष्टाचार:** भारत में भ्रष्टाचार ने सरकारी तंत्र को गहरे से जकड़ा हुआ है, ऐसे में लोक सेवकों का अपने व्यक्तिगत लाभों के वशीभूत होकर भ्रष्टाचार में संलग्न होने की नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **भाई-भतीजावाद:** सरकारी पदों पर अपने मित्रों एवं परिवार के सदस्यों की नियुक्ति करवाना लोक सेवाओं में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देता है।
- **सार्वजनिक जवाबदेही:** लोक सेवकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों, अदालतों व जनता के लिये अपने आधिकारिक कार्यों के लिये जवाबदेह होना चाहिये। किंतु वे कई बार अपने कार्यों से बढ़कर व्यक्तिगत लाभों को अधिक वरीयता देते हैं तो नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **नीतिगत दुविधा:** नीति निर्माता सामान्यत: नीति निर्माण प्रक्रियाओं में परस्पर विरोधी ज़िम्मेदारियों का सामना करते हैं। उन्हें अपनी तरफ से दूसरे के हितों के लिये कार्य करने की स्वतंत्रता होती है किंतु उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा समाज के प्रति जवाबदेह भी होना चाहिये।

लोक सेवा में कदाचार तथा लातफीताशाही की प्रवृत्ति को रोकने के साथ-साथ नैतिक मानकों को लागू करना अत्यधिक जटिल मुद्दा है।

नैतिक दुविधा को कम करने हेतु निम्नलिखित मार्गों को अपनाया जा सकता है-

- लोक सेवा में समय के साथ-साथ नैतिक सिद्धांतों और नियमों के पतन को रोकने के लिये नैतिक मूल्यों व मानकों पर पुनः संवेदीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की जा सकती है।
- आचरण संहिता का कड़ाई से पालन कर प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सकता है तथा लोक सेवकों को अनिवार्य एवं अनुमन्य आचरण का पालन करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- कदाचार एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाले कानूनों का कड़ाई से पालन करना चाहिये तथा उल्लंघन करने वाले को उचित दंड भी देना चाहिये।
- लोक सेवा में नैतिक मूल्यों की उच्च प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिये सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकरणों को मज़बूत बनाना चाहिये।
- लोक सेवक को भी व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति समर्पण तथा नियमों व कानूनों का पूर्णतः पालन सुनिश्चत करने इत्यादि गुणों का विकास करना चाहिये।

वस्तुतः भारत में सिविल सेवाओं की प्रकृति अत्यधिक जवाबदेहीपूर्ण एवं जनता के लिये सेवा वितरण हेतु अत्यावश्यक है, ऐसे में लोक सेवकों में नैतिक दुविधा होना स्वाभाविक है किंतु उच्च नैतिक मानकों एवं मूल्यों के विकास से इसे कम किया जा सकता है।

प्रश्नः नागरिक घोषणा-पत्र का प्राथमिक रुझान लोक सेवाओं को आपूर्ति-संचालित बनाने के बजाय माँग-संचालित बनाकर नागरिक केंद्रित बनाना है। एक संगठन को प्रभावी प्रशासन के लिये नागरिक घोषणा-पत्र का उपयोग कैसे करना चाहिये? (150 शब्द, 10 अंक)

The basic thrust of the Citizens' Charter is to render public services citizen-centric by making them demand-driven rather than supply-driven. How an organization should utilise citizen charter for effective governance?

उत्तरः नागरिक घोषणा-पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसका उद्देश्य मूल रूप से किसी भी संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक उन्मुख बनाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य लोक सेवा के संदर्भ में लोगों को सशक्त बनाना है जिसके मूलतः छः सिद्धांत हैं-

- **गुणवत्ताः** सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- **मानकः** प्रकाशित सेवा मानक।
- **चयनः** चयन का अवसर तथा परामर्श।
- **मूल्यः** करदाताओं के पैसे को महत्त्व देना।
- **जवाबदेहीः** व्यक्तियों एवं संगठन के प्रति।
- **पारदर्शिताः** नियम/क्रियाविधि/स्कीम/शिकायत आदि के संदर्भ में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

एक संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसकी दक्षता और प्रभावशीलता को मापने का एक साधन है क्योंकि यह किसी संगठन में कार्य करने पर महत्त्वपूर्ण फीडबैक प्रदान करता है। नागरिक घोषणा-पत्र लोक सेवाओं के प्रतिपादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कि लोक सेवाओं को आपूर्ति-संचालित के स्थान पर मांग-संचालित बनाता है। यह सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों की सूचनाओं को प्रसारित करने में सहायता करता है तथा संगठन के विभिन्न कार्यों संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही जनता के लिये सूचना का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करते हुए प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

प्रभावी प्रशासन के लिये नागरिक घोषणा-पत्र का महत्त्व

- यह नागरिकों में सेवा वितरण मानकों की स्पष्ट समझ को बढ़ाकर जवाबदेही सुनिश्चित करता है, जिसमें समय-सारणी, सेवाओं के लिये उपयोगकर्ता शुल्क तथा शिकायत निवारण के विकल्प शामिल होते हैं।
- यह सेवा वितरण मानकों का पालन करने के लिये लोक-प्रतिबद्धता स्थापित कर संगठन की प्रभावशीलता तथा उसके प्रदर्शन को बढ़ाता है।
- यह बाह्य एवं आंतरिक दोनों कर्ताओं के लिये सेवा वितरण के प्रदर्शन की निष्पक्ष निगरानी का रास्ता बनाता है।
- यह सेवा वितरण हेतु अधिक पेशेवर एवं ग्राहक-केंद्रित वातावरण तैयार करता है।
- यह नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित कर भ्रष्टाचार में कमी करता है तथा पारदर्शिता को बढ़ाता है।

नागरिक घोषणा-पत्र सुशासन एवं सेवा वितरण मानकों को बनाए रखने के लिये एक प्रमुख उपकरण है किंतु कई प्रयासों के बावजूद नागरिक घोषणा-पत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के मार्ग में अभी भी समस्याएँ बनी हुई हैं, जिनमें नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा वितरण न हो पाना, भ्रष्टाचार का अत्यधिक गहरा होना, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की कमी आदि प्रमुख हैं। इन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिये सभी हितधारकों के बीच जागरूकता का प्रसार कर, निगरानी एवं आवधिक समीक्षा कर सभी के लिये सुशासन की स्थापना करनी चाहिये।

प्रश्नः आचरण संहिता से आप क्या समझते हैं? भारत की बदलती प्रशासनिक संरचना में इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by the Code of Conduct? Explain its utility in changing governance structure in India.

उत्तरः आचरण संहिता सार्वजनिक अधिकारियों के लिये अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये सामान्य नियम हैं जो कि उनके व्यवहारों या निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। यह लोक सेवकों के लिये निर्धारित सामाजिक व्यवहारों, नियमों एवं उत्तरदायित्वों के समूह को संदर्भित करता

है। यह सही निर्णय लेने, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहाँ वे लोक हित को बनाए रखने हेतु सशंकित होते हैं, में एक प्रमुख उपकरण है। यह लोक सेवकों के कुछ विशेष व्यवहारों, जैसे- हितों के संघर्ष, रिश्वत तथा अनुचित कृत्यों आदि को रोकने हेतु परिकल्पित एक व्यापक रूपरेखा है।

यह कर्मचारियों के लिये क्या करें व क्या न करें हेतु निर्देशित करती है। कई बार इसे नैतिक संहिता के पूरक के रूप में देखा जाता है। यह सामान्यत: विधायी या प्रशासनिक मूल्यों पर आधारित संवैधानिक सम्मेलनों के अनुरूप होती है इसलिये इसे नियमित तौर पर अद्यतित किये जाने की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक अधिकारियों के लिये आचरण संहिता को वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संकल्प संख्या 58/4 द्वारा बनाया गया है। भारत में सिविल सेवकों में नैतिक मानदंडों को निर्धारित करने के लिये निम्नलिखित नियम विद्यमान हैं-

- केंद्रीय सेवा (आचरण) नियम, 1964
- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968
- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 2014

भारत की बदलती प्रशासनिक अवसंरचना में आचरण संहिता की भूमिका

आधुनिक लोकतांत्रिक संरचना में समय के साथ सरकार की भूमिका का उद्विकास हो रहा है। वर्तमान समय में सरकार 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' के दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रही है। इस आदर्श की प्राप्ति अधिक सक्षम लोक अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कि आचरण संहिता से निर्देशित होकर आम जनता तक सेवाओं का कुशल एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित करते हैं।

इस प्रकार सार्वजनिक अधिकारियों के लिये दिशानिर्देशों के एक सेट के रूप में आचरण संहिता की उपयोगिता को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है-

- आचरण संहिता इस संभावना को बढ़ा देती है कि सरकारी कर्मचारी लोक हित में काम करेंगे एवं अनुचित व्यवहारों से बचेंगे।
- यह सिविल सेवकों को अपने व्यक्तिगत लाभों से प्रेरित होकर कार्य करने तथा पद का दुरुपयोग करने से रोकती है।
- यह प्रमुख सरकारी मामलों पर गोपनीयता बनाए रखने तथा निजी हितों पर सार्वजनिक हितों को तरजीह देने में सहायता करती है।
- यह अधिकारियों को व्यावसायिकता के उच्च स्तर को बनाए रखने, कर्त्तव्यों का पालन करने तथा संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखने में सहायता करती है।
- यह लोक सेवाओं में सत्यनिष्ठा बनाए रखने तथा निष्पक्ष एवं भेदभाव रहित होकर कार्य करने के लिये लोक सेवकों का मार्गदर्शन करती है।

इस प्रकार देखा जाए तो आचरण संहिता लोक सेवकों की व्यावसायिक सीमाओं को निर्धारित कर आम जनता के लिये समर्पण से कार्य करने हेतु प्रेरित करती है जो कि लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता तथा वस्तुनिष्ठता आदि गुणों का विकास करती है और सरकारी संगठनों व लोक सेवकों की विश्वसनीयता में वृद्धि करती है।

प्रश्न: क्या अंतरात्मा कानूनों, नियमों एवं विनियमों की तुलना में नैतिक निर्णय लेने के लिये अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? उचित उदाहरणों के साथ अपने तर्कों की पुष्टि कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Is conscience a more reliable guide to ethical decision making as compared to laws, rules, and regulations? Justify your arguments with suitable examples.

उत्तर: अंतरात्मा व्यक्ति में सही एवं गलत का अंतर करनेवाला नैतिक बोध है जो कि व्यक्ति के व्यवहारों के लिये मार्गदर्शक का कार्य करता है। हमारी अंतरात्मा की सहायता से हम अपने नैतिक सिद्धांतों को गहनता से जानते हैं तथा उनके अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित होते हैं। सार्वजनिक सेवा में कार्य करते हुए एक व्यक्ति को प्रचलित कानूनों एवं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के संदर्भ में नैतिक दुविधा उत्पन्न हो सकती है।

एक लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुमत की मनमानी एवं अलोकतांत्रिक नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन नैतिकता के आधार पर किया जा सकता है। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि "अंतरात्मा के मामले में बहुमत के नियमों एवं कानूनों का कोई स्थान नहीं हैं।" अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति किये जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध तथा भारत में चंपारण के किसानों का शोषण करने वाली तिनकठिया पद्धति के खिलाफ सत्याग्रह की शुरुआत की थी तथा ऐसा ही अमेरिका की एक अश्वेत महिला रोजा पार्क्स ने श्वेत व्यक्ति को सीट न देकर एक नवीन सामाजिक सरोकार को उठाया जबकि उस समय श्वेत व्यक्तियों के लिये सीट छोड़ना कानूनी रूप से बाध्यकारी था। इन उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ व्यक्ति को नैतिक मार्ग प्रदान करती है।

किंतु यह कहना पूर्णत: तार्किक प्रतीत नहीं होता कि अंतरात्मा कानूनों, नियमों एवं विनियमों की तुलना में अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नियम या संहिताएँ 'सार्वभौमिक न्याय' को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती हैं जिसके तहत यह माना जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में इन नियमों का पालन करके अधिकतर नागरिकों के हितों को संरक्षित किया जा सकता है। अत: सिविल सेवकों एवं नागरिकों से यह अपेक्षा होती है कि वे इन नियमों का पालन करेंगे। एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवक को सर्वप्रथम संवैधानिक विधियों का अनुसरण करना चाहिये तत्पश्चात् कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिये। यदि किसी विषय पर उपर्युक्त सभी मौन हों तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुरूप कार्य करना चाहिये। यद्यपि कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ लोक सेवक की अंतरात्मा संवैधानिक व संसदीय कानूनों के अनुरूप न हो। ऐसी स्थिति में उसे स्थापित कानूनों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिये।

यद्यपि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की नैतिकता का निर्धारण उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियाँ करती हैं, ऐसे में अंतरात्मा की

आवाज़ सदैव ही नैतिक एवं न्यायसंगत निर्णय ले, यह आवश्यक नहीं है। अत: एक लोक सेवक को स्थापित विधियों के अनुरूप ही निर्णय लेने चाहिये। यदि वे सभी मौन हों तभी अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर निर्णय लेने चाहिये।

प्रश्न: सूचना नैतिकता क्या है? देश में नैतिक शासन व्यवस्था बनाए रखने में आर.टी.आई. अधिनियम कैसे सहायता कर सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

What is Information Ethics? Explain how RTI Act can help in maintaining ethical governance in the country?

उत्तर: सूचना नैतिकता को नैतिकता की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि सूचना के सृजन, प्रसारण तथा उपयोग के स्तर पर नैतिक मानकों के पालन को संदर्भित करता है। यह सूचना के सृजन से उपयोग तक सभी स्तरों पर नैतिक मानकों के पालन के साथ-साथ सूचना के निर्बाध एवं पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करता है। यह सूचना नैतिकता की एक संसाधन, उत्पाद या लक्ष्य के रूप में जाँच करता है।

शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सहभागी लोकतंत्र के विकास के लिये एक अनिवार्य शर्त है। समय बढ़ने के साथ-साथ 'जानने के अधिकार' का महत्त्व बढ़ता गया जिसके लिये वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसका उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के संवर्द्धन के लिये, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये, नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनके अनुषंगी विषयों का उपबंध करना था।

लोकतंत्र का मूल विचार 'जनता द्वारा जनता के लिये किया जाने वाला शासन है'। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के शासकीय सूचना संबंधी अनुरोधों पर सूचना उपलब्ध कराता है तथा शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। यह सहभागी लोकतंत्र के विचार को मज़बूत करने के साथ-साथ जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देता है। यह समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों तक सरकारी नीतियों की जानकारी उपलब्ध कराने का महत्त्वपूर्ण साधन है।

सुशासन के चार तत्त्वों- पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता तथा समावेशिता की पूर्ण प्राप्ति के लिये आर.टी.आई. एक महत्त्वपूर्ण उपकरण साबित हो सकता है। सूचना के अधिकार के माध्यम से नागरिकों को सरकारी रिकॉर्डों की जानकारी का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक परिदृश्य में लालफीताशाही, भ्रष्टाचार एवं अपारदर्शिता विद्यमान है जिसने सरकारी तंत्र को कमज़ोर किया है व जन-केंद्रित शासन की मूल भावना को शिथिल किया है। ऐसे में आर.टी.आई. व्यापार जवाबदेही एवं पारदर्शिता उपलब्ध कराता है तथा शासन को पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने का कार्य करता है।

सूचना नैतिकता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच तथा नागरिकों की निजता के अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है जो कि व्यक्ति के मौलिक मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के साथ-साथ शासन में पारदर्शिता लाने हेतु समर्पित है, सूचना का अधिकार नागरिकों में सूचना के संदर्भ में जागरूकता फैलाने के लिये एक प्रभावी उपकरण है, जो कि शासन में नैतिकता लाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण आयाम है।

प्रश्न: नोलन समिति द्वारा लोक जीवन के मानकों को किस रूप में व्याख्यायित किया गया है? (150 शब्द, 10 अंक)

What are the standards of public life as expounded by the Nolan Committee?

उत्तर: भारतीय लोकतंत्र में सार्वजनिक पदों पर आसीन सिविल सेवक जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन पर नीति-निर्माण, एवं नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ सरकारी संसाधनों के प्रबंधन एवं उनके समतामूलक वितरण की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है। सिविल सेवकों द्वारा लिये गए निर्णय आम जनता को वृहद् स्तर पर प्रभावित करते हैं। ऐसे में जनता सार्वजनिक जीवन में उनसे निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता गैर तरफदारी, सत्यनिष्ठा आदि मूल्यों के पालन की अपेक्षा करती है।

सिविल सेवकों हेतु सार्वजनिक जीवन के महत्त्वपूर्ण मानकों के पालन के लिये वर्ष 1994 में गठित नोलन समीति ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ दी हैं-

- **निःस्वार्थता:** सार्वजनिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों को व्यक्तिगत लाभों एवं अनुरागों से तटस्थ होकर व्यापक जन हित हेतु कार्य करना चाहिये।
- **सत्यनिष्ठा:** सार्वजनिक पदों पर बैठे अधिकारियों को बाहरी व्यक्तियों या संगठनों के साथ वित्तीय या भौतिक लाभों आदि के वशीभूत न होकर पूरी ईमानदारी से सरकारी कार्यों का निष्पादन करना चाहिये।
- **वस्तुनिष्ठता:** सरकारी पद पर रहते हुए एक सिविल सेवक को कई महत्त्वपूर्ण कार्य, जैसे- नियुक्तियों, संविदाओं की स्वीकृति, फंड का निष्कासन आदि करने होते हैं। इन कार्यों को करते हुए उसे व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, पक्षपातों, अनुराग-द्वेषों आदि से तटस्थ रहने की आवश्यकता है।
- **जवाबदेही:** सिविल सेवकों को निर्णयन एवं नीतियों के क्रियान्वयन को पूरी निष्पक्षता व ईमानदारी से कर अंतत: जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिये।
- **पारदर्शिता:** सार्वजनिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों को खुले एवं पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिये। जहाँ तक संभव हो जनता के लिये सरकारी निर्णयों संबंधी सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिये।
- **ईमानदारी:** सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कृत्यों एवं अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना चाहिये।
- **नेतृत्व:** सार्वजनिक अधिकारियों में उच्च नेतृत्व क्षमता होनी चाहिये ताकि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जा सके तथा नीतियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

इस प्रकार देखा जाए तो उपर्युक्त सिद्धांत किसी भी सार्वजनिक कार्यालय एवं उसके पदाधिकारियों पर जनता का विश्वास बढ़ाते हैं तथा पदाधिकारियों को भी जन-केंद्रित नीति-निर्माण एवं उनके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन करते हैं।

प्रश्न: ई-नागरिक घोषणा-पत्र क्या है? साथ ही यह भी वर्णित कीजिये कि प्रगति प्लेटफॉर्म एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के निर्माण में कैसे सहायता कर सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)
What is e-Citizen Charter? Describe how the PRAGATI platform can help in effective Grievance redressal mechanism?

उत्तर: ई-नागरिक घोषणा-पत्र ई-गवर्नेंस का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जो कि एक ऐसा ई-दस्तावेज़ है जो किसी संगठन के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं, उनके गैर-भेदभावपूर्ण वितरण, पहुँच, शिकायत निवारण तंत्र, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता के संबंध में नागरिक-केंद्रित प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, इसके अंतर्गत संगठन द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये नागरिकों से संबंधित अपेक्षाओं को शामिल करता है। ई-नागरिक घोषणा-पत्र के छः मूल सिद्धांत हैं-

- **गुणवत्ता:** सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार।
- **चुनाव:** जहाँ तक संभव हो चुनने का अधिकार।
- **मानक:** सेवा के मानकों को पूरा करना।
- **कीमत:** करदातों के पैसों के लिये।
- **जवाबदेही:** व्यक्तियों एवं संगठनों के प्रति।
- **पारदर्शिता:** शिकायत निवारण के लिये नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन।

ई-नागरिक घोषणा-पत्र के प्रमुख घटकों को निम्नवत् देखा जा सकता है-

- विज़न एवं मिशन स्टेटमेंट
- संगठन द्वारा हस्तांतरित व्यापार का विवरण
- ग्राहकों का विवरण
- प्रत्येक ग्राहक समूह को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण
- शिकायत निवारण तंत्र का विवरण तथा उस तक पहुँचने प्रक्रिया।
- ग्राहकों की अपेक्षाएँ।

प्रगति (PRAGATI) एप्लिकेशन

प्रगति का पूरा नाम प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एवं टाइमली इंप्लीमेंटेशन है जिसका उद्देश्य सतर्क प्रशासन एवं समयानुकूल संस्कृति को प्रारंभ करना है। यह प्रमुख हितधारकों को रियल टाइम पर ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही उपलब्ध कराती है।

प्रगति प्लेटफॉर्म निम्नलिखित रूप में प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है-

- प्रगति प्लेटफॉर्म तीन नवीनतम तकनीकों- डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को शामिल करता है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री किसी विषय पर संबद्ध केंद्रीय तथा राज्यों के अधिकारियों से पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज़मीनी स्तर पर सही स्थिति की पूरी सूचना प्राप्त होगी। यह ई-गवर्नेंस तथा सुशासन में एक अभिनवकारी परियोजना है।
- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जो पी.एम.ओ., केंद्र सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। इसके, साथ प्रधानमंत्री संबंधित केंद्रीय व राज्य अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री मासिक कार्यक्रम में डाटा तथा भू-सूचना विज्ञान विज़ुअल युक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के सचिवों तथा राज्य के मुख्य सचिवों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम हर महीने के चौथे बुधवार को 3:30 बजे अपराह्न में आयोजित किया जाएगा जिसे प्रगति दिवस कहा जाता है।
- प्रधानमंत्री के समक्ष लोक शिकायत, चालू कार्यक्रम तथा लंबित परियोजनाओं से संबंधित उपलब्ध डेटाबेस को चिह्नित किया जाएगा तथा उनका समाधान खोजा जाएगा।
- नागरिक घोषणा-पत्र कानूनों के उचित क्रियान्वयन तथा सेवा वितरण के लिये एक मज़बूत संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराता है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराएंगे तथा लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति में कमी लाने हेतु प्रभावी समाधान उपलब्ध कराएंगे।

प्रश्न: प्रभावी लोक सेवा वितरण के सिद्धांत क्या हैं? यह शासन का एक महत्त्वपूर्ण घटक क्यों है? सेवोत्तम मॉडल के संदर्भ में व्याख्या कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)
What are the principles of effective public service delivery? Why is it an important component of governance? Explain in the context of Sevottam model.

उत्तर: जनता तक विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का समतामूलक वितरण सुनिश्चित करना राज्य का बुनियादी कर्तव्य है। राज्य की तरफ से सार्वजनिक अधिकारी इन सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करते हैं, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ प्रशासन को न्यायसंगत बनाते हैं। प्रभावी लोक सेवा वितरण हेतु समता, न्याय तथा जवाबदेही आदि सिद्धांत उत्तरदायी होते हैं जिन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-

- **जन-केंद्रित:** सेवा वितरण का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण करना, उसकी शिकायतों को दूर करना, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना तथा लोगों की आवश्यकता के अनुरूप सेवाओं को संशोधित करना है।
- **समता:** समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्गों तक सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना तथा उन तक सरकार की पहुँच सुनिश्चित करना।
- **समावेशिता:** पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सेवा प्रदायिता सुनिश्चित कर उसके कल्याण हेतु तत्पर रहना तथा गांधी जी के अंत्योदय के विचार को मूर्त रूप प्रदान करना।

- **ज़िम्मेदारी:** नागरिकों व राज्य के बीच सेवा वितरण इंटरफेस को नागरिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की ज़िम्मेदारी लेना।
- **तर्कसंगतता:** सेवा वितरण के सभी निर्णय वास्तविक तथ्यों एवं आँकड़ों के आधार पर लिये जाने चाहिये।
- **पारदर्शिता:** सेवा वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये जिसमें नागरिकों को प्राप्त होने वाली सेवाओं की लागत, सेवा मानक, सेवा प्रदाता की पहचान तथा प्राप्त परिणामों को जानने का अधिकार हो।
- **जवाबदेही:** सेवा प्रदाता न केवल सरकार के प्रति बल्कि नागरिकों के प्रति भी जवाबदेह होने चाहिये।
- **शिकायत निवारण:** सेवा से असंतुष्ट जनता की शिकायतों के निवारण हेतु एक सुपरिभाषित प्रणाली होनी चाहिये।

वस्तुत: सुशासन एवं लोक सेवा वितरण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। शासन एवं लोक सेवा वितरण की गुणवत्ता गरीबी तथा असमानता के प्रभाव को कम कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। सेवोत्तम एक आकलन-सुधार मॉडल है जिसे वर्ष 2006 में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने देश में लोक सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से परिकल्पित किया था।

सेवोत्तम मॉडल के तीन प्रमुख घटक को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-

- **नागरिक घोषणा-पत्र का सफल क्रियान्वयन:** इसमें नागरिकों के इनपुट प्राप्त करने के लिये एक चैनल की आवश्यकता है जो कि संगठन की सेवा वितरण आवश्यकताओं का निर्धारण करेगा।
- **मज़बूत लोक शिकायत निवारण तंत्र:** सेवा वितरण की गुणवत्ता को सुधारने के लिये एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र का होना अति आवश्यक है, जो कि शिकायत निवारण के साथ-साथ सरकारी तंत्र में लोगों के विश्वास में वृद्धि करेगा।
- **सेवा डिलीवरी क्षमता:** प्रदान की गई सेवाओं की पहचान, सेवा वितरण प्रक्रिया, उनका नियंत्रण एवं वितरण की आवश्यकता आदि को ध्यान में रखना।

इस प्रकार देखा जाए तो आत्म-जवाबदेही, ईमानदारी तथा समर्पण के माध्यम से कुशल लोक सेवा वितरण को सुनिश्चित किया जा सकता है जिसमें सेवोत्तम जैसे मॉडल अनुकरणीय उदाहरण पेश करते है।

प्रश्न: प्रभावी शासन के एक घटक के रूप में कार्य-संस्कृति के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। चर्चा कीजिये कि कैसे भारतीय कार्य-संस्कृति पश्चिमी कार्य-संस्कृति से भिन्न है?

(150 शब्द, 10 अंक)

Analyse the importance of work culture as a component of effective governance. Discuss how Indian work culture is at variance with the Western work culture?

उत्तर: कार्य-संस्कृति को किसी संगठन अथवा कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि उस संगठन की कार्य करने की प्रथाओं, मूल्यों तथा साझा मान्यताओं को दर्शाता है जो वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों की मनोवृत्ति को निर्धारित करती है। जिस प्रकार हमारी संस्कृति हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिये क्या नहीं, किसी विशेष परिस्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिये कैसे नहीं, किन मूल्यों का अनुगमन करना चाहिये या नहीं उसी प्रकार किसी संगठन की कार्य-संस्कृति उसके कर्मचारियों को इन सब विषयों से जुड़े दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

प्रभावी प्रशासन के एक घटक के रूप में कार्य-संस्कृति का महत्त्व निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-

- एक अच्छी कार्य-संस्कृति अधिकारियों को समयबद्ध एवं सहानुभूति रखने वाला बनाती है जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर रूप में कर सकते हैं।
- एक स्वस्थ कार्य-संस्कृति संगठन में टीम भावना को बढ़ाती है तथा सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाती है।
- विविधता का सम्मान करने वाली कार्य-संस्कृति बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करती है जो भेदभाव, पक्षपात, भाई-भतीजावाद से ऊपर उठकर प्रतिभा को महत्त्व देती है।
- एक अच्छी कार्य- संस्कृति महिलाओं, दिव्यांगों तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों की आनुपातिक हिस्सेदारी को बढ़ावा देती हैं तथा इनके प्रति संवेदनशीलता का भाव उत्पन्न करती है।

यदि देखा जाए तो हर संगठन अथवा राष्ट्र की अपनी कार्य-संस्कृति होती है जिसे उस देश की परंपरागत सांस्कृतिक-सामाजिक पद्धतियाँ तथा कानूनी ढाँचा निर्धारित करते हैं। ऐसे ही पश्चिमी राष्ट्रों की कार्य-संस्कृति व भारतीय कार्य-संस्कृति भी बनी हैं जिनके मध्य मुख्य अंतर को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है-

- लगभग सभी पश्चिमी देशों में लोग समय के अत्यधिक पाबंद होते हैं तथा सार्वजनिक कार्यों एवं बैठकों में समय से पहुँचते हैं जबकि समय की पाबंदी के संदर्भ में भारतीय अत्यधिक लचर होते हैं।
- पश्चिमी देशों में व्यक्तिगत जीवन एवं पेशेवर जीवन में एक बेहतर संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि भारत में उचित कार्य ढूंढ़ने तथा उसकी निरंतरता को बनाए रखने पर अधिक समय व्यतीत करते हैं जिससे व्यक्तिगत इच्छाओं की अनदेखी होती है।
- भारत में वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के मध्य संबंध अत्यधिक औपचारिक एवं सामंती प्रवृत्ति के होते हैं जबकि पश्चिमी देशों में वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थों के साथ अत्यधिक उदार एवं मैत्री भाव के साथ रहते हैं।
- भारतीय कार्य-संस्कृति नवीन परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं करती जिसमें नए प्रयोग करने पर अत्यधिक विरोधों का सामना करना पड़ता है जबकि पश्चिमी कार्य-संस्कृति परिवर्तनों को सहर्ष स्वीकारती है।

यदि देखा जाए तो भारत में समय प्रबंधन, समय की पाबंदी तथा समय को महत्त्व देने की धारणा अभी अत्यधिक नवीन है किंतु यह समय के साथ-साथ परिवर्तित हो रही है। वैश्वीकरण के पश्चात् भारतीय

कार्य-संस्कृति में अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तनों की शुरुआत हुई है जिसके भविष्य में और बेहतर होने की संभावना है।

प्रश्न: 'सिर्फ शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, इस पर विश्वास भी करना चाहिये तथा सिर्फ विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्य भी करना चाहिये।' इस कथन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में विश्लेषित कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"It isn't enough to talk about peace, one must believe in it, and it isn't enough to believe in it, one must work at it. '' Analyse this statement in the context of international relations.

उत्तर: वर्तमान युग विज्ञान-प्रौद्योगिकी का युग है जहाँ विज्ञान के विकास ने एक तरफ मानव जीवन को सरल एवं सुलभ बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ महाविनाश के हथियारों जैसे परमाणु बम, मिसाइल, टैंक आदि का आविष्कार किया है। कुछ देशों की महत्त्वाकांक्षाओं ने बीसवीं सदी में विश्व को दो विश्वयुद्धों में झोंक दिया जिसने व्यापक नरसंहार व सामाजिक-आर्थिक विनाश तो किया ही साथ में विश्व शांति के महत्त्व को भी उजागर किया।

वर्तमान विश्व तकनीकी रूप से एकीकृत होने के बावजूद कई विचारधाराओं में बँटा हुआ है एवं सभी देश स्वयं की स्वार्थपूर्तियों में लगे हुए हैं। कुछ देशों के द्वारा स्वयं के हितों के लिये विश्व में अशांति फैलाने का कार्य किया गया है, जैसे- वर्तमान में उत्तर कोरिया, ईरान, इराक, सीरिया आदि देशों के संदर्भ में देखा जा सकता है। सैन्य प्रतिद्वंद्विताओं ने जहाँ एक तरफ हथियारों की होड़ को बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ अन्य नवीन चुनौतियों जैसे साइबर वार, ट्रेडवार आदि को भी जन्म दिया है।

मतभेदों के इस दौर में रूजवेल्ट महोदय का यह कथन, "सिर्फ शांति की बात करना पर्याप्त नहीं, इस पर विश्वास भी करना चाहिये तथा सिर्फ विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं बल्कि इस पर कार्य भी करना चाहिये" अत्यधिक तार्किक प्रतीत होता है। हालाँकि विश्व शांति हेतु कई प्रयास किये जा चुके हैं, उदाहरणस्वरूप- इजराइल व फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन द्वारा ओस्लो अकार्ड पर हस्ताक्षर करना लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को सुलझाने का गंभीर प्रयास था। वर्ष 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाहौर की यात्रा भारत-पाकिस्तान संबंधों को बेहतर करने की एक अनुकरणीय पहल थी। वर्तमान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा इरिट्रिया के साथ किया गया समझौता एक प्रशंसनीय पहल है, जिसके लिये उन्हें वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया।

वस्तुत: विश्व में शांति की पहल के अनेकों उदाहरण विद्यमान हैं किंतु कई ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ कुछ देश स्वयं को शांतिप्रिय घोषित करते हैं, वैश्विक मंचों पर विश्व शांति की बात तो करते हैं; किंतु वास्तविकता यह है कि वे उस पर अमल नहीं करते जैसा कि चीन द्वारा वन चाइना नीति को पूरा करने के लिये हॉन्गकॉन्ग में फैलाई गई अशांति। रूस व अमेरिका की आपसी प्रतिद्वंद्विता ने वैश्विक अशांति को जन्म दिया है। ऐसे में यह तथ्य तार्किक प्रतीत होता है कि सिर्फ शांति की बात करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर अमल भी करना चाहिये।

इस प्रकार देखा जाए तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देशों के स्वहितों से परिचालित हैं। ऐसे में वैश्विक शांति वह महत्त्वपूर्ण विचार है जो कि इनके बीच मतभेदों को समाप्त कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को मूर्त कर सकती है। इस संदर्भ में भारतीय विदेश नीति एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करती है जो कि विश्व-बंधुत्व एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को चरितार्थ करती है एवं "वसुधैव कुटुंबकम्" का लक्ष्य रखती है।

प्रश्न: अंत:करण से आप क्या समझते हैं? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसेवकों के नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में यह किस प्रकार प्रयुक्त हो सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by conscience? How can it act as a source of ethical guidance for civil servants in a democratic set-up?

उत्तर: अंत: करण (Conscience) एक क्षमता, अंतर्ज्ञान या निर्णय है जो सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में सहायता करता है।

मनोवैज्ञानिक शब्दावली में अंत: करण को पश्चाताप की भावनाओं की ओर आगे बढ़ने के रूप में परिभाषित किया जाता है, जब मानव ऐसा कृत्य करता है जो उसके नैतिक मूल्यों और आमोद व कल्याण की भावनाओं के विरुद्ध होता है, तो पश्चाताप का अनुभव होता है। यह तब होता है जब हमारे कृत्य, विचार और शब्द लोगों की मूल्य प्रणालियों के अनुरूप होते हैं।

व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति में अपना अंत: करण होता है जो उन्हें महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करता है। इस प्रकार यह व्यक्तिगत आत्म-केंद्रित सोच को दूर करने के लिये सशक्त साधन के रूप में कार्य कर सकता है।

लोकसेवकों के नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंत: करण

किसी लोकतांत्रिक देश में अंत: करण या अंतरात्मा की आवाज़ (Inner Voice) विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण होती है जहाँ मंत्रियों, लोकसेवकों और अन्य हितधारकों को विवेकाधीन कार्य करना होता है और आम जनता के हित में निर्णय लेना होता है।

लोकसेवकों के लिये अंत: करण का संकट (Crisis of Conscience) महत्त्वपूर्ण होता है कि वे केवल 'वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करें' अथवा 'निर्णयन के उपयुक्त पथ का पालन करें'।

इस प्रकार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए राष्ट्र की सेवा करने वालों के लिये अंतरात्मा की आवाज़ महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वे नागरिकों और राजनीतिक सत्ता के बीच की कड़ी होते हैं।

अत: अंत: करण लोकसेवकों के लिये एक उपयुक्त साधन है ताकि लोगों के कल्याण के लिये और किसी भी प्रकार के विद्यमान हितों के बीच टकराव की स्थिति के समाधान हेतु वे नैतिकतापूर्वक कार्य का निर्वहन कर सकें।

प्रश्न: लोक सेवा में आचरण संहिता की भूमिका का वर्णन कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Illustrate the role of Code of Conduct in Civil Services.

उत्तर: आचरण संहिता (Code of Conduct) लोकसेवा के लिये लिखित नियमों का एक समूह है जो स्पष्ट सिद्धांतों को निर्दिष्ट करती है कि सरकार अपने कर्मियों से क्या अपेक्षा रखती है, जो लोकसेवकों के आधिकारिक और व्यक्तिगत जीवन, दोनों पर लागू होती है।

लोकसेवा में आचरण संहिता की भूमिका

- यह सुनिश्चित करती है कि लोकसेवकों के निर्णयन में एक सुसंगत दृष्टिकोण हो।
- यह समुदाय द्वारा लोकसेवकों को सौंपे गए संसाधनों के प्रबंधन के लिये उन्हें विशेष दायित्व सौंपती है।
- यह लोकतांत्रिक प्रणाली की दक्षता में भी वृद्धि करती है क्योंकि लोकसेवकों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाता है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, आचरण संहिता लोकसेवकों को– अखंडता और आचरण; निष्पक्षता एवं गैर-पक्षपात; तटस्थता; सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण; और कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति व करुणा के सिद्धांतों का पालन करने में सहायता करती है।

यद्यपि सरकार ने लोकसेवकों के लिये एक आचरण संहिता नियमावली निर्धारित की है, लेकिन यह अपने दायरे में व्यापक नहीं है और यह मुख्यत: निषेधों की सूचीबद्धता तक सीमित है।

इसलिये यह आवश्यक है कि उच्चतम संवैधानिक और नैतिक मानकों को बनाए रखने हेतु लोकसेवकों के समग्र मार्गदर्शन के लिये आचरण संहिता के साथ-साथ एक नैतिक संहिता भी हो।

प्रश्न: नागरिक घोषणापत्र (Citizens' Charter) से आप क्या समझते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by Citizens' Charter?

उत्तर: नागरिक घोषणा-पत्र (Citizens' Charter) एक दस्तावेज़ होता है जिसमें कोई संगठन सेवाओं के मानक, संगठन संबंधित सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभावरहित पहुँच, शिकायत निवारण और शिष्टाचार आदि के संबंध में नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का व्यवस्थित वर्णन करता है। नागरिक घोषणा-पत्र में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सार्वजनिक सेवाएँ नागरिक केंद्रित हों।

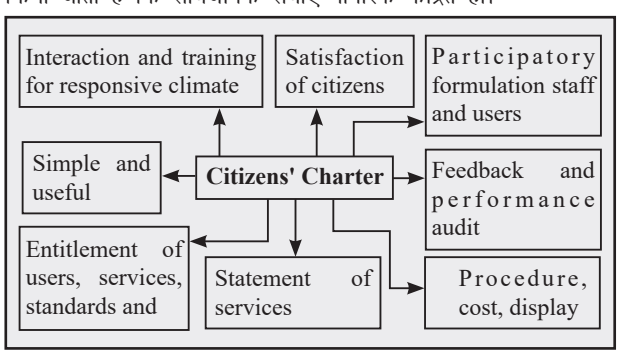

यह संगठन और उसके ग्राहकों की प्रतिबद्धताओं के साथ निर्दिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समयबद्धता सहित नागरिकों को सेवाओं की आपूर्ति का एक साधन है।

नागरिक घोषणा-पत्र के तहत सेवा आपूर्ति में शामिल हैं:

- **गुणवत्ता:** पूर्व निर्धारित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
- **चयन/विकल्प:** जहाँ भी संभव हो उपयोगकर्त्ताओं के लिये चयन का अवसर
- **मानक:** यह निर्दिष्ट करना कि किसी समय सीमा में क्या अपेक्षित है
- **मूल्य:** करदाताओं के धन का सदुपयोग
- **उत्तरदायित्व:** सेवा प्रदाता (व्यक्ति के साथ-साथ संगठन) का उत्तरदायित्व
- **पारदर्शिता:** नियमों, प्रक्रियाओं, योजनाओं और शिकायत निवारण में पारदर्शिता
- **सहभागिता:** परामर्श और संलग्नता

नागरिक घोषणा-पत्र को विधायी समर्थन देने के लिये 'नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं की समयबद्ध अदायगी का अधिकार तथा उनकी शिकायत निवारण से संबंधित विधेयक, 2011' पारित किया गया जो नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र के निर्माण का प्रावधान करता है।

इस प्रकार नागरिक घोषणा-पत्र 'न्यूनतम सरकार– अधिकतम शासन' सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन केवल नागरिक घोषणा-पत्र ही अंतिम प्राप्य नहीं है बल्कि अंतिम प्राप्य की ओर बढ़ाया गया कदम या एक साधन है जो सुनिश्चित करता है कि नागरिक सदैव किसी सेवा वितरण तंत्र के केंद्र में होता है।

प्रश्न: भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण क्या हैं? भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What are the main causes of corruption? Give a brief account of types of corruption.

उत्तर: भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ (मौद्रिक सहित अन्य कोई लाभ) के लिये अधिकार या शक्ति का दुरुपयोग है।

भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण

- **आंतरिक कारण:** मनुष्य की प्रकृति, उसका लालच, विलासिता और सुभीता की इच्छा एवं नैतिक मूल्यों की कमी, आदि।
- **बाह्य कारण:** निम्न वेतन/मज़दूरी, रोज़गार के अल्प अवसर, भ्रष्टाचारियों को अपर्याप्त दंड, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की कमी, कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र, आदि।

उद्देश्य, स्तर, परिणाम, प्रभाव आदि के लिये उपयोग किये जाने वाले साधनों के आधार पर भ्रष्टाचार के कई प्रकार होते हैं। सामान्यत: भ्रष्टाचार दो प्रकार का होता है:

- **दुरभिसंधिपूर्ण भ्रष्टाचार (Collusive Corruption):** यह भ्रष्टाचार का वह रूप है जिसमें रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले, दोनों मिलकर निजी लाभ के लिये समाज को क्षति पहुँचाते हैं।

- **अवपीड़क भ्रष्टाचार (Coercive Corruption):** यह भ्रष्टाचार का वह रूप है जिसमें रिश्वत देने वाला जबरन वसूली और उत्पीड़न का शिकार होता है।

भ्रष्टाचार और घोटाले देश की विश्वसनीयता को खतरे में डालते हैं और इसके विकास में बाधा उत्पन्न हैं। इसलिये, राष्ट्र के बेहतर विकास हेतु भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिये दृढ़ और मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: उपयुक्त उदाहरण के साथ निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिये-

(a) "आपको वह परिवर्तन होना चाहिये जो आप विश्व में देखना चाहते हैं।"

(b) "यदि आप खुशी पाना चाहते हैं, तो कृतज्ञ बने।"

(150 शब्द, 10 अंक)

Explain the following statements with suitable example:

(a) "You must be the change you want to see in the world."

(a) "If you want to find happiness, find gratitude."

उत्तर (a) : महात्मा गांधी का उपर्युक्त कथन कि वांछित परिवर्तन लाने के लिये व्यक्ति को पहले स्वयं में परिवर्तन लाना चाहिये फिर बाकी सभी लोगों को इसका अनुकरण करने के लिये प्रेरित करना चाहिये। गांधीजी का यह विचार सभी के लिये, खासकर नेताओं के लिये बहुत प्रासंगिक है।

उदाहरणत: ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिये खुद एक विधवा से विवाह किया; गांधीजी अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने के लिये अपने शौचालय को स्वयं साफ करते थे जो यह साबित करता है कि हर काम समान एवं पवित्र है।

गांधीजी का उद्धरण उन योजनाओं को लागू करने हेतु प्रासंगिक है जो नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का इरादा रखते हैं। उदाहरणार्थ स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने में प्रतिष्ठित नेताओं ने अपनी व्यापक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित की है।

इस प्रकार गांधीजी का यह उद्धरण सरकार तथा नागरिकों सहित विश्व में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु सभी के लिये एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक है।

उत्तर (b) : खुशी प्रशंसा तथा स्वीकार्यता का एक गुण है। खुशी हासिल करने के लिये हमें ऐसी मानसिकता को त्यागना होगा जो केवल अप्राप्यता के बारे में सोचती है, साथ ही हमारे पास पहले से जो भी उपलब्ध है उसके लिये आभारी होना चाहिये। वैज्ञानिक सिद्धांत भी सकारात्मक दृष्टिकोण लाने के लिये कृतज्ञता को एक शक्तिशाली भावना मानते हैं।

कृतज्ञता लोगों को अपने जीवन में अच्छाई को स्वीकार करने में सहायता करती है। यह हमें प्रकृति या उच्च शक्तियों की तरह अपने से बड़ी शक्तियों से जुड़ने के लिये सशक्त बनाती है। कृतज्ञ लोग अपने जीवन में अधिक सफल और खुश होते हैं तथा अपने आस-पास सकारात्मक भावनाओं का प्रसार करते हैं।

उदाहरणार्थ कई बार संसाधनों की कमी या प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण एक ईमानदार सिविल सेवक की सेवाओं में बाधा डालता है। लेकिन एक आनुग्रहिक अभिवृति उसे शांत एवं आशावादी बनाए रखने तथा प्रभावी ढंग से कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करती है।

प्रश्न: भावनात्मक बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिये एवं प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने में लोकसेवकों के लिये इसकी उपयोगिता की चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Define Emotional Intelligence and discuss its utility for civil servants in dealing with the challenges of administration.

उत्तर: भावनात्मक बुद्धिमता या इमोशनल इंटेलिजेंस (ई.आई.) का तात्पर्य एक व्यक्ति की स्वयं की और अन्य लोगों की भावनाओं को समझने, उन्हें नियंत्रित एवं प्रबंधित करने तथा कार्यों को निष्पादित करने के लिये उसका उपयोग करने की क्षमता से है। यह प्रशासकों के सामाजिक कौशल का आधार है, जो संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाने में योगदान देता है। राजनीतिक दबाव, जनता से संवाद, टकराव की स्थिति में प्रबंधन करने जैसी प्रशासन की चुनौतियों से निपटने के लिये उपर्युक्त सभी कौशल अनिवार्य हैं।

प्रशासन में भावनात्मक बुद्धिमता की उपादेयता

- **बेहतर सम्प्रेषण के लिये:** अपने आदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने और अधीनस्थों को इसका पालन करने के लिये प्रेरित करने के लिये एक प्रशासक को भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना चाहिये। इसके अलावा ई.आई. लोकसेवकों को आम लोगों, विशेषकर गरीब और कमज़ोर लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने में सहायता करता है।
- **अभिप्रेरणा:** ई.आई. किसी अधिकारी को दिये गए कार्यों को कुशलता से निष्पादित करने और उसके द्वारा अपने अधीनस्थों को प्रेरित करने में सहायता कर सकता है।

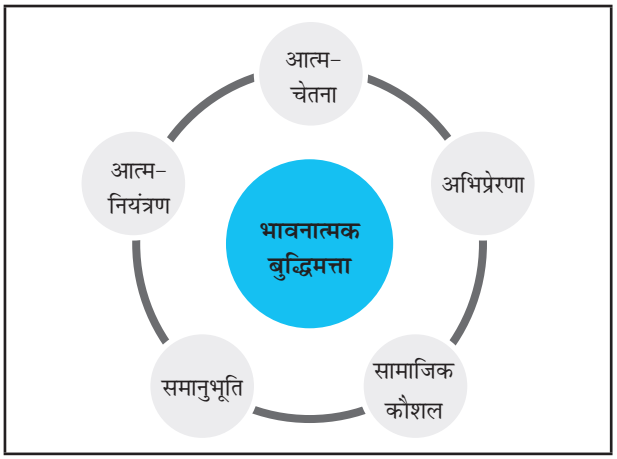

- **निर्णय:** ई.आई. लोकसेवकों को उनकी भावनाओं के अतिप्रवाह को नियंत्रित करने और किसी भी अनुचित दबाव के बावजूद अपना संयम बनाए रखने में सहायता करता है।
- **अभिनव समाधानों के लिये:** एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोकसेवक में पूर्वानुमानित जोखिमों का निडरता से सामना करने की क्षमता होती है। वे कठिन समस्याओं के लिये अभिनव और सरल समाधान खोजने में समर्थ होता है।
- **संकट प्रबंधन:** ई.आई. व्यवस्थापकों को दंगा प्रबंधन जैसी गंभीर स्थितियों में अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने में सक्षम बनाता है और आपातकालीन स्थितियों से निपटने में उनकी सहायता करता है।
- **नीतियों का कुशल लक्ष्यीकरण:** ई.आई. जनता के मनोभावों और भावनाओं को समझने में सहायता करता है जिन पर नीतियाँ लक्षित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं और नीतियों का बेहतर कार्यान्वयन हो पाता है।

अत:, प्रशासन की नित नई चुनौतियों से निपटने के लिये, जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता और समानुभूति बढ़ाने के लिये और स्मार्ट सुशासन की माँगों की पूर्ति के लिये ई.आई. आवश्यक है।

प्रश्न: भारतीय परिपेक्ष्य में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Explain the concepts of stereotyping and prejudice in the Indian context.

उत्तर: रूढ़िबद्धता (Stereotype) एक भ्रमित विचार या धारणा है जो बहुत से लोग किसी चीज या समूह के बारे में उनके बाह्य रूप के आधार पर रखते हैं। इस प्रकार का भ्रमित विचार या तो असत्य होता है या आंशिक रूप से सत्य होता है। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिये रूढ़िबद्धता का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिये हम रूढ़िवादी धारणा रखते हैं कि स्त्रियाँ कुछ कार्यों/भूमिकाओं के लिये योग्य हैं जबकि अन्य भूमिकाओं (जैसे- सशस्त्र बल में युद्धकारी भूमिकाएँ) के लिये अयोग्य। आयु रूढ़िबद्धता, जाति रूढ़िबद्धता, भाषा रूढ़िबद्धता आदि भी पाई जाती है।

पूर्वाग्रह (Prejudice) का अर्थ है एक पूर्वनिर्धारित विचार/मत जो तर्क या वास्तविक अनुभव पर आधारित नहीं होता है। इसका उपयोग प्राय: तब किया जाता है जब त्वचा के रंग (नस्लीय पूर्वाग्रह), धर्म (धार्मिक पूर्वाग्रह) या राष्ट्रीयता के आधार पर लोग स्वयं से भिन्न दूसरे समूह के लोगों को नापसंद करते हैं। इस तरह के पूर्वाग्रहों से भेदभाव, घृणा या यहाँ तक कि युद्ध की स्थिति भी बन सकती है।

किसी भी प्रकार की रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह हमें मानवीय क्षमता से दूर करते हैं तथा इससे लोगों के हित प्रभावित होते हैं। इस तरह के नकारात्मक रवैये को चुनौती देकर हम अपने आसपास के सभी लोगों को मानवीय प्रतिष्ठा प्रदान कर सकते हैं।

प्रश्न: सुशासन सुनिश्चित करने में सूचना के अधिकार की भूमिका की चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss the role of Right to Information in ensuring good governance.

उत्तर: सूचना का अधिकार न केवल शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है, बल्कि लोक प्राधिकरणों/प्राधिकारियों के मनमाने कार्यों, नीतियों और निर्णयों के विरुद्ध एक निवारक के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार आर.टी.आई. अधिनियम नागरिक सशक्तीकरण का एक शक्तिशाली साधन है। यह सहभागी लोकतंत्र को सुगम बनाता है तथा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति कर सुशासन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है-

- **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:**
  - आर.टी.आई. के माध्यम से एक आम नागरिक सरकार के कार्यकलाप के बारे में सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उपयोग कर नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने प्रशासनिक या अर्द्ध-न्यायिक निर्णयों से प्रभावित व्यक्तियों को अवगत कराना आवश्यक है। इस प्रकार किसी मनमाने निर्णय का अवसर प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिये- 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल और आदर्श हाउसिंग सोसाइटी जैसे विभिन्न घोटालों का पता लगाने में इसने सहायता की है।
- **लोकतंत्र को सशक्त करना:** सूचना के मुक्त प्रवाह के माध्यम से नागरिकों को चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रदर्शन और योगदान के बारे में बेहतर सूचना प्राप्त होती है जो एक स्वस्थ लोकतंत्र और परियोजनाओं के लोकतांत्रिक प्रबंधन के लिये बहुत ज़रूरी है।
- **प्रभावशीलता और दक्षता:** आर.टी.आई. के तहत सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों में उनके द्वारा की गई विभिन्न पहलों और उपायों के बारे में प्रामाणिक आँकड़े प्रदान करें। इस प्रकार यह योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रशासन को सजग और सतर्क बनाता है।
- **विधि का शासन:** आर.टी.आई. के माध्यम से यह परीक्षण किया जा सकता है कि प्रशासनिक निर्णय प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

इस प्रकार आर.टी.आई. 'SMART' (Simple, Moral, Accountable, Responsive and Transparent) शासन के लिये आवश्यक है। हालाँकि इसकी कई कमियों को अभी भी दूर किये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: निम्नलिखित प्रत्येक का उत्तर दीजिये: (150 शब्द, 10 अंक)

Answer each of the following:

(a) 'शुभ संकल्प' पर इमैन्युअल कांट के विचार प्रस्तुत कीजिये।

Write the view of Immanuel Kant on 'Good Will'.

उत्तर: कांट के अनुसार, विधि की अवधारणा के अनुरूप संकल्प या इच्छाशक्ति कृत्य का संकाय है। जब हम कोई कृत्य करते हैं तो उस कृत्य से हमारे इच्छित की पूर्ति-अपूर्ति प्राय: हमारे नियंत्रण से परे होती है और इसलिये हमारे कृत्यों की नैतिकता उनके परिणामों पर निर्भर नहीं करती है।

यद्यपि हम जो नियंत्रित कर सकते हैं, वह कृत्य में निहित संकल्प है।

अत: किसी कृत्य की नैतिकता का आकलन इसके निहित प्रेरणा के संदर्भ में किया जाना चाहिये।

कांट के अनुसार, केवल एक चीज जो योग्यता के बिना भी शुभ है, वह है 'शुभ संकल्प'।

उदाहरण के लिये यदि मीरा और सामर्थ एक ही कृत्य करते हैं, लेकिन मीरा के नियंत्रण से परे की घटनाओं ने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रखा है, तो मीरा भी अपनी असफलता के लिये कम प्रशंसनीय नहीं है। हमें उन्हें उनके कृत्यों के पीछे के संकल्प के संदर्भ में समान नैतिक आधार पर देखना चाहिये।

(b) 'सर्वोदय' का अर्थ स्पष्ट कीजिये।

Explain the meaning of 'Sarvodaya'.

उत्तर: सर्वोदय शब्द का अभिप्राय है- सार्वभौमिक उत्थान (Universal Uplift) अथवा सर्वोन्नति (Progress of All)। महात्मा गांधी ने इस अवधारणा को जॉन रस्किन की प्रसिद्ध किताब 'Unto This Last' से ग्रहण किया था। सर्वोदय का दर्शन अस्तित्व की एकता की अवधारणा पर आधारित है अर्थात् संपूर्ण ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा द्वारा अनुमित है। सर्वोदय की अवधारणा निम्नलिखित तीन मूल सिद्धांतों पर आधारित थी:

- व्यक्ति का हित समष्टि के हित में निहित है।
- सभी को अपने कार्य से अपनी आजीविका कमाने का समान अधिकार है।
- श्रम निहित जीवन एक सार्थक जीवन है।

इस प्रकार 'सर्वोदय' भारत को एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के रूप में विकसित करने का एक प्रयास था, जो श्रम की प्रतिष्ठा व सम्मान, सामाजिक-आर्थिक समानता, सहकारी आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निर्भर था।

प्रश्न: शासन में शुचिता से आप क्या समझते हैं? सुशासन में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you understand by Probity in Governance? Discuss its importance in good governance.

उत्तर: शुचिता शब्द का अर्थ सत्यनिष्ठा, शुचिता तथा ईमानदारी है। सरकारी कर्मचारियों तथा एजेंसियों के लिये शुचिता बनाए रखने का अर्थ सिर्फ भ्रष्ट या बेईमान आचरण से बचना ही नहीं अपितु इससे कुछ ज़्यादा करना शामिल है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के मूल्य जैसे कि निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता आदि को लागू करना शामिल है।

शासन में शुचिता सुनिश्चित करने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति। अन्य आवश्यकताएँ हैं प्रभावी कानून, नियम तथा नियमन जो सार्वजनिक जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं तथा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है, उन कानूनों का प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्यान्वयन।

इसका महत्त्व

- शासन एवं सामाजिक-आर्थिक विकास की एक कुशल तथा प्रभावी प्रणाली के लिये शासन में शुचिता का होना आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है।
- शासन में शुचिता निम्नलिखित को सुनिश्चित करती है:
  - शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  - सार्वजनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा बनाए रखना।
  - प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।
  - सरकारी प्रक्रियाओं में जनता का विश्वास बनाए रखना।
  - कदाचार, धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार की संभावना से बचना।
- शुचिता के महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक है भ्रष्टाचार की उपस्थिति। इसलिये सिविल सेवकों को नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिये, साथ ही उन्हें न केवल भ्रष्ट लेन-देन से बचना चाहिये बल्कि भ्रष्टाचार की पहचान कर उसकी रिपोर्ट उचित प्राधिकारी को करनी चाहिये।

इस प्रकार शुचिता शासन की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है जो सरकार को नैतिक रूप से कार्य करने तथा केवल मानदंडों के अनुसार अपना कर्त्तव्य निभाने के लिये प्रेरित करती है।

प्रश्न: लोक जीवन में निम्नलिखित मूल्यों की प्रासंगिकता क्या है? उपयुक्त उदाहरणों द्वारा व्याख्या कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What are the relevance of following values in public life? Explain with suitable examples.

(a) विनम्रता/ Humility

उत्तर: विनम्रता अच्छे व्यवहार या शिष्टाचार जैसे सद्गुण का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। यह सांस्कृतिक रूप से समाज से जुड़ी होती है। सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के विनम्र व्यवहार का अत्यधिक महत्त्व है। विनम्रता व्यक्ति को अपने सहकर्मियों (वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं समकक्ष) तथा अन्य लोगों के बीच बेहतर सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायक होती है।

उदाहरण: कृषि नीतियों पर कार्य करने वाला एक विनम्र अधिकारी नीतियों को निरूपित करते समय किसानों की देशी ज्ञान के प्रति ग्रहणशील व्यक्तित्व का पालन करेगा। इस प्रकार, विनम्रता बेहतर संबंधों तथा समन्वय में सहायता प्रदान करती है।

(b) उदारचरितता/Generosity

उत्तर: उदारचरितता व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके अंतर्गत वह अलग-अलग तथा नए विचारों को सुनने और स्वीकारने को तैयार होता है। सार्वजनिक जीवन में उदारचरितता के व्यवहार का अत्यधिक महत्त्व है। यह व्यक्ति को रूढ़ तथा स्टीरियोटाइप (Stereotype) होने से रोकती है। यह नए अनुप्रयोगों तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। उदारचरितता व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में अनुकूलित करने में सहायक होती है।

(c) सहिष्णुता/Tolerance

उत्तर: यह व्यक्ति के स्वयं के व्यवहार तथा मान्यताओं से भिन्न इन्हें स्वीकार करने की इच्छा को संदर्भित करता है। हालाँकि व्यक्ति उनसे सहमत नहीं हो सकता है। यह न तो कायरता को इंगित करता है और न ही कमज़ोरी को। समाज में मिल-जुलकर रहने की भावना को सहिष्णुता कहते हैं। इसमें उच्च नैतिकता, क्षमाशीलता, धैर्य और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। विरोधाभासी विचारों एवं प्रथाओं के सम्मान के लिये सहिष्णुता मौलिक है। यह संघर्ष, अविश्वास, टकराव और अशांति की वर्तमान दुनिया में शांति के प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सहिष्णुता एक लोक सेवक के लिये मार्गदर्शक का कार्य करती है। यह चरित्र और सकारात्मक संबंधों का मूलभूत घटक है जो बेहतर सेवा प्रदान करने में लोक सेवक की सहायता करती है।

(d) वस्तुनिष्ठता/Objectivity

उत्तर: लोक नियुक्तियाँ करने, अनुबंध प्रदान करने या पुरस्कार एवं लाभों के लिये व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु लोक अधिकारियों द्वारा इनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिये। लोक क्रियाविधियों में निष्पक्षता तथा निरंतरता कुशल लोक प्रशासन की पूर्वकांक्षित आवश्यकता है। भ्रष्टाचार और पक्षपात से बचने के लिये लोक सेवक को पूरी तरह से निष्पक्ष होना आवश्यक है तथा इसके लिये उन्हें पद की गरिमा तथा प्रभुत्व को बनाए रखना चाहिये।

उदाहरणत: लोक सेवकों को बिना किसी भय या पक्षपात के उल्लेखित कानूनों, नियमों, और विनियमों के अनुसार नीतियों या कार्यक्रमों को सावधानीपूर्वक लागू करना चाहिये।

प्रश्न: चर्चा कीजिये कि मूल्य, धर्म और आचार-नीति कैसे मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Discuss how values, religion and ethics control human behavior.

उत्तर: मानवीय व्यवहार के निर्धारक कारक और स्रोत वे साधन हैं, जिन्हें मनुष्य परिवार और सामाजिक परिवेश से प्राप्त करता है। इनमें प्रमुख हैं: मूल्य, धर्म और आचार-नीति।

सभी मूल्य, धर्म और आचार-नीतियों का मूल उद्देश्य एक उत्पीड़न रहित समाज का निर्माण करना है। समाज में निर्णय-निर्माण, रहन-सहन, व्यवहार आदि के संबंध में गलत या सही, अच्छा या बुरा आदि के लिये ये मानक के रूप में कार्य करते हैं।

ये किसी व्यक्ति को समाज के कल्याण के विपरीत कार्य करने से रोकते हैं। इसके फलस्वरूप व्यक्ति स्वहित के स्थान पर दूसरे लोगों के हित, समाज के हित और अंतत: परम शुभ की प्राप्ति के लिये कार्य करने को प्रेरित होता है।

वर्तमान में अनेक समस्याओं, जैसे- आतंकवाद, नागरिक युद्ध, महिला और बाल उत्पीड़न, जातिवाद, धार्मिक उन्माद आदि इन्हीं मूल्यों, धर्मों और आचार-नीतियों से विमुख होने का परिणाम है। अत: एक उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त समाज के निर्माण के लिये इनको पुन: स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

प्रश्न: कांट का नैतिक दर्शन कठोर है तथा वह मानवीय प्रवृत्ति एवं कर्त्तव्यों के बीच लगातार संघर्ष को देखता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Kant's moral philosophy is rigid and sees a constant struggle between human nature and duties. Comment.

उत्तर: इम्मैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक था जिसने कर्त्तव्य के विचार पर आधारित नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। कांट का नैतिक दर्शन कठोर है। उसका मानना है कि प्रकृति ने मनुष्य को स्वाभाविक 'निर्मल आत्माओं' से नहीं नवाजा है। कांट के अनुसार आत्मा की अन्त: अच्छाई पर ऐसा विश्वास करना कि जिसे न तो प्रेरणा की ज़रूरत होती है, न ही रोकने की और न ही किसी आदेश की, नितांत आत्म-श्लाघा (Perkiness) होगी और इस प्रकार अपने कर्त्तव्य को भूल जाना होगा। सही के लिये केवल भावना पर निर्भर रहना मानव नैतिकता को नष्ट कर देगा।

कांट के नैतिक कर्त्तव्य की संकल्पना काफी विस्तृत है। यह एक व्यक्ति की बुद्धिपरक सोच का परिणाम है। उसका मानना है कि मानव क्रियाकलाप के अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं, किंतु ये क्रियाकलाप के नैतिक मूल्य को निश्चित नहीं करते। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो कार्य अवांछित परिणाम देता है, नैतिक हो सकता है तथा जो कार्य अच्छे परिणाम देता है, वह अनैतिक हो सकता है। परिणामों का नैतिक उत्तरदायित्वों या कर्त्तव्य से इस प्रकार का सरोकार नहीं है कि वह अकेला ही यह निश्चित कर सकता है कि क्रियाकलाप नैतिक है या नहीं।

कांट के विचार में नैतिकता खुद ही अपना पुरस्कार है और प्रत्येक की ज़िम्मेदारी वह करने की है जो उसे करना चाहिये। कर्त्तव्य पालन का यह उत्तरदायित्व तब भी समाप्त नहीं हो जाता है, जब अन्य लोग सिद्धांत की अवज्ञा करें। अन्य लोगों द्वारा सिद्धांतों का जवाबी पालन न होने पर भी व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों से बंधा होता है।

अत: उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि कांट कर्त्तव्यों पर अत्यधिक बल देता है। कर्त्तव्य पर आधारित उसका नैतिक दर्शन अत्यधिक कठोर है जो मानव प्रवृत्ति से कर्त्तव्यों का निरंतर संघर्ष देखता है।

प्रश्न: बौद्ध धर्म में करुणा को एक सद्गुण के रूप में संदर्भित किया गया है, क्योंकि यह दूसरों के दुखों को दूर करने में सक्षम है। व्याख्या कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

In Buddhism, compassion is considered a virtue because of its ability to relieve the sufferings of others. Explain.

उत्तर: बौद्ध धर्म के अनुसार, करुणा का आशय आकांक्षा, मन की एक अवस्था और दूसरों को दु:खों से मुक्त करने की इच्छा है। यह निष्क्रिय नहीं है। यह केवल सहानुभूति नहीं है बल्कि सहानुभूति के साथ एक परोपकारिता है, जो सक्रिय रूप से दूसरों को दु:खों से मुक्त करने का प्रयास करती है। वास्तविक करुणा में ज्ञान और प्रेम भाव दोनों की उपस्थिति होती है। इसका मतलब यह है कि किसी के दु:ख की प्रकृति को समझना चाहिये, जिससे वह दूसरों को मुक्त करना चाहता है (यह

ज्ञान है) और उसे संवेदनात्मक होने के साथ गहरी अंतरंगता और सहानुभूति होनी चाहिये (यह प्रेमभाव है)। वर्तमान संदर्भ में करुणा के लाभ-

- यह हमारे हृदय परिवर्तन में सहायक है।
- करुणा हमारे दृष्टिकोण और पहचान को व्यापकता प्रदान करती है, जैसे कि हम दूसरों के साथ समानता की खोज करते हैं, यह महसूस करते हुए कि हमारी तरह ही, वे भी दु:ख का अनुभव करते हैं।
- करुणा हमें बेहतर जुड़ाव स्थापित करने में सक्षम बनाती है। हमारे सामाजिक, पारिस्थितिकी और आध्यात्मिक संबंधों में सुधार करती है और हमारे नियमित संबंधों में निष्ठा (Loyalty) एवं प्रतिबद्धता को उत्साहित करती है।
- करुणा हमारी खुशी, निर्वाह (Fulfilment) और हित को बढ़ाती है।
- करुणा शांति की संभावनाओं को बढ़ाती है और जहाँ संघर्ष होता है, वहाँ सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है।
- करुणा हमें खुद को और दूसरों को समझने में सक्षम बनाती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान की अनेक समस्याओं, जैसे- द्वेष, जलन, अहंकार, धार्मिक और प्रजातीय संघर्ष, सामाजिक तनाव आदि को करुणा के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है। इससे एक समरस और उच्च नैतिकता से युक्त समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

प्रश्न: "एक महान व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिये तैयार रहता है।"
(150 शब्द, 10 अंक)

"A great person is different from a reputed person because he remains ready to serve the society."

उत्तर: महानता और प्रतिष्ठा दो अलग-अलग मूल्य हैं। किसी व्यक्ति का प्रतिष्ठित होना इस बात का सूचक है कि एक समुदाय विशेष की नजर में वह एक अनुकरणीय व्यक्ति है। इस आलोक में प्रतिष्ठा एक सापेक्षिक मूल्य है। वहीं महान व्यक्ति पूरे समाज के मूल्यों एवं सिद्धांतों की तराजू पर तौला गया व्यक्तित्व होता है। वह समाज के सही मूल्यों की रक्षा करता है, नए मूल्यों के विकास को प्रोत्साहित करता है तथा रूढ़ हो चुके मूल्यों के उन्मूलन के लिये संघर्ष करता है। वह प्रत्येक परिस्थिति में समाज का सेवक बनने के लिये तत्पर रहता है। महानता वह रोशनी है जो समाज को नई दिशा देती है।

वर्तमान में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति मिल जाते हैं, परंतु महान बनने के लिये जो प्रतिबद्धता और बलिदान की अपेक्षा व्यक्ति से होती है, ऐसा व्यक्तित्व मिलना दुर्लभ होता है।

उदाहरण के तौर पर मुकेश अम्बानी एक प्रष्ठित व्यवसायी हैं। देश के अन्य व्यवसायी व महत्त्वाकांक्षी युवा उनका अनुकरण करते हैं जबकि बाबा आम्टे एक महान व्यक्ति के रूप में देखे जाते है क्योंकि वे सदैव सबकी सहायता के लिये तत्पर रहते थे। कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो प्रतिष्ठित भी होते हैं और महान भी; जैसे- बाबा भीमराव अम्बेडकर।

प्रश्न: निम्नलिखित अति संबद्ध मूल्यों के बीच विभेदन कीजिये:
Differentiate between the following closely related values:

(a) आस्था और विश्वास (150 शब्द, 10 अंक)
Faith and Belief

उत्तर: विश्वास से आशय 'निर्णय पर भरोसे' से है। किसी व्यक्ति या वस्तु पर विश्वास करने का अर्थ है कि व्यक्ति चयन के संदर्भ में अधिक सकारात्मक है। यदि विश्वास मज़बूत होता जाता है तो यह व्यक्ति के कार्यों को भी प्रभावित करता है और इस तरह यह आस्था बन जाता है। इस प्रकार आस्था विश्वास का अधिसमुच्चय प्रारूप है जिसमें पूर्ण विश्वास भी शामिल होता है और यह व्यक्ति के क्रियाविधियों का मार्गदर्शन करता है। विश्वास क्रिया का परिणाम हो भी सकता है और नहीं भी। आस्था पवित्र एवं स्थायी है और धर्म से निरंतर संबंधित है। अस्थायी होने के परिणामस्वरूप विश्वास समय के साथ परिवर्तित होता रहता है।

उदाहरण: मतदाताओं का एक राजनीतिक दल के प्रति विश्वास होता है, वहीं, धार्मिक गुरुओं में गहरी आस्था वाले अनुयायी होते हैं।

(b) सहानुभूति और करुणा (150 शब्द, 10 अंक)
Sympathy and Compassion

उत्तर: सहानुभूति और करुणा के मध्य अंतर मात्रा और स्तर का है। दोनों ही कमजोर वर्ग के लिये लगाव और 'सॉफ्ट कॉर्नर' की भावना से संबंधित है। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है:

सहानुभूति < समानुभूति < करुणा

सहानुभूति का आशय दूसरों की पीड़ा की भावना को महसूस करना है। यह एक सामाजिक अभिव्यक्ति है। सहानुभूति का आशय दूसरे की पीड़ा को समझने से है परंतु यह अवस्था क्षणिक होती है।

समानुभूति में आप दूसरे व्यक्ति के कष्ट को, उसके स्थान पर स्वयं को रखकर अनुभव करते हैं। यह सहानुभूति से अधिक स्थायी होती है।

सहानुभूति और समानुभूति से इतर करुणा में आप दूसरों के कष्ट को महसूस करने के साथ, इस परिप्रेक्ष्य में कोई कार्य भी करते हैं।

उदाहरण के तौर पर जब आप किसी कमजोर व्यक्ति को सड़क किनारे देखते हैं तो-

- **सहानुभूति:** उस व्यक्ति के कष्ट को आप महसूस करते हैं।
- **समानुभूति:** उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं।
- **करुणा:** आप वास्तव में उसके कष्ट निवारण हेतु कोई कार्य करते हैं।

करुणा, किसी जननेता के लिये अतिमहत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके और जनता के मध्य एक आत्मीय संवाद को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। करुणा, जननेता में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाती है। ऐसी स्थिति में जननेता व्यावहारिक तौर पर जनता के मध्य अधिक जुड़ाव व ख्याति महसूस करता है। करुणा का महत्व महात्मा गांधी और भारतीय जनता के संबंधों के तौर पर देखा जा सकता है।

प्रश्न: "पृथ्वी सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है न कि लालच पूरी करने के लिये।" वर्तमान संदर्भ में इस कथन की उपयोगिता का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

"Earth provides enough to satisfy every man's need but not every man's greed." Examine the utility of this statement in recent times.

उत्तर: महात्मा गांधी का यह उपर्युक्त कथन वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। विदित है कि मनुष्य की बढ़ती भोगवादी एवं स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जिससे वर्तमान संदर्भ में कई पर्यावरणीय समस्याएँ, जैसे- ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, ओज़ोन परत में छिद्र, प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली वृद्धि और इन आपदाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली बीमारियों एवं रोगों ने भविष्य में मनुष्य के अस्तित्त्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

वस्तुत: महात्मा गांधी का प्रकृति संबंधी विचार 'नववेदांत' दर्शन की पृष्ठभूमि पर आधारित है जो मनुष्य ही नहीं, बाकी जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों में भी ईश्वर के अस्तित्त्व को स्वीकारता है।

वास्तव में, महात्मा गांधी का यह कथन अपने मूल में पर्यावरण संरक्षण के तत्त्व को समाहित किये हुए है क्योंकि विकास के नाम पर पर्यावरण का मनचाहा दोहन अंतत: मानव के लिये ही संकट उत्पन्न करेगा। अत: ज़रूरत है कि मनुष्य प्रकृति के विनाश पर विकास को बढ़ावा दे। उल्लेखनीय है कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराती है, किंतु मनुष्य अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के संसाधनों का लालचपूर्ण उपभोग करता है जिससे कुछ व्यक्तियों को संसाधन उपलब्ध नहीं होते। इस तरह यह कथन 'संधारणीय विकास' को बढ़ावा देता है।

गौरतलब है कि गांधीजी का उपर्युक्त कथन इस ओर संकेत करता है कि मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रकृति का मनचाहा उपभोग करे। संसार के समस्त प्राणियों का एक-दूसरे के प्रति सीमित दायित्व बनता है इसलिये प्रकृति मनुष्य की कुछ आवश्यकताएँ पूरा करे और मनुष्य प्रकृति की आवश्यकताएँ पूरा करे, यही सही विचार है।

वस्तुत: किसी भी सभ्य समाज की यह चिंता होनी चाहिये कि उसके सदस्यों की संख्या उसके संसाधनों की हद को पार न कर जाए। गांधीजी को हर पल इस बात की चिंता सताती थी कि मानवीय लालच कहीं प्रकृति के सीमित संसाधनों को नष्ट न कर डाले जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्त्व खतरे में पड़ जाए- इस संदर्भ में गांधीजी का यह कथन प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी है।

गहन पारिस्थितिकी आंदोलन के प्रवर्तक 'आर्ने नेस' के अनुसार, वर्तमान में पर्यावरण संकट मूलत: अरस्तू, डेकार्ट, न्यूटन के चिंतन से उपजा है जो प्रकृति व मानव को अलग-अलग रूप में देखते थे। गांधीजी का दर्शन एवं उपर्युक्त कथन मानव-प्रकृति सहअस्तित्त्व को रेखांकित करता है जो पर्यावरण व प्रकृति के संरक्षण में सहायक है, इसलिये आर्ने नेस ने प्रकृति व पर्यावरण के संरक्षण के लिये कहा है कि यदि वर्तमान में प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देना है तो हमें महात्मा गांधी के दर्शन पर चलना होगा।

समग्रत:, यही कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपनी ज़रूरतों को सीमित रखना चाहिये, जिससे प्रकृति लालच की वस्तु न बने अर्थात् 'आवश्यकता निर्माण' की जगह 'आवश्यकता पूर्ति' पर बल देना चाहिये; यही मनुष्य के अस्तित्त्व के लिये ज़रूरी है। इसी संदर्भ में एच.जी. वेल्स ने कहा है- 'अनुकूल बनें या नष्ट हो जाएँ, अब या कभी भी, यही प्रकृति की निष्ठुर अनिवार्यता है।'

प्रश्न: एक लोक सेवक के रूप में अपने दायित्वों को ईमानदारी से निर्वाह करने के बावजूद आपको प्राय: ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो न केवल आपकी कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हैं बल्कि आपके बारे में झूठी अफवाहें भी फैलाते हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे अपनी अभिप्रेरणा को उच्च बनाए रख सकते हैं? ऐसे लोगों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

As a civil servant while fulfilling your duties honestly, often you come across people who not only raise questions on your work style but also spread rumours against you. In such situation, how can you keep your motivation high? How can these people be handled?

उत्तर: लोक सेवक के रूप में सबसे बड़ा दायित्व लोकहित होता है। एक लोक सेवक को ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाहन करना चाहिये। ऐसे में यदि कुछ लोग आपकी उत्कृष्ट कार्यशैली के बावजूद आपकी सत्यनिष्ठा पर प्रश्न उठाते हैं या झूठी अफवाहें फैलाते हैं तो स्वाभाविक है कि तनाव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित उपाय इस तनाव से निपटने तथा अभिप्रेरणा बनाए रखने में मेरी मदद करेंगे:

- लोक सेवक के रूप में मेरा दायित्व लोगों के मध्य अपनी अच्छी छवि बनाने का नहीं वरन् लोक कल्याण सुनिश्चित करने का है। लोक कल्याण के कार्य करने के बाद की सुखानुभूति, किसी आलोचना से उत्पन्न कड़वाहट से ज़्यादा मीठी होती है।
- कार्यशैली पर प्रश्न उठाने वाले के लिये सबसे अच्छा उत्तर कार्य का उत्तम निष्पादन है। यदि मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सही हूँ और परिणाम पर पूरा भरोसा है, तो कार्यशैली पर प्रश्न उठाने वालों के लिये मेरा परिणाम ही चुप करा सकता है। मैं स्वयं की ऊर्जा को उनके किसी आरोप का जबाव देने में न लगाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखूंगा।
- महात्मा गांधी ने कहा था कि "पहले लोग तुम्हें महत्त्व नहीं देंगे, फिर तुम पर हँसेंगे, फिर तुम से लड़ेंगे, तब तुम जीतोगे।" मेरी किसी भी आलोचना का उत्तर बापू के इस कथन में निहित है। मेरी जीत लोकसेवा के दायित्वों को क्षमतानुसार सुनिश्चित करने में है, किसी आलोचना से बचने में नहीं। जहाँ तक सवाल इस प्रकार के लोगों से निपटने का है, कानूनी दायरे में रहते हुए यदि ऐसे तत्त्वों

पर कोई सिविल/आपराधिक मामला बनता है तो मैं कानून की शरण में अवश्य जाऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं अपने उच्चाधिकारियों को यथास्थिति से अवगत कराते हुए अपनी कार्यशैली को स्पष्ट करूंगा।

- वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए मैं अपने पक्ष को रख सकता हूँ। ऐसे में यदि 'लोक समर्थन' मिले तो वह किसी भी आलोचना को आधारहीन बना देगा।

प्रश्न: वर्तमान में राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्राप्ति में बाधक कारक बन गया है। लोक जीवन में नैतिकता में गिरावट के कारणों को बताइये तथा राजनैतिक और प्रशासनिक जीवन में नैतिकता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए इसमें सुधार हेतु सुझाव दीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

It has been witnessed in recent times that, there is a decline in morality at political and administrative level, which poses hinderance in achieving social & economic justice. Give forth the reasons for decline in morality in public life and put forward your suggestions to improve it while highlighting the importance of morality in political and administrative life.

उत्तर: भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग अब भी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है और संविधान सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात करता है, वहाँ नीति निर्माण और क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाने वाले राजनेताओं और प्रशासकों में उच्च नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है किंतु वर्तमान में इनमें नैतिकता में गिरावट देखने को मिल रही है।

भारत में राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता में गिरावट के मूल कारण सामान्यत: समान हैं जिसमें अधिकतम भौतिक सुख की प्राप्ति, शक्ति का केंद्रीकरण (कुछ ही हाथों में), भ्रष्ट गतिविधियाँ, किसी भी स्थिति में नाम कमाने की लालसा, नेता-प्रशासक गठजोड़, सार्वजनिक नैतिक मूल्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत मूल्यों का हावी होना इत्यादि प्रमुख हैं।

इसके अलावा, राजनीति का अपराधीकरण, धन बल का प्रयोग बढ़ने से भी राजनैतिक नैतिकता में गिरावट देखने को मिल रही है वहीं, प्रशासकों की शिक्षा और चयन प्रक्रिया में खामियों की वजह से नैतिक मूल्यों से शून्य व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है।

चूँकि भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है। इसके अलावा, भारत एक विविधता से भरा देश है, अलग-अलग वर्गों, व्यक्तियों की अलग-अलग समस्याएँ हैं। ऐसी स्थिति में राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता के उच्च मानकों का होना आवश्यक है। यदि राजनीतिज्ञों और प्रशासकों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता और गैर भागीदारी, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति, सहनशीलता और दया जैसे नैतिक मूल्य होंगे तब वे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। अत: राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिक मूल्यों में वृद्धि के लिये निम्न उपाय किये जा सकते हैं-

- **राजनैतिक स्तर पर:**
  - प्रभावशाली नीतिशास्त्रीय संहिता तथा आचरण संहिता का क्रियान्वयन किया जाए।
  - जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में संशोधन कर राजनीति के अपराधीकरण संबंधी प्रावधान का प्रभावी क्रियान्वयन।
  - संसदीय विशेषाधिकारों को पुन: परिभाषित करना और उनको संहिताबद्ध करना।
  - नोलन समिति द्वारा निर्धारित नैतिक मानकों को लागू करना।
- **प्रशासनिक स्तर पर:**
  - नीतिशास्त्रीय संहिता और आचार संहिता में बदलाव कर अधिक प्रभावशाली क्रियान्वयन करना।
  - शिक्षा और चयन प्रक्रिया में उच्च मूल्यों को शामिल करना।
  - समस्याओं के प्रति अनुकूल नैतिक मूल्यों के विकास हेतु प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करना।

उपर्युक्त के अलावा, राजनैतिक व प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता को बढ़ावा देने हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को कठोर बनाना, लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट लागू करना, इत्यादि उपाय किये जा सकते हैं।

निष्कर्ष: कोई भी सिस्टम (तंत्र) या समाज दोषहीन (Perfect) नहीं है और न ही हो सकता है किंतु उपर्युक्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए यदि प्रयास किये जाएँ तो न केवल सतत् और समावेशी विकास की प्राप्ति संभव है अपितु संविधान में उल्लिखित न्याय की प्राप्ति भी संभव हो सकेगी।

प्रश्न: अभिवृत्ति से आपका क्या तात्पर्य है? इसके प्रकार्यों की चर्चा कीजिये। **(150 शब्द, 10 अंक)**

What does the term 'attitude' mean to you? Discuss its functions.

उत्तर: अभिवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जो किसी व्यक्ति का कुछ अंशों तक सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन करने में अभिव्यक्त होती है। लोग जो मूल्यांकन करते हैं, वह नितांत नकारात्मक से नितांत सकारात्मक तक हो सकता हैं या संतुलित हो सकता हैं। एक ही वस्तु के प्रति अभिवृत्तियाँ मिश्रित हो सकती हैं, अर्थात् समय-समय पर भिन्न हो सकती हैं।

अभिवृत्ति के निम्नलिखित प्राकार्य हैं:

- **अनुकूलन (Adaptive):** अभिवृत्ति हमें अप्रिय चीज़ों से बचने और वांछनीय चीज़ों को प्राप्त करने में मदद करती है।
- **ज्ञान (Knowledge):** अभिवृत्ति हमें दुनिया में विद्यमान विशाल सूचना भंडार को समझने में मदद करती है। यह शॉर्टकट है, जिससे हमें दुनिया के प्रति हमारी धारणाओं को सरल बनाने में सहायता मिलती है, ताकि यह अधिक प्रबंधनीय, पूर्वानुमित और सुरक्षित हो।
- **स्व-अभिव्यक्ति:** अभिवृत्ति हमें स्वयं से और दूसरों से संबंधित होने में मदद करती है। यह एक विशेषीकृत छवि (image) प्रस्तुत

करती है जिसके साथ अन्य लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार यह स्वयं के लिये तथा दूसरे लोगों के लिये हमारी पहचान स्थापित करने में सहायता करती है।

- **इगो-डिफेन्सिव:** अभिवृत्ति हमें स्वयं से और दूसरों से रक्षित (Protect) होने में मदद करने के लिये यह समझाने में सहायता करती है कि हमने ऐसा क्यों किया, जिसे अवांछनीय माना जा सकता है।
- मज़बूत अभिवृत्ति, व्यवहार को नियंत्रित करती है। गांधी जी का अहिंसा में मज़बूत विश्वास था, जो उनके व्यवहार में स्पष्ट झलकता था।

इस प्रकार, अभिवृत्ति मनोवैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्त्वपूर्ण है। यह व्यक्ति और सम्पूर्ण समाज के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत: सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण के लिये निरंतर प्रयासरत रहना चाहिये।

प्रश्न: चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दर्शाया है कि "राजा संवैधानिक दास होता है।" इस कथन के आलोक में कानूनों, नियमों और विनियमों को नैतिक निर्देश के स्रोत के रूप में क्या महत्त्व है? क्या औपचारिक नियमों और निर्देशों की शासन में कोई सीमा है? नैतिक मूल्य किस प्रकार इस अंतराल को भर सकते हैं? (150 शब्द, 10 अंक)

Chanakya mentioned in Arthashastra that "King is constitutional slave". In the light of this statement, what is the importance of laws, rules and regulations as source of ethical guidance? Is there any limitation of formal rules and guidelines in governance? How can ethical values bridge that gap?

उत्तर: राजा को संविधान में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिये। वह कानून से ऊपर नहीं है क्योंकि 'कानून, राजा है' न कि 'राजा कानून है।' संविधानवाद राजा (शासक) पर बंधन लगाता है और यह शासक का नैतिक दायित्व है कि वह संविधान से बंध कर रहे।

इसी परिप्रेक्ष्य में कानून, नियम और विनियम (Law, Rule and Regulation) मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। ये स्पष्टता प्रदान करते हैं और अधिकारियों को वैयक्तिक पसंद से इतर निष्पक्षता का पालन कर निर्णय लेने में मदद करते हैं। जैसे-योग्यता के आधार पर नियुक्ति स्थायी कार्यकारी में भाई-भतीजावाद को रोकने में मदद करती है।

हालाँकि, कानून, नियम और विनियम की इस परिप्रेक्ष्य में कुछ सीमाएँ हैं-

- ये मानव के प्रत्येक कार्य और कार्रवाई को निर्देशित नहीं कर सकते हैं।
- कुछ स्तर पर 'विवेक' का प्रयोग आवश्यक है ताकि मानवीय और व्यावहारात्मक पहचान को बनाए रखा जा सके और प्रशासन को मशीन में बदलने से रोका जा सके।

अत: कानून, नियम और विनियम को शासन के स्रोत के रूप में प्रयोग करने की एक सीमा है जिसे मूल्यों के आधार पर नियंत्रित कर बेहतर निर्णयन को स्थापित किया जा सकता है।

तथ्य+मूल्य = निर्णय

(एलआरआर) (नीतिशास्त्र)

नीतिशास्त्र, शासन में समानुभूति, करुणा को सुनिश्चित करती है जिसे वस्तुनिष्ठ कानून द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, एक कार्यालय में किसी सेवानिवृत्त वृद्ध के ऑफिस में 5-10 मिनट देरी से आने के बाद भी उसकी आवश्यकताओं को सुनना। इस प्रकार प्रशासन में अंतर्रात्मा को जोड़ने की आवश्यकता है।

प्रश्न: चिकित्सकीय नैतिकता से क्या तात्पर्य है? एक चिकित्सक में किन मूल्यों का होना आवश्यक है? चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

What do you mean by Medical Ethics? What virtues a medical practitioner should possess?

उत्तर: चिकित्सकीय नैतिकता नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है, जो नैदानिक चिकित्सा अभ्यास और वैज्ञानिक अनुसंधान में मूल्यों और निर्णयों को लागू करती है। चिकित्सकीय नैतिकता वंश, लिंग या धर्म की परवाह किये बिना सभी लोगों को गुणवत्ता युक्त व सैद्धांतिक देखभाल (Care) की अनुमति देती है। यह जीवित और निर्जीव दोनों पर लागू होती है। जैसे- शवों पर चिकित्सा अनुसंधान। इसमें पालन किये जाने वाले मूल्यों का स्पष्ट सेट होता है जो किसी भी भ्रम या संघर्ष के मामलें में पेशेवर के लिये मानक का कार्य करते हैं। एक चिकित्सक में निम्नलिखित मूल्यों का होना आवश्यक है-

- **स्वायत्तता का सम्मान:** मरीज को अपने उपचार से मना करने या चुनने का अधिकार है।
- **उपकार:** एक चिकित्सक को रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिये।
- **गैर हानिकारक:** नुकसान का कारण नहीं बनना चाहिये। इसके अलावा, 'उपयोगिता' नुकसान की तुलना में अच्छाई को बढ़ाने वाली होनी चाहिये।
- **न्याय:** दुर्लभ स्वास्थ्य संसाधनों के वितरण और किसके लिये कौन-सा उपचार जैसे विषय (निष्पक्षता और समानता) के प्रति जागरूक होना।
- **व्यक्तियों का सम्मान:** मरीज़ और उसका उपचार करने वाला, दोनों गरिमापूर्ण व्यवहार के हकदार हैं।
- सच्चाई और ईमानदारी।
- **गोपनीयता:** एक चिकित्सक को अपने मरीज़ से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखना चाहिये।

यद्यपि उपर्युक्त मूल्य किसी स्थिति से निपटने में भूमिका नहीं निभाते किंतु उस संघर्ष को समझने के लिये उपयोगी ढाँचा उपलब्ध कराते हैं, जब नैतिक मूल्यों में संघर्ष होता है। ऐसी स्थिति में एक चिकित्सक के लिये नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

प्रश्न: एक सशक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में सूचना का अधिकार किस प्रकार भूमिका निभा सकता है? तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)ss

How can the Right to Information lead towards an empowered and corruption free society? Explain.

उत्तर: लोकतंत्र में निर्वाचित व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान किया जाता है एवं साथ ही सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी ईमानदारी एवं कर्त्तव्यनिष्ठता के साथ अपने दायित्वों को पूरा करे। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राय: यह देखने को मिलता है कि पारदर्शिता व ईमानदारी जैसे मूल्यों का पतन हो रहा है।

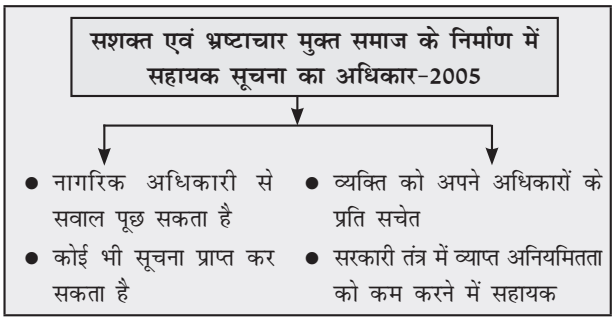

जनता का शासन होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार उनकी सेवा में है, वह क्या कर रही है? ऐसे में जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा कब, कहाँ व किस प्रकार खर्च किया जा रहा है? इसके लिये आवश्यक है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने व जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो कानून द्वारा ही संभव है। अत: भ्रष्टाचार मुक्त एक सशक्त समाज के निर्माण के लिये सूचना का अधिकार का होना बहुत आवश्यक है।

भारत में पारदर्शितायुक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिये 12 मई, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को संसद ने पारित किया एवं 12 अक्तूबर, 2005 को यह लागू किया गया। इस अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं-

- वह सूचना अधिकारी से कोई भी सवाल पूछ सकता है या कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की जाँच कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी काम की जाँच कर सकता है।
- वह किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल की गई सामग्रियों का प्रमाणित नमूना ले सकता है।

लोक सूचना अधिकारी इस अधिनियम में वर्णित कुछ विषयों से संबंधित सूचनाएँ देने से मना भी कर सकता है, इसमें मुख्यत: विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएँ, सुरक्षा मामलों से संबंधित सूचनाएँ, रणनीतिक, वैज्ञानिक या देश के आर्थिक हितों से जुड़े मामले, विधानमंडल के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही, इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में ऐसी कुछ एजेंसियों की सूचनाएँ हैं जहाँ सूचना का अधिकार लागू नहीं होता। फिर भी यदि सूचना भ्रष्टाचार के आरोपों या मानवाधिकारों के हनन से जुड़ी हुई है तो इन विभागों को भी सूचना देनी पड़ेगी। इस अधिनियम में सूचना उपलब्ध न कराने या भामक जानकारी प्रदान करने समय-सीमा के भीतर सूचना न देने पर लोक सूचना अधिकारी पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान है और अधिकारी के खिलाफ सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है।

अत: उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार का अधिनियम न सिर्फ व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है बल्कि सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितता को भी कम करने में सहयोग करता है जो एक सशक्त समाज के निर्माण के लिये आवश्यक है। आज भारत में देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और यह कानून कदम-दर-कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस कानून में व्याप्त मत-मतांतरों व अस्पष्ट क्षेत्रों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: व्यापार नैतिकता की वर्तमान आवश्यकता को रेखांकित कीजिये। इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों को भी बताइये। (150 शब्द, 10 अंक)

Underline the current need for business ethics. Also spell out the various issues related to it?

उत्तर: व्यापार नैतिकता व्यावहारिक नीतिशास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी व्यापार प्रतिष्ठान के व्यापारिक कार्यकलापों, प्रक्रियाओं, निर्णयों तथा अपने कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं से संबंधों का नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के धरातल पर मूल्यांकन तथा उनसे जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है।

वर्तमान समय में दुनिया की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ व्यावसायिक लाभ के लिये नैतिक मूल्यों एवं सिद्धांतों की उपेक्षा करती है जिससे व्यापारिक नैतिकता से जुड़े मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना होती है। व्यापारिक नैतिकता की इस उपेक्षा का दुष्प्रभाव कंपनी, उपभोक्ता बाज़ार तथा समाज की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। (हाल ही में फेसबुक द्वारा 'कैम्ब्रिज एनालिटिका' के साथ उपयोगकर्ताओं के डेटा को साझा करने का विवाद हो या ई-कामर्स कंपनियों द्वारा उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा, ये सभी प्रकरण व्यापारिक नैतिकता में गिरावट को प्रदर्शित करते हैं।) इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा करना भी व्यापारिक नैतिकता के विरुद्ध है। इन्हीं परिस्थितियों ने व्यापारिक नैतिकता की अवधारणा को अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना दिया। व्यापारिक नैतिकता से जुड़े कुछ मुद्दों निम्नलिखित हैं-

- कंपनी और कर्मचारियों के आपसी संबंधों से जुड़े मुद्दे (यथा- कर्मचारियों की सुरक्षा और मुआवज़ा जैसे कर्मचारियों के अधिकार, व्हिसलब्लोवर की सुरक्षा संबंधी नीति)।
- व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के आपसी संबंधों से संबद्ध मामले (यथा-उपभोक्ताओं को लुभाना, सुरक्षित उत्पाद एवं उत्पाद की सुरक्षा आदि)।

- प्रतिष्ठान और उसके मालिकों के आपसी संबंध (जैसे कॉरपोरेट प्रशासन से जुड़े कार्यकलाप)।
- स्वस्थ एवं उचित व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा से जुड़े विषय।
- कंपनी और समाज के आपसी संबंध (यथा–वातावरण में प्रदूषण)।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगमों के व्यवहार से जुड़े मुद्दे (यथा– अल्पविकसित देशों का शोषण करना, विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देना इत्यादि कंपनी)।

उपरोक्त सभी बिंदुओं पर किसी कंपनी की नीति तथा उसके कार्यान्वयन से उस कंपनी के नैतिक मानकों का पता चलता है। हाल का 'गूगल वाकआउट' आंदोलन व्यापरिक नैतिकता (महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न होने पर भी कंपनी द्वारा कर्मचारी के हितों की उपेक्षा) की कमी का सबसे ज्वलंत उदाहरण है।

प्रश्न: आपको प्रशासनिक सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपके समक्ष लोकसेवकों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति से संबधित नित नए मामले आ रहे हैं। सिविल सेवा की तैयारी करने के दौरान संघर्षों के अलावा अकादमी में गहन प्रशिक्षण के बावजूद सिविल सेवक मानसिक दबाव को सहन करने की क्षमता विकसित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में, आपको इससे संबंधित जाँच के बाद सुधार हेतु नवाचारी सुझाव देने की ज़िम्मेदारी दी गई है, जिससे इस प्रवृत्ति को रोका जा सके।

(a) इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारणों की चर्चा करते हुए इसमें निहित नैतिक मुद्दों को बताइये।

(b) उक्त परिस्थिति से निपटने के लिये आप क्या अनुशंसा करेंगे? (250 शब्द, 20 अंक)

You have been appointed the Chairman of the Administrative Reforms Committee. There is a rising trend of suicide by civil servants before you. Despite the struggle faced during civil services preparation and the training rigour at the Academy, civil servants are not able to develop the ability to come to terms with mental pressure. So you have been given the responsibility to suggest innovative measures for reforms after due investigation into it, so that the trend is arrested.

(a) Describing the reasons for the occurrence of these situations, give the ethical issues involved in it.

(b) What would you recommend to deal with the aforementioned situation?

उत्तर: उपर्युक्त केस स्टडी सिविल सेवकों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति से संबंधित है। तैयारी के दौरान संघर्षो के अतिरिक्त गहन प्रशिक्षण के बावजूद सिविल सेवक मानसिक दबावों का समायोजन नहीं कर पा रहे जिसका परिणाम आत्महत्या के रूप में सामने आ रहा है। यह समस्या नैतिक व व्यावहारिक पक्षों में असंतुलन की ओर संकेत करती है। इसके पीछे निम्न कारण हैं-

- कार्य का अतिशय दबाव।
- पारिवारिक समस्या।
- राजनीतिक हस्तक्षेप।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्या।
- काम एवं व्यक्तिगत जीवन में संतुलन न बना पाना आदि।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी।

साथ ही उपर्युक्त केस अध्ययन में निहित नैतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं-

- जीवन के अधिकार का उल्लंघन।
- एक लोकसेवक के कर्त्तव्यों का निर्वहन न कर पाने का संकट।
  - पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन का संकट।
  - लोकसेवा के बुनियादी मूल्यों जैसे– प्रतिबद्धता, अध्यवसाय, धैर्य, ज़िम्मेदारी नेतृत्व क्षमता आदि की कमी का संकट।

इस परिस्थिति से निपटने के लिये प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरे द्वारा की जाने वाली अनुशंसाएँ निम्नलिखित हैं-

- प्रशिक्षण प्रक्रिया में केवल प्रशसनिक दक्षता पर बल न देकर सिविल सेवकों में आत्मबल विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिये जिससे ये प्रशिक्षु भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके भावी समस्याओं को संबोधित करने में सक्षम हो सकें।
- उन्हें भावना प्रबंधन करने की कला में निपुण बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- 24 घंटे कार्य करने के लिये उपस्थित रहने के साथ ही नियमों को लचीला बनाते हुए अवकाश की प्रक्रिया को तार्किक बनाने पर बल दिया जाना चाहिये जिससे अपने कार्य एवं व्यक्तिगत जीवन दोनों में संतुलन बिठा सकें।
- मानसिक तौर पर मज़बूत बने रहने हेतु मेडिटेशन जैसे उपायों पर भी बल देना चाहिये।
- राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी की जानी चाहिये।

उपर्युक्त बिंदुओं पर अमल से तात्कालिक एवं दीर्घकालिक रूप से इस समस्या के समाधान की दिशा में अग्रसर हुआ जा सकेगा।

प्रश्न: समाज में विद्यमान पूर्वाग्रहों की अभिव्यक्ति कभी-कभी सामाजिक भेदभाव तथा संघर्षों के रूप में होती है। सोदाहरण चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Prejudices existing in society are sometimes manifested in the form of social discrimination and conflicts. Discuss with examples.

उत्तर: पूर्वाग्रह किसी विशिष्ट समूह या समाज के प्रति एक प्रकार की अभिवृत्ति है जो प्रायः नकारात्मक होती है। पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक पक्ष उस विशिष्ट समूह के प्रति विद्यमान रूढ़ धारणाओं पर आधारित होता है जिसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति सामाजिक भेदभाव, अंतर्द्वन्द्व एवं संघर्षों के रूप में होती है।

ध्यातव्य है कि पूर्वाग्रह में किसी विशिष्ट समूह के प्रति घृणा, वैमनस्य, निंदा तथा नापसंद जैसे तत्त्व विद्यमान होते हैं जिसके कारण समाज का एक शक्तिशाली वर्ग कभी-कभी व्यावहारिक स्तर पर उस

विशिष्ट समूह को उत्पीड़ित करने या बुनियादी अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करता है जिसका परिणाम सामाजिक भेदभाव एवं संघर्ष के रूप में सामने आता है। जैसे म्याँमार का रोहिंग्या संकट कहीं-न-कहीं धार्मिक एवं नृजातीय पूर्वाग्रहों का परिणाम है। इसी प्रकार पूरी दुनिया में सांप्रदायिक दंगे, रंगभेद, जाति भेद, नृजातीय संघर्ष, लैंगिक भेदभाव कहीं-न-कहीं सामाजिक पूर्वाग्रहों की व्यावहारिक अभिव्यक्तियाँ हैं। हिटलर द्वारा यहूदियों का नृजातीय संहार पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी व्यावहारिक अभिव्यक्ति मानी जा सकती है।

इस प्रकार पूर्वाग्रह एक काल्पनिक, विवेकहीन तथा संवेग युक्त प्रायः नकारात्मक अभिवृत्ति है। पूर्वाग्रह को शिक्षा, जाति एवं धार्मिक समूहों तथा सामाजीकरण की प्रक्रिया आदि स्रोतों के द्वारा पोषित किया जाता है जिसका परिणाम कभी-कभी सामाजिक भेदभाव तथा संघर्ष के रूप में सामने आता है।

प्रश्न: समग्रवादी विचारधारा के रूप में 'एकात्म मानववाद' की नैतिक महत्ता बताइये। (150 शब्द, 10 अंक)

Describe the ethical significance of 'Integral Humanism' as a holistic ideology.

उत्तर: 'एकात्म मानववाद' के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। यह विचारधारा भारतीय संस्कृति की समग्रतावादी अद्वैत दृष्टि को व्यक्त करती है। इसके द्वारा सहयोग, समन्वय, समानता, पूरकता तथा एकात्मकता जैसे नैतिक मूल्यों को पोषित किया जा रहा है। 'एकात्म मानववाद' अपनी अखंड दृष्टि से मानव का विश्लेषण करता है न कि पश्चिम की विभाजित दृष्टि से, यही 'एकात्म मानववाद' के समग्रतामूलक दृष्टिकोण का परिचायक है। पश्चिमी पूंजीवाद जहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन सिर्फ आर्थिक लाभ के संदर्भ में करता है तो वहीं मार्क्सवाद व्यक्ति की सभी समस्याओं के मूल में आर्थिक शोषण को देखता है, जबकि 'एकात्म मानववाद' मानवीय आवश्यकताओं के सभी पक्षों (सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक) को एकीकृत रूप में देखता है।

एकात्म मानववाद का नैतिक महत्त्व इसकी व्यावहारिकता में है क्योंकि यह मानव के सभी पक्षों (जैसे- सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) तथा समाज के सभी घटकों (जैसे- गरीब, अमीर आदि) में आंतरिक सुसंगति व उपयुक्त सामंजस्य की आवश्यकता को स्वीकार करता है। अपनी इसी समग्र दृष्टि के कारण यह विचारधारा 'अंत्योदय' के लक्ष्य को स्वीकार करती है तथा भारत सरकार के संकल्प से सिद्धी कार्यक्रम के पीछे मूल प्रेरणा साबित हुई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद एवं आतंकवाद को समाप्त करने हेतु नैतिक संकल्प लिये गए हैं, जिससे 'नवभारत का निर्माण' हो सके।

इस प्रकार 'एकात्म मानववाद' अपनी समग्रतावादी नैतिक दृष्टि से मानव की आवश्यकताओं व उसके अस्तित्व को देखता है तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता, परस्पर सहयोग एवं सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी से लोकतांत्रिक एवं नैतिक मूल्यों के उन्नयन द्वारा समावेशी समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्रश्न: समय-समय पर निजी संस्थानों में विभिन्न प्रकार की नैतिक चिंताएँ नजर आती हैं, यह नैतिक चिंताएँ कौन-कौन सी हैं और इनका समुचित समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? (150 शब्द, 10 अंक)

Various ethical concerns occasionally appear in private institutions. What are these ethical concerns and how can these be properly resolved?

उत्तर: वर्तमान युग पूंजीवाद व कॉर्पोरेट शासन का है, जहाँ निजी संस्थानों में समय-समय पर नैतिक चिंताएँ दृष्टिगोचर होती हैं। वस्तुतः नैतिक चिंता वह स्थिति है जिसमें निर्णयकर्त्ता नैतिकता की मूल भावना को समझते हुए भी निर्णयन में उसका व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर पाता जिसके निर्णयन की प्रक्रिया में नैतिक पक्ष का उल्लंघन संभावित (निश्चित नहीं) होता है।

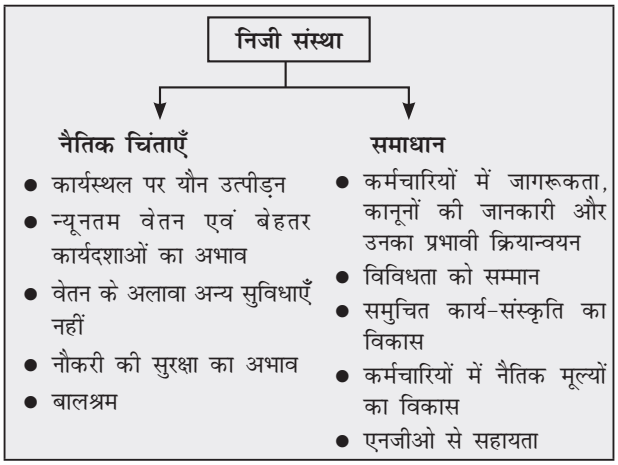

निजी संस्थानों में प्रमुख नैतिक चिंता कार्यस्थल में बड़े स्तर पर यौन उत्पीड़न की है, जिसके कारण महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन एवं असमानता को बढ़ावा मिलता है। निजी संस्थानों द्वारा अपने 'लाभ' को अधिक प्राथमिकता दी जाती है और संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों को उचित वेतन एवं बेहतर कार्यदशाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, वेतन के अलावा अन्य सुविधाएँ नहीं, कर की चोरी, नौकरी की सुरक्षा का अभाव, बालश्रम इत्यादि नैतिक चिंताएँ भी विद्यमान हैं।

वस्तुतः उपर्युक्त नैतिक चिंताओं के समाधान के लिये आवश्यक है कि कर्मचारियों में जागरूकता, कानून की समुचित जानकारी हो और इनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, जैसे- विशाखा गाइडलाइंस, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम इत्यादि। संस्थान में विविधता को महत्त्व देने के साथ ही कमज़ोर वर्गों के लिये विशेष प्रावधान होने चाहियें और 'एनजीओ' की भी मदद ली जा सकती है। दूसरी तरफ समुचित कार्य-संस्कृति का विकास, नैतिक संहिता और आचरण संहिता का गंभीरता से पालन, कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों का विकास इत्यादि प्रयास किये जा सकते हैं।

प्रश्न: वर्तमान समय में सिविल सेवक कई प्रकार की समस्याओं, चुनौतियों तथा विरोधाभासों से ग्रसित हैं। इन परिस्थितियों में सिविल सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग किस तरह सहायक हो सकता है? टिप्पणी कीजिये।

(150 शब्द, 10 अंक)

Nowadays civil servants are suffering from various problems, challenges and contradictions. How can the use of emotional intelligence in civil service be helpful in these circumstances? Comment.

उत्तर: वर्तमान समय में सिविल सेवाओं में तनाव का स्तर अत्यधिक ऊँचा है। जहाँ एक तरफ कल्याणकारी राज्य की उच्च आकांक्षाएँ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य का सीमित बजट। इसके अतिरिक्त, वर्तमान समय में नागरिकों की आकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं और सिविल सेवकों में निरंतर मूल्यों के ह्रास के साथ ही भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ती जा रही है।

वस्तुत: स्वयं व दूसरों की भावनाओं को समझना व उनका प्रबंधन करना 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' कहलाता है। 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' का उपयोग सिविल सेवा में निम्नलिखित प्रकार से सहायक हो सकता है-

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त लोक सेवक स्वयं को तथा अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में सक्षम होता है। फलत: वह नई-नई चुनौतियों व लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होता है।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त लोक सेवक जनता की भावनाओं व आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझकर नीतियों को जनता के अनुरूप बनाता है और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करता है। फलत: जनता का सहयोग प्राप्त होता है।
- बेहतर कार्य-संस्कृति के निर्माण में सहायक होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त लोक सेवक कर्मचारियों को उनकी रुचि के अनुसार कार्यों का आवंटन करता है। फलत: कार्य उत्पादकता में वृद्धि होती है।
- इसके अतिरिक्त भावनात्मक बुद्धिमत्ता तनाव प्रबंधन, लोक सेवक में अनुशासन, परिणाम, सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का विकास, विवादों का समाधान शांतिपूर्वक व वार्ता के माध्यम से करना इत्यादि में सहायक है।

निष्कर्षत: वर्तमान में बदलते हुए राजनीतिक परिवेश व पूंजीवादी दौर में भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोक सेवक को शासन-प्रशासन के कुशल संचालन में सहायक होती है।

प्रश्न: आज जबकि संपूर्ण विश्व की समस्याएँ साझी हैं, इन परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान संभव है। कथन का परीक्षण करें। **(150 शब्द, 10 अंक)**

Today, when the problems of the whole world are shared, it is possible to solve these problems only through ethics in international relations. Examine the statement.

उत्तर: भूमंडलीकरण, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के युग में संपूर्ण विश्व 'ग्लोबल विलेज' में परिवर्तित हो गया है, जहाँ एक देश की घटना अन्य देशों पर अपना प्रभाव डालती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता से तात्पर्य विभिन्न नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के आलोक में दो देशों के मध्य संबंधों में अवलोकन से है।

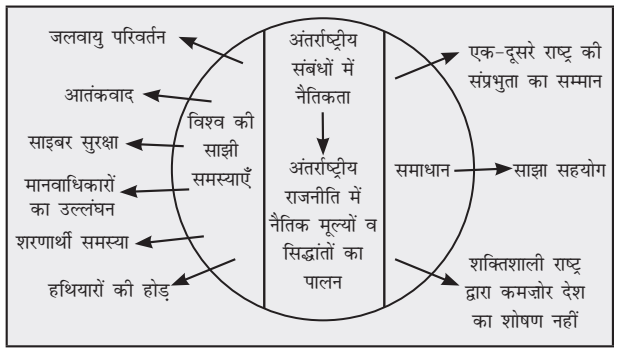

आज संपूर्ण विश्व की समस्याएँ साझी हैं, जैसे- जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, शरणार्थी समस्या, नृजातीय संघर्ष, रासायनिक, जैविक व परमाणु हथियारों का भय, आतंकवाद इत्यादि। वर्तमान में विश्व के समक्ष नई-नई व जटिल समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, जैसे- विश्व की साझी संपत्ति का प्रबंधन व विनियमन, अंतरिक्ष प्रदूषण इत्यादि।

उपर्युक्त परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान, वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु: सुखिन:, इत्यादि के माध्यम से ही इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है क्योंकि ये समस्याएँ वैश्विक हैं जबकि राष्ट्र-राज्यों की सीमाएँ अपने ही देशों तक सीमित हैं। वास्तव में वैश्वीकरण के इस युग में यह पृथ्वी एक घर की तरह है। अगर एक देश अशांत होगा तो वह संपूर्ण विश्व पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा अत: वार्ता व शांतिपूर्वक तरीके से ही इस समस्या का समाधान खोजकर संपूर्ण विश्व में शांति, सौहार्द्र व मानवीयता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

निष्कर्षत: विश्व के साझे सहयोग से ही वर्तमान में उभरती हुई नई समस्याओं का समाधान खोजकर संपूर्ण विश्व में प्रगति को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिये ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उच्च नैतिक मूल्यों (करुणा, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा) का पालन हो।

प्रश्न: "लोक सेवा कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य है।" इस कथन के संदर्भ में उन 'लोक सेवा मूल्यों' का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिये, जिनकी सभी लोक सेवकों को आकांक्षा करनी चाहिये। **(150 शब्द, 10 अंक)**

"Public service is the basic objective of the welfare state". In the context of this statement, enumerate 'Public Service Values' towards which all public servants should aspire.

उत्तर: कल्याणकारी राज्य को 'नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने हेतु सरकार की एक व्यवस्थित प्रणाली' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। लोक सेवा सरकार से संबंधित है तथा प्रशासनिक निकायों द्वारा इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले लोगों को यह सेवा प्रदान की जाती है एवं इसे आधुनिक जीवन के लिये आवश्यक माना गया है। अत: लोक

सेवा को कल्याणकारी राज्य का मूल उद्देश्य कहा जा सकता है, क्योंकि लोक सेवा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों तथा अभिलाषाओं को ध्यान में रखते हुए लोक सेवकों को कुछ 'लोक सेवा मूल्यों' के लिये आकांक्षा करनी चाहिये। कुछ अत्यावश्यक लोक सेवा मूल्य निम्नवत हैं-

- **सत्यनिष्ठा:** सार्वजनिक पद धारण करने वाले अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों या संगठनों के साथ बाध्यतावश स्वयं को शामिल करने से बचना चाहिये, जो अनुपयुक्त तरीके से उनके सरकारी कार्य-निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। उन्हें स्वयं के लिये अथवा अपने परिवार या दोस्तों के लिये वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु कोई कार्य या निर्णय नहीं करना चाहिये।
- **उत्तरदायित्व:** सार्वजनिक पद धारण करने वाले अधिकारी अपने निर्णयों एवं कार्यों के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा यह सुनिश्चित करने हेतु उन्हें आवश्यक जाँच के लिये स्वयं को प्रस्तुत करना चाहिये।
- **प्रतिबद्धता:** उन्हें अपने कर्त्तव्यों के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये तथा सहभागिता, बुद्धिमत्ता व निपुणता के साथ अपना कार्य पूरा करना चाहिये। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, 'प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य के प्रति समर्पण ही सर्वोच्च उपासना है।'
- **पारदर्शिता:** एक लोक सेवक को पारदर्शी रूप से निर्णय लेना चाहिये, ताकि निर्णयों से प्रभावित होने वाले लोग ऐसे निर्णयों में निहित कारणों व सूचना के स्रोतों को समझ सकें, जिनके आधार पर ये निर्णय किये जाते हैं।
- **निष्पक्षता:** लोक सेवकों को गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिये तथा ऐसा करते समय उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक विचारों से मुक्त होना चाहिये। लोक सेवकों को वृहत् लोकहित को साधने के उद्देश्य से न्यायपूर्ण, प्रभावशाली, निष्पक्ष और विनम्रता के साथ सेवाएँ प्रदान करनी चाहिये। लोक कल्याण हेतु समर्पण (सेवा की भावना) सर्वाधिक आवश्यक है।
- **नेतृत्व:** सार्वजनिक पद धारण करने वाले अधिकारियों को अपने स्वयं के व्यवहार में इन सिद्धांतों को प्रदर्शित करना चाहिये। उन्हें इन सिद्धांतों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिये तथा दृढ़ता से इनका समर्थन करना चाहिये, साथ ही कहीं भी कुत्सित/बुरे व्यवहार की घटना के नज़र आने पर उसे चुनौती देने के लिये तैयार रहना चाहिये।
- इनके अतिरिक्त समानुभूति, राजनीतिक तटस्थता, अनामिकता (नाम गुप्त रखना), आदर्श व्यवहार आदि गुण एक कुशल लोक सेवक की पहचान होते हैं।

उपर्युक्त सभी मूल्य संगठनात्मक संस्कृति के अनिवार्य घटक हैं तथा समाज द्वारा परिकल्पित (Envisioned) कल्याणकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक व्यवहार को निर्धारित, निर्देशित और सूचित करने के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार इन मूल्यों को व्यापक स्तर पर सभी को अपनाना चाहिये तथा विशेष रूप से इनके माध्यम से लोक सेवकों में मूल गुणों को विकसित किया जाना चाहिये।

प्रश्न: शासन में शुचिता को सुनिश्चित करने हेतु 'आपराधिक न्याय प्रणाली' को सुदृढ़ता प्रदान करना सबसे आवश्यक है। विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

Strengthening of the 'Criminal Justice System' is one of the most important requisites for ensuring probity in governance. Analyse.

उत्तर: 'शुचिता' से तात्पर्य मज़बूत नैतिक सिद्धांतों के गुण से है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया में नैतिक व्यवहार का संकेत है। शुचिता में सत्यनिष्ठा, न्याय-निष्ठा तथा सच्चरित्रता निहित है।

शासन में शुचिता एक कुशल एवं प्रभावी शासन प्रणाली तथा सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु एक मूलभूत और महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। शासन में शुचिता को सुनिश्चित करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कारक भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति है। अन्य कारकों में प्रभावी कानून, सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक पहलुओं को शासित करने वाले नियम एवं विनियम हैं और इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण इन कानूनों का प्रभावी तथा निष्पक्ष क्रियान्वयन है।

भ्रष्टाचार इसलिये और भी पनपता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सफल और पर्याप्त रूप से अभियोजित मुकदमे नहीं दिखाई देते हैं। गलत तरीके से दर्ज़ मुकदमे, अधूरी सुनवाई तथा अपूर्ण जाँच इसके बाद एक धीमी व विलंबित सुनवाई के कारण अपराधी प्राय: दोषमुक्त हो जाते हैं। अपराधियों की रिहाई न केवल भ्रष्ट लोगों को प्रोत्साहित करती है बल्कि एक भयावह उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।

इसलिये न्याय की गुणवत्ता तथा न्याय प्रणाली की कुशलता प्रशासन और शासन व्यवस्था में शुचिता से संबंधित है। भारत कई मायनों में आज भी एक 'सॉफ्ट स्टेट' (मृदु राज्य) है, जहाँ कानून पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार को सहन या अनदेखा किया जाता है और न्यायिक वितरण प्रणाली सीमा से अधिक धीमी है, जिसके परिणामस्वरूप देश में सभी स्तरों पर लाखों मामले आज भी लंबित हैं। अत: आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना निश्चित रूप से सर्वप्रथम आवश्यकता है, ताकि प्रशासन में शुचिता और सुशासन को सुनिश्चित किया जा सके।

शासन व्यवस्था में शुचिता सुनिश्चित करने के लिये हाल में विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013; भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 आदि। हालाँकि केवल कानूनी ढाँचों का निर्धारण पर्याप्त नहीं है बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

प्रश्न: जब लोक प्रशासकों पर नियंत्रण कमज़ोर होता है तथा राजनीतिक कार्यकारिणी एवं नौकरशाही के मध्य शक्ति का वितरण अस्पष्ट होता है तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है। सिद्ध कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

The scope for corruption increases when control on the public administrators is fragile and the division of power between political executive and bureaucracy is ambiguous. Justify.

उत्तर: राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution–NCRWC) द्वारा शासन में शुचिता पर प्रस्तुत एक परामर्श-पत्र में उपर्युक्त अवलोकन किया गया था।

भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक संसाधनों या पद का निजी लाभ के लिये दुरुपयोग है। जब सार्वजनिक प्रशासकों पर नियंत्रण कमज़ोर होता है और राजनीतिक कार्यपालिका एवं नौकरशाही के बीच शक्ति का विभाजन अस्पष्ट होता है, तब भ्रष्टाचार का दायरा निश्चित रूप से बढ़ जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका और नौकरशाही के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन एक जीवंत लोकतंत्र के लिये अनिवार्य तत्त्व है। नौकरशाही (स्थायी कार्यपालिका) को जनसेवा के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख कर राजनीतिक वर्ग से बिना प्रभावित हुए या बिना उसके अधीन हुए काम करना होता है। हालाँकि भूमिकाओं का रूपांतरण, भ्रष्टाचार और उनकी कार्य-भूमिकाओं की अधिकता कोई नई बात नहीं है।

आर्थिक और सामाजिक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के अवसरों में वृद्धि ने राजनीतिक और नौकरशाही भ्रष्टाचार के लिये व्यापक रास्ते खोल दिये हैं। अपराधी राजनीतिक जीवन का आनंद ले रहे हैं और सार्वजनिक नैतिकता तथा शिष्टाचार समाप्त हो रहे हैं, साथ ही कई लोकसेवक भ्रष्ट राजनेताओं से साँठ-गाँठ में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कानून और अन्य निगरानी तंत्र अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।

स्वतंत्र भारत का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जहाँ सार्वजनिक प्रशासकों पर कमज़ोर नियंत्रण के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार हुआ है। भारत में हुए असंख्य घोटाले तथा विभिन्न प्रशासनिक आयोगों और समितियों की रिपोर्ट एवं अध्ययन इस बात का प्रमाण हैं कि सुशासन के लिये लोक प्रशासकों पर पर्याप्त नियंत्रण तथा राजनीतिक कार्यपालिका और नौकरशाही के बीच शक्ति के स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता है।

प्रश्न: "हर साधन से अपनी संपत्ति अर्जित करो, परंतु यह समझो कि तुम्हारे द्वारा अर्जित धन तुम्हारा नहीं, समाज का है।" महात्मा गांधी के इस कथन का भारत में कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में विश्लेषण कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

"Earn your wealth by all means. But understand your wealth is not yours; it belongs to society." Analyse this statement of Mahatma Gandhi with reference to present state of corporate governance in India.

उत्तर: महात्मा गांधी ने धनी और संपन्न वर्ग को अपने कर्त्तव्य पर विचार करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा, "हर साधन से अपनी संपत्ति अर्जित करो' किंतु यह समझो कि तुम्हारे द्वारा अर्जित धन तुम्हारा नहीं, जनता का है। अपनी उचित आवश्यकताओं के लिये आपको जो चाहिये, वह प्राप्त कीजिये तथा शेष संसाधनों का प्रयोग समाज के लिये कीजिये।" ये शब्द एक नैतिक एवं लाभकारी उद्यम के गठन व कार्यान्वयन के संदर्भ में गांधीजी की भावनाओं का प्रतिध्वनित करते हैं। उद्योगों को जन हित के लिये सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिये और स्वयं को गरीबों का संरक्षक और सेवक (ट्रस्टी) समझना चाहिये।

कॉर्पोरेट शासन में शासी निगमों से संबंधित सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। यह नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है, जिसके द्वारा एक निगम को निर्देशित व नियंत्रित किया जाता है। भारत ने गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप नैतिक व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिये कॉर्पोरेट शासन में विभिन्न सुधार किये हैं। खराब कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की प्रक्रियाओं का उन सभी हितधारकों, जिनके साथ कंपनी सौदा करती है; ऋणदाता/बैंक, जो उद्योगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं; आपूर्तिकर्त्ता, जो इसे वस्तु या सेवाओं का विक्रय करते हैं; कर्मचारी, जो इसमें अपना समय निवेश करते हैं; ग्राहक, जो इसके ब्रांड, उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पर विश्वास रखते हैं और व्यापक समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कंपनी अधिनियम द्वारा लागू 'निगमित (कॉर्पोरेट) सामाजिक दायित्व' (Conrporate Social Responsibility) की अवधारणा एवं इसका क्रियान्वयन एक ऐतिहासिक कदम था जिसने भारत को भूख, गरीबी एवं कुपोषण के उन्मूलन; शिक्षा को बढ़ावा देने; लैंगिक समानता तथा पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने; गंदी बस्तियों के क्षेत्र का विकास करने आदि के लिये सी.एस.आर. व्यय को निर्धारित करने वाला प्रथम देश बनाया।

भारत में विभिन्न नियामक निकायों द्वारा प्रवर्तित कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति सामाजिक कल्याण और नैतिकता में रूपांतरित हो गई है। कोटक समिति की रिपोर्ट के संशोधनों और आई. सी.आई.सी.आई. बैंक जैसे मामलों के मज़बूत प्रवर्तन तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की कार्यविधियों ने कॉर्पोरेट शासन को और मज़बूत बनाया है। हालाँकि गांधीवादी नैतिकता को पूर्णत: लागू करने के लिये और भी कार्य किये जाने अभी शेष हैं।

प्रश्न: सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम एक पथ प्रदर्शक विधान है, जो गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शिता के युग में प्रवेश का संकेत देता है। टिप्पणी कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

The Right to Information (RTI) Act is a path-breaking legislation which signals the march from darkness of secrecy to the dawn of transparency. Comment.

उत्तर: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) 'सुशासन की कुंजी' है। यह टिप्पणी करता है, "सूचना का अधिकार पथ प्रदर्शक विधान है, जो गोपनीयता के अँधेरे से पारदर्शिता के युग में प्रवेश का संकेत देता है। यह लोक अधिकारियों की मानसिकता को चेतना प्रदान करता है, जो संदेह एवं गोपनीयता से घिरे होते हैं। लोक शक्ति यथा कार्यकारी या कार्यपालिकीय, विधायी या न्यायिक कार्यविधियों में खुलापन एक परंपरा है, जिसे निजता एवं गोपनीयता जैसे अपवाद के साथ विकसित किये जाने की आवश्यकता है।"

आर.टी.आई. कई प्रकारों से सहभागितापूर्ण लोकतंत्र को सुदृढ़ करने तथा जन-केंद्रित शासन को कायम करने की कुंजी साबित हुई है। यह

सूचनाओं तक सहज पहुँच समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को सार्वजनिक नीतियों एवं कार्यों के संबंध में सूचना की मांग करने तथा उन्हें प्राप्त करने में सशक्त बना सकती है, जिससे उनका कल्याण सुनिश्चित हो सके। सुशासन के बगैर सरकार द्वारा विकास-संबंधी योजनाओं में निवेशित कोई भी राशि नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार नहीं ला सकती है। सुशासन के चार घटक होते हैं यथा- पारदर्शिता, जवाबदेही, पूर्वानुमेयता और भागीदारी। पारदर्शिता का तात्पर्य आम जनता को सूचना की उपलब्धता और सरकारी संस्थानों की कार्यविधियों के संदर्भ में स्पष्टता से है। आर.टी.आई. सरकारी अभिलेखों को सार्वजनिक जाँच के लिये प्रस्तुत करके नागरिकों को एक महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वे यह जान पाते हैं कि सरकार क्या और कितने प्रभावशाली तरीके से कर रही है एवं इस प्रकार यह सरकार को उनके प्रति तथा अधिक जवाबदेह बनाता है।

आर.टी.आई. अधिनियम पारित होने से पूर्व, शासकीय गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 द्वारा भारत में लोक निकायों के सूचनाओं के प्रकटीकरण को शासित किया गया। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत थी और यह अधिनियम प्रशासन में गोपनीयता एवं अपारदर्शिता को प्रोत्साहित करने तथा लोगों को सरकारी गतिविधियों के संबंध में सूचना न प्रदान करने के लिये बनाया गया था। आर.टी.आई. इन सभी दोषों को प्रतिस्थापित करते हुए गोपनीयता के अँधेरे को हटाकर पारदर्शिता के प्रकाश का संदेश देता है। हाल ही में राफेल मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सहमति व्यक्त की है कि आर.टी.आई. ओ. एस.ए. (OSA) को अधिक्रमित (Supersed) करता है।

प्रश्न: प्रशासनिक व्यवहार समाज की सामान्य संस्कृति की एक उप-संस्कृति है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।
(150 शब्द, 10 अंक)

The administrative culture is a sub-culture of the common culture of the society. Critically examine.

उत्तर: संस्कृति अपनी प्रकृति में विस्तृत और सर्वव्यापी होती है। इसमें भाषाएँ, रीति-रिवाज़ एवँ परंपराएँ, मानक व विधि, धर्म, कला व संगीत आदि शामिल हैं। इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवहार सहित विभिन्न उप-संस्कृतियाँ शामिल होती हैं।

एक राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली उसके सामाजिक-आर्थिक तथा भू-राजनीतिक कारकों और परिस्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होती है। प्रशासनिक परिवेश अपने आस-पास के माहौल तथा एक प्रशासनिक प्रणाली की स्थितियों व एक-दूसरे के प्रति उनकी अंत:क्रियाओं का वर्णन करता है। प्रशासनिक व्यवहार को व्यापक रूप से समाज की सामान्य संस्कृति के उप-वर्ग के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। यह सामाजिक परिवेश से मूलभूत विशेषताओं, मूल्यों, विश्वासों, मानकों तथा प्रतीकों इत्यादि को धारण करता है।

एक राष्ट्र का प्रशासनिक व्यवहार प्राय: लोक अधिकारियों की कार्य पद्धति और कार्यशैली से मुख्यत: निर्धारित होता है। सामान्यत: भारतीय प्रशासन को सुस्त, अक्षम, भ्रष्ट, गैर-ज़िम्मेदार, सत्ता द्वारा नियंत्रित सरकारी तंत्र के रूप में समझा जाता है, "जिसका कारण आंशिक रूप से प्रचलित सामाजिक व्यवहार है।" हालाँकि प्रशासनिक व्यवहार के प्रत्येक पहलू को सामाजिक संस्कृति द्वारा निर्धारित या निर्मित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अन्य कारक जैसे- विधि के शासन का बल, आचार संहिता, आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि भी शामिल हैं।

शासन की संस्कृति व शैली यह समझने की कुंजी है कि कौन-से कारक सार्वजनिक प्रशासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाते हैं। यह आवश्यक है कि कोई भी प्रशासनिक सुधार रीति-रिवाज़ों, संस्कृति व परंपराओं से ही निर्धारित होते हैं, क्योंकि प्रशासनिक व्यवहार समाज की व्यापक संस्कृति का ही एक उप-वर्ग है।

प्रश्न: निगमित (कॉर्पोरेट) सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं है बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है। टिप्पणी कीजिये। **(150 शब्द, 10 अंक)**

Corporate Social Responsibility (CSR) is not just a social responsibility but a moral obligation too. Comment.

उत्तर: कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) एक प्रबंधन अवधारणा है, जिसके तहत कंपनियाँ अपने व्यवसाय के संचालन में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को अपने हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं। यह एक तरीका है, जिसके माध्यम से एक कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं के मध्य संतुलन प्राप्त करती है। यह केवल एक सामाजिक ज़िम्मेदारी ही नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है।

इसमें सन्निहित नैतिक दृष्टिकोण को इस तथ्य में भी देखा जा सकता है कि सी.एस.आर. स्वतंत्रता प्राप्ति तथा कंपनी अधिनियम द्वारा इसे अनिवार्य करने से पहले भी टाटा और बिड़ला कंपनी के कार्यों में कॉर्पोरेट नैतिकता का हिस्सा था। भारत की स्वतंत्रता से पहले, सी.एस.आर. को मुख्य रूप से व्यवसायियों, परोपकारी लोगों आदि द्वारा दान के रूप में देखा जाता था। वर्ष 1947 के बाद गांधी का न्यासिता (ट्रस्टीशिप) का दर्शन लोकप्रिय हुआ; सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पी.एस.यू.) को विकास के एजेंडे को पूरा करने के रूप में देखा जाने लगा और उनके कार्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य के बजाय राष्ट्रीय सामाजिक ज़िम्मेदारी और नैतिक आकांक्षाओं से प्रेरित होने लगे।

1991 के उदारीकरण के सुधारों के बाद भारतीय बाज़ार में वैश्विक खिलाड़ियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्द्धा तीव्र हुई एवं सी.एस.आर. के वैश्विक मानकों ने स्थानीय कंपनियों को अपने कार्य में सामाजिक और नैतिक आयामों को शामिल कर, उनके ब्रांड मूल्य को बढ़ाने के लिये प्रेरित किया। कंपनी अधिनियम (2013) के अनुसार ऐसी प्रत्येक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, जिसकी या तो ` 500 करोड़ की कुल संपत्ति है या ` 1,000 करोड़ का कारोबार है या ` 5 करोड़ का शुद्ध लाभ है, को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% सी.एस.आर. गतिविधियों पर खर्च करने की आवश्यकता है। इस प्रावधान के गैर-अनुपालन की स्थिति में न्यूनतम दंड निर्धारित

है। इस प्रकार यह प्रावधान अनुपालन पर निर्भर करता है या उस दर्शन की व्याख्या करता है जो सी.एस.आर. की अवधारणा में शामिल नैतिक दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है।

प्रश्न: ई-गवर्नेंस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु आवश्यक (महत्त्वपूर्ण) है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

e- Governance is vital for checking corruption and enhancing transparency in the public service delivery system. Discuss.

उत्तर: ई-गवर्नेंस मूल रूप से सरकारी कामकाज हेतु 'सरल, नैतिक, जबाबदेह, अनुक्रियात्मक एवं पारदर्शी' (SMART) शासन को सुनिश्चित करने के लिये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का अनुप्रयोग है। ई-गवर्नेंस शासन प्रक्रियाओं और परिणामों में सुधार लाने की क्षमता रखता है, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

इसके साथ ही यह भ्रष्टाचार में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि, अधिक बेहतर सुविधा, प्रदान करने राजस्व वृद्धि और लागत में कमी लाने में भी सक्षम है। ई-गवर्नेंस मानव इंटरफेस को कम करता है तथा सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संपर्क बढ़ाता है, जिससे मनमानी निर्णय प्रक्रिया को समाप्त करने में मदद मिलती है और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है।

यह भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिये एक प्रभावी उपकरण है। साथ ही किसी कार्य प्रक्रिया का मूल्यांकन करने और प्रक्रियात्मक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने का माध्यम भी है। यह इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि प्रक्रियाएँ स्थापित नियमों और विनियमों के आधार पर कार्यान्वित हुई हैं या नहीं।

यदि विसंगतियाँ होती हैं, तो ई-गवर्नेंस आसानी से उनका पता लगा सकता है। इंटरनेट पर सभी जानकारी उपलब्ध कराकर ई-गवर्नेंस सरकारी फैसलों, कार्यों, प्रदर्शन, नियमों में पारदर्शिता का परिचय देता है। सूचनाओं की आसानी से उपलब्धता नागरिकों को निर्णयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाती है और इस प्रकार सहभागी शासन को कायम करती है।

हालाँकि ई-गवर्नेंस की अपनी अलग-अलग चुनौतियाँ हैं यथा; ई-गवर्नेंस की पहल करने के लिये संस्थागत और भौतिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करना। इसके लिये एक ऐसे वातावरण के निर्माण की भी आवश्यकता होती है जो लोगों को आई.सी.टी. को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करे। सरकार के भीतर और इसके बाहर ई-गवर्नेंस के बारे में जागरूकता की कमी इसके कार्यान्वयन में एक और चुनौती है। इंटरनेट की पैठ, (Internet Penetration) डिजिटल साक्षरता और डिजिटल लैंगिक अंतराल भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और पारदर्शिता बढ़ाना, सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली की मूल आवश्यकता है। इन मूलभूत मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिये ई-गवर्नेंस पहलों यथा- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना; लोकवाणी (यूपी); भूमि (कर्नाटक) आदि सही दिशा में उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

यद्यपि ई-गवर्नेंस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिये एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसके लिये लोक सेवकों की ओर से सत्यनिष्ठा, शुचिता और पारदर्शिता के मूल्यों को आत्मसात् करने एवं प्रकाश में लाने की भी आवश्यकता है।

प्रश्न: 'अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मूल मुद्दा यह है कि किसी एक के हितों के साथ दूसरे के मूल्यों का मिलान कैसे किया जाए।' विवेचना कीजिये। (150 शब्द, 10 अंक)

A basic issue in international relations is how to reconcile one's interests with values one professes. Discuss.

उत्तर: देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्रियान्वयन में कई नैतिक मुद्दे शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक जटिल मुद्दा यह है कि किसी के मूल्यों के साथ उसके हितों का सामंजस्य कैसे बैठाया जाए।

भारत सहित अधिकांश राष्ट्र सार्वभौमिक मूल्यों के लिये अपनी प्रतिबद्धता का दावा करते हैं और उनके अनुरूप कार्य करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। कई अवसरों और स्थितियों में राज्यों के लिये अपने मूल्यों के अनुसार व्यवहार का प्रतिपादन करना कठिन हो जाता है और हमें विरोधाभास देखने को मिलते हैं। यद्यपि अधिकांश देश विदेश नीति के शांतिपूर्ण आचरण और अहस्तक्षेप की नीति के लिये अपनी प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा करते हैं, वास्तव में उनके राष्ट्रीय हितों को वास्तविक रूप से परिभाषित किया जाता है, जो उन्हें सत्ता वृद्धि की राह में हानि पहुँचाते हैं तथा उन्हें अपने सह-आकांक्षियों के विरुद्ध करते हैं। विशिष्ट मामलों में कुछ राष्ट्र अस्तित्व और गरिमा की इच्छा में अपने मूल्यों को पृथक करने के लिये मज़बूर होते हैं।

इस सामंजस्य-संघर्ष को भारतीय विदेश नीति में भी देखा जा सकता है। अहिंसा और शांति के लिये अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद भारत की परमाणु ऊर्जा का अन्वेषण यहाँ एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौरान यू.एस.एस.आर. के प्रति भारत की निकटता या शीत-युद्ध के युग के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में आई नरमाहट गुट निरपेक्ष पथ का अनुसरण करने का एक अन्य उदाहरण है। इज़रायल के प्रति भारतीय नीति एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करती है; अपने मूल्य में यह अक्सर फिलिस्तीन का पक्ष लेता प्रतीत होता है, परंतु रक्षा एवं अन्य क्षेत्रों में इज़रायल के साथ सहयोग भारत के राष्ट्रीय हितों को पूरा करते हैं।

विश्वभर में आपसी मतभेद और असुरक्षा की भावना से जनित शक्ति संतुलन की राजनीति, प्राय: राष्ट्रों के लिये उन मूल्यों का सख्ती से पालन करने को कठिन बना देती है जिनके वे दावा करते हैं। इस संघर्ष की राह आसान नहीं है और विभिन्न राष्ट्र प्राय: कार्रवाई के दौरान निर्णय लेते समय अपने राष्ट्रीय हित एवं कल्याण को प्राथमिकता देते हैं।

प्रश्न: लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित पदों की प्रासंगिकता का उदाहरण सहित परीक्षण कीजिये: (150 शब्द, 10 अंक)

Examine the relevance of the following in the context of civil service by citing relevant examples:

(a) लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा
(Honesty of purpose)

(b) जवाबदेही
(Accountability)

(c) विधि का शासन
(Rule of law)

(d) हित-संघर्ष
(Conflict of interest)

(e) प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत
(Principles of natural justice)

उत्तर (a): **लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा:** लोक सेवकों को लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा रखने की आवश्यकता है; उन्हें छल, मिथ्यावादिता और धोखाधड़ी से दूर रहना चाहिये तथा उन्हें ईमानदारी से सरकारी एवं प्रशासनिक कार्यविधियों के माध्यम से सार्वजनिक सेवा के लिये प्रतिबद्ध रहने की ज़रूरत है। लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा रखने वाले लोक सेवक अत्यधिक कुशल और विकासात्मक कार्यों के लिये प्रतिबद्ध होते हैं तथा वे योग्य नेतृत्वकर्त्ता भी होते हैं। लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठा वित्तीय स्वामित्व के अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है और इसमें कर्त्तव्य के प्रति समर्पण होता है।

उत्तर (b): **जवाबदेही:** जवाबदेही को शक्ति धारण करने वालों के दायित्व तथा अपने व्यवहार व कार्यों के प्रति ज़िम्मेदारी लेने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि भारत आज जवाबदेही के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। जवाबदेही में असफलता से राज्य की उस प्रत्येक मुख्य सेवाओं की आपूर्ति में अंतराल, अक्षमता, असमर्थता और भ्रष्टाचार पैदा होता है, जिनका अपने नागरिकों को प्रदान करने के लिये राज्य बाध्य है। एक लोक सेवक को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह होना चाहिये; उसे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय अनिवार्य रूप से ज़िम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिये।

उत्तर (c): **विधि का शासन:** यह शासन का एक सिद्धांत है जिसमें राज्य सहित सभी व्यक्ति, संस्थान और संस्थाएँ, सार्वजनिक रूप से घोषित, समान रूप से लागू एवं स्वतंत्र रूप से निर्णय करने वाली विधि के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक लोक सेवक को शासन एवं प्रशासन के सभी स्थितियों में विधि के शासन का पालन करना होता है। एक लोक-सेवक यथा- ज़िले के ज़िलाधिकारी जो विधि के शासन का पालन (जैसे कि नागरिकों के साथ गैर-भेदभाव या आपदा के बाद राहत सामग्री का समान वितरण या धन का गबन न करने से संबंधित/गलत कृत्य) नहीं करते हैं।

उत्तर (d): **हित-संघर्ष:** यह व्यक्ति के व्यक्तिगत हित और व्यावसायिक हित या सार्वजनिक हित के बीच द्वंद्व की संभावना की स्थिति है। एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्त्तव्यों का ज़िम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के लिये इस प्रकार के संघर्षों से मुक्त हो। हित-संघर्ष किसी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति के निर्णय को कमज़ोर करता है और निर्णयन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। व्यक्तिगत या निजी हित से आधिकारिक कर्त्तव्य या उत्तरदायित्व का निर्वहन अनुचित रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिये। उदाहरणत: एक लोक सेवक को मित्रों/धनी व्यापारियों आदि से उपहार या दावत/छुट्टी यात्राओं के प्रस्ताव को नकारना चाहिये, जो उनके कार्यालय के सार्वजनिक व्यवहार या निविदा प्रक्रिया (Tender Process) को प्रभावित कर सकता है।

उत्तर (e): **प्रास्तविक न्याय का सिद्धांत:** प्राकृतिक न्याय के मुख्य सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि (a) कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिये, और (b) कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की मांग को सुनिश्चित करने हेतु इस सिद्धांत को धारण करती है। संविधान का अनुच्छेद 311 (लोक सेवकों को पदच्युत करने से संबंधित है) भी इन सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से अनुपालन करता है।

ये सिद्धांत न्याय-प्रसार के सिद्धांत का स्वयं ही निर्माण करते हैं। यद्यपि ये सख्ती से संहिताबद्ध नहीं हैं। लोक सेवकों को कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करना चाहिये, इन सिद्धांतों को अपने सार्वजनिक व्यवहार में शामिल करना चाहिये।

प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण का क्या अर्थ है?

"न्याय-परायणता शांति तथा सुशासन की आधारशिला है।"
-कन्फ्यूशियस (150 शब्द, 10 अंक)

What does following quotation mean?
"Righteousness is the foundation stone of peace and good governance." –Confucius

उत्तर: न्याय-परायणता या सच्चाई या न्याय वस्तुत: शांति एवं सुशासन की आधारशिला हैं। यह उपकार करने का नैतिक स्वभाव है। कन्फ्यूशियस ने तर्क दिया कि श्रेष्ठ व्यक्ति का मन न्याय-परायणता में प्रवीण होता है, जबकि सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में लाभ सम्मिलित होता है। वे सिद्धांत जो दूसरों तथा स्वयं को शासित करते हैं, वे दयालुता और न्याय-परायणता है। दयालुता, दूसरों को शांति एवं सुरक्षा देना है और न्याय-परायणता स्वयं में सुधार करना है। दयालुता का सिद्धांत लोगों से स्नेह करने में निहित है न कि स्वयं से, वहीं न्याय-परायणता का सिद्धांत स्वयं में सुधार करने में निहित है, न कि दूसरों में।

वर्तमान संदर्भ में इसका तात्पर्य मानवता को न्याय-परायणता और दयालुता का उपयोग शामिल करना चाहिये, ताकि विश्व में शांति एवं न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। न्याय-परायणता वैश्विक समृद्धि सुनिश्चित करने की विधि है। यदि उठाया गया कदम सही नहीं होता है तो शर्म और अपराध की भावना उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य बनने की आकांक्षा की कामना करता है और सत्यपरायणता या न्याय-परायणता उसे प्राप्त करने के लिये आवश्यक गुणों में से एक है। संस्थागत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय-परायणता वैश्विक शांति एवं समृद्धि में सहायक है।